उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2017-18

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तराखण्ड

वर्ष 2017-18

उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड

वर्ष 2017—18

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

उत्तराखण्ड सरकार

100/6, नैशविला रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001

दूरभाष/फैक्सः 0135—2712604

ई—मेलः dir-des-uk@gmail.com

dir-des-uk@nic.in

वेबसाइटः www.des.uk.gov.in

उत्पल कुमार सिंह
Utpal Kumar Singh

मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Govt. of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan
सचिवालय
Secretariat
4, सुभाष मार्ग, देहरादून
4, Subhash Marg, Dehradun
Phone (Off.) 0135-2712100
0135–2712200
(Fax) 0135–2712500
E-mail: cs-uttarakhand@nic.in

प्रस्तावना

राज्य के सामाजार्थिक विकास के आकलन में आर्थिक सर्वेक्षण की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें विभिन्न सेक्टरों में हुए प्रमुख कार्यों से प्राप्त लाभ को विश्लेषित किया जाता है। इस सर्वेक्षण में अन्तर्जनपदीय विषमताओं एवं विशेषताओं का भी उल्लेख है, जो निश्चित रूप से भविष्य में सेक्टर विशेष की योजनाओं को तैयार करने में सहायक होगा। इस बार सर्वेक्षण में विभिन्न क्षेत्रों में किये गये कतिपय अभिनव प्रयोगों का भी समावेश किया गया है जो भविष्य की योजनाओं के मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश में संचालित हो रही योजनाओं की अन्य राज्यों एवं राष्ट्रीय औसतों से भी तुलना की गयी है, जिससे विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार हो सके। नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा अथक परिश्रम किया गया है, जो सराहनीय है। मुझे आशा है कि भविष्य में विभिन्न विभाग, संस्थायें तथा हित धारक (Stake Holders) आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं के विश्लेषण से लाभ उठाते हुये प्रभावी एवं जनोपयोगी योजनाओं की संरचना करने में सफल हो सकेंगे।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा
आई.ए.एस.
प्रभारी सचिव

नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
सोबन सिंह जीना भवन,
सचिवालय, 4, सुभाष रोड,
देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष सं0: 0135–2659850

उत्तराखण्ड शासन

प्राक्कथन एवं आभारोक्ति

आज विश्व तथा देश की समस्त अर्थव्यवस्थाएं एक–दूसरे से इतिहास के किसी भी समय से ज्यादा जुड़ी हुई हैं और उत्तराखण्ड कोई अपवाद नहीं है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव/मंथन के दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे ढांचागत बदलाव के निर्णय लिए गए हैं जिसके अतुलनीय दूरगामी परिणाम होंगे जैसे– नोटबन्दी, वस्तु एवं सेवा कर आदि। भारत सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदम जैसे–मुद्रा योजना, स्टार्ट–अप इण्डिया, स्टैन्ड–अप इण्डिया, मृदा स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, उपज का मूल्य लागत से डेढ़ गुना देने का निर्णय आदि से अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे स्थिर हो रही है तथा विकास दर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त एक बदलाव और दिख रहा है, वह है उत्तरदायित्व का निर्धारण तथा व्यवस्था को उत्तरदायी व संवदेनशील बनाना। इन बदलावों का असर सरकार तथा अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर दिखाई दे रहा है। इन देशव्यापी सुधारों से उत्तराखण्ड अछूता नहीं है तथा राज्य सरकार ने प्रदेश में सम्पूर्ण सामाजार्थिक विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं, जैसे–पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को बढ़ावा देने हेतु वृहद् स्तर पर बागवानी, होम–स्टे पर्यटन, विषय (थीम) आधारित पर्यटन स्थल विकसित करना, न्याय पंचायत स्तरों पर विकास केन्द्र विकसित करना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करना आदि। इन सुधारात्मक निर्णयों से जहां एक ओर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक मजबूत होगी, वहीं ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन कम होंगे।

इसी परिप्रेक्ष्य में नियोजन विभाग द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण, प्रदेश की सामाजार्थिक विकास की बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करने की दिशा में प्रथम प्रयास है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा पहलुओं के ऊपर तथ्यात्मक वर्णन के साथ–साथ विश्लेषणात्मक व्याख्या भी की गयी है। महत्वपूर्ण मुद्दों तथा भारत सरकार व अन्य संस्थाओं की महत्वपूर्ण रिपोर्टों की उत्तराखण्ड के संदर्भ में व्याख्या करने की कोशिश की गयी है।

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी है। इस संबंध में मैं सम्पादकीय भूमिका हेतु श्री सुशील कुमार, निदेशक व डॉ० मनोज कुमार पन्त, संयुक्त निदेशक तथा अध्याय लेखन हेतु उप निदेशक (कम्प्यूटर) श्री जी0एस0 पाण्डेय, उप निदेशक सुश्री चित्रा, श्रीमती गीतांजली शर्मा, श्री टी0एस0 अन्ना, श्री मनीष राणा, डॉ0 इला पन्त बिष्ट, श्री अमित पुनेठा एवं श्रीमती रश्मि हलधर; अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री डी0पी0 नौटियाल, श्री बी0एस0 मियां एवं श्री सतेन्द्र कुमार; शोध अधिकारी श्री जे0सी0 चन्दोला तथा सहयोग हेतु अपर सांख्यिकीय अधिकारी श्री शशि कान्त गिरि, श्रीमती नलिनी ध्यानी, श्री अतुल आनन्द, श्री गोपाल गुप्ता, श्री श्वेतांक प्रताप सिंह, श्री सुरेश कुमार गोयल, श्री भारत सिंह रावत, श्री अशोक कुमार, श्री राम सलोने, श्री आलोक कुमार, डॉ0 भारती जायसवाल, श्री संदीप पाण्डेय, सुश्री सीमा धीवान, श्री रितेश कुमार, श्रीमती किरन शर्मा, श्री बृजेश कुमार एवं श्रीमती गायत्री देवी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों तथा विभागीय अधिकारियों का विभाग से संबंधित सूचनाएं तथा आँकड़ें उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा प्रभारी सचिवों का उनके सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। अन्त में, मैं पूरे अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं श्री प्रकाश पन्त, माननीय वित्तमंत्री जी की प्रेरणा, श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव का उनके उत्साहवर्द्धक शब्दों तथा श्री अमित सिंह नेगी, सचिव नियोजन का आर्थिक सर्वेक्षण निर्माण हेतु उत्प्रेरित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव (प्र०)
उत्तराखण्ड शासन।

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	शब्द संक्षेप	i-iv
1	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन	1
2	राज्य आय एवं लोक वित्त	10
3	बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त	24
4	कराधान	37
5	विषमताएं और विशेषताएं	45
6	भाव संचलन एवं उपभोक्ता व्यय	54
7	खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति	58
8	कृषि, गन्ना एवं उद्यान	62
9	सहकारिता	82
10	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	86
11	वन तथा पर्यावरण	93
	*भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017	99
12	जल संसाधन एवं प्रबन्धन	104
	*वहाँ जल को रहने दो	116
13	उद्योग एवं खनन	120
14	श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास	132
15	विद्युत	140
16	परिवहन एवं संचार	149
17	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	162
18	शिक्षा	171
	*शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण तथा शिक्षा में गुणवत्ता	191
19	स्वास्थ्य	194
20	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	209
	*घटता लिंगानुपात, बढ़ता शिशु व बाल मृत्यु दर तथा कुपोषणः एक चिन्ता का विषय	216
21	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	221
22	शहरी विकास एवं आवास	235
23	समाज कल्याण	243
24	खेल एवं युवा कल्याण	250
25	सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान	256
26	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	266
27	राज्य के सामाजार्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी	270
28	उत्तराखण्ड में रोजगार एवं बेरोजगारी का परिदृश्य	274
29	कल बहुत देर हो सकती है	278

शब्द संक्षेप (Abbreviations)

ABC-	Animal Birth Control
AE-	Actual Estimates
AMRUT-	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
ANC-	Anti-Natal Care
APO-	Annual Plan of Action
ART-	Anti-Retroviral Therapy
ASCAD-	Assistance to State for Control of Animal Diseases
ASER-	Annual Status of Education Report
ASHA-	Accredited Social Health Activist
ATM-	Automated Teller Machine
B to C-	Business to Customer
BCARLIP-	Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Plan
BE-	Budget Estimates
BSUP-	Basic Service for Urban Poor
BULI-	Barren & Unculturable Land Index
CAGR-	Compound Annual Growth Rate
CAMPA-	Compensatory Afforestation Management and Planning Authority
CAP-	Centre for Aromatic Plants
CD RATIO-	Credit Deposit Ratio
CGST-	Centre Goods & Services Tax
CHCs -	Community Health Center
CPI-	Consumer Price Index
CSCs-	Common Service Centres
CSO-	Central Statistics Office
CSP-	City Sanitation Plan
CWSN-	Children With Special Needs
DBT-	Direct Benefit Transfer
DCUs-	Departmental Commercial Undertakings
DDI-	Development Disability Index
DES-	Directorate of Economics & Statistics
DIET-	District Institute of Education & Training
DILRMP-	Digital India Land Record Modernisation Programme
DIPP-	Department of Industrial Policy and Promotion
DPR-	Detailed Project Report
E-NAM-	E-National Agriculture Market
E-POS-	Electronic Point of Sale
EWS-	Economically Weaker Section
FCI-	Forest Cover Index
FLCs-	Financial Literacy Centers
FPF-	Food Processing Fund

FSI-	Forest Survey of India
G to C-	Government to Citizen
GADI-	Geographical Area Disadvantage Index
GBS-	Gross Budgetary Support
GDP-	Gross Domestic Product
GER-	Gross Enrolment Ratio
GFCF-	Gross Fixed Capital Formation
GSDP-	Gross State Domestic Product
GST-	Goods & Services Tax
HMIS-	Health Management Information System
ICAP-	Integrated Cluster Action Plan
ICDP-	Integrated Co-Operative Development Programme
ICDS-	Integrated Child Development Scheme
IDI-	Infrastructure Deficit Index
IFAD-	International Fund for Agriculture Development
IGST-	Integrated Goods & Services Tax
IIFM-	Indian Institute of Forest Management
ILSP-	Integrated Livelihood Support Project
IMD-	Indian Meteorological Department
IMR-	Infant Mortality Rate
INDCs-	Intended Nationally Determined Contribution
IPCC-	International Panel on Climate Change
IPDS-	Integrated Power Development Scheme
JICA-	Japan International Cooperation Agency
KCC-	Kisan Credit Card
KPIs-	Key Performance Indicators
LBW-	Low Birth Weight
LFPR-	Labour Force Participation Rate
LGD-	Local Government Directory
LPCD-	Liters Per Capita Daily
LUS-	Land Use Statistics
MCP Card-	Mother & Child Protection Card
MDF-	Moderately Dense Forest
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MMR-	Maternal Mortality Rate
MOSPI-	Ministry of Statistics & Programme Implementation
MPCE-	Monthly Per Capita Expenditure
MSME-	Micro Small & Medium Enterprises
MSP-	Minimum Support Price
NAAC-	National Assessment and Accreditation Council
NABCONS-	Nabard Consultancy Services
NAD-	National Asset Directory

NAS-	National Assessment Survey
NCA-	Normal Central Assistance
NEFT-	National Electronic Fund Transfer
NFHS-	National Family Health Survey
NFSA-	National Food Security Act
NFSM-	National Food Security Mission
NHM-	National Health Mission
NMAET-	National Mission on Agricultural Extension & Technology
NMOOP-	National Mission on Oilseeds and Oil Palm
NMR-	Neo-Natal Mortality Rate
NMSA-	National Mission for Sustainable Agriculture
NOFN-	National Optical Fiber Network
NPP-	National Panchayat Portal
NPV-	Net Present Value
NRLM-	National Rural Livelihood Mission
NSSO-	National Sample Survey Office
NTFP-	Non-Timber Forest Products
NUHM-	National Urban Health Mission
NULM-	National Urban Livelihood Mission
OF-	Open Forest
PACS-	Primary Agricultural Loan Co-Operative Society
PE-	Provisional Estimates
PHCs-	Primary Health Center
PMEGP-	Prime Minister Employment Generation Programme
PPP-	Public Private Partnership
PSB-	Public Sector Banks
PTCUL-	Power Transmission Corporation Limited of Uttarakhand
RE-	Revised Estimates
RERA-	Real Estate Regulatory Act
RFA-	Recorded Forest Area
RIDF-	Rural Infrastructure Development Fund
RRB-	Regional Rural Banks
RTE-	Right To Education
RTGS-	Real Time Gross Settlement
RUTF-	Ready to Use Therapeutic Food
SAME-	Sub Mission on Agriculture Extension
SAPCC-	State Action Plan on Climate Change
SCA-	Special Central Assistance
SCERT-	State Council of Educational Research & Training
SDGs-	Sustainable Development Goals
SDRF-	State Disaster Relief Fund
SECC-	Socio Economic Cast Census
SGFI-	School Games Federation of India

SGST-	State Goods & Services Tax
SGSY-	Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojna
SHG-	Self Help Group
SJSRY-	Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojna
SIDCUL-	State Industrial Development Corporation of Uttarakhand
SIEMAT-	State Institute of Educational Management and Training
SLBC-	State Level Bankers Committee
SMAM-	Sub Mission on Agriculture Mechanization
SMSP-	Sub Mission for Seed and Planting
SNUSP-	Support to National Urban Sanitation Policy
SPA-	Special Plan Assistance
SPMRM-	Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
SRB-	Sex Ratio at Birth
SRS-	Sample Registration System
SSDG-	State Service Delivery Gateway
SSIs-	Small Scale Industries
STP-	Sewerage Treatment Plant
SWIS-	Sheep and Wool Improvement Scheme
TFR-	Total Fertility Rate
U5MR-	Under Five Mortality Rate
UAURIF-	Uttaranchal-Urban Reform Incentive Programme
UCADA-	Uttarakhand Civil Aviation Development Authority
UCOST-	Uttarakhand Council Of Science & Technology
UGCIS-	Uttarakhand Geo-Special Constituency Information System
UKSDM-	Uttarakhand Skill Development Mission
UPCL-	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPNRM-	Umbrella Programme for Natural Resources Management
UPS-	Usual Principal Status
UREDA-	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency
USAC-	Uttarakhand Space Application Center
USERC-	Uttarakhand Science Education and Research Center
VAT-	Value Added Tax
VDF-	Very Dense Forest
VRA-	Vulnerability and Risk Analysis
WFPR-	Work Force Participation Rate
WPI-	Wholesale Price Index
WPR-	Worker Population Ratio

अध्याय–1

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन
Overview of the Economy of Uttarakhand

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2016–17 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2017–18 में **विकास दर 6.6 प्रतिशत** रहने की सम्भावना है।

1.2 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2016–17 में ₹ 152.54 लाख करोड़ तथा वर्ष 2017–18 में लगभग ₹ 167.52 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2016–17 में ₹ 121.96 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2017–18 में लगभग ₹ 130.04 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

1.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 में मूल भाव (Basic Price 2011-12) के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन (Gross Value Added) में 7.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2017–18 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है। वर्ष 2017–18 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं (10.1 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाएं (8.3 प्रतिशत), बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाएं (7.3 प्रतिशत), वित्त, रियल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं (7.2 प्रतिशत) तथा विनिर्माण क्षेत्र (5.1 प्रतिशत) में अनुमानित है। कृषि, वन व मत्स्य क्षेत्र में 3.0 प्रतिशत, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 3.0 प्रतिशत तथा निर्माण उद्योग में 4.3 प्रतिशत वृद्धि दर आंकलित की गयी है।

1.4 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2016–17 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20.36 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 26.88 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 52.76 प्रतिशत रहा है।

1.5 **प्रति व्यक्ति आय** वर्ष 2015–16 में ₹ 94,731 थी, जो वर्ष 2016–17 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1,03,870 हो गई। वर्ष 2017–18 (अग्रिम अनुमान) में यह ₹ 1,12,764 रहने की संभावना है, जो वर्ष 2016–17 की तुलना में 8.6 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

उत्तराखण्ड की आर्थिक स्थिति

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट तथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। इन क्षेत्रों के उत्पादन में उतार–चढ़ाव के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभ्यता, विरासत, व्यापार उदारीकरण एवं अन्य उपायों से न केवल प्रतिस्पर्धी माहौल में वृद्धि हुई अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है जिस कारण प्रदेश एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।

2.1 **राज्य की विकास दर** में वर्ष 2016–17 में 6.95 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2017–18 में इसमें 6.77 प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है।

2.2 वर्ष 2016–17 में **प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद** ₹ 1,95,606 करोड़ आंकलित किया गया है जिसकी तुलना में वर्ष 2017–18 में यह ₹ 2,17,609 करोड़ आंकलित हुआ है।

स्थिर भावों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2016–17 में ₹ 1,62,451 करोड़ आंका गया जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर ₹ 1,73,444 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

प्रचलित भावों पर वर्ष 2016–17 में हरिद्वार का सकल जिला घरेलू उत्पाद सर्वाधिक ₹ 58,168.24 करोड़ तथा रूद्रप्रयाग का सबसे कम ₹ 2,510.40 करोड़ आंकलित किया गया है।

2.3 वर्ष 2017–18 में **राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर** का विश्लेषण करने पर अन्य सेवाएं (12.53 प्रतिशत), परिवहन, संचार एवं प्रसारण सेवाएं (11.65 प्रतिशत), निर्माण उद्योग (10.66 प्रतिशत) तथा बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाओं (10.45 प्रतिशत) में उच्च वृद्धि दर

आंकी गई है जबकि कृषि, वन व मत्स्य क्षेत्र (1.38 प्रतिशत) तथा विनिर्माण क्षेत्र (4.6 प्रतिशत) में निम्न वृद्धि दर आंकी गई है।

2.4 राज्य की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक अध्ययन करने पर वर्ष 2017–18 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 10.50 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 49.74 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 39.76 प्रतिशत रहा है। अधिक योगदान वाले क्षेत्र विनिर्माण (37.57 प्रतिशत), व्यापार, होटल एवं रेस्तरां (12.72 प्रतिशत) कृषि तथा संबंधित क्षेत्र (9.95 प्रतिशत), निर्माण उद्योग (8.70 प्रतिशत) तथा परिवहन, संचार एवं प्रसारण सेवा (8.07) हैं।

2.5 वर्ष 2016–17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,61,102 आंकी गई, जबकि वर्ष 2017–18 में यह ₹ 1,77,356 अनुमानित है।

वर्ष 2016–17 के आंकड़ों के अनुसार जनपदवार प्रति व्यक्ति आय में हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक ₹ 2,54,050 तथा रूद्रप्रयाग की सबसे कम ₹ 83,521 आंकलित हुई है।

2.6 वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट प्राविधानानुसार वर्ष 2015–16 हेतु कुल ₹29,583.77 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है जबकि वर्ष 2016–17 हेतु कुल ₹ 32,049.06 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 हेतु कुल ₹ 39,957.79 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

2.7 वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों के अनुसार **कुल राजस्व प्राप्तियां** ₹ 31,593.08 करोड़ है, जोकि वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 25,255.90 करोड़ से 25.09 प्रतिशत अधिक है।

2.8 प्रदेश का **राजकोषीय घाटा** सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2016–17 में 2.31 प्रतिशत तथा वर्ष 2017–18 में 2.51 प्रतिशत अनुमानित है।

2.9 राज्य के वर्ष 2017–18 के कुल बजट प्राविधान में **पूंजीगत् व्यय** का अंश 21.04 प्रतिशत अनुमानित है।

3.1 दिसम्बर 2017 तक राज्य में कुल 2,290 **बैंक शाखाओं का नेटवर्क** है जिनमें कुल खातों की संख्या लगभग 1.71 करोड़ थी। 49 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,404 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है।

3.2 राज्य में बैंको का **ऋण–जमा अनुपात** 57 है जो ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक 123 तथा अल्मोड़ा में सबसे कम 22 है।

3.3 दिसम्बर 2017 तक राज्य में **प्रधानमंत्री जन धन योजना** के अन्तर्गत 22,78,050 नए खाते खोले गए हैं जिनमें से 16,27,419 खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है। **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** एवं **प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना** के अन्तर्गत 22,55,262 लोगों को बीमा योजना से जोड़ा गया है। **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 52,086 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹ 968.48 करोड़ का नया ऋण स्वीकृत किया गया है। **स्टैण्ड अप भारत योजना** के अन्तर्गत 915 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹ 199.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। **किसान क्रेडिट कार्ड** के अर्न्तगत जरूरतमंद किसानों को 4,54,631 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

4.1 वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31 दिसम्बर, 2017 तक राज्य को करों से कुल ₹ 5,351.04 करोड़ की **राजस्व प्राप्ति** हुई, जिनमें माह जून 2017 तक वैट प्रणाली से ₹ 1,686.74 करोड़, माह जुलाई 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक वैट प्रणाली के अन्तर्गत मनोरंजन कर से ₹10.69 करोड़, सुख साधन कर से ₹ 10.69 करोड़ तथा **GST** से ₹ 3,642.91 करोड़ की प्राप्ति हुई।

4.2 माह दिसम्बर, 2017 तक राज्य में कुल 48,219 नये पंजीयन GST प्रणाली में जारी किये जा

चुके हैं तथा 83,273 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से **GST** में प्रवर्तित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,31,492 हो चुकी है।

4.3 आबकारी विभाग द्वारा 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल **₹** 1,743.56 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

5.1 सामाजार्थिक विकास के पांच प्रमुख घटक मूलभूत सुविधायें (Basic Amenity), जन सांख्यिकी (Demography), शिक्षा (Education), चिकित्सा एवं पुष्टाहार (Health and Nutrition) तथा आर्थिक स्तर (Economic level) का विश्लेषण करने पर प्राप्त **समग्र सूचकांक** के आधार पर चिकित्सा एवं पुष्टाहार को छोड़कर शेष सभी सूचकांकों में 03 मैदानी जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून की रैंकिंग क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रही है।

5.2 मैदानी व शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा अन्य समाजार्थिक विषमताओं की प्रबलता अधिक है।

6.1 राज्य में वर्ष 2017 के माह जनवरी में **मुद्रास्फीति की दर** 3.32 प्रतिशत थी, जो माह जुलाई में न्यूनतम स्तर 1.76 प्रतिशत तथा दिसम्बर में अपने अधिकतम 5.92 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

7.1 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में राशन कार्डों की संख्या 23,61,363 है। कार्ड धारकों को 9,299 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31 दिसम्बर तक 206585.3 मी0 टन चावल, 161001.3 मी0 टन गेहूँ, 3602.35 मी0 टन चीनी एवं 11990.8 कि0 ली0 मिट्टी तेल उपलब्ध करवाया गया। लगभग 95 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार संख्या से लिंक कर दिया गया है।

7.2 प्रदेश के सभी 9,299 राशन की दुकानों को सिस्टम इन्टिग्रेटर मॉडल के अन्तर्गत सामान्य सेवा केन्द्र **(CSC)** के सिंगल सोर्स के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से जाति, निवास, आय, चरित्र, बिजली, पानी, पासपोर्ट, पैनकार्ड, मोबाइल रिचार्ज आदि की सुविधायें दिया जाना प्रस्तावित है।

7.3 31 दिसम्बर, 2017 तक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की **शिकायत निवारण सेल** में कुल 121 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 80 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है तथा शेष पर कार्यवाही जारी है। इसी अवधि में **उपभोक्ता फोरम** में कुल 800 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 550 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है तथा शेष पर कार्यवाही जारी है।

7.4 प्रदेश में 90 मिट्टी के तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 545 पेट्रोल पम्प तथा 228 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनमें गैस कनेक्शन धारकों की संख्या 22,12,689 हैं।

7.5 31 दिसम्बर, 2017 तक राज्य में लगभग 1,32,373 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए गये हैं।

7.6 दिसम्बर 2017 तक समस्त जनपदों की दो–दो राशन की दुकानों में, कुल 26 E-PoS डिवाईस स्थापित की गई हैं।

> प्रदेश में कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास गैस कनैक्शन नहीं है एवं SECC डाटा, 2011 में भी उनका नाम दर्ज नहीं है, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे गैस कनैक्शन विहीन 1.10 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन दिये जाने का लक्ष्य है।

8.1 खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014–15 में 16.13 लाख मी.टन एवं 2015–16 में 17.56 लाख मी.टन रहा तथा 2016–17 में यह 18.72 लाख मी.टन होने की संभावना है।

8.2 वर्ष 2016–17 में 1.77 लाख हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत 6.63 लाख मी.टन **फलों का**

उत्पादन, 65.2 हजार हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत 5.85 लाख मी.टन **सब्जियों का उत्पादन** एवं 1.4 हजार हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत 3,638 लाख **फूलों का उत्पादन** होने की संभावना है। **राज्य में फलों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर सेब व तृतीय स्थान पर आडू का उत्पादन है।** वर्ष 2016–17 में 86 हजार हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत कुल 598 लाख कुन्तल **गन्ना का उत्पादन** एवं 19.73 लाख कुन्तल **चीनी का उत्पादन** हुआ।

9.1 दिसम्बर, 2017 तक राज्य में 276 **सहकारी बैंक शाखायें** हैं, जिसमें 15 राज्य सहकारी बैंक शाखायें, 255 जिला सहकारी बैंक शाखायें तथा 6 महिला शाखायें संचालित है जबकि विभागीय नियंत्रण में 759 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) कार्यशील हैं। इस अवधि में सहकारी बैंकों द्वारा कुल ₹ 728.16 करोड़ के ऋण 1.34 लाख सदस्यों को वितरित किये गये।

10.1 पशुगणना 2012 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल **पशुधन संख्या** 50.22 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 46.42 लाख है। वर्ष 2016–17 में राज्य में 16.92 लाख मी.टन **दुग्ध**, 4,119 लाख **अण्डे**, 538 कुन्तल **ऊन** का उत्पादन हुआ है।

10.2 वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 3.019 कि0ग्रा0 प्रति गाय तथा 4.128 कि0ग्रा0 प्रति भैंस था, जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 4.103 कि0ग्रा0 प्रति गाय तथा 4.558 कि0ग्रा0 प्रति भैंस हो गया।

11.1 उत्तराखण्ड में कुल 23 वर्ग कि0मी0 **वन क्षेत्र** की वृद्धि हुई है। जिसमें सर्वाधिक वृद्धि पौड़ी गढ़वाल तथा सर्वाधिक कमी उत्तरकाशी जनपद में हुई है। इसी क्रम में वर्ष 2005 में उपलब्ध जल प्रक्षेत्र 310 वर्ग कि0मी0 से बढ़कर 2015 में 355 वर्ग कि0मी0 हो गया है, जो वन क्षेत्र का 1.46% है।

11.2 वन क्षेत्र में पर्यावरणीय परिस्थितिकीय सेवाओं के मूल्यांकन एवं आंकलन की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र से कुल ₹ 95,102.7 करोड़ की **Flow Value** आंकी गयी है। वर्ष 2017–18 में वानिकी क्षेत्र का राज्य के GDP में योगदान ₹3,462 करोड़ अनुमानित है जो कुल **Flow Value** का मात्र 3.64 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अभी भी काफी मात्रा में Potential unrealised है | विभाग को एन0टी0एफ0पी0 से आय बढ़ाने की दिशा में विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

राज्य के वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकाष्ठ (Timber), कार्बन स्टाक तथा भूमि का मूल्य जोड़ते हुये कुल **Stock Value ₹** 13,60,028 करोड़ है, जो राज्य की जी0डी0पी0 का 06 गुना है।

12.1 राज्य में कुल 39,209 बस्तियां हैं, जिसमें पेयजल से आंशिक सेवित (Partially Covered) 17,433 बस्तियां तथा पूर्णतः सेवित (Fully Covered) 21,776 बस्तियां हैं।

12.2 उत्तराखण्ड के कुल 92 नगरों में से प्रथम चरण में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं अधिक जनसंख्या वाले 26 नगरों का चयन सीवर व्यवस्था हेतु किया गया है। राज्य में 107.195 एम0एल0डी0 क्षमता के 35 सीवेज शोधन सयंत्र निर्माणाधीन है।

12.3 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत माह मई 2017 तक कुल 5,90,038 शौचालय निर्मित कर राज्य को शत–प्रतिशत शौचालय सुविधाओं से आच्छादित करते हुए **'खुले में शौच की प्रथा से मुक्त'** घोषित कर दिया गया है।

13.1 वर्ष 1999–2000 में राज्य के GDP में विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) का योगदान 19.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 37.57 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में लघु स्तरीय उद्योग (SSIs) के अन्तर्गत पंजीकृत कुल उद्यमों की संख्या 55,545 है, जिनमें ₹ 11633.45 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 2,72,382 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

13.2 राज्य में सिडकुल के अन्तर्गत कुल 1,836 ईकाईयां स्थापित हैं जिनमें से कुल 1,412 ईकाईयों में उत्पादन कार्य हो रहा है। साथ ही उक्त ईकाईयों में कुल ₹ 25,924.95 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इनमें कुल 1,60,787 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन अनुमानित है।

14.1 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील

जनसंख्या है जो इंगित करती है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है। राज्य के वैतनिक कामगारों में ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 23.67 है, जबकि सम्पूर्ण भारत का यह औसत 9.65 प्रतिशत है।

14.2 युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत **उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन** के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुल 15 बैचों का संचालन कर 13,240 के सापेक्ष कुल 450 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

15.1 राज्य में वर्षवार कुल विद्युत मांग 11,327.31 मि0यू0 के सापेक्ष कुल विद्युत उत्पादन 6318.33 मि0यू0 है जो अत्यन्त न्यून है, जबकि विद्युत उत्पादन की दोहन क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट से भी अधिक है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एवं अन्य पर्यावरणीय संस्थाओं के आदेशों से बाधित परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाए तो मांग से कहीं ज्यादा विद्युत उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

15.2 वर्ष 2000 में कुल **लाईन लॉस** लगभग 45 प्रतिशत था जो 2016–17 में 16.44 प्रतिशत है एवं वर्ष 2017–18 में 15 प्रतिशत लक्षित है।

15.3 राज्य के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं से नवम्बर 2017 तक ₹ 151.08 करोड़ की राशि **ग्रीन सेस** के रूप में एकत्र की जा चुकी है।

15.4 ऊर्जा बचत हेतु प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को एल0ई0डी0 बल्बों, ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाईटों एवं पंखों के वितरण की योजनान्तर्गत 100 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 44.42 लाख उपभोक्ताओं को वितरित कर लाभान्वित किया जा चुका है, जिससे 280 MU's विद्युत की बचत हो रही है।

16.1 राज्य में **पक्की सड़कों की लम्बाई** मार्च 2017 तक 43,762 कि0मी0 तथा ऑनरोड वाहनों की संख्या दिसम्बर 2017 तक 24.52 लाख हो गयी है। राज्य में पक्की सड़कों की लम्बाई 2002–03 की अपेक्षा 1.7 गुना बढ़ी है, जबकि इसी अवधि में ऑनरोड वाहनों की संख्या 06 गुना बढ़ गयी है। ऑनरोड वाहनों में 90 प्रतिशत से अधिक निजी वाहन हैं, जो सड़कों पर वाहनों के उच्च दवाब का मुख्य कारण है।

16.2 **आलवेदर रोड** के अन्तर्गत जनवरी, 2018 तक 308.33 कि0मी0 रोड निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

17.1 राज्य के GDP में वर्ष 2017–18 में **पर्यटन** क्षेत्र, जिसमें व्यापार, होटल एवं रेस्तरां को सम्मलित हैं का कुल योगदान लगभग 13.57 प्रतिशत है, जबकि पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय राज्य के कुल बजट का मात्र 0.28 प्रतिशत है।

17.2 वर्ष 2017 में उत्तराखण्ड में आये कुल पर्यटकों की सख्या 347.23 लाख थी जिसमें 1.42 लाख विदेशी तथा 345.81 लाख भारतीय पर्यटक थे। चारधाम यात्रा एवं हेमकुण्ड साहिब सहित धार्मिक यात्रा में वर्ष 2017 में कुल 24,03,881 घरेलू पर्यटक एवं कुल 2,167 विदेशी पर्यटक आये।

17.3 वर्तमान में राज्य में **3,01,185** बिस्तरों की क्षमता के कुल 6,239 निजी होटल/पेइंग गेस्ट हाऊस धर्मशाला, गुरुद्वारा/आश्रम, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों के रेस्ट हाऊस/गैस्ट हाऊस पंजीकृत हैं।

17.4 सरकार द्वारा पर्यटन को व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बनाने हेतु **होम स्टे पॉलिसी** लाई जा रही है जिसके अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में 5,000 होम स्टे स्थापित करने का प्रस्ताव है।

17.5 **उड़ान** योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 14 मार्गों पर हवाई व हैलीकॉप्टर सेवा प्रस्तावित है, जिससे राज्य में पर्यटन गतिविधि एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

18.1 प्रदेश में 19,648 प्राथमिक विद्यालय, 3,663 माध्यमिक विद्यालय तथा 130 महाविद्यालय व विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनमें क्रमशः 7,54,816, 6,96,348 तथा 2,51,748 विद्यार्थी नामांकित हैं एवं 67,587, 45,679 तथा 3,110 शिक्षक तैनात हैं। नामांकन अनुपात प्राथमिक शिक्षा में 103.44, माध्यमिक विद्यालयों में 84.40, राज्य के महाविद्यालयों में 92 तथा विश्वविद्यालयों में 33 है।

18.2 वर्षवार 2017–18 में शिक्षा पर निरपेक्ष बजट परिव्यय ₹ 6,720.45 करोड़ है जो राज्य के कुल बजट के सापेक्ष 16.82 प्रतिशत तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष 3.09 प्रतिशत है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र प्राथमिक शिक्षा पर लगभग ₹ 33000 खर्च किया जा रहा है, जो कि देश में सर्वाधिक है।

18.3 शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत अद्यतन निजी विद्यालयों में 1,06,789 बच्चों को प्रवेशित किया गया है।

18.4 राज्य के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018–19 से NCERT की पुस्तकें लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

18.5 राज्य के छात्र/छात्राओं ने खेलो इण्डिया विद्यालयी प्रतियोगिता–2018 में 5 स्वर्ण, 2 रजत तथा 5 कांस्य पदक तथा 63वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2017–18 में 13 स्वर्ण, 15 रजत तथा 20 कांस्य पदक प्राप्त किये हैं।

19.1 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 में राज्य में जन्म के समय जीवन–प्रत्याशा महिला 60.5 वर्ष तथा पुरुष 57.8 वर्ष थी, जो 2016 में बढ़कर महिला के लिए 71.1 वर्ष एवं पुरुष के लिए 65.3 वर्ष हो गयी।

19.2 सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2016 के अनुसार 2016 में उत्तराखण्ड में प्रति हजार जनसंख्या में जन्म दर 16.6, मृत्यु दर 6.7, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर 9.9 तथा शिशु मृत्यु दर 38 (प्रति हजार जीवित जन्म) थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-(NFHS-4) 2015-16 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल फर्टिलिटी रेट 2.1, संस्थागत प्रसव 68.6 प्रतिशत तथा जन्म पंजीकरण 76.7 है।

19.3 उत्तराखण्ड में 13 जिला चिकित्सालय, 07 जिला महिला चिकित्सालय, 18 सयुंक्त चिकित्सालय, 04 बेस चिकित्सालय, 85 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 49 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 210 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 317 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय तथा 1897 उपकेन्द्र संचालित हैं।

19.4 राज्य के 03 जनपदों पौड़ी, देहरादून तथा नैनीताल में क्रमशः 11, 19 एवं 16 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर स्थापित किये गये हैं। चालू वर्ष में एन0ए0एम0 द्वारा 46 उपकेन्द्रों के नवीनीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में गतिशील है।

19.5 राज्य में आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 11,086 आशा कार्यकत्रियां, 606 आशा फैसिलिटेटर, 101 ब्लाक कार्डीनेटर तथा 13 कम्युनिटी मोबिलाईजर कार्यरत हैं।

19.6 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 11,97,059 पात्र परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड उपलब्ध कराये गये तथा 2017–18 के माह नवम्बर 2017 तक कुल 30,375 पंजीकृत लाभार्थियों को धनराशि ₹ 2,370 लाख की निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी गयी है।

19.7 केन्द्र सरकार द्वारा बजट 2018–19 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना देश के 10 करोड परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक की तृतीय स्तर/अस्पताल सेवा हेतु स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली विश्व की अब तक की सबसे बडी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

20.1 2011 में राज्य के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर 11.3 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 32.9 प्रतिशत है।

20.2 वर्तमान में प्रदेश **के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों** में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 19,614 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी में से शहरी क्षेत्रों में 1,172 व ग्रामीण क्षेत्रों में 18,442 केन्द्र संचालित है। योजनाओं के अनुश्रवण तथा प्रचार–प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 01 स्पंदन केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता होगी। राज्य में 19,614 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल 33,055 कार्यकत्री/सहायिकायें कार्यरत है।

20.3 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न संकेतकों को MIS के अन्तर्गत विकसित किया जाता है। वर्तमान में लगभग 60,000 लाभार्थियों का MIS डाटा लिंक हो चुका है। दिसम्बर 2017 तक 88,744 गर्भवती व 82,350 धात्री महिलायें लाभान्वित हैं।

20.4 राज्य में वर्ष 2017–18 में 20,035 कुपोषित, 1,619 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है, जो कि पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत कम है। ऐसे बच्चों को ऊर्जा पोषाहार वितरित किया जा रहा है, जिससे 113 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गये हैं।

20.5 वर्ष 2017–18 में 10,65,399 लाभार्थी **आंगनबाड़ी** केन्द्रों में पंजीकृत है और 8,53,368 को पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। अनुपूरक पोषाहार की राशि केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में है।

20.6 भारत सरकार सहायतित **प्रधान मंत्री मातृ वन्दना योजना** में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला तीन किश्तों में कुल ₹ 5,000 की धनराशि दी जाती है। योजनान्तर्गत 16,447 आवेदन प्राप्त हुए है जिनको लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

20.7 जनपद उधम सिंह नगर के खण्ड विकास कार्यालय रूद्रपुर में सेनेटरी नैपकीन की वैंडिग मशीन की स्थापना की गयी है और निकट भविष्य में किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

20.8 वैष्णवी किट: 50 महिलाएं, जिन्होंने बालिकाओं को जन्म दिया है, को बालिका दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वैष्णवी किट प्रदान की गयी।

21.1 उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 17.52 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, जिसमें ऊधमसिंह नगर में सबसे कम 9.40 प्रतिशत तथा पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक 29.89 प्रतिशत है।

21.2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत स्वरोजगार गतिविधियों जैसे कि ऋण वितरण, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता विकास एवं संस्थागत निर्माण आदि का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। राज्य में क्रियान्वित सभी योजनाओं के अन्तर्गत कुल 54,753 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिनमें से केवल 14,969 समूह सक्रिय हैं। 2017–18 में कुल 3,268 महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कुल 7,050 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जायेगा।

21.3 प्रधानमंत्री आवास योजना– वर्ष 2022 तक सभी को घर प्रदान करने हेतु लक्षित इस योजना के तहत वर्ष 2017–18 में लक्षित 4,915 आवासों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक 1,046 आवास पूर्ण किये गये हैं।

21.4 मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के माह दिसम्बर तक 12,000 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 177.44 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या 7.26 लाख है। सृजित मानव

दिवस में महिलाओं का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। मनरेगा के अन्तर्गत अभिसरण के माध्यम से वर्ष 2017–18 (माह फरवरी 2018 तक) में कुल 269 आंगनबाड़ी केन्द्रों में निर्माण कार्य कराये गये।

21.5 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गांव के चयनित क्लस्टर की ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर विकसित करना है। प्रथम चरण में जनपद हरिद्वार के भगतनपुर, आबिदपुर तथा जनपद देहरादून के अतूरवाला क्लस्टर में कुल ₹ 210 करोड़ का Integrated Cluster Action Plan (ICAP) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया।

21.6 राष्ट्रीय स्वराज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में जनवरी 2018 तक कुल 38815 त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, कैशलैस एवं अन्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं से सम्बन्धित विषयों का प्रशिक्षण दिया गया।

21.7 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक स्वच्छता सम्बन्धी 2,335, पेयजल सम्बन्धित 2,322 तथा 5,351 अन्य कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

22.1 वर्तमान में राज्य में 8 नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषद् और 43 नगर पंचायतों सहित कुल 92 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। इनमें 8,438 व्यक्तिगत् शौचालय तथा 416 सीट के सार्वजनिक शौचालय पूर्ण तथा 8,108 व्यक्तिगत् तथा 411 सीट के सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन है। सार्वजनिक मूत्रालय के लक्षित 1,000 के सापेक्ष 57 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण तथा 193 सार्वजनिक मूत्रालय निर्माणाधीन है।

22.2 अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी 2018 तक ₹ 10,100 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 8,363.60 लाख व्यय किया गया है।

22.3 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित घटक के अन्तर्गत 50 परियोजनाओं में 6,162 आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 2,290 आवासों पर कार्य प्रगति पर है व 51 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं।

22.4 स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अन्तर्गत देहरादून नगर के सुनियोजित विकास हेतु वर्ष 2017–18 में ₹ 7001.01 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

22.5 उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश में कुल 99.39 किमी0 लम्बी मेट्रो रेल योजना प्रारम्भ करने हेतु ₹ 17,634 करोड़ की DPR तैयार की गयी है।

23.1 सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखण्ड राज्य को केरल, हिमाचल तथा तमिलनाडु के बाद चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है, जो राज्य में समाज कल्याण के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रमों की सफलता को प्रदर्शित करता है।

24.1 राज्य में 2 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 18 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 04 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल व 14 इंडोर क्रीड़ा हॉल स्थापित है।

24.2 उत्तराखण्ड युवा कल्याण कार्यक्रम के कौशल विकास समिति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 280 युवाओं के सापेक्ष प्रथम चरण में 100 एससी/एसटी युवाओं को हैल्थ केयर मल्टीपरपज कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

25.1 विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं के त्वरित एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मंत्री परिषद के सदस्यगण एवं उच्चाधिकारियों के उपयोगार्थ **सी0एम0 डैश बौर्ड** के क्रियान्वयन से योजनाओं के त्वरित निष्पादन में सहयोग प्राप्त करने हेतु विभागों के **'मुख्यकार्य–निष्पादन**

संकेतक (KPIs)' तैयार कर 'मुख्यमंत्री अनुश्रवण डैश बोर्ड' पर सीधे प्रसारित किये जा रहे हैं।

26.1 डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा के कुल 25,057 कैडस्ट्रल मैप्स का स्कैनिंग का कार्य किया जा चुका है, जिसमें से **7,458 मैप्स का डिजिटाईजेशन** पूर्ण किया जा चुका है तथा 567 ग्रामों को मोजाईक (मोजाईक प्रक्रिया के अन्तर्गत बड़े ग्राम, जिनकी मैप शीट एक से अधिक होती है, को एक साथ जोड़कर डिजिटाइज्ड किया जाता है) किया जा चुका है।

26.2 सी0एल0आर0 योजना में कम्प्यूटरी–करण से छूटे राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

26.3 प्रदेश में **राजस्व वसूली** को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से अनुश्रवित करवाये जाने हेतु वेब एप्लीकेशन http://rcs.uk.gov.in को क्रियान्वित किया गया है।

26.4 उधमसिंहनगर, चम्पावत, नैनीताल व हरिद्वार जनपदों के **चकबन्दी** हेतु चयनित 906 ग्रामों के सापेक्ष 414 में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

26.5 मसूरी, मुक्तेशवर में **डॉप्लर वैदर रडार** की स्थापना हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा पिथौरागढ़ में डॉप्लर वैदर रडार स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

26.6 विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजक्ट (UDRP) के अंतर्गत आपदा, 2013 के पश्चात् महत्वपूर्ण पुर्ननिर्माण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017–18 में कुल 469.00 कि0मी0 की 77 सडकों तथा 05 संख्या पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

27.1 जनगणना–2011 के समय अखिल भारतीय स्तर पर कुल कार्य सहभागिता दर 39.7 प्रतिशत थी, जिसमें पुरूषों की कार्य सहभागिता 53.2 प्रतिशत तथा महिलाओं की भागीदारी 25.5 प्रतिशत थी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 16.7 प्रतिशत थी, जबकि उत्तराखण्ड में महिलाओं की कार्य सहभागिता 26.6 प्रतिशत थी, जो अखिल भारतीय औसत तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक है।

27.2 उत्तराखण्ड राज्य में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में 31.5 प्रतिशत जो राष्ट्रीय औसत (25.3%) तथा उत्तर प्रदेश (17.8%) की अपेक्षा अधिक है, परन्तु पडोसी राज्य हिमाचल प्रदेश (52.9%) से बहुत न्यून है। राज्य के शहरी क्षेत्र में महिला श्रम शक्ति भागीदारी (10.8%) है, जो उत्तर प्रदेश से अंशतः अधिक तथा राष्ट्रीय औसत एवं हिमाचल प्रदेश से बहुत कम है।

28.1 राज्य में बेरोजगारी दर (UPS Approach के आधार पर) 7.0 प्रतिशत (राष्ट्रीय औसत 5.0 प्रतिशत) आंकलित हुआ है, अर्थात् सन्दर्भित अवधि में राज्य के 15 वर्ष एवं अधिक आयु के 7.0 प्रतिशत व्यक्ति, जो कार्य करने के इच्छुक थे, कार्य प्राप्त नहीं कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 8.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 3.2 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरूषों की दर 6.0 से काफी अधिक 11.3 आंकलित हुई है, वहीं शहरी महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 9.5 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए 11.6 प्रतिशत है।

29.1 पर्वतीय जिलों तथा पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र गति से कम हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार दो जिले अल्मोडा तथा पौडी गढवाल में ऋणात्मक (Negative) जनसंख्या वृद्धि दर पायी गयी।

29.2 राज्य में अधिकांश विस्थापन (54.35%) सम्बन्धित जनपद के ग्रामीण क्षेत्र से हुआ है जबकि लगभग 12.38 तथा 6.85 प्रतिशत विस्थापन अन्य राज्यों के क्रमशः ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में हुआ है।

अध्याय–2

राज्य आय एवं लोक वित्त

State Income and Public Finance

2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) Gross State Domestic Product (at Current Prices)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे सामान्यतया राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2017–18 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2016–17 (त्वरित) के ₹ 1,95,606 करोड़ की तुलना में ₹ 2,17,609 करोड़ अनुमानित है, जो कि 11.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (37.57%), निर्माण (8.70%), व्यापार होटल एवं जलपान गृह (12.72%), तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण (8.07%) से संबंधित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों को जाता है। राज्य आय के अनुमान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, गैर वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, निजी, गैर सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन कर राज्य उत्पाद के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 तक सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.1 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:–

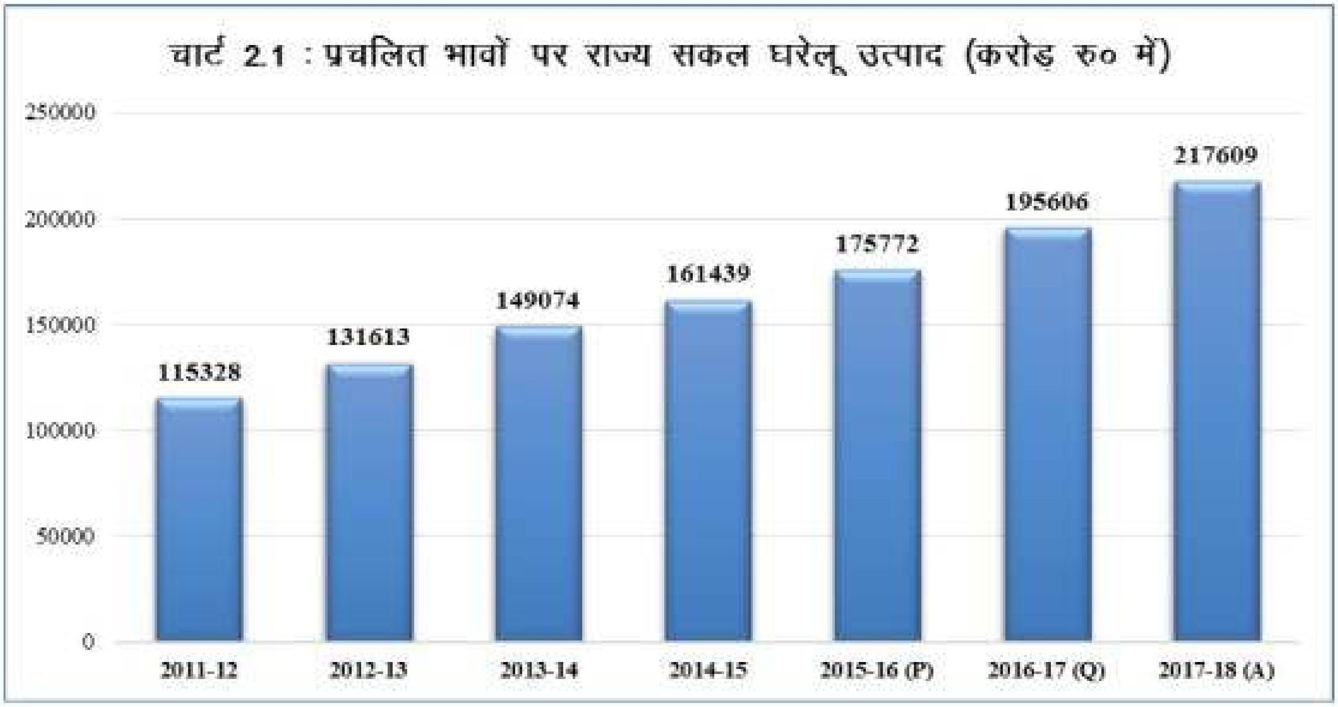

2.1.1 जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) (District Wise GDP - at Current Prices)

वर्ष 2016–17 (अनन्तिम) में हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) सब से अधिक ₹ 58,168.24 करोड़ तथा जनपद रूद्रप्रयाग का सकल घरेलू उत्पाद सब से कम ₹ 2,510.40 करोड है। वर्ष 2016–17 में जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.1.1 में अंकित है:–

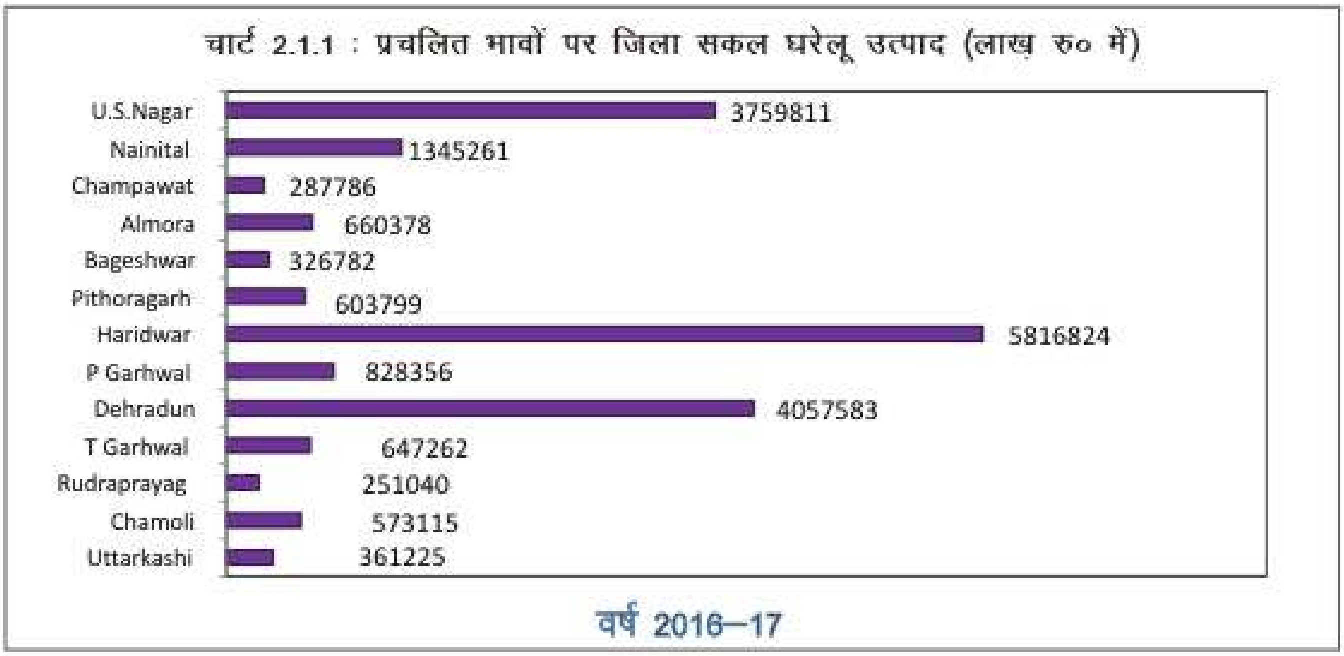

2.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) GSDP (at Constant Prices)

स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के वास्तविक आकार एवं राज्य की विकास दर को प्रदर्शित करता है। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017–18 के स्थिर भाव पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1,73,444 करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2016–17 (त्वरित) में यह ₹ 1,62,451 करोड़ अनुमानित है जो कि प्रदेश के आर्थिक विकास की दर वर्ष 2017–18 में स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर 6.77 प्रतिशत दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) निम्न चार्ट–2.2 के माध्यम से प्रस्तुत है:–

2.2.1 जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) (District Wise GDP - at Constant Prices)

वर्ष 2016–17 (अनन्तिम) अनुमान के अनुसार हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक ₹ 49,661.49 करोड़ तथा जनपद रूद्रप्रयाग का सकल घरेलू उत्पाद सब से कम ₹ 2,022.79 करोड़ है। वर्ष 2016–17 में जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर) निम्न चार्ट–2.2.1 में अंकित है:–

चार्ट 2.2.1 : स्थिर भावों पर जिला सकल घरेलू उत्पाद (लाख रु० में)

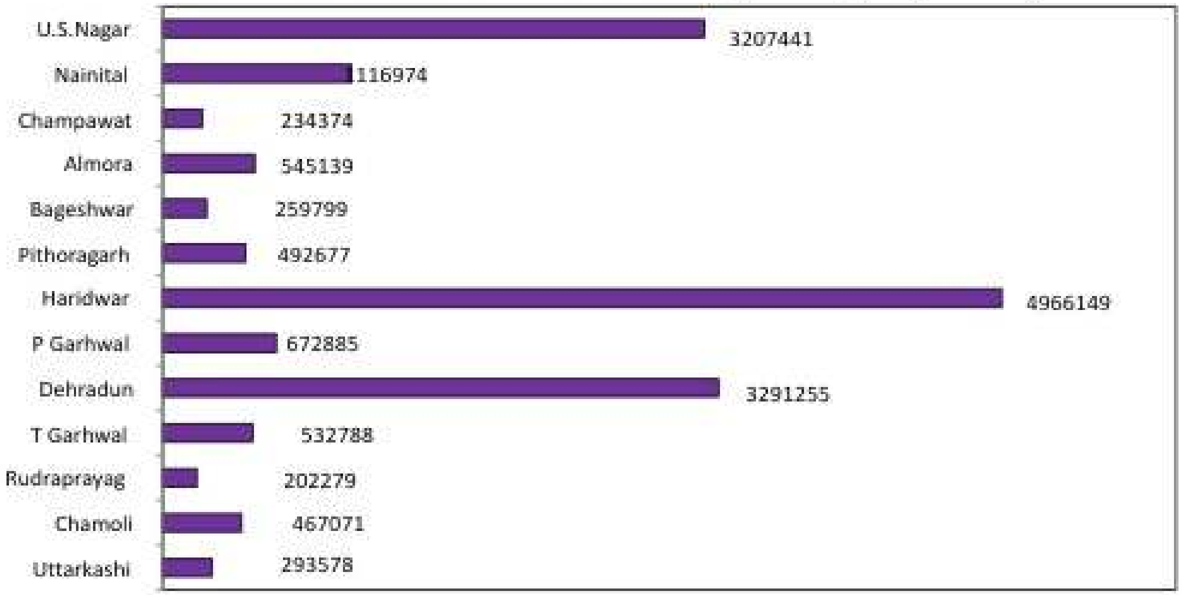

वर्ष 2016–17

2.3 राज्य की अर्थव्यवस्था वृद्धि की ओर अग्रसर है। वर्ष 2017–18 में स्थिर मूल्यों पर प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य ₹ 1,73,444 करोड़ तथा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.77 प्रतिशत रही। नई श्रृखला अनुमान, आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार प्रदेश व देश की आर्थिक विकास दर तालिका–2.1 तथा चार्ट 2.3 में दर्शाई गई है:–

तालिका– 2.1

वर्ष	आर्थिक विकास दर (प्रतिशत में)	
	उत्तराखण्ड	भारत
1	2	3
2012–13	7.27	5.46
2013–14	8.47	6.39
2014–15	5.29	7.51
2015–16 (अनन्तिम)	7.52	8.01
2016–17 (त्वरित)	6.95	7.11
2017–18 (अग्रिम)	6.77	6.60

चार्ट 2.3 : आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर)

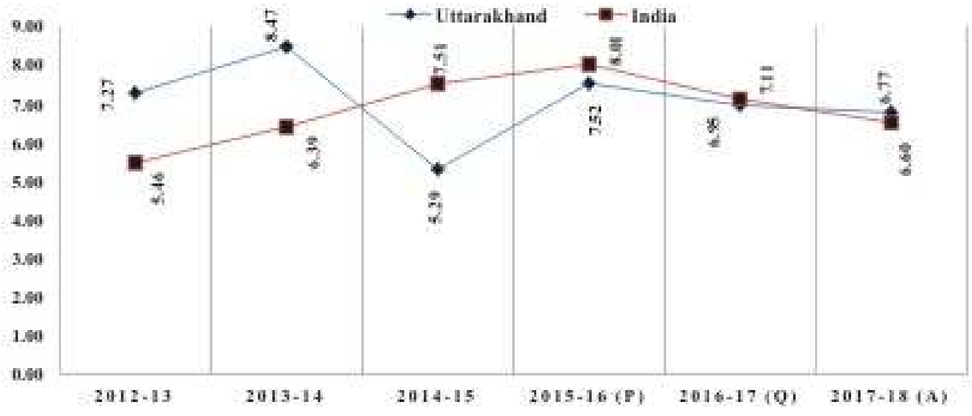

2.3.1 जनपदवार आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर): स्थिर भाव (वर्ष 2011–12) के अनुसार जनपद देहरादून की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक 7.62% है तथा चम्पावत में सबसे कम 5.75% है। वर्ष 2016–17 में जनपदवार आर्थिक विकास दर स्थिर भाव के अनुसार चार्ट–2.3.1 में अंकित है।

चार्ट 2.3.1 : जनपदवार आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर) वर्ष 2016–17

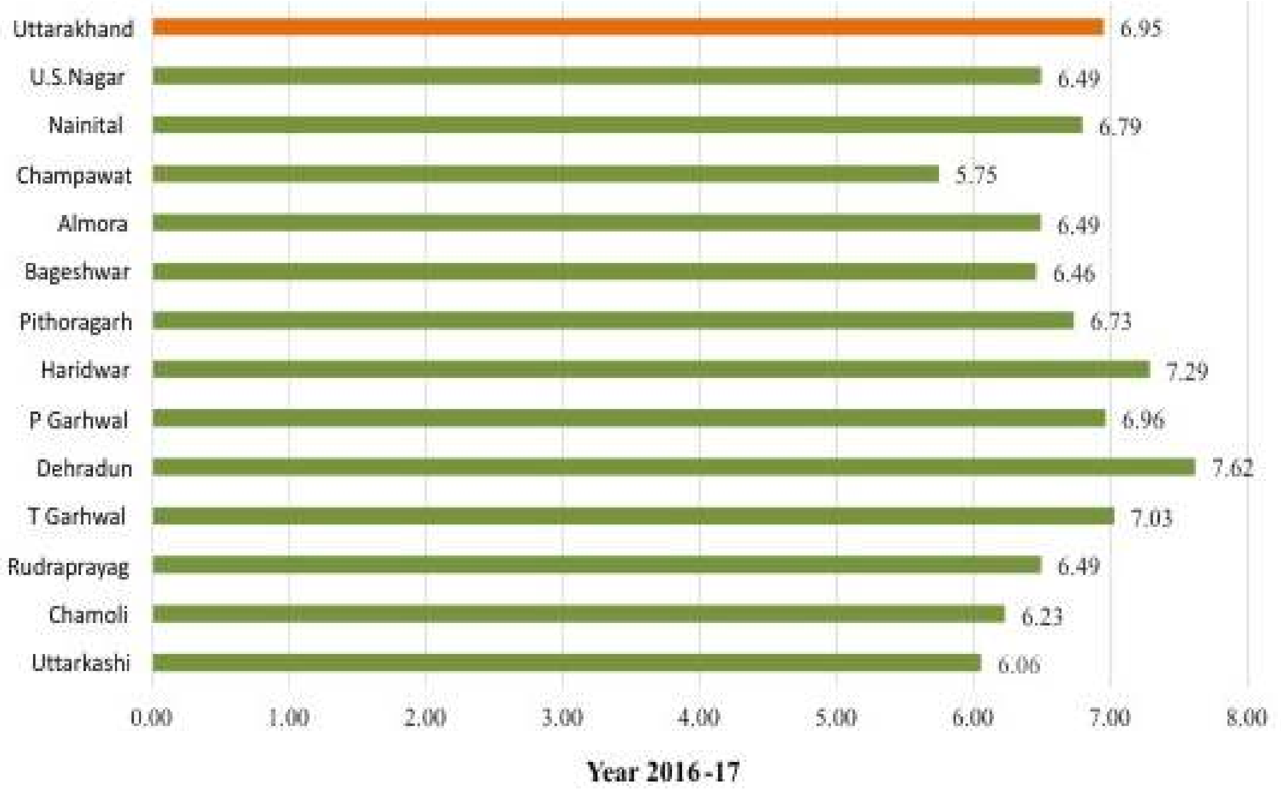

2.4 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income):

राज्य निवल घरेलू उत्पाद **(Net State Domestic Product)** के आधार पर वर्ष 2017–18 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹ 1,77,356 अनुमानित है। वर्ष 2017–18 में भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,12,764 अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 (त्वरित अनुमान) में अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,03,870 जबकि उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,61,102 अनुमानित है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। वर्षवार प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड, हिमाचल एवं भारत का तुलनात्मक चार्ट 2.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.4 : प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ (रु० में)

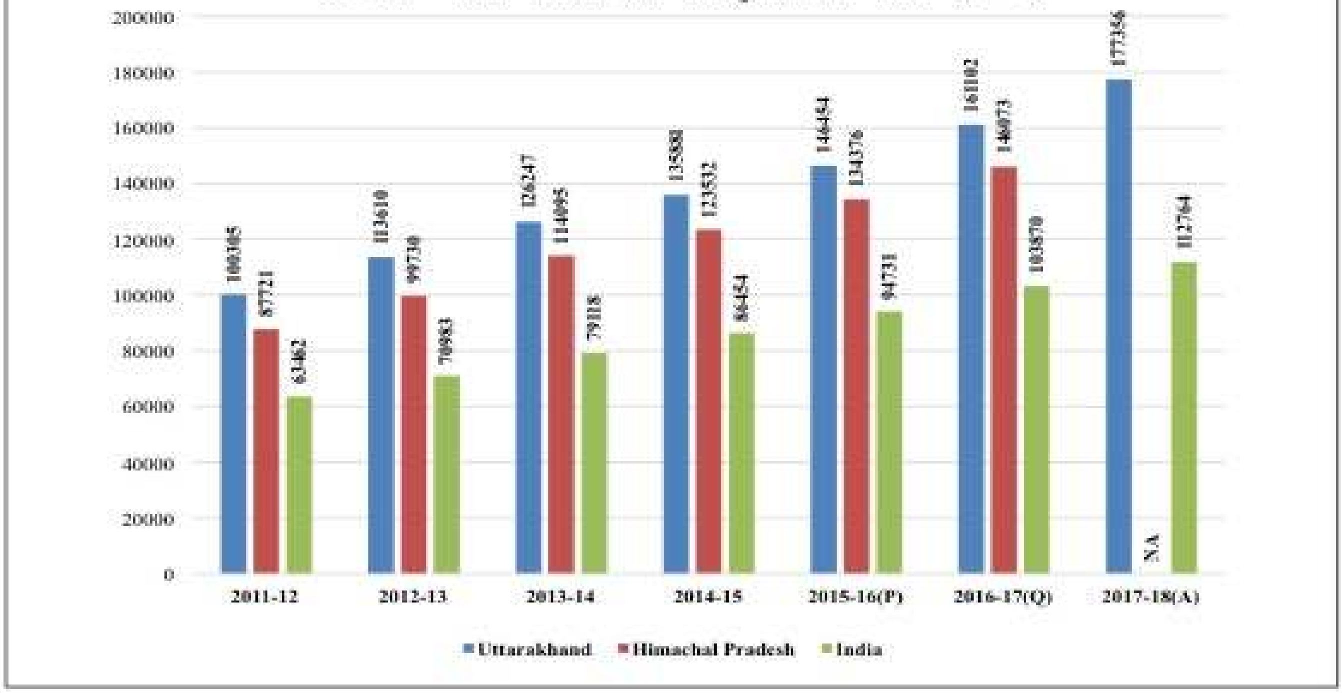

2.4.1 जनपदवार प्रति व्यक्ति आय (Districtwise Per Capita Income)

वर्ष 2016–17 (अनन्तिम) अनुमानों में मैदानी जनपदों यथा हरिद्वार, देहरादून तथा ऊधमसिंह नगर की प्रति व्यक्ति आय जो कि क्रमशः ₹ 2,54,050 ₹ 1,95,925 तथा ₹ 1,87,313 है, उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,61,102 से अधिक है। अन्य सभी पर्वतीय जनपदों की प्रति व्यक्ति आय राज्य की प्रति व्यक्ति आय से कम है। वर्ष 2016–17 में जनपदवार प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भाव पर) चार्ट 2.4.1 में अंकित है:–

चार्ट 2.4.1 : जनपदवार प्रति व्यक्ति आय (रु० में)

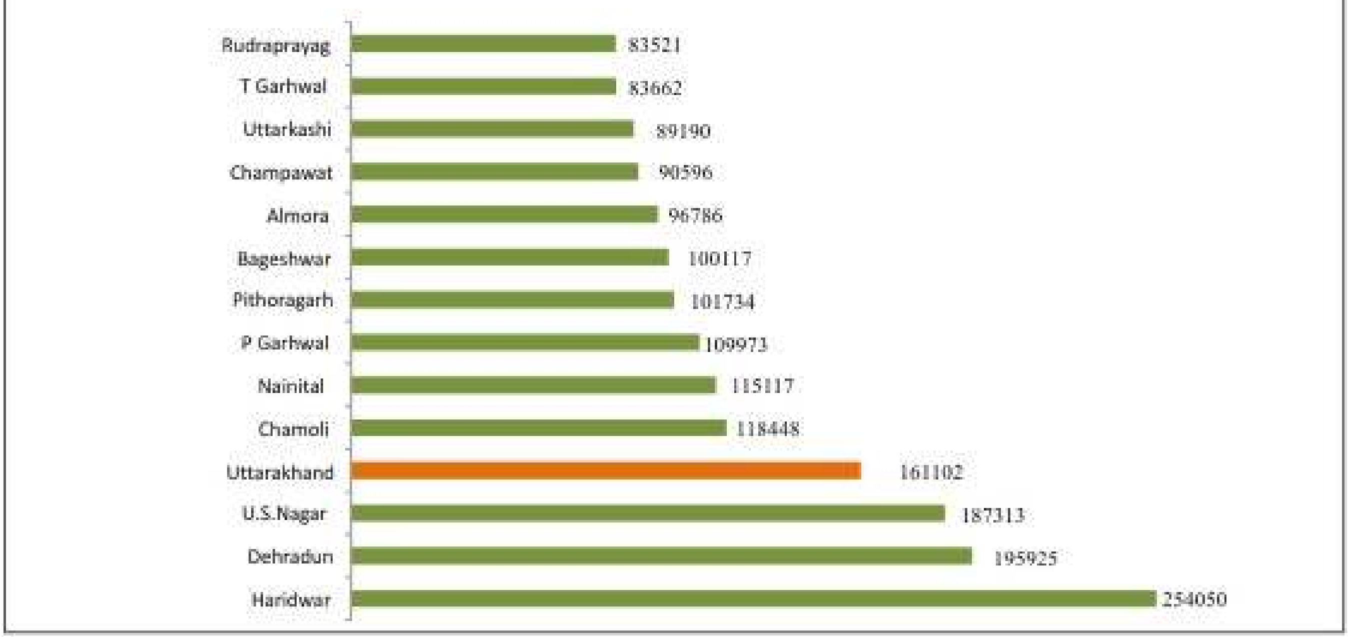

2.5 राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

राज्य अर्थव्यवस्था के खण्डवार विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2017–18 (अग्रिम अनुमान) में राज्य सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 10.50, 49.74 तथा 39.76 प्रतिशत रहा है। तीनों क्षेत्रों का योगदान चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है:–

चार्ट 2.5 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2017–18

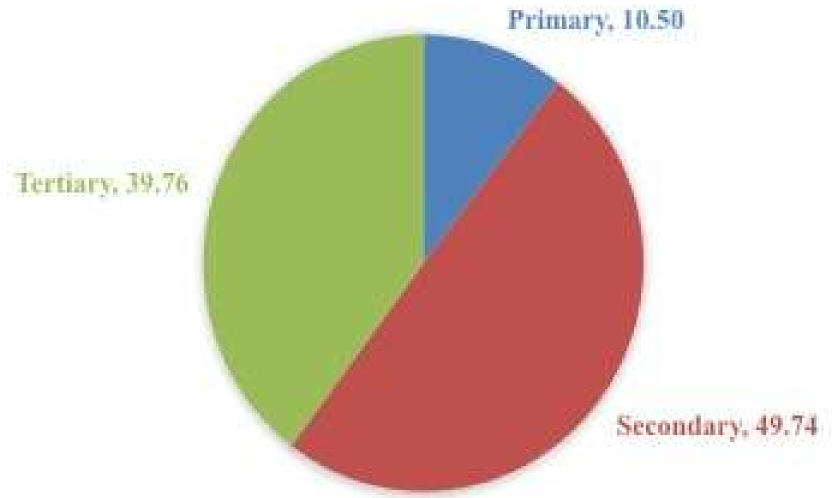

2.6 प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

उत्तराखण्ड गठन से वर्ष 2017–18 तक राज्य में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान निम्न चार्ट 2.6 के माध्यम से देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में ढ़ॉचागत परिवर्तन को प्रदर्शित करने हेतु निरन्तर नवीन सर्वेक्षणों एवं विभिन्न आंकड़ों के स्रोत पर अध्ययन किया जाता रहा है। उक्त परिवर्तनों को राज्य व राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों में सम्मिलित किये जाने हेतु आधार वर्ष का परिवर्तन किया जाता रहा है। उत्तराखण्ड गठन के समय राज्य सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 1999–00 पर आधारित थे, तत्पश्चात आधार वर्ष 2004–05 तथा वर्तमान में राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान आधार वर्ष 2011–12 पर आंकलित हैं। चार्ट से स्पष्ट है, कि राज्य गठन के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30 प्रतिशत था, जोकि वर्ष 2017–18 में घटकर मात्र 10.10 प्रतिशत अनुमानित है। साथ ही द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 18.79 प्रतिशत से बढ़कर 52.88 प्रतिशत अनुमानित है तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 51.11 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017–18 में 37.02 प्रतिशत अनुमानित है। चार्ट में प्रदर्शित है कि नवीन आधार वर्ष 2011–12 होने के उपरान्त द्वितीयक क्षेत्र में असाधारण बढ़ोत्तरी एवं तृतीयक क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है। उक्त परिवर्तन का मुख्य कारण भारत सरकार स्तर पर विभिन्न आंकड़ा स्रोत में परिवर्तन, नवीन सर्वेक्षण रिपोर्ट, सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान बाजार मूल्यों पर आगणित करने आदि हैं।

चार्ट 2.6 : अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का तुलनात्मक योगदान वर्षवार

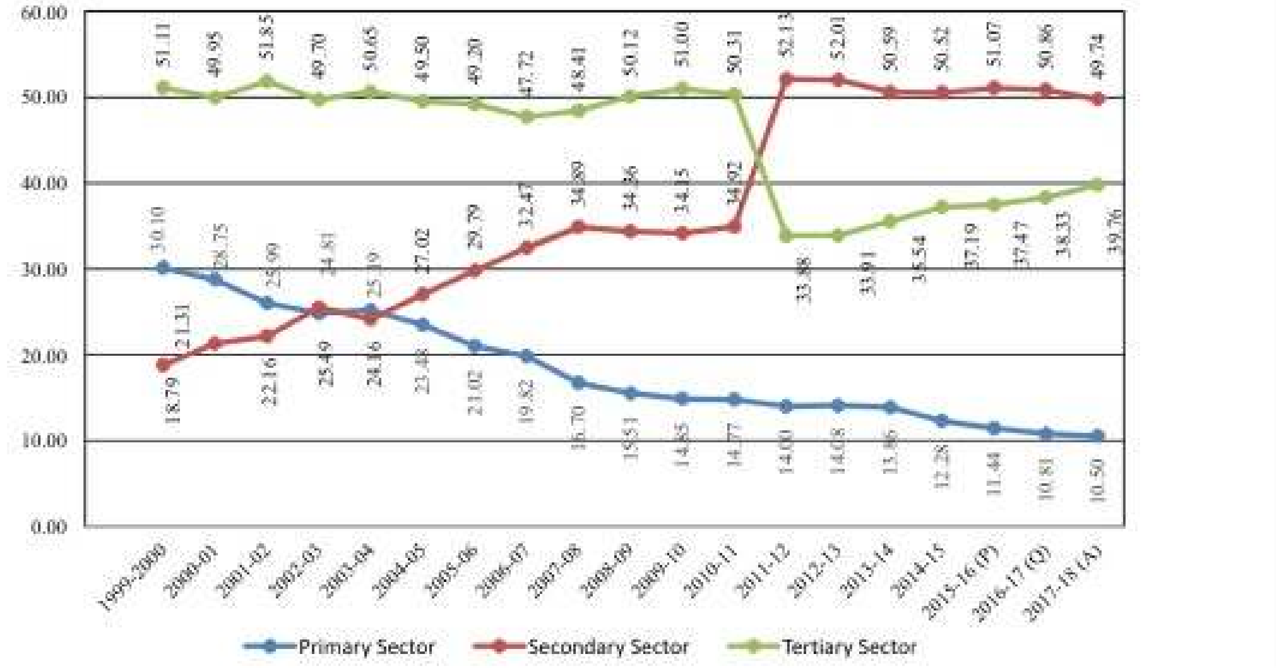

2.7 राज्य अर्थव्यवस्था की खण्डवार एवं उप–खण्डवार मूल्य वर्द्धन (Value Addition) एवं वृद्धि दरें

वर्ष 2017–18 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें चालू तथा स्थिर मूल्यों क्रमशः 11.25 तथा 6.77 अनुमानित है। अतः आलोच्य वर्ष में आर्थिक विकास की दर 6.77 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। उक्त अनुमान आगामी वर्षों में नवीन आंकड़ों की उपलब्धता होने पर परिवर्तित होना सम्भावित है। वर्ष 2016–17 के द्वितीय पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निम्नानुसार तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

2.7.1 प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न मदों की स्थिर एवं चालू मूल्यों पर मदवार उपलब्धियां (मूल्य वर्द्धन तथा वृद्धि दरें) तालिका–2.2 में प्रदर्शित है।

तालिका–2.2

स्थिर मूल्यों (2011–12) तथा प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2016–17		वर्ष 2016–17	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2016–17	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश	कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. कृषि	8,566.18	2.70	44.10	6,710.82	2.38
2. पशुपालन	4,886.26	9.04	25.10	3,646.00	2.32
3. वानिकी एवं लट्ठा बनाना	3,248.49	-3.82	16.70	2,877.43	-3.19
4. मत्स्य पालन	54.36	6.11	0.30	39.20	1.93
5. खनन तथा उत्खनन	2,675.69	13.65	13.80	2,641.31	10.94
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**19,430.98**	**4.44**	**100.00**	**15,914.76**	**2.61**

उक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2016–17 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत कृषि का योगदान सर्वाधिक 44.10 प्रतिशत रहा है। कृषि क्षेत्र की विभिन्न उपमदों के योगदान को निम्न चार्ट 2.7 के माध्यम से दर्शाया गया है:–

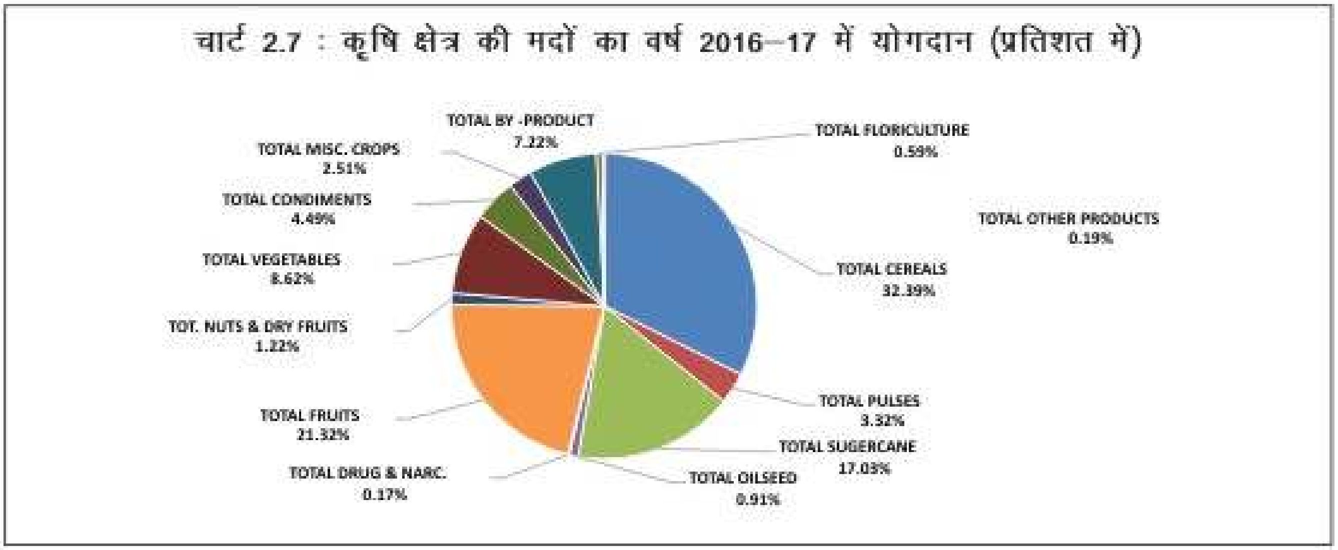

2.7.2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत गैस व जलापूर्ति सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अन्तर्गत खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन व स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2016–17 में द्वितीयक क्षेत्र में 7.82 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र के खनन् तथा उत्खनन् की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भाव पर 10.13 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011–12) तथा प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.3 में प्रदर्शित है:–

तालिका –2.3

द्वितीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2016–17		वर्ष 2016–17	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2016–17	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. विनिर्माण	70,555.44	9.30	77.21	63,535.59	7.90
2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	5,794.46	12.68	6.34	5,328.25	7.37
3. निर्माण	15,032.99	12.51	16.45	11,903.13	7.59
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	**91,382.89**	**10.03**	**100.00**	**80,766.96**	**7.82**
औद्योगिक क्षेत्र	94,058.58	10.13	------	83,408.28	7.92

उक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2016–17 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 77.21 प्रतिशत रहा है।

2.7.3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector):

तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2016–17 में द्वितीय पुनरीक्षित अनुमान अनुसार समग्र तृतीयक क्षेत्र में 6.98 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011–12) तथा प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.4 में प्रदर्शित है:–

तालिका –2.4

तृतीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2016–17		वर्ष 2016–17	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2016–17	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	13,797.15	15.44	20.04	11,551.58	11.42
1.1 रेलवे	325.39	18.43	===	265.13	13.61
1.2 सड़क परिवहन	3,468.58	10.35	===	2,905.91	6.48
1.3 भंडारण	7.66	6.37	===	6.41	2.65
1.4 संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	9,995.53	17.23	===	8,374.13	13.19
2. व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	22,164.93	13.45	32.19	17,550.55	8.25
3. वित्तीय सेवायें	4,967.71	11.12	7.21	3,933.94	-5.69
4. स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	9,567.46	10.74	13.89	8,034.82	6.97
5. लोक प्रशासन	7,374.38	13.25	10.71	5,410.33	6.58
6. अन्य सेवायें	10,991.86	11.48	15.96	8,359.77	5.49
उप योग तृतीयक क्षेत्र	**68,863.49**	**12.94**	**100.00**	**54,840.99**	**6.98**

उक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2016–17 में प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक 32.19 प्रतिशत रहा है।

लोक वित्त (Public Finance)

2.8 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व, केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान आदि हैं। वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 31,593.08 करोड़ है जबकि वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 25,255.90 करोड़ है। वर्ष ₹ 2017–18 (बजट अनुमान) में राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2016–17 की तुलना में 25.09 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.9 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2017–18 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹ 13,780.28 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹ 10,866.99 करोड़ व वर्ष 2015–16 (वा0) में ₹ 9,381.94 करोड़ आंकी गई है। वर्ष 2017–18 (बजट अनुमान) में राज्य कर में वर्ष 2016–17 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 26.80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.10 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2017–18 (बजट अनुमान) में ₹ 2,468.71 करोड़ आंकी गयी हैं। जो कि वर्ष 2017–18 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.81 प्रतिशत हैं।

2.11 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2017–18 (बजट अनुमान) मे ₹ 7,113.47 करोड़ आंका गया हैं।

2.12 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 (बजट अनुमान) के अनुसार बिक्री करों से प्राप्त आय ₹ 8,875.65 करोड़ आंकी गई है जो कि कुल कर प्राप्ति का 28.09 प्रतिशत है। वर्ष 2016–17 व वर्ष 2015–16 में यह क्रमशः 28.34 व 29.24 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017–18 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹ 2,400.50 करोड़ अनुमानित हैं।

2.13 वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अर्थव्यवस्था आकार) के सापेक्ष राज्य का राजकोषीय घाटा व प्रारंभिक घाटा की तुलना निम्न चार्ट–2.8 के माध्यम से प्रस्तुत है।

चार्ट 2.8 : राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्षवार चित्रण

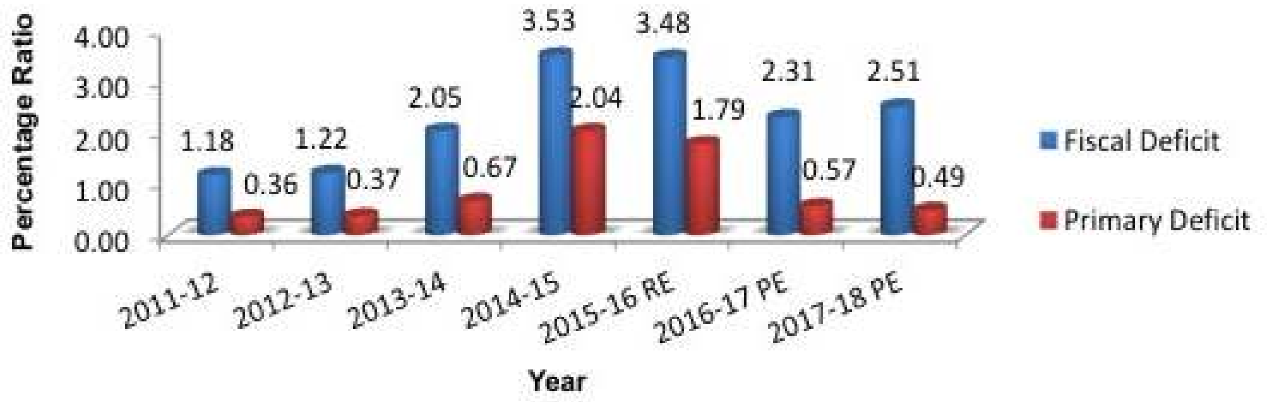

क) राजकोषीय घाटा – उधार एवं अन्य देनदारियों (Borrowing & other liabilities) को छोड़ते हुये कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय (कर्ज के भुगतान (loan payment) को छोड़कर) को घटाने के उपरान्त जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।

ख) प्रारम्भिक घाटा – राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगी की धनराशि को घटाने पर जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे प्रारम्भिक घाटा कहते हैं।

ग) उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है तथा किसी वर्ष में अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण उपयोग न होने की स्थिति में, यह सीमा वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत होगी। उक्त चार्ट से स्पष्ट हैं, कि राज्य सरकार वर्ष 2016–17 से राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने हेतु कटिबद्ध है।

2.14 सकल स्थाई पूंजी निर्माण (लोक क्षेत्र) (Gross Fixed Capital Formation - Public Sector):

सकल स्थाई पूंजी निर्माण किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। राज्य के आर्थिक विकास को आंगणित करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण संकेताक है। सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अन्तर्गत आवासीय व अनावासीय भवन निर्माण, मशीनरी औजार निर्माण, साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर निर्माण, अनुसंधान एवं विकास आदि मदों को सम्मिलित किया जाता है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सकल स्थिर पूंजी निर्माण वर्ष 2011–12 में 5.24 प्रतिशत, वर्ष 2012–13 में 5.21 प्रतिशत, वर्ष 2013–14 में 5.90 प्रतिशत, वर्ष 2014–15 में 6.73 प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 6.91 प्रतिशत एवं वर्ष 2016–17 में 7.46 प्रतिशत अनुमानित हैं।

चार्ट 2.9 : राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का सकल स्थाई पूंजी निर्माण (करोड़ रु० में)

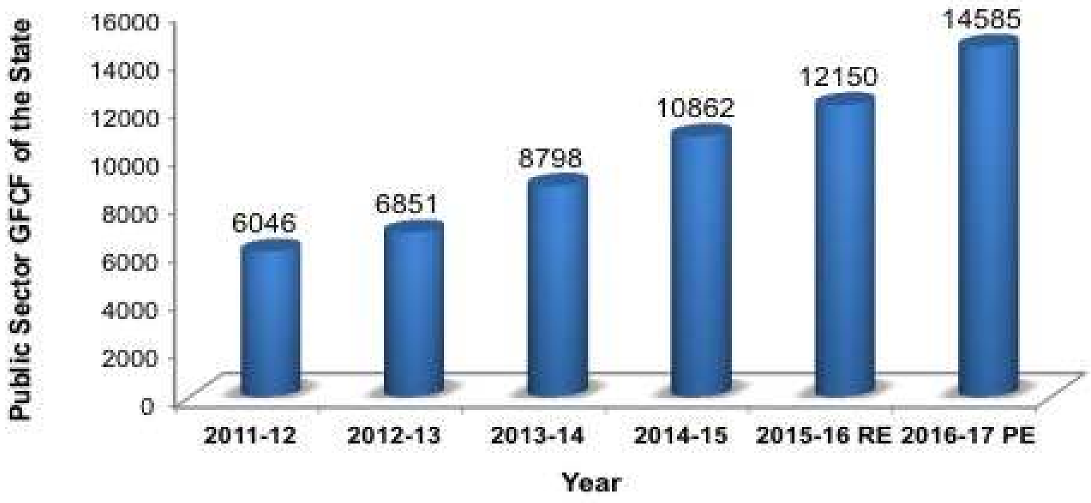

2.15 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में केन्द्र व राज्य का योगदान निम्न चार्ट–2.10 के माध्यम से दर्शाया गया है। चार्ट से स्पष्ट है, कि राज्य का योगदान कुल सकल स्थाई पूंजी निर्माण में निरन्तर बढ रहा हैं। चार्ट–2.11 के माध्यम से वर्षवार प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र का कुल सकल स्थाई पूंजी निर्माण में योगदान दर्शाया गया हैं। चार्ट–2.12 के माध्यम से वर्षवार विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का केन्द्रीय सकल स्थाई पूंजी निर्माण में योगदान दर्शाया गया हैं। चार्ट–2.13 के माध्यम से वर्षवार विभिन्न राज्य सार्वजनिक उपक्रमों का राज्य सकल स्थाई पूंजी निर्माण में योगदान दर्शाया गया हैं। राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल सकल पूंजी निर्माण में राज्य का योगदान निरन्तर बढ़ रहा है। यह वर्ष

2011–12 में 39.66 प्रतिशत से बढ़कर 58.35 प्रतिशत हो गया है। वही दूसरी ओर केन्द्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 60.34 प्रतिशत से घटकर 41.65 प्रतिशत रह गया है। राज्य सरकार का सकल पूंजी निर्माण वर्ष 2011–12 के ₹ 2,398.35 करोड़ की तुलना में बढ़कर 2016–17 में ₹ 8,509.58 करोड़ हो गया जो कि 3.5 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार केन्द्रांश का सकल पूंजी निर्माण वर्ष 2011–12 के ₹ 3,648.12 करोड़ की तुलना में बढकर 2016–17 में ₹ 6,075 करोड़ हो गया जो कि लगभग 1.50 गुना की वृद्धि ही दर्शाता है। साथ ही केन्द्र सरकार के सकल पूंजी निर्माण में मुख्य भाग गैर विभागीय वाणिज्य उपक्रमों का है। उदाहरणत: BHEL, ONGC, इत्यादि जोकि मुख्यत: शहरी इलाकों में सीमित है। राज्य सरकार के सकल पूंजी निर्माण में मुख्य भाग प्रशासनिक विभागों के द्वारा सम्पूर्ण राज्य में किये गये विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का समावेश है।

चार्ट 2.10 : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में केन्द्र एवं राज्य का वर्षवार अंशदान

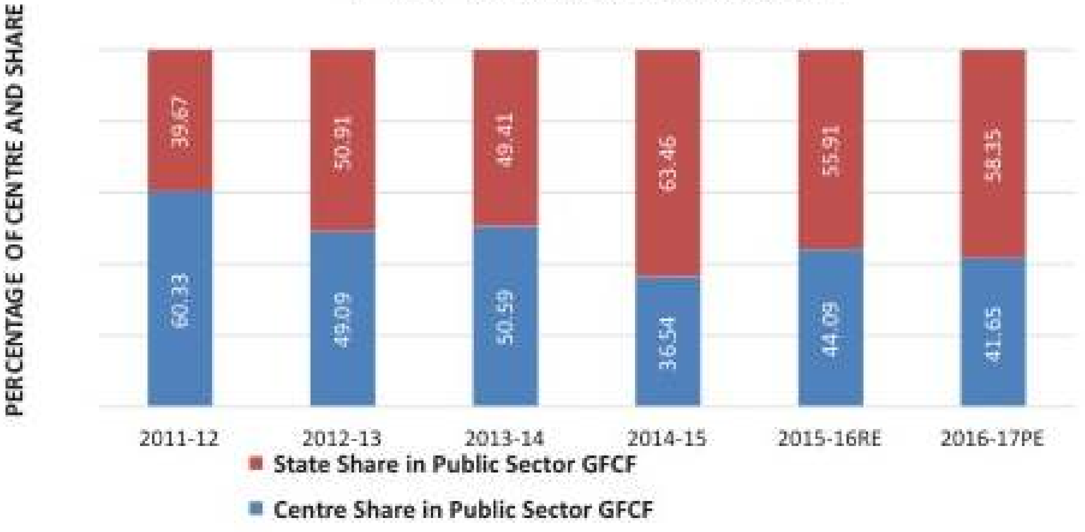

चार्ट 2.11 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का जी0एफ0सी0एफ0 में वर्षवार योगदान (प्रतिशत में)

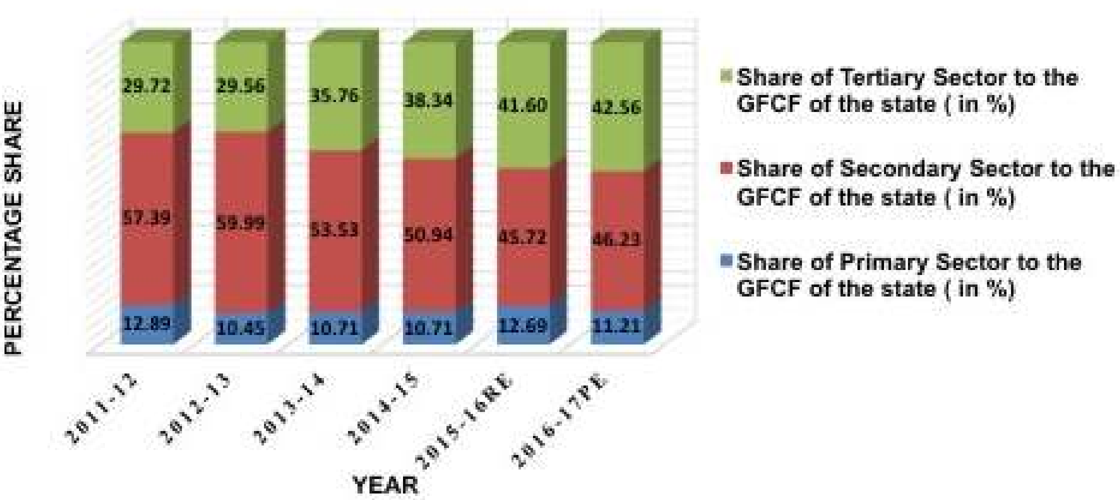

चार्ट 2.12 : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में केन्द्रांश का संस्थावार विवरण प्रतिशत में

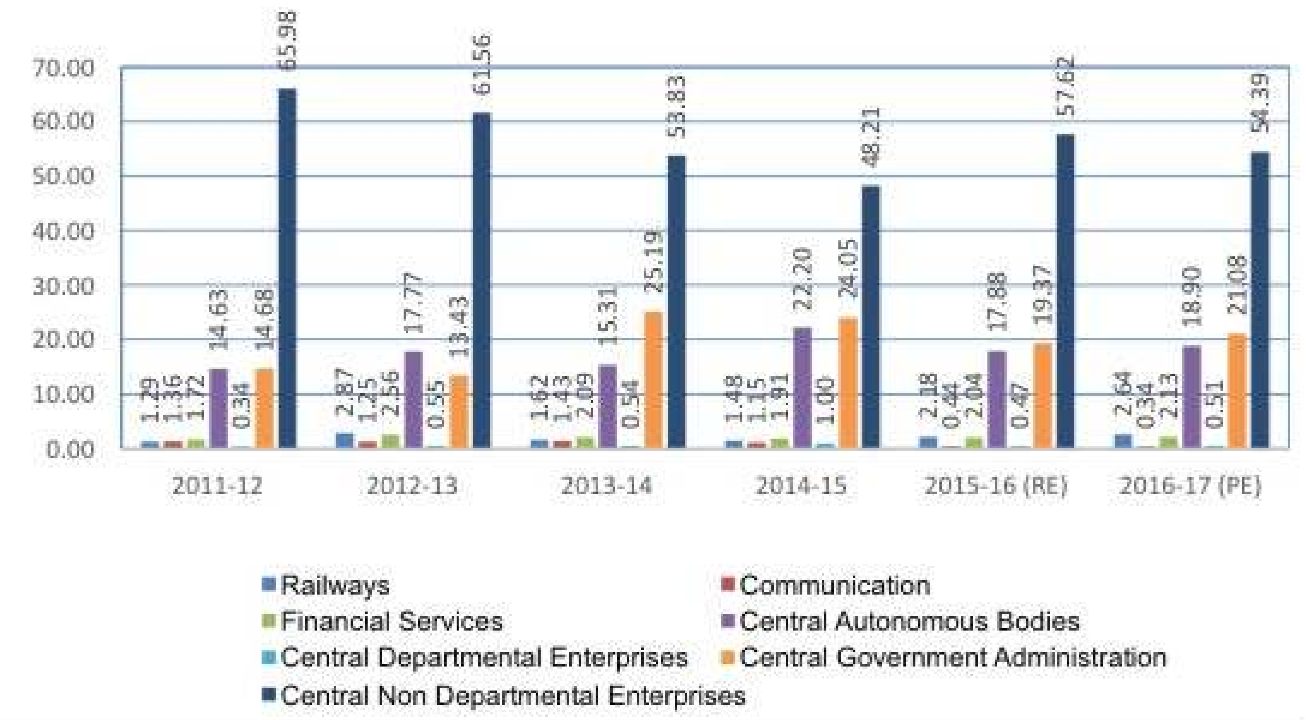

चार्ट 2.13 : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में राज्यांश का संस्थावार विवरण प्रतिशत में

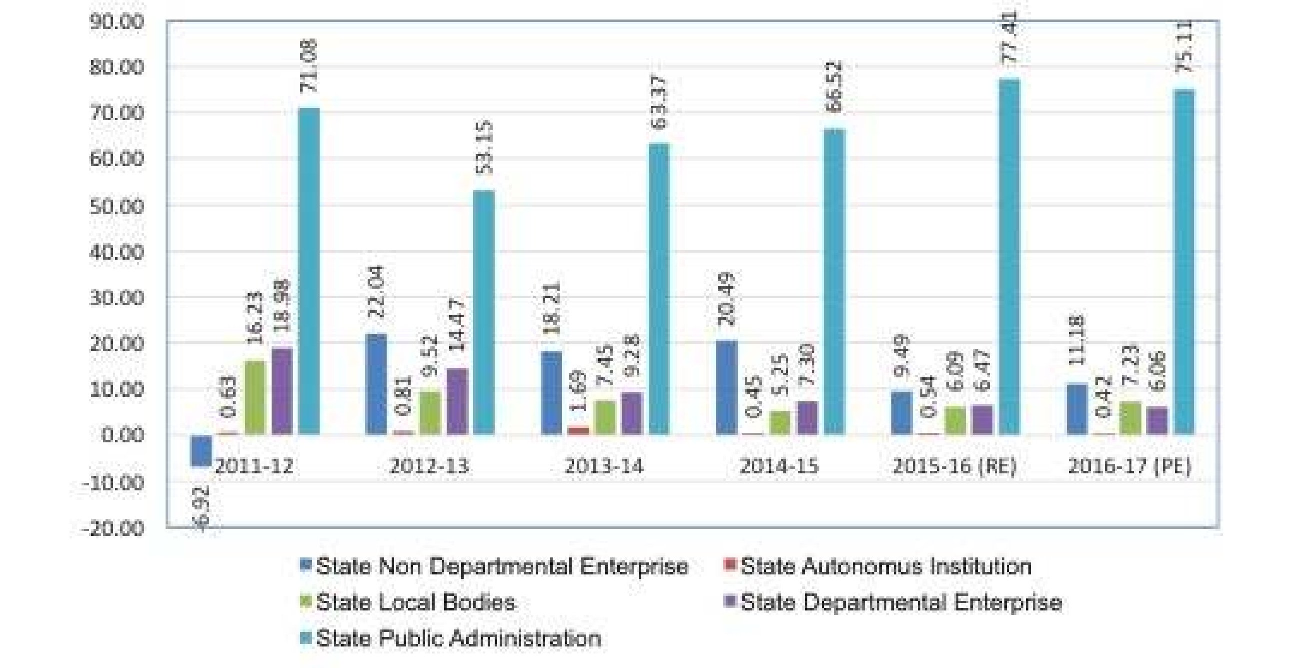

2.16 कुल बजट प्राविधान में राज्य सरकार का सकल स्थाई पूंजी निर्माण (पूंजी व्यय) का अंश: प्रत्येक वित्तीय वर्ष राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत शीर्षक (Capital Heads) के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयों, विभागीय वाणिज्य उपकमों (DCU), गैर विभागीय वाणिज्य उपकमों, स्वायत्त निकायो एवं स्थानीय निकायों हेतु बजट आंवटन किया जाता है। अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा उपरोक्त विभिन्न इकाईयों की बैलेंस शीट के विश्लेषण व बजट विश्लेषण आदि के आधार पर संदर्भित वर्ष में पूंजीगत निर्माण का आंकलन किया जाता है। साथ ही इनका प्रयोग राज्य स्तरीय अनुमानों के आंकलन हेतु किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा जारी कुल बजट प्राविधान (Budget Outlay) के सापेक्ष उपरोक्त विभिन्न प्रशासनिक ईकाइयों को पूंजीगत निर्माण हेतु आंवटित धनराशि तथा अर्थ संख्या विभाग द्वारा तैयार पूंजीगत निर्माण के अनुमानों का तुलनात्मक अध्ययन निम्न चार्ट–2.14 के माध्यम से प्रस्तुत हैं। चार्ट से स्पष्ट है कि पूंजीगत निर्माण में विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों का योगदान अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011–12 में कुल बजट प्राविधान का 13.73 प्रतिशत वर्ष 2012–13 में 18.11 प्रतिशत वर्ष 2013–14 में 19.68 प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 25.34 प्रतिशत वर्ष 2015–16 में 22.96 प्रतिशत तथा वर्ष 2016–17 में 26.55 प्रतिशत रहा हैं। स्थाई पूंजी निर्माण राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। मात्र वित्तीय वर्ष 2015–16 को छोड़कर वर्ष 2011–12 से निरन्तर पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई है, जो यह दर्शाता है कि कुल बजट प्राविधान में पूंजीगत व्यय का अंश बढ़ रहा है।

चार्ट 2.14 : राज्य का स्थाई पूंजी निर्माण बजट परिव्यय के सापेक्ष

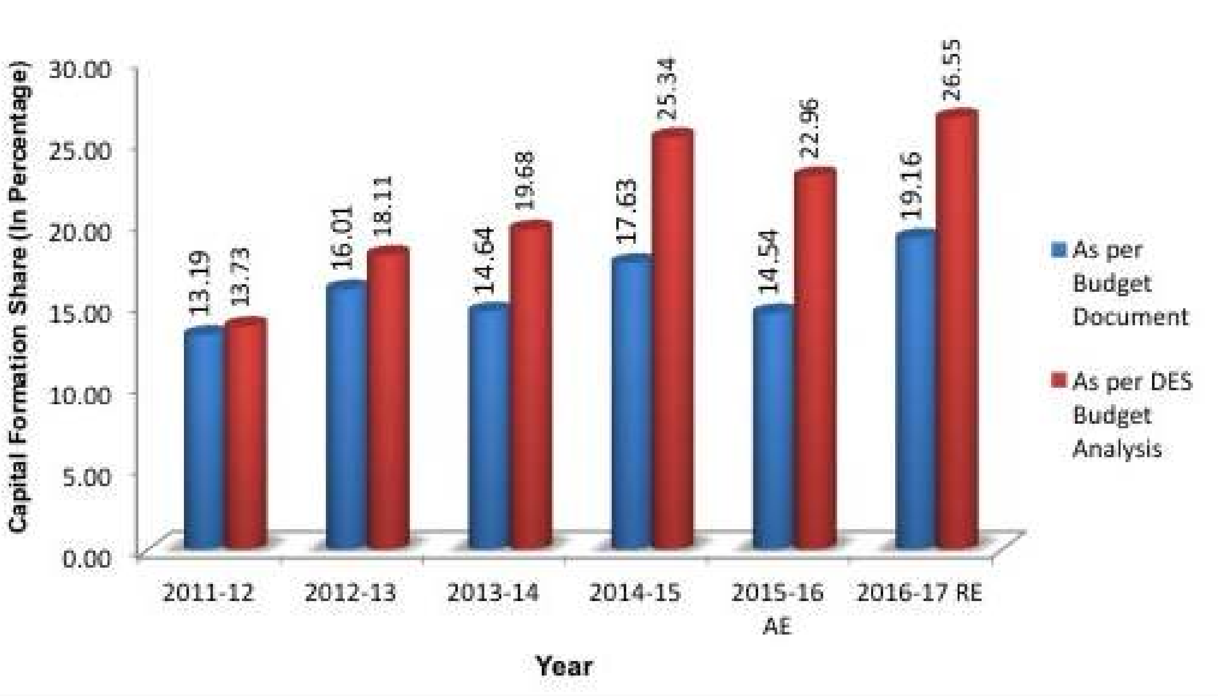

अध्याय–3

बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

Banking and Institutional Finance

3.1 उत्तराखण्ड राज्य में 03 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक को 09 जिलों– उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में, पंजाब नेशनल बैंक को 02 जिलों देहरादून तथ हरिद्वार तथा बैंक ऑफ बड़ौदा को 02 जिलों नैनीताल, ऊधमसिंह नगर का कार्य आवंटित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक हैं। दिनांक 31.12.2017 तक राज्य में कुल 2,290 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और 49 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। 01. 04.2017 से 31.12.2017 तक 21 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। वर्तमान में 1,113 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 611 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 566 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।

3.2 जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,404 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। दिसम्बर, 2017 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) की कुल 1,508 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 436, पीएनबी की 249 और बैंक आफॅ बड़ौदा की 122 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 219 शाखाओं का नेटवर्क हैं। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है।

3.3 इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक को एस.बी.आई. द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसमें दिसम्बर, 2017 तक कुल 286 शाखाओं का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंक का 261 शाखाओं का जनपदीय नेटवर्क तथा 15 शाखाओं का राज्य स्तरीय नेटवर्क है। इस प्रकार सहकारी बैंक का 276 शाखाओं का नेटवर्क हैं। जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत को छोड़कर, शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है तथा राज्य स्तरीय बैंक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग को छोड़कर, शेष 09 जनपदों में कार्यरत है। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। **उत्तराखण्ड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है,** जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक ने अपने 12 ए.टी.एम. स्थापित किए हैं। बैंक के खाता धारक ए0टी0एम0, एन0ई0एफ0टी0, आर0टी0जी0 एस0, रूपे कार्ड, आदि के माध्यम से कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं।

3.4 राज्य में सभी बैंकों एस.बी.आई., पी. एन.बी., बीओबी, ओबीसी, यूबीआई, केनरा बैंक, बीओआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पी. एण्ड एस. बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, बीओएम. का सम्पूर्ण नियंत्रण कार्यालय (अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/ सर्किल कार्यालय) है। भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में है तथा नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में है।

3.5 जनसुविधा हेतु बैंक सम्बंधी शिकायतों के निवारण हेतु बैंकिंग लोकपाल कार्यालय (Banking Ombudsman Office) राजपुर रोड, देहरादून में कार्यरत भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में ही स्थापित किया गया है।

3.6 जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 554 बैंक शाखाएं तथा बागेश्वर में सबसे कम 51

बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी बैंक सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए 2,667 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं। जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक बैंकों ने 390 नए ए.टी.एम. स्थापित किए हैं। बैंकवार राज्य में बैंकों की स्थिति निम्न तालिका–3.1 में दी गयी है।

तालिका–3.1
31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति अनुसार

S. No.	Name of The Bank	No. of Branches				Total No. of ATM's	C:D Ratio	Total No. of Jan Dhan Accounts	Percentage of Aadhar Seeding	Digital Transaction
		Rural	Semi Urban	Urban	Total					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	State Bank of India	275	69	92	**436**	836	46	576812	68	16962364
2	Punjab National Bank	144	50	55	**249**	413	46	346986	85	4681033
3	Bank of Baroda	54	31	37	**122**	197	53	348599	77	1666467
A	**Total Lead Banks**	**473**	**150**	**184**	**807**	**1446**	**47**	**1272397**	**77**	**23309864**
4	Oriental Bank of Comm.	21	28	29	**78**	85	47	138194	61	1962871
5	Union Bank of India	32	30	23	**85**	148	51	83297	71	210341
6	Canara Bank	31	30	23	**84**	103	52	75441	66	371690
7	Central Bank of India	8	13	20	**41**	52	30	48768	63	367463
8	Punjab & Sind Bank	16	12	16	**44**	42	49	26897	75	156598
9	Allahabad Bank	9	22	11	**42**	16	44	58779	81	78157
10	UCO Bank	19	24	14	**57**	52	40	56314	80	106888
11	Indian Overseas Bank	21	12	14	**47**	37	48	55027	59	2462414
12	Bank of India	11	18	6	**35**	39	81	42928	76	28266
13	Syndicate Bank	15	29	13	**57**	44	61	22510	56	66804
14	Vijaya Bank	2	5	8	**15**	11	62	4462	97	51825
15	Corporation Bank	7	12	8	**27**	41	78	28358	44	955263
16	Andhra bank	1	4	10	**15**	15	78	6263	63	128505
17	Indian Bank	0	5	7	**12**	9	77	8174	73	115352
18	United Bank of India	0	3	5	**8**	10	66	17155	81	487444
19	Bank of Maharashtra	0	1	4	**5**	0	37	4848	50	92670
20	Dena Bank	2	10	6	**18**	18	81	19596	75	478842
21	IDBI Bank	10	13	8	**31**	65	40	8879	57	292646
B	**Total Non-Lead Banks**	**205**	**271**	**225**	**701**	**787**	**50**	**705890**	**68**	**8414039**
C	**Total N. Banks (A + B)**	**678**	**421**	**409**	**1508**	**2233**	**48**	**1978287**	**73**	**31723903**
22	Uttarakhand G.B	229	43	14	**286**	0	46	151102	72	395660
23	U.P. Gramin Bank	1	0	0	**1**	0	63	1181	0	7646
D	**Total R.R.B.**	**230**	**43**	**14**	**287**	**0**	**46**	**152283**	**72**	**403306**
24	Co-operative Bank	156	67	53	**276**	61	61	99754	0	178912
E	**Total Cooperative**	**156**	**67**	**53**	**276**	**61**	**61**	**99754**	**0**	**178912**
F	**Total (C+D+E)**	**1064**	**531**	**476**	**2071**	**2294**	**49**	**2230324**	**72**	**32306121**
25	Nainital Bank	35	23	16	**74**	1	63	24695	0	82949
26	Axis Bank	9	15	13	**37**	126	63	5896	48	803036
27	ICICI bank	1	14	18	**33**	114	59	3502	55	1757928
28	HDFC Bank	4	14	12	**30**	85	119	11055	19	0
29	The J & K Bank	0	0	1	**1**	0	38	543	52	0
30	Fedral Bank Ltd	0	0	1	**1**	1	86	36	39	21849
31	IndusInd Bank	0	0	6	**6**	6	160	653	96	0
32	The Karnataka bank	0	1	3	**4**	6	43	989	0	0
33	The South Indian Bank Ltd	0	0	1	**1**	1	9	9	44	0

S. No.	Name of The Bank	No. of Branches				Total No. of ATM's	C:D Ratio	Total No. of Jan Dhan Accounts	Percentage of Aadhar Seeding	Digital Transaction
		Rural	Semi Urban	Urban	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Standard Chartered Bank	0	0	1	1	1	8	0	0	0
35	Yes Bank	0	6	5	11	17	99	103	29	463751
36	Kotak Mahinda	0	3	6	9	9	119	245	41	67030
37	Bhandhan Bank	0	4	7	11	6	133	0	0	0
G	**Total Private Bank**	**49**	**80**	**90**	**219**	**373**	**78**	**47726**	**52**	**3196543**
H	**Total All Bank (F+G)**	**1113**	**611**	**566**	**2290**	**2667**	**52**	**2278050**	**72**	**35502664**

तालिका–3.2
उत्तराखण्ड में जनपदवार बैंकों का ऋण: जमा अनुपात

वर्ष **Year 31 Dec. 2017**	जनसंख्या	कुल बैंक शाखाओं की संख्या	शाखा प्रति औसत जनसंख्या	जमा धनराशि (₹करोड़) **Total Deposits (Crore ₹)**	कुल ऋण: वितरण (₹करोड़) **Total Credit (Crore ₹)**	ऋण: जमा अनुपात **Credit Deposit Ratio**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उत्तरकाशी / Uttarkashi	330086	62	5324	1681	879	52
चमोली / Chamoli	391605	93	4211	2775	762	27
टिहरी गढ़वाल / Tehri Garhwal	618931	134	4619	3963	1830	46
देहरादून / Dehradun	1696694	554	3063	44151	17484	40
पौड़ी गढवाल / Pauri Garhwal	687271	195	3524	7102	1671	24
रूद्रप्रयाग / Rudraprayag	242285	55	4405	1701	444	26
हरिद्वार / Haridwar	1890422	267	7080	17618	12711	72
पिथौरागढ / Pithoragarh	483439	104	4648	3572	1469	41
अल्मोड़ा / Almora	622506	146	4264	4756	1046	22
नैनीताल / Nainital	954605	256	3729	12405	5920	48
बागेश्वर / Bageshwar	259898	51	5096	1469	421	29
चम्पावत / Champawat	259648	56	4637	1802	732	41
ऊधमसिंह नगर / U. S. Nagar	1648902	317	5202	10971	13488	123
गढ़वाल मण्डल / Garhwal Mandal	5857294	1360	4307	78991	35781	45
कुमायूं मण्डल / Kumaun Mandal	4228998	930	4547	34975	23075	66
उत्तराखण्ड / Uttarakhand	**10086292**	**2290**	**4404**	**113967**	**58856**	**52**

3.7 उपरोक्त तालिका एवं 31 मार्च, 2014 की स्थिति की तुलना में बैंकिंग सेवाओं में उत्तराखण्ड में पिछले वर्षो में बहुआयामी परिवर्तन हुये हैं। वित्तीय समावेशन को दृष्टिगत रखते हुये, अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया है। 31 मार्च, 2014 में कुल खातों की संख्या 53,95,215 थी, जोकि बढ़कर 31 दिसम्बर, 2017 को 1,70,96,977 दर्ज की गयी है। अतः कुल खातों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही 31 मार्च, 2014 में स्थापित 1425 ATM's के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक ये संख्या बढ़कर 2667 हो गई है। 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन बीमा

योजना के अन्तर्गत 22,55,262 लोगों को बीमा योजना से जोड़ा गया है।

3.8 तालिका–3.2 से स्पष्ट है कि जनपद देहरादून, पौडी गढवाल व नैनीताल में सबसे अधिक बैंकिंग से आच्छादित हैं, तथा जनपद हरिद्वार, उत्तरकाशी व ऊधमसिंह नगर में सबसे कम बैंकिंग आच्छादन हुआ है। जबकि जमा–ऋण अनुपात सबसे अधिक जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व उत्तरकाशी में हैं। सबसे कम जमा–ऋण अनुपात अल्मोडा, पौड़ी व रूद्रप्रयाग में हैं।

3.9 राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के पहिये को बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मेदारी निभा रहा है। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। दिसम्बर, 2017 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी. आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 4 राष्ट्रीय मानकों जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, कृषि ऋण, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम. एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों को करने के लिए कुल ऋण का 59 प्रतिशत ऋण बढ़ाया गया है।

3.10 बैंकों द्वारा बढ़ाए गए कुल ऋण में से 22 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि का भाग है। 8 प्रतिशत ऋण सूक्ष्म लघु उद्यम, 15 प्रतिशत सेवा क्षेत्र एवं 14 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण दिया गया हैं। शेष 13 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण वितरण किया गया हैं। बैंको द्वारा कुल ऋण में से कमजोर वर्गो तथा महिलाओं को क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत अग्रिम वितरण किया गया है जो कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है। दिसम्बर, 2017 तक क्रेडिट जमा अनुपात 57 प्रतिशत रहा, जोकि कि राष्ट्रीय मानक से अधिक है। ऋण वितरण की स्थिति नीचे तालिका–3.3 में दर्शायी गई है–

तालिका–3.3 राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 31.12.2016	अग्रिम प्रतिशत 31.12.2017	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	62.73	58.53	40
1.1	कृषि ऋण	24.06	21.79	18
1.2	सूक्ष्म लघु उद्यम ऋण	9.35	8.24	
1.3	सेवा क्षेत्र	16.29	15.08	
1.4	अन्य क्षेत्र	13.03	13.43	
2.	गैर प्राथमिक क्षेत्र	37.27	41.47	
3.	कुल अग्रिम	100.00	100.00	
4.	कमजोर वर्ग ऋण	19.21	18.11	10
5.	महिला ऋण	6.01	6.07	5
6.	डी0आई0आर0 ऋण	0.17	0.16	1
7.	जमा एवं अग्रिम अनुपात	52.42	56.65	60
8.	एम.एस.एम.ई.ऋण (पी.एस.सी.)	33.58	31.10	
9.	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति ऋण (पी.एस.सी.)	4.49	5.07	
10.	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)	15.87	9.86	

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

3.11 भारत में समाज के आर्थिक रूप से अपवर्जित वर्ग को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने का प्रयास राज्य में नया नहीं है। वित्तीय समावेशन कम आय वर्ग तथा वहन करने योग्य विशाल भाग के लिए सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं के वितरण को दर्शाता है। इस उद्देश्य के लिए देश भर में (28 अगस्त, 2014) वित्तीय समावेशन व्यापक अभियान के अन्तर्गत् "प्रधान मन्त्री जन–धन योजना" का शुभारंभ अपवर्जित समाज के लिए किया गया है तथा इस अभियान ने दो वर्ष पूरे कर लिए है। वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, दोनों छोटे और सीमांत किसानों तथा मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान देते हुए व सशक्त करते हुए सस्ती वित्तीय सेवाओं को देश के सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।

3.12 उत्तराखण्ड में वर्तमान स्थितिः

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY): प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में बैंकों द्वारा राज्य में प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बचत जमा खाते के साथ समस्त परिवारों को सम्मिलित किया गया है। बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ (28.08. 2014) से लेकर 31 दिसम्बर, 2017 तक 22,78,050 खाते खोले गये है, जिसमें से 18,27,764 (80.23%) खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये है तथा 16,27,419 (71.44%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है।

(ख) प्रधान मंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहलः प्रधान मंत्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हैः–

i) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को प्रतिवर्ष ₹12.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीकरणीय पर आकस्मिक मृत्यु सह दिव्यांगता के लिए ₹ 2.00 लाख (आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1.00 लाख) प्रदान कर रहा है तथा हर वर्ष 1 जून से नवीकरणीय होगा। प्रधान मन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक योजना के शुभारम्भ (8.05.2015) से अभी तक 17,76,325 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

ii) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाता धारकों को बैंक प्रतिवर्ष ₹ 330.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीकरणीय पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹ 2.00 लाख प्रदान कर रहा है तथा हर वर्ष 1 जून से नवीकरणीय होगा। प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा दिसम्बर, 2017 तक योजना के शुभारम्भ (08.05.2015) से अभी तक 4,78,937 ग्राहकों को नामांकित किया है।

iii) अटल पेंशन योजना (APY): अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इस योजना के अन्तर्गत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम पेंशन ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 अथवा ₹5,000 प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जाती है, यदि 18 वर्ष से 40 वर्ष के दौरान अंशदान विकल्प के आधार पर चुना हो। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत ग्राहक द्वारा 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि में अंशदान किया हो तो निर्धारित न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जायेगी। यदि यह योजना बैंक खाता धारकों द्वारा निर्धारित आयु वर्ग में शुरू की गई हो तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल अंशदान का 50

प्रतिशत या ₹1,000 प्रतिवर्ष जो भी कम हो 5 वर्ष की अवधि के लिए उन ग्राहकों को दिया जाता है जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य न हो और न ही आयकर दाता हो। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 61,278 ग्राहकों को नामांकित किया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत बैंक वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान जो एफ.एल.सी.एस. (Financial Literacy Centres) द्वारा आयोजित करके लक्षित समूहों के नामाकंन को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

(ग) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY): प्रधान मन्त्री मुद्रा योजना उत्तराखण्ड सहित देश भर में 08.04.2015 से चल रही है। वह सुक्ष्म उद्यम जो मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार, सेवा और गैर–कृषि क्षेत्रों मे कार्यरत है तथा उनकी आवश्यकता ₹10.00 लाख से कम है को आय सृजन के लिए दिए जाने वाले ऋण को मुद्रा ऋण कहा जाता है। प्रधान मन्त्री मुद्रा योजना में इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी अग्रिम जो 08.04.2015 को या इसके बाद इस योजना के अधीन आए हो, को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में दिसम्बर, 2017 तक चालू वित्त वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 52,086 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹968.48 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किया गया। वित्त वर्ष 2016–17 में बैंकों द्वारा 61,865 सूक्ष्म उद्यमियों को ₹881.72 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

(घ) स्टैण्ड अप भारत योजना (Stand Up India Scheme): स्टैण्ड अप भारत योजना को देश भर में औपचारिक रूप से 5 अप्रैल 2016 से शुरू किया गया। स्टैण्ड अप योजना के अधीन समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति और महिला प्रतिनिधित्वों द्वारा असेवित तथा कमसेवित क्षेत्रों मे उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के अन्तर्गत कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता या कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ₹10.00 लाख और ₹1.00 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा नए उद्यम को स्थापित करने के लिए दिया जाता है (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है)। दिसम्बर, 2017 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 915 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹199.94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

3.13 आर.बी.आई. रोडमैप 2013-18:

उत्तराखण्ड में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गांवो में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार।

दिसम्बर, 2017 तक आर.बी.आई. रोडमैप के अन्तर्गत ब्रिक और मोर्टार शाखा तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंक मित्र कहा जाता है) में समाविष्ट किया जाना है। बैंकों का लक्ष्य जिन गांवों की जनसंख्या 2,000 से कम है, को बैंक मित्रों के माध्यम से समाविष्ट करना है। अभी तक कुल 1,341 गांवो को समाविष्ट कर लिया गया है तथा चालू वित्त वर्ष 2017–18 में शेष बचे 808 गांवों को भी समाविष्ट कर लिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2017–18 में बैंक रोडमैप के अन्तर्गत सभी 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को भी समाविष्ट कर लिया जाएगा।

बैंको की व्यापारिक मात्रा:

3.14 राज्य के सभी बैंको द्वारा जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक जमा में ₹1,08,781 करोड़ से ₹1,13,968 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जिस मे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का 79.23 प्रतिशत, आर.आर.बी. का 3.87 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 7.07 प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 9.83 प्रतिशत योगदान रहा है। बैंकों द्वारा जमा राशि में वर्ष दर वर्ष 4.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अग्रिमों में जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक ₹56,806 करोड़ से ₹64,559 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। इस

प्रकार दिसम्बर, 2017 तक वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.65 प्रतिशत रही।

3.15 दिसम्बर, 2017 तक राज्य में कुल बैंकों का कारोबार ₹1,78,527 करोड़ पार कर गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी से 74.78 प्रतिशत की भागीदारी से बाजार व्यापार पर अधिकार किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका–3.4 में दर्शाए गए है।

तालिका–3.4

उत्तराखण्ड में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क. सं.	मद	01.01.2017	31.12.2017	जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा राशि (पी.पी.डी.)**				
1.1	ग्रामीण	29,768	32,580	2,812	9.45
1.2	शहरी / अर्ध शहरी	79,013	81,388	2,375	3.00
1.3	**कुल (1.1+1.2)**	**1,08,781**	**1,13,968**	**5,187**	**4.77**
2.	अग्रिम (ओ / एस)				
2.1	ग्रामीण	16,679	21,063	4,384	26.28
2.2	शहरी / अर्ध शहरी	40,127	43,496	3,369	8.40
2.3	**कुल (2.1+2.2)**	**56,806**	**64,559**	**7,753**	**13.65**
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम) (1.3+2.3)**	**1,65,587**	**1,78,527**	**12,940**	**7.81**
4.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़ / प्रतिभूतियों में निवेश	6,445	3,823	(-)2,622	(-)40.68
5.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	52%	57%	5	9.61
6.	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ / एस) जिनमें से:**	**25,943**	**29,251**	**3,308**	**12.75**
	(i) कृषि	9,769	10,887	1,118	11.44
	(ii) एम.एस.ई.	10,410	11,652	1,242	11.93
	(iii) ओ.पी.एस.	5,764	6,712	948	16.45
7.	गरीबों को अग्रिम	7,921	9,051	1,130	14.27
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	71	81	10	14.08
9.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	15,875	20,720	4,845	30.52
10.	शाखाओं की संख्या	2,243	2,290	47	2.09
11.	महिलाओं के लिए अग्रिम	2,708	3,032	324	11.96
12.	अल्प–संख्यकों को ऋण	6,636	4,926	(-)1,710	(-)25.77
13.	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	1,877	2,536	659	35.10

3.16 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme): इस योजना के अन्तर्गत राज्य में के.वी.आई.सी. (Khadi & Village Industries Commission)/के.वी.आई.बी. (Khadi & Village Industries Board) तथा डी.आई.सी. (District Industries Centre) द्वारा प्रायोजित 4,809 परियोजनाओं के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2017 तक 1,744 इकाइयां बैंको द्वारा मंजूर की गई।

ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (National Urban Livelihood Mission): शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वर्ग के लिए स्व–रोजगार वेंचर्स, कौशल विकास, और आवास के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत ऋण दिए गए। इस योजना में शहरी गरीबों को सम्मिलित किया गया। बैंको द्वारा चालू वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत ₹ 39.16 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य से 1,958 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया। जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक बैंकों द्वारा ₹ 821 लाख का ऋण 745 लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission): चालू वर्ष में दिसम्बर, 2017 तक 623 स्वंय सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत ₹ 3.39 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

घ) डेयरी उद्यमी विकास योजना (Dairy Entrepreneurship Development Scheme-DEDS): नाबार्ड ने केन्द्रीय प्रायोजित सरकारी योजनाओं जिनको भारत सरकार पूंजी अनुदान में देती है, के अन्तर्गत डेयरी उद्यमी विकास योजना को शुरू किया है। दिसम्बर, 2017 को समाप्त त्रैमास में इस योजना के अर्न्तगत, 1,762 नए उद्यमियों को बैंकों द्वारा ₹2,452.73 लाख वितरित किए गए।

ङ) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड **(KCCs)** के माध्यम से परेशानी मुक्त तरीके से उनको उत्पादन हेतु ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर अभिनव ऋण वितरण के माध्यम से किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान किए जा रहे है। 31 दिसम्बर 2017 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 4,54,631 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 43,271 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

च) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes): राज्य के 13 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पी0एन0बी0, ओ0बी0सी0, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है। ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने में यह संस्थागत व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत बी.पी.एल./ए.पी.एल. परिवारों और दीर्घ छोटे उद्यमियों के लिए विभिन्न सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रमो का आयोजन करते हैं। दिसम्बर, 2017 तक बैंकों द्वारा कुल 43,516 ग्रामीण युवाओं को ऋण संबधता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है। उक्त कार्यक्रमों में से चयनित कौशल विकास कार्यक्रमों को नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

3.17 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture & Rural Development)

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ऋण वितरण व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान, योजनाएं जैसे डेरी उद्यमिता विकास योजना, जैविक खेती, कृषि विपणन बुनियादी ढांचे (ए.एम.आई.), सौर योजनाएं, राष्ट्रीय परियोजना के अर्न्तगत् जैविक खेती के लिए आदानों पर अनुदान राष्ट्रीय पशुधन मिशन, वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश तथा एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

3.18 ग्रामीण अवस्थापना निधि (Rural Infrastructure Development Fund-RIDF)

भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था पर हो, को भी सम्मिलित किया गया है।

3.19 ग्रामीण आधार संरचना विकास (आर.आई. डी.एफ.) निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, 1995–96 में इसकी शुरुआत से ही, यह राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। इस हेतु केन्द्रीय बजट में वार्षिक आवंटन हर वर्ष जारी रखा गया है। प्रारम्भ में आर.आई.डी.एफ. निधि का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 36 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन क्षेत्र, सिचांई, सामाजिक क्षेत्र, पेयजल तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आर.आई.डी.एफ–I मे ₹2,000 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर.आई. डी.एफ–XXII में (वर्ष 2017–18) में ₹25,000 करोड़ हो गया है।

3.20 आर.आई.डी.एफ. निधि के अर्न्तगत राज्य को दिसम्बर, 2017 तक परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹7,578.61 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, पशु पालन आदि की परियोजनाएं शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2017 तक आर.आई.डी. एफ–XXII के अन्तर्गत कुल मिलाकर ₹5,702.93 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3.21 स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 11 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, 12,013 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 22,725 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 1,70,457 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

3.22 नाबार्ड की नई व्यावसायिक पहल

क) नाबार्ड अवस्थापना विकास सहायता (नीडा): वर्ष 2011–12 से नाबार्ड ने राज्य

एक अलग व्यवस्था की है यह व्यवस्था बजट के माध्यम से तथा इसके बिना भी हो सकती है। सुदृढ अर्थव्यवस्था हेतु इन संस्थाओं का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य है। ऋण की यह व्यवस्था आर.आई.डी.एफ. ऋण की व्यवस्था से बाहर है। इस निधि के आने से गैर परम्परागत क्षेत्रों में ग्रामीण अधोसंरचना तैयार करने हेतु संभावनाएं खुली हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के दायरे को बढ़ाने के लिए नीडा के तहत सार्वजनिक व निजी साझेदारी से भी वित्तपोषण किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जिनसे बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलता है और आर.आई.डी.एफ. के तहत भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गतिविधियां भी जनमत के सहयोग से पी.पी.पी. के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

ख) खाद्य प्रसंस्करण निधि (F.P.F.): नाबार्ड ने वर्ष 2014 में ₹2,000 करोड़ का खाद्य प्रसंस्करण निधि स्थापित किया है जिसके तहत क्लस्टर आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से नामित फूड पार्क की स्थापना और नामित फूड पार्कों में खाद्य/कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की बर्बादी को कम किया जा सके और रोजगार के अधिक अवसर सृजित किये जा सकें। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, पदार्थ, हरिद्वार में शहद एवं चवनप्राश की यूनिट स्थापित करने के लिए ₹36.80 करोड की वित्तीय सहायता इस कोष के अधीन दी गई है।

3.23 पुर्नवित्त सहायता (Re-Finance Support): ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण, एंव बागवानी, भेड़/बकरी/सुअर पालन, पैकिंग एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रेडिंग इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए पुर्नवित सहायता स्वरूप नाबार्ड द्वारा बैंकों को ₹248.12 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2017–18 के दौरान 31 दिसम्बर, 2017 तक दी गई। इस के अतिरिक्त नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए वर्ष 2015–16 में एक नया फंड "दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड" शुरु किया है इस योजना के अधीन वर्ष 2017–18 में 31 दिसम्बर, 2017 तक ₹129.18 करोड़ वितरित किए गए हैं। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹588.00 करोड़ की ऋण सीमा एस.टी. (एस.ए.ओ.) (Short Term (Seasional Agriculture Operation)) के अन्तर्गत स्वीकृत की थी तथा बैंकों द्वारा ₹273.97 करोड़ का पुर्नवित्त नाबार्ड से लिया गया है।

3.24 सूक्ष्म ऋण (Micro Finance):

स्वंय सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। उत्तराखण्ड में 31 दिसम्बर, 2017 तक 15,832 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक्ड किया गया है। जिसमें 2,886 महिला स्वंय सहायता समूहों को भी सम्मिलित किया गया है।

3.25 जलागम विकास निधिः

जलागम विकास निधि के अन्तंगत चल रही दस परियोजनाओं के लिए स्वीकृति की गई राशि ₹631.76 लाख में से ₹476.88 लाख वितरित किए गए हैं। सभी परियोजनाओं में लगभग 4,807 हैक्टेयर भूमि और 4,812 परिवारों को सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि इन से प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में

वृद्धि करने के साथ–साथ चरागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे राज्य में पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचेगा।

3.26 जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकासः

नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड ने जनजातीय विकास निधि के अर्न्तगत छः परियोजनाओं में कुल वित्तीय सहायता ₹1,193.69 लाख हैं, जिसमें 3,520 परिवारों को समाविष्ट किया गया है। वित्त वर्ष 2016–17 में जिला देहरादून में ₹283.18 लाख की अनुदान सहायता दी गई। इन गांवों में छोटे उद्यानों और डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है। इनके अर्न्तगत आम, नींबू, और नाशपाती के पौधे लगाए गए हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटे उद्यानों और डेयरी के माध्यम से जनजातीय को अपनी आय का स्तर बढ़ाने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

3.27 किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन (F.P.O.):

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में 2,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन के लिए ₹200 करोड़ का बजट आवंटित किया है। नाबार्ड ने उत्तराखण्ड के सभी 13 जिलों में 52 किसान उत्पाद संगठनों के गठन/प्रोत्साहन के लिए 35 गैर सरकारी संगठनों को ₹477.28 लाख का अनुदान मंजूर किया है। ये किसान उत्पाद संगठन सामूहिक आधार पर सब्जियों, फलों, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, मसाला उत्पादन, दाल उत्पादन और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगे। इस हेतु दिसम्बर, 2017 तक ₹ 169.04 लाख की राशि वितरित की गई है।

3.28 प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर अंब्रेला कार्यक्रम (Umbrella Programme for Natural Resource Management):

नाबार्ड के एफ.डब्ल्यू. और जी.टी.जैड. की सहायता से भारत–जर्मन सहयोग के अर्न्तगत पिछले 10 वर्षों से वाटरशैड और छोटे उद्यान परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का पुनर्गठन करने के लिए जर्मनी–भारत सरकार ने यू.पी.एन.आर.एम. शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक आजीविका सृजन, कृषि आय में वृद्धि, कृषि मूल्य श्रृंखला के सशक्तीकरण, संसाधनों के संरक्षण द्वारा गरीबी को कम करना है। यू.पी. एन.आर.एम. परियोजनाओं के अर्न्तगत नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। एक परियोजना देवभूमि नेचुरल प्रड्डुसर्स कम्पनी को शहद उत्पादन, प्रसस्करण एवं विपणन हेतु ₹ 103.18 लाख की है तथा दूसरी ऊन प्रसंस्करण पर भारतीय ग्रामोत्थान संस्था को ₹ 47.33 लाख की स्वीकृति की गई है। दोनों परियोजनाओं में 31.12.2017 तक ₹ 139.61 लाख की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

3.29 ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र (Rural Non-Agriculture Sector):

नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुर्नवित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी (Rural Development and Self Employment Training Institute) जैसी संस्थाएं ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती हैं ताकि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे आय–सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें। वर्ष 2017–18 में (31.12.2017 तक) चार आर.एस.ई.टी.आई.एस. उधमसिंह नगर, चम्पावत, हरिद्वार एवं नैनीताल जिलों में ₹15

लाख की प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता के विभिन्न विषयों के 68 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गई है, जिससे 200 लोग लाभान्वित होगें।

नाबार्ड की नई व्यावसायिक पहलें

3.30 उत्पादक संगठनों को विकास कोष:

उत्पादक संगठनों को सहयोग देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास कोष (पी. ओ.डी.एफ.) की स्थापना की है इस कोष की स्थापना का उद्देश्य उत्पादकों को समय पर ऋण (ऋण और सीमित अनुदान का मिश्रण) उपलब्ध करवाने, उत्पादकों का क्षमता निर्माण करने और उत्पादक संगठनों का सशक्तिकरण कर उत्पादकों (किसानों, कारीगरों, हथकरघा बुनकर आदि) की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा स्थापित पंजीकृत उत्पादक संगठनों अर्थात् उत्पादक कंपनी, उत्पादक सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत किसान महासंघों, परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों, अन्य पंजीकृत महासंघों पैक्स, आदि को सहयोग और सहायता देना है। उत्तराखण्ड में पी.ओ.डी. एफ. की सख्या पांच है तथा ₹103.77 लाख की राशि स्वीकृत की गई। जिसमें भेंड, बकरी पालन दुग्ध उत्पादन विपणन, बीज उत्पादन, बैग, स्वेटर, बड़ी एवं मसालों का उत्पादन है।

3.31 निवेश ऋण (Investment Loan):

क) 1 अप्रैल 2014 से कृषि विपणन बुनियादी ग्रेडिंग और मानकीकरण विकास / सशक्तीकरण योजना (AMIDS) और ग्रामीण भण्डारण योजना को सम्मिलित कर, कृषि विपणन बुनियादी योजना बनाई गई है जो "एकीकृत कृषि विपणन योजना" के तहत एक उप योजना है।

ख) बेहतर मवेशी और दूध प्रबन्धन द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण लोगों के लिए स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करने, उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और दूध उत्पादन में भी वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार की डी.ई.डी.एस. (Dairy Entrepreneurship Development Scheme) योजना को शुरू किया गया था। वर्ष 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक इसके अर्न्तगत 1,346 लाभार्थियों को ₹650.913 लाख का अनुदान जारी किया गया है।

ग) इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रायोजित चार अन्य योजनाएं अर्थात "एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार, केन्द्र योजना" राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत वाणिज्यिक जैविक आदान उत्पादन इकाइयों के लिए "राष्ट्रीय पशुधन मिशन" और सिंचाई हेतु सौर फोटोवोल्टिक (एस.पी.वी.) जल उठाने की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए योजना, राज्य में संचालित की जा रही है जिनके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

3.32 नैबकॉन्स (NABARD Consultancy Services – Nabcons)

नैबकॉन्स एजेंसी परामर्श नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। नाबार्ड जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वे हैं–व्यवहारता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त–पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना आदि।

नैबकॉन्स ने उत्तराखण्ड राज्य में उच्चतम गुणवत्ता एवं ग्राहक संतुष्टि के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूर्ण किये हैं:

1. उत्तराखण्ड वन विभाग के लिए ''ग्रीन इंडिया मिशन'' के अन्तर्गत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना।

2. किसान जैविक प्रसंस्करण एवं ट्रेडिंग यूनिट के लिए खाद्य प्रसंस्करण एव ट्रेडिंग प्रोजेक्ट का मूल्यांकन।

3. भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लिए गोदामों के प्रत्यापन का कार्य।

4. हिमालयन फूड पार्क परियोजना, काशीपूर का मूल्यांकन।

5. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं फील्ड मॉनटिरिंग।

6. पूर्वोतर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच. एम. एन. ई. एच) के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं फील्ड मॉनटिरिंग।

3.33 उत्तराखण्ड में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहलः

क) नाबार्ड को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत स्थापित 'अनुकूलन कोष (Adaptation Fund)' एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन फन्ड (National Adaptation Fund For Climate Change) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई तथा ग्रीन क्लाइमेंट फन्ड (GCF) के लिए डायरेक्ट एक्सेस इकाई (Direct Access Entity) नामित किया गया है।

ख) अनुकूलन निधि के तहत, उत्तराखण्ड में 0.97 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत वाली एक जलवायु परिवर्तन परियोजना चम्पावत जिले में एन0आई0ई0 (National Implementing Entity), नाबार्ड एवं कार्यकारी इकाई–बी.ए.आई. एफ द्वारा निष्पादित की जा रही है, जिससे लगभग 700 परिवार लाभान्वित होने सम्भावित है।

अध्याय–4

कराधान

Taxation

वाणिज्य कर (Commercial Tax)

4.1 वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। आयुक्त कर निम्न अधिनियम और सम्बन्धित नियमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है।

टैक्सेशन एक्ट

1– उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005

2– केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956

3– स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर उत्तराखण्ड टैक्स–2008

4– उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कराधान और भूमि राजस्व कानून अधिनियम–1975) दत्तक ग्रहण और संशोधन आदेश–2002

राज्य गठन के पश्चात् वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹ 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2016–17 तक 31 गुना बढ़कर ₹ 7143.42 करोड़ हो गया है, जो कि चार्ट –4.1 से स्पष्ट है।

चार्ट–4.1

(धनराशि करोड़ ₹ में)

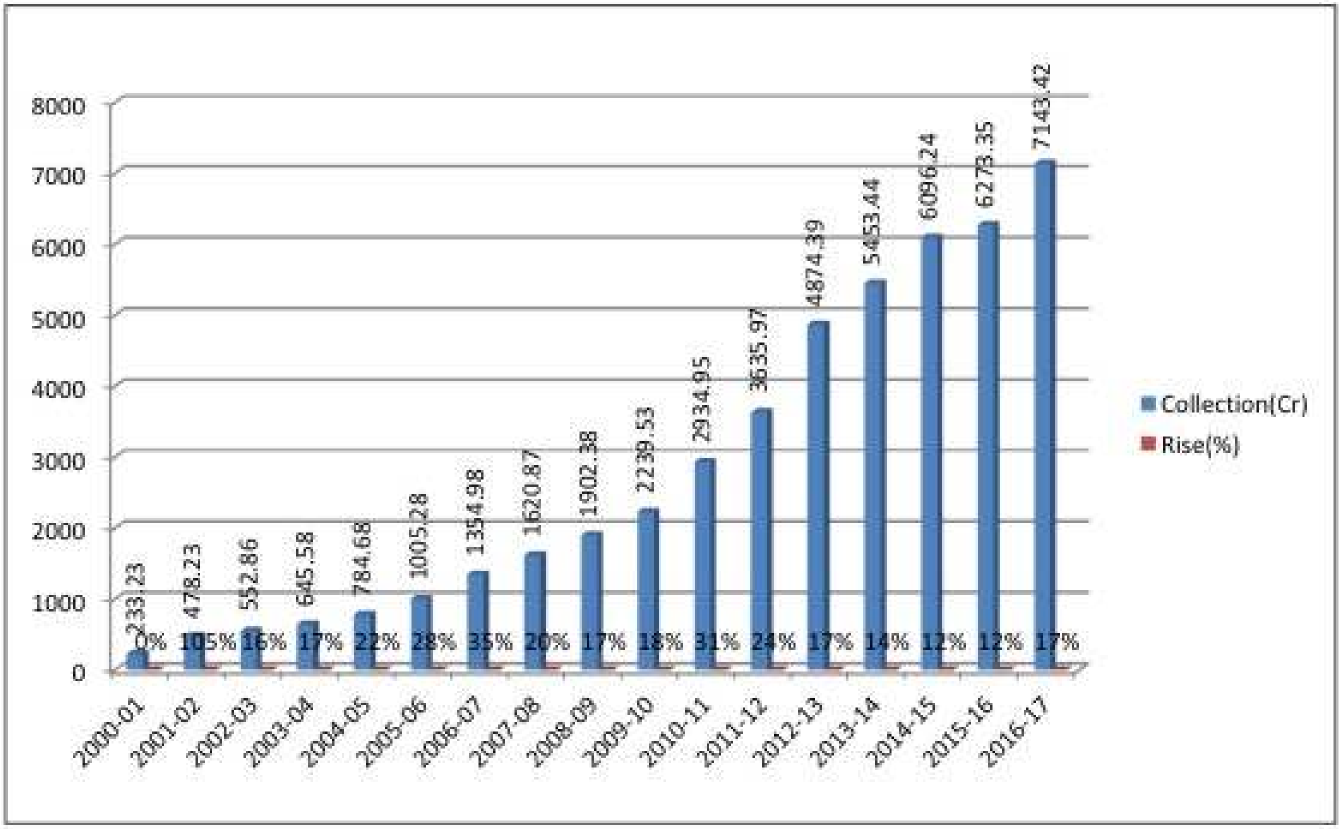

4.2 विभाग द्वारा विभिन्न करों में लक्ष्य एवं **प्राप्ति का ब्यौरा** निम्नलिखित है:–

1. विगत् वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य कर विभाग को कुल प्राप्त राजस्व ₹ 7,143.42 करोड़ रहा। आलोच्य वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर 2017 तक कुल प्राप्त राजस्व ₹ 5,351.04 करोड़ रहा।

2. मूल्य वर्धित कर माह जून 2017 तक वैट प्रणाली के अन्तर्गत ₹ 1,686.74 करोड़ तथा जी0एस0टी0 माह जुलाई 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 3,642.91 करोड़ रहा, जबकि वार्षिक लक्ष्य ₹ 8,200.00 करोड़ का रखा गया है।

3. मनोरंजन कर में माह जुलाई 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक वैट प्रणाली के अन्तर्गत ₹ 10.69 करोड़ रहा।

4. सुखसाधन कर में माह जुलाई 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक वैट प्रणाली के अन्तर्गत ₹ 10.69 करोड़ रहा।

4.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 से जिन–जिन वस्तुओं पर **वैट** कम या अधिक किया गया है, **से सम्बन्धित विवरण** निम्नवत है :–

1. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की किसी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर की दर 14.5 प्रतिशत की गई है।

2. विनिर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन परिभाषित है, पर कर की दर 17.48 प्रतिशत या ₹ 9.41 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है।

3. विनिर्माण इकाईयों हेतु विनिर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है, पर कर की दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

4. विनिर्माण इकाईयों हेतु विनिर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (C.N.G.) से भिन्न प्राकृतिक गैस पर कर की दर 5 प्रतिशत निर्धारित है।

4.4 वित्तीय वर्ष 2016–17 से विभिन्न **करों में छूट** प्राप्त वस्तुओं का विवरण निम्नवत है :–

1. बिना ब्रान्डेड हनी "Unbranded Honey" को करमुक्त किया गया है।

2. इमारती लकड़ी से विभिन्न उत्पादों के निर्माणोपरान्त प्राप्त अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य लकड़ी को करमुक्त किया गया है।

4.5 वाणिज्य कर विभाग एवं कराधान

1. ईट–भट्टा व्यवसायियों के लिये सीजन वर्ष 2016–17 के लिये ईट–भट्टा समाधान योजना लागू की गई।

2. व्यापारी बीमा योजना जनहित में शासन द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को

तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में रूपये पाँच लाख भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

3. व्यापारियों की सुविधा के लिये पुरानी बकाया समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में वन टाईम सैटलमेन्ट स्कीम 2016–17 लागू की गई है।

4.6 माल एवं सेवा कर (GST): दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के पश्चात् गत वर्ष के सापेक्ष संगत वर्ष में प्राप्त संग्रह की स्थिति निम्नवत हैः–

> **नोटः**– वैट अवधि से सम्बन्धित कर में जीएसटी के दायरे से बाहर 06 वस्तुओं (05 पैट्रोलियम प्रोडक्ट तथा मानव उपभोग की शराब) को छोडकर जीएसटी में समाहित सभी वस्तुओं, मनोरंजन कर, सुख–साधन कर, केन्द्रीय कर शामिल हैं।

तालिका 4.1

(धनराशि करोड़ ₹ में)

Months	Pre-GST (2016-17)		Post-GST (2017-18)			Decrease	Remark	50% IGST
	VAT	Total	SGST	IGST Settlement	SGST After Settlement			
Aug	406	406	285	-41	244	-40%	Due to exporting State, the actual SGST revenue is much less in comparison to VAT	621
Sept	414	414	308	-22	286	-31%		500
Oct	464	464	279	-10	269	-42%		620
Nov	495	495	307	28	335	-32%		381
Dec	430	430	264	38	302	-30%		389
Jan	492	492	269	80	349	-29%		412
Total	**2701**	**2701**	**1712**	**73**	**1785**	**-34%**	-	**2923**

उपरोक्त विवरण (सारणी–4.1) से स्पष्ट है कि GST अवधि में गत वर्ष के सापेक्ष भारी कमी आयी है। माह जनवरी, 2018 तक GST अवधि में कुल ₹ 1,785 करोड़ कर प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष प्राप्त कर ₹ 2,701 करोड़ से 34 प्रतिशत कम है। इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं–

1. वैट कर प्रणाली में वस्तुओं पर कर की दर मुख्यतः 5 प्रतिशत एवं 14.5 प्रतिशत थी, जबकि GST के अन्तर्गत वस्तुओं पर एसजीएसटी की दर 2.5, 6, 9, एवं 14 प्रतिशत है। 14 प्रतिशत सीमित लग्जरी तथा सिन गुड्स तक सीमित है। इस प्रकार कर संग्रह में कमी का मुख्य कारण कर की दरों में भारी कमी होना है।

2. सेवा क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखण्ड ऐसा उपभोक्ता राज्य नहीं है, जिससे वस्तुओं पर कम प्राप्त हो रहे कर की भरपाई सेवा क्षेत्र से हो सके।

3. GST के अन्तर्गत वस्तुओं पर Cascading effect समाप्त होने से भी वस्तुओं के मूल्य में

कमी आयी है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के बेसिक प्राइस में कमी आने के कारण उक्त पर उद्ग्रहित होने वाला कर भी कम हुआ है।

तालिका– 4.2

(धनराशि करोड़ ₹ में)

Months	Pre-GST Revenue (2016-17)				Post GST Revenue (2017-18)					Increase/ Decrease	% +/-
	C.Excise	S.Tax	VAT	Total	CGST	SGST	IGST	CESS	Total		
Aug	116	81	406	603	150	285	1242	15	1692	1089	181%
Sept	142	69	414	625	150	308	999	15	1472	847	136%
Oct	170	101	464	735	143	279	1241	23	1686	951	129%
Nov	147	88	495	730	144	307	763	24	1238	508	70%
Dec	127	99	430	656	132	264	778	12	1186	530	81%
Jan	141	64	492	697	154	269	825	14	1262	565	81%
Total	**843**	**502**	**2701**	**4046**	**873**	**1712**	**5848**	**103**	**8536**	**4490**	**111%**

4. वैट प्रणाली के अन्तर्गत किसी भी अन्तर्राज्यीय संव्यवहार पर कर Originating State को प्राप्त होता था, जबकि जीएसटी के अन्तर्गत यह कर उपभोक्ता राज्य अर्थात् Destination State को प्राप्त होता है।

जीएसटी के अन्तर्गत जीएसटी लागू होने के पश्चात् यद्यपि राज्य का कर संग्रह गत वर्ष के सापेक्ष प्रगतिशील नहीं रहा है, परन्तु यदि गत वर्ष राज्य से संग्रहित वैट, एक्साइज ड्यूटी तथा सर्विस टैक्स के सापेक्ष संगत वर्ष मे प्राप्त एसजीएसटी, सीजीएसटी तथा आईजीएसटी का आंकलन करें तो यह गत वर्ष के सापेक्ष काफी प्रगतिशील है, जो कि सारणी–4.2 से स्पष्ट है।

इस प्रकार जीएसटी कर प्रणाली Destination Based होने के कारण आईजीएसटी के माध्यम से राज्य का एसजीएसटी भी सम्बन्धित गन्तव्य राज्य को स्थानान्तरित हो जाता है। वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड से कुल केन्द्रीय बिक्री/प्रेषण ₹ 2,00,760 करोड के हुए थे जबकि कुल अन्तर्राज्यीय खरीद ₹ 1,48,341 करोड की थी। अतः कुल अन्तर्राज्यीय खरीद के सापेक्ष कुल ₹ 52,419 का अन्तर्राज्यीय बिक्री/प्रेषण अधिक रहा है जो राज्य के Exporting state होने के तथ्य की पुष्टि करता है।

इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में भारी मात्रा में उद्योगों के कार्यरत होने एवं उद्योगों द्वारा यहां उत्पादित माल के अन्तर्राज्यीय संव्यवहार किये जाने के कारण प्रारम्भ में आईजीएसटी सेटलमेन्ट में एसजीएसटी नकारात्मक रहा है।

उल्लेखनीय है कि Compensation to States Act, 2017 से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वर्ष 2015–16 के आधार वर्ष पर 05 वर्ष हेतु संग्रह पर 14 प्रतिशत वृद्धि दर से संवैधानिक सुरक्षा दी गयी है। उत्तराखण्ड राज्य हेतु वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित राशि ₹ 4,961 करोड़ है, जिस पर 14 प्रतिशत की वृद्धि दर से वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 हेतु संरक्षित कर राशि आंगणित करने पर वर्ष 2017–18 हेतु यह राशि ₹ 6,447 करोड़ आंगणित होती है।

इस प्रकार वर्ष 2017–18 में प्रतिमाह संरक्षित कर ₹ 537.30 करोड़ से कम प्राप्त होने

पर अवशेष राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दी जायेगी। उक्त संरक्षित कर का आवंटन राज्य को अधिनियम के अनुसार By monthly ₹ 1,074.60 करोड़ के आधार पर दिया जाना है। संगत वर्ष में अब तक राज्य को ₹ 866 करोड़ प्रतिकर के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में माह जुलाई से माह जनवरी तक प्राप्त कर संग्रह की स्थिति सारणी–4.3 में दर्शायी गयी है।

सारणी 4.3 से स्पष्ट है कि जी0एस0टी0 अवधि में कुल ₹ 4,324.73 करोड (जिसमें संरक्षित प्रतिकर ₹ 866 करोड भी सम्मिलित है) राजस्व प्राप्त हुआ है। जो गत वर्ष में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व ₹ 4,090 से 06 प्रतिशत अधिक है।

4.7 01 जुलाई, 2017 से देश में जी0एस0टी0 नवीन कर प्रणाली लागू होने के उपरान्त राज्य कर विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यः–

तालिका–4.3

(धनराशि करोड़ ₹ में)

	वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18				
माह का नाम	पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं शराब पर प्राप्त वैट के अतिरिक्त प्राप्त वैट एवं सुख साधन कर /मनोरंजन कर /शुगर केन खरीद पर प्राप्त कर	पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नेचुरल गैस तथ शराब पर प्रात कर	कुल कर	पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं शराब पर प्राप्त वैट के अतिरिक्त प्राप्त वैट एवं सुख साधन कर /मनोरंजन कर /शुगरकेन खरीद पर प्राप्त कर तथा माह जुलाई से एस०जी०एस०टी० एवं आई०जी०एस०टी० सैटलमैन्ट से प्राप्त कर/ऋणात्मक कर	पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नेचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त वैट	कुल कर	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर	कुल प्राप्त राजस्व
	1	**2**	**3(1+2)**	**4**	**5**	**6(4+5)**	**7**	**8(6+7)**
जुलाई	505.32	136.68	642.00	500.69	141.60	642.29	0.00	642.29
अगस्त	405.47	114.53	520.00	350.86	131.44	482.30	0.00	482.30
सितम्बर	413.97	122.03	536.00	313.00	126.72	439.72	223.00	662.72
अक्टूबर	464.01	112.99	577.00	302.00	124.35	426.35	0.00	426.35
नवम्बर	495.02	136.98	632.00	353.85	143.46	497.31	460.00	957.31
दिसम्बर	430.00	134.00	564.00	320.12	151.82	471.94	0.00	471.94
जनवरी	492.03	126.97	619.00	352.82	146.00	498.82	183.00	681.82
Total	**3205.82**	**884.18**	**4090.00**	**2493.34**	**965.39**	**3458.73**	**866.00**	**4324.73**

1. सम्पूर्ण देश में जी.एस.टी. के लागू होने के क्रम में उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–212/XXXVI(3)/2017/32(1)/2017 देहरादून, दिनांक 26 मई, 2017 के द्वारा "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" को प्रकाशित किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह अप्रैल, 2017 से माह दिसम्बर, 2017 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल ₹ 5,353.49 करोड का राजस्व प्राप्त किया गया है।

3. माह दिसम्बर, 2017 तक राज्य में कुल 48,219 नये पंजीयन जी०एस०टी प्रणाली में जारी किये जा चुके हैं तथा 83,273 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी०एस०टी० में प्रवर्जित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,31,492 हो चुकी है।

4. व्यापारियों की सुविधा के लिए वैट के गत तीन वर्षों के वादों के स्वतः निस्तारण हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–282/XXXVI(3)/2017/41(1)/2017 देहरादून, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा Deemed Scheme प्रख्यापित की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के 8859, 2014–15 के 30307 एवं 2015–16 के 28786 वाद (कुल 67,952 वाद) स्वतः निस्तारित किये जा चुके हैं।

5. ब्लॉक स्तर पर Common Service Centres को GST सेवा केन्द्रों के रूप में सक्षम बनाकर तैयार किया गया है एवं राज्य भर से लगभग 1189 GST मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है। GST मित्र व्यापारियों को पंजीयन लेने, रिटर्न फाईलिंग, भुगतान एवं रिफण्ड सम्बन्धी ऑनलाईन सुविधाओं हेतु सहायता करेंगे एवं GST अधिनियम में प्रावधानित Tax Practitioners के रूप में कार्य करेंगे। इस पहल से न केवल युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त होगा वरन् दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापारियों को सुविधा प्राप्त होगी।

6. "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" के तद्धीन उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम प्रख्यापित किये गये है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न नियमावलियां अधिसूचित की गई है।

7. जी.एस.टी. के सन्दर्भ में सभी आवश्यक नोटिफिकेशन्स जैसे माल एवं सेवाओं के कर की दर, पंजीयन सम्बन्धी इत्यादि समय रहते जारी कर दिये गये हैं, विभाग के क्षेत्र के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि प्रारंभिक अवधि में व्यापारियों के मार्गदर्शन का हर सम्भव प्रयास करेंगे।

8. GST सम्बन्धित तात्कालिक महत्व वाली सभी जानकारियाँ लगातार प्रिन्ट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापारियों को दी गई हैं तथा वर्तमान में भी दी जा रही हैं।

9. समस्त स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण लगभग आठ माह पूर्व से ही युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर दिया गया था, जिस हेतु राज्य के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में 500 से भी अधिक कार्यशालाएं आयोजित की गई है ताकि व्यापारी जागरूक रहे एवं उन्हें GST के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके अन्तर्गत 27,031 हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सतत रूप से विज्ञापनों के माध्यम से व्यापारियों, जनसामान्य व अन्य भागीदारों को जागरूक बनाया जाता रहा है।

तालिका– 4.4

राज्य गठन के पश्चात वाणिज्य कर विभाग के विगत वर्षों में प्राप्त संग्रह

(आंकडे करोड ₹ में)

क्रमांक	वर्ष	वार्षिक लक्ष्य/ बजट ऐस्टीमेट	प्रान्तीय कर	केन्द्रीय कर	कुल संग्रह	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2000-2001	195.00	181.18	52.05	**233.23**	119.61%
2	2001-2002	470.00	435.69	42.54	**478.23**	101.75%
3	2002-2003	560.00	501.58	51.28	**552.86**	98.73%
4	2003-2004	621.00	579.77	65.81	**645.58**	103.96%

5	2004-2005	718.00	712.90	71.78	**784.68**	109.29%
6	2005-2006	890.00	960.36	44.92	**1005.28**	112.95%
7	2006-2007	1159.00	1212.61	142.37	**1354.98**	116.91%
8	2007-2008	1520.00	1488.24	132.63	**1620.87**	106.64%
9	2008-2009	1842.00	1734.14	168.24	**1902.38**	103.28%
10	2009-2010	2211.00	1977.02	262.51	**2239.53**	101.29%
11	2010-2011	2575.00	2618.32	316.63	**2934.95**	113.98%
12	2011-2012	3180.00	3230.97	405.00	**3635.97**	114.34%
13	2012-2013	4080.00	3626.65	644.07	**4270.72**	104.67%
14	2013-2014	4839.81	4260.37	614.02	**4874.39**	100.71%
15	2014-2015	5452.00	4806.10	647.34	**5453.44**	100.03%
16	**2015-2016**	**6203.00**	5330.08	766.16	**6096.24**	98.28%
17	**2016-2017**	**7303.00**	6475.28	668.14	**7143.42**	97.81%

आबकारी (Excise)

4.8 आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नीयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग ये सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये।

चार्ट–4.2

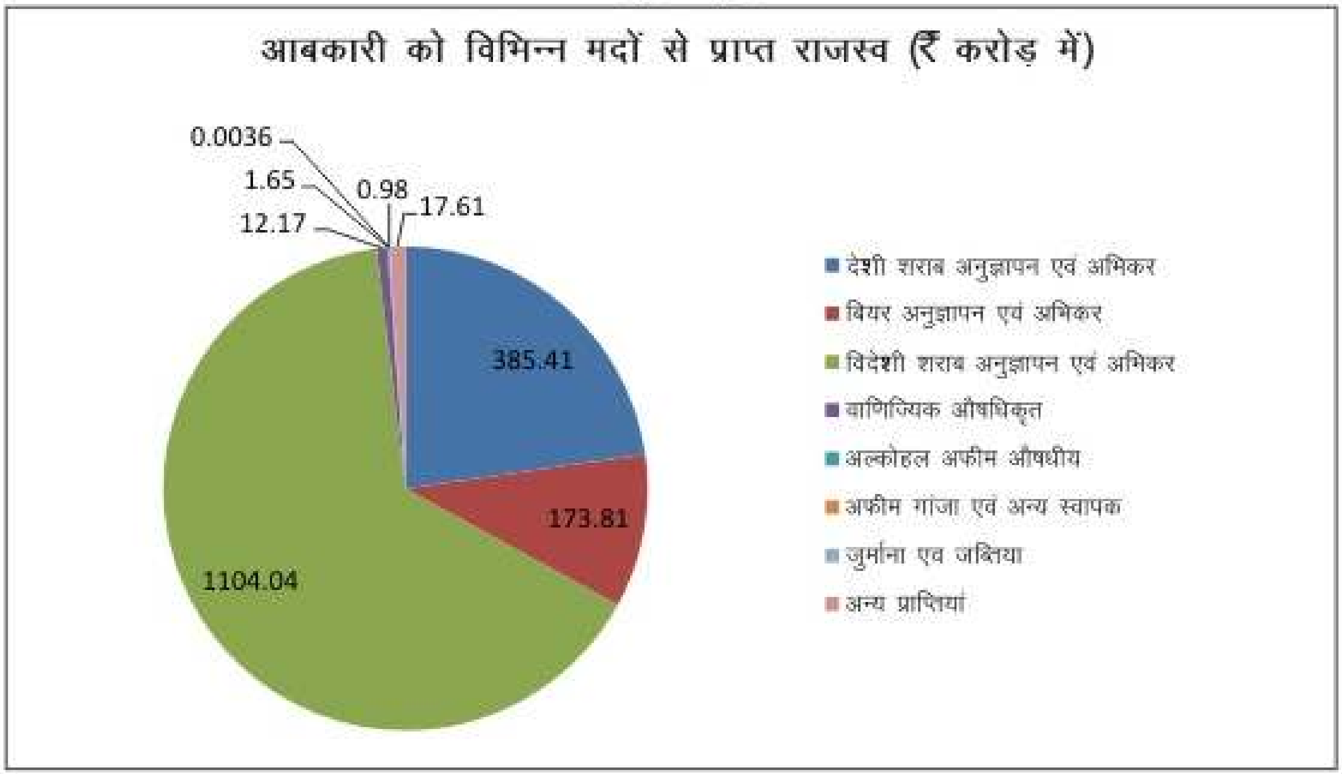

4.9 आबकारी नीति में गुणात्मक सुधार करने के लिए वर्ष 2017–18 के लिए आबकारी नीति दिनांक 19.05.2017 को जारी की गयी।

4.10 वर्ष 2016–17 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ₹ 1,905.72 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया, 31 दिसम्बर 2017 तक निर्धारित वार्षिक

लक्ष्य ₹ 2,310.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,743.56 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

1. आबकारी विभाग को देशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 385.41 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

2. बियर अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर, 2017 तक ₹ 173.81 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3. विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर, 2017 तक ₹ 1,104.04 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

4. वाणिज्यिक औषधिक से प्राप्त राजस्व दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 12.17 करोड़ से अधिक हुआ है।

5. अल्कोहल अफीम औषधीय से प्राप्त राजस्व दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 1.65 करोड़ से अधिक हुआ है।

6. अफीम गांजा एवं अन्य स्वापक से प्राप्त राजस्व दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 36,400 हुआ है।

7. जुर्माना एव जब्तियां से प्राप्त राजस्व दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 98.20 लाख से अधिक हुआ है।

8. अन्य प्राप्तियां से प्राप्त राजस्व दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 17.61 करोड़ से अधिक हुआ है।

तालिका – 4.5

राजस्व बढोतरी आबकारी विभाग (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त राजस्व
2000–01	222.38	231.69
2001–02	255.36	246.46
2002–03	286.05	243.69
2003–04	292.76	292.09
2004–05	357.96	292.81
2005–06	360.00	372.84
2006–07	417.00	441.71
2007–08	501.00	528.32
2008–09	598.21	703.71
2009–10	686.93	755.98
2010–11	727.67	843.57
2011–12	942.00	1,117.80
2012–13	1,150.00	1,268.95
2014–15	1,500.00	1,486.77
2015–16	1,800.00	1,736.60
2016–17	2,100.00	1,905.72
2017–18	2,310.00	1,743.56 (दिसम्बर 2017 तक)

चार्ट–4.3 आबकारी से प्राप्त राजस्व

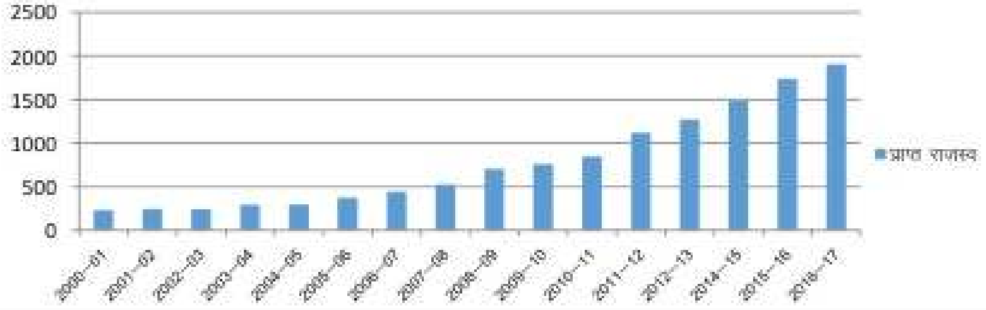

अध्याय–5

विषमताएं और विशेषताएं
Disparities and Attributes

5.1 सामान्य विवरणः

राज्य गठन से लेकर अब तक राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate) 14.5% रही है। गत् 15 वर्षों में राज्य की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से उच्च रही है जबकि विगत् 3 वर्षों में राज्य की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कम आंकी गयी है। गत 17 वर्षों में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 12 हजार करोड़ से वर्ष 2017–18 में 217 हजार करोड़ हो चुका है तथा वर्ष 2017–18 के राज्य आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय (₹1,77,356) राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय (₹1,11,782) से डेढ़ गुना अधिक आंकलित हुई है। इसी क्रम में वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2011–12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या भी क्रमशः 32.7 प्रतिशत से घटकर 16.88 प्रतिशत (जनपदवार भाव समायोजन के आधार पर) हो गयी है। गत 17 वर्षों में राज्य का आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ है, परन्तु विकास का संकेन्द्रण मैदानी क्षेत्रों में होने के कारण पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में अत्यधिक अन्तर्जनपदीय विषमतायें विद्यमान हैं, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में व्यापक रूप से पलायन भी हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु मुख्य रूप से 04 ग्रोथ ड्राइवर (1) पर्यटन (ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ईको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन तथा सुख–सुविधामय/Leisure पर्यटन), (2) पर्वतीय जैविक कृषि एवं औद्यानिकी (Hill Organic Agriculture/ Horticulture), (3) आयुष तथा (4) सूक्ष्म जल विद्युत परियाजनायें (Micro Hydel Project) चिन्हित कर जहाँ एक ओर विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों को चरणवार प्राप्त करने हेतु रणनीतिक कार्य योजनायें तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य में उपजी अन्तर्जनपदीय/अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं के गैप को कम करने हेतु भी प्रयासरत् है।

5.2 **विषमताएं**: अन्तर्जनपदीय विषमताओं की स्थिति का आंकलन विभिन्न संकेतांकों के आधार पर किया गया है।

तालिका–5.1 (2011–12) में राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा के स्तर को दर्शाया गया है, वहीं तालिका–5.2 में जनपदवार गरीबी स्तर (2011–12) एवं प्रति व्यक्ति आय (2016–17) की स्थिति आंकलित की गयी है–

तालिका–5.1
पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की गरीबी रेखा का विवरण (2011–12)

जनपद क्षेत्र	ग्रामीण	नगरीय	कुल
पर्वतीय क्षेत्र	19.59	14.91	**19.12**
मैदानी क्षेत्र	17.70	10.67	**15.15**
कुल	**18.68**	**11.41**	**16.88**

Source: Estimation of District Level Poverty in Uttarakhand , GIDS, Lucknow, November 2017

तालिका–5.2
जनपदवार 2011–12 में गरीबी प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय का विवरण

जनपद	गरीबी प्रतिशत (Poverty Ratio)	प्रति व्यक्ति आय (2016–17)
उत्तरकाशी	20.44	89,190
चमोली	20.37	1,18,448
रूद्रप्रयाग	20.71	83,521
टिहरी	10.15	83,662
देहरादून	10.62	1,95,925
पौड़ी गढ़वाल	29.36	1,09,973
पिथौरागढ़	15.85	1,01,734
बागेश्वर	24.01	1,00,117
अल्मोड़ा	13.62	96,786
चम्पावत	26.55	90,596
उधमसिंह नगर	12.60	1,87,313
हरिद्वार	22.63	2,54,050
नैनीताल	11.27	1,15,117
उत्तराखण्ड	**16.88**	**1,61,102**

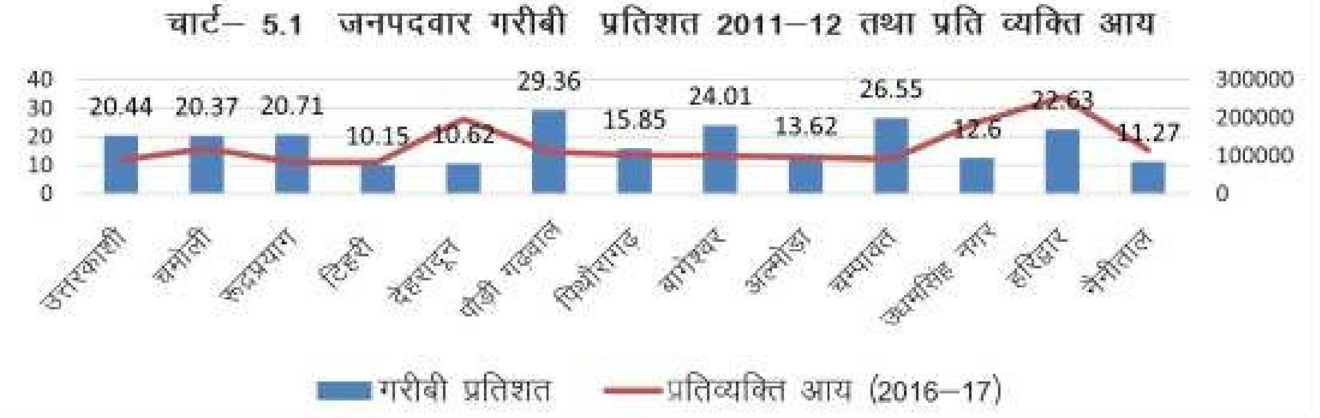

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

तालिका–5.1 से स्पष्ट है कि सन्दर्भित वर्ष 2011–12 में जनपद पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक गरीबी (29.36%) तथा जनपद टिहरी में सबसे कम गरीबी (10.15%) दृष्टिगत हुयी है जबकि प्रतिव्यक्ति आय में जनपद हरिद्वार (₹ 2,54,050) में सबसे अधिक तथा जनपद रूद्रप्रयाग (₹ 83,521) में सबसे कम आंकलित की गयी है। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति आय के रूप में सबसे कम तथा सबसे अधिक आय वाले जनपदों में तीन गुने से भी अधिक का अन्तर है तथा राज्य के दस पर्वतीय जनपदों की प्रतिव्यक्ति आय राज्य की औसत प्रतिव्यक्ति आय (₹ 1,61,102) से कम आंकी गयी है, जो निश्चित रूप से व्यापक अन्तर्क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दर्शाता है।

इसी क्रम में सामाजार्थिक विकास के पांच प्रमुख घटक मूल–भूत सुविधायें (Basic Amenity), जनसांख्यिकी (Demography), शिक्षा (Education), चिकित्सा एवं पुष्टाहार (Health and Nutrition) तथा आर्थिक स्तर (Economic level) के क्रमशः 05, 04, 06, 11, एवं 10 उपघटकों

(Sub Component) को लेकर जनपदवार समग्र सूचकांक (Composite Index) तैयार किया गया है, जिसे चार्ट–5.2 में दर्शाया गया है–

चार्ट– 5.2 समग्र सूचकांक (Composite Index) के अनुसार जनपदवार स्थिति

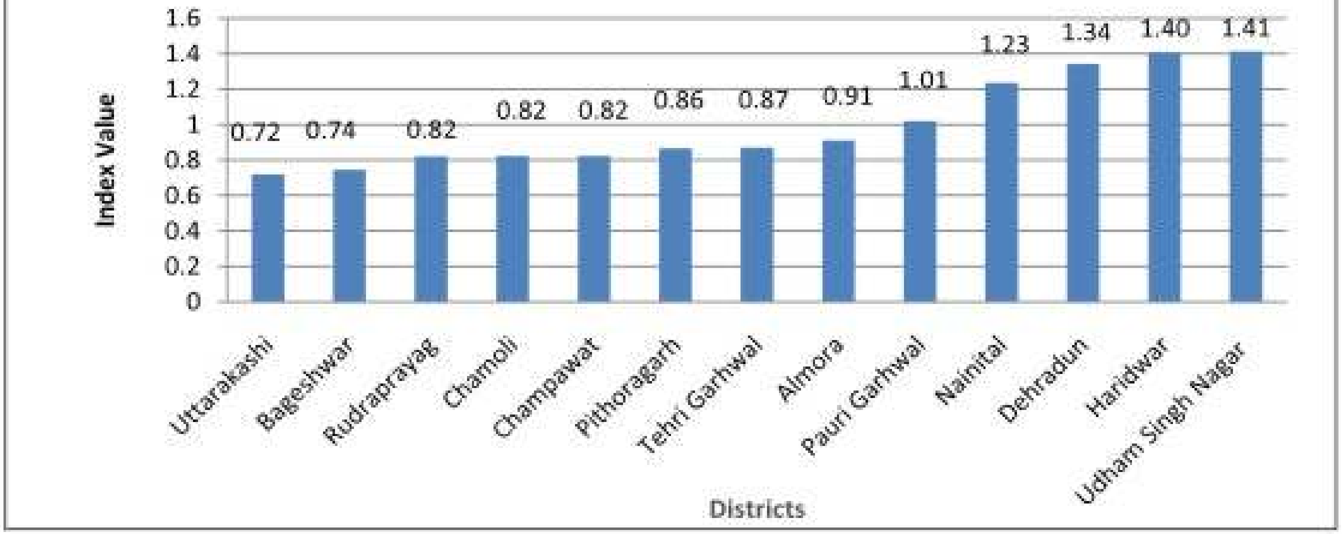

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

उक्त चार्ट–5.2 के अनुसार उधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून क्रमशः 1.41, 1.40 तथा 1.34 सूचकांक मान के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है, जबकि उत्तरकाशी, बागेश्वर तथा रूद्रप्रयाग क्रमशः 0.72, 0.74 तथा 0.82 सूचकांक मान के साथ तेरहवें, बारहवें तथा ग्यारहवें स्थान पर है। यदि विभिन्न उप घटकों के अनुसार समग्र सूचकांक का विश्लेषण किया जाय तो स्थिति चार्ट–5.3 के अनुसार परिलक्षित होगी।

चार्ट– 5.3 Decomposition of Composite Index Value

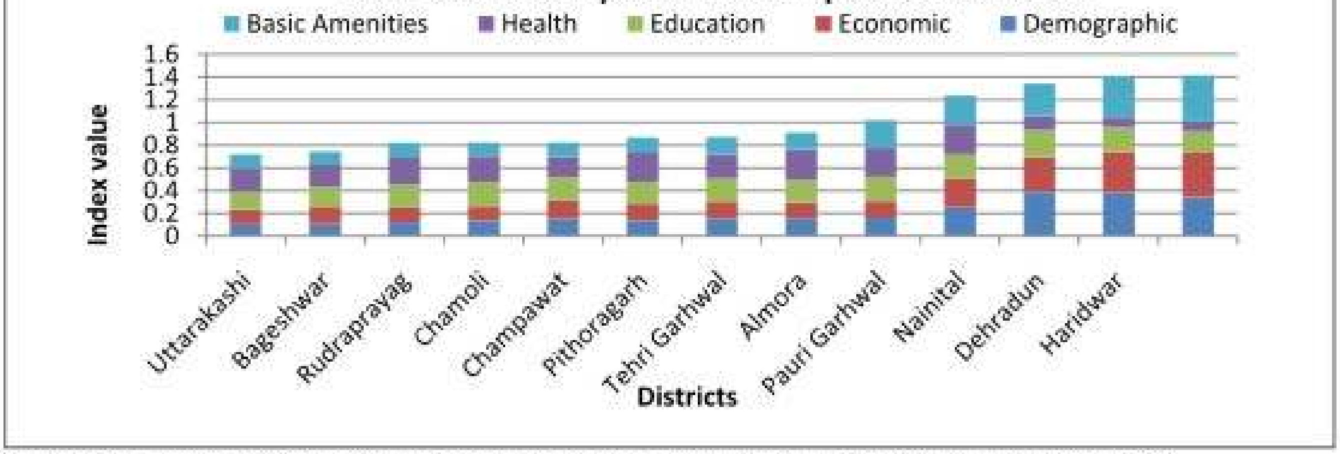

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow November 2017

उपरोक्त चार्ट–5.3 से स्पष्ट है कि जनसंख्या, आर्थिक स्तर तथा मूलभूत सुविधाओं सम्बंधी सूचकांकों में व्याप्त विषमताओं के कारण समग्र सूचकांक में स्पष्ट अन्तर परिलक्षित हो रहा है। साथ ही सर्वाधिक सूचकांक मान वाले जनपदों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं सम्बंधी सूचकांक की स्थिति अन्य जनपदों के सापेक्ष खराब है। इसका

कारण पलायन के फलस्वरूप इन जनपदों में उत्पन्न जनसंख्या दबाव हो सकता है। हालांकि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को सूचकांक में सम्मिलित करने पर बेहतर स्थिति प्रदर्शित हो सकती है।

निम्न चार्ट–5.4 से परिलक्षित हो रहा है कि जनसंख्या सम्बंधी सूचकांक में जनघनत्व तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में असमानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में हो रहे पलायन को सीमित कर तथा रिवर्स माइग्रेशन के द्वारा इस अन्तर को कम किया जा सकता है।

चार्ट– 5.4 Decomposition of Demographic Index Value

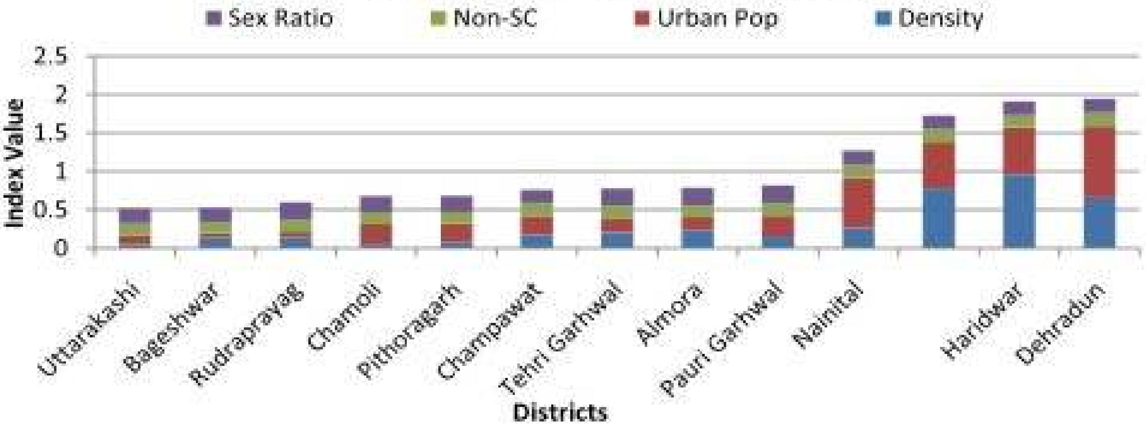

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

चार्ट– 5.5 आर्थिक सूचकांक मूल्य के आधार पर जिलेवार रैंकिंग

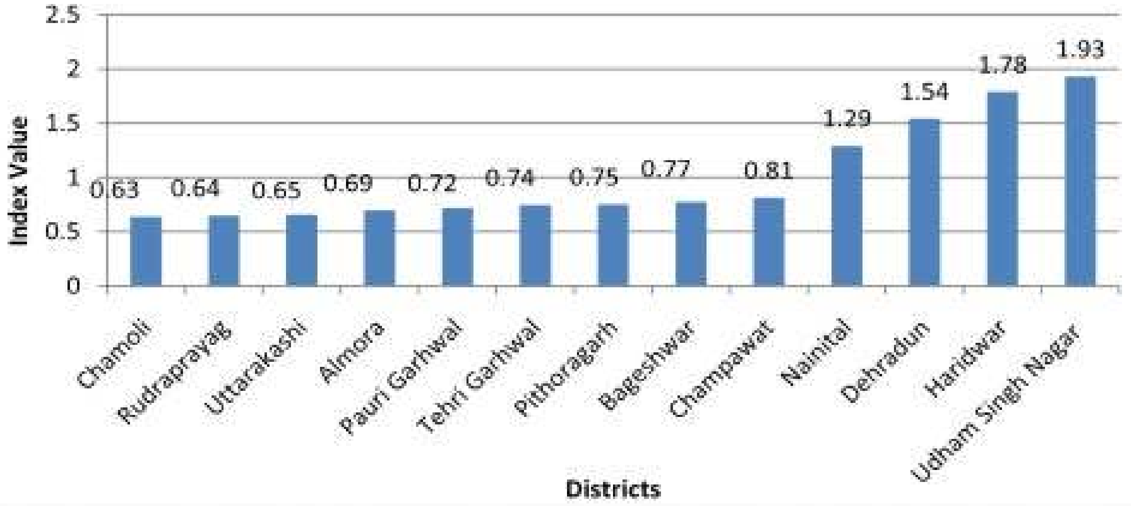

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

आर्थिक सूचकांक सम्बंधी चार्ट–5.5 तथा 5.6 के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि सिंचित क्षेत्रफल तथा प्रति 100 वर्ग मी0 बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति आय मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में असमानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस सम्बन्ध में पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई व बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाकर तथा ग्रामीणों की आजीविका विकास सुनिश्चित कर इन विषमताओं को कम किया जा सकता है।

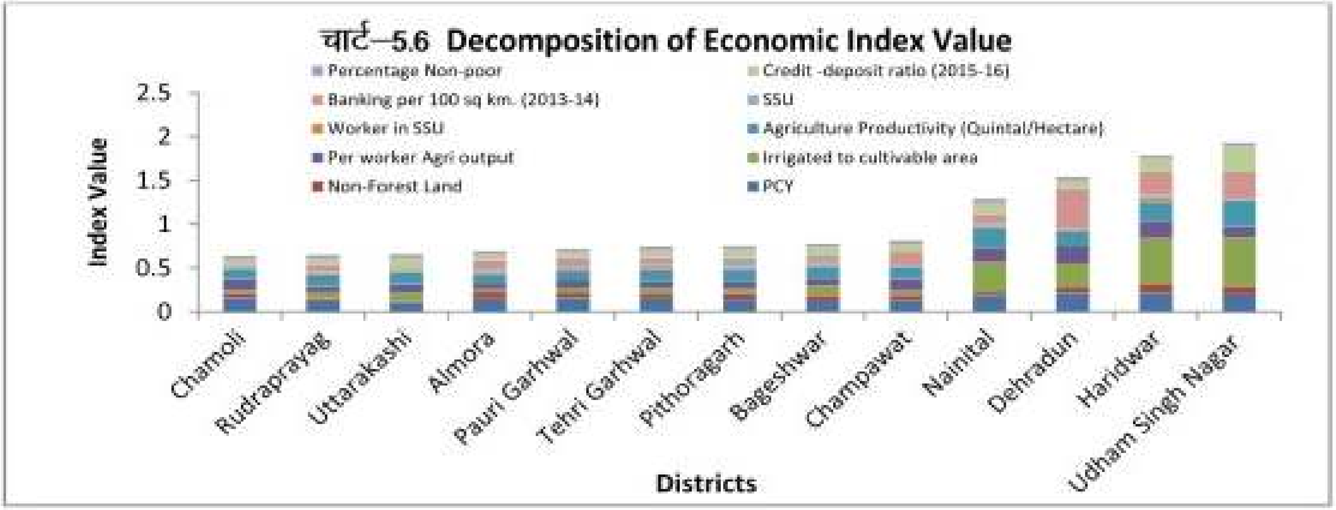

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

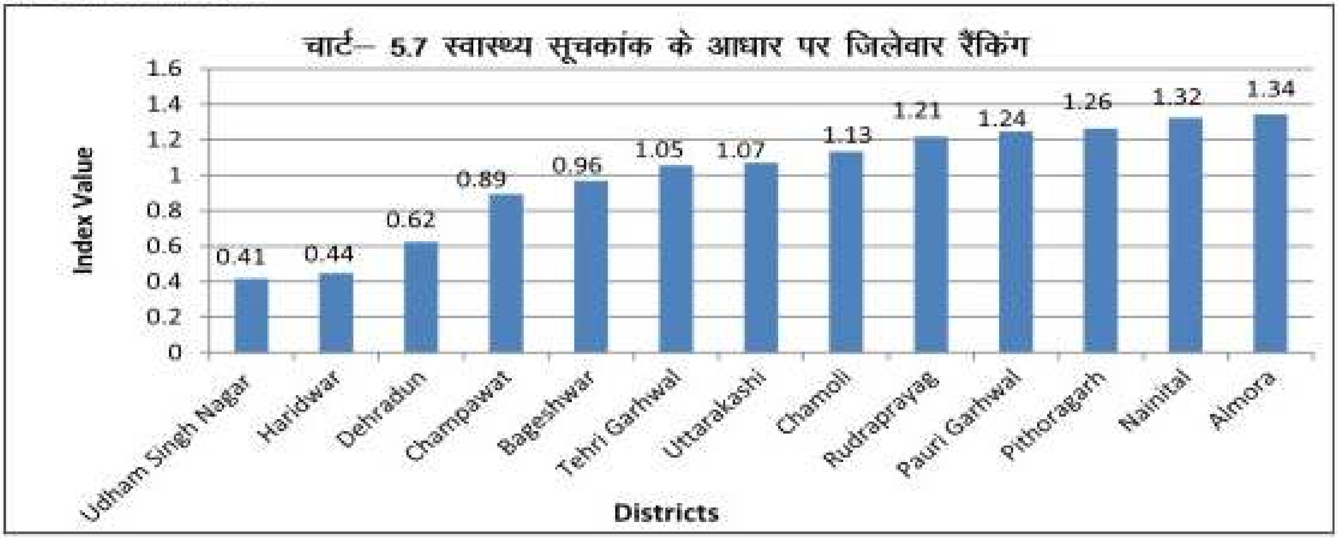

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

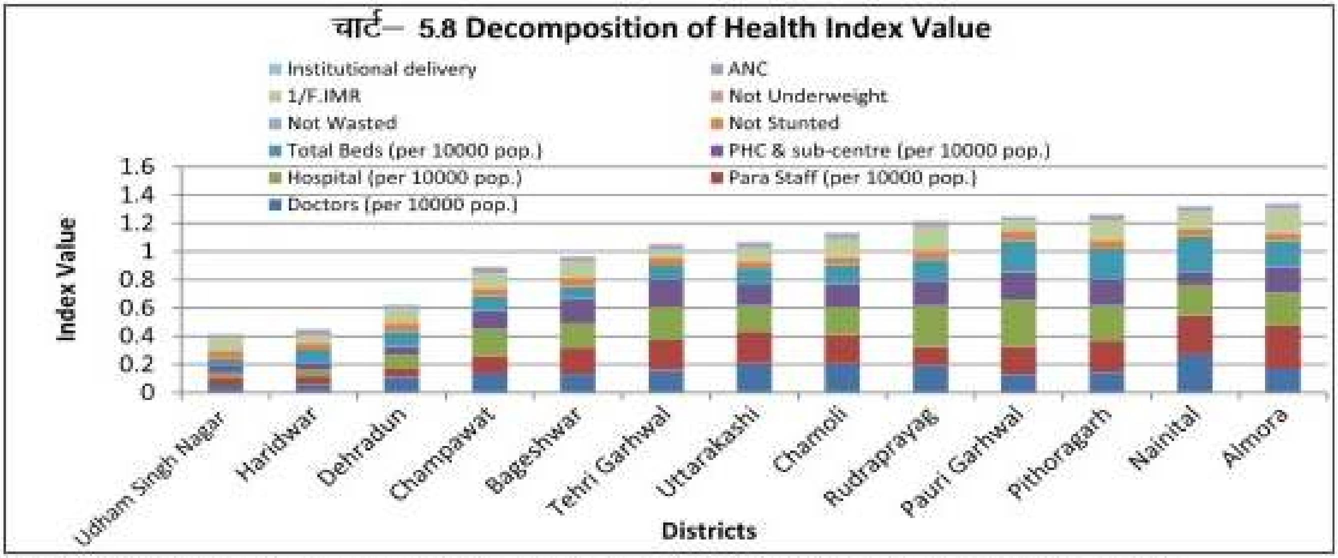

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

चार्ट–5.7 तथा 5.8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसंख्या, आर्थिक स्तर तथा मूलभूत सुविधाओं सम्बंधी सूचकांकों में उच्च सूचकांक मान वाले जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून की स्थिति स्वास्थ्य सूचकांक के सम्बन्ध निचले स्तर पर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं सम्बन्धी सभी उप सूचकांकों यथा– संस्थागत प्रसव, ए0एन0सी0, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, प्रति 10,000 जनसंख्या पर चिकित्सालयों, पी0एच0सी0 / सब सेन्टर एवं उनमें उपलब्ध शैय्याओं की संख्या तथा पैरा स्टॉफ की संख्या आदि के मामलों में उच्च सूचकांक वाले जनपदों की स्थिति बेहतर नहीं है। अतः इन बिन्दुओं का निराकरण कर स्वास्थ्य सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाया जा सकता है। शैक्षिक सुविधाओं सम्बंधी सूचकांक का मान सभी जनपदों में लगभग समान आंकलित हुआ है।

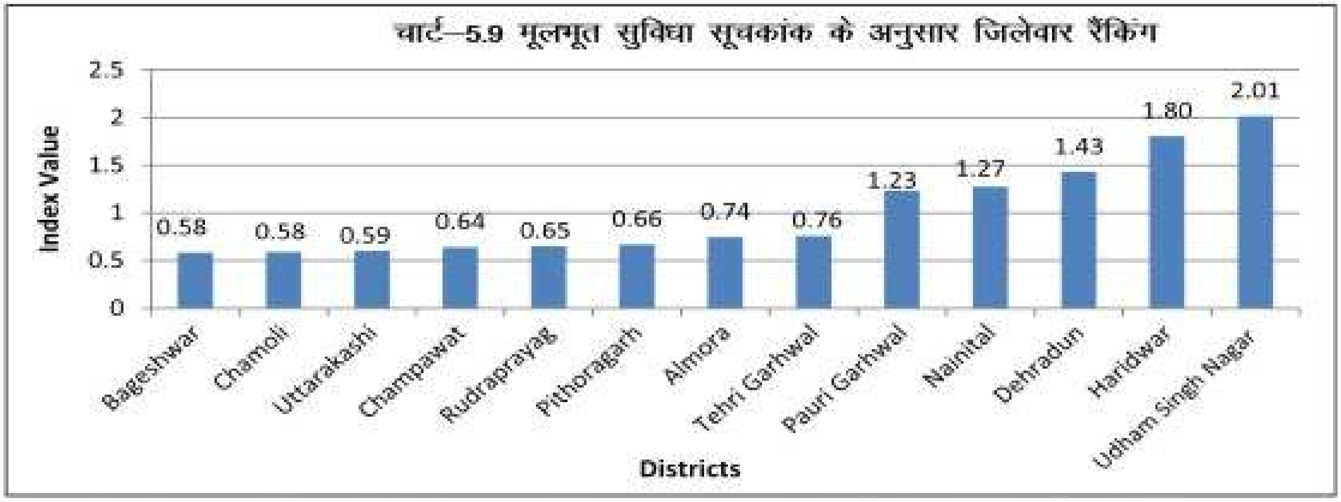

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

मूलभूत सुविधाओं सम्बंधी सूचकांक के चार्ट–5.9 तथा 5.10 के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, प्रति 10,000 जनसंख्या पर सड़क सुविधाओं की उपलब्धता तथा आवास परिसर के भीतर पेयजल की उपलब्धता मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में असमानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतः इन सुविधाओं की पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित कर इस अन्तर को कम किया जा सकता है।

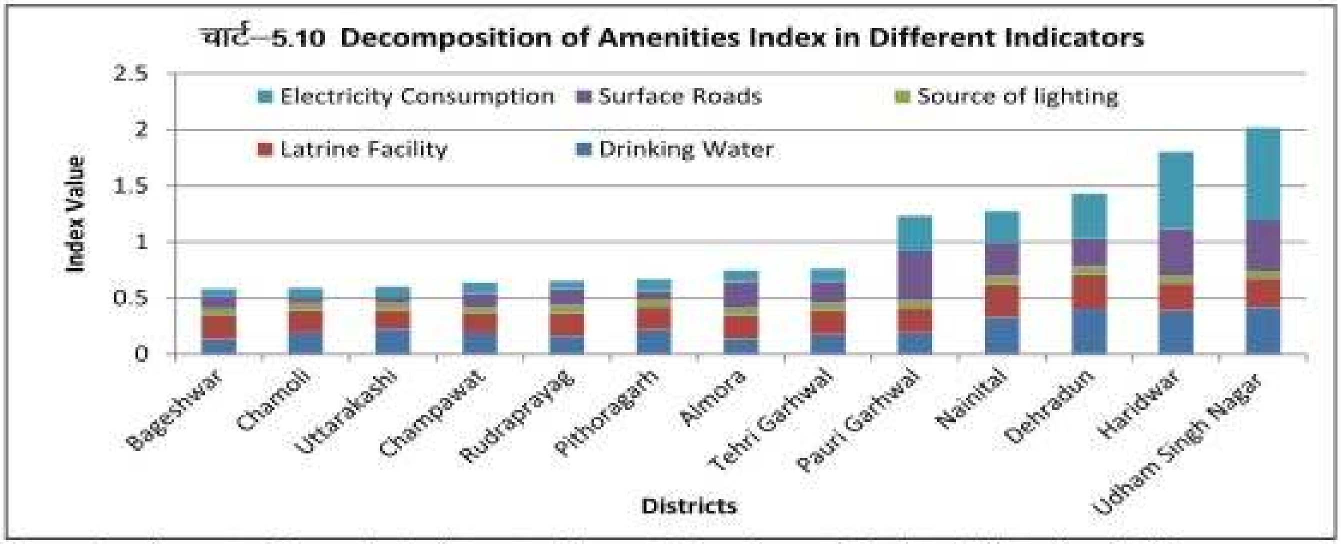

Source: Development of Composite Indicators to Measure Backwardness of Districts in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, November 2017

यदि मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी संकेतांकों के आधार पर जनपदों की स्वास्थ्य सम्बन्धी विषमता देखी जाय तो चार्ट–5.7 के अनुसार जनपद उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार की रैकिंग क्रमशः 13वें तथा 12वें स्थान पर है जबकि अन्य सकेतांकों/सूचकांकों यथा–आर्थिक सूचकांक तथा मूलभूत सुविधा/अवस्थापना सूचकांकों में जिनका विवरण चार्ट–5.5 तथा चार्ट–5.9 में दिया गया है, उपरोक्त 03 मैदानी जनपदों की रैकिंग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रही है। इस प्रकार समेकित समाजार्थिक विकास हेतु पृथक–पृथक घटकों हेतु पृथक–पृथक जनपदवार अलग–अलग Interventions करने की आवश्यकता होगी।

5.3 सेवा क्षेत्र में विद्यमान विशेषतायें: भारतवर्ष में 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू हो गयी है। इस प्रणाली में वैट की तुलना में वस्तुओं पर जी0एस0टी0 की कम दर होने के कारण राजस्व में कमी होना सम्भावित है। वस्तु एवं सेवा कर Destination based कर प्रणाली होने के कारण आई0जी0एस0टी0 के माध्यम से राज्य का एस0जी0एस0टी0 भी सम्बन्धित राज्य को स्थानान्तरित हो जाता है। राज्य को अपने राजस्व में वृद्धि हेतु सेवा क्षेत्र विस्तारित किये जाने हेतु आवश्यक कदम बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। विशेषकर ऐसी सेवाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जो राज्य के भीतर ही उपभोग की जा सकती है। उदाहरणतः शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि सम्बन्धी सेवायें, यातायात सुविधा, बैंकिग सेवायें, होटल एवं रेस्टोरेन्ट आदि। यद्यपि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली से मुक्त रखा गया है, किन्तु शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से अन्य सेवा सम्बन्धी आर्थिक गतिविधियाँ अत्याधिक रूप से प्रभावित होती है। अतः सेवा क्षेत्र में किया गया निवेश अन्य सेवा क्षेत्र के घटकों के विकास के लिए भी लाभदायक रहेगा।

वर्तमान में उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को देखने से भी इंगित होता है कि राज्य में धीरे–धीरे सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था के विगत तीन वर्षों के अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमान अनुसार सेवा क्षेत्र में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में मात्र 7.74 प्रतिशत व प्राथमिक क्षेत्र में 6.99 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं। सेवा क्षेत्र के घटकों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण राज्य आय एवं लोक वित्त अध्याय में दिया गया है। विगत तीन वर्षों के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के अनुसार वृद्धि दर निम्न तालिका 5.3 व 5.4 के माध्यम से दर्शायी गयी है–

तालिका 5.3

क्षेत्र का नाम	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर,(प्रतिशत में)		
	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18
प्राथमिक क्षेत्र	0.66	4.44	6.99
द्वितीयक क्षेत्र	9.24	10.03	7.74
तृतीयक क्षेत्र	8.93	12.94	14.29

तालिका 5.4

क्षेत्र का नाम	कुल सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, (प्रतिशत में)		
	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18
प्राथमिक क्षेत्र	11.44	10.81	10.50
द्वितीयक क्षेत्र	51.07	50.86	49.74
तृतीयक क्षेत्र	37.49	38.33	39.76

उक्त तालिकाओं से स्पष्ट है, कि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र की वृद्धि दर एवं इसका कुल सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का प्रतिशत विगत तीन वर्षों में अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक आंकलित हुआ है। सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित आर्थिक गतिविधियों का राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका–5.5 व 5.6 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.5– उत्तराखण्ड में सेवा क्षेत्र की विकास दर (प्रचलित भाव पर)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16[P]	2016-17[Q]	2017-18[A]
व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	17.8	14.8	12.0	10.3	14.2	14.4
वित्तीय सेवायें, स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	12.4	10.8	10.8	7.7	10.9	11.1
लोक प्रशासन तथा अन्य सेवायें	9.0	33.2	16.3	7.3	12.2	16.6

तालिका 5.6– राष्ट्रीय स्तर पर सेवा क्षेत्र की विकास दर (प्रचलित भाव पर)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16[P]	2016-17[Q]	2017-18[A]
व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	17.8	12.6	12.4	9.3	9.5	11.9
वित्तीय सेवायें, स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	16.1	16.5	14.2	11.3	8.6	11.1
लोक प्रशासन तथा अन्य सेवायें	13.4	11.9	14.6	11.3	15.9	14.4

उक्त तालिका से स्पष्ट है, कि सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में विगत तीन वर्षो में राष्ट्र की तुलना में उत्तराखण्ड में वृद्धि दर अधिक परिलक्षित हो रही है। सेवा क्षेत्र द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रदत्त ठोस आधार के माध्यम से न सिर्फ राज्य के राजस्व आधार को बढ़ाया जा सकता है बल्कि इसमें राज्य की आय के नवीन स्रोतों को भी समाविष्ट किया जा सकता है।

सेवा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को समाहित करने तथा नीति निर्धारण एवं सरकारी हस्तक्षेपों (interventions) हेतु ऐसे आंकड़े एकत्र कर, सेवा क्षेत्र का मासिक सूचकांक बनाये जाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से सेवा क्षेत्र के विभिन्न धटकों में हो रहे परिवर्तन को प्रदर्शित किया जा सकता है तथा तदनुसार ससमय निर्णय लिये जा सकें।

सेवा क्षेत्र में विद्यमान भावी सम्भावनाओं को विदोहित करने के लिए प्रथमतः चिन्हित ग्रोथ ड्राइवरों का विकास व दोहन करने का प्रयास किया जा सकता है।

- पर्यटन के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन–होम स्टे टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, ईको–टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन तथा सुख सुविधामय/Leisure पर्यटन आदि के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक सम्भावनाओं के विदोहन की आवश्यकता है। राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु तथा स्वास्थ्यप्रद वातावरण भी वेलनेस टूरिज्म के लिए पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र बन सकते हैं। जहाँ स्थानीय जड़ी–बूटियों का दोहन करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा विधियों का लाभ उठाकर वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यटन की राज्य में अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये राज्य की आधारिक संरचनाओं को विश्व स्तरीय तर्ज पर विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

- राज्य में पर्यटक एवं सम्बद्ध अवस्थापना सुविधाओं के विकास, पर्यटक स्थलों का प्रचार–प्रसार एवं स्वच्छ–आकर्षक माहौल विकसित किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्कता है। वर्ष 2014–15 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं टूरिज्म सैटेलाईट अकॉन्ट की रिपोर्ट के अनुसार लगभग ₹ 1352.31 करोड़ की धनराशि पर्यटकों द्वारा वर्ष में राज्य में व्यय की गयी आंकलित हुयी है।

- राज्य के पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय जैविक कृषि एवं औद्यानिकी तथा आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों हेतु आवश्यक जलवायुविक विशेषतायें समेटे हुए हैं। इनका क्षेत्र विशेष के अनुरूप चिन्हीकरण कर सम्बन्धित क्षेत्रों में आवश्यक हस्तक्षेप (Intervention) किये जाने की आवश्यकता है।

- ऑर्गेनिक कृषि के क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा नवोन्मेषी पद्धति अपनाकर अपनी पहचान बनायी गयी है। सरकार द्वारा पूरे राज्य को वर्ष 2030 तक ऑर्गेनिक कृषि में रूपान्तरित किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

- राज्य में प्रवाहित होने वाली छोटी–बड़ी नदियॉ जलविद्युत क्षमता का स्रोत हैं। क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय विशेषताओं का संरक्षण करते हुए उपलब्ध जलविद्युत क्षमता का समुचित विदोहन कर इसे राज्य की आय का प्रमुख स्रोत बनाया जा सकता है।

- वन क्षेत्र से प्राप्त पर्यावरण सेवाओं की कुल वार्षिक Flow Value ₹ 95103 करोड आंकलित की गयी है, जबकि वानकी से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद Flow Value का मात्र 3.64 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अभी भी काफी मात्रा में Potential unrealised है। विभाग को एन0टी0एफ0पी0 से आय बढ़ाने की दिशा में विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

- उक्त के अतिरिक्त होटल एवं जलपान गृह, परिवहन, व्यापार, स्थावर सम्पदा (Real Estate), संचार व बैंकिग सेवाओं आदि अन्य सेवा क्षेत्र के घटकों का समुचित विकास एवं दोहन किये जाने की आवश्यकता है।

- अतः क्षेत्र विशेष की विषमताओं तथा विशेषताओं का सामंजस्य स्थापित कर स्थानीय संसाधनों का महत्तम उपयोग करते हुए राज्य की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताओं का समुचित एवं प्रभावी नियोजन कर सम्यक दोहन करते हुए विषमताओं की खाई को कम किया जा सकता है।

अध्याय–6

भाव संचलन एवं उपभोक्ता व्यय

Price Movement & Consumer Expenditure

6.1 भाव संचलन (Price Movement)

6.1.1 मूल्य सूचकांक (Price Index): मूल्य सूचकांक एक निश्चित समयांतराल के दौरान किसी दिए गए समूह की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों के सापेक्ष सामान्यीकृत औसत (आमतौर पर एक भारित औसत) मूल्य है। यह विभिन्न समयावधि में अथवा भिन्न भौगोलिक स्थानों के बीच के सापेक्ष मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर (Price Level) या लोगों की जीवन शैली की लागत (Cost of Living) मापने हेतु किया जाता है। यह उत्पादकों के उत्पादक योजना बनाने एवं उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में सहायक होता है।

6.1.2 थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index): थोक मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के समूह (Basket) के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में यह बास्केट 3 समूहों से बना है: प्राथमिक वस्तुएं (कुल भार 22.62%), ईंधन और शक्ति (कुल भार 13.15%) तथा विनिर्माण उत्पाद (कुल भार 64. 23%)। प्रतिनिधि बास्केट में कुल 697 वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें से प्राथमिक समूह में 117 वस्तुएं, ईंधन व शक्ति समूह में 16 वस्तुएं तथा विनिर्माण समूह में 564 वस्तुएं सम्मिलित हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक अंतराल पर जारी किया जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) मुद्रास्फीति के मापन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।

6.1.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index): अप्रैल 2014 से मुद्रास्फीति मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) (आधार 2012 = 100) को नये मानक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। CPI समय के साथ वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में परिवर्तन की माप करता है। यह मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेतांक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कीमतों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता अनुक्रमित करने के लिए भी CPI का उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग तथा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

6.1.4 CPI (संयुक्त) तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं को 6 उप समूहों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुये भारित (Weighted) किया गया है, जो इस प्रकार है: खाद्य एवं पेय पदार्थ (कुल भार 45.86%); पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ (कुल भार 2.38%); कपड़े और जूते (कुल भार 6.53%); आवास (कुल भार 10.07%); ईंधन और प्रकाश (कुल भार 6.84%) तथा अन्य वस्तुएं (कुल भार 28.32%)। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण इनके भावों में परिवर्तन मुद्रास्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NSSO के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा सीपीआई (शहरी) हेतु 310 चयनित शहरों/कस्बों में तथा सीपीआई (ग्रामीण) हेतु 1,114 ग्रामीण बाजारों से मासिक मूल्य डाटा एकत्रित किया जाता है। साथ ही विशिष्ट राज्य/संघ शासित प्रदेशों के अर्थ एवं संख्या निदेशालय तथा डाक विभाग द्वारा चयनित 1,181 गांवों से वेब पोर्टल के जरिये कीमतें एकत्रित की जाती हैं।

मुद्रास्फीति का कारण

6.1.5 विगत कई वर्षों से सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा का प्रवाह हुआ है, जो सामान्य जन की क्रय क्षमता को बढ़ाता है। यह मुख्य रूप से गैर योजना व्यय (Non-plan expenditure) में बढ़ोतरी करता है, जो कि अनुत्पादक प्रकृति का होता है तथा केवल क्रय क्षमता एवं मांग में वृद्धि करता है। इसी क्रम में समय–समय पर वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी होने से भी मंहगाई दर में वृद्धि हुई है।

पैट्रोल व डीजल के दामों में हो रही दैनिक वृद्धि भी मंहगाई के प्रमुख कारणों में से एक है, क्योंकि अधिकांश दैनिक उपभोग की वस्तुओं व सेवाओं की ढुलाई व आपूर्ति यातायात माध्यमों से होती हैं, जो कि ईधन हेतु पैट्रोल व डीजल पर आधारित है।

राज्य में मंहगाई नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय संसद में वित्तीय अनुशासन (राजकोषीय घाटे को कम करना तथा संतुलित बजट की दिशा में अग्रसर होना) एवं व्यापक आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से पारित Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBMA) का अनुपालन करते हुये राजकोषीय घाटे को GDP के अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा में निरन्तर रखा जा रहा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) Consumer Price Index (Combined)

6.1.6 सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के फलस्वरूप राज्य में वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रही हैं, फिर भी उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में अधिक रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2017 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत् होता है कि जनवरी माह में मुद्रास्फीति की दर (+) 3.17 प्रतिशत थी, जो जून माह में न्यूनतम स्तर 1.46 प्रतिशत तथा दिसम्बर माह में अपने अधिकतम स्तर 5.21 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

राज्य में वर्ष 2017 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि जनवरी माह में मुद्रास्फीति की दर (+) 3.32 प्रतिशत थी, जो जुलाई माह में न्यूनतम स्तर 1.76 प्रतिशत तथा दिसम्बर माह में अपने अधिकतम 5.92 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक राष्ट्रीय एवं प्रदेश की मुद्रास्फीति की दर का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि माह जनवरी 2017 से माह मार्च 2017 तक इसमें निरंतर वृद्धि होती रही, तत्पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर माह जून 2017 तक एवं प्रदेश स्तर पर माह जुलाई 2017 गिरावट आती रही। माह जून 2017 तक उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति दर राष्ट्रीय दर से अधिक रही है। माह जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक राष्ट्रीय एवं माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती रही और माह जुलाई 2017 से माह नवम्बर 2017 (माह सितम्बर 2017 को छोड़कर) तक उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति दर राष्ट्रीय दर से कम रही है। दिसम्बर 2017 में उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति दर राष्ट्रीय दर से अधिक रही है।

जनवरी 2013 से दिसम्बर 2017 तक की औसत मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) व जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक की मुद्रास्फीति की दर नीचे तालिका 6.1 में दर्शायी गई है। मुद्रास्फीति की दर को रेखाचित्र द्वारा भी चार्ट 6(अ) में प्रदर्शित किया गया है:–

तालिका 6.1

अखिल भारतीय एवं उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) CPI (Combined)

(आधार 2012 = 100)

माह	2013		2014		2015		2016		2017		मुद्रास्फीति की दर (2017)	
	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड
जनवरी	104.6	104.6	113.6	111.6	119.5	116.1	126.3	120.5	130.3	124.5	3.17	3.32
फरवरी	105.3	105.0	113.6	111.9	119.7	116.1	126.0	119.8	130.6	124.5	3.65	3.92
मार्च	105.5	105.3	114.2	112.8	120.2	116.7	126.0	120.1	130.9	124.8	3.89	3.91
अप्रैल	106.1	105.7	115.1	113.7	120.7	116.7	127.3	121.2	131.1	125.2	2.99	3.30
मई	106.9	105.7	115.8	114.3	121.6	117.5	128.6	122.4	131.4	125.5	2.18	2.53
जून	109.3	107.0	116.7	114.5	123.0	118.4	130.1	123.0	132.0	125.4	1.46	1.95
जुलाई	111.0	109.4	119.2	116.3	123.6	119.4	131.1	125.0	134.2	127.2	2.36	1.76

अगस्त	112.4	110.9	120.3	117.8	124.8	120.8	131.1	125.5	135.4	129.5	3.28	3.19
सितम्बर	113.7	112.6	120.1	117.5	125.4	121.3	130.9	125.2	135.2	129.8	3.28	3.67
अक्टूबर	114.8	113.2	120.1	117.7	126.1	122.0	131.4	125.8	136.1	130.0	3.58	3.34
नवम्बर	116.3	115.3	120.1	117.4	126.6	121.9	131.2	126.2	137.6	132.1	4.88	4.68
दिसम्बर	114.5	112.5	119.4	116.5	126.1	120.9	130.4	124.9	137.2	132.3	5.21	5.92

Source:CSO, MoSPI, GoI

चार्ट 6(अ)
मुद्रास्फीति की दर (2017)

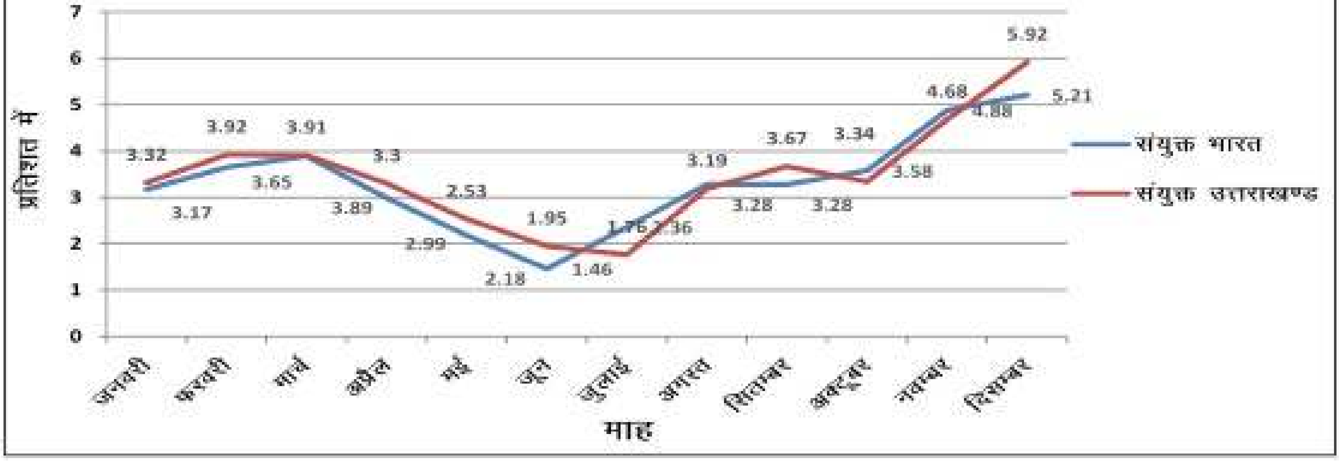

6.2 उपभोक्ता व्यय
(Consumer Expenditure)

प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय (Monthly Per Capita Consumer Expenditure): प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय साधारणतया एक माह में दैनिक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर परिवारों के एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत् आवश्कताओं की सन्तुष्टि/पूर्ति के लिए किये जाने वाले विभिन्न व्ययों का सम्मिलित योग है। उत्तराखण्ड में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय (MPCE) के सन्दर्भ में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैः–

6.2.1 सामान्यतः ग्रामीण उत्तराखण्ड का औसत MPCE का स्तर पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के सापेक्ष बेहतर है, किन्तु हिमाचल प्रदेश से कम है। वर्ष 2004–05 में उत्तराखण्ड का औसत MPCE उत्तर प्रदेश के औसत MPCE से 20 प्रतिशत अधिक तथा वर्ष 2011–12 में 45 प्रतिशत अधिक आंकलित हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष वर्ष 2004–05 में 22 प्रतिशत कम है तथा वर्ष 2011–12 में स्थिति में सुधार होकर यह 14 प्रतिशत कम रह गया है। राष्ट्रीय सन्दर्भ में उत्तराखण्ड के औसत MPCE के अनुमान दोनों वर्षों में अखिल भारतीय अनुमानों से क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत अधिक आंकलित हुये हैं। उत्तराखण्ड का चयनित राज्यों व अखिल भारत के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र का औसत MPCE का स्तर नीचे तालिका 5.2 में दर्शाया गया हैः–

तालिका 6.2
उत्तराखण्ड का चयनित राज्यों व अखिल भारत के सापेक्ष औसत MPCE का स्तर (₹ में) ग्रामीण क्षेत्र

वर्ष	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	अखिल भारत
2004-05	648.94	835.57	539.29	579.18
2011-12	1,551.41	1,800.60	1,072.93	1,287.17
CAGR	**13.3**	**11.6**	**10.3**	**12.1**

Source: Estimation of District Level Poverty in Uttarakhand, GIDS, November, 2017
CAGR: Compound Annual Growth Rate

6.2.2 शहरी उत्तराखण्ड का औसत MPCE का स्तर भी पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के सापेक्ष बेहतर है लेकिन हिमाचल प्रदेश व राष्ट्रीय औसत से कम है। वर्ष 2004–05 में उत्तराखण्ड का औसत MPCE उत्तर प्रदेश के औसत MPCE से 17 प्रतिशत अधिक तथा वर्ष 2011–12 में 26 प्रतिशत अधिक आंकलित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष वर्ष 2004–05 में 28 प्रतिशत कम है तथा वर्ष 2011–12 में स्थिति में आंशिक सुधार होकर यह 23 प्रतिशत कम रह गया है। राष्ट्रीय सन्दर्भ में उत्तराखण्ड के औसत MPCE के अनुमान दोनों वर्षों में अखिल भारतीय अनुमानों से क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत कम आंकलित हुये हैं। उत्तराखण्ड का चयनित राज्यों व अखिल भारत के सापेक्ष शहरी क्षेत्र का औसत MPCE का स्तर नीचे तालिका 6.3 में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.3

उत्तराखण्ड का चयनित राज्यों व अखिल भारत के सापेक्ष औसत MPCE का स्तर (₹ में) शहरी क्षेत्र

वर्ष	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	अखिल भारत
2004-05	1,027.58	1,422.17	879.67	1,104.60
2011-12	2,451.97	3,173.23	1,942.24	2,477.00
CAGR	**13.2**	**12.1**	**12.0**	**12.2**

Source: Estimation of District Level Poverty in Uttarakhand, GIDS, November, 2017

CAGR: Compound Annual Growth Rate

6.2.3 राज्य में जनपदवार वर्ष 2011–12 के औसत MPCE का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि शहरी क्षेत्र का औसत MPCE का स्तर ग्रामीण क्षेत्र से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पिथौरागढ़ का औसत MPCE का स्तर न्यूनतम तथा जनपद नैनीताल (मैदानी क्षेत्र) का सर्वाधिक आंकलित हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्र में जनपद चम्पावत का औसत MPCE का स्तर न्यूनतम तथा जनपद नैनीताल (पहाड़ी क्षेत्र) का सर्वाधिक आंकलित हुआ है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की अन्तर्जनपदीय विषमता हरिद्वार में सर्वाधिक तथा नैनीताल (मैदानी क्षेत्र) में न्यूनतम है। उत्तराखण्ड में जनपदवार वर्ष 2011–12 के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का औसत MPCE का स्तर नीचे तालिका 6.4 में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.4

उत्तराखण्ड में जनपदवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का औसत MPCE का स्तर

(वर्ष 2011–12 : बढ़ते क्रम में)

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण (माध्य/औसतः ₹)	जनपद	शहरी (माध्य/औसतः ₹)
1.	पिथौरागढ़	1,292.03	चम्पावत	1,951.26
2.	पौड़ी गढ़वाल	1,294.87	ऊधम सिंह नगर	1,999.16
3.	हरिद्वार	1,296.45	देहरादून (पहाड़ी क्षेत्र)	2,063.77
4.	देहरादून (पहाड़ी क्षेत्र)	1,314.99	नैनीताल (मैदानी क्षेत्र)	2,089.85
5.	रूद्रप्रयाग	1,324.14	पौड़ी गढ़वाल	2,145.62
6.	चमोली	1,339.43	चमोली	2,374.30
7.	नैनीताल (पहाड़ी क्षेत्र)	1,345.21	पिथौरागढ़	2,379.78
8.	टिहरी गढ़वाल	1,352.02	उत्तरकाशी	2,396.08
9.	बागेश्वर	1,372.30	रूद्रप्रयाग	2,442.17
10.	उत्तरकाशी	1,392.23	देहरादून (मैदानी क्षेत्र)	2,456.98
11.	अल्मोड़ा	1,509.75	बागेश्वर	2,524.46
12.	चम्पावत	1,519.73	अल्मोड़ा	2,528.75
13.	देहरादून (मैदानी क्षेत्र)	1,560.13	टिहरी गढ़वाल	2,720.65
14.	उधम सिंह नगर	1,665.15	हरिद्वार	2,751.40
15.	नैनीताल (मैदानी क्षेत्र)	1,927.07	नैनीताल (पहाडी क्षेत्र)	2,791.77

Source: Estimation of District Level Poverty in Uttarakhand, GIDS, November, 2017

अध्याय–7

खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

Food Security & Civil Supply

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

7.1 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूँ, चावल, लेवी चीनी इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की 9,299 दुकानें कार्यशील हैं। खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को National Food Security Act (एन0एफ0एस0ए0) में (पात्र गृहस्थियां) एवं नॉन–एन0एफ0एस0ए0 (ए.पी.एल.) के अन्तर्गत निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

i) प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड)

ii) अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड)

iii) राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)

7.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में 23,61,363 राशन कार्डों की संख्या है, जिनके अन्तर्गत कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

7.3 वर्ष 2017–18 में दिसम्बर, 2017 तक उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गयी खाद्य पदार्थों की मात्रा तालिका 7.1 में दर्शायी गयी है:–

तालिका 7.1

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण (दिसम्बर, 2017 तक)
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहूँ)	मी0 टन	93,028.260
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	मी0 टन	1,46,764.815
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	मी0 टन	21,816.067
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0 टन	34,725.405
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	मी0 टन	46,156.985
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0 टन	250,95.104
7.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चीनी)	मी0 टन	3,602.355
8.	मिट्टी तेल	कि0 ली0	11,990.843

7.4 वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में दिसम्बर, 2017 तक प्रति राशन कार्ड वितरित किए गए खद्यान्नों की मात्रा तालिका 7.2 में दर्शायी गयी है:–

तालिका 7.2

क्र0 सं0	प्रति राशन कार्ड	वितरण (मात्रा)
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहूँ)	2.00 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट प्रति माह
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	3.00 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट प्रति माह
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	21.700 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति कार्ड प्रति माह
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	13.300 कि0ग्रा0 चावल प्रति कार्डप्रति माह
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	5.00 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति कार्ड प्रति माह
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	10.00 कि0ग्रा0 चावल प्रति कार्ड प्रति माह
7.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चीनी)	1.00 कि0ग्रा0 चीनी प्रति कार्ड प्रति माह
8.	मिट्टी तेल	पर्वतीय क्षेत्र में 2 लीटर प्रति कार्ड तथा मैदानी क्षेत्र में 1 लीटर प्रति कार्ड प्रति माह

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन

7.5 भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 61.94 लाख आबादी का लक्ष्य दिया गया है। राज्य में 1 अक्टूबर, 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गयी है जिसमें 7,91,958 आबादी अन्त्योदय के अन्तर्गत तथा 54,02,042 आबादी प्राथमिक के अन्तर्गत चयनित किया गया तथा इन्हें कवर करने हेतु 13,30,404 (अन्त्योदय–1,84,140 एवं प्राथमिक परिवार–11,46,264) परिवारों को विभाग द्वारा पात्र परिवारों के रूप में चयनित कर उनके राशन कार्डो का शत–प्रतिशत ऑनलाईन डिजिटाईजेशन किया गया है।

7.6 राज्य खाद्य योजनाः– ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित होने से वंचित रहे गये तथा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹05 लाख से कम है, को सम्मिलित करते हुये अक्टूबर, 2015 से ही राज्य खाद्य योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत राज्य में लगभग 10.47 लाख परिवारों का चयन करते हुये सभी राशन कार्डो का ऑनलाईन डिजिटाईजेशन किया गया है।

7.7 आधार लिंकः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा राज्य खाद्य योजना के सभी राशन कार्डों को आधार से लिंक किये जाने की कार्यवाही गतिमान है और वर्तमान में लगभग 95 प्रतिशत राशन कार्डो को आधार संख्या से लिंक कर दिया गया है।

7.8 राज्य खाद्य योजना में Direct Benefit Transfer (DBT) का क्रियान्वयनः– राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की कुछ मात्रा के स्थान पर नगद सहायिकी (Subsidy) दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य खाद्य योजना में चयनित लाभार्थियों के बैंक एकाउन्ट खाते में खाद्यान्न के समतुल्य मूल्य के बराबर धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। माह नवम्बर, 2017 से राज्य खाद्य योजना में 10,30,959 कार्ड धारकों को डी0बी0टी0 का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

माह नवम्बर, 2017 से पूर्व 15 कि0ग्रा0 खाद्यात्र (05 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 10 कि0ग्रा0 चावल) प्रति राशनकार्ड उपलब्ध कराया जा रहा था। माह नवम्बर, 2017 से प्रति राशनकार्ड 05 किग्रा0 गेहूँ ₹ 8.60 प्रति कि0ग्रा0 तथा 2.50 कि0ग्रा0 चावल ₹ 15.00 प्रति राशनकार्ड की दर से वितरित किया जायेगा तथा शेष 7.50 कि0ग्रा0 चावल के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को प्रति राशनकार्ड राज सहायता (Subsidy) की धनराशि ₹ 75.00 लाभार्थियों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7.9 ऑनलाइन आवंटन एवं आपूर्ति श्रृंखला स्वचालन (Online Allocation and Supply Chain Automation):– राज्य में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता स्तर तक ऑनलाईन आवंटन जारी किया जा रहा है। सप्लाई चेन मॉनिटरिंग के अन्तर्गत 196 गोदामों को कम्प्यूटरीकृत किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। इस हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कर ट्रायल बेसिस पर कार्यान्वित किया जा चुका है। 01 फरवरी, 2018 से रियल टाईम इम्प्लीमेन्ट किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7.10 E-PoS (Electronic Point of Sale) डिवाईस की स्थापनाः– दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 से पहले राज्य के समस्त जनपदों की दो–दो राशन की दुकानों में कुल 26 E-PoS डिवाईस (ट्रायल बेसिस पर) स्थापित की गयी हैं। आगामी तीन माह में राज्य की समस्त राशन की दुकानों को E-PoS डिवाईस द्वारा ऑटोमेट किये जाने का लक्ष्य है।

नागरिक आपूर्ति में नवप्रवर्तन के अन्तर्गत सामान्य सेवा केन्द्र (Common Service Centre) की स्थापना

प्रदेश के सभी 9,299 राशन की दुकानों को सिस्टम इन्टिग्रेटर मॉडल के अन्तर्गत सामान्य सेवा केन्द्र (**CSC**) के सिंगल सोर्स के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इससे पी0डी0एस0 के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्णतः पारदर्शी तरीके से सही लाभार्थी को वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा इससे दी जाने वाले सेवाओं के माध्यम से राशन की दुकानों की आमदनी भी बढ़ेगी। **CSC** के माध्यम से राशन की दुकानों पर निम्न सुविधायें दिया जाना प्रस्तावित है–

(i) जाति, निवास, आय, चरित्र, परिवार, जन्म–मृत्यु, पेंशन (विधवा, विकलांग, वृद्ध) आदि के प्रमाण पत्रों का वितरण।

(ii) बिजली, पानी, पासपोर्ट, पैनकार्ड, मोबाइल रिचार्ज आदि की सुविधा।

(iii) कैशलेस लेनदेन हेतु डिजीटल पेमेंट (आधार इनेबिल्ड पेमेंट सिस्टम) सेवा का लाभ।

7.11 प्रवर्तन कार्यः– खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज्य में वस्तुओं की आपूर्ति प्रक्रिया का देख–रेख एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सतत् निगरानी करता है। राज्य का विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानकों के अनुरूप प्रदेश में मैट्रिक बाटों, मापों तथा तौलने एवं मापने के यन्त्रों का व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक प्रवर्तन एवं सत्यापन तथा मुद्रांकन का कार्य संपादित करता है एवं सही माप–तौल सुनिश्चित करता है।

राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की आपूर्ति शाखा द्वारा वर्ष 2017–18 में 31 दिसम्बर, 2017 तक 5,079 छापे मारे गये जिसके अन्तर्गत 27 प्राथमिकी दर्ज, 29 लाईसेन्स निलम्बित, 16 लाईसेन्स निरस्त तथा ₹ 2,72,210 की प्रतिभूति जब्त की गई। विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) के प्रवर्तन कर्मियों द्वारा इस अवधि में 30,291 निरीक्षण किये गये तथा इसके अन्तर्गत 2,111 मामले विभिन्न व्यापारियों की अनियमितताओं के विरूद्ध पंजीकृत किये गये। विभाग द्वारा उक्त सभी मामलों में कुल ₹ 24,05,000 प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है।

शिकायत निवारण

(Grievance Redressal)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शिकायतों के निस्तारण हेतु टोल फ्री नं0 1800–180–2000 स्थापित किया गया है।

स्टेट कन्ज्यूमर हैल्पलाइन

उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु राज्य के खाद्यायुक्त मुख्यालय पर उपभोक्ता हैल्पलाईन का टोल फ्री नं0 1800–180–4188 स्थापित किया गया है। ऑनलाइन Grievance Redressal के लिये समाधान पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31 दिसम्बर, 2017 तक शिकायत निवारण सेल में कुल 121 शिकायतें प्राप्त हुयी, जिनमें से 80 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है तथा शेष पर कार्यवाही जारी है। जनपद देहरादून में सबसे ज्यादा 44 शिकायतें प्राप्त हुयी हैं।

7.12 उपभोक्ता फोरमः– राज्य के सभी जनपदों में उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु उपभोक्ता फोरम भी कार्य कर रहा है। वित्तीय वर्ष

2017–18 में 31 दिसम्बर, 2017 तक उपभोक्ता फोरम में दायर एवं निस्तारित वादों की स्थिति तालिका 7.3 में दर्शायी गयी है–

तालिका 7.3

क्र0 सं0	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	दायर वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या
1.	हरिद्वार	264	65
2.	देहरादून	175	92
3.	अल्मोड़ा	87	74
4.	नैनीताल	73	117
5.	उधमसिंह नगर	68	67
6.	उत्तरकाशी	31	23
7.	चमोली	27	19
8.	पौड़ी गढ़वाल	24	27
9.	टिहरी गढ़वाल	21	17
10.	रूद्रप्रयाग	09	12
11.	पिथौरागढ़	09	21
12.	चम्पावत	07	05
13.	बागेश्वर	05	11
योग		800	550

7.13 पेट्रोल तथा गैस– इस समय प्रदेश में 90 मिट्टी के तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता तथा 545 पेट्रोल पम्प कार्यशील हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 228 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनके अन्तर्गत गैस कनेक्शन धारकों की संख्या 22,12,689 हैं।

7.14 प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः– वर्तमान में केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत राज्य के घरेलू गैस कनैक्शन विहीन गरीब परिवारों को ऑयल कम्पनियों के द्वारा (SECC डाटा, 2011 के अनुसार) निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किए जा रहे हैं। दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक राज्य में लगभग 1,32,373 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए गये हैं।

7.15 उज्ज्वला से वंचित परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शनः– राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश में कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनके पास गैस कनैक्शन नहीं है किन्तु SECC डाटा, 2011 में उनका नाम दर्ज नहीं है, फलस्वरूप उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है।

राज्य सरकार द्वारा ऐसे गैस कनैक्शन विहीन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की तर्ज पर निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य में ऐसे गैसविहीन परिवार (1.10 लाख परिवार) को निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अध्याय–8

कृषि, गन्ना एवं उद्यान

Agriculture, Sugarcane & Horticulture

8.1 कृषि (Agriculture)

कृषि उत्तराखण्ड का प्रमुख व्यवसाय है जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य स्थापना के समय कृषि का क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेयर था जो घटकर अब 6.98 लाख हेक्टेयर रह गया है। प्रदेश में जोत का औसत आकार 0.89 हेक्टेयर है, तदापि प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनी हुई है। कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 50 प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्रों में केवल 13 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 94 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य में से वर्ष 2030 तक भुखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़वा देना महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। इस हेतु समस्त हित धारकों को कृषि के सभी पहलूओं पर मिशन स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है।

8.1.1 राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का महत्व

वर्ष 2011–12 में राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017–18 में 10.50 प्रतिशत हो गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है। वर्ष 2011–12 में Crop Sector की हिस्सेदारी 7.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 4.56 प्रतिशत रह गया है।

चार्ट–8.1.1 उत्तराखण्ड के राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि फसल (Crops) की हिस्सेदारी

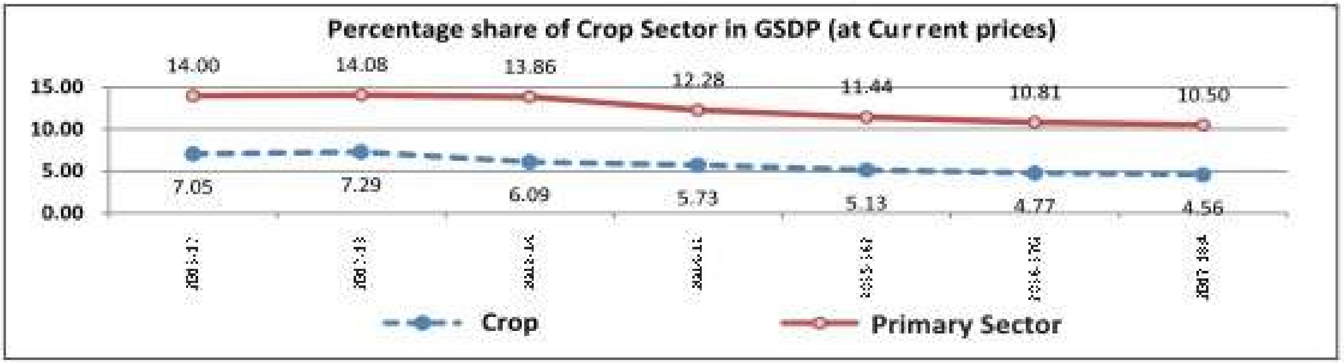

(P- Provisional, Q- Quick and A- Advance Estimates)

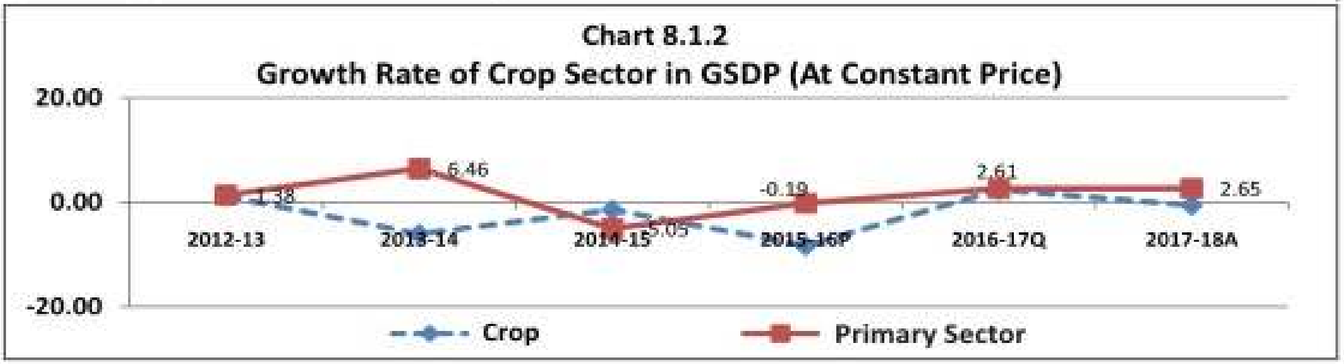

8.1.2 उत्तराखण्ड के कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन तथा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

चार्ट–8.1.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 से 2017–18 तक राज्य में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 2.65 से 4.00

प्रतिशत के मध्य रहा है, जबकि कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का GSDP में योगदान उक्त अवधि में 0.4 से 1.04 प्रतिशत के बीच रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा कुल बजट में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र हेतु लगातार धन आवंटन में वृद्धि की गयी है, जो कि निःसंदेह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने की ओर इंगित करता है।

चार्ट–8.1.3 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में राज्य बजट एवं GSDP के सापेक्ष बजट आवंटन

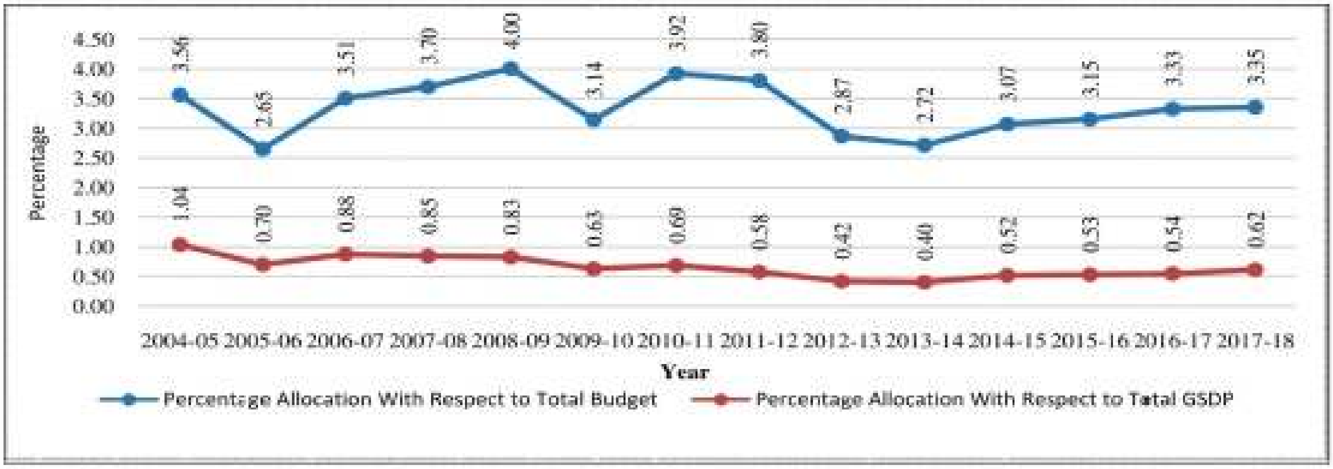

8.1.3 भू–जोतों का वर्गीकरणः प्रदेश में कृषि गणना 2010–11 के अनुसार 9.12 लाख क्रियात्मक जोते है, जिनके अंतर्गत 8.15 लाख है0 क्षेत्र है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल जोतों का औसत आकार 0.89 (है0) है।

तलिका–8.1.1 भू–जोतों का वर्गीकरण (कृषि गणना 2010–11)

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतो की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार (है0)
1.0 से कम	सीमान्त	6.72 (73.65%)	2.95 (36.23%)	0.44
1.0–2.0	**लघु**	**1.57 (17.24%)**	**2.25 (27.60%)**	**1.43**
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.64 (7.10%)	1.75 (21.50%)	2.71
4.0–10.0	**मध्यम**	**0.17 (1.90%)**	**0.94 (11.55%)**	**5.45**
10.0 व अधिक	बड़े	0.01 (0.12%)	0.25 (3.11%)	23.11
योग		**9.12**	**8.15**	**0.89**

8.1.4 मानसून–2017

कृषि कार्यकलापों का मानसून से गहन सम्बन्ध है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2017 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर 2017) में सामान्य से लगभग 300 मि0मि0 कम वर्षा हुई, वहीं अक्टूबर से दिसम्बर, 2017 तक 68.30 एम.एम. वर्षा कम हुई जो कि सामान्य वर्षा की तुलना में (–) 76 प्रतिशत है।

उत्तराखण्ड में वर्षा से संचित क्षेत्रफल तथा उत्पादनः वर्ष 2002 से 2015 तक के वार्षिक वर्षा के आंकडे तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रफल (Rainfed Area) एवं अनाज के उत्पादन के आंकड़े चार्ट–8.1.4, 8.1.5 एवं 8.1.6 में दर्शाये गये है। चार्ट 8.1.6 से स्पष्ट है कि सिंचित क्षेत्र बढ़ने के कारण वर्षा आधारित कृषि का क्षेत्रफल घटा है।

चार्ट–8.1.4 उत्तराखण्ड में अनाज उत्पादन

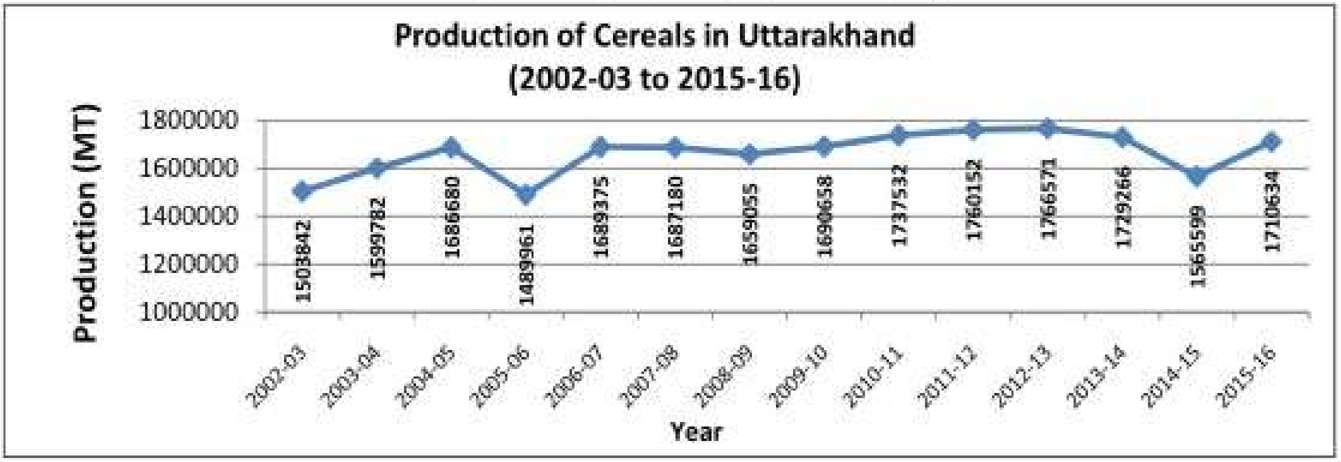

चार्ट–8.1.5 उत्तराखण्ड में वर्ष 2002 से 2015 तक के वर्षा सम्बन्धी आंकडे (मि0मी0)

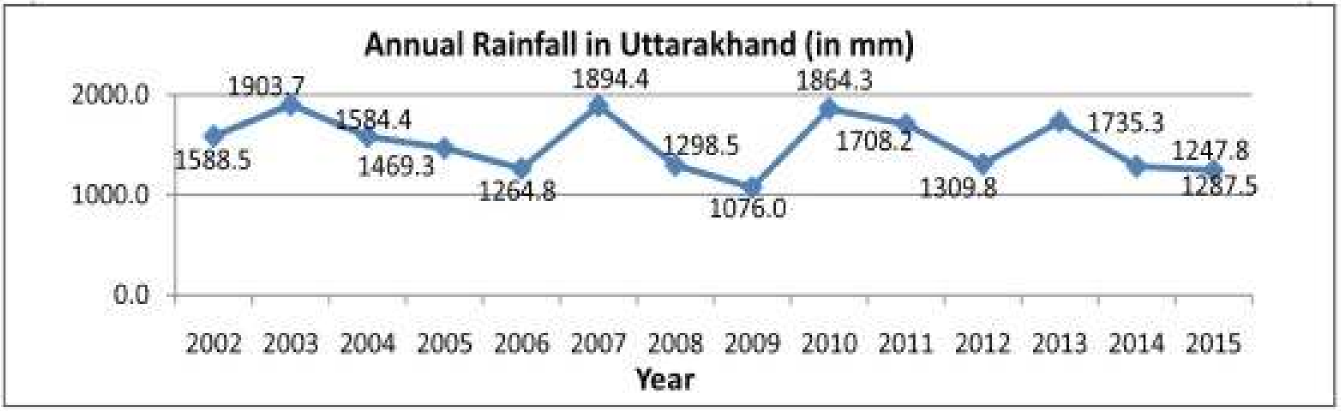

चार्ट–8.1.6 उत्तराखण्ड का वर्षवार वर्षा आधारित क्षेत्रफल

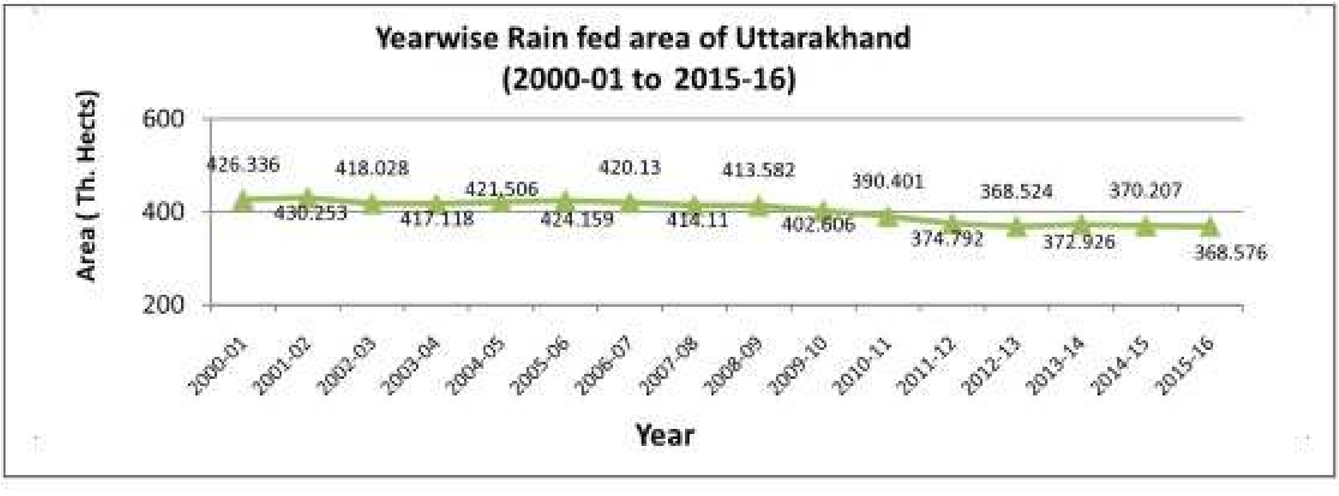

8.1.5 उत्तराखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्रफल

तालिका–8.1.2 खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2011-12	909.305	1,804.03	1.98
2012-13	898.974	1,811.84	2.02
2013-14	872.75	1,775.08	2.03
2014-15	875.38	1,612.96	1.84
2015-16	866.78	1,756.38	2.03
2016-17 अनुमानित	877.35	1,872.18	2.13

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में कृषि भूमि लगातार कम होने के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी है। खाद्यान्न उत्पादन में औसत उत्पादकता बढ़ने का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीजों का वितरण तथा कृषि में नयी–नयी तकनीकों के उपयोग से हुआ है। सतत् विकास लक्ष्य दो को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

केन्द्रपोषित योजनायें

8.1.6 राष्ट्रीय सम्पोशणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agricultue-NMSA): वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में सतत् कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए NMSA के तहत मुख्य कार्यक्रम/योजनायें संचालित हैः–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD): भारत सरकार द्वारा 43 क्लस्टर हेतु प्रेषित ₹ 888.92 लाख की कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 761.15 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है तथा ₹ 275.85 लाख अवमुक्त किये गये हैं। जिसमें अवमुक्त के सापेक्ष 100 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। योजना में विभिन्न फसल पद्वति आधारित 1,923 है0 के प्रदर्शनों में से 1,173 है0 प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है।

(ब) परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY): योजना 12 जनपदों के 550 क्लस्टरों में संचालित की जा रही है। वर्ष 2017–18 हेतु ₹ 3964.58 लाख की कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 2964.54 लाख अवमुक्त किये गये है। योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों का वितरण आदि कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान में 11,000 है0 का जैविक प्रमाणीकरण किया जा रहा है।

(स) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन (Soil Health Management-SHM): योजना के अन्तर्गत मिट्टी के गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच करते हुये उन्हें निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं।

योजना के प्रथम चक्र में वर्ष 2016–17 में 7,65,410 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये। योजना का दूसरा चक्र वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में योजना के लिये ₹ 203.61 लाख का प्राविधान रखा गया था। द्वितीय चक्र में जनवरी 2018 तक 66972 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण करते हुये लगभग 2 लाख कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

8.1.7 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): कृषि उत्पादकता में सुधार करने के

प्रयास से भारत सरकार ने एक नई योजना "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)" के नाम से शुरू की है। यह योजना 90 प्रतिशत केन्द्रपोषित है। निम्न कार्यक्रम इस योजना के घटक है:–

(अ) Per drop more Crop

"पर ड्रॉप मोर क्राप" का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि में सुधार करना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का कार्य योजना में किया जा रहा है, जिसमें जल संचय हेतु टैंक, तालाब, चैक डैम संरचनाओं के निर्माण, स्प्रिंकलर सिंचाई एवं टपक सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ₹ 1,111.11 लाख का प्राविधान किया गया था जिसे व्यय किया जा चुका है।

(ब) हर खेत को पानी

इस योजना के अंतर्गत 11.50 है0 क्षेत्रफल को उपचारित किया गया। इसके अन्तर्गत लघु सिंचाई के माध्यम से नये जल श्रोतों का विकास करना, जिसमें सतह एवं भूमिगत जल दोनो सम्मिलित होगें। प्रक्षेत्र में जल वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण करना, जल वितरण एवं जल प्रबन्धन को बढ़ाना, कमाण्ड एरिया का कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र माइक्रो/प्रिसिसियन सिंचाई में लाना, विभिन्न श्रोत्रों से जल संचय को बढ़ाना तथा परम्परागत जल संचय श्रोतों को बढ़ाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

(स) समेकित जलागम विकास कार्यक्रम

वर्तमान में राज्य के सभी 13 जनपदों में ₹ 617.78 करोड़ की 69 परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। कार्यदायी संस्थाओं के रुप में कृषि विभाग द्वारा 34, वन विभाग द्वारा 23, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 09, जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा 1 एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 2 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित धनराशि ₹ 4,000 लाख के सापेक्ष ₹ 89.45 लाख अवमुक्त किया गया जो कि विगत वर्ष में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यॉश है। वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश के अवमुक्त होने की स्थिति में तदनुरुप अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की सम्भावना है।

8.1.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme-PMFBY):

वर्ष 1999-2000 के रबी फसल से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारम्भ की गयी। चूंकि पूर्व में लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित प्रीमियम देय था तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार अपेक्षित हानि प्रतिपूर्ति करते थे तथा क्रॉप कटिंग के पश्चात आंकलन करने पर ही फसल हानि से सम्बन्धित बीमा राशि कृषक को मिलती थी, जिसमें कृषक को धनराशि प्राप्त हाने में अनावश्यक विलम्ब होता था। इसके अतिरिक्त पूर्व योजना के अंतर्गत मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों के प्रीमियम पृथक–पृथक होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र से अधिक प्रीमियम देय था। योजना में कृषकों को अपेक्षित लाभ न मिलने के कारण खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत किसानों द्वारा देय प्रीमियम को स्थिर रखते हुए खरीफ की खाद्यान्न फसलों में अधिकतम 2 प्रतिशत और रबी की खाद्यान्न फसलों के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा व्यवसायिक नकदी फसलों के अधिकतम 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ऊपर का प्रीमियम केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन किया जाता है।

2019 तक 3 लाख कृषकों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक 2,17,124 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। खरीफ 2017 में 59,839 है0 के अन्तर्गत ₹ 405.74 करोड़ का बीमा किया गया तथा रबी 2017–18 में 35,059 है0 के अन्तर्गत ₹ 2.31 करोड़ का बीमा किया गया।

खरीफ 2017 में बीमा योजना का संचालन, गढ़वाल मण्डल में ओरियन्टल इंश्योरेंस कं0लि0 एवं कुमाऊँ मण्डल में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं0ऑफ इण्डिया लि. द्वारा तथा रबी 2017–18 बीमा योजना का संचालन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं.ऑफ इण्डिया लि. द्वारा किया गया। बीमा कम्पनियों

द्वारा अनुमानित क्लेम की धनराशि ₹ 301 लाख आंकलित की गयी है, जिससे 15,304 कृषक लाभान्वित होंगे।

8.1.9 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission-NFSM): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चावल, गेहूं, दालों तथा मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश मे संचालित है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल और गेहूं, दालों तथा मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ाना तथा मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता, रचनात्मकता तथा रोजगार के अवसर अर्जित करना है। योजनान्तर्गत कुल 7,741 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फसल प्रदर्शन कार्य किये गये एवं 5,738 कु0 अधिक उपजदायी बीजों का वितरण किया गया। योजना की संसाधन संरक्षण यंत्र/उर्जा प्रबंधन मद के अन्तर्गत 660 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया।

8.1.10 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): योजना के अन्तर्गत 22 विभागों की 207 परियोजनायें सम्मिलित हैं, जिनमें से 149 परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना में कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, डेयरी विकास, जड़ी–बूटी, सुगंध पौध की खेती, गन्ना, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, नैशनल सीड कॉरपोरशन, एन0आई0आर0डी0, यू0एल0डी0बी0 आदि विभागों की परियोजनायें सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत ₹ 4,339.23 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 3,004.72 लाख व्यय किया गया। 61 परियोजना के लक्ष्य के सापेक्ष 39 परियोजनाओं की पूर्ति की गयी। उक्त 39 परियोजनाओं की पूर्ति हेतु 15 विभागों को धनराशि उपलब्ध कराई गयी है।

8.1.11 कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology - NMAET)

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (NMAET) के अन्तर्गत तकनीक की प्रसार प्रणाली किसान आधारित बनाने के लिए शुरू की गई है। इस मिशन को चार उप–मिशन में विभाजित किया गया है–

(अ) कृषि विस्तार उप–मिशन (SMAE/ATMA)
(ब) बीज एंव रोपण सामग्री उप–मिशन (SMSP)
(स) कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन (SMAM)
(द) पौध सरंक्षण एव पादप संगरोध (SMPP)

उक्तयोजनान्तर्गत **SMPP के अतिरिक्त अन्य तीनों उप मिशन राज्य में संचालित** है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु ₹ 1619.71 लाख प्रविधान किया गया है।

(अ) कृषि विस्तार उप–मिशन (Sub Mission on Agriculture Extension -SMAE): कृषि प्रसार के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 474.80 लाख धनराशी स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई है। वर्ष 2017–18 में जनवरी 18 तक 10117 मानव दिवस प्रशिक्षण, 1311 प्रदर्शन तथा 9211 मानव दिवस भ्रमण कार्यक्रम, 320 क्षमता विकास कार्यक्रम, 190 फार्म स्कूल आयोजित किये गये हैं।

(ब) बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (Sub Mission for Seed and Planting material - SMSP)

बीज ग्राम कार्यक्रम: वर्तमान में 550 कु0 बीज 35 हजार कृषकों को वितरित किये गये हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम–

हिल सीड बैंक (Hill Seed Bank): यह इस वर्ष का नवीन कार्यक्रम है। पर्वतीय क्षेत्रों के परम्परागत फसलों को बढ़ावा दिये जाने हेतु मण्डुवा, सांवा, गहथ, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूँ एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसे सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2017–18 में 565 है0 में बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसके लिये ₹ 125.00 लाख उपलब्ध कराया गया है।

बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification): कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाये रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए ''उत्तराखण्ड राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी'' उत्पादकों को पंजीकृत कर रही है।

(स) कृषि यन्त्रीकरण (Sub Mission on Agriculture Mechanisation - SMAM): इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि यंत्र/मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वर्ष 2017–18 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ₹ 791.45 लाख के सापेक्ष ₹ 356.16 लाख अवमुक्त किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में जनवरी 2018 तक 9 कस्टम हायरिंग सेन्टर, 8 फॉर्म मशीनरी बैंकों की स्थापना, 33 ट्रेक्टर, 9 पावर टिलर, 32 पावर वीडर वितरित किये गये।

8.1.12 राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन योजना (National Mission on Oilseeds and Oil Palm - NMOOP): वर्ष 2017–18 हेतु राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 45.41 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों के 507 कुं0 उन्नतशील बीजों का वितरण, 300 है0 फसल प्रदर्शन, लगभग 237 कृषियन्त्रों का वितरण तथा प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम सम्पादित किये जायेंगे।

श्री देव सुमन फॉर्म मशीनरी बैंक योजनाः भारत सरकार द्वारा भी कृषि यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत 300 अतिरिक्त फॉर्म मशीनरी बैंक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये ₹ 30.00 करोड़ स्वीकृत किया गया है। कृषक समूहों को फार्म मशीनरी बैंक 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। जिससे आने वाले समय में लधु एवं सीमान्त कृषकों के ऊपज में वास्तविक उत्पादन लागत में कमी आयेगी तथा उसकी आय पर प्रत्यक्ष रूप में वृद्धि होने की सम्भावना है।

8.1.13 उर्वरक उपभोग

उर्वरक एक ऐसा आदान है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 2002–03 के 1,25,977 मी0 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 2,03,560 मी0 टन हो गया। वर्ष 2017–18 में लगभग 1,41,500 मी0टन उर्वरक पोषक तत्त्वों को वितरित किया जाएगा।

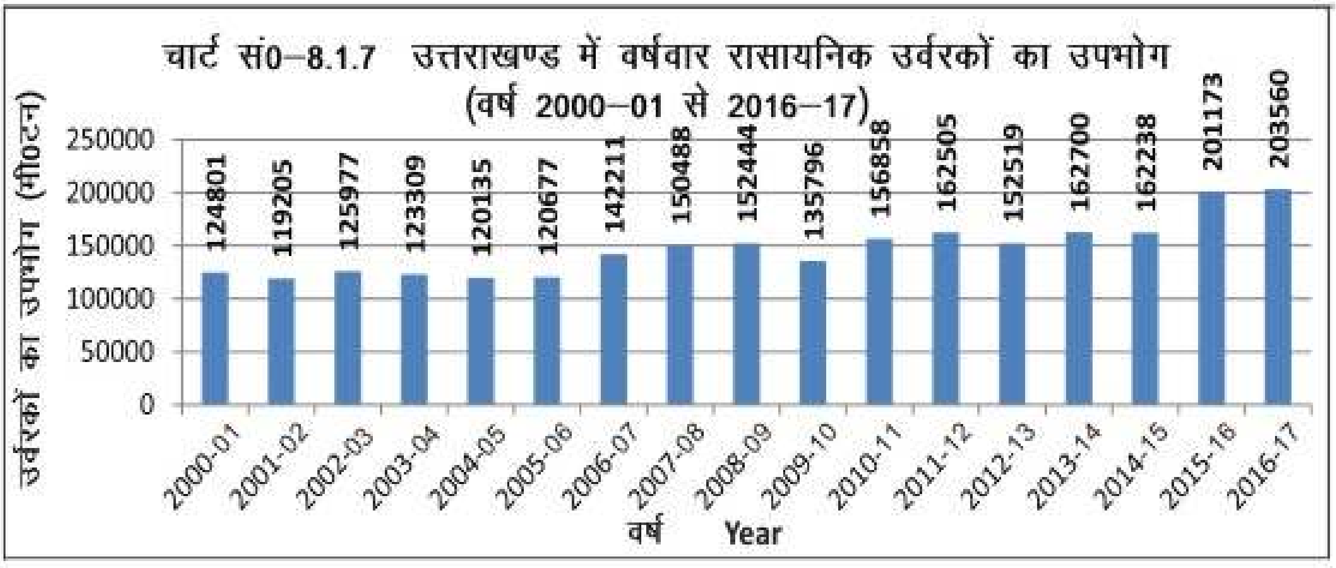

8.1.14 कृषि ऋण: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सूचना के अनुसार वर्ष 2016–17 के माह मार्च 2017 तक कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण निम्नानुसार है–

तालिका–8.1.3

लोन का प्रकार	लोन संख्या	धनराशि (लाख ₹ में)
क्राप लोन	5,16,967	5,907
टर्म लोन	1,57,559	2,618
योग	6,74,526	8,524

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सूचना के अनुसार माह 31 दिसम्बर, 2017 तक 454631 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए है।

8.1.15 राज्य सेक्टर योजनायें

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में **कृषि विकास योजना** प्रदेश के 68 अनुसूचित जाति एवं 10 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल बजट प्राविधान ₹350.00 लाख रखा गया था।

(ख) वीर शिरोमणी माधो सिंह भंडारी, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम: असिंचित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 से एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम (IMA Village) योजना संचालित की जा रही है। योजना कलस्टर आधारित होगी। एक कलस्टर में कम से कम 100 कृषकों को सम्मिलित किया जायेगा। योजना तीन वर्ष के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें ₹ 8,075.00 लाख धनराशि प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2017–18 के लिये राज्य सरकार द्वारा ₹ 50.00 लाख स्वीकृत किया गया है। योजना को अन्य केन्द्रपोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं से भी डबटेल किया जायेगा।

8.1.16 कृषि विपणन (Agricultural Marketing)

कृषि विपणन प्रदेश में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के क्रय–विक्रय, वर्गीकरण, उत्पादकों एवं विक्रेताओं के मध्य न्यायपूर्ण व्यवहार, कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने, उत्पादकों को उनके परिश्रम का यथोचित प्रतिफल एवं उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने, वसूल किए जाने वाले व्यापारिक परिव्ययों पर नियंत्रण, अनाधिकृत कटौतियों एवं माप–तौल की विसंगतियों को रोकने, कृषकों/व्यापारियों के मध्य उत्पन्न विवादों के त्वरित समाधान, उत्तम भण्डारण की व्यवस्था, किसानों को बाजार भाव की जानकारी देने, विपणन हेतु नवीनतम सेवाएं उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से एक मंच के रूप 27 मण्डियां अधिसूचित है जिनमें से 23 मण्डी समितियां क्रियाशील है। अधिसूचित मण्डी समितियाँ के अन्तर्गत कुल 44 उप मण्डी स्थल तथा 27 साप्ताहिक बाजार संचालित है। प्रदेश में मण्डियों में नोटिफाइड 93 जीन्सों पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस देय है, जो मण्डियों की आय का मुख्य स्रोत है।

चार्ट– 8.1.8 में कृषि विपणन से प्राप्त आय का वर्षवार विवरण दिया गया है, जिसमें वर्ष 2012–13 में पर्याप्त वृद्धि हुयी है, जबकि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 तक आय में सामान्य वृद्धि देखी गयी है। वर्ष 2016–17 के उपरान्त राईस मिलों द्वारा धान की खरीद नहीं किये जाने से मण्डी समितियों में धान की आवक एवं आय में अत्यधिक कमी परिलक्षित हुयी है।

चार्ट–8.1.8 कृषि विपणन से प्राप्त आय (मण्डी शुल्क तथा कुल प्राप्तियां)
(लाख ₹ में)

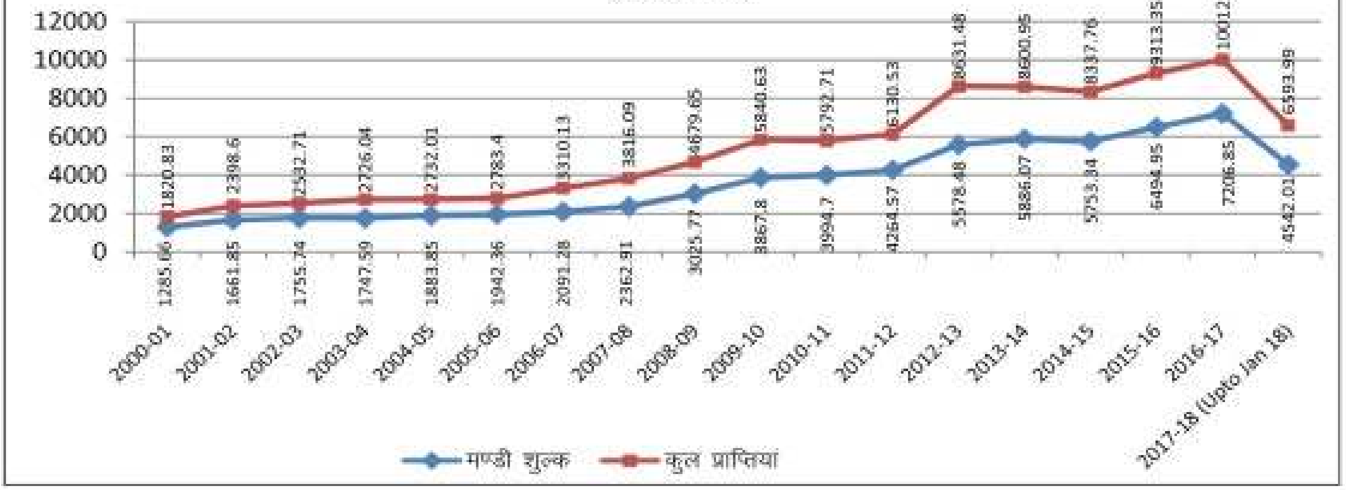

8.1.17 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price): वर्ष 2017–18 में रबी फसल तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस वर्ष 2017–18 के मौसम और वर्ष 2018–19 के विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा रबी की फसलों हेतु निम्न फसलों हेतु समर्थन मूल्य जारी किया गया है:–

तालिका – 8.1.4

खाद्य सामग्री	वर्ष 2017–18		
	एम0एस0पी 2017–18	बोनस	योग (एम0एस0पी+बोनस)
गेहूँ	1,735	–	1,735
जौ	1,410	–	1,410
चना	4,250	150	4,400
मसूर	4,150	100	4,250
सरसों	3,900	100	4,000
सूरजमुखी	4,000	100	4,100
तोरिया	3,800	100	3,900

8.1.18 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) (E-National Agricultural Market : e-NAM)

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) एक पैन इंडिया इलेक्ट्रानिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से सम्बन्धित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा ए0पी0एम0सी0 मंडी का एक प्रसार है। ई–नाम पोर्टल सभी APMC (Agricultural Produce Marketing Committee) से सम्बन्धित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता हे। कृषि बाजार को राज्यों द्वारा उनके कृषि व्यवसाय विनिमय द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में पांच ए0पी0एम0सी0 (गदरपुर, हरिद्वार, काशीपुर, किच्छा तथा सितारगज) ई–नाम पोर्टल से जुडे हैं। 3.02.2018 तक **7,344 कृषकों** को लाभान्वित किया गया है। 3.02.2018 तक ई–नाम पोर्टल में कुल 1,729 डिजिटल पेमेन्ट (Digital payments on e-NAM) किये गये है जिसका मूल्य ₹ 64,405.26 लाख है।

8.1.19 प्रोत्साहन अभियान: उत्तराखण्ड विपणन बोर्ड द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को मार्केट फी (Market fee) में 10 प्रतिशत रिबेट (Rebate) ई–नाम पोर्टल से व्यापार करने हेतु प्रोत्साहन राशि (Incentive) देने का ऐलान किया है।

प्रस्तावित बाह्य सहायतित 7 वर्षीय पर्वतीय कृषि विकास योजना
(7 Year Hill Agriculture Development Project Assistance by World Bank)

पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती तथा बिखरी जोतों के कारण उत्पादन बहुत कम है। जिस कारण स्थानीय लोगों की कृषि के प्रति रूचि कम होती जा रही है। कृषि भूमि बंजर हो रही है तथा पलायन **(Migration)** बढ़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुचाया जा रहा है तथा खेती करने वाले कृषकों की संख्या घटती जा रही है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये पृथक से विश्व बैंक सहायतित 7 वर्षीय पर्वतीय कृषि विकास योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है, जिस पर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है तथा अग्रिम कार्यवाही गतिमान है। 715 करोड़ की प्रस्तावित योजना के स्वीकृत होने पर पर्वतीय अंचल का विकास होगा तथा पलायन रोकने में सहायता मिलेगी।

8.1.20 कृषि विकास के क्षेत्र में प्रेरणादायक कार्य

बीज बचाओ आंदोलन
"Saving Seeds for Climate Resilience"

श्री विजय जड़धारी द्वारा "बीज बचाओ आंदोलन" की शुरूआत परम्परागत बीजों की विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण तथा व्यवसायिक हितों के लिए विशेष प्रकार के बीजों के बोने के विरोध में हुआ। जड़धर गॉव से शुरू हुये इस आंदोलन ने इस गॉव में लगभग 500 से अधिक बीजों को संजोया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर है।

8.2 गन्ना एवं चीनी (Sugar and Cane)

8.2.1 सामान्य विवरणः उत्तराखण्ड के गन्ना किसानों के उत्थान तथा उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में गन्ने की खेती तथा चीनी उद्योग का प्रमुख योगदान रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के भावर व तराई क्षेत्र के चार जनपदों ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून में गन्ने की खेती होती है। उत्तराखण्ड के उक्त चारों जनपदों के चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य की 14 सहकारी गन्ना विकास समितियॉ एवं एक चीनी मिल समिति के 1.72 लाख से भी अधिक कृषक सदस्य हैं जो राज्य में स्थित 7 चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते हैं, जिनमें 02 सहकारी (बाजपुर, नादेही), 02 सरकारी (किच्छा तथा डोईवाला) तथा 03 निजी (मै0उत्तम सुगर मिल लि0, लिब्बरहेड़ी, मै0धनश्री प्रोडक्ट लि0, इक्बालपुर तथा मै0आर0बी0एम0एस0 सुगर मिल लि0, लक्सर) है, जिनकी पेराई क्षमता 34,250 टी0सी0डी0 है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2017–18 में गन्ने का क्षेत्रफल लगभग 0.86 लाख हैक्टेयर एवं गन्ना उत्पादन लगभग 598.00 लाख कुन्तल है। जिसके सापेक्ष जनवरी, 2018 तक चीनी मिलों द्वारा कुल 210.60 लाख कु0 गन्ना पेराई करके 19.73 लाख कु0 चीनी का उत्पादन किया गया है।

गन्ने की फसल में मौसम के साथ–साथ सिंचाई तथा उर्वरकीकरण का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वर्ष 2018–19 में मौसम अनुकूल रहा तो गन्ने के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि संभावित है।

8.2.2 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग : एक दृष्टि

तालिका–8.2.1

कुल गन्ना क्षेत्रफल (2017–18)	0.86 लाख है0
गन्ना उत्पादन (2017–18)	598.00 लाख कु0
अनुमानित औसत उपज (2017–18)	695.00 कु0 / है0
कुल संचालित चीनी मिलें	7

पेराई क्षमता 34,250TCD	(सहकारी 6,000, सरकारी 6,500, निजी 21,750)
कुल पेराई वर्ष 2017–18 (दि0 28.01.2018 तक)	210.60 लाख कु0
कुल चीनी उत्पादन (2017–18)	19.73 लाख कु0
कुल गन्ना विकास समितियाँ	15
गन्ना समितियों की सदस्य संख्या	1,72,000
गन्ना विकास समितियों द्वारा कुल नाबार्ड ऋण वितरण (2017–18)	₹18.88 करोड़
गन्ना विकास परिषद्	10

8.2.3 गन्ना के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादनः वर्ष 2000–01 में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 1,16,478 है0 एवं 68,31,440 मी0टन था, जोकि वर्ष 2015–16 में 9,55,38 है0 एवं 56,56,014 मी0टन रहा। जिससे स्पष्ट है कि गन्ने के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में कमी हुई है। वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 **(11 फरवरी, 2018 तक)** उत्तराखण्ड में गन्ने की पेराई तथा चीनी का उत्पादन निम्नानुसार रहा:–

तालिका– 8.2.2

वर्ष	सहकारी चीनी मिल		सरकारी चीनी मिल		निजी चीनी मिल	
	गन्ने की पेराई (लाख कु0)	चीनी का उत्पादन (कु0)	गन्ने की पेराई (लाख कु0)	चीनी का उत्पादन (कु0)	गन्ने की पेराई (लाख कु0)	चीनी का उत्पादन (कु0)
2016–17	38.75	3,71,880	40.52	3,79,775	125.97	11,47,286
2017–18	50.71	4,88,710	42.60	4,08,915	157.14	14,94,053

पेराई सत्र 2017–18 के लिये प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अगैती प्रजाति हेतु ₹326 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) तथा सामान्य प्रजाति हेतु ₹316 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) निर्धारित किया गया है।

8.3 उद्यान (Horticulture)

8.3.1 सामान्य विवरणः औद्यानिकी राज्य के विकास में प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है तथा कृषि फसलों के क्षेत्रफल 7.01 लाख हैक्टेयर के सापेक्ष औद्यानिकी के अन्तर्गत लगभग 2.83 लाख है0 अर्थात लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है जो राज्य की आर्थिकी एवं स्थानीय स्तर पर आजीविका का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में लगभग 2.50 लाख कृषक जिसमें 88 प्रतिशत लघु एवं मझौलें कृषक औद्यानिकी में जुड़े हुए है। राज्य मे औद्यानिकी फसलों का वार्षिक व्यवसाय लगभग ₹3,200 करोड़ का किया जा रहा है तथा राज्य के कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिकी क्षेत्र का (खाद्य प्रसंस्करण सहित) 30 प्रतिशत से अधिक भागेदारी है।

राज्य में फसलवार (फल, सब्जी, आलू, मसाला तथा पुष्पों) आच्छादित क्षेत्रफल एवं उत्पादन के वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में निम्नानुसार रहा–

तालिका–8.3.1

(क्षेत्रफल है0 में, उत्पादन मी0टन, स्पाईक/कटफ्लावर लाख संख्या में)

मद	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
फल	1,75,330	6,59,094	1,77,324	6,62,847
सब्जी	63,945	5,87,119	65,200	5,84,913
आलू	25,890	3,58,244	26,038	3,60,371
मसाला	12,564	85,739	12,701	87,617
पुष्प (स्पाईक)	1,335	1,471	1,403	1,565
पुष्प (लूज)		1,748		2,073
कुल योग	**2,79,064**	**16,93,415**	**2,82,666**	**16,99,386**

तालिका 8.3.1 से स्पष्ट है कि राज्य में औद्यानिकी का क्षेत्रफल वर्ष 2015–16 की तुलना में बढ़ा है, जबकि कृषि हेतु राज्य में क्षेत्रफल कम हो रहा है।

चार्ट– 8.3.1 उत्तराखण्ड में फलों का वर्षवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन

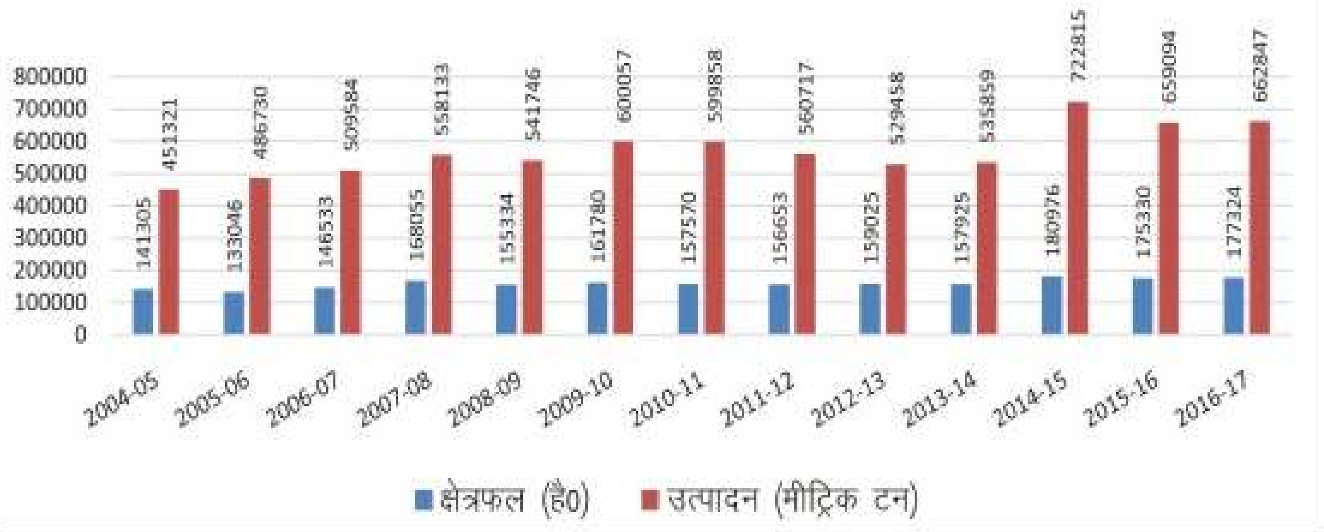

स्रोतः सांख्यिकीय सार उत्तराखण्ड 2015–16

8.3.2 फल उत्पादनः राज्य में वर्ष 2016–17 में मुख्य रूप से आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नीबू वर्गीय आदि का उत्पादन भी किया जाता है, जिनमें आम 36,422 है0 में खेती करते हुए 1,50,140 मै0टन, नीबू वर्गीय फलों की 21,276 है0 में खेती करते हुए 88,904 मी0टन, लीची 10,393 है0 में खेती करते हुए 24,023 मै0टन, आंवला 1,291 है0 में खेती करते हुए 2,393मी0टन, अमरूद 3,433 है0 में खेती करते हुए 19,343 मी0टन उत्पादन का आंकलन है। वर्ष 2016–17 में सेब के अन्तर्गत 25,202 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती करते हुए सेब का उत्पादन 62,062 मीट्रिक टन था। **राज्य में फलों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर सेब व तृतीय स्थान पर आडू का उत्पादन किया जाता है।**

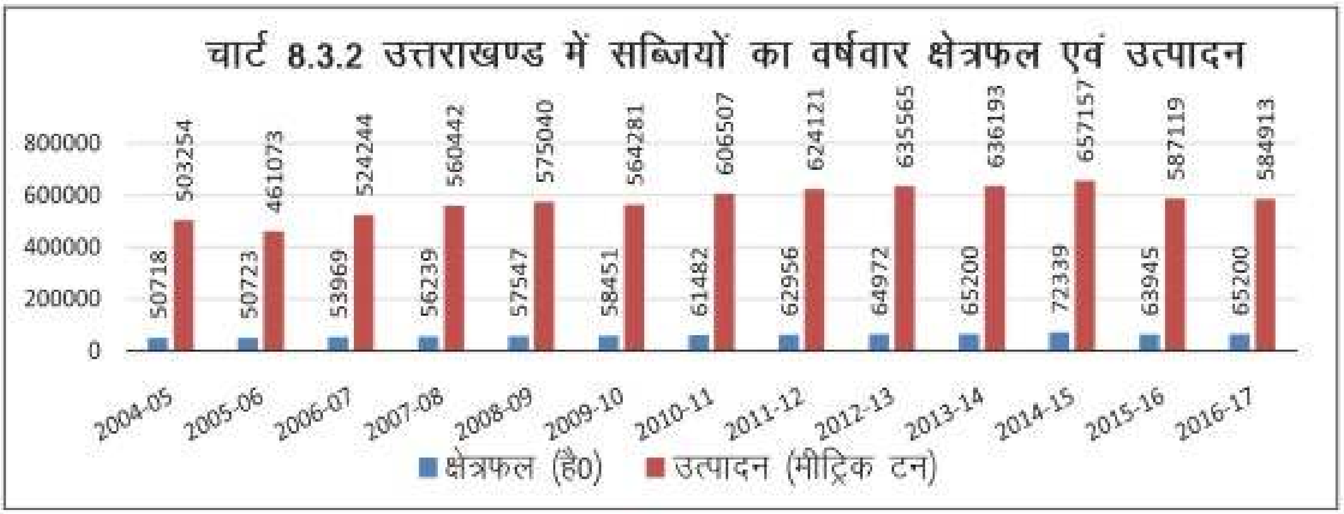

स्रोतः सांख्यिकीय सार उत्तराखण्ड 2015–16

8.3.3 सब्जी उत्पादनः चार्ट 8.3.2 से स्पष्ट है कि राज्य में सब्जी उत्पादन का क्षेत्रफल वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2016–17 में लगभग 29 प्रतिशत बढा है तथा उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। अतः सब्जी उत्पादन व औद्यानिकी उत्पादन की विशेष रणनीति बनाई जाए तो औद्यानिकी क्षेत्र राज्य की आर्थिकी संवर्धन का प्रमुख स्रोत बन सकेगा।

8.3.4 मसाला उत्पादनः राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती की जाती है। मसाला विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 5,000 कु0 बीज कास्तकारों को वितरित किया जाता है। वर्ष 2016–17 में मसालों के अन्तर्गत हल्दी की खेती 1,482 है0 में करते हुए 12,653 मै0 टन उत्पादन, अदरक की खेती 4,475 है0 में करते हुए 47,110 मै0टन उत्पादन, मिर्च की खेती 2,755 है0 में करते हुए 8,857 मै0टन उत्पादन, लहसुन की खेती 1,695 है0 में करते हुए 10,696 मै0टन उत्पादन, धनिया की खेती 1,241 है0 में करते हुए 3,373 मै0टन उत्पादन, बड़ी इलायची की खेती 58 है0 में करते हुए 70 मै0टन उत्पादन, मेथी की खेती 579 है0 में करते हुए 3,315 मै0टन उत्पादन व अन्य मसालों की खेती 415 है0 में करते हुए 1,542 मै0टन उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार राज्य में मसालों के अन्तर्गत **प्रथम स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी व तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है।**

8.3.5 पुष्प उत्पादनः राज्य गठन के समय मात्र 150 है0 में पुष्पों की खेती होती थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 1,403 है0 हो गयी है।

8.3.6 मौन पालन उत्पादनः राज्य में शहद उत्पादन तथा पर परागण द्वारा फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढाने के लिये मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में अब तक राज्य में 5,566 मौनपालकों द्वारा लगभग 62,490 मौनकॉलोनियों के माध्यम से लगभग1,399.88 मी0टन शहद का उत्पादन किया गया है।

8.3.7 मशरूम उत्पादनः इस योजना के अन्तर्गत कास्तकारों को 50 प्रतिशत राजसहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट वितरित किया जा रहा है, साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन, पैकिंग तथा विपणन सम्बंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु कुमाऊ मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट तथा भवाली में 01–01 कम्पोस्ट इकाई स्थापित है एवं गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून के शंकरपुर (सहसपुर) में एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है, जिसके माध्यम से

कृषकों को कम्पोस्ट वितरित की जाती है। मशरूम क्षेत्र में जहाँ एक ओर गुच्छी मशरूम बहुतायत में पैदा किया जा रहा है वही दूसरी ओर ग्लाइकोडोरमा मशरूम को प्रोत्साहित करने के लिए देहरादून में स्वयं सहायता समूह एवं स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से मायशेलियम उत्पादित करने की प्रयोगशाला भी निर्मित की गई है। तालिका 2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 तक मशरूम उत्पादन में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है।

तालिका–8.3.2
वर्षवार मशमरूम उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (मी.टन)
2014–15	7500
2015–16	9000
2016–17	10800
2017–18	11500 (लक्ष्य)

8.3.8 फसल/उद्यान बीमा योजना: राज्य सेक्टर की इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 48,366 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया। वर्ष 2016–17 में ₹ 400.00 लाख का बजट प्राविधान था तथा अवमुक्त ₹ 634.00 लाख तथा व्यय रू 634.00 लाख था। वर्ष 2016–17 में 53,398 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया जिससे 45,731 कृषक लाभान्वित हुए।

8.3.9 राष्ट्रीय बागवानी मिशन: भारत सरकार के वित्तीय सहयोग 90 प्रतिशत से संचालित इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 56 हैक्टेयर क्षेत्र में फलों का सघन, 676 हैक्टेयर सामान्य क्षेत्रफल विस्तार, 975 हैक्टेयर में सब्जी, 100 हैक्टेयर में पुष्प, 562 हैक्टेयर में मसाला का क्षेत्रफल विस्तार किया गया है। 310 हैक्टेयर क्षेत्रफल पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार, 110 जल स्रोत्रों का सृजन, 75,000 वर्गमीटर पालीहाउस, 2,00,000 वर्गमीटर एण्टी हेल नेट, 266 औद्यानिक यन्त्र वितरण, 05 मशरुम उत्पादन इकाईयॉ, 2,500 मौन बॉक्स वितरण, 80 पैक हाउस, 01 खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना तथा 2,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान में 3,373.93 लाख धनराशि की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 1,540.00 लाख व्यय किया जा चुका है। पुराने उद्यानों के जीर्णोद्वार योजना में 350 है0 के सापेक्ष 310 है0, मशरूम उत्पादन इकाई स्थापना योजना में 9 के सापेक्ष 5 इकाई, पॉलीहाऊस स्थापना योजना में 75 के सापेक्ष 70 इकाईयां, मधुमक्खी पालन योजना में 5,034 के सापेक्ष 2,500 इकाईयां स्थापित की गई हैं।

8.3.10 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां: वर्तमान में राज्य में कुल 513 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित हैं, जिनमें से 148 बड़ी इकाईयां (Center Licence) हैं तथा 365 छोटी इकाईयॉ (State Licence) हैं। कुल स्थापित इकाईयों में से 403 इकाईयॉ औद्यानिक उत्पादों के प्रसंस्करण से सम्बन्धित हैं। वर्तमान में औद्यानिक उत्पादों के प्रसंस्करण क्षमता 10 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर 2022 तक 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है।

मेगा फूड पार्क

राज्य में ₹ 100–100 करोड़ की लागत से दो मेगा फूड पार्क पहला पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क जनपद हरिद्वार में स्थापित है तथा दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क, महुआखेड़ा, काशीपुर, उधमसिंहनगर में स्थापित किया जारहाहै।

उद्यान कार्ड

उद्यानपतियों का डाटा बेस तैयार करने हेतु अप्रैल, 2017 से अब तक 6,683 उद्यान कार्ड वितरित किये गये हैं। राज्य में औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियों, मसालों व पुष्पों के 1,050 कलस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड के अधीन कुल 88 उद्यान एवं पौधालय है। जिनमें सर्वाधिक 15 उद्यान एवं पौधालय जनपद पिथौरागढ़ में है।

8.3.11 हर्बल सेक्टर

राज्य गठन के बाद प्रदेश में हर्बल सेक्टर के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड की स्थापना 2001 में की गई। जुलाई 2010 से राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड को सुदृढ़ करते हुए इसके मुख्यालय को देहरादून में स्थापित कर दिया गया है। बोर्ड के अन्तर्गत जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर जनपद चमोली तथा सगन्ध पौधों के क्षेत्र में सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में औषधीय एवं सगन्ध पादपों के प्रसार का कार्य भेषज विकास इकाई, देहरादून द्वारा भी किया जा रहा है।

8.3.12 जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान: संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवमुक्त ₹ 350 लाख के सापेक्ष ₹ 350 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2012 से आतिथि तक संस्थान द्वारा कुल 2,844.45 हे0 भूमि में जड़ी–बूटी कृषिकरण कराया गया है। जबकि आतिथि तक कृषकों को जडी–बूटी कृषिकरण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 76 प्रशिक्षण शिविरों में कुल 2412 कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया इसके अतिरिक्त परसारी (जोशीमठ), धनोल्टी, मुनस्यारी, मण्डल, एवं गदरपुर, में सस्थान की कुल 8 नर्सरियों में औषधीय एवं संगन्धपौधों की रोपण सामग्री तैयार की जाती है, जिसमें वर्ष 2012 से आतिथि तक विभिन्न प्रजातियों की कुल 58.85 लाख पौध का उत्पादन किया गया है। साथ ही जनपद बागेश्वर के कपकोट एवं जनपद टिहरी के मुखेम में दो उपकेन्द्रों की स्थापना की गयी है।

जड़ी–बूटी पंजीकृत कृषक, कृषिकरण एवं उत्पादन का विवरण (2003–04 से 2017–18 तक)

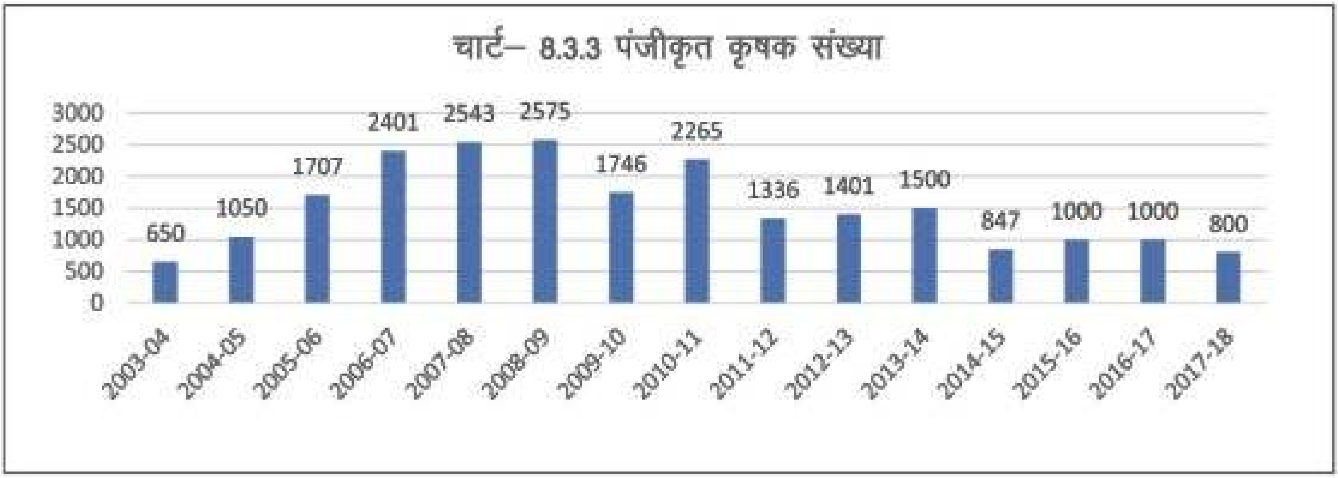

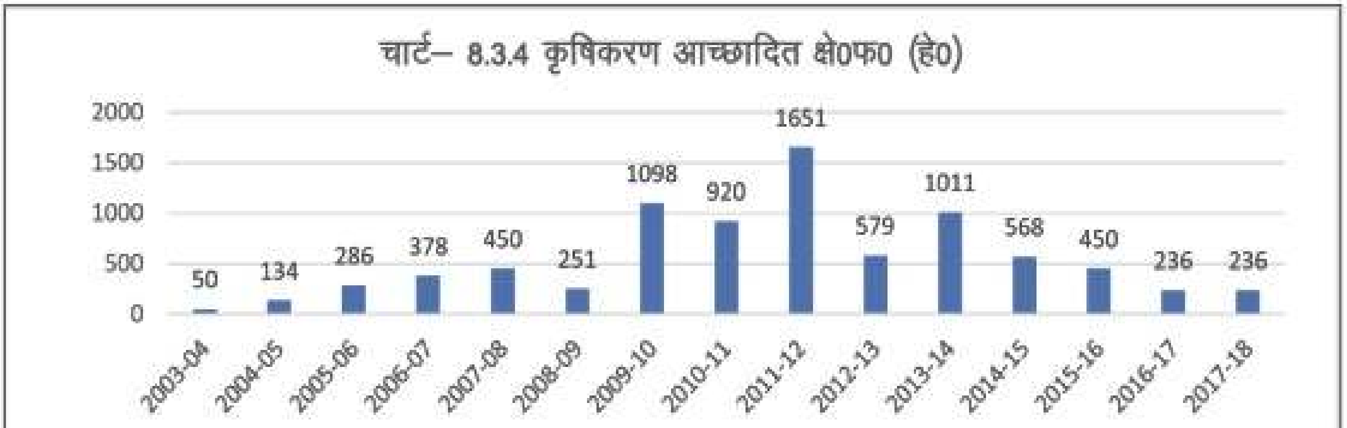

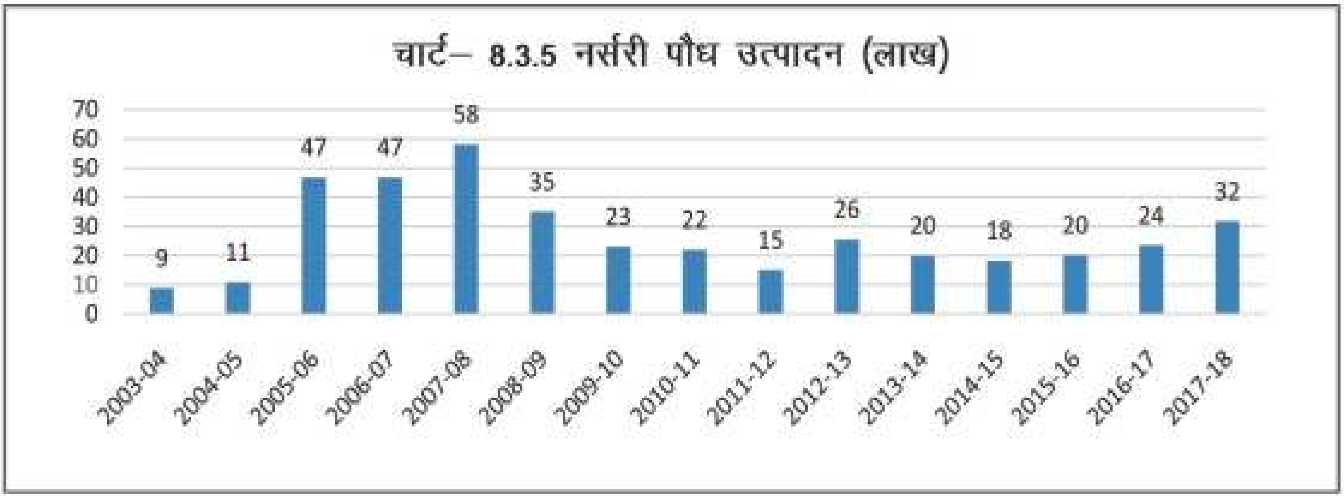

चार्ट 8.3.3 से स्पष्ट है कि गत वर्षो में कृषकों का जड़ी–बूटी कृषि हेतु पंजीकरण कम हुआ है, जिसका मुख्य कारण खाता–खतौनी को आधार से लिंक करावाने में काश्ताकरों का रूचि न लेना है। चार्ट 8.3.4 तथा 8.3.6 से स्पष्ट है कि गत वर्षो में जड़ी–बूटी के क्षेत्रफल व उत्पादन में भी कमी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि मात्र उन्हीं कृषकों के आंकड़े प्राप्त हो रहे है जो भेषज इकाई के माध्यम से कृषिकरण एवं बिक्री कर रहे है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त कार्यप्रणाली न होने के कारण क्षेत्रफल व उत्पादन के सम्पूर्ण आंकड़ें एक पटल पर उपलब्ध नहीं है। अतः सुझाव है कि प्रर्याप्त आंकड़े का एकत्रीकरण एवं रख–रखाव किया जाना चाहिए ताकि ससमय वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके।

8.3.13 उत्तराखण्ड में एरोमैटिक सेक्टर का वर्तमान परिदृश्य एवं संभावनायें: उत्तराखण्ड की कृषि में आ रही बाधाओं, उपलब्ध प्राकृतिक ऐरोमैटिक फ्लोरा एवं एरोमैटिक सेक्टर के बढते बाजार के मध्यनजर राज्य सरकार ने वर्ष 2003 में 'सगन्ध पौधा केन्द्र', [CENTRE FOR AROMATIC PLANTS (CAP)] की स्थापना की गई। कैप की स्थापना का उददेश्य शोध एवं प्रसार आधारित सगन्ध पौधों की सतत् खेती में बढावा देते हुये कृषकों के आर्थिकी तथा जीवन स्तर में सुधार लाना है।

8.3.14 उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में सगन्ध फसलें क्यों: उत्तराखंड की खेती में किसानों को आ रही कठिनाइयों जैसे कि जगंली जानवरों द्वारा नुकसान, असिंचित खेती, ढुलान की समस्या आदि का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान खेती छोड रहे हैं तथा अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे है, जिस

कारण खेती बंजर होती जा रही है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सगन्ध फसलों की खेती पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक समाधान के रुप में उभरी है।

कैप स्थापना के फलस्वरूप वर्ष 2003 से अब तक 109 एरोमा कलस्टरों में 20000 कृषकों द्वारा लगभग 7600 हे0 क्षेत्रफल में सगन्ध फसलों की खेती की जा रही है, जिसका टर्न ओवर लगभग ₹ 70 करोड़ है। आसवन यूनिट (DISTILLTION UNIT), सगन्ध फसलों के कृषिकरण में एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आसवन के बिना सगन्ध फसलों के कृषिकरण नहीं किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड में 178 आसवन सयंत्र विभिन्न जिलों में MICRO ENTERPRISES के रूप में किसानों द्वारा संचालित की जा रही हैं। साथ ही केन्द्र द्वारा सगन्ध फसलों के षिकरणकृ एवं प्रसंस्करण के माध्यम से 38,000 मानव दिवसों का सृजन किया गया है।

तालिका–8.3.3

सगन्ध पौधा केन्द्र की उपलब्धियां

क्र.स.	विवरण	प्रगति (2003–04 से 2016–17)	वर्तमान प्रगति (2017–18)
1	कृषित क्षेत्रफल (हे0)	7,284	406
2	कृषकों की संख्या	18,176	1,858
3	सुगन्धित तेल/हर्ब का उत्पादन (टन)	1,663	692
4	आसवन संयत्रों की स्थापना (संख्या)	178	02
5	रोजगार सृजन (संख्या)	36,420	2,030
6	प्रशिक्षित कृषकों की संख्या	14,000	1,077
7	एरोमा कलस्टर की संख्या	109	03

8.3.15 विभिन्न सगन्ध उत्पादों के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य

तालिका–8.3.4 (क) कृषित प्रजातियां

प्रजाति	दर (₹)/किग्रा	प्रजाति	दर (₹)/किग्रा
1. लैमनग्रास तेल	1,000	9. जिरेनियम तेल	1,2000
2. सिट्रोनेला तेल	1,200	10 स्याहजीरा (Caraway) तेल	5,000
3. पामारोजा तेल	2,000	11. तेजपात तेल	3,000
4. तुलसी तेल	950	12. डैमस्क गुलाब तेल	5,00,000
5. पिपरमिन्ट तेल	2,000	13. डैमस्क गुलाब फूल	100
6. कैमोमाईल फूल (डंडी रहित)	350	14. ओरेगेनो तेल	8,500
7. गेन्दा तेल	6,000	15.तुलसी (ग्रेटिशियम एवं सेनटम) तेल	4,500
8. आर्टिमिसिया (एनुवा) तेल	3,500	16. थाईम तेल	1,500

तालिका–8.3.5 (ख) स्थानीय सगन्ध खरपतवार प्रजातियां

प्रजाति	दर (₹)/किग्रा	प्रजाति	दर (₹)/किग्रा
1. लैन्टाना तेल	7,700	6. भंगजीरा तेल	3,300
2. सुरई तेल	2,400	7. चीनोपोडियम तेल	2,750
3. गनियाग्रास तेल	1,100	8. माल्टा तेल	1,500
4. आर्टिमिसिया(वलगेरिस) तेल	4,200	9. यूकेलिप्टस (हाईब्रिडा) तेल	650
5. यूपोटोरियम तेल	6,500	10.वाइल्ड पचौली तेल	4,600

सगन्ध फसलों की इन्ही खूबियों के कारण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों में कृषिकरण एवं आसवन के माध्यम से उद्यमिता विकास कर रोजगार के साधन सृजित किये जा सकते है तथा पलायन रोकने में एरोमैटिक सेक्टर अहम भूमिका निभा सकता है।

8.3.16 चाय विकास

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निष्प्रयोज्य भूमि को भू–स्वामियों से लीज पर लेकर उस पर चाय बागानों की स्थापना की जा रही है। बोर्ड द्वारा किसानों की परती भूमि को 07 से 30 वर्ष तक की समय सीमा हेतु लीज पर ली जाती है। बोर्ड द्वारा लगभग 1,140 है0 भूमि पर चाय बागान विकसित कर, इनका रखरखाव किया जा रहा है। क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए बोर्ड द्वारा स्वयं की 04 प्रसंस्करण इकाईयों (हरिनगरी, श्यामखेत, चम्पावत एवं भटौली) स्थापित कर चाय का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में लगभग 65,300 किग्रा0 प्रसंस्कृत चाय का उत्पादन, 45 हैक्टेयर क्षेत्रफल में नया चाय प्लान्टेशन किया गया है। वर्ष 2018–19 में 96,000 किग्रा0 प्रसंस्कृत चाय का उत्पादन, 160 हैक्टेयर में नये चाय बागान विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.3.17 जैविक चाय की खेती को बढ़ावा– वर्तमान में कुल उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत जैविक चाय तैयार की जा रही है।

8.3.18 चाय पर्यटनः चाय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु श्यामखेत (घोड़ाखाल), नैनीताल को प्रथम चरण में चयनित किया गया है इस चाय बागान में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु बागान के बीच में आवश्यक सुविधाओं का विकास, चाय बिक्री हेतु आउटलेट तथा भारतीय पर्यटकों से प्रवेश शुल्क ₹ 20 तथा विदेशी पर्यटकों से प्रवेश शुल्क ₹ 50 प्रति पर्यटक रखा गया है, इस बागान में प्रतिवर्ष लगभग 80,000 पर्यटक आते है।

तालिका– 8.3.6

वर्ष	बागवानों का रखरखाव (है0 में)	हरी पत्तियों का उत्पादन (लाख कि0ग्रा0)
2014–15	939	1.56
2015–16	1008	2.86
2016–17	1098	3.34
2017–18	1144	2.96 (जनवरी, 2018 तक)

मशरूम से रोजगार सृजन
"Employment through Mushroom Cultivation"

(क) दिव्या रावत द्वारा जनपद चमोली में **सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था** का गठन वर्ष 2013 में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। वर्तमान में संस्था का सकल विक्री मूल्य 50 लाख प्रतिवर्ष है। कु0 दिव्या रावत को मशरूम उत्पादन हेतु उत्तराखण्ड राज्य का ब्रान्ड एम्बेस्टर घोषित किया गया है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जनपदों में उद्यमी युवक/युवतियों द्वारा स्थानीय उपयोग हेतु मशरूम उत्पादन का कार्य त्वरित गति से चल रहा है, जिसमें युवकों की आय में लगातार परिवर्तन हुआ है। मशरूम उत्पादक जनपदों में जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौड़ागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून तथा नैनीताल प्रमुख हैं।

(ख) कु0 रंजना रावत द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में **''गढ़ माटी संगठन''** की स्थापना वर्ष 2016 में ग्रामीण आंचलों में मशरूम, नगदी फसल एवं सब्जियों के उत्पादन कर किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु किया गया।

8.3.19 रेशम विकासः रेशम विभाग द्वारा राज्य में रेशम प्रक्षेत्र, शहतूत वृक्षारोपण एवं कोया उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2007–08 में राज्य में 507 एकड़ के क्षेत्रफल के साथ 72 रेशम प्रक्षेत्र, सरकारी प्रक्षेत्रों में 59.8 हजार शहतूत वृक्षारोपण तथा निजी प्रक्षेत्रों में 211.6 हजार वृक्षारोपण किये गये। बाद के वर्षों में रेशम प्रक्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा सरकारी एवं निजी प्रक्षेत्रों में शहतूत वृक्षारोपण में तेजी से कमी आयी। वर्ष 2007–08 में 1,14,005 कि0ग्रा0 कोया उत्पादन किया गया है, जो 2015–16 में बढ़कर 2,23,252.00 कि0ग्रा0 हो गया।

आयुष ग्राम : एक नयी पहल

पर्यटन तथा आयुर्वेदिक विभाग की सहायता प्रत्येक जिले में एरोमैटिक प्लान्ट तथा औषधीय पौधों के क्लस्टर के समीप स्थित ग्रामों में से एक–एक ग्राम को आयुष ग्राम के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। इन ग्रामों को होम स्टे योजना से भी जोड़ें जाने की कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन व रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके।

जैविक खेती (Organic Farming)

मा0 प्रधानमन्त्री जी द्वारा केदारनाथ यात्रा के दौरान उत्त्ज्ञाराखण्ड प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने की घोषणा की गयी है, जिसको मूर्त रूप देने की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्तमान तक प्रदेष के 10 विकासखण्डों को 2005 में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पूर्ण जैविक घोषित किया जा चुका है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अब तक 585 क्लस्टर संचालित हैं, जिनमें 28 हजार है0 में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आच्छादित है। भारत सरकार द्वारा 03 वर्षों के लिये 10 हजार अतिरिक्त जैविक क्लस्टर हेतु ₹ 1,509.95 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् विगत 14 वर्षों से प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों का समूह के रूप (Group Certification) में न्यूनतम खर्चे पर जैविक प्रमाणीकरण (Low Cost Certification) का कार्य करा रहा है। वाह्य निरीक्षण एवं जैविक प्रमाणीकरण का कार्य उत्तराखण्ड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टीफिकेसन एजेंसी, देहरादून द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016–17 में जैविक प्रमाणीकरण हेतु 50,026 कृषकों का पंजीकरण कृषि विभाग एवं जैविक उत्पाद परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसके सापेक्ष 44,262 कृषकों (22,565.55 है0) को जैविक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

दिनांक 17–19 जनवरी, 2016 को सिक्किम में आयोजित "National Conference on Sustainable Agriculture and Farmer's Welfare" में उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद को" Dedicated Institution for extension, training, market facilitation and certification, model value chains and android app based information dissemination platform" घोषित किया गया।

दिनांक 19–21 जनवरी, 2018 को ही बैंगलोर में कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित" International Trade Fair : Organics and Millets-2018" में उत्तराखण्ड के नैनीताल जनपद में रामनगर विकासखण्ड के ग्राम मनकण्ठपुर की महिला जैविक कृषक श्रीमती सावित्री गजरौला को जैविक क्षेत्र में कार्य करने वाले "Best Farmer" के रूप में पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार स्वरूप उनकों ₹25 हजार की चैक तथा प्रशस्ती–प्रमाण पत्र दिया गया है।

वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना कराने का कार्यक्रम

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सत्त विकास लक्ष्य की पूर्ति के लिये **कृषि के विकास के साथ कृषकों के आर्थिक उन्नयन** हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है। न्यू इण्डिया मंथन संकल्प से सिद्धि के तहत वर्ष 2022 तक **कृषकों की आय दोगुनी करने का संकल्प** प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के तकनीकी मार्गनिर्देशन में रणनीति तैयार कर ली गयी है। कृषकों की आय दोगुना करने के लिये कृषि से जुड़े ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिससे कृषकों को त्तकाल एवं दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए **कृषि के साथ–साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, डेयरी विकास जड़ी–बूटी/सगंध पौध की खेती, गन्ना, पुष्प उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि क्षेत्रों को प्रोत्साहित** किया जायेगा। जल संरक्षण, माइक्रो इरीगेशन को बढ़ावा दिया जायेगा तथा परती भूमि, कृषि बंजर भूमि, ग्राम सभा की भूमि, ग्राम पंचायतों की भूमि को भी कृषिकरण के प्रयोग में लाने का प्रयास किया जायेगा।

विश्व बैंक सहायतित परियोजनाएं

इस योजना के अन्तर्गत औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु नर्सरी स्थापना, फल, सब्जी, मसाला, पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, पॉलीहाउस में संरक्षित खेती, जीर्णोद्धार, सिंचाई सुविधाओं का सृजन, मशरुम उत्पादन, मौनपालन विकास, औद्यानिक यन्त्रीकरण, चाय विकास, सगन्ध पादप विकास, औषधीय पादप विकास, उत्तर फसल प्रबन्धन, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण आदि घटकों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजसहायता पर किया जायेगा। योजना में मुख्य रूप से विभिन्न फसलों हेतु 05 उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) स्थापित किये जायेगें तथा फसलवार वैल्यू चैन स्थापित की जायेगी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायत्ति एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 07 वर्षीय ₹700.00 करोड़ के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अध्याय–9

सहकारिता

Co-operative

किसानों की आय दोगुनी करने तथा भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों, सहित बेरोजगार युवाओं को सहकारिता से जोड़ते हुए उन्हें प्रदत्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में 276 सहकारी बैंक शाखायें कार्यरत हैं, जिसमें 15 राज्य सहकारी बैंक शाखायें, 255 जिला सहकारी बैंक शाखायें तथा 6 महिला शाखायें संचालित है, वर्तमान में शतप्रतिशत शाखायें सी0बी0एस (C.B.S) हो चुकी हैं। निबन्धित 759 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) विभागीय नियंत्रण में कार्य कर रही हैं, जिसमें से 187 समितियाँ लक्ष्य के अनुरूप व्यवसाय न होने के कारण घाटे पर चल रही है। समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करने तथा अनुदानित बीज एवं उर्वरक माप के अनुसार उपलब्ध कराये जाने से कृषकों की उत्पादन लागत में कमी आयी है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों द्वारा दुकान, डेरी व्यवसाय, कारपेन्टर, फेब्रिकेशन, साईकिल मरम्मत, टेलरिंग आदि हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से अनुदानित ऋण प्राप्त कर स्वतः रोजगार संचालन से जीवन स्तर में सुधार लाया जा रहा है। योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

9.1 राज्य सेक्टर योजनायें

9.1.1 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदानः इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 1,500 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 6.00 लाख प्राप्त अनुदान के सापेक्ष ₹ 0.51 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

9.1.2 उर्वरक परिवहन पर राज सहायताः इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में 80,798 मी० टन उर्वरक विक्रय किया गया। वर्ष 2017–18 में योजना के संचालन हेतु अवमुक्त ₹ 140.00 लाख के सापेक्ष शत–प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है।

9.1.3 पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजनाः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उनमें मिनी बैंकों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्रामीण बचत में ₹ 1,948 लाख की निक्षेप वृद्धि की गई, योजना के संचालन हेतु ₹ 40.00 लाख की धनराशि अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 25.60लाख व्यय किया जा चुका है।

9.1.4 सहकारी सहभागिता योजनाः सहकारी समितियों के माध्यम से लघु/सीमांत कृषकों एवं बी०पी०एल० परिवारों के सदस्यों द्वारा लिये गये ऋण पर देय ब्याज में से 4 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दिसम्बर 2017 तक योजनान्तर्गत ₹ 46172.00 लाख ऋण वितरण कर 83265 सदस्यों को लाभान्वित किया गया। योजना हेतु ₹ 3560.00 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹ 1360.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसके सापेक्ष ₹ 1129.10 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

9.1.5 दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजनाः प्रदेश में किसानो की आय को दो गुना करने के उद्देश्य से राज्य में लघु, सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित समस्त सैक्टर यथा हॉर्टीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य, मशरूम, जडी–बूटी, उर्वरक, बीज, कृषि यन्त्र,

कृषियेत्तर व्यवसायिक कार्यो में कृषकों को आर्थिक सुविधा प्रदान कराने हेतु 1 अक्टूबर 2017 से **"दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना"** लागू की गयी है। योजनान्तर्गत ₹ 1.00 लाख तक का अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाना है। योजना के संचालन हेतु वर्ष 2017–18 में ₹ 33.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

9.2 जिला सैक्टर योजनायें

9.2.1 ऋण एवं अधिकोषण योजनाः
इस योजना के अन्तर्गत पैक्स (प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति) के सचिवों को वेतन हेतु कॉमन कैडर अनुदान, पैक्स/मिनी बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज पर राहत एवं अंशक्रय हेतु ब्याज रहित ऋण अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 131592 सदस्यों को ₹ 71392 लाख अल्पकालीन ऋण एवं 2854 सदस्यों को ₹ 1424 लाख मध्यकालीन ऋण वितरित किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिसम्बर तक ₹ 396.23 लाख अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 368.89 लाख व्यय कर लिया गया है।

9.2.2 सहकारी क्रय–विक्रय योजनाः इस योजना के अन्तर्गत पैक्स को क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा क्रय विक्रय समितियों के कर्मचारियों को वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2017–18 में समितियों द्वारा 2041 मै०टन गेहूँ व 35976 मै०टन धान खरीद कर कृषकों को वितरित किया गया है। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में कुल ₹ 175.95 लाख का बजट प्राविधानित है। माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 47.50 लाख अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 40.50 लाख व्यय कर लिया गया है।

9.2.3 सहकारी उपभोक्ता योजनाः योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 17.82 लाख का बजट प्राविधानित है। ₹ 10.35 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 10.05 लाख व्यय कर लिया गया है।

9.3 अन्य योजनायें

9.3.1– एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई०सी०डी०पी०): उत्तराखण्ड राज्य के छः जनपदो में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना क्रियान्वित है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिससे राज्य पर पड़ने वाला व्यय भार कम हो जाता है। वर्ष 2017–18 में जनपद–बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी, में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के संचालन हेतु ₹ 835.00 लाख का प्राविधान किया गया है, प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 278.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसका माह दिसम्बर 2017 तक व्यय कर लिया गया है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना पौड़ी द्वारा साधन सहकारी समिति कठुली में जडेसर महादेव महिला स्वयं सहायता समूह तथा साधन सहकारी समिति सिरौली में गौरा महिला समूह की स्थापना कर स्वरोजगार हेतु सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है।

9.4 भावी योजनायें

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु सहकारी क्षेत्र को ₹ 2,600 करोड़ की समेकित सहकारी विकास परियोजना प्रस्तावित है। जिसमें प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स) के विकास हेतु ₹ 454.14 करोड़ प्रस्तावित है। योजना से घाटे पर चल रही पैक्स का विकास करते हुए कृषि ऋण, उर्वरक कार्य, सहकारी अनुबन्धित खेती, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, भंडारण, मुर्गी, मत्स्य पालन, कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य उद्यम स्थापित किया जाना है, जिससे कृषि उद्यान, पशुपालन, सहकारी बैंकिंग व सहकारी

समितियों से जुड़े किसानों को रोजगार उपलब्ध होगा। डी०पी०आर० के अनुसार योजना में सम्मिलित किये जाने वाले निम्न क्षेत्र/सेक्टर प्रस्तावित है:–

1. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां
2. भेड़–बकरी, शशक पालक सहकारी संघ
3. सहकारी डेरी विकास विभाग
4. सहकारी रेशम विभाग
5. बुनकर सहकारी समितियां
6. सहकारी चीनी मिलें
7. सहकारी आवास संघ

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्सों) को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु ₹ 22.77 करोड़ की परियोजना तैयार की गई है, जिसमें ₹ 7.97 करोड़ राज्यांश तथा ₹ 13.66 करोड़ केन्द्रांश पर सहमति हुई है। डिजीटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हुए 1,200 माइक्रो ए०टी०एम०, स्थापित कर 3 लाख कृषकों को ए०टी०एम० कार्ड दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समूहों को सीधे उत्पादकों से खरीद करने के प्रयास किए जा रहे है। वर्तमान में पतंजलि हरिद्वार से समन्वय किया जा रहा है। कर्मचारी कल्याण निगमों की शाखायें भी जनपद स्तर पर खोली जानी प्रस्तावित हैं।

वन विलेज–वन फार्म : एक सफल प्रयास

जनपद पौड़ी के मुख्यालय से 9 कि०मी० की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत के गौरीकोट की 18 महिलाओं द्वारा वर्ष 2014 में **''गौरी स्वयं सहायता समूह''** का गठन किया गया। समूह का उद्देश्य सहकारिता विभाग के एकीकृत सहकारी विकास योजना (आई०सी०डी०पी०) के अन्तर्गत एक ही स्थान पर विभिन्न कृषि व कृषि से सम्बन्धित कार्य जैसे बेमौसमी सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, दलहन व फूल उत्पादन करना है। इस हेतु सर्वप्रथम 4 हेक्टेयर (200 नाली) बंजर भूमि की व्यवस्था की गयी। आई०सी०डी०पी० द्वारा समूह को ₹ 1 लाख की प्रारम्भिक सहायता उपलब्ध करायी गयी जिससे समूह के सदस्यों द्वारा बंजर भूमि को उपजाऊ करना प्रारम्भ किया व अस्थायी कृषि यंत्र, अस्थायी रुप से पानी की व्यवस्था, फसलों की सुरक्षा, भण्डारण हेतु झोपड़ी आदि का निर्माण कराया गया। समूह को विभिन्न विभागों द्वारा निम्न सहायता उपलब्ध करायी गयी–

- मुख्य स्त्रोत से खेत तक पानी लाने हेतु लघु सिंचाई विभाग द्वारा 1 कि०मी० गूल का निर्माण कराया गया ।
- कृषि विभाग द्वारा वाटर 12 वर्मी कम्पोस्ट पिट, 5 लकड़ी की वर्मी पिट, वाटर पावर ट्रैलर व उद्यान विभाग द्वारा बीज, प्लास्टिक कैरेट, कीटनाशक व अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी गयी।
- समूह द्वारा मछली पालन हेतु तालाब निर्माण किया गया, जिस हेतु मत्स्य विभाग द्वारा बीज, व तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी गयी।
- ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा सेल द्वारा समूह के सदस्यों को निर्माण कार्य हेतु मजदूरी प्रदान की गयी।
- वर्ल्ड विजन इंडिया एन०जी०ओ० द्वारा 3 पाली हाऊस का निर्माण कराया गया।
- पशुपालन विभाग द्वारा चूजे व मुर्गी पालन व पाल्ट्री फार्म संचालन हेतु तकनीकी जानकारी दी गयी।

इस प्रकार सदस्यों द्वारा एकीकृत प्रयास से 40 नाली में बेमौसमी सब्जी जैसे मटर, गाजर, बींस, गोभी हरी मिर्च आदि की खेती प्रारम्भ की गयी। उनका प्रयास रंग लाया व सहकारिता विभाग से ₹ 5 लाख का ऋण लेकर समूह द्वारा **वन विलेज–वन फार्म** की परिकल्पना को साकार किया गया।

वर्तमान में 4 हेक्टेयर (200 नाली) बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर एकीकृत कृषि कर बेमौसमी सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, दलहन उत्पादन, फूल उत्पादन आदि कार्य किया जा रहा है।

संस्था के कार्यो को देखते हुए समूह को **यूथ आईकॉन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पुरस्कार** प्रदान किए गये हैं। इस सफलता को सदस्यों के बीच साझा किया जाता है। गौरी स्वयं सहायता समूह, गौरीकोट का प्रयास अत्यंत सफल ही नहीं अपितु पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक आदर्श भी है। भविष्य में संस्था का लक्ष्य मौन पालन एवं इको–टूरिज्म के लिए कार्य करना है।

अध्याय–10

पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

ANIMAL HUSBANDARY, DAIRY AND FISHERIES

10.1 पशुपालन (ANIMAL HUSBANDARY):- पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। 19 वीं पशुगणना 2012 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल पशुधन संख्या 50.22 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 46.42 लाख है।

तालिका 10.1.1 **उत्तराखण्ड राज्य की वर्ष 2012 की पशुगणना का वर्ष 2007 की पशुगणना से तुलनात्मक विवरण व पडोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की पशुगणना 2012**

क0सं0	पशुओ का वर्ग	पशुगणना 2007 उत्तराखण्ड	पशुगणना 2012 उत्तराखण्ड	%वृद्धि / ह्रास उत्तराखण्ड	पशुगणना 2012 पडोसी राज्य हिमाचल प्रदेश
1	क्रासब्रीड गोवंशीय	339427	497592	46.60	983928
2	स्वदेशी गोवंशीय	1895689	1508461	−20.43	1165331
3	कुल गोवंशीय	2235116	2006053	−10.25	2149259
4	महिषवंशीय	1219518	987775	−19.00	716016
5	कुल गोवंशीय तथा महिषवंशीय	3454634	2993828	−13.34	2865275
6	भेड	290411	368756	26.98	804871
7	बकरी	1335306	1367413	2.40	1119491
8	सूकर	19822	19907	0.43	5033
9	कुल कुक्कुट	2601852	4641937	78.41	1104476

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन की हिस्सेदारी चार्ट 10.1.1 में दर्शायी गयी है। वर्ष 2011–12 में प्राथमिक क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी 14.00 प्रतिशत थी तथा पशुपालन का कुल सकल घरेलू उत्पाद में 2.66 प्रतिशत अंश था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017–18 में प्राथमिक क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी घटी (10.50 प्रतिशत) है, जबकि पशुपालन का कुल सकल घरेलू उत्पाद में अंश (2.69 प्रतिशत) लगभग यथावत रहा है।

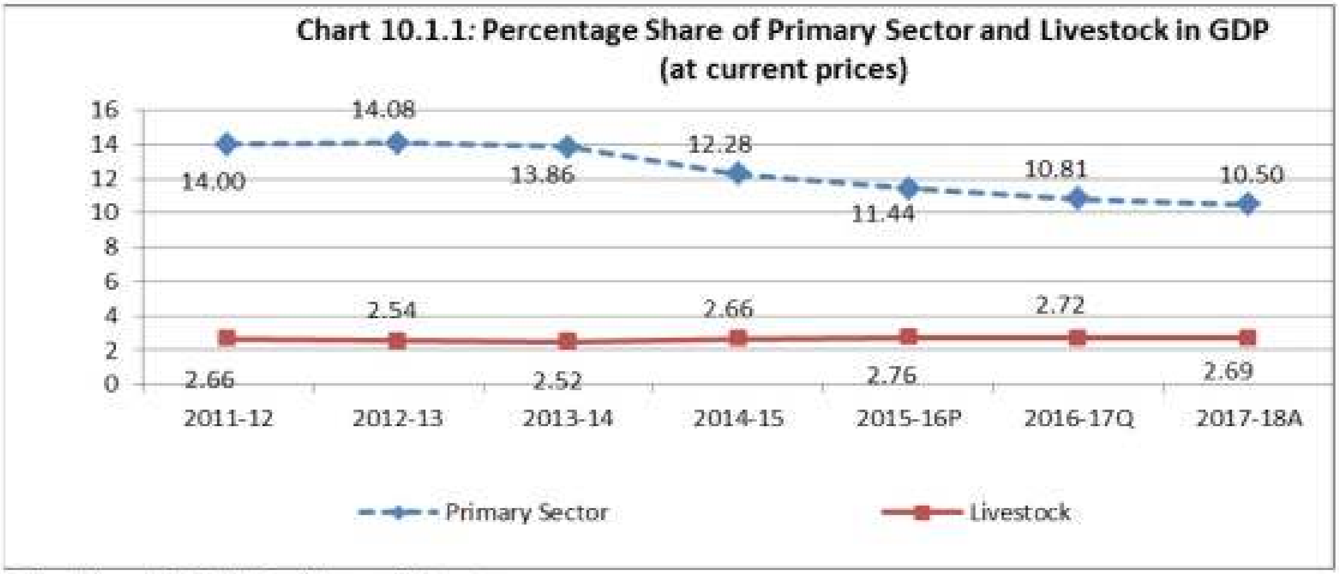

P- Provisional, Q- Quick, A- Advance Estimates

10.1.1 उत्तराखण्ड में पशुधन उत्पाद (Major Livestock Products):- वर्ष 2016–17 में 1692 हजार टन दूध, 538 हजार किलोग्राम ऊन, 4119 लाख अंडे, 284 लाख किलोग्राम मांस का उत्पादन हुआ। राज्य का देश के पशु उत्पाद में अंश तालिका 10.1.2 में दर्शायी गई है।

तालिका 10.1.2 राज्य का देश के उत्पादन में अंशदान व पडोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का उत्पादन

कम सं0	उत्पादन	उत्पादन				राज्य का अंश (प्रतिशत में)
		2015—16	2016—17			
		उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	भारत	
1	दुग्ध उत्पादन (हजार मी0 टन)	**1656**	**1692**	1329	163694	1.03
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	**3907**	**4119**	959	881386	0.47
3	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0 में)	**513**	**538**	1475	43544	1.24
4	मांस उत्पादन(हजार टन)	**2.76**	**28.40**	4.40	7385.62	0.38

वर्ष 2011—12 में दूध का उत्पादन 3.019 कि0ग्रा0 प्रति गाय बढकर वर्ष 2016—17 में 4.103 कि0ग्रा0 हो गया है। वर्ष 2011—12 में दूध का उत्पादन 4.128 कि0ग्रा0 प्रति भैंस बढकर वर्ष 2016—17 में 4.558 कि0ग्रा0 हो गया है। चार्ट 10.1.2 से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा संचालित रोग नियंत्रण तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम का पशु उत्पादकता की वृद्धि में सकारात्मक प्रभाव पडा है। वर्ष 2011—12 (1.446 कि0ग्रा0) से वर्ष 2016—17 (1.506 कि0ग्रा0) तक प्रति भेड वार्षिक ऊन के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

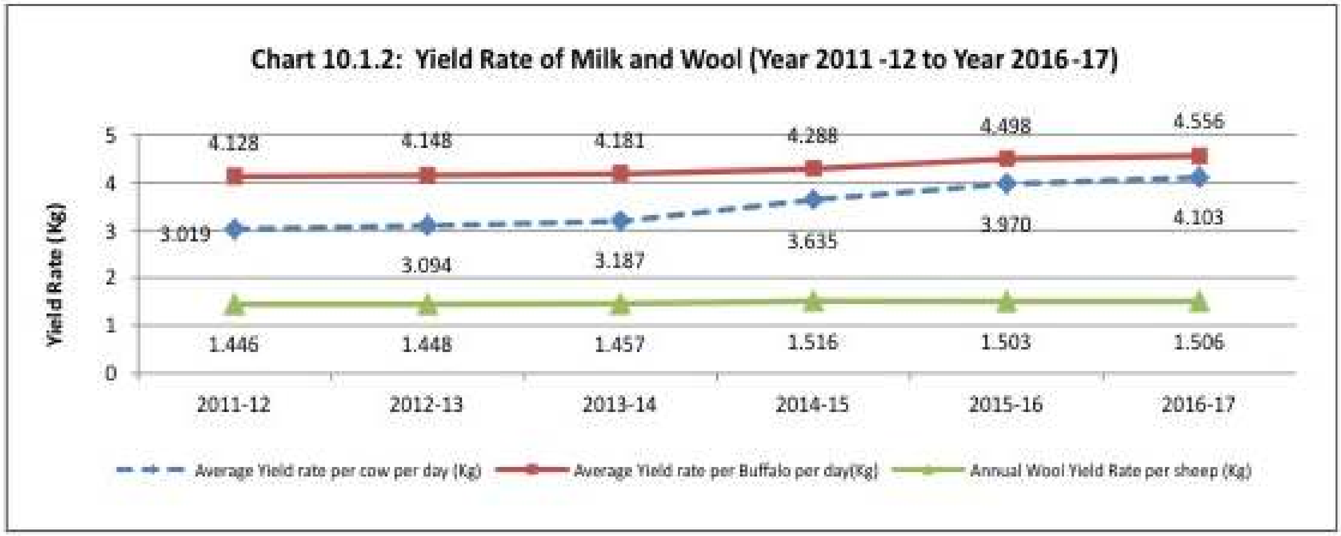

10.1.2 रोजगारपरक कार्यक्रमः— पशुपालन को आजीविका एवं रोजगार से जोडने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

(क) बैकयार्ड पोल्ट्री योजना— इस योजना के अंतर्गत 2016—17 में 13662 कुक्कट इकाईयों की स्थापना कर अनुसुचित जाति एवं जनजाति के लोगों को स्वरोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2017—18 में कुल अनुमोदित ₹ 220.75 लाख के सापेक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक ₹ 152.90 लाख अवमुक्त धनराशि में से ₹ 112.79 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2017—18 में माह दिसम्बर 2017 तक 2185 कुक्कट इकाईयों की स्थापना कर अनुसुचित जाति एवं जनजाति के लोगों को लाभान्वित किया गया।

(ख) भेड बकरी पालन योजना— इस योजना के अंतर्गत भेड बकरी पालको को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु 10 मादा एवं 1 नर की एक ईकाई अनुसुचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को (BPL) 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी

जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 175 बकरी व 86 भेड़ इकाईयाँ स्थापित कर स्वरोजगार प्रदान किया गया।

(ग) गौ पालन योजना– इसके अन्तर्गत अनुसुचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को (BPL) 90% अनुदान पर एक दूधारू गाय उपलब्ध कराकर स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 892 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान किया गया तथा वर्ष 2017–18 में 652 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान किया जायेगा।

(घ) बकरा सांडों का वितरण– उत्तराखण्ड राज्य में बकरी पालकों की संख्या काफी अधिक है। बकरी पालन पशुपालकों की आय का मुख्य स्रोत भी है, परन्तु एक ही प्रकार की प्रजाति से वह अपनी आजीविका हेतु आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। अतः बरबरी / जमुनापारी बकरा सांड क्रय कर 90% अनुदान में वितरित करने की योजना चलाई जा रही है।

10.1.3 रोग नियंत्रण– स्वरोजगारी अपने रोजगार को सुचारू रूप से चलाने हेतु तथा समय–समय पर पशुओं में होने वाले रोगों पर नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता दी जाती है। वर्तमान में पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कुल 328 पशु चिकित्सालय तथा 778 औषधालय हैं। रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न योजनायें संचालित हैः–

पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता **(Assistance to State for Control of Animal Diseases, ASCAD)**

प्रायः देखा जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। केन्द्र सरकार की 90 प्रतिशत सहायता से संचालित ASCAD स्कीम के अन्तर्गत संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु खुरपका–मुंहपका (Foot and Mouth disease), गला घोंटू रोग (Haemorrhagic Septicaemia), लंगडिया बुखार (Black Quarter), रानीखेत डिजीज (Ranikhet Disease), फॉउल पॉक्स (Fowl Pox) एवं एण्टी रेबीस (Anti Rabies) इत्यादि रोगों के टीकाकरण हेतु ब्लाक व जनपद स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन कराया जा रहा है, ताकि स्वरोजगारी पशुपालकों में रोग नियंत्रण सम्बन्धी जानकारी भी रहे। तालिका 10.1.3 में वर्ष 2016–17 में पशुधन एवं कुक्कुटों में टीकाकरण की उपलब्धियां दी गई है।

तालिका 10.1.3 पशुधन एवं कुक्कुटों में टीकाकरण (वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां)
Vaccination in Livestock and Poultry

S.No.	Name of Vaccine	Number of Animals vaccinated (in lakh)
1	Food and Mouth Disease (FMD)	10.84
2	Haemorrhagic Septicaemia (HS)	3.79
3	Black Quarter (BQ)	2.25
4	Anti Rabies (ARV)	0.29
5	Ranikhet Disease (RD)	2.28
6	Fowl Pox (FP)	1.62
7	Pestes des pepitis Ruminants (PRP)	7.29

10.1.4 गायों / भैंसों की नस्ल में सुधार हेतु योजनायें– उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध अवर्गीकृत गायों / भैंसों की नस्ल में अपेक्षित सुधार हेतु निम्न कार्यवाही की गई है।

(क) अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन (Deep Frozen Semen Production)– राज्य के श्यामपुर (जनपद देहरादून) में स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया। वर्ष 2017–18 में 30.20 लाख सीमेन स्ट्रा

का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2017–18 में 2256359 सीमेन स्ट्रा निर्मित करके 1148583 सीमेन स्ट्रा को वितरित किया गया है तथा कार्य प्रारम्भ से दिसम्बर 2017 तक 23501274 सीमेन स्ट्रा निर्मित करके 20693365 सीमेन स्ट्रा का वितरण किया गया है।

(ख) तरल नत्रजन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बल्क उपार्जन, स्टोरेज, परिवहन एवं ए. आई.केन्द्रों के द्वार पर तरल नत्रजन वितरण हेतु सुव्यवस्थित तंत्र विकसित कर लिया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य के 1767 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गयी। राज्य में 33 मार्गों पर 06 वाहनों के माध्यम से तरल नत्रजन, सीमेन स्ट्रा एवं अन्य इनपुट्स की 30 दिन के अंतराल पर उनके द्वार पर निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

(ग) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी के पास कुल क्षेत्रफल 70.30 है0 भूमि है। जिसमें से 41.80 है0 क्षेत्रफल कृषिकृत है तथा 11.16 है0 भूमि पर बगीचा है। प्रक्षेत्र की भूमि की सिंचाई वर्तमान में सिंचाई नहर से की जा रही है, जिससे मात्र 29 है0 क्षेत्र आंशिक रूप से सिंचित है। राष्ट्रीय महत्व की विलुप्त प्रायः रेड सिन्धी नस्ल की देशी गायों के संवर्धन एवं संरक्षण तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पशु प्रजनन फार्म में 658 पशु हैं। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी पर 60 घन मी0/15 किलो वॉट 2 तथा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश पर 25 घन मी0/06 किलो वॉट का 1 बायोगैस संयन्त्र स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा उपरोक्त केन्द्रों के स्व–उपयोग के लिए ऊर्जा आपूर्ति हो रही है।

(घ) राष्ट्रीय महत्व की विलुप्त प्राय रेड सिन्धी नस्ल की देशी गायों के संवर्धन हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी पर यू0एल0डी0बी0 द्वारा भ्रूण प्रत्यारोपण जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गयी है, जिसके द्वारा इस नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अब तक 205 रेड सिन्धी नस्ल की उच्चतम गुणवत्ता की संततियां उत्पन्न की जा चुकी हैं तथा 187 भ्रूण भविष्य के लिए सुरक्षित किये जा चुके हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा राज्य के 64 एवं अन्य राज्यों के 52 अर्थात कुल 116 पशु चिकित्साधिकारियों को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्र द्वारा आयातित शुद्ध होलस्टीन फ्रीजन नस्ल के भ्रूण से 49 (27 नर एवं 22 मादा) होलस्टीन फ्रीजन नस्ल की संततियां एवं आयातित शुद्ध नस्ल के भ्रूण से 32 (17 नर एवं 15 मादा) जर्सी नस्ल की संततियां उत्पन्न की जा चुकी हैं।

(ङ) कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत 1326 कार्यरत ए.आई. केन्द्रों के माध्यम से पशुपालक के द्वार पर ए.आई.सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लगभग 36.95 प्रतिशत प्रजनन योग्य पशु कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आच्छादित हुये हैं। वर्ष 2017–18 में 313591 ए.आई. हुई है, जिनमें से 59.41 प्रतिशत पशु गर्भित हुये।

10.1.6 गौ–मूत्र अर्क उत्पादन– यू0एल0डी0बी0 के द्वारा दिव्य फार्मेसी, हरिद्वार के साथ गौ मूत्र अर्क के विक्रय के लिए अनुबन्ध किया गया है। फार्म में स्थापित गौ–मूत्र संवर्धन इकाई के द्वारा दिसम्बर, 2017 तक कुल 206097 लीटर गौ मूत्र अर्क का विपणन ₹ 25.00 प्रति लीटर की दर से किया गया, इससे फार्म को कुल ₹ 51.52 लाख की आय प्राप्त हुई।

10.1.7 चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं विकास– प्रदेश में चारे की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार के सहयोग से पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी, देहरादून तथा रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर पर 10 मी0 टन प्रतिदिन क्षमता के 02 काम्पैक्ट फीड ब्लाक यूनिट की पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी एवं रूद्रपुर में वर्ष 2009–10 स्थापना की गयी है। यूनिटों द्वारा प्रारम्भ से दिसम्बर 2017 तक 18442.228 मी0 टन काम्पैक्ट फीड ब्लाक का उत्पादन करके 18388.649 मी0टन काम्पैक्ट फीड ब्लाक प्रदेश मे विकासखण्ड स्तरों पर स्थापित 109 उप चारा बैंकों के माध्यम से पशुपालकों को वितरित/विपणन किया जा रहा है।

10.1.8 पशुधन बीमा योजना– इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक 35338 पशुओं

(गाय / भैस–15633, घोडे / खच्चर 11051 एवं भेड / बकरी 8654) का बीमा किया जा चुका है।

10.1.9 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड– भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित ऊन विकास की योजनाओं को राज्य में उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड (USWDB) द्वारा कियान्वयन किया जा रहा है:–

(क) मोबाईल वेटनरी वैन– राज्य के सीमान्त जनपदों पिथौरागढ, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में भेड़–बकरी पालकों एवं अन्य पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रयोगशाला जॉच, मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि की सुविधायें निर्धारित रूट्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में सभी प्रत्येक जनपद में एक मोबाईल वेटनरी वैन उपलब्ध है।

(ख) राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना

- वर्ष 2016–17 में 58 शिक्षित बेरोजगार भेड़ पालकों का चयन कर मशीन ऊन कतरन, ग्रेडिंग आदि में प्रशिक्षण एवं 29 शीतकालीन मशीन द्वारा ऊन कतरन शिविरों का आयोजन किया गया।

- वर्ष 2017–18 में 21 अगस्त 2017 से Autumn Clipping में 24 मशीन ऊन कतरन शिविर, चिकित्सा शिविरों एवं 10 भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन निर्धारित शियरिंग कलेण्डर के अनुरूप किया गया। जिसमें कुल 590 भेड़पालक लाभान्वित हुए।

- भेड़पालकों से क्रय की गई ऊन की समुचित sorting and grading (श्रेणीकरण) of Uttarakhand Wool Brand के नाम से विक्रय किया जा रहा है। पारदर्शिता हेतु online Uttarakhand Wool Tracking System का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में उपलब्ध बजट से लगभग 250 कुन्तल कच्ची ऊन का क्रय–विक्रय किया जाना है।

(ग) अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना– इस योजना के अन्तर्गत 2017–18 में 196 उन्नतशील भेड़–बकरी इकाईयों की स्थापना (राज्य सेक्टर) (भेड़ 66+ बकरी 130) की स्थापना प्रति इकाई 10 मादा + 1 नर के रूप में जनपदों में की जा रही है। वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक कुल 600 इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है।

(घ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– इस योजना के अन्तर्गत भेड़–बकरी पालकों की कौशल वृद्धि हेतु वर्ष 2017–18 में उत्तराखण्ड राज्य के 26 भेड़–बकरी पालकों को कौशल वृद्धि हेतु अध्ययन भ्रमण के लिए राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन मेले में केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर–राजस्थान भेजा गया।

(ड़) एकीकृत भेड़ एवं ऊन सुधार योजना:– केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (Sheep and Wool Improvement Scheme-SWIS) के अन्तर्गत राज्य के 08 भेड़ बाहुल्य जनपदों उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2017–18 हेतु 2.50 लाख भेड़ों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

(च) एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) – इस योजना के अन्तर्गत 05 भेड़ बाहुल्य जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में 06 भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापना विकासखण्ड भटवाड़ी, पुरोला, भिलंगना, जोशीमठ, मुनस्यारी एवं कपकोट में की गई है।

(छ) महिला बकरी पालन योजना– उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के परित्याग महिलाओं, विधवा महिलाओं, निराश्रिम महिलाओं, दिव्यांग तथा अकेली रह रही महिलाओं तथा आपदा प्रभावित महिलाओं को स्वावलम्बी एवं सम्मानजनक आर्थिक स्थिति में लाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी। प्रथम चरण में वर्ष 2016–17 में आपदा ग्रस्त जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में 24–24 इकाईयों की स्थापना कर महिलाओं को बकरी पालन में आधुनिक प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित कर 120 महिला बकरी इकाईयों की

स्थापना की गयी। वर्ष 2017–18 में योजना हेतु रू0 30.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है जिसके अन्तर्गत 75 इकाईयों की स्थापना की जा रही है।

10.2 दुग्ध विकास
(DAIRY DEVELOPMENT)

डेरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा नगरों, यात्रा मार्गो, तीर्थ स्थानों एवं अन्य संस्थानों में उत्तम गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थो की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से डेरी विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है।

(क) डेरी विकास योजना– डेरी विकास योजना के अंतर्गत 1536 कुल सचिव लाभान्वित किये गये। यातायात अनुदान के अंतर्गत 14056 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ख) महिला डेरी विकास योजना– महिलाओं की दुग्ध सहकारिता में विशिष्ट भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2017–18 में स्वीकृत 456.81 लाख धनराशि 26 महिला दुग्ध समितियों के गठन हेतु व्यय किया गया है।

(ग) दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना– दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा दुग्ध समितियों में उपलब्ध कराये जा रहे दूध के आधार पर दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में अवमुक्त ₹ 847.08 लाख से 48000 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।

(घ) गंगा गाय महिला डेरी योजना– इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों की महिला सदस्यों को उच्च नस्ल दुधारू गाय उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक 207 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया गया है।

(ङ) प्रमुख उपलब्धियां–

- दुग्ध समितियों से निर्धारित लक्ष्य 157894 के समक्ष माह दिसम्बर 2017 तक 157041 सदस्य लाभान्वित किये गये है।
- दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य 229312 के सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक 180271 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह किया गया।
- दुग्ध संघों द्वारा इस वर्ष राज्य के उपभोक्ताओं को 194055 लीटर के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक 160258 लीटर औसत दूध प्रतिदिन विक्रय किया गया।

ऑटोमैटिक मिल्क वेडिंग मशीन–मिल्क ए0टी0एम0 (Milk ATM): नव पहल

13वीं वित्त योजना के अन्तर्गत जिला नवाचार निधि में वर्ष 2017–18 में जनपद देहरादून के नगरीय क्षेत्रों में मिल्क बूथ निर्मित करने के साथ ही उपभोगताओं को नगद भुगतान के साथ–साथ मिल्क ए0टी0एम0 कार्ड उपलब्ध कराकर रिचार्ज कर उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु दो मिल्क ए0टी0एम0 मशीन दो स्थानों रायपुर स्थित विकासखण्ड परिसर मिल्क बूथ एवं खुडबुड़ा मौहल्ला में स्थित मिल्क पार्लर उपलब्ध कराया गया है, साथ ही मिल्क पार्लरों में पाश्चुराईज्ड पॉली पैकड मिल्क, विभिन्न दुग्ध पदार्थ यथा घी, मक्खन पनीर आदि भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। ए0टी0एम0 के माध्यम से उपभोक्ताओं को तरल दुग्ध की उपलब्धता हर समय कराने हेतु नवीन पहल के रूप में जनपद देहरादून में प्रथम बार इस मशीन का स्थापना कराकर दुग्ध विपणन कराया जा रहा है। यह पहल स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिससे प्रतिदिन 200 ली0प्रति मशीन की क्षमता के अनुसार लगभग 200 से 300 परिवार प्रतिदिन पाश्चुराईज्ड तरल दुग्ध क्रय कर लाभान्वित हो रहे हैं।

10.3 मत्स्य (Fisheries)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (चालू कीमतों) पर मत्स्य का राज्य की आय में 2017–18 के अग्रिम अनुमान के अनुसार 0.03 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड राज्य में बारहमासी नदियां जैसे गंगा, यमुना, काली नदी, टौंस,आदि बहती हैं, जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे ट्रॉउट पाई जाती है, क्योंकि राज्य के 4000 फीट से अधिक ऊंचाई में लघु शीत जल धाराओं के आस–पास ट्राउट फार्मिंग की प्रबल सम्भवनायें है। ट्राउट फार्मिंग में न्यून क्षेत्रफल (50 घन मीटर जलक्षेत्र) से लगभग ₹ 1.00–1.50 लाख की शुद्व आय अर्जित होती है।

इस हेतु वर्ष 2017–18 में वर्तमान तक राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/हैचरियों से कुल 676.384 लाख मत्स्य बीज उत्पादित कर मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों को वितरित किये जाने के साथ साथ संरक्षण व संवर्द्वन हेतु जलराशियों में संचित किया गया।

मत्स्य उत्पादन को दोगुना किये जाने के उद्देश्य से राज्य में प्रचलित भारतीय मेजर कार्प एवं विदेशी कार्प प्रजातियों के मत्स्य पालन कार्यो के अतिरिक्त अन्य उन्नत प्रजातियॉ जैसे–पंगेशियस, आमूर कार्प, जयंती रोहू आदि के मत्स्य पालन को प्रारम्भ कराया गया है। विगत वर्ष में स्थापित किये गये 48 केजों में वर्ष 2017–18 अन्तर्गत 2.88 लाख पंगेशियस प्रजाति का संचय किया गया है जिससे 144.00 टन का मत्स्य उत्पादन प्राप्त होना प्रस्तावित है। जनपद उधमसिहंनगर, हरिद्वार एवं देहरादून में कार्यरत मत्स्य पालकों को भी उच्च वृद्वि दर वाले पंगेशियस मत्स्य पालन से जोड़ा गया है।

10.3.1 ब्लू रिवोल्यूशन– वर्ष 2017–18 में **ब्लू रिवोल्यूशन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राज्य में फिंगरलिंग आकार के मत्स्य बीज उपलब्धता हेतु 30.00 हैक्टेयर रियरिंग यूनिटों का निर्माण, 96 ट्राउट रेसवेज का निर्माण, 48 केजो की स्थापना, 01 ट्राउट ब्रूड बैंक की स्थापना, 01 फीड मिल की स्थापना, 15 सोलर पावर सर्पोट सिस्टम की स्थापना के कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है।

तालिका 10.1.4
मत्स्य विकास कार्यक्रम एक दृष्टि में वर्ष 2017–18

क्र0 स0	मद	इकाई	संख्या/ उपलब्धि
1.	आच्छादित जनपद	संख्या	13
2.	मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियॉं केन्द	संख्या	12
3.	मत्स्य आहार मिल	संख्या	03
4.	मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉं	संख्या	18
5.	जनपद स्तरीय फेडरेशन	संख्या	01
6.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	संख्या	01
7.	नदियों की लम्बाई	कि0मी0	2686
8.	वृहद जलाशय	संख्या हैक्टेयर	07 20587
9.	झील	संख्या हैक्टेयर	31 297
10.	ग्राम समाज एवं राजस्व के तालाब/पोखर/निजी तालाब	हैक्टेयर	785.19
11.	मत्स्य उत्पादन प्रतिवर्ष अनुमानित	मैट्रिक टन	4297
12.	**वर्ष 2017–18 की भौतिक प्रगति**		
	10.1) पर्वतीय तालाब निर्माण	यूनिट हैक्टेयर	79 0.59
	10.2) गोष्ठी	संख्या	21
	10.3) मत्स्य बीज उत्पादन (प्रक्षेत्रों/हैचरी से)	लाख	676.38
	10.4) मत्स्य बीज वितरण (प्रक्षेत्रों/हैचरी/निजी स्रोत से)	लाख	280.38
	10.5) मत्स्य बीज संचय	लाख	396.00
	10.6) मत्स्य आहार वितरण	कुन्तल	11.40

अध्याय–11
वन तथा पर्यावरण
Forest and Environment

11.1 सामान्य विवरण:– उत्तराखण्ड में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 71.05 प्रतिशत अर्थात 37999.60 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र आता है। राज्य में वन एवं पर्यावरण हेतु आवंटित बजट एवं सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान चार्ट–11.1.1 तथा 11.1.2 में प्रदर्शित है।

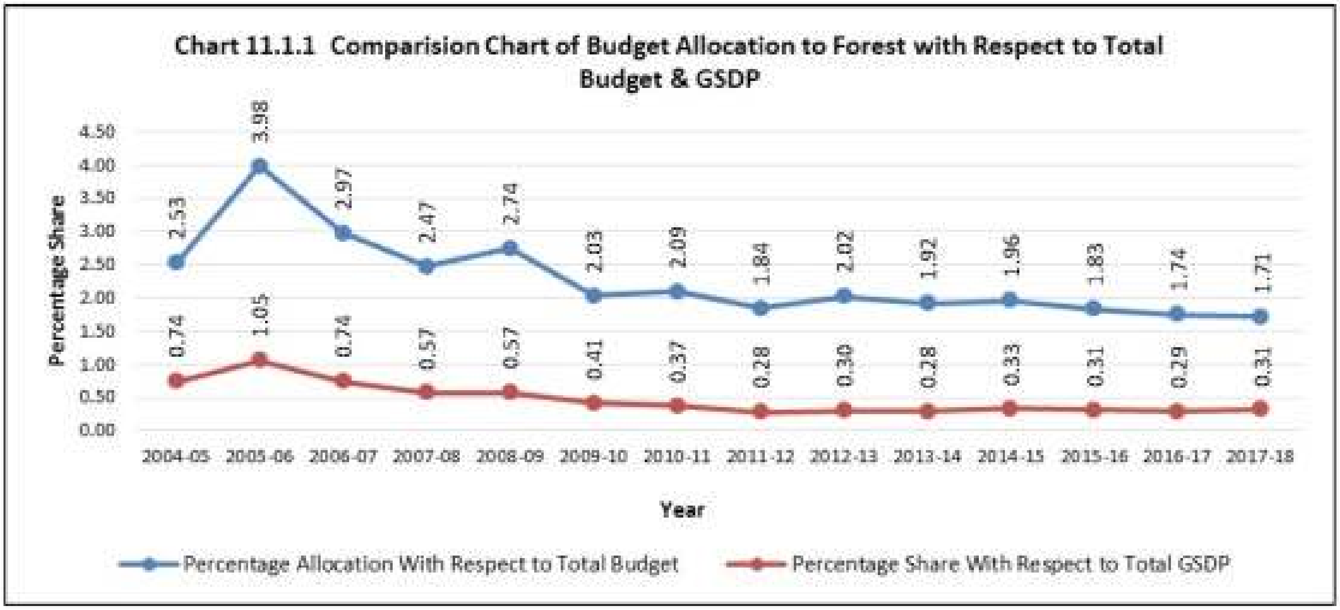

चार्ट– 11.1.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 से 2017–18 तक वन एवं पर्यावरण क्षेत्र में बजट आंवटन कुल बजट का 1.71 प्रतिशत से 3.98 प्रतिशत के मध्य रहा है। विभिन्न वर्षो में बजट आवंटन में काफी उतार–चढाव (fluctuation) रहा है, जबकि वन, पर्यावरण क्षेत्र को आवंटित बजट जी0एस0डी0पी0 का 0.28 प्रतिशत से 1.05 प्रतिशत के मध्य रहा है।

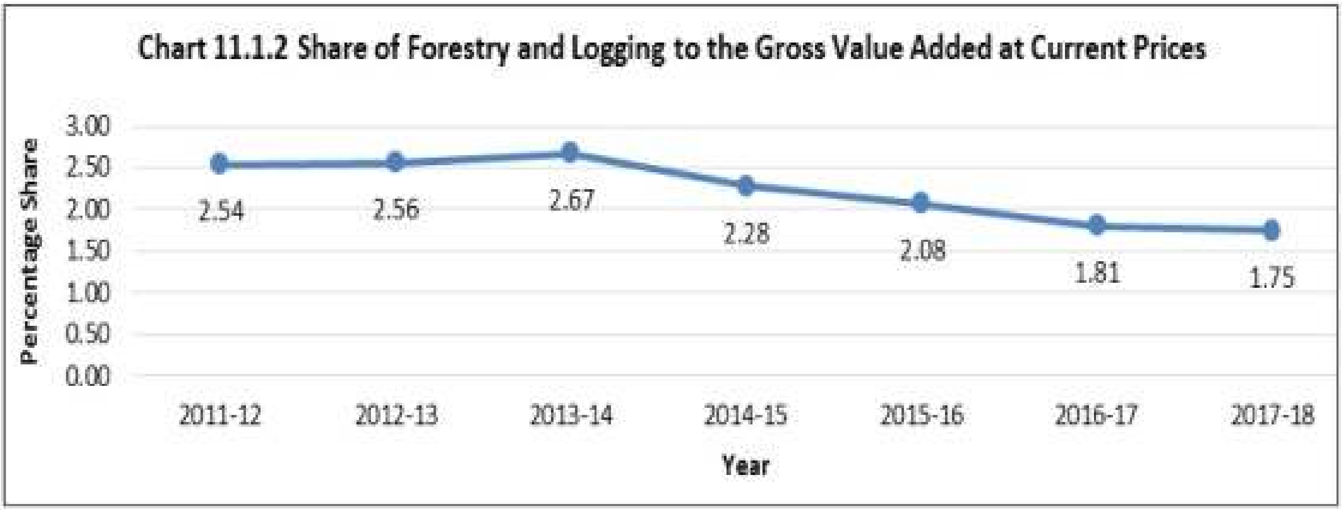

चार्ट–11.1.2 से स्पष्ट है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 के बीच 1.75 प्रतिशत से 2.67 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2014–15 से यह हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) 2030 के अन्तर्गत एस0डी0जी0 15 में वन एवं पर्यावरण के विभिन्न लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

11.2 वृक्षारोपण– इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोजगार एवं आयपरक वृक्ष प्रजाति के रोपण, जल एवं मृदा संरक्षण तथा तीनों वितानों (कैनोपी) के रोपण पर बल दिया गया है। वर्ष 2016–17 में 18251 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया गया।

11.3 उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Management and Planning Authority, CAMPA):– वर्ष 2010–11 से कैम्पा परियोजना सोसाइटी मोड में गठित की गयी है। गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि के हस्तांतरण के फलस्वरूप प्रयोकता एंजेन्सी से क्षतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान, संरक्षित क्षेत्र, एन0पी0वी0 व अन्य मदों में एकत्रित धनराशि को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार स्थापित एड–हॉक कैम्पा निधि में जमा किया जाता है। एड–हॉक कैम्पा द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य कैम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के आधार पर राज्य द्वारा एड–हॉक कैम्पा में कुल जमा **धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि राज्य को अवमुक्त की जाती है।**

तालिका–11.1.1 से स्पष्ट है कि कैम्पा परियोजना में वर्षवार क्षतिपूरक वृक्षारोपण लगातार बढ़ रहा है तथा उसी क्रम में तालिका–11.1.2 से स्पष्ट है कि एवं धनराशि भी कतिपय वर्षों का छोड़ते हुये बढ़ रही है।

तालिका 11.1.3 में कैम्पा के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कार्ययोजना, कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त तथा व्यय धनराशि प्रदर्शित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि कार्ययोजना के सापेक्ष लगभग 25.83 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त हुई है जबकि वर्तमान तक लगभग 26 प्रतिशत धनराशि व्यय हो पाई है। योजना के अन्तर्गत कैम्पा इकाई का क्षेत्रीय इकाईयों से प्रभावी समन्वय न होने के कारण व्यय की स्थिति अत्यन्त कम है। जिस कारण निर्धारित मानक 10 प्रतिशत की धनराशि भारत सरकार से अवमुक्त नहीं हो पा रही है। अतः क्षेत्रीय इकाईयों एवं कैम्पा इकाई के मध्य प्रभावी समन्वय बनाने की नितान्त आवश्यकता है।

तालिका 11.1.1

कैम्पा योजना के अन्तर्गत वर्षवार क्षतिपूरक वृक्षारोपण

वर्ष	लक्ष्य (हैक्टेयर में)	उपलब्धि (हैक्टेयर में)
2011–12	3972.52	3843.43
2012–13	715.55	438.77
2013–14	3080.84	2696.25
2014–15	2239.13	2077.81
2015–16	1432.90	1395.00
2016–17	3155.01	2880.00
योग	**14595.94**	**13331.26**

तालिका 11.1.2

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना	व्यय की गई धनराशि
2010–11	5273.74	4360.31
2011–12	7586.49	6027.43
2012–13	5640.00	3343.31
2013–14	10669.00	6679.98
2014–15	13677.44	12382.51
2015–16	26650.86	15107.65
2016–17	34680.00	10432.00
योग	**104177.53**	**58333.16**

तालिका 11.1.3
कैम्पा के अन्तर्गत प्रभारवार वार्षिक कार्ययोजना का परिव्यय (APO) 2017–18

धनराशि लाख ₹ में

Items	NPV (Net Present Value)	NPV1D of Vanpanchayat	CA Afforestation	OTHERS	CAT Catchment Area	TOTAL
APO	17133.10	1863.20	4373.09	4822.10	1700.00	31235.00
RELEASE	3148.65	103.87	2376.06	1667.53	775.40	8071.51
EXPENDITURE	1165.28	30.25	648.69	71.50	180.03	2095.75

11.4 इन्टैसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्टः– वर्ष 2015–16 से इस योजना को राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 345.68 लाख तथा अवमुक्त धनराशि ₹ 168.00 लाख के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक ₹ 5.16 लाख व्यय की गई।

11.5 नमामी गंगे परियोजनाः– इस योजना के अर्न्तगत तीन प्रोटेक्टेड क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 21 वन प्रभागों में कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा ₹ 1592.00 लाख अवमुक्त किए गए, जिसमें से ₹ 923.2 लाख व्यय हुआ।

11.6 ग्रीन इन्डिया मिशनः– यह योजना वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिर्वतन तथा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। जिसकी अवधि 10 वर्ष है और परियोजना की कुल लागत ₹ 1717.14 करोड है। जिसमें वर्ष 2015–16 के लिए अवमुक्त धनराशि ₹ 22.229 करोड़ तथा व्यय शून्य है।

11.7 बायोडाइवरसिटी कन्जरवेसन एन्ड रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेन्ट योजना (BCARLIP):–

वर्ष 2014–15 से पिथौरागढ़ वन प्रभाग के State Level Landscape Society, Askot, Pithoragrah, Uttarakhand हेतु बाह्य सहायतित योजना बायोडाइवरसिटी कन्जरवेसन एन्ड रुरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस परियोजना के संचालन हेतु "गवर्निंग बाडी" "एक्जूक्यूटिव बाडी" तथा सोसायटी हेतु सी0ई0ओ0 बनाये गये है। बकरलिप परियोजना की अवधि वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 तक की है तथा इसकी लागत ₹ 300.00 करोड़ है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 129 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 85 गांवों को इस योजना से आच्छादित करवाया जाना प्रस्तावित है। बकरलिप योजनान्तर्गत काम करने वाली संस्थाओं में विश्व बैंक, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय वन्य जीव संस्थान, उत्तराखण्ड सरकार, वन विभाग उत्तराखण्ड तथा वन पंचायतें है। प्रारम्भिक चरण में परियोजना हेतु वन पंचायतों के दो मॉडल माईक्रोप्लान भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार किये गये हैं, जिनके निर्माण आधार पर वन विभाग द्वारा 40 गांव के माईक्रोप्लान का कार्य पूर्ण किया गया। बकरलिप परियोजना में मुख्यतः दो निम्न घटक है:–

1– जैव विविधता संरक्षण।
2– ग्रामीण आजीविका सुधार कार्य।

जैव विविधता संरक्षण के तहत मुख्य रूप से जल एवं भूमि संरक्षण कार्य परियोजना क्षेत्र में चयनित वन पंचायतों के माध्यम से करवाये जाने है तथा आजीविका सुधार कार्य के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों से ग्रामीणों से सम्पर्क करने पर निम्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं:–

1– चयनित क्षेत्रों में अखरोट प्रजाति का वृहद स्तर पर रोपण, इसके लिए जम्मू कश्मीर "हार्टीकल्चर" विभाग से "ग्राफ्टेड" अखरोट पौध प्राप्त कर रोपण करवाया जाना है।

2– परियोजना क्षेत्र में तेजपात तथा ''हाईब्रीड'' आंवला का रोपण कार्य प्रस्तावित किया गया है।

3– आजीविका सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पशुपालन विभाग के माध्यम से पशु नस्ल सुधार कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 1000 लाख का आय–व्ययक अनुमान प्रस्तुत किया गया है।

11.8 उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (Japan International Cooperation Agency, JICA):– परियोजना की कुल लागत ₹ 807 करोड़ है तथा परियोजना 08 वर्ष में 750 वन पंचायतों में कार्य करेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत Eco-restoration हेतु 37,500 है0 (50 है0 प्रति वन पंचायत) क्षेत्र लिया जायेगा।

इस परियोजना का उद्देश्य चयनित क्षेत्रों में गांव वालों की वनों से पूरी होने वाली जरूरतों की पूर्ति तथा आमदनी बढ़ाने के तरीके अपनाकर उनकी वनों पर निर्भरता कम करना है, जिससे वनों में हो रहे नुकसान को रोका जा सके तथा आमदनी बढ़े। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों में आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई से सम्बन्धित कार्य भी परियोजना में रखे गये है। इस योजना का लक्ष्य आबादी के आस पास के वनों में हो रहे नुकसान को कम करना तथा अब तक हुए नुकसान की भरपाई करना है, जिसके लिए वनों के आस पास क्षेत्रों के गांव वालों की आजीविका सुधार, आय में वृद्धि कर गांव वालों की वनों पर निर्भरता को कम करना, वनों को हो रहे नुकसान में कमी लाते हुए उनके संरक्षण हेतु टिकाऊ प्रबन्धन पर ध्यान देना तथा वन क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकना तथा लैण्ड स्लाईड/लैण्ड स्लिप से प्रभावित क्षेत्रों में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

11.9 वर्षा जल संरक्षण योजनाः– वर्ष 2014–15 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित एक नयी वर्षा जल संरक्षण योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 100.01 लाख तथा शासन से अवमुक्त धनराशि ₹ 75.00 लाख तथा इसके सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक व्यय की धनराशि ₹ 36.00 लाख रही। इसके अन्तर्गत कन्टूर ट्रेंच, चालखाल, पत्थर के चेक डैम, वानस्पतिक/पिरुल चैकडैम बनाये गये हैं।

11.10 बांस एवं रेशा विकास परिषदः– इस योजना के अन्तर्गत बास एवं रेशा विकास परिषद के प्रशासनिक व्यय किये जाते है। वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 30.00 लाख तथा शासन से अवमुक्त धनराशि ₹ 30.00 लाख तथा इसके सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक व्यय की धनराशि ₹ 30.00 लाख रही।

11.11 ईको टूरिज्म योजनाः– उत्तराखण्ड राज्य में ''इको–टूरिज्म'' की अपार सम्भावनाएं हैं। ''इको–टूरिज्म'' को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004–05 में राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना स्वीकृत की गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 189.73 लाख तथा शासन से अवमुक्त धनराशि ₹ 169.70 लाख तथा इसके सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक व्यय की धनराशि ₹ 74.06 लाख रही। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ''ईको–टूरिज्म'' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन स्थलों में विकास कार्य किये जा रहे हैं।

11.12 मानव वन्यजीव संघर्ष (Man- Animal Conflict) रोकथाम योजना :– वर्ष 2012–13 में एक नयी योजना मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 371.50 लाख तथा शासन से अवमुक्त धनराशि ₹ 245.36 लाख तथा इसके सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक व्यय की धनराशि ₹ 155.49 लाख रही। वर्ष 2016-17 में उत्तराखण्ड में कुल 532 प्रकरण घटित हुए जिसमें सर्वाधिक उत्तरी कुमायूँ वृत्त में 158 प्रकरण, गढवाल वृत्त में 92 प्रकरण तथा शिवालिक वृत्त में 49 प्रकरण रहे।

11.13 मानव–वानर संघर्ष (Man- Monkey Conflict) न्यूनीकरण योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बन्दरों के आतंक को कम करने के उद्देश्य से चिड़ियापुर (हरिद्वार) में ''मंकी–रेस्क्यू सेन्टर'' का निर्माण किया गया। वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि

₹ 474.65 लाख तथा अवमुक्त धनराशि ₹ 241.00 लाख के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक ₹ 31.61 लाख व्यय की गयी। इस योजना के अन्तर्गत बन्दरों का बन्ध्याकरण एवं बन्दरों को पकड़ कर दूरस्थ जंगलो में छोडने की व्यवस्था है।

11.14 बुग्यालों का संरक्षण योजनाः– बुग्याल (मिडो) उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में "ट्री–लाइन" तथा "स्नो–लाईन" के बीच में पाये जाने वाले क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में चारे की दृष्टि से व उच्च "मेडिसिनल" मूल्य की महत्वपूर्ण अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 50.00 लाख तथा शासन से अवमुक्त धनराशि ₹ 50.00 लाख के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक व्यय की धनराशि ₹ 29.14 लाख है। वर्ष 2018–19 में भी बुग्यालों में विकास कार्य कर संरक्षण किया जाना है।

11.15 वाइल्ड लाईफ बोर्डः– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 100.04 लाख तथा अवमुक्त धनराशि ₹ 33.33 लाख के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक व्यय की धनराशि ₹ 24.63 लाख हैं। इ स योजना के अन्तर्गत वाईल्ड लाईफ बोर्ड तथा जैव विविधता बोर्ड के प्रशासनिक व्यय किये जा रहे हैं।

11.16 ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्यः– प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 400.01 लाख तथा शासन से अवमुक्त धनराशि ₹ 100.00 लाख के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 ₹ 100.00 लाख व्यय की गयी।

11.17 हमारा पेड हमारा धन योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 31.50 लाख के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक ₹ 22.43 लाख व्यय की गयी। निजी भूमि पर निजी व्यक्ति, संजायत खातेदार योजना हेतु पात्र होगे। आवेदक द्वारा रोपित किये जाने वाले पौध के सापेक्ष प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में पंजीकृत रजिस्टर में आवेदक के नाम ₹ 300/400 प्रति पौध के हिसाब से अंकित एफ0डी0आर0 बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी के नाम pledge किया जायेगा तथा रोपण के तीन वर्ष बाद रोपित स्वस्थ पौधों की जीवितता प्रतिशत के मूल्याकंन के आधार पर अनुमन्य धनराशि आवेदक को दी जायेगी।

11.18 हमारा स्कूल हमारा वृक्षः– हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा पौध उगाकर स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क पौध रोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में अनुमोदित धनराशि ₹ 39.51 लाख के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 ₹ 10.76 लाख तक व्यय की गयी।

इसके अतिरिक्त राज्य सेक्टर की अन्य महत्वपूर्ण योजनायें वुमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य योजना, भू संरक्षण की रोकथाम तथा मुख्यमंत्री राज्य वन्य जीवों से खेती की सुरक्षा योजना, ग्रामीण इको पर्यटन योजना, वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु इको टुरिज्म योजना आदि भी विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

जलवायु परिवर्तन तथा विकास का परिदृश्य

राज्य में जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद् का गठन किया गया। उत्तराखण्ड स्टेट एक्शन प्लॉन ऑन क्लाईमेट चेंज (SAPCC) का अनुमोदन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च, 2015 में किया गया। एस0ए0पी0सी0सी0 के कार्यान्वयन को ठोस स्वरूप देने हेतु दिशानिर्देशन के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र (एस0सी0सी0सी0) उत्तराखण्ड का गठन 8 जून, 2016 में किया गया। राज्य में जलवायु परिवर्तन केन्द्र राज्य सरकार के विभिन्न सेक्टरों/विभागों के साथ समन्वय करते हुए और एस0डी0जी0 Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) और State Action Plan on Climate Change (SAPCC) का समावेश करते हुए राज्य के विकास योजनाओं में Climate Actions की दिशा में प्रयासरत है। उत्तराखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड के Vulnerability एवं जोखिम आंकलन (VRA) पर रिपोर्ट तैयार की गयी है। इस अध्ययन को स्थानिक (Spatial) सामायिक व (Temporal) स्तर पर तैयार किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड के सभी विकास खण्ड लिये गये हैं। इस अध्ययन का आधार 28 सामाजिक सकेतांक, जो कि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र से और शेष 50 बायोफिजीकल सकेतांक है, जिसके अन्तर्गत जलवायु, जल, वन, कृषि, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदा क्षेत्र लिए गये हैं। उक्त अध्ययन बेसलाईन (baseline) (1981–2010) के आधार पर किया गया है तथा आई0पी0सी0सी0 (IPCC) ए0आर05 (AR5) रिपोर्ट के अनुसार आर0सी0पी0 (RCP) 4.5 तथा आर0सी0पी0 (RCP) 8.5 प्रोजेक्शन का प्रयोग कर मध्य सदी Mid Century (2021–2025) और अन्त सदी End Century (2071–2100) पर प्रक्षेपित किया गया है। यह पर्यावरण में कार्बन के बढ़ने के कारण होने वाले तापमान में वृद्दि को प्रदर्शित करता है। जैसे कि आर0सी0पी0 4.5 के अनुसार मध्य सदी (2021–2025) में 1.4°C तथा अन्त सदी (2071–2100) में 1.8°C तथा आर0सी0पी0 8.5 के अनुसार मध्य सदी (2021–2025) में 2.0°C तथा अन्त सदी (2071–2100) में 3.7°C तक तापमान बढ़ने का अनुमान है।

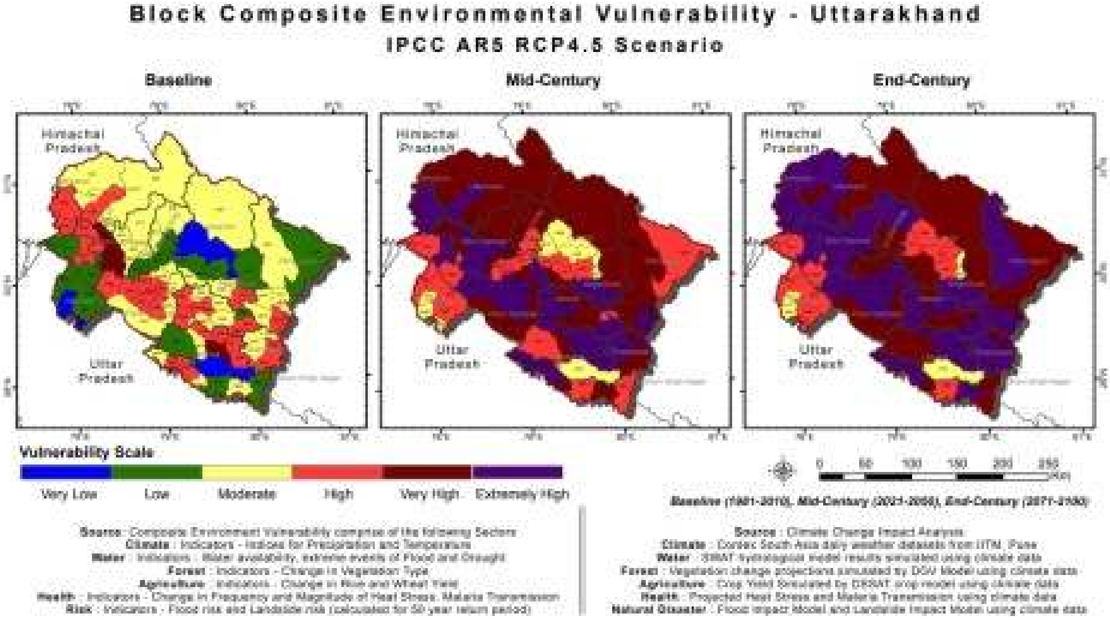

यह मानचित्र प्रदर्शित करता है कि विकास खण्ड की सामूहिक पर्यावरण भेद्यता (Composite Environment Vulnerability) आर0सी0पी0 4.5 के अनुसार बेसलाईन (baseline) (1981–2010) के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल तथा नैनीताल के विकासखण्ड अति उच्च भेद्यता की स्थिति में है। यदि प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, रासायनिक खादों का प्रयोग, कार्बन स्टॉक में वृद्दि आदि इसी अनुपात से बढ़ती रही तो यह स्थिति मध्य सदी में और भी भयावह हो जाती है, जिसके अन्तर्गत देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी के अधिकतम विकासखण्ड अति उच्च भेद्यता तथा उच्चतम भेद्यता की स्थिति में आ जायेंगे।

सामूहिक पर्यावरण भेद्यता (Composite Environment Vulnerability) आर0सी0पी0 8.5 के अनुसार यह स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी।

Figure: Projected Composite Environment Vulnerability for Uttarakhand blocks using IPCC AR5 RCP 8.5 Scenario

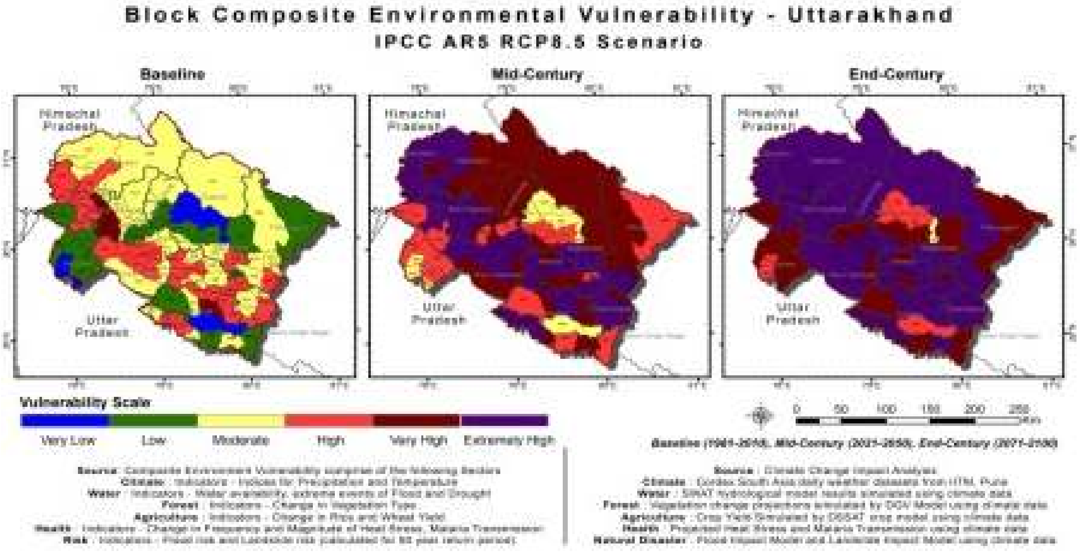

उत्तराखण्ड के वनों में कार्बन स्टॉक (Carban Stock in forest)– भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार उत्तराखण्ड के वनों में 284.66 मिलियन टन (1043.768 Million Tonnes Carbon di-oxide) का कार्बन स्टाक है, जो कि देश के वनों का कुल 4.02 प्रतिशत है।

भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017

(India State of Forest Report 2017)

तालिका 11.1.4 क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)

जिला	भौगोलिक क्षेत्रफल	2017				भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत	वृद्धि / कमी*	स्क्रब
		अति सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	कुल			
अल्मोड़ा	3144	199	837	682	1718	54.64	17	6
बागेश्वर	2241	162	762	337	1261	56.27	-10	1
चमोली	8030	443	1580	686	2709	33.74	-15	1
चम्पावत	1766	367	593	264	1224	69.31	-11	7
देहरादून	3088	636	626	343	1605	51.98	5	87
गढ़वाल	5329	552	1925	917	3394	63.69	76	96
हरिद्वार	2360	75	277	236	588	24.92	-3	6
नैनीताल	4251	765	1742	541	3048	71.70	-35	10
पिथौरागढ़	7090	505	965	608	2078	29.31	-5	39
रूद्रप्रयाग	1984	252	580	309	1141	57.51	37	9
टिहरी गढ़वाल	3642	272	1085	708	2065	56.70	7	97
ऊधमसिंह नगर	2542	150	193	93	436	17.15	-14	3
उत्तरकाशी	8016	591	1719	718	3028	37.77	-26	21
कुल योग	53483	4969	12884	6442	24295	45.43	23	383

*2015 से तुलना करने पर, स्रोत– भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017

तालिका 11.1.4 से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड में कुल 23 वर्ग0 कि0मी0 वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि पौड़ी गढ़वाल तथा सर्वाधिक कमी उत्तरकाशी जनपद में हुई है। इसी क्रम में उक्त सर्वे के आधार पर वर्ष 2005 में उपलब्ध जल प्रक्षेत्र 310 वर्ग कि0मी0 से बढकर 2015 में 355 वर्ग कि0मी0 हो गया है, जो वन क्षेत्र का 1.46 % है।

वन आच्छादन (आवरण) या वन भूमि:– वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा फरवरी 2018 में प्रकाशित इण्डिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के वन आच्छादन में वर्ष 2015 की तुलना में 6,600 वर्ग किमी0 0.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वर्ष 1987 में प्रारम्भ द्विवार्षिक वन आच्छादन मुल्यांकन की श्रृंखला का 15वां वन आच्छादन मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में 1 है0 (न्यूनतम मापन इकाई) या उससे ऊपर की 10 प्रतिशत से अधिक कैनोपी कवर की समस्त वृक्ष भूमि समाहित है।

Table 11.1.5 Forest Cover of India

Class	Year 2015 Area (Sq km)	% of GA	2017 Area (Sq km)	% of GA	% Change
Very Dense Forest	88,633	2.70	98,158	2.99	0.29
Moderately Dense Forest	3,12,739	9.51	3,08,318	9.38	-0.13
Open Forest	3,00,123	9.13	3,01,797	9.18	0.05
Total Forest Cover	7,01,495	21.34	7,08,273	21.54	0.21
Scrub	41,540	1.26	45,979	1.40	0.14
Non Forest	25,44,434	77.40	25,33,217	77.06	-0.34
Total Geographic Area	32,87,469	100.00	32,87,469	100.00	0.00

Where Forest Cover is Up: Kerala Leads, Manipur has gained most dense forest

States	Forest Cover		Dense Forest Cover		Reason
Jammu and Kashmir	10.46	▲0.11	5.69	▼0.09	Plantations, better satellite resolution
Punjab	3.65	▲0.13	1.62	▲0.16	Plantations
Himachal Pradesh	27.12	▲0.71	17.63	▲0.38	Plantations, better satellite resolution
Uttarakhand	45.43	▲0.04	33.38	▼0.94	Development
Haryana	3.59	▲0.02	1.09	no change	Plantations
Rajasthan	4.84	▲0.14	1.3	▼0.02	Plantations
Delhi	12.97	▲0.25	4.25	▼0.08	Plantations
Gujrat	7.52	▲0.02	2.84	▼0.01	Plantations and mangrove growth
Madhya Pradesh	25.11	no change	13.34	▼0.13	Farming Development
Bihar	7.75	▲0.05	3.81	▼0.03	Plantations
Uttar Pradesh	6.09	▲0.12	2.78	▲0.18	Plantations
Jharkhand	29.55	▲0.04	15.41	▲0.04	Plantations
Chattisgarh	41.09	▲0.01	29.05	▲0.21	Plantations
Goa	60.21	▲0.51	30.09	▼0.22	Mining
Telangana	18.22	▲0.50	9.22	▼2.29	Harvesting Plantations
Andhra Pradesh	17.27	▲1.31	9.82	▲1.42	Plantations
Odisha	32.98	▲0.57	18.2	▼0.10	Plantations
Karnataka	19.58	▲0.57	13	▲1.62	Palm Plantation
Kerala	52.3	▲2.68	28.49	▲0.64	Plantations, better satellite resolution
Tamil Nadu	20.21	▲0.06	11.26	▲0.91	Plantations
West Bengal	18.98	▲0.02	8.05	▼0.02	Plantations
Assam	35.83	▲0.72	16.56	▲0.36	Plantations
Manipur	77.69	▲1.18	33.22	▲3.43	Plantations

Where Forest Cover is Down: Nagaland, Mizoram have suffered biggest losses

States	Forest Cover		Dense Forest Cover		Reason
Maharashtra	16.47	▼0.01	9.55	▼0.02	Development
Sikkim	47.13	▼0.13	37.43	▼0.06	Development Activies
Arunachal Pradesh	79.97	▼0.23	61.71	▼0.51	Development Activies
Nagaland	75.33	▼2.71	35.38	▼0.75	Jhum farming, Development
Meghalaya	76.45	▼0.52	43.87	▼0.86	Jhum farming, Development
Mizoram	86.27	▼2.52	28.42	▼0.02	Jhum farming, Development
Tripura	73.68	▼1.56	56.28	▲11.25	Jhum farming
Andaman and Nicobar Islands	81.73	▼0.11	77.12	▼0.11	Development

हरा भरा है लेकिन क्या यह वन है?– वन सर्वेक्षण संस्थान (FSI) द्वारा वन आच्छादन चिन्हित करने हेतु उपग्रह छाया/चित्र का उपयोग किया जाता है जो प्राकृतिक वन, उद्यान/बागान, झाडी और वाणिज्यिक फसल नारियल, गन्ना आदि में फर्क नहीं करता है।

अस्सी के दशक में, उपग्रह छाया वनों को 1:1 मिलियन पैमाने पर मापती थी जिसके कारण 4 वर्ग कि0मी0 से कम की भूभाग छूट जाती थी। अब यह पैमाना 1:50000 होने के कारण वृक्ष लगे 10 प्रतिशत से ऊपर की कैनोपी घनत्व वाली 1 है0 (100m x 100m) तक के भूभाग को वन के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार पहले जो छोटे–छोटे भूभाग छूट जाते थे, अब देश के वन का अंश है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में वन आच्छादन को देखें तो पहली FSI की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 15 वर्ग कि0मी0 वन भूमि थी जबकि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्रफल 192 वर्ग कि0मी0 है – तीस वर्ष में 13 गुणा की बढोतरी। इसी प्रकार हरियाणा तथा पंजाब में भी 80 के दशक से 1,000 वर्ग कि0मी0 से अधिक वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है जोकि अविश्वसनीय है।

वन बिना वन भूमिः– रिपोर्ट में दर्शाये गये वन भूमि का एक बहुत बडा अंश ऐसा है जिस पर वन नहीं है। उपलब्ध आँकडों के आधार पर FSI द्वारा देश के 7,06,899 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। 2017 के रिपोर्ट के अनुसार उक्त वन क्षेत्र का लगभग 28 प्रतिशत 1,95,983 वर्ग कि0मी0 पर कोई वन आच्छादन नहीं है तथा मात्र लगभग 46 प्रतिशत 3,26,325 वर्ग कि0मी0 पर ही घना जंगल है।

यदि 2015 से 2017 के बीच 600 वर्ग कि0मी0 वन भूमि बिना वन, वन में परिवर्तित हुआ है तो उसी दौरान 1,000 वर्ग कि0मी0 से अधिक वन क्षेत्र से घना वन आच्छादन खत्म हो गया है।

बर्फ से ढके क्षेत्रः– उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य हिमालयी राज्यों के बर्फ से ढके भूभाग को वन के रूप में नहीं दर्शाया गया है, जबकि भारत की आधी आबादी के लिए ये बर्फ से ढके क्षेत्र जल सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। राज्य के रिकार्ड में ये बर्फ से ढके क्षेत्र वन क्षेत्र के रूप में दर्ज हैं।

अब समय आ गया है FSI देश के वनस्पति/वन आच्छादन का सुस्पष्ट वर्गीकरण कर प्रकाशित करे जैसे बगान, उद्यान, झाडी, बफ से ढके क्षेत्र आदि। साथ ही पर्यावरण तथा समाज के लिए उन वर्गों के महत्व को भी दर्शाये।

Uttarakhand: It has more than what meets the satellite

53,483 वर्ग कि0मी0 में फैली यह देव भूमि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.63 प्रतिशत है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 0.83 प्रतिशत अंश निवास करता है। यह जलवायु तथा वनस्पति के दृष्टिकोण से देश का सबसे अधिक विविधता वाला प्रदेश है। यहाँ अधिक ऊँचाई वाले भूभाग पर ग्लेसियर से लेकर निचले/मैदानी क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वन उपलब्ध है।

Table: 11.1.6 Land Use Pattern in Uttarakhand

Land Use Types	Area (in 000' ha)	Percentage
Total Geographic Area	5,348	
Reporting area for land Utilization	5,992	100
Forests	3,800	63.42
Not available for land cultivation	450	7.51
Permanent pastures and other grazing lands	192	3.2
Land under misc. tree crops & groves	389	6.49
Culturable Wasteland	317	5.29
Fallow land other than current fellows	86	1.44
Current Fallows	57	0.95
Net Sown Areas	701	11.7

वन आच्छादन (Recorded Forest Area (RFA) के अन्दर व बाहर मिलाकर):— प्रदेश के 38,000 वर्ग कि0मी0 को वन प्रदेश के रूप में दर्ज किया है, जो कुल क्षेत्रफल (53483 वर्ग कि0मी0) का 71.05 प्रतिशत है। सुरक्षित, संरक्षित तथा अवर्गीकृत वन कुल दर्ज किये गये वन प्रदेश का क्रमशः 69.86 प्रतिशत, 26.01 प्रतिशत तथा 4.13 प्रतिशत है। परन्तु 2015 के उपग्रह आँकडों के आधार पर प्रदेश का वन आच्छादन का क्षेत्रफल 24,295 वर्ग कि0मी0 है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.43 प्रतिशत है।

Table: 11.1.7 Forest Cover within and Outside RFA (Recorded Forest Area) in Uttarakhand	
Forest Cover within Recorded Forest Area	**Area in Sq Km**
Very Dense Forest (VDF)	4172
Moderately Dense Forest (MDF)	9344
Open Forest (OF)	3264
Total	**16780**
Forest Cover Outside RFA	**Area in Sq Km**
Very Dense Forest (VDF)	797
Moderately Dense Forest (MDF)	3540
Open Forest (OF)	3178
Total	**7515**
Total Forest Cover	24295
Tree Cover	767
Total Forest & Tree Cover	25062
% of State's Geographic Area	46.86
% of India's Forest & Tree Cover	3.12
Per Capita Forest & Tree Cover	0.25

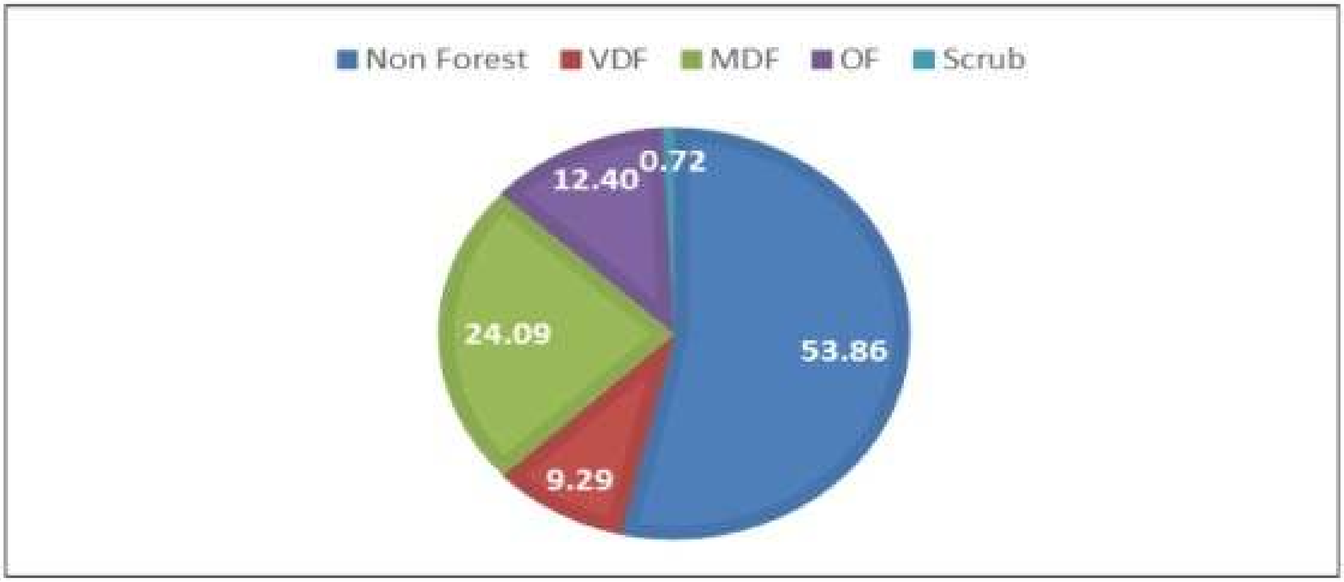

प्रदेश में 2017 में 2015 की तुलना में 23 वर्ग कि0मी0 वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वनों से बाहर वृक्ष आच्छादन में विस्तार के कारण हुआ है। इसके विपरित चक्रीय पातन तथा विकासीय गतिविधियों के कारण RFA के अन्तर्गत वन आच्छादन में 49 वर्ग कि0मी0 की शुद्ध कमी आई है। यह राज्य सरकार के लिए एक चिन्ता का विषय है तथा वन विभाग को कागजों से बाहर निकल कर नई कार्यनीति बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय सेवा मूल्य

भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान (IIFM) भोपाल द्वारा राज्य के वन संसाधनों की स्थिति का हरितलेखा (Green Accounting) तथा वन क्षेत्र में पर्यावरणीय परिस्थितकीय सेवाओं के मूल्यांकन हेतु अध्ययन किया जा रहा है। उक्त अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राज्य के जल,जंगल,जमीन तथा अन्य संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं का मौद्रिक रूप (Monitory Form) मूल्यांकित कर परम्परागत आर्थिक स्थिति तथा पर्यावरणीय आर्थिकी के मध्य क्षमता एवं सम्भावनाओं को उदधृत करना है। उक्त अध्ययन मुख्य रूप से वन क्षेत्र मे 04 प्रमुख सेवाये Provisioning Services, Regulating Services, Cultural Services, Supporting Service मे जिसके अन्तर्गत लकड़ी/प्रकाष्ठों की स्थिति, चारा एवं घास, जलाऊ लकड़ी, कार्बन अवशोषण (Carbon Sequestration), Gene-Pool Protection, Pollination, Flood Regulation विभिन्न प्रजातियों कि स्थिति, मनोरंजन/पर्यटन, Nutrient Cycling/Retentional आदि की स्थिति का आंकलन कर अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र से कुल ₹ 95102.7 करोड़ की Flow Value आंकी गयी है, जबकि वर्ष 2017–18 के सकल घरेलू उत्पाद (वानिकी) (Forest GDP) ₹ 3462 करोड़ है जो कुल Flow Value का 3.64 प्रतिशत है। इस प्रकार वन क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही पर्यावरणीय सेवा Opportunity Cost के रूप में दिखायी देती है।

अध्याय–12

जल संसाधन एवं प्रबन्धन

Water Resources & Management

12.1 सामान्य विवरणः–संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य संख्याः 6 की प्राप्ति हेतु सभी के लिए स्वच्छता और जल के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिस हेतु राज्य में पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जलागम तथा उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (स्वजल) संस्थाओं द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अ–पेयजल निगमः–

12.2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमः– राज्य में कुल 39209 बस्तियॉ है, जिसमें पेयजल से 17433 बस्तियॉ आंशिक सेवित (Partially Covered) तथा 21776 बस्तियां पूर्णतः सेवित (Fully Covered) हैं। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Litre Per Capita Daily-LPCD) तथा शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Litre Per Capita Daily-LPCD) की आपूर्ति लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 522 बस्तियों को संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक 384 बस्तियां लाभान्वित की जा चुकी है। इन बस्तियों हेतु केन्द्रांश व राज्यांश का भाग क्रमशः ₹ 63.32 करोड़ एवं ₹ 130 करोड है।

12.3 हैण्डपम्प स्थापनाः– राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की दर निर्धारित मानक 135 एल0पी0सी0डी0 पेयजल की कमी के दृष्टिगत हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है, जिसके अन्तर्गत मार्च 2017 तक प्रदेश में कुल 36209 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके है। वर्ष 2017–18 में लक्षित 820 हैण्डपम्प स्थापना के सापेक्ष जनवरी, 2018 तक 271 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके है।

12.4 नगरीय पेयजलः– उत्तराखण्ड में कुल 92 स्थानीय निकाय है, जिनमें से 06 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषदें एवं 43 नगर पंचायतें है। इनमें से 69 नगरों में 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (Litre Per Capita Daily) से कम है, इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति दर मानकानुसार करने हेतु ₹ 2860.00 करोड़ की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर 26 नगरों में बाह्य सहायतित योजनान्तर्गत ₹ 975 करोड़ की लागत की परियोजना प्रस्तावित है।

12.5 नगरीय जलोत्सारणः–(I) उत्तराखण्ड के कुल 92 नगरों में से प्रथम चरण में अधिक जनसंख्या वाले एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 26 नगरों का चयन सीवर व्यवस्था हेतु किया गया है, जिनमें आंशिक रूप से सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

(II) इन 26 नगरों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था के अनुसार कुल 375 एम0एल0डी0 का सीवेज जनरेशन हो रहा है। 14 नगरों में उत्सर्जित सीवेज के आंशिक शोधन हेतु 175.94 एम0एल0डी0 क्षमता के 27 सीवेज शोधन सयंत्र स्थापित कर संचालित है। राज्य में 107.195 एम0एल0डी0 क्षमता के 35 सीवेज शोधन सयंत्र निर्माणाधीन है।

(III) 149.555 एम0एल0डी0 क्षमता के 24 सीवर शोधन सयंत्र प्रस्तावित है जिनके स्थापना उपरान्त राज्य के 28 नगरों में कुल 86 सीवर

शोधन सयंत्र क्षमता 432.685 एम0एल0डी0 के स्थापित हो जायेंगे।

(IV) 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज योजना, जोन–एम,सी,डी,जे व एल पार्ट को उत्तराखण्ड शासन द्वारा संशोधित प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹190.64 करोड़ की स्वीकृति प्रदत्त है। योजना पर ₹ 169.18 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस योजना में 196.00 किलोमीटर सीवर लाइन, 02 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं 20 एम0एल0डी0 तथा 3 एम0एल0डी0 के 02 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित है। योजना में वर्तमान प्रगति 76 प्रतिशत है।

तालिका 12.1 प्रदेश के अन्तर्गत जलोत्सारण (सीवरेज) आच्छादन की स्थिति

क्र0सं0	नगर	सीवरेज नेटवर्क आच्छादन (Coverage %)	सीवर शोधन सयंत्र (STP)		
			चालू	निर्माणाधीन	प्रस्तावित
1	हरिद्वार	85%	2	2	-
2	देहरादून	75%	5	2	1
3	ऋषिकेश	70%	-	-	1
4	मसूरी	80%	2	1	6
5	श्रीनगर	24%	1	1	-
6	स्वर्गाश्रम	95%	1	-	-
7	देवप्रयाग	90%	3	-	-
8	उत्तरकाशी	40%	2	-	-
9	गंगोत्री	30%	1	-	-
10	नैनीताल	90%	3	-	2
11	भीमताल	60%	1	-	-
12	अल्मोड़ा	30%	1	-	-
13	विकासनगर	10%	-	-	-
14	रूड़की	80%	-	1	-
15	नई टिहरी	30%	1		-
16	मुनि की रेती	50%	-	2	-
17	कोटद्वार	10%	-	-	-
18	कर्णप्रयाग	10%	-	5	-
19	गोपेश्वर	80%	-	5	-
20	जोशीमठ	70%	-	2	-
21	श्री बद्रीनाथ	90%	1	2	-
22	काशीपुर	5%	-	1	-
23	हल्द्वानी	15%	-	-	1
24	रामनगर	10%	-	-	2
25	पिथौरागढ़	55%	-	2	-
26	धारचूला	10%	-	2	-

12.6 नमामि गंगे (सीवरेज सिस्टम)– नमामि गंगे के अन्तर्गत राज्य के 15 नगरों में ₹ 875.08 करोड की 18 योजनायें माह मार्च 2017 में स्वीकृत हुई है, जिसके माध्यम से कुल 131.75 एम0एल0डी0 क्षमता के 31 एस0टी0पी0 निर्माण एवं 57 एम0एल0डी0 क्षमता के 31 एस0टी0पी0 निर्माण एवं 57 एम0एल0डी0 क्षमता के 06 एस0टी0पी0 के अपग्रेडेशन के माध्यम से गंगा में प्रवाहित हो रहे दूषित नालों को टैपकर शोधन कर नालों के माध्यम से हो रहे प्रदूषण की सम्पूर्ण रोकथाम की जानी है।

12.7 चुनौतियां (Challenges)

12.7.1 जलापूर्ति की कवरेज– वर्तमान में कुल 39209 बस्तियों में से 21,776 बस्तियों में मानक आधार पर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष 17,433 बस्तियों में मानक से कम आच्छादिक कवरेज है, जबकि पेयजल आपूर्ति

कवरेज का विस्तार करना तथा आंशिक सेवित बस्तियों को पूर्ण रूप से आच्छादित करते हुए मानकानुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करना लक्षित है।

12.7.2 पेयजल गुणवत्ता– गुणवत्तापरक पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है परन्तु सामान्यतः दृष्टिगत् हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लोरिनेशन आदि अत्यन्त कम हो रहा है जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है, स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लोरिनशन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

12.7.3 जल स्रोतो का सूखना एवं भू–जल स्तर कम होना– नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में आ रहे बदलावों के कारण हिमालय से निकलने वाली 60 प्रतिशत जल धारायें सूखने के कगार पर है इन्हीं जल धाराओं से गंगा एवं यमुना जैसी नदियां बनती हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड में पिछले 150 सालों में ऐसी जल धाराओं की संख्या 360 से घटकर 60 तक आ गयी है।

तालिका 12.2 जल स्रोत डिस्चार्ज में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी वाली पेयजल योजनाओं की संख्या

क्र0 सं0	जनपद	जल स्रोत डिस्चार्ज में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी वाली पेयजल योजनाओं की संख्या			
		50 से 75 प्रतिशत कमी	75 से 90 प्रतिशत कमी	90 से अधिक प्रतिशत कमी	कुल
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	6	4	2	12
2	पौड़ी गढ़वाल	26	120	39	185
3	चमोली	15	9	–	24
4	रूद्रप्रयाग	12	–	3	15
5	उत्तरकाशी	10	2	1	13
6	टिहरी गढ़वाल	22	47	20	89
7	अल्मोड़ा	11	25	10	46
8	चम्पावत	7	35	12	54
9	बागेश्वर	3	3	–	6
10	नैनीताल	18	7	–	25
11	पिथौरागढ़	9	16	6	31
	महायोग	**139**	**268**	**93**	**500**

इस प्रकार जनपद पौड़ी, टिहरी, चम्पावत तथा अल्मोड़ा में अधिकाश जल स्रोतों में 50 प्रतिशत से अधिक डिस्चार्ज की कमी परिलक्षित होती है। अतः जल स्रोतों के पुर्नजीवीकरण हेतु कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन की विशेष आवश्यकता है। विभाग के पास वर्तमान में जल स्त्रोतों का कोई विस्तृत डेटा बेस नहीं है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निरन्तर सूख रहे विभिन्न जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने का कोई ठोस कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है।

जल स्त्रोतों की भू–स्थैतिकीय (GIS) मैपिंग हेतु स्वजल के माध्यम से 250 करोड़ रूपये का प्रस्ताव नीति आयोग, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिससे राज्य के अंतर्गत समस्त जल स्त्रोतों एवं जलराशियों की भू–स्थैतिकीय सूचना तथा उसमें उतार–चढाव का विस्तृत डाटा बेस तैयार किया जा सकेगा।

12.7.4 स्लिप्ड बैक बस्तियां

तालिका 12.3 उत्तराखण्ड में स्लिपड बैंक बस्तियों का वर्षवार विवरण

मण्डल	कुल बस्तिया	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (till date)
गढवाल	20558	1924	221	3113	803	84
कुमायूं	18651	2210	49	1513	617	128
योग	39209	4134	270	4626	1420	212

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पर्याप्त जलापूर्ति से आच्छादित बस्तियां स्रोत रिक्तिकरण अथवा नदियों के जल स्तर कम/समाप्त होने के कारण पुनः असेवित की स्थिति में आ जा रही हैं। इस प्रकार की स्लिप्ड बैक बस्तियों को पुनः जलापूर्ति से आच्छादित करना व आंशिक सेवित बस्तियों को पूर्णतः सेवित करने हेतु जलापूर्ति की कवरेज बढाई जा रही है। इसके अतिरिक्त भूजल स्तर के अवैज्ञानिक विदोहन को रोकने हेतु विभाग निजी बोरिंग ट्यूबवैल की निगरानी एवं नियमन किया जा रहा है।

12.7.5 पेयजल योजनाओं के संचालन लागत में वृद्धि– गुरूत्व आधारित योजनाओं के रिक्तिकरण के फलस्वरूप पम्पिंग योजनाओं की ओर रूख करना पड़ रहा है। पम्पिंग योजनायें अपेक्षाकृत अधिक लागत वाली हैं।

12.7.6 सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट– वर्तमान में राज्य में सीवरेज नेटवर्क 1091 कि0मी0 निर्माण कार्य पूर्ण है, जिसकी क्षमता 190 एम0एल0डी0 है। 70 एम0एल0डी0 क्षमता के 650 कि0मी0 सीवरेज नेटवर्क निर्माणाधीन हैं तथा वर्ष 2022 तक कुल 500 एम0एल0डी0 क्षमता के सयंत्र स्थापित कर सीवरेज नेटवर्क को 2050 कि0मी0 बनाने का लक्ष्य है।

12.7.7 आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्तता– विभिन्न दैवीय आपदाओं के कारण भी पेयजल योजनाओं में क्षतिग्रस्तता होने से व्यवधान उत्पन्न होते हैं।

12.7.8 लाईन लॉस को कम करना– कई शहरों में पेयजल वितरण व्यवस्था की पाईप लाईन पुरानी होने के कारण जल रिसाव सेपेयजल की बर्बादी होती है। इस प्रकार की क्षति को रोकने हेतु विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

ब–जल संस्थानः– राज्य के लोगों को स्वास्थ्यप्रद एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के साथ ही दक्ष सीवर व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान 92 नगरीय पम्पिंग, 296 ग्रामीण पम्पिंग, 3919 ग्रामीण गुरूत्व पेयजल योजनाओं के साथ ही 22 जलोत्सारण योजनाओं का संचालन/रखरखाव कार्य कर रहा है। पेयजल योजनाओं में से नलकूप आधारित योजनाओं की सं0 362 है तथा गरूत्व आधारित योजनाओं की सं0 3,945 हैं। राज्य में कुल जल संयोजनों की सं0 6,49,803 है। इसमें से ग्रामीण संयोजनों की सं0 3,15,385 है तथा शहरी 3,34,418 संयोजन हैं, जिससे संस्थान को वर्ष 2016–17 में ₹ 18,183.06 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सीवरेज नेटवर्क पर 1,04,433 शहरी संयोजन एवं 914 ग्रामीण

संयोजन मिलाकर कुल 1,05,347 सीवर संयोजन प्रदान किये गये है, जिससे संस्थान को वर्ष 2016–17 में ₹ 472.73 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। जल संस्थान को वर्ष 2015–16 में ₹ 1,872.83 लाख, वर्ष 2016–17 में ₹ 1,611.48 लाख का शुद्ध लाभ हुआ है तथा वर्ष 2017–18 का सम्भावित लाभ ₹ 2,653.02 लाख है। राज्य के ग्रामीण तथा विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है:–

12.8 नलकूपों का स्वचालितीकरण (Automation of Tubewells and SCADA):- संस्थान द्वारा आधुनिकतम तकनीक SCADA अपनाकर 659 नलकूप एवं 291 मिनी नलकूपों का स्वचालितीकरण किया गया है, जिससे मानवीय भूल एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी त्रुटियों के कारण जलापूर्ति व्यवस्था के व्यवधान को अत्यन्त न्यून किया जा सका है।

12.9 जल गुणवत्ता मैनेजमेंट (Water Quality Management):- राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद मुख्यालय में दो–दो (कुल 26) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालायें क्रियान्वित हैं, जिनमें वर्ष 2017–18 में 12,446

तालिका 12.4 जल संस्थान का वित्तीय विवरण (Financial Progress) लाख ₹ में

क्र0सं0	सैक्टर	अनुमोदित परिव्यय (2017–18)	अवमुक्त धनराशि (दिसम्बर 2017 तक)	व्यय धनराशि (दिसम्बर 2017 तक)
1	2	3	4	5
1	जिला सैक्टर	9158.56	4771.29	3691.02
2	राज्य सैक्टर	6723.02	4065.89	3258.25
3	केन्द्र पोषित	1960.91	1960.91	1633.37

तालिका 12.5 जल संस्थान का भौतिक विवरण (Physical Progress) लाख ₹ में

क्र0सं0	मद	ईकाई	लक्ष्य	पूर्ति (माह दिसम्बर 2017 तक)
1	2	3	4	5
1	ग्रामीण पेयजल / जलोत्सारण	संख्या	901	614
2	हैंडपम्पों का अधिष्ठापन	संख्या	135	135
3	हैंडपम्पों की मरम्मत	संख्या	421	421

पेयजल के नमूनों की जॉच (रासायनिक एवं जैविक परीक्षण का कार्य) की गयी है।

12.10 हैण्ड पम्पः एक सफल वैकल्पिक रणनीति (Hand Pump: A Successful alternative plan):- राज्य के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हैण्ड पम्प स्थापित कर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत 9875 हैण्ड पम्पों की स्थापना की गयी है।

12.11 मिनी नलकूपः न्यून लागत, त्वरित उपचार (Mini Tubwell: Low Cost, Accelerated Treatment):- नलकूपों के खनन में लगने वाले व्यय एवं समय की बचत एवं छोटी बस्तियों के पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु कम श्राव के नलकूपों को एक सप्ताह के अन्दर 'न्यूमेटिक खनन' विधि से तैयार किया जाता है। वर्तमान तक 291 मिनी नलकूप स्थापित किये गये हैं।

12.12 चाल–खालः परम्परा का पुनर्जीवन (Movement: Revival of the Traditional water sources):- ग्राम समाज के सहयोग से संस्थान द्वारा दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश भर में 3,403 चाल–खालों का निर्माण, जीर्णोद्धार या पुनर्जीवित किया है।

स– स्वजल परियोजना– स्वच्छ भारत अभियान

12.13 स्वच्छ भारत मिशनः– स्वच्छ भारत मिशन 02 अक्टूबर 2014 को प्रारम्भ किया गया जिसके मुख्य उद्देश्यों में "खुले में शौच" की प्रवृत्ति, मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन, आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन तथा स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

मिशन के प्रमुख घटकों में व्यक्तिगत घरेलु शौचालय निर्माण, सामुदायिक / सार्वजनिक

शौचालयों एंव यूरिनल का निर्माण, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा सूचना शिक्षा एवंसंचार (आई0ई0सी0) एवं जनजागरूकता पैदा करना है।

12.13.1 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):– मिशन अन्तर्गत वर्ष 2017–18 तक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कुल लक्ष्य 27,640 के सापेक्ष 8,438 शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 8108 शौचालय निर्माणाधीन है। सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के कुल लक्ष्य 2000 के सापेक्ष 416 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 411 सीट सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन है तथा कुल लक्ष्य 1,000 के सापेक्ष 57 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित तथा 193 सार्वजनिक मूत्रालय निर्माणाधीन है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत SNUSP (Support to National Urban Sanitation Policy) में जर्मन संस्था GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु शहर स्वच्छता योजना (CSP) निर्मित की जा चुकी है, कुल 906 वार्डों में से 706 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है, 13 में कम्पोस्ट बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वर्ष 2017–18 में ₹ 7,900.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष जनवरी, 2018 तक ₹ 1,277.97 लाख व्यय किया जा चुका है।

12.13.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):– मिशन अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सर्वेक्षण–2012 के अनुसार कुल परिवारों की संख्या 15,51,416 थी, जिसमें से 10,41,586 (67.14 प्रतिशत) परिवार शौचालय सुविधा से आच्छादित थे तथा 5,09,830 शौचालय विहीन चिन्हित परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष माह–मई 2017 तक कुल 5,90,038 शौचालय निर्मित कर राज्य को शत–प्रतिशत शौचालय सुविधाओं से आच्छादित करते हुए ***'खुले में शौच की प्रथा से मुक्त'*** घोषित कर दिया गया है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। यह कार्य मनरेगा, ग्राम्य विकास, विभाग, पंचायती राज विभाग, उरेडा एवं कृषि विभाग इत्यादि के साथ अभिसरण (Convergence) के माध्यम से करवाया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष की अवशेष धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल उपलब्ध ₹ 30,622.893 लाख के सापेक्ष ₹ 9,889.642 लाख व्यय किए गये है। माह जनवरी, 2018 से मार्च 2018 तक ₹ 18,000.00 लाख व्यय किए जाने का अनुमान है।

12.14 संचालित अन्य योजनाऐं

12.14.1 नमामि गंगे कार्यक्रम (व्यक्तिगत शौचालय) :– राज्य में गंगा किनारे अवस्थित कुल 132 ग्राम पंचायतों के कुल 29,405 परिवारों में से 9,987 शौचालय विहीन परिवारों हेतु कुल 10,010 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया एवं समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त कर दिया गया है। वर्ष 2017–18 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल उपलब्ध ₹ 1,651.78 लाख के सापेक्ष ₹ 629.68 लाख व्यय किए गये हैं।

12.14.2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Program):- वित्तीय वर्ष 2017–18 में कवरेज मद के अन्तर्गत गत वर्ष की गतिमान अवशेष पेयजल योजनाओं के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 07 योजनायें पूर्ण कर ली गई हैं एवं मात्र 01 योजना निर्माणाधीन है। वर्ष 2017–18 में प्रोग्राम फण्ड के अन्तर्गत कुल उपलब्ध ₹ 160.22 लाख के सापेक्ष ₹ 75.73 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

12.14.3 उप नगरीय क्षेत्रों हेतु पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (Uttarakhand Waters Supply and Sanitation Program for Peri-Urban Areas):– केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य के 35 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक सहायतित परियोजना (अनुमानित लागत ₹ 975 करोड़) स्वीकृत की गयी है। परियोजना हेतु भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध 22 जनवरी 2018 को हस्ताक्षरित किया गया है।

द–राजकीय सिंचाई

12.15 सामान्य विवरण:– राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य नहरों, पम्प नहरों, नलकूपों के निर्माण एवं जलाशय निर्माण व रखरखाव तथा बाढ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन करना है। राज्य में सिंचाई के तीन प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें हैं। वर्ष 2017–18 तक विभाग के अधीन 2956 छोटी पर्वतीय एवं भावर नहरें हैं, इसके अतिरिक्त 1529 नलकूप व 220 पम्प नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड 3.815 लाख हेक्टेयर है व खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.407 लाख है0 व 2.041 लाख है0, कुल 4.448 लाख है0 है। जिसके समक्ष कुल 3.064 लाख है0 सिंचन सुविधा उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में वास्तविक सींच में 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। राज्य में सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 7.142 लाख है0 है। जिसमें सिंचित क्षेत्रफल 3.394 लाख है0 एवं असिंचित क्षेत्रफल 3.748 लाख है0 है।

तालिका 12.6 उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टेयर)

वर्ष Year	क्षमता Potential				उपयोग Uses			
	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011-12	354.80	468.00	32.20	855.00	253.60	351.00	27.20	631.80
2012-13	354.8	482.00	32.20	869.00	253.60	362.00	27.20	642.80
2013-14	363.40	490.00	32.20	855.60	248.90	368.00	37.20	654.10
2014-15	366.90	509.00	32.20	908.10	253.30	382.00	37.20	672.50
2015-16	[illegible]	[illegible]	32.20	944.60	266.20	389.00	37.20	692.40

स्रोत: राजकीय सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट 12.1 वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उसके उपयोग की तुलनात्मक स्थिति

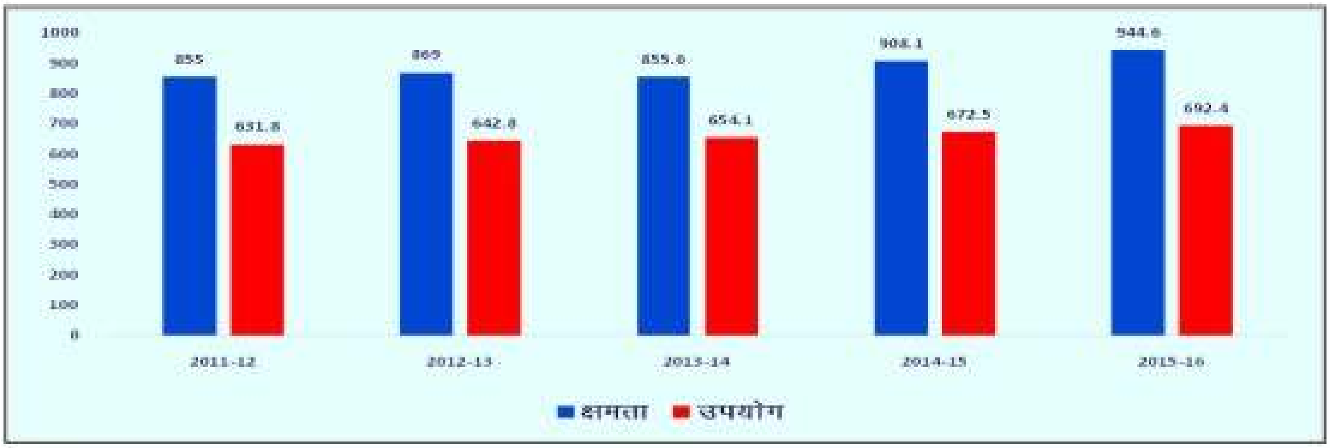

तालिका 12.7 उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचाई अवस्थापना

वर्ष Year	नहरों की लम्बाई (कि०मी०) Length of Canals (Km)	लघु डाल नहरों की लम्बाई (कि०मी०) Length of Lift Canals (Km)	ट्यूबवेल (संख्या) Tubewells (No.)	सिंचाई राजस्व संग्रहण (लाख ₹) Revenue Collection By Irrigation (Lakh ₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011-12	11588	242	1110	252.27
2012-13	11702	258	1248	244.91
2013-14	11915	262	1308	226.07
2014-15	12215	278	1353	244.40
2015-16	12421	281	1478	294.47

स्रोत: राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों में संकलित)।

तालिका 12.8 गत पाँच वर्षों के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों / योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	विवरण	वर्षवार क्रियान्वयन किये जाने वाले कार्यों / योजनाओं का विवरण				
		वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (माह दिसम्बर, 2017 तक)
1	वित्तीय प्रगति (लाख ₹ में)	40281.17	63259.45	69470.43	41592.40	24645.50
2	वर्षवार निर्मित नहर (सं० में)	56	40	37	46	15
3	वर्षवार निर्मित नहरों की लम्बाई गूलों सहित (कि०मी०)	212	300.67	343	157.23	25.68
4	वर्षवार निर्मित नलकूप (सं० में)	80	48	112	26	15
5	वर्षवार निर्मित लघुडाल नहर (सं० में)	17	12	17	9	....
6	कमाण्ड क्षेत्र में वर्षवार वृद्धि (लाख है०)	0.017	0.082	0.208	0.170	......
7	वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता (लाख है०)	0.029	0.035	0.275	0.182	0.036
8	वास्तविक सींच (लाख है०)	2.861	2.905	3.034	3.142	....
9	बाढ़ कार्य (सं० में)	14	55	46	50	10

12.16 बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम–वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु बाढ़ सुरक्षा मद के अन्तर्गत सी0एस0एस0–आर0 बाढ़ योजनाओं हेतु ₹15143.40 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयी, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 10894.24 लाख का व्यय कर योजनाओं का निर्माण किया जा रहा हैं।

महत्वपूर्ण कार्य / परियोजनायें

- **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गोला नदी पर** जमरानी बाँध निर्माण का कार्य प्रराम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र में सिंचाई के साथ–साथ 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा।
- **अभिनव (Innovative)**कार्यों के अन्तर्गत हरिपुरा बौर / तुमरिया बांध के स्लोप पर 40 मेगावाट सोलर पावर प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे सस्ती एवं क्लीन बिजली उपलब्ध होगी।
- जनपद देहरादून में पेयजल आपूर्ति हेतु **सौंग नदी पर सौंग बाँध** लागत रू0 978.56 करोड़ का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से देहरादून शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु जल उपलब्ध होगा।
- **त्यूनी प्लासू जलविद्युत परियोजना** देहरादून जिले की त्यूनी तहसील में टौंस नदी पर एक रन ऑफ द रिवर स्कीम के रूप में प्रस्तावित है। जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 72 मेगावाट होगी।
- आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना 81 मेगावाट की डी0पी0आर0 का कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

12.17 सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग:– सिचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में 05 गॉवों के अन्तर्गत 423 है0 कमाण्ड में स्प्रिंकलर आधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने की योजना (लागत ₹ 16.12 करोड़) तैयार की गई है।

वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन– राज्य के पर्वतीय जनपदों में प्राकृतिक स्त्रोतों को पुर्नजीवित एवं वर्षा जल का पेयजल एवं सिंचाई में प्रयोग को बढावा देने हेतु जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये है, जिसके अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा शहर की जलापूर्ति हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है, जनपद अल्मोड़ा के मोहनारी गदेरे में मोहनारी वियर का निर्माण, सौगड गदेरे में वियर का निर्माण, जनपद बागेश्वर में बैजनाथ झील का निर्माण सम्पन्न कराया गया है। जनपद देहरादून के अम्बीवाला गॉव में बहुददेशीय जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद अल्मोड़ा के देवीढूंगा लिफट स्कीम के समीप जलाशय का निर्माण, ताड़ीखेत, द्वाराहाट, भिकियासैण एवं स्याल्दे में 5 जलाशयों के निर्माण, विन्सर महादेव के निकट जलाशय की योजना, चम्पावत के लोहाघाट में कोलीढेक में बहुददेशीय जलाशय के निर्माण की योजना, जनपद देहरादून में जाखन नदी में सूर्यधार बैराज निर्माण की योजना एवं नैनीताल के कालाढूंगी में बैराज निर्माण की योजना वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद चमोली के गैरसैण में रामगंगा नदी का पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशय निर्माण, जनपद पौडी के पुंडेरी में ल्वली झील के निर्माण एवं पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार एवं नयार नदी पर 03 सं0 जलाशय निर्माण की योजनायें गठित किये जाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

य–लघु सिंचाई:–लघु सिंचाई कार्यों के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र में छोटे जल स्रोतों का उपयोग कर, छोटी–छोटी सिंचाई योजनायें बनाकर कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। स्थानीय स्तर पर लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण द्वारा उपलब्ध जल स्रोतों का समुचित उपयोग किया जाता है। लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2017 तक 30,535 कि0मी0 सिंचाई गूल 38,106 सिंचाई हौज, 1,446 हाईड्रम, 55,421 बोरिंग पम्पसेट, 840 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरी बोरिंग, 41 छोटे गेटेड वियर एवं 334 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, 5,24,043 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किय गया है। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 110.70 कि0मी0 सिंचाई गूल, 426 सिंचाई हौज, 02 हाईड्रम, 04 आर्टीजन कूप एवं 265 बोरिंग पम्पसेट का निर्माण/स्थापना कर 3,390.15 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

तालिका 12.9 उत्तराखण्ड में निजी लघु सिंचाई कार्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ

वर्ष Year	बोरिंग पम्प सेट/ निःशुल्क बोरिंग Boring Pump sets/ Free Boring (No.)	विद्युत नलकूप Electric Tubewells (No.)	हाइड्रम Hydrums (No.)	हौज Water Tanks (No.)	गूल निर्माण Gool Construction (Km)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010-11	54515	698	1532	31511	24978
2011-12	54642	703	1547	32850	26365
2012-13	54876	706	1491	34444	27555
2013-14	55159	716	1475	35228	28108
2014-15	55456	721	1476	36761	29785

स्रोत– *लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।*

12.18 आर्टीजन कूपों का निर्माण :– ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में आर्टीजन कूपों के निर्माण हेतु रू0 50.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 40 है0 सिंचन क्षमता के सृजन किया जा रहा है।

12.19 गूल, हौज एवं पाईपलाईन निर्माण

➢ **स्पेशल कम्पोनेट सब प्लान**:– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन के निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 50 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया जा रहा है।

➢ **ट्राईबल सब प्लान–टी0एस0पी0–** वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन के निर्माण हेतु ₹ 60.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 30 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया जा रहा है।

12.20 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः– वित्तीय वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक इस योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश तथा राज्यांश सहित कुल ₹ 36364.84 लाख की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 36,364.84 लाख का व्यय करते हुए 1,876 सिंचाई हौज, 4,44,012 मीटर पाईपलाईन, 2,597 कि0मी0 सिंचाई गूल एवं 02 छोटे वियर का निर्माण कर 28,392 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 7,200.01 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष प्राविधान के सापेक्ष 2,860 है0 सिंचन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है।

र–जलागम प्रबन्धनः– प्रदेश के समस्त पर्वतीय जिलों के अनुपचारित क्षेत्र का जलागम पद्धति से उपचार करना, स्थानीय समुदाय व संस्थाओं की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और विकास करना, उन्नत कृषि एवं कृषि विविधीकरण द्वारा ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं एवं निर्बल वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं एवं निर्बल वर्ग को जलागम परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सहभागी बनाकर उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, पशु प्रबन्धन में सुधार कर, चारे की उपलब्धता में वृद्धि तथा जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं जल संभरणद्वारा ग्रामीण महिलाओं के कार्य बोझ में कमी लाना, सामुदायिक उपयोग के संसाधनों के रखरखाव हेतु चक्रीय कोष (Revolving Fund) विकसित करना, तथा स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का गठन तथा आय सृजन सम्बन्ध कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करना जलागम प्रबन्धन का प्रमुख उद्देश्य है। राज्य में जलागम विकास योजनाओं को संचालित किये जाने हेतु प्रदेश के भू–भाग को 1,110 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) विभक्त किया गया है। जिनमें 267 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र बर्फ से ढके हैं अथवा अभ्यारण्य व जल विद्युत परियोजनाओं के बांध क्षेत्रों में हैं जिनमें योजनाओं का निरूपण नहीं किया जा सकता है। शेष 843 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र उपचार योग्य हैं, जिनमें से 381 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों का उपचार किया गया है। वर्तमान में जलागम प्रबन्धन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के अन्तर्गत 286 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों का उपचार किया जा रहा है। राज्य के जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण–

तालिका 12.10 जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उपजलागम, सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों का विवरण

क0सं0	जलसमेट क्षेत्र का नाम	जलागमों की संख्या	उप जलागमों की संख्या	सूक्ष्म जलागमों की संख्या
1	यमुना	5	19	**161**
2	गंगा "अ"	2	5	**56**
3	गंगा "ब"	2	12	**88**
4	भागीरथी	2	18	**159**
5	अलकनन्दा	5	22	**207**
6	रामगंगा	3	11	**87**
7	कोसी	4	13	**117**
8	काली	3	16	**235**
	कुल	**26**	**116**	**1110**

12.21 उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) द्वितीय चरणः— परियोजना का उद्देश्य राज्य के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा बारानी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह वर्ष 2014 से 2021 तक 07 वर्षों हेतु संचालित की जा रही है। परियोजना की कुल लागत रू0 1,020 करोड़ है। यह परियोजना प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपदों (देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) के 523 ग्राम पंचायतों के 1,055 राजस्व ग्रामों में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना से लगभग 66,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक, राज्य एवं लाभार्थी अंश द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 106.97 करोड व्यय किया गया तथा परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2017 तक कुल क्रमिक व्यय ₹ 339.17 करोड व्यय किया जा चुका है।

12.22 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजनाः— परियोजना का मुख्य उद्देश्य चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों से उपयोग की दक्षता में वृद्धि तथा कृषकों से सम्बन्धित कृषि, चारा, पशुपालन, उद्यान इत्यादि के अन्तर्गत उत्पादकता/क्षमता में वृद्धि कर आजीविका विकास करना है। परियोजना की अवधि वर्ष 2012 से 2019 तक 07 वर्ष की है, जिसकी कुल लागत ₹ 287 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 34.24 करोड व्यय किया गया तथा परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2017 तक कुल क्रमिक व्यय ₹ 116.31 करोड व्यय किया जा चुका है।

तालिका 12.11 परियोजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्र का विवरण

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (है0)	वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल (है0)	कृषि क्षेत्र (है0)	परती क्षेत्र (है0)	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या
पौडी	पाबौ, एकेश्वर	5	16470	11092	4019	1359	48	101	5388	21643
चम्पावत	बाराकोट, पाटी, चम्पावत	4	21011	12613	5678	2720	55	126	5986	30052
नैनीताल	बेतालघाट, रामगढ	13	32713	18902	8312	5262	87	154	11046	55516
योग—	**7**	**22**	**70194**	**42607**	**18009**	**9578**	**190**	**381**	**22420**	**107211**

12.23 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—

12.23.1 समेकित जलागम विकास कार्यक्रमः— समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) को वर्ष 2015—16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जलागम विकास घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका वित्तपोषण 90 प्रतिशत केन्द्र द्वारा एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। परियोजना प्रारम्भ से अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत् है:—

तालिका 12.12 समेकित जलागम विकास कार्यक्रम का जनपदवार विवरण

क्रम सं0	जनपद का नाम	परियो0 संख्या	विकासखण्ड का नाम	परियोजना लागत	सूक्ष्म जलागम संख्या	परियोजना क्षेत्रफल (हे0)	राजस्व ग्राम (सं0)	ग्राम पंचायत (सं0)	परिवारों की सं0	जनसंख्या
1	चमोली	6	दशोली, पोखरी, घाट, नारायणबगड़, देवाल, कर्णप्रयाग, थराली (7)	9350.55	27	62337	401	212	23551	115199
2	देहरादून	3	चकराता (1)	2439.45	9	16263	49	34	2068	22218
3	पौड़ी	7	बीरोखाल, थलीसैण, कोट, पौड़ी, पावों (5)	5376.30	17	35842	433	170	15877	67593
4	रूद्रप्रयाग	3	अगस्तमुनि, उखीमठ, जखोली (3)	3069.45	12	20463	160	85	11101	42442
5	हरिद्वार	6	रूड़की, खानपुर बहादराबाद,नारसन,लक्सर, (5)	3600.00	0	30000	131	58	30240	203839
6	अल्मोड़ा	8	चौखुटिया, साल्दे, हवलबाग, ताडीखेत, भिकियासेण, द्वाराहाट, सल्ट, भैसिया छाना, धौलादेवी (9)	5911.80	21	39412	374	220	20132	115751
7	बागेश्वर	6	बागेश्वर, कपकोट, गरूड, (3)	5073.60	19	33824	424	183	19970	114908
8	चम्पावत	4	पाटी, चम्पावत (2)	3354.75	11	22365	143	71	6575	32099
9	नैनीताल	4	बेतालघाट, रामगढ़, धारी, हल्द्वानी, भीमताल (5)	2943.60	8	19624	225	101	18487	126644
10	पिथौरागढ़	4	धारचूला, डीडीहाट, कनालीछाना, बेरीनाग, मुनाकोट, पिथौरागढ़ (6)	5319.45	16	35463	185	85	11938	56814
11	उधमसिंह नगर	7	बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज, गदरपुर, रूद्रपुर, (5)	4651.20	4	38760	196	108	28663	178705
12	उत्तरकाशी	6	पुरौला, नौगांव, मोरी, भटवारी (4)	6633.00	23	44220	118	92	7535	43603
13	टिहरी	5	नरेन्द्रनगर, भिलंगना (2)	4055.25	15	27035	153	92	9972	50389
	कुल	**69**	**57**	**61778.400**	**182**	**425608**	**2992**	**1511**	**206109**	**1170204**

वर्तमान में राज्य के सभी 13 जनपदों में ₹ 617.78 करोड़ की 69 परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 6.31 करोड व्यय किया गया तथा परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2017 तक कुल क्रमिक व्यय ₹ 120.80 करोड व्यय किया जा चुका है।

12.23.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–अनुसूचित जाति उप योजनाः–ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है इनमें योजना के अन्तर्गत 99 ग्राम पंचायतें आच्छादित हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित धनराशि ₹ 500 लाख के सापेक्ष ₹ 08.33 लाख अवमुक्त किया गया है।

12.23.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–अनुसूचित जन जाति उप योजनाः–ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें जन जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है इनमें योजना के अन्तर्गत 66 ग्राम पंचायतें आच्छादित हैं। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित धनराशि ₹ 600 लाख के सापेक्ष ₹ 1.33 लाख अवमुक्त किया गया है।

''वहाँ जल को रहने दो''
Let there be Water

उक्त शीर्षक Seth M. Siegel द्वारा लिखी गयी एक best seller book का है जिसमें लेखक द्वारा जल से वंचित (Water Starved) दुनिया के लिए इजराइल (Israel) द्वारा सुझाये समाधान को बडी खुबसूरती से चित्रित किया है लेकिन इस शीर्षक के विपरीत लोगों ने जल स्रोतों के अवैज्ञानिक विदोहन से आज हम जल स्रोतों को कम अथवा समाप्त करने की स्थिति में है। शुद्ध जल सीमित है तथा उसका निवास स्थान (स्रोत) भी निश्चित ही हैं। जल स्रोत बैंक खाते की तरह हैं। यदि उनसे मात्र निकासी होगी तो एक दिन कम शेष (low balance) के कारण खाता बंद हो सकता है। इसमें Zero Balance Account की व्यवस्था नहीं है। यद्यपि हम तुरन्त राहत के लिए जल व्यवस्था तो कर देते हैं, लेकिन स्रोत रिचार्ज के प्रति हमारा ध्यान नहीं है।

जल ही सबकुछ है, जल ही जीवन है, सत्य है लेकिन हमारी सभ्यता तथा भूमि के उपर परिस्थितिकी के लिए जल नहीं शुद्ध जल की आवश्यकता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 3 प्रतिशत से भी कम जल मीठा/असमुद्री (Fresh water) है, इसमें से 1 प्रतिशत से भी कम जल ऐसा है जो हमारे पहुँच में है बाकी आर्कटिक, अंटार्कटिका, अलास्का, ग्रीनलैण्ड आदि में बंद है। बढती जनसंख्या और उसमें भी बढते अति उपभोगी मध्यमवर्ग के अत्यधिक माँग के कारण हमारी पहुँच का जल बडी तेजी से घट रहा है तथा प्रदूषित हो रहा है। शुद्ध जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमिगत जल (Aquifers) है। समस्या यह है कि एक बार भूजल (Aquifers) में जल खत्म हो जाने पर जल का स्थान पत्थर/मिट्टी द्वारा ले लिया जाता है और फिर उन भूजल (Aquifers) को पुनर्जिवित (Revive) करना असम्भव है। इसी का परिणाम हुआ है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रदेश में कई स्थानों पर भूमिगत जल के ज्यादा निकासी के कारण भूमि 26 फीट तक धँस गयी है। देहरादून में ही कई स्थानों पर भूजल (Aquifers) के दो स्तर (Strata) का जल समाप्त हो गया है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (IIRS, Dehradun) के शोध के अनुसार भारत के कई राज्य में अत्यधिक भूजल निकासी के कारण भूधंसाव हो रहा है और यह प्रवृत्ति देहरादून में भी दिखने की संभावना है। वर्तमान में उपलब्ध तकनीकों के आधार पर कहा जा सकता है कि भूजल (Aquifers) एक बार दूषित हो गये तो फिर उसे साफ करना असंभव है। तीव्र गति से खेती में रसायनों के अत्यधिक उपयोग, उद्योगों के दूषित effluent तथा घरेलू अपशिष्ट से हमारे जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता कि कुछ दशक बाद शुद्ध जल सबसे बेशकीमती हो जायेगा। आज जानकार एवं सूचित (Knowledgeable and Informed) लोगों तथा जल का आदर करने वाली संस्कृति (Water Respecting Culture) विकसित करने की आवश्यकता है।। उदाहरण स्वरूप American तथा Israeli nursery rhyme जल के प्रति श्रृद्धा के स्तर को दर्शाता है–

Rain, rain, go away,
Come again some other day!
-American nursery rhyme

Rain falls, rain falls from the sky,
Drops of water all day long,
Drip, drip, drop,
Drip, drip, drop,
Clap your hands together.
-Israeli nursery rhyme

- **सब कुछ जल और मिट्टी से जुडा है (It's all about Water & Soil)**

यदि कहीं जीवन या सभ्यता है तो पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि वहाँ अवश्य ही कोई न कोई जल स्रोत है। पहाडों में भी प्रत्येक तोक के पास कोई न कोई जल स्रोत है जिसे जीवित रखने, फैलाने तथा आदर करने की आवश्यकता है। शायद हम विकास के शोर–शराबे में जल स्रोतों के बारे में भूल गये हैं। विकास के पैमाने में जल का नम्बर सबसे पीछे आता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे जीवित रहने से लेकर प्रत्येक कार्य/रोजगार, उद्योग के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण है। जल के कारण ही चट्टान मिट्टी बन पाती है, यदि जल न हो तो स्थल मरूस्थल में बदल जायेगा और मिट्टी धूल में। जल और मिट्टी दोनों मिलकर ही हमें जीवित रहने के लिए अन्न तथा रहने के लिए छत देता है। अन्न, जल और घर की सुरक्षा हमें

तकनीकि विकास के लिए फुरसत के पल प्रदान करता है।

"Water to the country is like blood to a human being."

- **जल का आकार (The Shape of Water)**

जल विस्मयकार है। पृथ्वी का 70 प्रतिशत अंश जल है और प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर का औसतन 70 प्रतिशत अंश जल ही है। पृथ्वी पर करोडों प्रकार के जीव हैं प्रत्येक जीव का आकार स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ढाला गया है। यह आकार वस्तुतः जल के कारण है अर्थात् जल का आकार है। ठीक उसी प्रकार जल की उपलब्धता किसी सभ्यता के आकार, विशेषता तथा भविष्य को निश्चित करता है। **यह तो तय है कि जल को आदर करने वाली सभ्यतायें ही भविष्य के द्वार को पार कर पायेंगी।**

"You can tell a lot about a country by the way it manages its water."

- **उत्तराखण्ड में जल तथा जल स्रोतों से सम्बन्धित विचारवस्तु**

1. बढती जनसंख्या तथा चलयमान जनसंख्या और बढती जल की माँग।
2. **बढता मध्यम वर्ग**

बढता मध्यम वर्ग यह दर्शाता है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि उनकी जीवन शैली डेली शावर, बैकयार्ड पूल, ग्रीन लाउन, प्रोटीन आधारित भोजन, अधिक ऊर्जा की माँग आदि के कारण जल स्रोतों पर दबाव बढ रहा है। उदाहरण स्वरूप माँस के एक पाउण्ड पैदा करने में, मक्के के एक पाउण्ड पैदा करने के सापेक्ष 17 गुणा अधिक जल की आवश्यकता होती है।

3. **जलवायु परिवर्तन**

बढते तापमान के कारण तीव्र वाष्पीकरण की वजह से फसलों की सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता बढ रही है। साथ ही वर्षा का पैटर्न भी बदल रहा है। दो वर्षा दिवसों में अंतराल बढने के कारण सतही भूमि कठोर हो रही है जिसकी वजह से जल भूमि के अन्दर नहीं जा पा रहा है तथा अधिकांशतः बहकर नदी–नालों से होते हुए समुद्र में जा रहा है।

4. **दूषित जल (Tainted Water)**

प्रकृति द्वारा तय सीमा के अतिरिक्त प्रदूषण भी उपलब्ध जल को कम रहा है। प्रदूषित भूजल स्रोत (Compromised Aquifers) और झील/तालाब को साफ करना न सिर्फ मुश्किल व खर्चीला है बल्कि वर्तमान में उपलब्ध तकनीकों के आधार पर असम्भव है।

5. **रिसाव (Leaks)**

पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई में 50 प्रतिशत तक जल रिसाव के कारण खत्म हो जाता है। यह अदृश्य है परन्तु महत्वपूर्ण है।

6. **गिरता भूजल स्तर, सूखते जल स्रोत, सूखती नदियां तथा सूखती झीलें**

- **सीमित शोध**

शोध न होने के कारण हमें कारणों का पता ही नहीं चलता और सटीक हस्तक्षेप (Effective Intervention) नहीं हो पाते है।

- **आँकडों की कमी तथा विभागों के बीच समन्वय की कमी**

अनुश्रवण तथा नियमित बहाव मापन (Regular discharge Measurement) न होने के कारण हमें स्रोतों के बहाव (discharge) के बारे में जानकारी नहीं है। इसी प्रकार स्रोतों के GIS Location (Latitude and Longitude) के बारे में भी पता नहीं है। जल स्रोतों के स्रवण को नियमित मापन तथा पुनर्जीवित करने की दिशा में कोई कार्यवाही न कर हम तुरन्त राहत के रूप में महंगी पम्पिंग योजना

प्रस्तावित कर रहें हैं। यह न सिर्फ वित्तीय दृष्टिकोण बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी सवंहनीय (Sustainable) नहीं है। जल संस्थान तथा जल निगम को पेयजल स्रोतों के अनुश्रवण व नियमित मापन के आज्ञा (Mandate) के बावजूद भी उनके द्वारा यह कार्य नहीं किया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा नदियों तथा झीलों के सम्बन्ध में आँकडे रखे जाते हैं लेकिन उनको पुनर्जीवित करने तथा बचाने की दिशा न तो कोई शोध और न ही कोई कार्य किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा Catchment Area Treatment (CAT) किया जाता है, परन्तु CAT-Plan तैयार करने में न तो सिंचाई विभाग और न ही पेयजल विभाग का कोई योगदान होता है। विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां विकासीय प्राधिकरण, नगर निगम, प्रशासन आदि जारी करता है लेकिन उसका प्रवर्तन नहीं होता है। सामान्यतः विभिन्न विभाग यथा ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग आदि पौधारोपण, चाल खाल खुदाई, ट्रैंच खुदाई आदि कार्य किसी ठोस नियोजन के बिना करते है, जिसका प्रमुख कारण जल स्रोतों तथा स्रवण क्षेत्रों का GIS Location के आँकड़ों की अनुपलब्धता है। यही कारण है कि अत्यधिक व्यय होने के पश्चात भी कोई नदी या जल स्रोत पुनर्जिवित नहीं हो पाये।

- **वन विभाग की भूमिका**

लगभग सारे सूखते जल स्रोत तथा नदियों का स्रवण क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत है लेकिन उचित Data Base व नियोजन न होने के कारण उक्त स्रोतों के संरक्षण हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी प्रकार जल सेक्टर से जुडे विभागों का वन विभाग के साथ जल स्रोतों के पुर्नजीवीकरण हेतु प्रभावी समन्वयन की कमी दृष्टिगत होती है।

- **जल बजट तथा जल ऑडिट**

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विभाग तथा योजना हेतु बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन के पश्चात् ऑडिट किया जाता है, परन्तु जल, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, का न तो बजट बनाया जाता है और न ही कोई ऑडिट होता है। प्रत्येक शहर तथा ग्राम पंचायत हेतु जल की उपलब्धता, आवश्यकता, निकासी तथा रिचार्ज की मात्रा का आंकलन आवश्यक है। प्रत्येक तोक के लिए जल बैलेंस शीट अनिवार्य होनी चाहिए। प्रत्येक शहर तथा ग्राम पंचायत में कुल जल की निकासी (सरकारी तथा निजी), रिसाव (Leaks), कुल रिचार्ज की व्यवस्था, अवैध संयोजन का आंकलन आवश्यक है। परन्तु आतिथि इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रत्येक बूँद का नियोजन तथा विनियोजन (Allocation) मानव सभ्यता की सवंहनीयता (Sustainability) के लिए आवश्यक है।

पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे कई उदाहण है जहां गांवों में खच्चर तथा घोड़ों द्वारा जल पहुंचाया जाता है जबकि यदि उन क्षेत्रों में वर्षा जल संचय टैंक व जल संरक्षण की योजनायें बनायी जाती तो सम्भवतः वर्षा जल संरक्षण से जल शुष्क महिनों हेतु जल उपलब्ध हो सकता है। अतः ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर विस्तृत दीर्घगामी योजनायें तैयार करने की आवश्यकता है न कि तदर्थ (Ad-hoc) व्यवस्था की। इसी प्रकार प्रत्येक गाँव के प्रत्येक खेत हेतु सिंचाई तथा प्रत्येक परिवार हेतु पेयजल के लिए ग्राम पेयजल योजना तथा ग्राम सिंचाई योजना तैयार करने की दिशा में किसी एक विभाग को नेतृत्व लेना होगा तथा अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ ग्राम पेयजल तथा ग्राम सिंचाई योजना तैयार करनी होगी, जिससे तदर्थ व्यवस्था (Ad-hoc System) को समाप्त किया जा सके।

- **प्रवर्तन तथा निगमन**

वर्तमान में जल से सम्बन्धित मामलों में कौन उत्तरदायी है, स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में कोई भी बिना किसी अनुमति के ट्यूबवैल स्थापित कर लेता है और कोई टैक्स (कर) भी नहीं देता है। कुछ नियम है

परन्तु उसका प्रवर्तन नहीं होता है। इजराइल (Israel) की तरह हमें भी जल संसाधन नियमन व प्रवर्तन को केन्द्रीकृत किया जाना आवश्यक है। इस केन्द्रीयकृत व्यवस्था में प्रत्येक विभाग, निगम, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्था की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि जल जैसे महत्वपूर्ण वस्तु के देखरेख तथा नियोजन के लिए हमने निगम बनाया है, जो अधिकांशतः अपने लाभ (Profit) तथा विभाग के संचालन में ज्यादा अन्तर्ग्रस्त है। यही नही उस निगम को भी हमने दो भाग में बांट दिया है जिनके मध्य समन्वय की कमी दिखायी देती है। ये संस्थान/निगम जल नियोजन, (जल स्रोतों के GIS Location, उनके स्रवण (Discharge) के नियमित मापन, नियमन तथा प्रवर्तन, रिसाव, रिचार्ज आदि) के सम्बन्ध में नियमित कार्यवाही नहीं करते हैं, मात्र तदर्थ आधार पर परियोजनाओं को प्रस्तावित तथा क्रियान्वित करते हैं। जल के उचित नियोजन हेतु व्यवसायिक (Professional) जल प्रबन्धक की आवश्यकता है। नियमित अनुश्रवण एवं प्रवर्तन न होने के कारण निजी नलकूपों की संख्या तथा उससे होने वाले पानी की निकासी की जानकारी का अभाव है। अतः प्रत्येक नलकूप तथा मुख्य टैंक के पास Sensor/Meter स्थापित किया जाये ताकि कुल निकासी का पता चल सके तथा जल बजट बनाया जा सके। इजराइल (Israel) ने समस्त नलकूपों, टैंकों तथा घरों के संयोजन में Sensor/Meter लगाकर उसे Mobile App से जोड दिया है जिससे वास्तविक क्षण (Real Time) में जल निकासी तथा जल उपभोग की मात्रा को ट्रैक किया जा सकता है। जल सेक्टर से जुड़े विभाग जल निगम व जल संस्थानों के मानव प्रबन्धन का उचित व प्रभावी उपयोग एवं दीर्घगामी योजनायें तैयार करने हेतु दोनों को आमेलित (Merge) कर उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। जल के उचित प्रबन्धन करने एवं अनावश्यक विदोहन रोकने हेतु निजी नलकूप घटकों पर अत्यधिक कर लगाने की आवश्यकता है।

- **स्पंज शहर (Sponge City)**

शहर जल नवाचार के लैब के रूप में देखा जाता है। शहरों के वैट लैंडस, ग्रीन क्षेत्र, नदियों के बेसिन नाले, पार्कस् आदि शहरों के लिए स्पंज का कार्य करती है जो वर्षा ऋतु में जल सोख्ती हैं और भूजल (Acquifier) को रिचार्ज करती तथा शहर के वातावरण को ठंडा रखती है। दुनिया के कई शहरों के स्थानीय निकायों ने तो फुटपाथ पर टाइल्स के बीच में घास लगायी है। राज्य के शहरी नियोजन को इस दिशा में चिन्तन करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आवासीय परियोजनायें (सरकारी व निजी) में ग्रीन क्षेत्र छोड़ने की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रभावी कानून व प्रवर्तन व्यवस्था अत्यन्त जरूरी है।

आज हम दुनिया में उन देशों में हैं जहाँ बहता जल (Run off water) को सबसे कम रोका जाता है। बहता जल को रोकने के लिए जगह–जगह तालाब तथा कुएं बनाने होंगे। यदि हम शहर को Sustainable बनाना चाहते हैं तो हमें स्पंज शहर बनाना होगा। हमें शहरों के ग्रीन क्षेत्र को बचाना होगा। प्रत्येक घर तथा आवासीय व अनावासीय परियोजनाओं में जल संरक्षण की व्यवस्था करनी होगी।

सम्भवतः जल सेक्टर से जुड़े विभागों के पास घर के क्षे0फ0 के अनुसार जल संरक्षण का कोई मॉडल नहीं है, जिसे नितान्त रूप से तैयार करनी की आवश्यकता है। हमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य पीढी (Posterity) के बारे में भी सोचना होगा। हम समस्त सहभागियों (Stakeholders) को मिलकर उत्तरदायित्व लेना होगा, पारदर्शिता लानी होगी तथा एक दूसरे से कठिन प्रश्न भी पूछने होंगे।

अध्याय–13

उद्योग एवं खनन

Industry & Mining

13.1 सामान्य विवरण:– राज्य में अवस्थापना सुविधाओं की पूर्ति के लिये निवेशकों को निवेश हेतु आकर्षित करने, औद्योगिक पुर्नगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार तथा उद्योग कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी बनाने के कई मुद्दों पर विचार किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत भारत सरकार से उत्तराखण्ड राज्य के लिये वर्ष 2003 में **विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज** प्राप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकीकरण का प्रसार हुआ।

वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र का अंश 37.57 प्रतिशत है। वर्ष 1999–2000 में नवसृजित राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र का अंश, जो मात्र 19.7 प्रतिशत था, वह बढ़कर 37.57 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार यह दर्शाता है कि गत 17 वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

तालिका 13.1

क्र0सं0	वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का अंश	द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का अंश
1	2	3	4
1	2011–12	52.13	40.29
2	2012–13	52.01	41.07
3	2013–14	50.59	39.00
4	2014–15	50.52	39.04
5	2015–16	51.07	39.69
6	2016–17	50.86	39.27
7	2017–18	49.74	37.57

13.2 उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों की स्थिति:–

तालिका 13.2

वर्ष	उद्योगों की संख्या					पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	नवसृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
	बृहद उद्योग	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	सूक्ष्म उद्योग	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
2016–17	–	29	453	2598	3080	949.96	22065
2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)	–	17	299	2061	2377	446.25	13750
मार्च, 2018 तक का अनुमान	–	4	15	834	853	535.00	3500

13.3 उद्योगों में आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाये जाने हेतु लघु एवं अत्यन्त लघु क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदेश में लघु स्तरीय उद्योग (SSIs) के अन्तर्गत पंजीकृत तथा एमएसएमईडी एक्ट के तहत ईएम पार्ट–2 तथा उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने वाले कुल उद्यमों की संख्या 55545 है, जिनमें ₹ 11633.45 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 272382 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पूर्ववर्ती राज्य से माह दिसम्बर, 2017 तक स्थापित औद्योगिक इकाईयों

की संख्या में 27219 की वृद्धि, पूंजी निवेश में ₹10232.87 करोड़ की वृद्धि तथा रोजगार में 195364 की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जिसका विवरण निम्न तालिका 13.3से स्पष्ट है:–

तलिका 13.3

विवरण	स्थापित औद्योगिक	पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	नवसृजित रोजगार
1	2	3	4
पूर्ववर्ती राज्य से दिनांक 8–11–2000 तक पंजीकृत लघु–लघुत्तर इकाईयां	14163	700.29	38509
9–11–2000 से माह दिसम्बर, 2017 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	41382	10933.16	233873
योगः–	**55545**	**11633.45**	**272382**

तालिका 13.4 उत्तराखंड में प्रमुख विनिर्माण उद्योग (Manufacturing Industries)

क्र0 सं0	जनपद	प्रमुख उद्योग
1	देहरादून	खाद्य प्रसंस्करण, जूता निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग, भारी मशीनरी
2	हरिद्वार	ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रोनिक्स, भारी मशीनरी, दवा उद्योग, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र उद्योग यूनिट, प्लास्टिक की बोतलें, स्टील, कांच का समान
3	उधमसिंह नगर	खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ऑटो–कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, कांच का समान, कालीन
4	पौड़ी गढ़वाल	इलेक्ट्रॉनिक, इस्पात बार निर्माण इकाइयां
5	नैनीताल	इलेक्ट्रॉनिक, कागज, एलपीजी, बॉटलिंग प्लांट

Source: Survey Report on Import-Export of All the Commodities in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, Nov2017

चार्ट 13.1

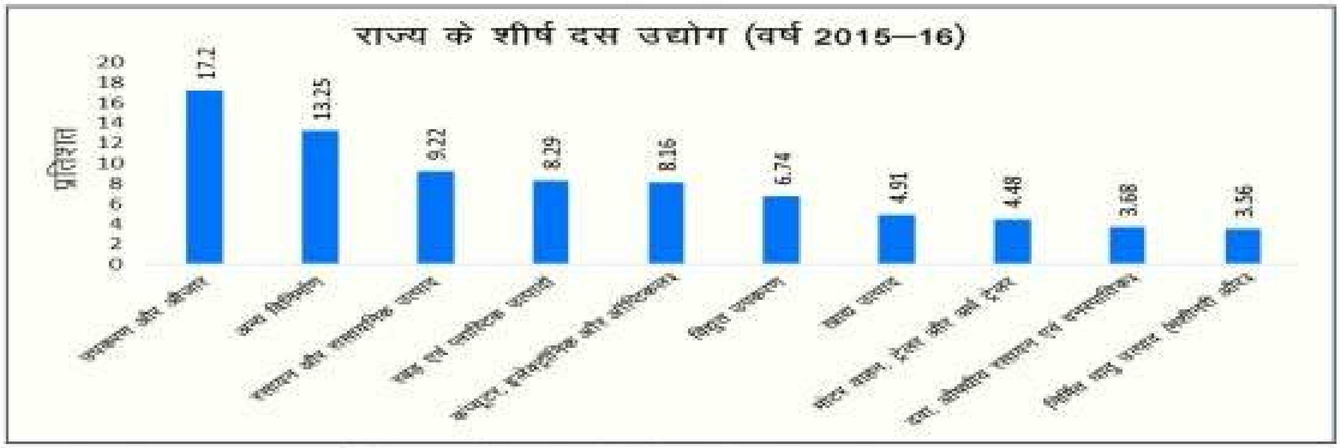

Source: Survey Report on Import-Export of All the Commodities in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, Nov 2017

तालिका 13.5 उत्तराखंड के उद्योगवार आयात (वर्ष 2015–16)

क्र0सं0	उद्योग	मात्रा (टन)	कुल मूल्य (लाख ₹)
1	उपकरण और औजार	7131.45	2718980.28
2	अन्य विनिर्माण	138.19	2093860.12
3	रसायन और रासायनिक उत्पाद	27563.19	1457670.02
4	रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पादों	616408.48	1310130.75
5	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों	1595.85	1290190.78
6	विद्युत उपकरण	164284.78	1064680.84
7	खाद्य उत्पाद	218307.48	775880.1

8	मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर	3138.81	708160.6
9	दवा, औषधीय रसायन एवं वानस्पतिक उत्पाद	1219.64	581490.7
10	निर्मित धातु उत्पाद (मशीनरी और उपकरण को छोड़कर)	1611.95	562470.82

Source: Survey Report on Import Export of All the Commodities in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, Nov 2017

चार्ट 13.2

Source: Survey Report on Import-Export of All the Commodities in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, Nov-2017

इस प्रकार उपरोक्त चार्ट संख्या 13.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल आयातों का प्रतिशत 85.01 है, जबकि वर्ष 2014–15 में यह 77.03 प्रतिशत था। कुल वृद्धि 7.98 प्रतिशत रही।

13.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में की गई विशिष्ट पहलें:–

एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (Micro, Small, Medium Enterprise Policy-2015):– राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, पलायन रोकने, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, रोजगार सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए **''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015''** लागू की गई है। यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति में प्रदेश को **पाँच श्रेणियों ए, बी, बी+, सी एवं डी** में वर्गीकृत करते हुये विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन यथा: पूंजी निवेश उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति, विशेष राज्य परिवहन उपादान सहित संस्थागत सुविधा के रूप में अवसंरचनात्मक सहयोग एवं सुगमता, विनियमन व सरलीकरण आदि महत्वपूर्ण प्राविधान किये गये हैं। श्रेणियों का वर्गीकरण निम्न तालिका में किया गया है:–

तालिका 13.6

श्रेणी	सम्मिलित / आच्छादित क्षेत्र
1	2
श्रेणी–ए	• जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र
श्रेणी–बी	• जनपद अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग।

	• जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)। • जनपद नैनीताल तथा जनपद देहरादून के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)
श्रेणी–बी+	• जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढालवाल, मुनी–की–रेती, तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र। • जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र।
श्रेणी–सी	• जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी0 से अधिक ऊचाई वाले क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	• जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी–बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)।

नोटः– (अ) श्रेणी–सी एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक गतिविधियों पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।

13.4.1 वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूटः– उद्यम के प्लांट, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर निम्नांकित श्रेणियों के अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगीः–

क्र.सं.	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा / सीमा
1	श्रेणी–ए	40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 40 लाख)
2	श्रेणी–बी एवं बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 35 लाख)
3	श्रेणी–सी	30 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 30 लाख)
4	श्रेणी–डी	15 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15 लाख)

13.4.2 ब्याज उपादान (Interest Subsidy):–

क्र.सं.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा / सीमा
1	श्रेणी–ए	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 08 लाख / प्रतिवर्ष / इकाई)
2	श्रेणी–बी एवं बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 06 लाख / प्रतिवर्ष / इकाई)
3	श्रेणी–सी	06 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 04 लाख / प्रतिवर्ष / इकाई)
4	श्रेणी–डी	शून्य

एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट श्रेणी–ए, बी, बी+ तथा सी में शत् प्रतिशत एवं श्रेणी–डी में 50 प्रतिशत का प्राविधान है। साथ ही उद्योगों के विद्युत बिलों में प्रथम 5 वर्ष हेतु 100 केवीए के अन्तर्गत श्रेणी–ए में शत–प्रतिशत तत्पश्चात 75 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणियों हेतु प्रथम 5 वर्ष के लिये शत–प्रतिशत तत्पश्चात 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति एवं 100 केवीए से ऊपर हेतु श्रेणी–ए में 60 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणियों हेतु 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त समस्त श्रेणियों में विशेष राज्य परिवहन उपादान की भी व्यवस्था है।

13.5 महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना (Women Entrepreneurs Special Encouragement Scheme):— राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों से सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **''महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना''** के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य है:—

1. **पूंजीगत् उपादान सहायता:**— कुल स्थिर पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 25 लाख।
2. **ब्याज उपादान सहायता:**— बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 6 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई।

वर्ष 2017—18 में महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों के निवेश प्रोत्साहन सहायता के अन्तर्गत 21 दावे प्राप्त हुये, जिसमें से 02 दावे ₹ 50 लाख की अनुदान सहायता राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत/वितरित किये गये।

13.6 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Chief Minister Self-employment Scheme):— स्वरोजगार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र हेतु ₹ 3 लाख तक की परियोजनायें तथा विनिर्माणक क्षेत्र में ₹ 5 लाख तक की परियोजनाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाता है एवं वित्त पोषित लाभार्थियों को मार्जिन मनी के रूप में 15 से 35 प्रतिशत की सहायता उपादान स्वरूप दी जाती है। योजना प्रारम्भ होने से माह दिसम्बर, 2017 तक विभिन्न बैंकों द्वारा 327 ऋण आवेदन पत्रों में ₹725.795 लाख रूपये का ऋण वितरण किया, जिसके सापेक्ष देय मार्जिन मनी ₹228.49 लाख है।

13.7 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था (Single Window System):— अधिनियम के अनुसार राज्य में उद्यम स्थापनार्थ स्वीकृतियाँ मात्र 15 दिनों में जारी की जायेगी तथा अधिकतम समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गयी है। इस व्यवस्था को ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्ष 2017—18 में दिसम्बर, 2017 तक 362 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे ₹ 1659.24 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 8371 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। कुल आवेदनों में 347 आवेदन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के है, जिनमें ₹ 740.68 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 5509 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है।

13.8 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस योजना के अंतर्गत प्रगति (Ease Of Doing Business Scheme):- निवेशकों के लिये पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमतियों, अनुमोदनों हेतु **''ईज ऑफ डुईंग बिजनेस''** महत्वपूर्ण पहल है और भारत सरकार के पोटर्ल पर अपलोडेड 372 कार्य बिन्दुओं में से 356 औद्योगिकी नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। **भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों की रैंकिंग में वर्ष 2016 में राज्य 96.13 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ नवें स्थान पर रहते हुये लीडर श्रेणी में सम्मिलित है।**

वर्ष 2017 की रैंकिंग के लिये अग्रिम योजना :—

1. Department of Industrial Policy and Promotion (**DIPP**) द्वारा वर्ष 2017 की रैंकिंग के लिये 372 कार्यबिन्दु निर्धारित।
2. विभिन्न राज्यों में अपनाई गयी बेस्ट प्रेक्टिसेज को लागू करना।
3. उद्यमियों से फीडबैक प्राप्त करने एवं प्रतिक्रिया हेतु समुचित व्यवस्था।
4. विभागों एवं उद्यमियों को स्थापित व्यवस्थाओं का समुचित लाभ लेने हेतु अभिप्रेरण एवं क्षमता निर्माण।
5. राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर **''इन्वेस्टर फैशिलिटेशन सेल''** का गठन।

13.9 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Program, PMEGP):— प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन गत वर्ष में ₹ 16 करोड़ मार्जिन मनी को वित्तीय वर्ष 2017—18 में बढ़ाकर तीन गुना करते हुये ₹ 48 करोड़ कर दिया गया है,

जिसके सापेक्ष बैंकों द्वारा माह दिसम्बर, 2017 तक ₹ 34.22 करोड़ की मार्जिन मनी के आवेदन स्वीकृत किये हैं और 1878 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है।

13.10 स्टार्ट–अप एवं स्टैण्ड–अप उद्यमिता विकास योजना (Start-up & Stand-Up Entrepreneurship Development Scheme):–

स्टार्ट–अप इको सिस्टम विकसित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जून, 2017 से उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप नीति लागू की गयी है। इस नीति के अंतर्गत स्टार्ट–अप तथा इन्क्यूबेटर्स के विकास हेतु आकर्षक प्राविधान किये गये है। राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रभावी कियान्चयन हेतु भारत सरकार की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी "इन्वेस्ट इण्डिया" (Invest India) के साथ एम0ओ0यू0 किया गया है।

स्टैड–अप योजनान्तर्गत राज्य की प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा एक महिला को उद्यम की स्थापना हेतु ₹ 10 लाख से ₹ 1.00 करोड़ तक का ऋण वितरण अनिवार्य किया गया है।

युवाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार बढ़ाने के लिये 2018 की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य में 500 नए स्टार्टअप उद्योग लगाए जाएंगे, जिसके तहत् युवाओं को कई तरह की रियायत दी जायेंगी। स्टार्टअप के अन्तर्गत काउंसिल द्वारा चुने गये सामान्य श्रेणी के स्टार्ट–अप को प्रतिमाह ₹10 हजार एवं युवाओं, विकलांगों, महिलाओं, एससी और एसटी युवाओं को प्रतिमाह ₹15 हजार की धनराशि स्टार्ट–अप हेतु एक साल तक प्रदान की जायेंगी।

स्टार्ट-अप उद्योगों को एसजीएसटी (State Goods & Services Tax) में प्रथम तीन साल तक छूट मिलेगी। नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार प्रसार हेतु पांच लाख रूपये एवं युवाओं, विकलांगों, महिला एवं एससी और एसटी उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत साढ़े सात लाख रूपये की विपणन सहायता प्रदान की जायेंगी। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर "उद्यमिता विकास" पाठयक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित कर छात्रों को उद्यम हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। आई0आई0टी0 रूड़की तथा आई0आई0एम0 काशीपुर में दो उद्यमिता विकास सैल Focal Enterpreneurship Producting Bodies (EPB) की शुरूआत की जायेगी।

तालिका सं0 13.7

स्टार्टअप पॉलिसी	आइडिया चैलेंज	विशेषतायें
1	2	3
• स्टार्टअप पॉलिसी के तहत नवाचार के आधार पर उद्योग की स्थापना की जा सकती है। • ₹25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली सात साल पुरानी कंपनी तथा बायोटैक्नोलॉजी के क्षेत्र में 10 साल तक पुरानी कंपनी भी इस पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ ले सकती है।	प्रत्येक मण्डल में नवाचार हेतु हर छह माह में **आइडिया चैलेंज** आयोजित कर चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ आइडिया वाले युवाओं को ₹ 50000 की धनराशि से पुरस्कृत किये जाना का प्रस्ताव है।	1 मशीन, बिजली तथा पानी हेतु सब्सिडी। 2 कच्चे माल हेतु पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता। 3 राष्ट्रीय पेटेंट के लिये एक लाख तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिये रूपये पांच लाख की सहायता। 4 कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और आईआईटी में इन्क्यूबेटर (लैब) हेतु एक करोड़ रूपये तक का सहयोग।

13.11 इनक्यूबेटरः– इनक्यूबेटर व्यवसायिक सहायता, संसाधनों और सेवाओं जैसे भौतिक स्थान, पूंजी, प्रशिक्षण,सलाह, कॉर्पोरेट कानूनी सेवाओं और नेटवर्किंग अवसर प्रदान कर मापनीय व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता के लिये प्रारम्भिक चरणों के दौरान स्टार्ट अप

कम्पनीयों को सहयोग करने वाला, केन्द्र/राज्य सरकार से वित्त पोषित या पंजीकृत इनक्यूबेटर एक संगठन है।

''सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी'' की स्थापना आई0टी0आई0 डोईवाला, जनपद देहरादून के भवन में किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु ₹ 136.77 लाख का व्यय किया गया है।

13.12 अवस्थापना विकास (Infrastructure Development):– राज्य गठन से पूर्व 2116.62 एकड़ भूमि में 46 बृहत/मिनी औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये थे, जिनका विवरण तालिका 13.8 में है:–

तालिका 13.8

क्र.सं.	औद्योगिक आस्थान	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थान	30	148.56
2.	यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र	16	1968.06
	योग:	**46**	**2116.62**

सूक्ष्म व लघु उद्योगों को अवस्थापना सुविधाओं युक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रथम चरण में विभाग के 10 मिनी औद्योगिक आस्थानों में से 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों यथा डुण्डा व गवाणा (उत्तरकाशी), भीमतल्ला व कालेश्वर (चमोली) तथा द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में एमएसएमई विभाग द्वारा एवं 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों यथा पुरोला (उत्तरकाशी), मुनस्यारी (पिथौरागढ़), सरोठ (टिहरी), बेतालघाट (नैनीताल) तथा भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में सिडकुल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है।

13.13 वृहद औद्योगिक आस्थानों का विवरण:–

तालिका 13.9

क0सं0	वृहद औधोगिक आस्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
	देहरादून	
1.	औद्योगिक आस्थान, पटेलनगर	10.00
2.	औद्योगिक आस्थान, विकासनगर	4.00
	पौड़ी	
3.	औद्योगिक आस्थान, सिताबपुर	7.00
	हरिद्वार	
4.	औद्योगिक आस्थान, रूड़की	30.227
	नैनीताल	
5.	औद्योगिक आस्थान, भीमताल	7.00
	ऊधमसिंह नगर	
6.	औद्योगिक आस्थान, काशीपुर	19.99
7.	औद्योगिक आस्थान, रूद्रपुर	11.26
	अल्मोडा	
8.	औद्योगिक आस्थान, पातालदेवी	4.27
	पिथौरागढ	
9.	औद्योगिक आस्थान, विण	7.00
	योग :–	**100.697**

उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबन्धन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये वर्ष 2003 में गठित सिडकुल द्वारा अब तक 7939 एकड़ भूमि पर निम्नांकित औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है :–

तालिका 13.10

क्र.सं.	जनपद	औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र	भूमि (एकड़ में)
1.	देहरादून	फार्मासिटी, सेलाकुई	50
2.		आई.टी.पार्क, सहत्रधारा रोड	67
3.	हरिद्वार	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, बी.एच.ई.एल.,	1695
4.	ऊधमसिंह नगर	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पंतनगर	3234
5.		एल्डिको सिडकुल औद्योगिक आस्थान, सितारगंज	1093
6.		सितारगंज, सिडकुल फेज–2	1700
7.	पौड़ी	विकास केन्द्र, सिगड्डी, कोटद्वार	100
		कुल:–	**7939**

भूमि की उपलब्धता सीमित होने के कारण अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उद्योगों के लिये भूमि की सुनिश्चिता के लिये कुल 3262.34 एकड़ भूमि पर 48 निजी औद्योगिक आस्थान विकसित किये गये हैं। बड़े निवेशकों को भूमि की उपलब्धता में सहयोग करने के लिये भारत सरकार से विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि में ₹ 50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की बृहत परियोजनाओं (Mega Projects) की स्थापना के लिये आवश्यकता के अनुरूप भूमि क्रय करने की सुविधा देनेव विशेष पैकेज की अनुमन्यता के लिये घोषित नीति के तहत 422.72 एकड़ भूमि विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में 24 बृहत परियोजनाओं के लिये अधिसूचित हैं।

13.14 स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (State Industrial Development Corporation of Uttarakhand, SIDCUL):–

तालिका 13.11

क्र0सं0	विवरण	ईकाई	आई आई ई हरिद्वार	आई आई ई पंतनगर	फार्मा सिटी सेलाकुई	विकास केंद्र कोटद्वार	आईटी0 पार्क देहरादून	ईएसआई पी सितारगंज	सितारगंज–चरण–2	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कुल क्षेत्रफल	एकड़	1695	3234	50	100	72.35	1093.00	1763.57	8007.92
2	उद्योगों के लिए आवंटित क्षेत्रफल (एकड में)	एकड़	1194.00	2626.15	37.51	53.31	59.08	617.85	480.59	5068.49
3	स्थापित ईकाईयां	संख्या	713	526	39	120	60	367	11	1836
4	निर्माणाधीन/रिक्त ईकाईयां	संख्या	43	17	5	53	46	37	3	204
5	उत्पादन में संलग्न ईकाईयां	संख्या	670	509	34	67	14	117	1	1412
6	अनुमानित प्रस्तावित निवेश	करोड रू0	5688	14203	250	610.05	676	2200	2297.9	25924.95
7	अनुमानित सृजित रोजगार	संख्या	68012	51962	2774	4556	12426	12828	8229	160787

उपरोक्त तालिका 13.11 से स्पष्ट है कि स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (सिडकुल) के अन्तर्गत राज्य में कुल 7 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये है, जिनके कुल क्षेत्रफल लगभग 8007.92 एकड़ में से 5068.49 एकड़ क्षेत्र उद्योगों को ईकाईयां स्थापित करने हेतु आवंटित किया गया है। राज्य में सिडकुल के अन्तर्गत कुल 1836 ईकाईयां स्थापित की गयी है, जिनमें से कुल 1412 ईकाईयां उत्पादन कार्यों में संलग्न है साथ ही उक्त ईकाईयों में कुल ₹ 25924.95 करोड़ का प्रस्तावित निवेश अनुमानित है तथा कुल 160787 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन अनुमानित है।

आई0आई0ई0 हरिद्वार में सर्वाधिक 713 स्थापित ईकाईयों में से 670 ईकाईयां वर्तमान में उत्पादन क्षेत्र में संलग्न है, जिसमें अनुमानित प्रस्तावित निवेश ₹ 5688 करोड़ है तथा 68012 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, जबकि ई0एस0आइ0पी0 सितारगंज में स्थापित 367 ईकाईयों के सापेक्ष मात्र 117 ईकाईयों उत्पादन में संलग्न है एवं 37 ईकाईयां निर्माणधीन है, उल्लेखनीय है कि कुल 213 ईकाईयां आतिथि तक वास्तविक रूप में स्थापित ही नहीं हो पायी है, जिस हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्कता है।

13.15 माटी कला बोर्ड के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कुम्हार एवं मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों को विद्युत चलित चाक का वितरण किया जाता है।

13.16 हथकरघा एवं हस्तशिल्प (Handloom and Handicrafts):– भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड़ राज्य के 11 जनपदों में चयनित 15 विकासखण्डों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग के शिल्पियों को चिन्हित कर एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन हेतु जनपद एवं राज्य स्तरीय कार्यशालाओं में तैयार किये गये उत्पादों हेतु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

- राज्य के परंपरागत शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को **"उत्तराखण्ड़ राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार"** प्रदान किया जाता है।
- राज्य के बी0पी0एल0 श्रेणी के ऐसे शिल्पी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे है, को **"शिल्पी पेंशन योजना"** से लाभान्वित किया जाता है।
- शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत 37 शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किये गये। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ग्राम मटेना जनपद अल्मोड़ा में हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशों के तकनीकी विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम व शोध इत्यादि के कार्यो के लिए हंस फाउण्डेशन के सहयोग से **"नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैण्डलूम एण्ड नेचुरल फाईबर"** की स्थापना की गई है।
- नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. योजना के अधीन पिथौरागढ, काशीपुर, देहरादून तथा चमोली में ग्रामीण हाट का निर्माण किया जा रहा है।
- राज्य में उपलब्ध ऊन, शिल्प तथा प्राकृतिक रेशों के समुचित उपयोग हेतु आधुनिक तकनीक में उच्च स्तरीय व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये देहरादून में **National Institute of Fashion Technology (NIFT)** की स्थापना कर उच्च स्तरीय व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होने के साथ–साथ स्वरोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगें।
- देहरादून में ''**नेशनल हैण्डलूम एक्सपो**'' का आयोजन नियमित है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के साथ–साथ देश के विभिन्न राज्यों के हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित कर विपणन का कार्य किया जाता है।
- राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन ''हिमाद्रि'' ब्राण्ड के अधीन किया जा रहा है। ऑनलाईन बिक्री हेतु महिला उद्यमियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **"हिमानी"** पोर्टल के माध्यम से उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन किया जा रहा है।

13.17 खादी एवं ग्रामोद्योग (Khadhi And Village Industries):–खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों

को ब्याज उपादान योजना तथा ऊन/तागा बैंक की स्थापना, केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट, खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता, खादी संस्थाओं को सहयोग तथा रेशा खरीद हेतु अनुदान आदि का संचालन किया जाता है।

13.17.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PM Employment Generation Programme):– भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से अधिकतम ₹ 25.00 लाख तक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत के साथ प्रोजेक्ट प्रोफाईल चयन की सुविधा है। वर्ष 2017–18 में वार्षिक भौतिक लक्ष्य 735 इकाई मार्जिन मनी धनराशि ₹ 1450.48 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक 258 इकाईयां परियोजना धनराशि ₹ 1393.23 लाख से स्थापित कर 1387 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

13.17.2 व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना:– व्यक्तिगत उद्यमियों को राज्य के अन्दर स्वरोजगार स्थापित किये जाने हेतु अधिकतम ₹ 5.00 लाख तक बैंक के माध्यम से वित्तपोषण हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है। उद्यमी को परियोजना लागत का 4 (चार) प्रतिशत ब्याज की देयता होती है। वर्ष 2017–18 में वार्षिक भौतिक लक्ष्य 375 इकाई धनराशि ₹ 671.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक 113 इकाई धनराशि ₹ 396.90 लाख से स्थापित कर 400 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

13.17.3 ऊन/तागा बैंक की स्थापना (Wool/ Thread establishment of Bank):– स्थानीय भेड़ पालकों से ऊन क्रय कर प्रशोधन के उपरान्त खादी की संस्था समितियों एवं विभागीय केन्द्रों में कतकरों/बुनकरों को उच्च गुणवत्ता का ऊन उपलब्ध कराया जाता है। भेड़ पालकों के ऊन का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर राज्य के ऊन बाहुल्य क्षेत्रों में क्रय केन्द्र की स्थापना की गयी है। वर्ष 2017–18 में राज्य के स्थानीय भेड़ पालकों से 838 कुन्तल ऊन क्रय कर 260 भेड़ पालक परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

13.17.4 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट (Discount on the sale of Khadhi Clothes):– प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर श्री गाँधी जयन्ती के शुभ अवसर पर आम जनता को खादी वस्त्रों की बिक्री पर 108 कार्यकारी दिवसों के लिए 10 प्रतिशत छूट की सुविधा का लाभ राज्य में लगभग 60 खादी संस्थाओं के 200 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

13.17.5 रेशा खरीद हेतु अनुदान (Subsidy on Fibre Purchase):– पर्वतीय जनपदों के अधिकतर क्षेत्रों में प्राकृतिक रेशा जैसे–डॉस कंडाली, भीमल एवं रामबॉस का अधिक उत्पादन होता है। उन रेशों का प्रयोग स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से **''रेशा खरीद हेतु अनुदान''** योजना लागू की गई है।

उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कास्तकारों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से 860 किलोग्राम भीमल रेशा क्रय किया गया जिसमें 35 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

13.18 भूतत्व एवं खनिकर्म:– प्रदेश में उपलब्ध खनिज भण्डारों की खोज कर उनकी गुणवत्ता/मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुये खनिजों का समुचित विकास किया जाता है, जिससे खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जाता है।

13.18.1 खनिज अन्वेषण कार्य (Mineral Investigation):- वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु ट्रेवर्सिंग का लक्ष्य 200 वर्ग कि0मी0, मैपिंग का लक्ष्य 06 वर्ग कि0मी0, ट्रेन्चिंग/पिटिंग का लक्ष्य 400 क्यू0मी0 तथा ड्रिलिंग का लक्ष्य 200 मी0 निर्धारित है। दिसम्बर, 2017 तक ₹625.76 लाख की धनराशि खनिज अन्वेषण व विकास कार्य में उपयोग की गयी है।

13.18.2 खनन प्रशासन (Mining Administration):– खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु सरकार द्वारा खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है। निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर स्वामित्व के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। खनन प्रशासन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 2000 प्रकरणों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक 1315 प्रकरणों पर कार्यवाही की गयी है।

13.18.3 भू–अभियांत्रिक कार्य (Geo-Engineering Work):– विभिन्न निर्माणकारी कार्य योजनाओं में भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी/आख्या सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 1200 के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक 496 प्रकरणों पर कार्यवाही की गयी है।

13.18.4 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना (Environmental Impact Assessment and Approach Plan):–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी (Environmental Impact Assessment) ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन में व्यवस्थित प्राविधान के क्रियान्वयन के अन्तर्गत **प्रदेश में 130 उपखनिज क्षेत्रों में** ई0आई0ए0 अध्ययन कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त लॉटों के आवंटन हेतु ई–टैण्डरिंग/सह नीलामी की कार्यवाही चल रही है।

13.18.5 खनन सर्विलांस योजना:– अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिकSurveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जाने के दृष्टिगत मैनुअल परिवहन प्रपत्र के स्थान पर E-Ravana प्रणाली लागू की गई है तथा आवश्यकतानुसार E-Ravana प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 45 MBPS इन्टरनेट संयोजन व सर्विलांस कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त 04 जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल) के अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर चयनित 30 चैक पोस्टों में अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम संस्थापित किया जाना है। इसके अन्तर्गत नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित किये जाने का लक्ष्य है।

तालिका 13.12

जनपद	खनन क्षेत्रों की संख्या	कुल क्षेत्रफल
अल्मोड़ा	15	15.166
बागेश्वर	22	18.63
चमोली	11	19.289
चम्पावत	3	7.154
नैनीताल	5	14.84
पौड़ी	23	47.325
पिथौरागढ़	16	22.246
रूद्रप्रयाग	12	2.395
टिहरी गढ़वाल	1	1.811
उधमसिंहनगर	7	21.022
उत्तरकाशी	15	9.025
योग	**130**	**178.903**

माह दिसम्बर, 2017 तक अवमुक्त धनराशि ₹ 260. 68 लाख के सापेक्ष ₹ 12.64 लाख व्यय की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2018 तक ₹ 293.64 करोड़ का राजस्व अर्जित करते हुये खनन सेक्टर/व्यवसाय में कई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किये गये, जो कि गत वर्ष 2016–17 की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि है।

13.18.6 राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्वः– राज्य में वर्ष 2001–02 में खनिजों से मात्र ₹ 16. 10 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो 2011–12 में बढ़कर ₹ 112.33 करोड़ हुआ, वर्ष 2016–17 में ₹ 335.27 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह जनवरी तक ₹ 293.63 करोड़ हो चुका है। कुल प्राप्त राजस्व में विभिन्न निगमों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है जिसका विवरण निम्न तालिकाओं से परिलक्षित हो रहा है।

तालिका 13.13 प्राप्त राजस्व का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त राजस्व (₹ करोड में)
1	2	3
1.	2011–12	112.33
2.	2012–13	109.90
3.	2013–14	248.00
4.	2014–15	224.31
5.	2015–16	272.00
6.	2016–17	335.27
7.	2017–18 (माह 31 जनवरी तक)	293.63

तालिका 13.14 खनिजों से प्राप्त आय का विवरण (₹ करोड में)

विभाग का नाम	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 माह 31 जनवरी तक
गढवाल मण्डल विकास निगम	3.27	3.23	6.20	1.35	0.58	0.61	4.79
कुमॉऊ मण्डल विकास निगम	0.51	0.71	0.42	1.29	1.46	1.4	2.63
उत्तराखण्ड वन विकास निगम	49.70	36.68	120.47	73.34	92.92	111.41	17.24
योग	**53.48**	**40.62**	**127.09**	**75.98**	**94.96**	**113.42**	**24.66**

खनिजों से प्राप्त राजस्व की वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण की महत्ता अत्यन्त आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन की निश्चित अवधि में निरन्तर समीक्षा की जानी होगी। खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु कडे नियम एवं कदम उठाये जाना आवश्यक प्रतीत होता है साथ ही प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाना होगा।

अध्याय–14

श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास

Labour-Employment and Skill Development

14.1 सामान्य विवरणः– संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य संख्याः 1, 5, 8 तथा 10 की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से अवैतनिक घरेलू कार्य करने वाले लोगों के योगदान को मौद्रिक रूप में मापने, महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने और अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने, बाल श्रम के निषेध और तत्काल उन्मूलन के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2025 तक बाल श्रम समाप्त करना लक्षित है, जिसके क्रम में सरकार द्वारा प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

चार्ट –14 1

Source: Survey Report on Import-Export of All the Commodities in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, Nov-2017

14.1.1 श्रम में रोजगार की संरचनाः– विकास के विभिन्न स्तरों के महत्वपूर्ण संकेतकों में कार्य–भागीदारी राज्य के आर्थिक सामाजिक परिवेश हेतु महत्वपूर्ण है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है जो इंगित करती है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है। कुल कार्यशील (शहरी एवं ग्रामीण) महिलाओं की जनसंख्या कार्यशील पुरुषों (शहरी एवं ग्रामीण) की तुलना में अत्यन्त कम है, जबकि आर्थिक विकास के सोपानों में महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

14.1.2 राज्य में कुल घरेलू कामगारः– वर्ष 2011–12 में कुल ग्रामीण 74.1 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या में 51.4 प्रतिशत कामगार स्व–रोजगार गतिविधियों में लगे है। जबकि नियमित (Regular) कामगार ग्रामीण में 11.2 प्रतिशत, शहरी में 39.8 प्रतिशत तथा सामयिक (Casual) कामगार ग्रामीण में 14.7 प्रतिशत, शहरी में 8.7 प्रतिशत है। जिससे परिलक्षित होता है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्रों में स्व–रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

चार्ट–14.2

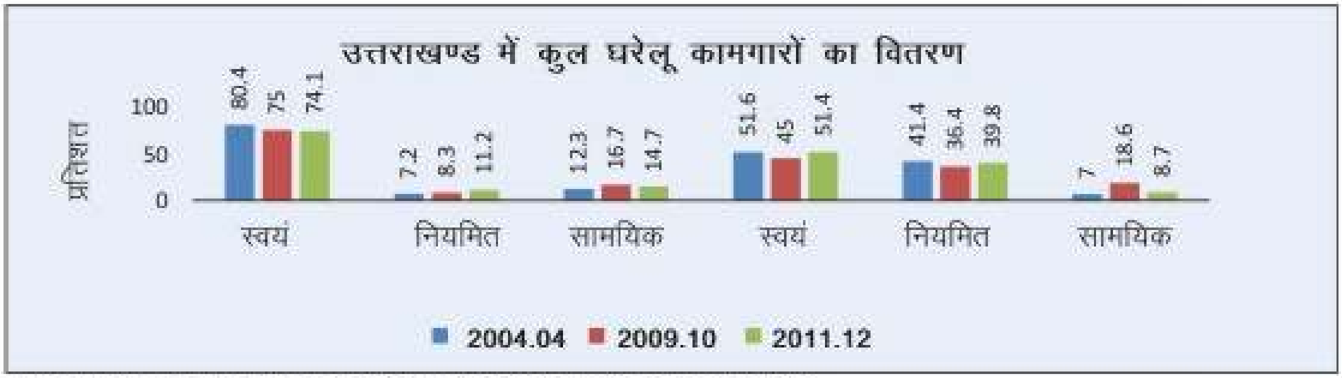

ource: Survey Report on Import-Export of All the Commodities in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, Nov-2017

तालिका 14.1 न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

क्र0सं0	मद	श्रेणी	दैनिक मजदूरी दर ₹ में
1	2	3	4
1	57 अनुसूचित नियोजन	अकुशल	220.00
2		अर्द्धकुशल	253.00
3		कुशल	257.00
4		अतिकुशल	261.00
5	कृषि नियोजन	अकुशल	281.00
6	अभियन्त्रण नियोजन (50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	303.00
7		अर्द्धकुशल	333.00
8		कुशल	369.00
9	अभियन्त्रण नियोजन (500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	318.00
10		अर्द्धकुशल	350.00
11		कुशल	381.00

14.1.3 नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (National Child Labour Project):– भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ इस परियोजना का उद्देश्य कार्य करने वाले बालकों को चिन्हित कर उन्हें कार्य से हटाकर विशेष स्कूलों में भर्ती करना तथा औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाने योग्य बनाना है। दि डिस्ट्रिक्ट नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसाईटी के माध्यम से जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जनपद देहरादून में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है।

14.1.4 बंधुवा श्रमिक पुनर्वास योजना (Bonded Labour Rehabiltation Scheme):– भारत सरकार द्वारा संचालित बंधुवा श्रम से संबंधित योजना 'Central Sector Scheme for Rehabiltation of Bonded Labour-2016' का संचालन राज्य में किया जा रहा है। समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी के माध्यम से चिन्हित बंधुवा श्रमिकों को पुनर्वास सहायता प्रदान की जायेगी। प्रत्येक जनपद स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कम से कम ₹ 10 लाख की धनराशि के संग्रह से Bonded Labour Rehabilitation Fund की स्थाई निधि का गठन कर उपयोग अवमुक्त बंधुवा श्रमिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु किया जायेगा। बंधुवा श्रमिक के पुनर्वास हेतु अग्रिम के रूप में तत्काल ₹ 5000 की आर्थिक सहायता जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

14.1.5 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड:– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों हेतु पेंशन योजना, शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, अन्त्येष्टि संस्कार हेतु सहायता, दो पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता, दस हजार की सीमा तक टूल–किट के रूप में सहयता, प्रसूति सहायता, शौचालय हेतु सहायता, कौशल उन्नयन आदि हेतु सहायता प्रदान की जाती है। जो व्यक्ति सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य कार्यो में लगे हुये है वे इस बोर्ड में अपना पंजिकरण करा सकते है। वर्तमान तक कुल 206391 निर्माण

श्रमिकों का पंजीकरण में से 1,36,992 निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित कर ₹ 60.38 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्तमान में सेस के अन्तर्गत लगभग ₹ 1 अरब 40 करोड़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा एकत्रित है।

14.1.6 औद्योगिक सम्बन्धः– औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण प्रदेश में समझौता तंत्र विभाग औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति तथा समन्वय आदि हेतु बनाया गया है। समझौता प्रकिया असफल होने पर विवादों/मामलों को श्रम न्यायालयों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में 01 औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय हल्द्वानी में तथा 03 श्रम न्यायालय क्रमशः देहरादून, हरिद्वार तथा काशीपुर में स्थित है।

राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानून
राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संविदा श्रम अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948, ब्वायलर अधिनिमय 1923, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1961, वेतन संदाय अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, आनुतोशिक भुगतान अधिनियम 1972, स्थाई आदेश अधिनियम 1946, उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधि. 1996, बाल श्रम अधिनियम 1986, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधि0 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम, श्रम कल्याण निध अधिनियम 1965, मातृ हितलाभ अधिनियम 1961 तथा उ0प्र0. औद्योगिक विवाद अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

14.1.7 राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0):– संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य संख्याः 4 की प्राप्ति हेतु सभी महिलाओं और पुरुषों के लिये गुणवत्तापरक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। छात्र–छात्राओं एवं युवाओं के कौशल विकास अर्जन तथा उसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि के उद्देश्य से राज्य में कुल 176 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0) स्वीकृत हैं, जिसमें से 148 संस्थानों में सुचारू रूप से 32 इंजीनियरिंग तथा नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण दिये जा रहे है। एक आई0टी0आई0 (विश्व बैंक) वी0टी0आई0पी0 के अन्तर्गत संचालित है। विभिन्न व्यवसायों में, नैशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग के अन्तर्गत स्वीकृत सीटें 8520 तथा स्टेट काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग के अन्तर्गत 8204 की प्रवेश क्षमता है। इन सीटों के सापेक्ष एन0सी0वी0टी0 में कुल प्रवेशित 7039 प्रशिक्षार्थियों के सापेक्ष वर्तमान में 5815 प्रशिक्षणरत हैं। इसी प्रकार एस0सी0वी0टी0 में 4002 प्रवेशित के सापेक्ष कुल 3486 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणरत हैं।

वर्तमान में कुल 28 संस्थान असंचालित है तथा 43 संस्थान पी0पी0पी0 मोड से आच्छादित है। वर्तमान में सम्बद्धता प्राप्त 83 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल 16955 क्षमता के सापेक्ष 10538 प्रवेश दिये गये। प्रवेशित तथा उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के मध्य लगभग 15.2 प्रतिशत का ड्राप–आउट है।

स्टेट काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग के अन्तर्गत वर्तमान में 64 स्वयं के, 84 किराये के अथवा अन्य भवनों में संचालित कुल ट्रेडों की संख्या 30 तथा नैशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग के अन्तर्गत संचालित कुल ट्रेड़ों की संख्या 26 है।

हल्द्वानी संस्थान में विभिन्न उद्योगों यथा मैसर्स टोयोटा, किर्लोस्कर मोटर, व मारूति उद्योग के साथ, देहरादून संस्थान में वाल्वो मोटर्स व मारूति उद्योग के साथ तथा राजपुर रोड संस्थान में हुन्डई मोटर्स के साथ MoU किये गये तथा उनकी सहायता से रोजगारोन्मुखी कोर्स प्रारम्भ कराये गये हैं। **शिशिक्षु अधिनियम (Apprenticeship Act)** के माध्यम से राज्य के कुल 368 अधिष्ठानों को केन्द्र सरकार के पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकृत कर 5816 चिन्हित सीटों के सापेक्ष 2207 शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा उक्त अधिनियम का पालन न करने वाले 289 अधिष्ठानों को नोटिस जारी किये गये हैं। संशोधित शिशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशालाओं का आयोजन स्थानीय उद्योगों, समूहों/संघो के माध्यम से किया जा रहा है। उद्योगों की कार्य प्रणाली, परिवेश, अनुशासन के अनुभव हेतु प्रथम बार लगभग 800 प्रशिक्षार्थियों को विजिट के लिये भेजा गया है।

विश्व बैंक के सहयोग से रोजगारोन्मुखी प्रचलित व्यवसायों को संचालित करने हेतु लगभग 500 करोड़ रूपये की महत्वाकॉक्षी योजना के अन्तर्गत चिन्हित 25 संस्थानों के विकास हेतु प्रोफेशनल फर्म द्वारा संस्थान की विस्तृत योजना बनाई जायेगी।

राज्य में प्रथम बार नवीन सैक्टरों में कोर्स जैसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, सॉयल टैस्टिंग, हौस्पिटैलिटी आदि प्रारम्भ किये जा रहे हैं, जिसमें मैसर्स एस्कार्ट लि0, मै0 जे0सी0वी0 लि0 का सहयोग लिया जा रहा है।

जनजाति कल्याण के अन्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान – वर्तमान में 03 आई0टी0आई0 क्रमशः चकराता (देहरादून), खटीमा एवं गूलरभोज (ऊधमसिंह नगर) में संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 में ₹ 391.95 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष प्राप्त बजट ₹ 372.25 लाख में से ₹ 299.66 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। 408 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक 360 अनुसूचित जनजाति के निर्धन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के साथ–साथ निःशुल्क भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, औषधि आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं।

14.2 सेवायोजन (Employment):–

14.2.1 सामान्य विवरणः– संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य संख्याः 1 तथा 4 की प्राप्ति हेतु वर्ष 2020 तक रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान कर युवा बेरोजगारों के प्रतिशत को कम करने का संकल्प लिया गया है।

प्रदेश के युवाओं को रोजगार/स्वरोगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका (Live Register) पर **कुल 901656** बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वर्ष **2017–18 में 88548** अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया है। उक्त अवधि में प्राप्त रिक्तियों के **21 अधिसूचन** के सापेक्ष **906** बेरोजगारों में से **65** लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017–18 में आयोजित 147 रोजगार मेलों में से 26 मेलों का आयोजन मॉडल कैरियर सेन्टर द्वारा किया गया है, जिनमें कुल 12405 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया तथा 3438 युवाओं को रोजगार/ प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयनित किया गया।

आर्थिक गणना 2005 एवं 2013 के बीच उद्यमों एवं रोजगार की संख्या में वृद्धि (प्रतिशत परिवर्तन)

तालिका :– 14.2

क्र0सं0	जनपद	उद्यम	रोजगार	प्रति उद्यम औसत रोजगार (संख्या)
1	हरिद्वार	52.8	95.2	3.1
2	देहरादून	38.6	71.3	3.0
3	उधमसिंह नगर	33.3	94.1	3.3
4	बागेश्वर	23.9	43.0	1.8
5	पौड़ी गढ़वाल	23.5	43.7	2.3
6	टिहरी गढ़वाल	16.6	40.6	2.2
7	नैनीताल	12.5	13.8	2.2
8	उत्तरकाशी	10.4	27.1	2.4
9	रूद्रप्रयाग	5.8	28.7	2.1
10	पिथौरागढ़	5.4	16.2	1.4
11	चम्पावत	5.0	4.5	1.7
12	अल्मोड़ा	4.6	6.5	1.8
13	चमोली	3.6	14.3	1.9
14	उत्तराखण्ड	26.1	57.1	2.6

Source: Sixth Economic Census, 2012, DES, Uttarakhand

तालिका 14.2 से स्पष्ट है कि राज्य के मैदानी जनपदों में वर्ष 2005 के सापेक्ष में वर्ष 2013 में उद्यमों में लगे रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जबकि पर्वतीय जनपदों में अपेक्षानुरूप कम वृद्धि परिलक्षित हो रही है। मैदानी जनपदों में औसतन लगभग तीन व्यक्ति प्रति उद्यम रोजगार में वृद्धि हुई है जबकि प्रति जनपद में औसतन लगभग दो व्यक्ति प्रति उद्यम रोजगार में वृद्धि हुई है। पूरे राज्य में उक्त अवधि में लगभग 26 प्रतिशत उद्यमों में लगभग 57 प्रतिशत रोजगार में वृद्धि हुई है।

14.2.2 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (Employment Market Information Programme):- प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कामगारों की सख्या की संख्या 206582 है, वही निजी क्षेत्र के में कामगारों की संख्या 104377 है। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजको की संख्या 3095 है तो निजी क्षेत्र में कुल नियोजकों की संख्या 846 है।

14.2.3 जनपदवार वैतनिक रोजगार प्राप्त ग्रामीण परिवार:- राज्य के वैतनिक कामगारों में ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 23.67 है, जबकि सम्पूर्ण भारत का यह औसत 9.65 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के ग्रामीण परिवारों में वैतनिक कामगारों का प्रतिशत सम्पूर्ण भारत के औसत से काफी अधिक है, जो राज्य के सशक्त ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाता है।

चार्ट–14.3

Source: Estimation of District Level Poverty in Uttarakhand, GIDS, Lucknow, Nov-2017

14.2.4 कैरियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम (Career Counselling Programme):- दो सीमान्त जनपदों **चमोली/पिथौरागढ़ में सचल कैरियर काउंसिलिंग** केन्द्रों के माध्यम से स्कूल/कालेज के छात्र–छात्राओं को अपनी योग्यता/ अभिरूचि के अनुसार कैरियर चयन, कैरियर वार्ताओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार/स्वरोजगार की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रत्येक कालेज/शिक्षण संस्थानों में कैरियर कार्नर की स्थापना की जा चुकी है। दिसम्बर 2017 तक 769 आयोजित कैरियर वार्ताओं में से 244 वार्तायें **नेशनल कैरियर सर्विस योजना** के अन्तर्गत जनपद देहरादून एवं उधमसिंह नगर में मॉडल कैरियर सेन्टरों द्वारा आयोजित की गयी, जिसमें कुल **37391** अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया गया।

14.2.5 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण (Training for Preparation of Competitive Examinations):- वर्ष 2017 में 16 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, कम्प्यूटर, सामान्य ज्ञान, सचिवालय पद्धति, बुक कीपिंग एवं एकाउन्टेन्सी तथा सामान्य गणित आदि विषयों के प्रशिक्षण से **1128 छात्र–छात्राओं, बेरोजगार युवाओं** को लाभन्वित किया गया।

शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र हल्द्वानी, कोटद्वार और देहरादून हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों हेतु बैंक, एस.एस.सी. तथा अन्य समान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग दिसम्बर 2017 से प्रदान किये जाने हेतु 126 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

14.2.6 स्टेट रिसोर्स सेन्टर (State Resource Centre):- देहरादून स्थित स्टेट रिसोर्स सेन्टर के अन्तर्गत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु विकसित संसाधनों–डिजीटल लाईब्रेरी, ऑडियो–वीडिओ प्रोजेक्टर तथा अन्य माध्यमों से कांउसिलिंग आदि का कार्य किया जा रहा है।

14.2.7 व्यवसायिक मार्ग निर्देशन/स्वतः नियोजन:– योग्यतानुसार बेहतर रोजगार चुनने हेतु सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए अभ्यर्थियों को स्व–रोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु जानकारी दी जाती है।

14.2.8 योजनाओं की वित्तीय स्थिति:–

1–रोजगार अधिष्ठान (Employment Establishment):- वर्ष 2017–18 में 03 क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, 12 जिला सेवायोजन कार्यालय, 05 नगर सेवायोजन कार्यालय एवं 02 यू0ई0बी0 केन्द्रों हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 821.36 लाख में

से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 637.00 लाख का व्यय किया गया है।

2— शिक्षण एवं मागदर्शन केन्द्र (Teaching & Guidance Centre):— अनुसूचित जाति / जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेवाओं में उनकी सेवा योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 नगरों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 175.79 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 102.95 लाख का व्यय किया गया है।

3— कैरियर काउंन्सिलिंग केन्द्रों परामर्श कार्य (Career Counselling Centre Consulting Work):— वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 7.10 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 5.72 लाख का व्यय किया गया है।

4— सेवायोजन कार्यालय / कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों की नेटवर्किंग (Employment Office/Career Counselling Networking Centre):— इसके अन्तर्गत समस्त सेवायोजन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य व इन्टरनेट की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों को नवीनतम जानकारी प्रदान की जा सके। वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 5.45 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 0.39 लाख का व्यय किया गया है।

5— विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कैरियर काउंसिलिंग (Career Counselling for Disabled Candidates):— विकलांग अभ्यर्थियों को पृथक से भी कैरियर काउन्सिलिंग देने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 1.35 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 0.11 लाख का व्यय किया गया है।

6— रोजगार सह कौशल विकास भत्ता (Employment co-skill Development Allowance):— प्रत्येक सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को 09 नवम्बर 2012 से रोजगार सह कौशल विकास भत्ता दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 3.68 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 2.16 लाख का व्यय किया गया है।

7— इंटरलिकिंग ऑफ एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज टू नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल (Interliking Of Employment Exchange to National Career Service Portal):— भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रति जनपद ₹ 3.00 लाख के आधार पर सेवायोजन कार्यालयों द्वारा त्रैमासिक रोजगार मेलों के आयोजन व कार्यालयों के अद्यतनीकरण हेतु वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 112.00 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक व्यय शून्य है।

8— ट्राइबल सब प्लान (1) (Tribal Sub Plan-1):— शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र कालसी, धारचूला, दिनेशपुर का संचालन ट्राइबल सब प्लान योजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 77.57 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 41.96 लाख का व्यय किया गया है।

9— ट्राइबल सब प्लान (2) (Tribal Sub Plan-2):— अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कालसी में एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति हेतु) की स्थापना की गयी है। वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 26.35 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 16.91 लाख का व्यय किया गया है।

10— स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (Special Component Plan):— शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र टिहरी, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत का संचालन अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2017—18 में स्वीकृत धनराशि ₹ 64.54 लाख में से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल ₹ 38.70 लाख का व्यय किया गया है।

14.3 कौशल विकास (Skill Development) :—

14.3.1 सामान्य विवरण:— संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य संख्या: 4 की प्राप्ति हेतु तकनीकी और व्यावसायिक कौशल, रोजगार, सेवाएं और उद्यमिता आदि को बढ़ावा देने के लिये 75 प्रतिशत युवाओं और वयस्कों को प्रशिक्षित करना लक्षित है। इस क्रम में निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित है:—

14.3.2 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission):-

युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में, स्वरोजगार के अवसर सृजित कर राज्य की आर्थिकी सुधार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन **(UKSDM)** के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

समिति के पोर्टल पर आतिथि तक 31240 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 11911 युवाओं को 32 विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे इन युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। उक्त 11911 प्रशिक्षुकों में से 7747 युवाओं का तृतीय–पक्ष द्वारा मूल्यांकन करा कर 7014 युवाओं को प्रशिक्षण में उत्तीर्ण घोषित किया गया है तथा 2698 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

14.3.3 प्रशिक्षण प्राप्त बैच Completed Training Batches (वर्ष 2016–17):- वर्ष 2016–17 में 113 बैच सूचना एवं संचार, 43 बैच सौंदर्य और स्वास्थ्य, 31 बैच दूरसंचार क्षेत्र, 24 बैच निर्मित परिधान और होम फर्निशिंग सेक्टर, 20 बैच पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षणों की स्थिति निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट हैः–

चार्ट –14.4:– प्रशिक्षण प्राप्त बैचों की संख्या (वर्ष 2016–17)

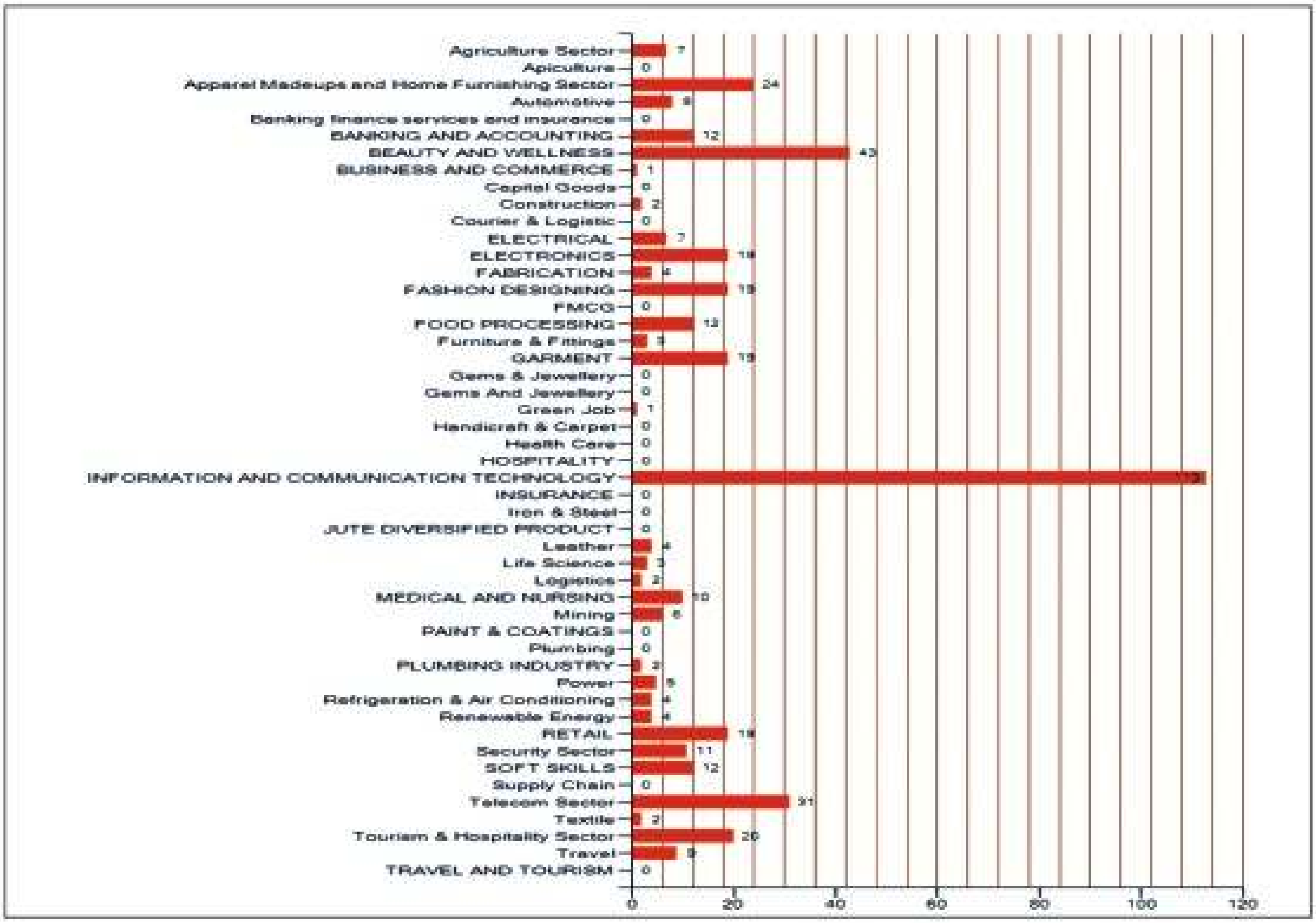

14.3.4 उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति का वर्ष 2020 तक कुल 100000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे हैः– आगामी तीन वर्षो हेतु लगभग 50000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। देश का प्रथम बैच इस राज्य में 2.0 के स्टेट कम्पोनेन्ट से संचालित किया जा रहा है। **वर्ष 2017–18** में स्वीकृत ₹ 2,032 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹37.68 लाख व्यय किया जा चुका है तथा निम्नानुसार विभिन्न क्षेत्रों में युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैः–

तालिका 14.3

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	जनपद का नाम	क्षेत्र (Sector) का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	स्किलप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून	पर्यटन एवं आतिथ्य	30
2	स्किलप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून	पर्यटन एवं आतिथ्य	30
3	टी0एन0जी0 इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	नैनीताल	पर्यटन एवं आतिथ्य	30
4	स्किलप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून	इलैक्ट्रानिक्स	60
5	स्किलप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	पौड़ी	परिधान	60
6	के0जी0एम0 इम्मीग्रेशन एण्ड एजुकेशनल कन्सलटैन्ट प्राइवेट लिमिटेड	टिहरी	परिधान	60
7	के0जी0एम0 इम्मीग्रेशन एण्ड एजुकेशनल कन्सलटैन्ट प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरकाशी	परिधान	60
8	मास इन्फोटेक सोसाईटी	हरिद्वार	कृषि	60
9	महादेव एजुकेशनल सोसाईटी	देहरादून	इलैक्ट्रानिक्स	60
	कुल			450

उक्तानुसार राज्य के बेरोजगार युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन करते हुये उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन अन्तर्गत आतिथि तक कुल 15 बैंचों का संचालन कर **13240 के सापेक्ष कुल 450 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, 780 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।** प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयन आधार कार्ड नम्बर को वेबसाईट से लिंक कर किया जाता है, जिससे फर्जी, पुर्नचयन आदि की सम्भावना नगण्य हो जाती है।

उपरोक्त तालिका 14.3 में अंकित ट्रेनिंग प्रोवाईडरस के द्वारा प्रशिक्षिण प्रदान किया जाता है, जिनको प्रति युवक/छात्र ₹ 14100 का भुगतान तीन किश्तों में किया जाता है। धनराशि के पहली किश्त 30 प्रतिशत के रूप में बैंच प्रारम्भ होते समय, द्वितीय किश्त 50 प्रतिशत पास हुए छात्रों के मूल्यांकन एवं प्रमाणिकरण उपरान्त तथा अन्तिम बीस प्रतिशत की किश्त 70 प्रतिशत छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार पाने वाले छात्रों की तीन माह की वेतन पर्ची पी0एम0के0वाई0 समिति को प्राप्त करा देने के उपरान्त ही निर्गत की जाती है। साथ ही उपरोक्त तालिका से यह परिलक्षित होता है कि ट्रेनिंग प्रोवाईडरस में कुछ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के साथ टेक्नीकल व एजुकेशनल सोसाईटी भी कुल 450 युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है।

जनवरी, 2018 में जिला कारागार देहरादून में 60 बंदियों हेतु जैविक कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण आरम्भ किया है। वर्ष 2016–17 में भी जिला कारागार देहरादून, हरिद्वार, सितारगंज एवं हल्द्वानी में एवं नारी निकेतन हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ हैं। वर्ष 2018 में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। देहरादून, हरिद्वार में 120 युवाओं को CCTV Installation तथा 90 युवाओं को Junior Instrumentation Technician Process Control का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

पेरिस में आयोजित **2nd Global Skill Development Meet 2017** में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन को **Innovation in use of IT in Skill Development** हेतु **"Award of Excellence"** से भी पुरस्कृत किया गया।

सितम्बर, 2016 से लॉच कुशल उत्तराखण्ड मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा भी युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्तमान तक इस ऐप पर 13768 कुशल युवा पंजीकृत है।

एस0के0डी0एम0 के पोर्टल पर पंजीकृत, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं की सूचना आदि मौजूद है परन्तु इसके सापेक्ष रोजगार प्राप्त युवाओं की सूचना उपलब्ध नहीं है। व्यापक उपयोग हेतु सार्थक आंकडे पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु समन्वय की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अध्याय–15

विद्युत
Electricity

15.1 सामान्य विवरणः– आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण घटक है। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत राजस्व उत्पादन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन–सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

15.2 संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य संख्याः 7 तथा 12 की प्राप्ति हेतु वर्ष 2030 तक सस्ती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, वैश्विक ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा के हिस्से को पर्याप्त रूप से बढ़ाने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार कर वैश्विक दर को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है।

तालिका 15.1 उत्तराखण्ड में वर्षवार विद्युत क्षमता, उत्पादन तथा मांग

वर्ष Year	स्थापित क्षमता (मै0वा0)	कुल विद्युत उत्पादन (मि0यू0) Total Electricity Production (MU)	कुल विद्युत मांग (मि0यू0) Total Electricity Demand (MU)
(1)	(2)	(3)	(4)
2011-12	1306.25	5261.82	10277.97
2012-13	1288.85	4812.11	11426.16
2013-14	1284.85	4411.83	11505.13
2014-15	1284.85	4348.95	12073.87
2015-16	1284.85	4969.49	12669.03
2016-17	1959.85	5796.94	12984.58
2017-18	1959.85	6318.33	11327.31

Source: Uttarakhand Jal Vidhyut Nigam Ltd. & Uttarakhand Power Corporation Ltd. (Compiled in Statistical Diaries)

चार्ट संख्या–15.1
वर्षवार विद्युत उत्पादन तथा मांग

इस प्रकार उपरोक्त तालिका 15.1 से स्पष्ट है कि राज्य में वर्षवार कुल विद्युत मांग की अपेक्षा कुल विद्युत उत्पादन अत्यन्त न्यून है, जबकि विद्युत उत्पादन की दोहन क्षमता लगभग 25000 मेगावाट से भी अधिक है।

तालिका 15.2 विगत वर्षों में ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों का विवरण

वित्तीय वर्ष	ए0टी0 एण्ड सी0 हानियाँ
2014-15	18.64%
2015-16	17.19%
2016-17	16.40%
2017-18	15.00% (लक्षित)

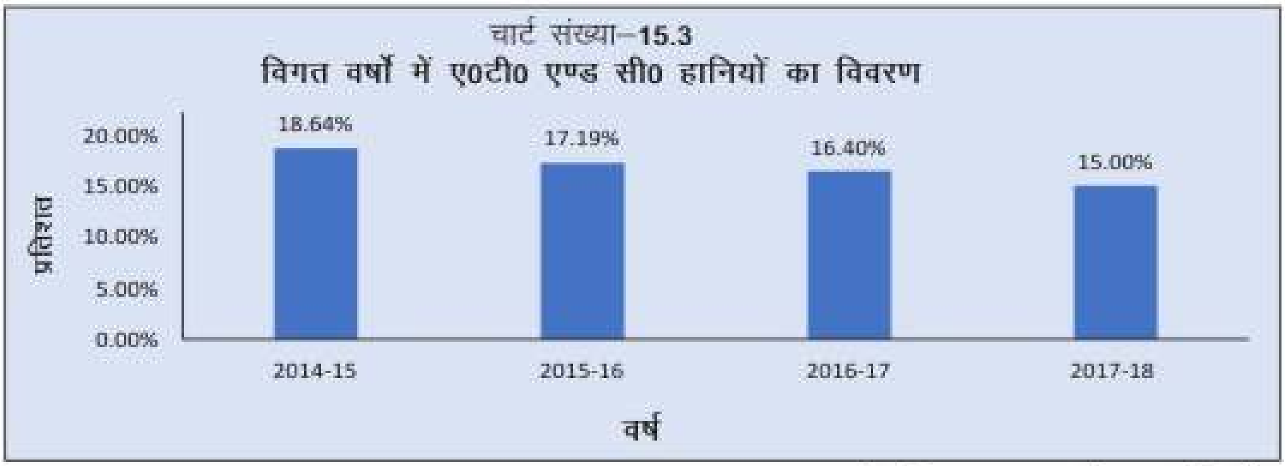

उपरोक्त तालिका संख्या 15.2 से स्पष्ट है कि राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में कुल लाईन लॉस लगभग 45 प्रतिशत जो 2016–17 में 16.44 प्रतिशत है एवं वर्ष 2017–18 में 15 प्रतिशत लक्षित है। विद्युत उत्पादन को बढ़ाने एवं लाईन लॉस को कम करने हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पिटकुल तथा उरेडा विभागों के माध्यम से निम्नानसुार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है:–

15.3 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited, UPCL):–

15.3.1 33 के0वी0 उपस्थानों का निर्माण:– वित्तीय वर्ष 2017–18 में (31 दिसम्बर, 2017 तक) 154 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 11 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थानों एवं 116.80 किमी नयी 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि कुल 133 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 11 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

15.3.2 पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार (Restructured Accelerated Power Development and Reforms, RAPDRP) **Part-A:–**

प्रदेश में 31 पात्र कस्बों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर ₹ 132.24 करोड़ की मंजूर धनराशि के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है एवं 04 लाख से अधिक जनसंख्या एवं वार्षिक विद्युत खपत 35 करोड़ यूनिट से अधिक Supervisory Control and Data Acquisition /Distribution management system परियोजना हेतु देहरादून नगरीय क्षेत्र में SCADA/DMS प्रणाली को विकसित करने हेतु ₹16.55 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारण किया है। दिसम्बर, 2017 तक 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। इस परियोजना का उद्‌देश्य देहरादून नगर की वितरण ग्रिड प्रणाली के अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु कम्प्यूटर चालित प्रणाली को विकसित करना है।

15.3.3 आर0ए0पी0डी0आर0पी0 (Restructured Accelerated Power Development and Reforms) **Part-B**:– उत्तराखण्ड के 31 शहरों में विद्युत व्यवस्था के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 स्तर के उपकेन्द्रों, ट्रांसफारमरों , 11 के0वी0 और एल0टी0 लाईनों का निर्माण तथा क्षमता वृद्धि, लोड का विभाजन, फीडर विभाजन, लोड संतुलन, एच.वी.डी.एस. (11के.वी.), विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मीटरों की टैंपरप्रूफ मीटरों के साथ प्रतिस्थापना, कैपेस्टर बैंक की स्थापना, चलते–फिरते सर्विस केन्द्र और 33 के.वी. या 66 के.वी. प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्राविधान है।

योजना के तहत उत्तराखण्ड के 31 शहरों के लिए कुल ₹ 584.09 क रोड़ (भारत सरकार से ₹ 525.68 करोड़) मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन/ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें दिसम्बर, 2017 तक 31 शहरों में कुल ₹ 292.53 करोड़ खर्च किये गये है।

30 शहरों में प्रस्तावित कार्य की भौतिक प्रगति पूर्ण हो गयी है, शेष 01 शहर देहरादून में कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित हैं।

15.3.4 एकीकृत विद्युत विकास योजना (Integrated Power Development Scheme) (IPDS) :– प्रदेश के 10 वृतों (37 शहरी कस्बों) को एकीकृत बिजली विकास योजना के तहत रखा गया है। केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति ने ₹ 190. 68 करोड़ और ₹ 0.95 करोड़ (परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत) प्रदेश के 10 सर्कलों की डी. पी. आर. व परियोजना प्रबंधक एजेंसी के लिए मंजूरी प्राप्त है।

राज्य (विशेष राज्य श्रेणी) हेतु भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान 85% है। राज्य सरकार/उ.पा.का.लि द्वारा दिया जाने वाला अंश 5% है, जबकि 10% का Financial Institution/ बैंकों से ऋण के रूप में प्रबन्ध किया जाना है। वर्तमान में अनुदान राशि की प्रथम किस्त ₹ 16.30 करोड एवं द्वितीय किस्त ₹ 32.54 करोड नोडल एजेन्सी मै0 पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत कर दी गयी है। वर्तमान में सभी 37 शहरों में कार्य आवंटित किये जा चुके हैं।

15.3.5 एकीकृत विद्युत विकास योजना (Integrated Power Development Scheme) (IPDS) IT Phase-II:– एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS) IT Phase-II के अन्तर्गत IPDS में सम्मिलित 36 नगरों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 11.90 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन कार्यों हेतु उ0पा0का0लि0 द्वारा सितम्बर–2019 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

15.3.6 सौभाग्य योजना:– सौभाग्य योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों में मौजूद हर घर तक मार्च 2019 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष राज्यों के लिये केन्द्र सरकार योजना का 85 प्रतिशन अनुदान देगी, राज्य सरकार का अंश मात्र 5 प्रतिशत होगा और बैंकों से 10 प्रतिशत कर्ज उपलब्ध होगा ।

राज्य के लगभग 2.77 लाख घरों को दिसम्बर 2018 तक बिजली की सुविधा प्रदान करना लक्षित है ।

15.3.7 एकीकृत विद्युत विकास योजना (ERP):– ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा बचत करते हुये प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इस योजनान्तर्गत 94 ग्रामों के लक्ष्य के सापेक्ष 63 ग्रामों को आच्छादित किया गया है।

IPDS Monitoring Committee की उद्यम संसाधन योजना Enterprise Resource Planning (ERP) हेतु ₹ 21.78 करोड़ स्वीकृत हैं। जिसके अन्तर्गत उ0पा0का0लि0 में वित्तीय प्रबन्धन और लेखा, मानव संसाधन प्रबन्धन एवं सामग्री प्रबन्धन में ERP मॉड्यूल्स का कार्यान्वयन किया जायेगा।

15.3.8 सरकारी भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना का कार्य:– देहरादून तथा हरिद्वार जिलों में सरकारी भवनों पर 2765 kWp क्षमता के रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाये जाने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से ₹ 17.99 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है।

चीड़ पत्ती से ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण

उत्तराखण्ड में 85 प्रतिशत गांवों को 2005 से राज्य विद्युत ग्रिड से जोड़ा गया है। विभिन्न मौसमों में बिजली की कमी और पहाड़ी क्षेत्र में खराब ट्रांसमिशन इंफास्ट्रक्चर के कारण बिजली की आपूर्ति की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। अवनी बॉयो एनर्जी प्रा0लि0 बेरीनाग, पिथौरागढ़ द्वारा बिजली संयंत्र लगाकर पिरूल (Pine Needles) से बिजली उत्पादन का कार्य किया जा रहा है जिसकी क्षमता 120 किलोवॉट है। उत्पादित बिजली को मौजूदा ग्रिड में ही पहुंचाया जाता है जो क्षेत्र को विश्वसनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। पिरूल द्वारा विद्युत उत्पादन पलायन से ग्रसित अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संरक्षण के साथ–साथ आजीविका संवर्धन की संभावना से परिपूर्ण क्षेत्र है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित गांवों के लिये पिरूल एकत्रीकरण से मौसमी रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। खाना पकाने के लिये ग्रामीण महिलाओं को कठिनाईयों से लकड़ी का प्रबन्ध करने के स्थान पर सरलता से उच्च गुणवत्ता का कोयला प्राप्त हो रहा है तथा ईंधन हेतु वृक्षों पर से निर्भरता घट रही है। इस विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति से ग्राम स्तर पर सूक्ष्म उद्यमी तैयार किये जा रहे हैं, जो अंततः आजीविका के अतिरिक्त राज्य के ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रभावी योगदान कर सकते हैं।

15.4 उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL):– जल विद्युत के पूर्ण रूप से दोहन, बढ़ावा व विकास करने की दिशा में राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल दोहन क्षमता 25473 मे0वा0 में से परिचालन के अन्तर्गत 3987 मे0वा0 निर्माणाधीन है।

- **ब्यासी परियोजना (120 मे0वा0)**:– दिसम्बर 2017 तक 37.2 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है, जिसे दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा 375 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा। परियोजना की कुल लागत ₹ 936 करोड़ है।
- **लखवाड परियोजना (300 मे0वा0)** इस राष्ट्रीय परियोजना में भारत सरकार द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा।
- **किशाउ परियोजना (660 मे0वा0)** की एक अन्य राष्ट्रीय परियोजना है जिसकी लागत ₹ 7193 करोड़ है, जिसमें परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। जबकि निर्माण हेतु 50–50 प्रतिशत की सहभागिता के आधार पर एम0ओ0यू0 उत्तराखण्ड सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हो चुका है।
- असीगंगा–। (4.5 मे0वा0), असीगंगा–।। (4.5 मे0वा0), सुवारीगाड़ (2 मे0वा0), लिमचागाड (3.5 मे0वा0), दुनाव (1.5 मे0वा0), सुरिनगाड़–।। (5 मे0वा0) पर निर्माण कार्य नाबार्ड से वित्त पोषित है।
- **दुनाव (1.5 मे0वा0) परियोजना** को दिसम्बर 2017 में पूर्ण कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसकी कुल लागत ₹ 31.20 करोड़ है।
- **सुरिनगाड़ (5 मे0वा0)** का निर्माण दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर उत्पादन शुरू किया जायेगा, जिसकी कुल लागत ₹ 49.60 करोड़ है एवं दिसंबर 2017 तक 89 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है।

- **एस0पी0ए0 (आर0)** द्वारा वित पोषित पिलंगाड –। 2.25 मे0वा0 तथा उरगम–। (3 मे0वा0) से भी उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है।

- नाबार्ड पोषित अन्य परियोजनायें असीगंगा–।, असीगंगा–।।, स्वारीगाड़, लिमचागाड़ इत्यादि परियोजनायें ईको सेंसेटिव जोन में होने के कारण निर्माण कार्य रूका हुआ है।

- वाह्य सहायतित योजनाओं में ए0डी0बी0 से वित्त पोषित लघु जल विद्युत परियोजनाओं में कालीगंगा–1 (4 मे0वा0), कालीगंगा–।। (4.5 मे0वा0), मध्यमहेश्वर (15 मे0वा0) एवं काल्दीगाड (9 मे0वा0) की परियोजना शामिल है। कालीगंगा–।, कालीगंगा–।। एवं मध्यमहेश्वर का निर्माण कार्य प्रगति पर है जबकि काल्दीगाड परियोजना का कार्य ईको सेंसेटिव क्षेत्र में होने के कारण बाधित है।

15.4.1 वाह्य सहायतित योजनाओं में DRIP **(Dam Rehabilitation Improvement Program)** के द्वारा पुराने बैराज एवं बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से पुर्नोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनेरी डैम, इछाडी डैम, वीरभद्र बैराज, डाकपत्थर बैराज एवं आसन बैराज शामिल है।

पूर्ण हो चुकी बड़ी परियोजनाओं में आर0एम0यू0 के अंतर्गत मोहम्मदपुर (9.3 मे0वा0), पथरी (20.4 मे0वा0), खटीमा (41.2 मे0वा0) एवं गलोगी (3 मे0वा0) जो लगभग 60 से 100 वर्ष पुरानी है का जीर्णोद्धार कर इनकी सुरक्षित आयु को बढ़ाया गया है।

यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 100 kwp की रूफटॉप परियोजना निगम मुख्यालय, 500 kwp की रूफटॉप परियोजना पथरी सेंट्रल स्टोर, 4.398 MWp की खोदरी परिसर एवं 1.466 MWp की ढ़करानी परिसर में स्थापित की गयी है। इसके अतिरिक्त 19 मे0वा0 की कैनाल बैंक एवं 1 मे0वा0 की कैनाल टॉप परियोजना भी स्थापित कर सौर ऊर्जा से लगभग 26 MWp का उत्पादन यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

नवोन्मुखी परियोजना

कुल दो बगास आधारित परियोजनायें 16 मे0वा0 की नादेही एवं 22 मे0वा0 की बाजपुर परियोजनाओं का विकास किया जायेगा। नादेही परियोजना की कुल लागत ₹ 115.05 करोड़ है। इस परियोजना द्वारा लगभग 64.16 मि0यू0 विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। बाजपुर परियोजना की कुल लागत ₹ 154.52 करोड़ है। इस परियोजना से लगभग 90.74 मि0यू0 विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त यूजेवीएन लिमिटेड एवं वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी के मध्य सतही विद्युत टरबाईन के शोध एवं विकास हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें नहरों में सतही टरबाईन लगाकर उत्पादन किया जायेगा। सतही परियोजनाओं के विकास हेतु स्थायी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है और न ही प्रकृति को कोई नुकसान होता है।

15.4.2 योजना के कियान्वयन में कठिनाईयाँ:– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के कारण अलकनंदा एवं भगीरथी नदी घाटी में 24 जल विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 2945 मे0वा0 के कियान्वयन में रोक लगी हुयी है। उक्त के अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने से उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित 16 जल विद्युत परियोजनायें कुल क्षमता 1743 मे0वा0 का कियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

उक्त परियोजनाओं के कियान्वयन न होने से राज्य को आर्थिक रूप से हानि हो रही है तथा स्थानीय लोगों को रोजगार की सुविधा से वंचित होने के कारण उक्त क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है।

15.5 उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uttarakhand Renewable Energy Development Agency, UREDA):–

अक्षय स्रोतों यथा सौर, बायो, लघु जल विद्युत आदि के समुचित दोहन हेतु विभिन्न जनोपयोगी कार्यक्रम राज्य में संचालित हैं:–

15.5.1 लघु जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन (Small Hydro Power Generation):– प्रदेश में 2 मेगावाट क्षमता तक मिनी/माइक्रो हाईडिल परियोजनाओं की स्थापना ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने हेतु नीति जारी होने के उपरान्त योजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। उरेडा द्वारा वर्तमान तक कुल 78 परियोजनाओं की स्थापना हेतु सम्भावित स्थलों का सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। वर्तमान तक 32 परियोजनाओं हेतु डी0पी0आर0 तैयार है, जिनमें से 15 लघु जल विद्युत योजनाऐं ग्राम पंचायतों को आवंटित की जा चुकी है।

15.5.2 लघु जल विद्युत योजनाओं की स्थापना (Establishment of Small Hydro Plant Schemes):- प्रदेश के दूरस्थ एवं सीमान्त क्षेत्रों में 1315 किलोवाट सम्मिलित क्षमता की 12 लघु जल परियोजनाओं में से एक योजना ग्रिड फीड एवं 11 योजनाऐं ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित है। इन 11 योजनाओं की स्थापना पूर्ण होने के उपरान्त 27 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो सकेगा। इन में से 05 योजनाओं का निर्माण मार्च, 2018 तक तथा 07 योजनाओं का निर्माण दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

15.5.3 सौर जल तापीय संयत्र (Solar Water Heating Plant):– निजी फर्मो द्वारा वर्ष 2017–18 में वर्तमान तक 9000 ली0 क्षमता के संयंत्र स्थापित कराये गये है। सोलर वाटर हीटर पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा ₹ 100/– प्रति 100 ली0 सोलर वॉटर हीटर लगाने पर विद्युत बिल में छूट दी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में टिहरी हाउस, देहरादून में 7000 ली0 प्रतिदिन संयत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

15.5.4 सोलर डिश कुकर (Solar Dish Cooker):– सोलर कुकर की लागत वर्तमान में परिवहन, स्थापना सहित ₹ 8800/– है, जिस पर भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान ₹ 5280/– प्रति संयत्र देय है तथा अनुदान के उपरान्त लाभार्थी अंशदान ₹ 3520/– निर्धारित है। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2016–17 तक 6469 डिश टाइप सोलर कुकर संयत्रों की स्थापना हो चुकी है। वर्ष 2017–18 में 811 संयत्रों हेतु लाभार्थी चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

15.5.5 हरित उपकर (Green Cess):– इसके अन्तर्गत ऊर्जा जो राज्य के भीतर उत्पादित की जाती है एवं राज्य के बाहर पारेषित की जाती है, के उत्पादकों तथा राज्य के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 10 पैसे प्रति यूनिट उपकर लगाये जाने की व्यवस्था है। हरित उपकर का एक उद्देश्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु एकत्र राशि में से कुछ अंश अक्षय ऊर्जा योजनाओं के निर्माण एवं स्थापना पर उपयोग की जायेगी। राज्य के बाहर विद्युत पारेषित करने वाली फर्मो द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद दायर किए जाने के कारण उनसे हरित उपकर नहीं वसूला जा सका परन्तु राज्य के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं से नवम्बर 2017 तक में ₹ 151.08 करोड़ राशि ग्रीन सेस के रूप में एकत्र की जा चुकी है।

15.5.6 सूर्योदय स्वरोजगार योजना (Sunrise Self Employment Scheme):– पर्वतीय जनपदों में सौर ऊर्जा आधारित आय सृजन एवं स्वरोजगार हेतु इस योजना में 4 एवं 5 किलोवाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना की जा रही है। संयत्र की लागत ₹ 75000 प्रति किलोवाट

है। केन्द्र सरकार द्वारा 70 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत राज्य अनुदान तथा 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश है। चालू वित्तीय वर्ष में 650 संयत्रों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष सभी संयत्रों की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है। लाभार्थी को अपनी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ लगभग ₹ 25000 प्रति वर्ष आय होना सम्भावित है। विगत तीन वर्षों में सौर ऊर्जा से प्रदेश में कुल 226 मेगावॉट विद्युत उत्पादित करायी जा रही है। इस विद्युत को Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) द्वारा अपने Renewable Purchase Obligation (RPO) की पूर्ति हेतु लिया जा रहा है।

15.5.7 पारिवारिक बायोगैस संयंत्र (Household Biogas Plant):– नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अर्न्तगत पारिवारिक बायोगैस संयत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 1000 पारिवारिक बायोगैस संयत्रों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2017 तक 498 संयत्रों की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है, शेष की स्थापना मार्च 2018 तक किये जाने का लक्ष्य है।

15.5.8 ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम (Energy Conservation Program):–

- ऊर्जा बचत हेतु प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को **एल0ई0डी0 बल्बों, ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाईटों एवं पंखों के वितरण की योजना** Energy Efficiency Services Limited (EESL) के सहयोग से मार्केट मोड पर चला कर **अब तक ₹ 100 लाख के सापेक्ष ₹ 44.42 लाख उपभोक्ताओं को वितरित कर लाभान्वित किया जा चुका है, जिससे 280 MU's विद्युत की बचत हो रही है।**
- सभी सरकारी भवनों में उपयोग हेतु एल0ई0डी0 की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
- ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) के सम्बन्ध में जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं।

15.6 पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PTCUL):– पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का उददेश्य प्रदेश की विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करना है ।

कॉरपोरेशन की सभी नई 132 के0वी0 की क्षमता से ऊपर की लाइनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–साथ विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार, ढांचे में सम्वर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार प्लान को लागू करना है।

वर्तमान में कॉरपोरेशन द्वारा अलकनन्दा घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना (520मेगावाट तपोवन–विष्णुगढ़ एन0टी0पी0सी0, 444 मेगावाट टी0एच0डी0सी0, 172 मेगावाट, लतातपोवन एन0टी0पी0सी0, 300 मेगावाट जी0एम0आर0, 250 मेगावाट तमकलता, 99 मेगावाट सिंगोली भटवारी एवं 76 मेगावाट फाटाब्यूग) के विद्युत विकास हेतु निम्न पारेषण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी फण्डिंग ए0डी0बी0 द्वारा की जानी है।

- 400 के0वी0 डबल सर्किट श्रीनगर–काशीपुर लाईन (152 किमी0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 838.10 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य सितम्बर, 2020 है।
- 400 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान पीपलकोटी (630 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 218.82 करोड़ है। वर्तमान में भूमि का चयन

टी0एच0डी0सी0 परिसर किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2021 है।

- 400 के0वी0 तपोवन–पीपलकोटी पारेषण लाईन तथा लीलो लाईन विष्णुप्रयाग–मुजफ्फरनगर लाईन का लीलो पीपलकोटी उपसंस्थान में (18.5 किमी0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 103.14 करोड़ है। प्रस्तावित 400 के0वी0 तपोवन–पीपलकोटी पारेषण लाईन तथा लीलो लाईन विष्णुप्रयाग–मुजफ्फरनगर लाईन का पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2019 है।

- 400 के0वी0 काशीपुर उपसंस्थान पर 400 के0वी0 की 02 बे (Bay) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 10.42 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।

- 400/220/132 के0वी0 2X315/ 2X160 एम0वी0ए0 विद्युत उपसंस्थान श्रीनगर में 400 के0वी0, श्रीनगर विद्युत गृह (जी0वी0के0) से 400 के0वी0 तथा 220 के0वी0 उपस्थान को ऊर्जीकृत कर 132 के0वी0 उपस्थान से कमर्शियल लोड पर आरम्भ किया जा चुका है। परियोजना लागत ₹ 172.08 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त निम्न ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निर्माण में पी0एफ0सी0 का 70 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 30 प्रतिशत भागीदारी है :–

- 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी–कर्णप्रयाग–श्रीनगर लाईन (92.21 किमी0) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 468.43 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य दिसम्बर, 2019 है।
- 220 के0वी0 डबल सर्किट रूद्रपुर (ब्रहमवारी)–श्रीनगर लाईन (110 किमी0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 156.55 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2019 है।
- 220/33 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान रूद्रपुर (ब्रहमवारी) (2X50 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 118.87 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मई, 2021 है।
- 220/33 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान आई0आई0पी0, हर्रावाला, देहरादून (2X50 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 131.14 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2018 है।
- 220 के0वी0 झाझरा–ऋषिकेश लाईन का लीलों 220 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान आई0 आई0पी0, हर्रावाला, देहरादून के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 53.20 लाख है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2018 है।
- 220/33 के0वी0 उपसंस्थान जाफरपुर (2X50 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 74.60 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य सितम्बर, 2018 है।
- 220 के0वी0 काशीपुर–पन्तनगर लाईन का लीलों 220 के0वी0 उपस्थान जाफरपुर के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 8.33 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य सितम्बर, 2018 है।
- 132 के0वी0 उपस्थान बागेश्वर (30 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 92.78 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य जून, 2018 है।

निम्न ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निर्माण में आर0ई0सी0 का 70 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 30 प्रतिशत भागीदारी है:–

- 220 के0वी0 उपसंस्थान पीरान कलीयर (2X25 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 49.49 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मई, 2018 है।
- 220 के0वी0 उपसंस्थान पीरान कलीयर पर 220 के0वी0 रोशनाबाद (हरिद्वार)–पुहाना लाईन के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 5.83 है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मई, 2018 है।

- 220 के0वी0 डबल सर्किट लखवाड़–देहरादून लाईन तथा व्यासी पर लीलो लाईन के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 65.19 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2019 है।
- 132 के0वी0 सिंगल सर्किट रानीखेत–बागेश्वर लाईन के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 98.45 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य जून, 2018 है।
- 220 के0वी0 जी.आई.एस. उपस्थान बरम (2X25 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 120.84 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2019 है।
- 220 के0वी0 उपस्थान बरम पर 220 के0वी0 धौलीगंगा–पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0आई0एल0) लाईन का लीलो के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 26.09 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2019 है।
- 132 के0वी0 उपसंस्थान लोहाघाट के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 67.40 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2019 है।
- 132 के0वी0 डबल सर्किट पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0आई0एल0)– लोहाघाट लाईन के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 48.07 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2019 है।

अध्याय–16

परिवहन एवं संचार

Transport and Communication

सड़क यातायात

16.1 प्रदेश के अवस्थापना विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिये सड़कों तथा सेतुओं की सुलभता व सुगमता महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी उत्तराखण्ड में गुणवत्तायुक्त सड़को का त्वरित विकास केन्द्र एवं राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल रहा है। सड़कों एवं सेतुओं को राज्य की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। जल मार्ग, रेलमार्ग तथा वायुमार्ग जैसे संचार के साधन सीमित होने के कारण सड़कें यात्री तथा माल आवागमन तथा लोगों के सामाजिक व आर्थिक कार्यकलाप का मुख्य साधन है।

16.2 राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक विभिन्न चरणों में पूर्ण करने हेतु बजट में यथावश्यक प्रावधान किये जा रहे हैं। यद्यपि परिवहन एवं संचार लगभग सभी सतत विकास लक्ष्यों–(एस0डी0जी0) को कवर कर रहा है तथापि परिवहन एवं संचार साधनों का विकास एस0डी0जी0–9 एवं एस0डी0जी0–11 से विशेषरूप से संबन्धित है। सतत विकास के लक्ष्य सं0–9 में लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्थाई औद्योगीकरण तथा नवाचार को बढाने तथा लक्ष्य संख्या–11 में शहरों की बढ़ती आबादी के लिए सुरक्षा, यातायात सुविधा तथा प्रबन्धन आदि पर बल दिया गया है।

16.3 2011 में राज्य की जनसंख्या 2001 की अपेक्षा 18.81 बढ़ी वहीं राज्य में पक्का सड़कों की लम्बाई 2016–17 में 2002–03 की अपेक्षा 58 प्रतिशत बढ़ गई, जबकि राज्य में ऑनरोड वाहनों की संख्या में 6 गुना बढ़ोत्तरी हो गई है। राज्य में सड़क पर वाहनों की सघनता (प्रति किमी0 सड़क पर वाहनों की औसत संख्या) 2003 में 18 से बढ़कर 2017 में 51 हो गई। 2002 में ऑनरोड वाहनों की संख्या 4.05 लाख से बढ़कर दिसम्बर 2017 तक 24.49 लाख हो गई। इससे सड़कों पर वाहन दबाव में तेजी से वृद्धि हुई। राज्य में सड़कों की लम्बाई तथा ऑनरोड वाहनों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि चार्ट सं0– 16.1 में प्रदर्शित है।

चार्ट संख्या–16.1

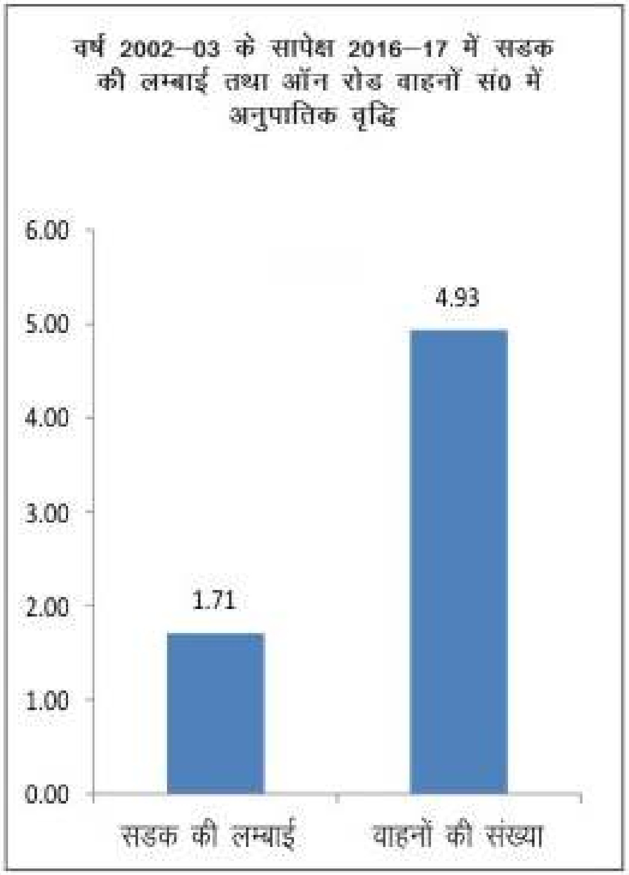

राज्य में वर्षवार वाहन सघनता– प्रति किमी0 रोड़ पर वाहनों की औसत संख्या **चार्ट संख्या–16.2 में प्रदर्शित की गई है:–**

चार्ट संख्या–16.2

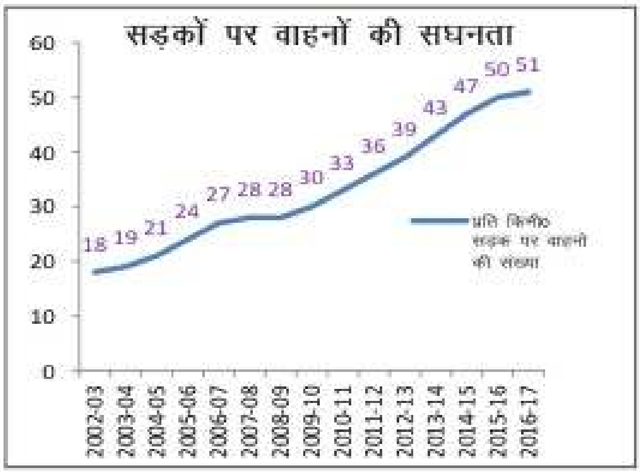

16.4 राज्य में सड़क निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, नगर निगम एवं अन्य शहरी निकाय तथा सिंचाई, गन्ना, वन, बी0आर0टी0एफ0 तथा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड आदि विभाग कार्यदाई संस्थायें हैं। वर्ष 2016–17 में राज्य की कुल सड़क लम्बाई 43762 किमी0 में लोक निर्माण विभाग की 33088 किमी०, शहरी स्थानीय निकायों की 3532 किमी तथा अन्य विभागों विभागों की 7142 किमी0 पक्की सड़कें शामिल हैं। राज्य में वर्षवार सड़क तथा वाहन एवं वाहन सघनता को तालिका संख्या 16.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका संख्या 16.1
राज्य में वर्षवार सड़कें, ऑन रोड़ वाहन एवं वाहन सघनता

वर्ष	सड़कों की लम्बाई (किमी0)	ऑनरोड वाहनों की संख्या	राज्य में वाहन सघनता
2002-03	25619	456598	18
2003-04	25572	479509	19
2004-05	26782	565675	21
2005-06	27510	673069	24
2006-07	28658	761804	27
2007-08	30754	852256	28
2008-09	32264	888742	28
2009-10	33915	1012088	30
2010-11	35947	1176709	33
2011-12	37487	1349020	36
2012-13	38738	1520917	39
2013-14	39768	1700035	43
2014-15	40686	1899704	47
2015-16	42702	2117708	50
2016-17	43762	2252121	51

स्रोत:–सांख्यिकीय सार, उत्तराखण्ड 2015–16।

16.5 वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में रेलवे का योगदान 0.17 प्रतिशत, यातायात के अन्य साधनों का योगदान 1.93 प्रतिशत तथा संचार एवं प्रसारण सेवाओं का योगदान 5.22 प्रतिशत रहा है।

16.6 उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश– ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेन्ट 2015–16:– वर्ष 2015–16 में उत्तराखण्ड में सड़को की कुल लम्बाई तथा प्रति हजार कि0मी0 भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सड़क लम्बाई, हिमाचल प्रदेश से अधिक थी यद्यपि प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लम्बाई की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश आगे रहा है। तालिका संख्या 16.2 में दर्शाया गया है:–

तालिका संख्या 16.2

उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में सड़कों की स्थिति

सूचक	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश
सड़कों की लम्बाई किमी0 में	42702	36049
प्रति हजार वर्ग किमी0 क्षेत्रफल पर सड़कों की लम्बाई किमी0 में	789.42	647.51
प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई किमी0 में	403.69	498.88

16.7 लोक निर्माण विभागः— राज्य में सड़क एवं सेतु सम्बन्धी अवस्थपना सुविधाओं का निर्माण विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये जाते हैं परंतु लोक निर्माण विभाग राज्य में सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की मुख्य कार्यदाई संस्था है। मार्च 2017 तक लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणाधीन 33088 किमी० लम्बाई की सड़कें थीं, जो राज्य की कुल सड़क लम्बाई का 75 प्रतिशत से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा ₹ 1484.38 करोड़ के अनुमोदित प्रावधान के सापेक्ष 750 किमी० नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2017 तक 437 किमी0 की सड़कों का निर्माण कर लिया है। चालू वित्तीय वर्ष में 1373.56 किमी पुनः निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक 877.65 किमी0 की सड़कों का पुनः निर्माण किया गया।

16.8 लोक निर्माण विभाग द्वारा 2016–17 तथा 2017–18 में वाहन चलने योग्य सड़कों का निर्माण, जल निकास, पक्की तथा विरालित सड़कें, निर्मित किये गये पुलों का ब्यौरा तालिका संख्या 16.3 में दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016–17 में 800 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़क निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 801 किमी0 सड़क निर्मित की गई तथा 1115 किमी0 पक्की एवं विलेपित सडकें तथा 106 पुल बनाकर 149 गांवों को सडक से जोडा गया।

तालिका संख्या 16.3
वर्ष 2016.17 एवं 2017.18 की उपलब्धियां

मद	इकाई	लक्ष्य 2016–17	उपलब्धियां 2016–17	लक्ष्य 2017–18	उपलब्धियां 31.12.2018 तक	उपलब्धियां 31.03.2018 तक संभावित
1	2	3	4	5	6	7
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	800	801	748	437	748
जल निकास	कि0मी0	796	794	748	437	748
पक्की तथा विलेपित सड़कें	कि0मी0	1100	1115	850	551	850
पुल	सं0	102	106	99	51	99
गांव जुड़े	सं0	142	149	110	83	110

16.9 सड़क संयोजन से जुड़े गांवः— वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य में 110 गॉवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। जिसमें से जनवरी 2018 तक 83 गॉव जोड़े गये। इस प्रकार उत्तराखण्ड में दिनांक 31.01.2018 तक 12138 गांव पक्की सड़कों से जुड़ गये हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सड़क संयोजन से जुड़े गांवों का विवरण तालिका संख्या 14.4 में दर्शाया गया है:—

तालिका संख्या 16.4
सड़क संयोजन से जुड़े गांव

क्र0 सं0	गॉवों की आबादी	31 मार्च की संख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)			31 जनवरी 2018 तक सड़कों से जुड़े गॉव	31 मार्च 2018 तक संभावित (सड़कों से जुड़े गॉव)
		2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7
1	1500 से अधिक	829	829	829	829	830
2	1000–1499	560	560	561	561	561
3	500–999	1605	1618	1631	1643	1649
4	250–499	2618	2664	2715	2728	2738
5	250 से कम	6152	6235	6319	6370	6387
कुल योग		**11764**	**11906**	**12055**	**12138**	**12165**

16.10 लोक निर्माण विभाग की योजनाएं–

1 राष्ट्रीय राज मार्गः– प्रदेश में वर्तमान में 2954 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास भी सम्मिलित हैं। इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2091 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनके सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर 2017 तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ₹ 445.33 करोड़ व्यय किये गये।

ऑल वैदर रोड (All Weather Road)

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम ऑल वैदर रोड परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 889 किमी0 लम्बाई में मार्गों का 02 लेन चौड़ाई में पक्के शोल्डर सहित निर्माण कार्य किया जाना है। योजनान्तर्गत 15 नं0 दीर्घ सेतुओं, 02 नं0 सुरंग मार्गो (चम्बा एवं राडी टॉप) एवं 03 नं0 एलिवेटेड मार्ग (सोनप्रयाग–लम्बाई 775 मी0, मरीन ड्राइव–लम्बाई 575 मी0 एवं मनेरी–लम्बाई 400 मी0) का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। आलवेदर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण, वन भूमि स्थानान्तरण तथा मुआवजा वितरण का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अन्तर्गत 26 नं0 कार्य (24 नं0 निर्माण कार्य + 01 यूटिलिटी शिफ्टिंग + 01 वनभूमि हस्तान्तरण) 395.51 किमी0 लम्बाई के लिए ₹ 4188.11 करोड़ के स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष कार्यो का सम्पादन निम्न विभागों द्वारा किया जा रहा है:–

- लाक निमाण विभाग – 18 नं0
- पी.आई.यू., मोर्थ – 04 नं0
- एन.एच.आई.डी.सी.एल. – 02 नं0

इस परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 16 जनवरी 2018 तक 20 नं0 कार्यो, जिनकी संयुक्त रूप से लम्बाई 308.33 किमी0 तथा अनुमानित लागत ₹ 3056.03 करोड़ है, का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की पूर्णता की अवधि वर्ष 2019–20 तक लक्षित है ।

2. सेतु भारतम योजनाः– सेतु भारतम योजना के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान हेतु भारत सरकार के सहयोग से **रेलवे ओवर ब्रिजों** (ROB) का निर्माण किया जा रहा है। **राष्ट्रीय राजमार्ग – 74** पर काशीपुर के निकट ₹ 56.76 करोड की लागत से दो लेन रेलवे ओवर ब्रिज (ROB). का निर्माण तथा **राष्ट्रीय राजमार्ग–121** पर काशीपुर के निकट ₹ 76.52 करोड की लागत से चार लेन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माणाधीन हैं। दोनो ओवर ब्रिजों का निर्माण 2019–20 तक पूर्ण होना लक्षित है।

3– जनपद देहरादून में मोहकमपुर रेलवे क्रासिंग एवं अजबपुर रेलवे क्रासिंगः– ₹ 81.73 करोड़ एवं ₹ 69.50 करोड़ की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं। जिसे वर्ष 2018-19 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। जनपद **हरिद्वार में डौसनी एवं चुड़ियाला** नामक स्थान पर क्रमशः ₹ 29.02 करोड़ एवं ₹ 27.11 करोड़ की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज निर्माणधीन हैं जो दिसम्बर 2018 तक पूर्ण होना लक्षित है।

4. डॉट काली देवी के निकट टनल का दो लेन निर्माणः– जनपद देहरादून में डाट की देवी के निकट 340 मी0 लम्बाई की दो लेन टनल का निर्माण कार्य ₹ 71.93 करोड़ की स्वीकृत लागत से निर्माणाधीन है। यह अनुबन्ध की पूर्णता तिथि 02 मई 2019 से पहले अक्टूबर 2018 तक पूर्ण हो जायेगा। सुरंग मार्ग दो लेन हो जाने पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल जायेगी।

5. बाईपास एवं रिंग रोड का निर्माणः– प्रदेश के मुख्य शहरों में शहर के अन्दर यातायात घनत्व कम करने हेतु बाहरी रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर, हल्द्वानी, रामनगर एवं कोटद्वार शहर में रिंग रोड के निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन हो गया तथा फिजिबिलिटी आदि का कार्य प्रगति पर है। इन मार्गो के निर्माण से शहर

के अन्तर्गत यातायात का दबाव कम हो जायेगा तथा इन शहरों के गुजरने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश किये बिना गन्तव्य को जा सकेंगे।

6. फ्लाई ओवरों का निर्माणः– देहरादून शहर में आई.एस.बी.टी. के समीप वाई शेप फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7. केदारनाथ धाम के पुनरोद्धार कार्यः– माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता में सम्मिलित श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्धार कार्य के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा भी श्री केदारनाथ धाम में कार्य किये जा रहे है। निम्न कार्य निर्माणाधीन हैः–

1. श्री केदारनाथ धाम में जोन–2 में पहुँच मार्ग का निर्माण, लागत ₹ 22.23 करोड़।

2. श्री केदारपुरी से गरूड़चट्टी तक मार्ग का निर्माण कार्य, लागत ₹ 4.76 करोड़।

3. एम0आई0–26 हैलीपैड से (24 मी0 स्पान हेतु) श्री केदारनाथ धाम तक 50 फीट चौड़ाई में मार्ग सुधार कार्य, लागत ₹ 2.31 करोड़।

4. रामबाड़ा से श्री केदारनाथ तक (मन्दाकिनी के बांयी ओर का नया वैकल्पिक मार्ग-निम का प्रभाग) के पैदल मार्ग जो कि निम के कार्य क्षेत्र में था, का मरम्मत व सुधारीकरण कार्य, लागत ₹ 13.13 करोड़। वर्तमान में अत्यन्त विषम परिस्थितियों में कम तापमान के उपरान्त भी श्री केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं। इन कार्यो को आगामी यात्राकाल से पूर्व पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अन्य निर्माणाधीन कार्य :–

- जनपद टिहरी में देश के सबसे लम्बे 440 मी0 लम्बाई के डोबरा चांठी भारी वाहन झूला मोटर सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण होना लक्षित है। सेतु के निर्माण से प्रतापनगर क्षेत्र की जनपद मुख्यालय की दूरी कम हो जायेगी।
- मुनि की रेती में कैलाश गेट के समीप 310 मी0 लम्बाई के पैदल सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर, यह 2018–19 में पूर्ण होगा। इस सेतु के निर्माण से शहर में सुगम यातायात उपलब्ध होगा तथा कुम्भ मेले के समय यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी।
- अल्मोड़ा में धारानौला से लोअर माल रोड तक 1100 मी0 लम्बाई में सुरंग मार्ग के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। फिजिबिलिटी स्टडी कार्य पूर्ण हो गया है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम–

16.11 उत्तराखण्ड में सड़क यातायात में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अहम भूमिका है। यह लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर अन्य समीपवर्ती राज्यों में यातायात की सुविधायें प्रदान करता है। देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में निगम के तीन डिवीजनल कार्यालय तथा 21 डिपो कार्यरत् हैं। निगम 337 रूटों पर 745 सेवायें प्रदान कर रहा है। वर्ष 2016–17 में निगम की 1242 बसों द्वारा कुल 1433.36 लाख संचालित किमी0 के द्वारा 368.22 लाख सवारियों द्वारा यात्रायें की गयी। 2003–04 में परिवहन निगम की 1024 साधारण बसों तथा 40 सेमी डीलक्स बसों में 347. 85 लाख सवारियों द्वारा यात्रा की गई वहीं चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2017 तक निगम द्वारा संचालित 1312 यात्री बसों में 1167.61 लाख किमी0 की संचालन से 310.28 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। निगम की 1312 बसों में से 630 बसें पर्वतीय तथा 682 बसें मैदानी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। इन बसों में साधारण बसें–1140, सेमी डीलक्स बसें–52, ए0सी0 बसें–74 एवं वोल्वो 46 बसें शामिल हैं। बसों के सचालन में कुल 2612 चालक एवं 2738 परिचालक हैं। 163 चालक तथा 16 परिचालक अक्षम हैं। वर्तमान में कुल 1398 वाद विभिन्न मा0 न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनमें 583 वाद सेवा सम्बन्धी तथा 815 वाद दुर्घटना सम्बन्धी हैं।

16.14 वर्ष 2003–04 में परिवहन निगम का कुल व्यय तथा प्राप्तियां क्रमशः ₹ 5213.82 लाख तथा ₹ 4126.56 लाख रूपये थी, जो वर्ष 2016–17 तक बढ़कर क्रमशः ₹ 48185.40 लाख तथा ₹ 46250.17 लाख हो गया। तालिका 16.5 में परिवहन निगम की वर्षवार आय, व्यय तथा लाभ/हानि के आंकडें प्रदर्शित किये गये हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2006–07 के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में परिवहन निगम घाटे की स्थिति में बसों का संचालन करता रहा है। 2016–17 में निगम की कुल हानि ₹ 1935.23 लाख थी।

तालिका सं0–16.5

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय एवं लाभ/ हानि (लाख ₹ में)

वर्ष	व्यय	प्राप्तियां	लाभ (+)/हानि (-)
2003-04	5213.82	4126.56	-1087.26
2004-05	12167.27	10656.21	-1511.06
2005-06	15205.98	14116.53	-1089.45
2006-07	16883.49	17158.09	274.60
2007-08	18735.10	18703.60	-31.50
2008-09	21017.83	19550.92	-1466.91
2009-10	22420.75	21268.61	-1152.14
2010-11	26406.25	23570.34	-2835.91
2011-12	28059.64	25383.63	-2676.01
2012-13	33636.40	31101.57	-2534.83
2013-14	40263.25	36464.05	-3799.20
2014-15	43973.91	40480.26	-3493.65
2015-16	44203.90	43146.26	-1057.64
2016-17	48185.40	46250.17	-1935.23

परिवहन निगम की मुख्य उपलब्धियां– वित्तीय वर्ष 2016–17 में परिवहन निगम की बसों की बस उपयोगिता 315, लोड फैक्टर 69 तथा प्रतिबस प्रतिदिन आय ₹ 9382 थी। चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2017 तक बसों के संचालन में गत वर्ष की अपेक्षा सुधार हुआ है जिससे बस उपयोगिता 320, लोड फैक्टर 71 तथा प्रतिबस प्रतिदिन आय ₹ 9863 हो गई।

16.15 राज्य परिवहन निगम द्वारा अर्न्तराज्यीय मार्गों पर बसों के सुगम संचालन हेतु पड़ोसी राज्यों से परिवहन सम्बन्धी करार किये जा रहे है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तरप्रदेश, से परिवहन करार हो चुका है तथा हरियाणा, चण्डीगढ, जम्मू कश्मीर, एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परिवहन संबंधी करार गतिशील है। इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा।

16.16 परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं:– परिवहन निगम विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु निम्न योजनायें संचालित करता है:–

i) **मासिक पास योजना**:– परिवहन निगम की बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु माह में 30 ट्रिप यात्राओं मासिक पास योजना वर्ष 2011 से लागू है। जारी किये गये पास की वैधता 30 दिन है। 2016–17 में 40200 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2017 तक 28400 पास जारी किये गये।

ii) **छात्राओं हेतु नि:शुल्क यात्रा**:– परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन हेतु नि:शुल्क यात्रा की सुविधा 2013 में प्रारम्भ की गई। 2016–17 में 982643 छात्राओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2017 तक 774306 छात्राओं को नि:शुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

iii) **रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा**:– महिलाओं को रक्षा बन्धन के अवसर पर निगम की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा 2008 में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2016–17 में 37252 यात्रियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2017 तक 38887 यात्रियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

iv) **दिव्यांग व्यक्तियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा**: निगम द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के व्यक्तियों को निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर नि:शुल्क यात्रा सुविधा 2003 से संचालित है। 2016–17 में 899805 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2017 तक 209090 विकलांग यात्रियों को नि:शुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

v) **बरिष्ठ नागरिकों हेतु नि:शुल्क यात्रा सुविधा**:– निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर बरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के भीतर नि:शुल्क यात्रा की सुविधा वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2016–17 में 1459396 यात्रियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2017 तक 1337432 यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुई।

vi) **स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवगंत हुये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकरियों को परिवहन निगम की साधारण बसों मे नि:शुल्क यात्रा सुविधा**:– वर्ष 2016–17 में 52756 यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुयी तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2017 तक 39671 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

vii) **उत्तराखण्ड राज्य से निर्वाचित राज्यसभा एवं लोकसभा के वर्तमान एवं भूतपूर्व मा0 सदस्यों को निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा**:– वर्ष 2016–17 में मा0 सदस्यों द्वारा

1394 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2017 तक 3466 यात्राएं की गई।

viii) **उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधाः—** वर्ष 2016—17 में 126777 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2017 तक 86843 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

ix) **मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्राः—** की सुविधा वर्ष 2006 मे प्रारम्भ हुयी 2016—17 में मा0 सदस्यों द्वारा 20669 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2017 तक 15228 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

x) **ऑन लाईन बुकिंग की सुविधाः—** उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में ऑन लाईन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान की गयी है।

xi) **कम्प्यूटरीकरणः—** बस संचालन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस हेतु निगम के 21 डिपों तथा तीन डिविजनल कार्यालय एवं मुख्यालय को USWAN से जोड़ा जायेगा।

xii) उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टेशनों तथा बसों में **Co-branded Packaged Water** उपलब्ध कराया जा रहा है।

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग

16.17 परिवहन विभाग द्वारा विश्व प्रसिद्ध चार धाम, पावन तीर्थ हरिद्वार, ऋषिकेश, फूलों की घाटी, मसूरी एवं नैनीताल आने वाली यात्रियों को सुलभ एवं आराम दायक सुविधायें प्रदान करने के साथ ही दुर्घटना रहित सेवाऐं प्रदान करने हेतु उदारनीति से उत्तराखण्ड परिवहन निगम के साथ—साथ निजी यात्री एवं ठेका वाहनों को परमिट जारी किये जाते हैं।

16.18 निजी तथा व्यावसायिक वाहनः— राज्य में आन रोड़ संचालित वाहनों में निजी वाहनों की भागीदारी 90 प्रतिशत से अधिक तथा व्यावसायिक वाहनों की भागीदारी 10 प्रतिशत से कम रही है। अतः सड़क यातायात में वाहनों के बढते दबाव का मुख्य कारण निजी वाहनों का उच्च प्रवाह है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन के साधनों के विकास के द्वारा कम किया जा सकता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।

सार्वजनिक परिवहन के साधनों के प्रवाह में वृद्धि से न केवल ट्रैफिक जाम तथा दुर्घटनाओं में कमी आयेगी, अपितु तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को भी नियन्त्रित करने में सहायता मिलेगी। तालिका 16.6 में ऑन रोड वाहनों में निजी तथा व्यावसायिक वाहन की स्थिति तथा इनकी सापेक्षिक भागीदारी दी गई है।

तालिकाः 16.6

राज्य में निजी तथा व्यावसायिक वाहनों की स्थिति

वर्ष	निजी वाहन	व्यावसायिक वाहन	कुल वाहन	निजी वाहनों की प्रतिशतता	व्यावसायिक वाहनों की प्रतिशतता
2000-01	333433	30483	363916	91.62	8.38
2009-10	930820	81268	1012088	91.97	8.03
2016-17	2083313	168808	2252121	92.50	7.50
Dec-17	2077605	371342	2448947	84.84	15.16

16.19 परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्तियांः— राज्य गठन के समय परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्तियॉं मात्र ₹ 56.00 करोड़ थी, जो कर ढाचें में सरलीकरण एवं प्रभावी प्रवर्तन के कारण 10 गुना से अधिक से बढकर 2016—17 में ₹ 591.80 करोड़ हो गया। **परिवहन विभाग की वर्षवार राजस्व प्राप्तियां चार्ट सं0—16.3 में प्रदशित है।**

चार्ट संख्याः–16.3

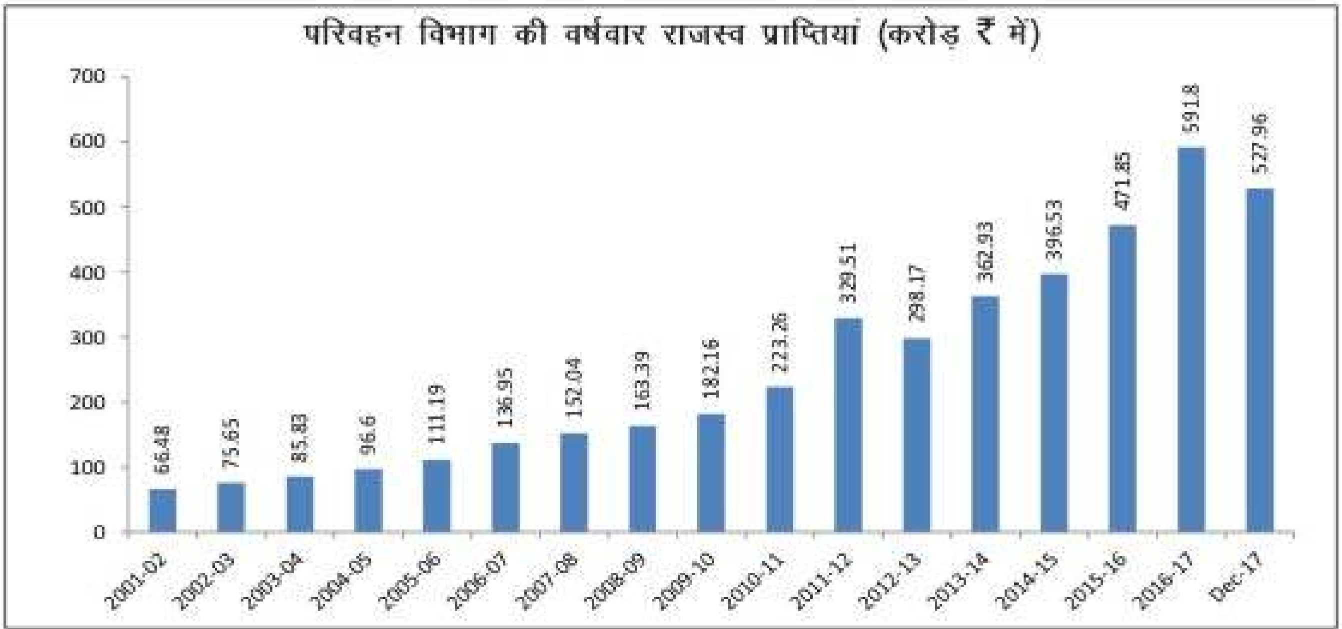

16.20 रोजगार सृजन– वीर चन्द्र सिंह गढवाली स्वरोजगार योजना तथा बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के आधार पर वाहन क्रय करने वाले लाभार्थियों को विभाग द्वारा उदार नीति से परमिट जारी किये जा रहे हैं। वर्ष 2016–17 में कुल 18316 नये परमिट जारी/नवीनीकरण किये गये है। चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर 2017 तक 15091 नये परमिट जारी/नवीनकरण किये गये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवकों को व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 40.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई तथा दिसम्बर 2017 तक 133 युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

16.21 प्रर्वतन सम्बन्धी कार्य– राज्य में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, रूड़की, पौडी, अल्मोड़ा, कोटद्वार, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, हल्द्वानी, उधमसिंहनगर, टनकपुर, पिथौरागढ, बागेश्वर, विकासनगर, नैनीताल, रामनगर एवं रानीखेत में प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं कर अपवंचना, मोटरयान कानूनों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सघन प्रवर्तन की कार्यवाही की गई है।

- प्रर्वतन दलो को और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने के उद्देश्य से विभाग के कार्यालयों/चैकपोस्टों/प्रर्वतन दलों को सहतंरग प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

- वर्ष 2016–17 में 889062 वाहनों को चैक कर 77085 वाहनों का चालान एवं 9317 वाहनों को थाने में निरूद्ध किया गया है। प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान कुल ₹ 1813.54 लाख प्रशमन शुल्क एवं ₹ 2147.81 लाख मार्ग पर करों के रूप में वसूल किया गया।

- चालू वर्ष 2017–18 के माह दिसम्बर–2017 तक 7,27,776 वाहनों को चैक कर 64,612 वाहनों का चालान एवं 6,245 वाहनों को थाने में निरूद्ध किया गया है।

- जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक बिना सीट बैल्ट/ हैलमेट के अभियोगों में परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 391667 चालान किये गये तथा 118568 अभियोगों में चालानों के प्रशमन के पूर्व काउंसलिंग प्रदान की गई।

• जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक सड़क यातायात के 5 अपराधों यथा– रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना तथा नशे की हालत में वाहन चलाना आदि के 59572 प्रकरणों में परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा चालान किये गये तथा 8482 प्रकरणों में लाईसेन्सों के विरूद्ध संस्तुतियां की गईं। वहीं समान अवधि में भार वाहनों में 6 अपराधों जिनमें सवारी ढोने सहित उक्त 5 अपराध शामिल हैं, के कुल 12362 प्रकरणों में लाईसेन्सों के विरूद्ध संस्तुतियों के सापेक्ष कुल 6650 प्रकरणों में कार्यवाई की गई जिनमें 6623 अनर्ह किये गये, 6 रिवॉक किये गये तथा 15 को चेतावनी जारी की गई।

16.22 सड़क दुर्घटना तथा सड़क सुरक्षा कार्य– उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की संवेदनशीलता मैदानी क्षेत्रों से अधिक है। **राज्य में सड़क दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील 120 स्थानों को ब्लैक स्पॉट (Black Spot) के रूप में चिह्नित किया गया है, जो 9 जनपदों–हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में अवस्थित हैं।** ब्लैक स्पॉटों का जनपदवार विवरण तालिका 16.7 में है। सुधारीकरण हेतु 26 ब्लैक स्पॉट लोक निर्माण विभाग, 33 ब्लैक स्पॉट लोक निर्माण विभाग एन0एच0 विंग, 60 ब्लैक स्पॉट एन0एच0ए0आई0 तथा 1 ब्लैक स्पॉट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है। चिह्नित 120 ब्लैक स्पॉटों में से दिसम्बर 2017 तक 17 ब्लैक स्पॉट सही कर दिये गये।

तालिका 16.7 चिह्नित ब्लैक स्पॉट व सुधार

जनपद का नाम	चिह्नित ब्लैक स्पॉट	दीर्घकालीन कार्य		
		अपेक्षित	पूर्ण	अवशेष
हरिद्वार	25	25	5	20
उधमसिंह नगर	28	28	8	20
नैनीताल	7	7	0	7
देहरादून	49	49	3	46
टिहरी	5	5	0	5
चमोली	2	2	0	2
पौडी	1	1	0	1
पिथौरागढ़	2	2	1	1
अल्मोड़ा	1	1	0	1
योग	**120**	**120**	**17**	**103**

16.23 सड़क दुर्घटनाएं, घायल एवं मृतको की संख्या तथा दुर्घटनाओं की तीव्रता (Severity):- वर्ष 2005 में राज्य में कुल 1332 सड़क दुर्घटनाओं में से 622 सड़क दुर्घटनाएं घातक थी जिनमें 868 व्यक्तियों की मृत्यु हुई 1841 व्यक्ति घायल हुये। पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में सड़क दुर्घटनाओं की तीव्रता अखिल भारतीय स्तर की अपेक्षा दो गुने से भी अधिक है। प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतको की संख्या को **दुर्घटनाओं की तीव्रता (Severity of Accidents)** कहते हैं। **तालिका सं0–16.8** में सड़क दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं में घायल एवं मृतको की संख्या तथा उत्तराखण्ड एवं अखिल भारतीय स्तर पर तीव्रता दुर्घटनाओं की तीव्रता को दर्शाया गया है तथा **चार्ट सं0–16.8** में उत्तराखण्ड तथा अखिल भारतीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं की सापेक्षिक स्थिति दशाई गई है।

तालिका 16.8

सड़क दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं में घायल एवं मृतको की संख्या तथा तीव्रता दुर्घटनाओं की तीव्रता

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या		उत्तराखण्ड में दुर्घटनाओं की तीव्रता (Severity of Accidents)	अखिल भारतीय स्तर पर दुर्घटनाओं की तीव्रता (Severity of Accidents)
	कुल	घातक दुर्घटनाएं एवं प्रतिशत	मृत	घायल		
2005	1332	622 (46.69)	868	1841	65	22
2006	1461	758 (51.88)	975	1910	67	23
2007	1529	773 (50.55)	992	1979	65	24
2008	1417	717 (50.59)	1073	1765	76	25
2009	1401	676 (48.25)	852	1784	61	26
2010	1493	740 (49.56)	931	1656	62	27
2011	1508	726 (48.14)	937	1712	62	29
2012	1472	686 (46.60)	844	1577	57	28
2013	1297	642 (49.50)	766	1503	59	28
2014	1410	713 (50.56)	878	1531	62	29
2015	1523	765 (50.22)	913	1657	60	29
2016	1591	801 (50.34)	962	1735	60	31

Source: MoRTH ***Accident Severity : Number of persons killed per 100 accidents.***

चार्ट संख्या 16.4

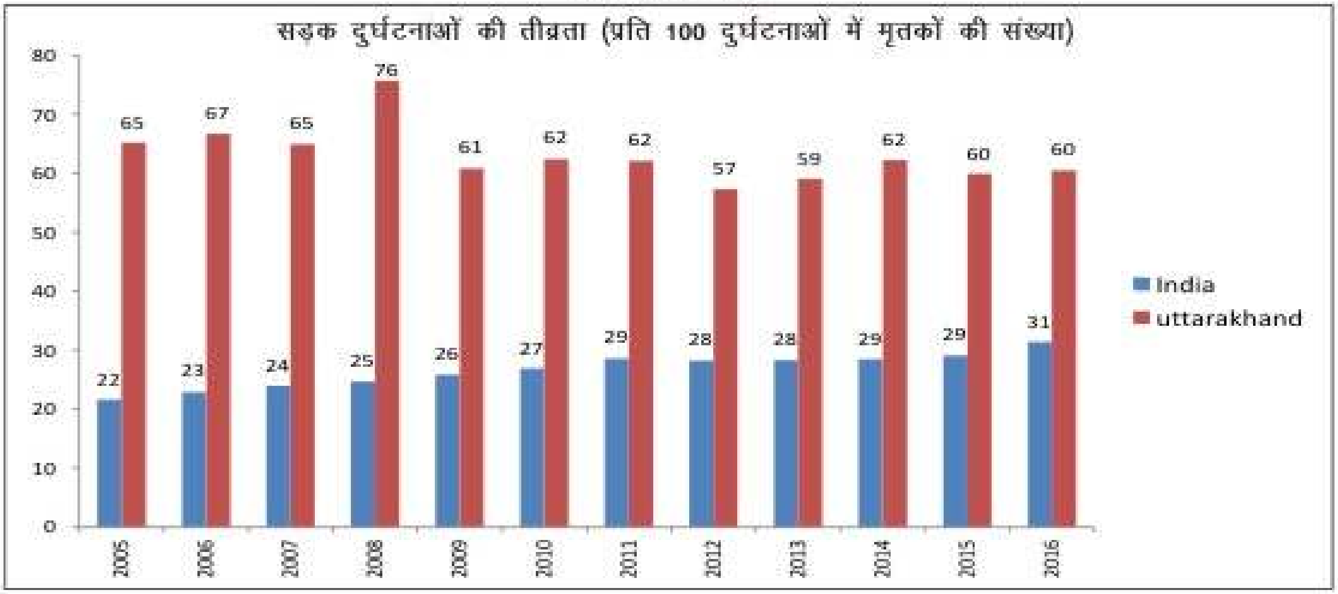

16.24 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना नियन्त्रण के उपायः– सार्वजनिक सेवायानों के द्वारा सड़क दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु **''सड़क दुर्घटना राहत निधि''** का गठित की गई। जिसमें मृत व्यक्ति के आश्रितों को एक लाख, गम्भीर घायल को ₹ 40.00 हजार एवं साधारण घायल को ₹ 10 हजार की आर्थिक सहायता जिलाधिकारी स्तर से दी जाती है। दुर्घटना में मृतकों एवं घायलों हेतु वर्ष 2016–17 में ₹ 115.67 लाख की धनराशि तथा वर्ष 2017–18 (माह दिसम्बर, 2017 तक) ₹ 93.48 लाख की धनराशि दुर्घटना प्रभावित व्यक्तियों को वितरित करने हेतु आवंटित की जा चुकी है। आर्थिक सहायता को और सरल बनाये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा 10–07–2017 को उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की उपविधि–2017 जारी की गयी है।

- मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु समिति तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी का गठन किया गया है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सुरक्षा समितियों का गठित हैं। राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्राख्यापित की गई।

• उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम में संशोधन करते हुए दोपहिया वाहनों पर पिछली सीट पर बैठने वाले के लिये भी हैल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया। सड़क सुरक्षा के कार्यो को प्रभावी ढंग से कियान्वयन हेतु ''सड़क सुरक्षा कोष'' गठित।

• सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत जनसामान्य की जागरूकता हेतु रैली/विडियो क्लिप/निबन्ध प्रतियोगिता /चिकित्सा कार्यक्रम/ स्कूलों के बच्चों को सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी आदि का आयोजन किया जा रहा है।

• सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी हेतु विभाग स्तर पर पृथक से वैब पेज व फेसबुक पेज बनाया गया है।

• राज्य के अर्न्तगत चालक लाईसेंस जारी करने सम्बन्धी कार्य में गुणवत्ता विकास के दृष्टिगत सभी मोटर ड्राईविंग ट्रैनिंग स्कूलों में चालकों की परीक्षा हेतु सिमुलेटर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

16.25 चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण:– राज्य में चालकों की दक्षता में कमी से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु लगभग ₹ 8.00 करोड़ की लागत से देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है जिसका संचालन मैसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में निजी क्षेत्र में 60 चालक प्रशिक्षण संचालित/स्थापित है। जिनमें से 12 चालक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

• परिवहन कार्यालय में शिक्षार्थी लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा देहरादून एवं पौड़ी में कम्प्यूटर के माध्यम कराया जाना प्रारम्भ हो गया है।

• वाहन चालकों को पहाड़ी मार्गो में वाहन चलाने की दृष्टि से कुशल बनाने हेतु चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझरा, देहरादून में हिल ट्रैक के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

रोड ट्रान्सपोर्ट एवं पब्लिक सेफ्टी विधेयक

भारत में माल तथा यात्रियों के सुरक्षित, त्वरित, लागत प्रभावी, सतत तथा समावेशी आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए **मोटर वेहिकल (संशोधन)** बिल को केन्दीय कैबिनेट ने अगस्त 2016 में की मंजूरी दी। संसद के शीतकालीन सत्र 2017 में यह बिल लोक सभा से पास हो गया तथा राज्य सभा के समक्ष विचाराधीन है। बिल में सड़क सुरक्षा के लिए इनोवेटिव वित्तीय प्रणाली की व्यवस्था होगी जो वाहन दुर्घटना मौतों को कम करने मे सहायक होगी, वाहनो की डिजाइन में सुधार के लिए नई तकनीकों व मानको के उपयोग को बढ़ावा देने, ड्राइविंग लाईसेन्स तथा वाहन के पंजीयन में एकरूपता लाने, शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुरक्षा तकनीकों से युक्त इलेक्ट्रानिक इन्फोर्समेन्ट की व्यवस्था, मोटर एक्सीडेन्ट कोष का सृजन जो पीडितों को त्वरित राहत का कार्य करेगा, सड़क यातायात में सार्वजनिक ट्रान्सपोर्ट का अंश बढ़ाने हेतु सार्वजनिक ट्रान्सपोर्ट का विकास व नियमन, टू–टीयर परमिट सिस्टम–राष्ट्रीय तथा अन्तःराज्यीय परमिट की व्यवस्था आदि के प्रावधान इस बिल में हैं।

16.26 चालक प्रशिक्षण संस्थान:– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड के हल्द्वानी में ₹ 17.00 करोड़ की लागत से चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य में किसी वाहन निर्माता को सम्मिलित करने की अपेक्षानुसार राज्य मैसर्स टाटा मोटर्स को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। हल्द्वानी में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु लगभग 8 हैक्टेयर वन भूमि परिवहन विभाग को मिल गयी है तथा चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 10.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया।

16.27 ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन:– राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के निर्देशानुसार वाहनों की तकनीकी जांच कड़ाई से किये जाने तथा वाहनों की फिटनेस में गुणात्मक सुधार हेतु देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं ऋषिकेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना के निर्देश दिये गये हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,

भारत सरकार के अधिकतम ₹ 14.40 करोड़ की धनराशि के सहयोग से राज्यों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन (Inspection and Certification Centre) की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पायलट परियोजना हेतु ऋषिकेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के निर्माण का प्रस्तावित है। योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के उपक्रम आई0कैट, मानेसर, गुड़गांव को योजना में सम्मिलित किया गया है।

16.28 सिमुलेटर क्रयः– राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के चालक लाईसेंस जारी करने सम्बन्धी कार्य में गुणवत्ता विकास के दृष्टिगत सभी परिवहन कार्यालयों में चालको की परीक्षा हेतु सिमुलेटर्स स्थापित किये जाने के निर्देश के कम में 2015–16 में देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी एवं उधमसिंह नगर में तथा वर्ष 2016–17 में विकासनगर, रूड़की, पौड़ी, काशीपुर, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा कार्यालयों हेतु सिमुलेटर्स क्रय कर स्थापित किये गये हैं। 2017–18 में अवशेष 08 कार्यालयों हेतु सिमुलेटर्स क्रय किये जाने हेतु ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

• सितम्बर 2017 में समस्त परिवहन यानों में गति नियन्त्रक लगाये जाने की अधिसूचना जारी।

16.29 कम्प्यूटरीकरणः–

1– विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जनता को त्रुटिरहित एवं त्वरित सेवा प्रदान कराने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 में विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना बनायी गयी।

2– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा एन0आई0सी0 द्वारा परिवहन विभाग के कार्यों को 02 सॉफ्टवेयर 'वाहन' (वाहनों का पंजीयन सम्बन्धी कार्य) एवं 'सारथी' (चालक लाईसेंस सम्बन्धी कार्य) में विभक्त किया गया है। राज्य में वर्ष 2003 पायलट प्राजेक्ट के रूप में देहरादून वाहनों का पंजीयन तथा परमिट जारी करने सम्बन्धी कार्य कम्प्यूटराईज्ड प्रारम्भ हुआ।

3– एनआईसी एवं राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से वर्ष 2006–07 से 2010–11 के मध्य सभी 15 संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करते हुए 'वाहन' एवं 'सारथी' के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया गया। 04 नवसृजित कार्यालय (विकासनगर, रूड़की, काशीपुर एवं रामनगर) का कम्प्यूटरीकरण वर्ष 2014–15 में करते हुए इन कार्यालयों में भी कम्प्यूटर के माध्यम से कार्य प्रारम्भ किया गया।

4– 20 दिसम्बर 2017 से राज्य में पी0वी0सी0 कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं चालक लाईसेन्स बनाना प्रारम्भ किया गया।

5– परिवहन विभाग की आशारोड़ी चैकपोस्ट का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

16.30 केन्द्रीयकृत सर्वर आधारित सॉफ्टवेयरः–

1– परिवहन विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीयकृत सर्वर आधारित योजना से जोड़े जाने एवं वाहन स्वामियों/आवेदकों को परिवहन विभाग की ऑनलाईन सेवा प्रदान करने के दृष्टिगत राज्य के 15 परिवहन कार्यालयों को स्वॉन परियोजना से जोड़ा जा चुका है।

2– केन्द्रीकृत सर्वर आधारित वर्जन 'वाहन 4.0' एवं 'सारथी 4.0' में उच्चीकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में 'वाहन 4.0' का संचालन करने हेतु पायलेट साईट के रूप में चयन किया गया। वर्तमान समय में राज्य के समस्त संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में रोलआउट कर दिया गया है। 'वाहन 4.0' की भांति चालक लाईसेंस से सम्बन्धित केन्द्रीयकृत सर्वर आधारित 'सारथी 4.0' को 13 परिवहन कार्यालयों में लागू किया गया है।

16.31 ऑनलाईन सेवायें–

1– उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रदेश से आनी वाली व्यवसायिक वाहनों को ऑन–लाईन कर भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है।

2– 'वाहन 4.0' सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों को ऑन–लाईन कर भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी है। उक्त सुविधा के माध्यम से वाहन स्वामी कभी भी, कहीं भी के आधार पर अपनी वाहन का ऑनलाईन कर जमा करा सकता है।

3– नई वाहनों के पंजीयन में आवेदकों को परिवहन कार्यालय में बार–बार आने से छूट प्रदान करने एवं ऑनलाईन कर भुगतान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से पायलेट परियोजना के रूप में प्रदेश के सभी कार्यालयों में ऑनलाईन डीलर प्वाईट डाटा एन्ट्री/कर भुगतान की सुविधा प्रारम्भ की गयी है।

4– 'सारथी 4.0' सॉफ्टवेयर के माध्यम निम्नलिखित सेवायें ऑनलाईन प्रदान की गयी है:–

- शिक्षार्थी लाईसेंस आवेदन, प्रमाण–पत्र अपलोड, शुल्क भुगतान एवं स्लॉट बुकिंग।
- स्थायी लाईसेंस आवेदन, शुल्क भुगतान एवं स्लॉट बुकिंग।
- लाईसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं शुल्क भुगतान।
- लाईसेंस की द्वितीय प्रति हेतु आवेदन एवं शुल्क भुगतान।
- लाईसेंस में पते के परिवर्तन हेतु आवेदन एवं शुल्क भुगतान।

5– भार वाहनों को नेशनल परमिट नेशनल पोर्टल के माध्यम से जारी किये जा रहे है।

6– आकर्षक पंजीयन नम्बर की ऑनलाईन बुकिंग/नीलामी हेतु ऑनलाईन भुगतान व्यवस्था लागू।

7– उत्तराखण्ड राज्य में परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 20–12–2017 से ई–चालान व्यवस्था प्रारम्भ।

8– 16 अक्टूबर 2017 से सभी परिवहन कार्यालयों में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/डीलर प्वॉईन्ट डाटा एन्ट्री प्रारम्भ।

9– जनमानस वाहनों के पंजीयन तथा लाईसेंस की सीमित जानकारी हेतु एस0एम0एस0 सुविधा प्रारम्भ की गई है जिनके माध्यम से वाहन/लाईसेंस के सम्बन्ध में सीमित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

'वाहन 4.0' सॉफ्टवेयर पर प्रस्तावित ऑन–लाईन सेवायें:–

1. ऑन–लाईन स्वामित्व हस्तान्तरण आवेदन।
2. ऑन–लाईन एडवांस नंबर बुकिंग।
3. ऑन–लाईन फाईनेंस (एच0पी0ए0) पृष्ठांकन निरस्तीकरण आवेदन।
4. ऑन–लाईन डुप्लीकेट आर0सी0।
5. ऑन–लाईन एन0ओ0सी0।
6. ऑन–लाईन कर भुगतान।

रेल यातायात

16.32 पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में रेलवे का विकास अपेक्षकृत बहुत कम हुआ है। राज्य में रेलवे लाईन की लम्बाई 345 किमी0 है जिसमें 284 किमी0 बड़ी लाईने तथा 61 किमी छोटी लाइने हैं तथा 41 रेलवे स्टेशन/ हाल्ट हैं। भारतीय रेलवे की वार्षिकी 2015–16 के अनुसार उत्तराखण्ड में रेलवे रूट की लम्बाई 340 किमी, चालू रेल पथ **(Running Track)** 400 किमी0 तथा कुल रेल पथ **(Total Track)** 509 किमी0 है। प्रदेश में रेलवे यातायात को बढाने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार प्रयासरत हैं। वर्तमान में **ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना** का सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है। परियोजना का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा 2018 में प्रारम्भ किया कर दिया जायेगा। इसके तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125.09 किमी0 की रेल लाईन का निर्माण किया जायेगा जिसमें 16 सुरंगें तथा 16 रेलवे पुल बनाये जायेगें।

डाक तथा संचार सेवायें

16.33 21वीं सदी के प्रारम्भ से ही सूचना प्रद्योगिकी एवं संचार तकनीकों के क्षेत्र में क्रान्तिकारी विकास हुआ है। वर्ष 2001–01 में उत्तराखण्ड में 2697 डाकघर, 6102 पी0सी0ओ0 तथा 261930 टेलीफोन (डब्ल्यू0 एल0 एल0 सहित) थे। सूचना तथा संचार की आधुनिक तकनीकों मोबाईल तथा इन्टरनेट के क्षेत्र में क्रान्तिकारी प्रसार के कारण डाकघर, पी0सी0ओ0 तथा बेसफोन आदि परम्परागत साधनों के उपयोग में कमी आई है तथापि 2016–17 में उत्तराखण्ड में 2722 डाकघर, 439 दूरभाष केन्द्र तथा 1382 सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं। 2004–05 में राज्य में 389929 डब्ल्यू0एल0एल0 सहित दूरभाष संयोजन तथा 131825 बी0एस0एन0एल0 के मोबाईल फोन कार्यरत थे। 31 मार्च 2017 तक राज्य में 116308 डब्ल्यू0एल0एल0 सहित दूरभाष संयोजन तथा 1284337 बी0एस0एन0एल0 के मोबाईल फोन कार्यरत हैं।

अध्याय–17

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

Tourism & Civil Aviation

17.1 सामान्य विवरणः– हिमालय के नयनाभिराम अलौकिक सौन्दर्य एवं शीतलता से अभिभूत, "देवभूमि" उत्तराखण्ड, अनादिकाल से ही देश–विदेश के पर्यटकों/यात्रियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करता आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम श्री बद्रीनाथ– केदारनाथ– गंगोत्री– यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड– लोकपाल, नानकमत्ता, मीठा– रीठा साहिब एवं पिरान कलियर नामक विभिन्न धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थलों से युक्त इस प्रदेश में पर्यटन की प्रमुख विधा, तीर्थाटन, प्राचीन काल से ही प्रभावी रही है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को देखते हुए पर्यटन उद्योग को राज्य के आर्थिक विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रुप में पहचान बनी है, क्योंकि पर्यटन को भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रुप में देखा जा रहा है। **राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2017–18 में पर्यटन क्षेत्र, जिसमें ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेन्ट को सम्मिलित करते हुए कुल योगदान लगभग 13.57 प्रतिशत है।** प्रदेश में होने वाली समस्त प्रकार की पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश में पर्यटन विकास परिषद की स्थापना की गई है। पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिक उन्नयन की दिशा में पर्यटन अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है।

17.2 उत्तराखण्ड में प्रमुख पर्यटक स्थलों में आये पर्यटकों (तीर्थ यात्रियों सहित) का वर्षवार विवरणः– उत्तराखण्ड में वर्ष 2002 से वर्ष 2017 तक प्रमुख पर्यटक स्थलों में आये भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों (तीर्थ यात्रियों सहित) की संख्या का अवलोकन निम्न चार्ट में किया जा सकता हैः–

चार्ट संख्या 17.1

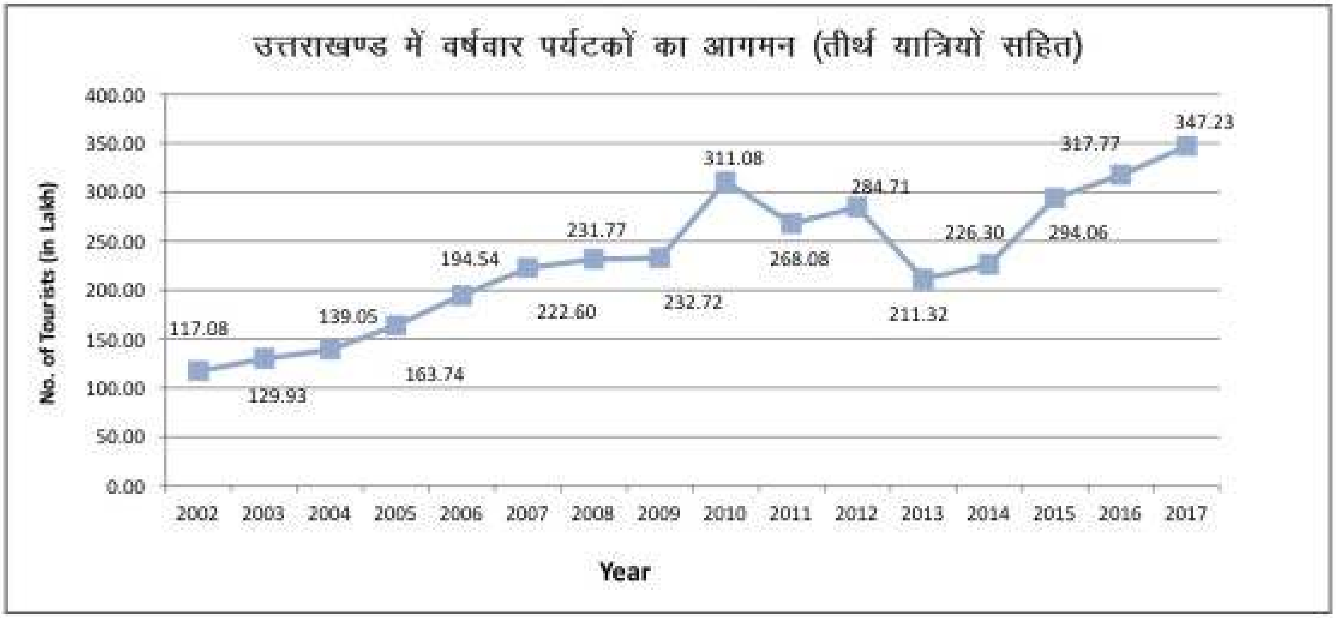

उपरोक्त चार्ट में वर्ष 2002 से वर्ष 2017 तक उत्तराखण्ड में आये हुए पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्वि हुयी है। किन्तु वर्ष 2011 एवं 2013 में उत्तराखण्ड में आये पर्यटकों की संख्या में गत वर्षों की तुलना में कमी आयी है। जहाँ वर्ष 2002 में **117.08 लाख** पर्यटक उत्तराखण्ड आये, वहीं वर्ष 2017 में यह संख्या **347.23 लाख** रही। इस प्रकार वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2017 में आये

पर्यटकों की संख्या में **196.57 प्रतिशत वृद्धि** हुयी है।

17.3 सतत् विकास लक्ष्यः– राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत् विकास लक्ष्यों को 2030 तक विभिन्न चरणों में पूर्ण करने हेतु भी बजट में यथावश्यक प्रावधान किये जा रहे हैं।

> सतत विकास के लक्ष्य सं0– 8 पर्यटन के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देने की प्राप्ति के लिए पर्यटन विभाग द्वारा रोजगार सृजन एवं लोक संस्कृति एवं उत्पाद उन्नयन योजनायें– वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (व्यक्तिगत श्रेणी), अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना संचालित की जा रही हैं।

यद्यपि पर्यटन के अन्तर्गत लगभग सभी सतत विकास लक्ष्यों– (एस0डी0जी0) को कवर कर रहा है तथापि पर्यटन विकास हेतु **एस0डी0जी0–8** एवं **एस0डी0जी0–12** विशेष रूप से संबन्धित है।

> सतत विकास के लक्ष्य सं0–12 में स्थायी खपत एवं उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने के अन्तर्गत सतत पर्यटन अपनाकर आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक परिणाम प्राप्त करना, ईको लाग हट्स की स्थापना, होम स्टे योजना के माध्यम से ग्रामीणों को पर्यटन से जोड़ना, पलायन को रोककर ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाना, पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत स्वच्छता तथा अवशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया जा रहा है।

पर्यटन विभाग को वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में आवंटित एवं व्यय धनराशि का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:–

तालिका सं0–17.1 पर्यटन विभाग को आवंटित एवं व्यय धनराशि (लाख ₹ में)

सैक्टर का नाम	वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18		
	शासन से आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	शासन से आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
जिला सैक्टर	1196.96	1127.73	94.22	1121.66	754.44	72.64
राज्य सैक्टर	655.27	521.04	79.52	515.20	422.83	82.07
केन्द्र पोषित	2234.42	2234.42	100.00	2518.68	1257.25	49.92
बाह्य सहायतित	312.43	312.43	100.00	324.15	324.15	100.00
योग	**4399.08**	**4195.62**	**95.37**	**4479.69**	**2758.67**	**61.58**

17.4 पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP से प्रतिशतः— वर्ष 2004—05 से 2017—18 तक वर्षवार पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP से प्रतिशत के निम्न चार्ट के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वर्ष 2004—05 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.67 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2017—18 में घटकर 0.28 ही रह गया है। यदि पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ ड्राईवर बनाना है तो पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय में वृद्धि करनी होगी।

Chart No-17.2 Percentage Tourism Share w.r. to Total Budget & GSDP

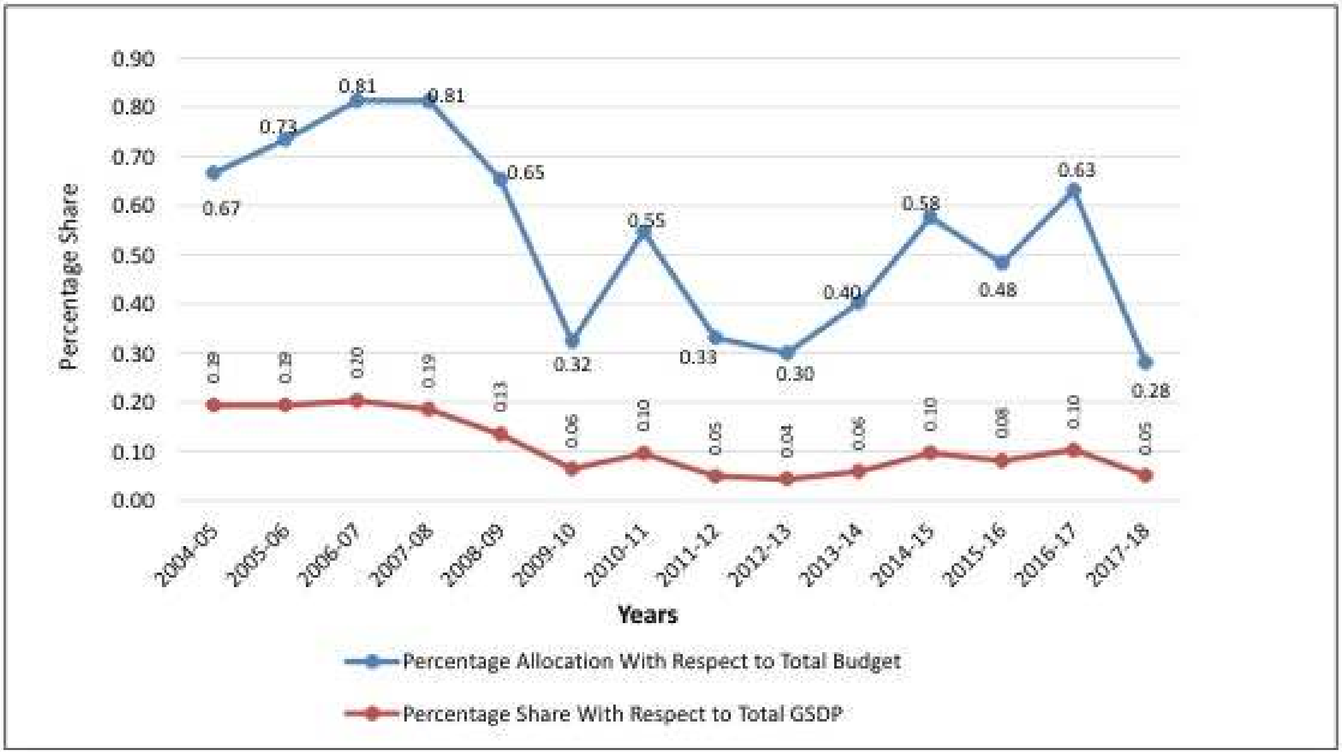

17.5 उत्तराखण्ड में पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधायें:— उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा सरकार पर्यटन अधोसरंचना के विकास के लिए लगातार प्रयासरत् है तथा जिसमें जन उपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्तमान में राज्य में **143724** बिस्तरों की क्षमता के **4813** निजी होटल/ पेइंग गेस्ट हाऊस एवं **147437** बिस्तरों की क्षमता के **886** धर्मशाला, गुरुद्वारा/आश्रम पंजीकृत हैं तथा **2315** बिस्तरों की क्षमता के **332** पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों के रेस्ट हाऊस/गैस्ट हाऊस एवं **7709** बिस्तरों की क्षमता के **208** (पर्यटक आवास गृह, रैन बसेरा, जनता यात्री निवास व एफ0आर0पी0 हट्स) पंजीकृत हैं। साथ ही विभिन्न पर्यटक स्थलों में ***होम स्टे*** की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक पर्यटन सहित अन्य पर्यटन अवयवों को शामिल करने के साथ—साथ पर्यटन क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के त्वरित एवं समेकित विकास हेतु निम्नलिखित विभागीय कार्यकलाप संचालित किये जा रहे हैं:—

17.6 अवस्थापना सुविधाओं का विकासः— भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित "स्वदेश दर्शन" योजनान्तर्गत टिहरी झील एवं आस—पास के क्षेत्रों का नये पर्यटन गन्तव्य के रूप में समेकित पर्यटन विकास के लिये ₹ **8037.34** लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका लगभग **60 प्रतिशत** कार्य पूर्ण हो चुका है।

पर्यटन विभाग के अभिनव प्रयास

1– भारत सरकार की **"प्रसाद"** योजनान्तर्गत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के समेकित विकास के लिये **₹ 3478.48 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस योजना में मुख्य रूप से रूद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्तमुनि, गुप्तकाशी, ऊखीमठ में पार्किंग सुविधा सृजित की जानी है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में बद्रीनाथ का पर्यटन विकास किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा **₹ 39.24 करोड़** की धनराशि स्वीकृत किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है।

2– "स्वदेश दर्शन" योजना के अन्तर्गत ***महाभारत सर्किट*** विकसित किये जाने हेतु **₹ 97.70 करोड़** का कन्सेप्ट नोट पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में प्रस्तुत किया जा चुका है।

3– अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापनाः– राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश (आई0डी0पी0एल0) में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव है।

कुमाँऊ क्षेत्र में **कटारमल– जागेश्वर–बैजनाथ तथा देवीधुरा** का **हैरिटेज सर्किट** के रूप में समेकित पर्यटन विकास एवं हैरिटेज सम्पत्तियों के संरक्षण, संवर्द्धन हेतु भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा ₹ 8193.71 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन योजनाओं पर भी कार्य गतिमान है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैवल मार्ट यथा– आई0टी0बी0 बर्लिन, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (WTM-LONDON) लंदन, अरेबियन ट्रैवल मार्केट (ATM-DUBAI) दुबई, PATA (Pacific Asia Travel Association) आदि में पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिभागिता की जाती है।

विश्व प्रसिद्ध चारधाम श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ–गंगोत्री–यमुनोत्री योजना के तहत चार धाम मार्गो पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017–18 में **₹ 152.71** लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष 30 नवम्बर, 2017 तक **₹ 133.33 लाख** की धनराशि उपभोग की जा चुकी है।

17.7 धार्मिक पर्यटनः– चार धाम यात्रा एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा में वर्ष 2016 में कुल 1510768 घरेलू पर्यटक एवं कुल 2777 विदेशी पर्यटक आये, जबकि वर्ष 2017 में यह संख्या क्रमशः 2403881 एवं 2167 रही।

17.8 पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धिः– पर्यटन सेक्टर की विभिन्न योजनाओं को लोक–निजी–सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड में) संचालित करने की कार्यवाही गतिमान है। पी0पी0पी0 मोड में कद्दूखाल से सुरकण्डा देवी, ठुलीगाड से पूर्णागिरी, जानकी चट्टी–यमुनोत्री तथा घांघरिया से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशकों का चयन किया जा चुका है।

तालिका सं0– 17.2

क्र0 सं0	योजना का नाम	आवंटन का वर्ष	अनुमानित लागत ₹	लम्बाई
1	ठुलीगाड से पूर्णागिरी रोप–वे परियोजना (चम्पावत)	2012	35.00 करोड़	903 मी0
2	कद्दूखाल से सुरकण्डा देवी रोप–वे परियोजना। (टिहरी गढवाल)	2013	5.00 करोड़	502 मी0
3	घांघरिया से हेमकुण्ड साहिब (चमोली)	2016	50.00 करोड़	2.00 कि0मी0

17.9 मानव संसाधन का विकास:– मानव संसाधन के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा जनपद देहरादून एवं अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेण्ट एवं कैटरिंग संस्थान स्थापित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में जी0 आई0 एच0 एम0 टिहरी द्वारा **37** युवक/युवतियों, जी0आई0एच0 एम0 अल्मोड़ा द्वारा **108** एवं जी0 आई0 एच0 एम0 देहरादून द्वारा **161** युवक/युवतियो को तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में जी0 आई0 एच0 एम0 टिहरी द्वारा **56** युवक/युवतियों, जी0 आई0 एच0 एम0 अल्मोड़ा द्वारा **109** एवं जी0 आई0 एच0 एम0 देहरादून द्वारा **162** युवक /युवतियों को होटल प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 से राजकीय होटल मैनेजमेण्ट संस्थान, टिहरी का शुभारम्भ किया गया, जिसमें **4** वर्षीय डिग्री कोर्स संचालित कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल **30** सीटों के सापेक्ष **19** छात्रों को प्रवेश दिया गया है। उपरोक्त होटल मैनेजमेण्ट संस्थान के अतिरिक्त भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से फूड क्रॉफ्ट संस्थान, अल्मोड़ा एवं होटल प्रबन्धन संस्थान, रामनगर की स्थापना की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आई0आई0टी0टी0एम0 के माध्यम से **122** टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जिसके सापेक्ष **₹ 10.10 लाख** की धनराशि व्यय की गयी है।

नई टिहरी में होटल मैनेजमैन्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में **₹ 200.00 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गई है।

17.10 प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन विपणन:– पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रचार माध्यम के तहत वर्ष 2016–17 में **₹ 730.24 लाख** धनराशि व्यय की गयी, जबकि वर्ष 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक **₹ 524.71 लाख** की धनराशि व्यय की गयी है।

इसके साथ ही गंगा क्याक महोत्सव, ऋषिकेश माह फरवरी, 2018 तथा पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता मार्च, 2018 में प्रस्तावित है।

17.11 मनोरंजक पर्यटन का विकास:– राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन होटल, रिसॉर्ट्स, मनोरंजन पार्क, स्पा, रोपवे आदि में निवेश की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं। ट्रैकिंग मार्गों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जनपद उत्तरकाशी में ओसला सीमा से मदूडी/बयांताल ट्रैक मार्ग का जीर्णोद्धार, उत्तरकाशी में हरकी दून से मनिडा ताल ट्रैक मार्ग, विकासखण्ड भिलंगना से मासर ताल महिडाण्डा तक ट्रैकिंग मार्ग, भिलंगना के बूढ़ाकेदार से मासरताल ट्रैकिंग मार्ग के लिए वर्ष 2017–18 हेतु **₹ 23.17 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके सापेक्ष **₹ 23.17 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

17.12 पं0 दीनदयाल मातृ–पितृ तीर्थाटन योजना:– मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का नाम बदलकर पं0 दीनदयाल मातृ–पितृ तीर्थाटन योजना कर दिया गया है। इस योजना का शुभारम्भ 25 सितम्बर, 2014 से हुआ। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु गंगोत्री धाम एवं बद्रीनाथ धाम की निःशुल्क यात्रा प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2016–17 में राज्य के 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम के अतिरिक्त रीठा–मीठा साहिब, नानकमत्ता एवं हजरत निजामुद्दीन औलिया की निःशुल्क यात्रा भी करायी गयी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में इस योजना का विस्तार करते हुये कलियर शरीफ (हरिद्वार), ताड़केश्वर (पौड़ी), कालीमठ (रूद्रप्रयाग), जागेश्वर (अल्मोड़ा), गैराड गोलू (बागेश्वर), बैजनाथ (बागेश्वर), गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) आदि को भी सम्मिलित किया गया है। इस योजना हेतु गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल विकास निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है।

योजना के अन्तर्गत दिनांक 25 सितम्बर, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक कुल **12343 यात्रियों** द्वारा यात्रा की जा चुकी है। योजना हेतु वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत **₹ 124.69 लाख** धनराशि स्वीकृत की गई, जबकि 2017–18 के दौरान **₹ 250.00 लाख**

की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष जनवरी, 2018 तक **₹ 45.52 लाख** की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

17.13 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना:– उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों एवं मुख्य रूप से युवावर्ग को पर्यटन सैक्टर से अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड की प्रथम स्वरोजगार योजना *"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना"* का प्रारम्भ 01 जून, 2002 को किया गया। इस योजना में बस/टैक्सी परिवहन सुविधाओं का विकास, मोटर गैराज/वर्कशाप निर्माण, फास्टफूड सैन्टर्स की स्थापना, साधना कुटीर/योग ध्यान केन्द्रों की स्थापना, मोटलनुमा आवासीय सुविधाओं की स्थापना/होटल/पेंइग गेस्ट योजना, स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना, साहसिक क्रियाकलापों हेतु उपकरणों का क्रय, पी.सी.ओ. सुविधायुक्त आधुनिक पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना तथा टैन्टेज आवासीय सुविधाओं के विकास तथा क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप किसी पर्यटन अभिनव परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है।इस योजना के तहत वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत **₹ 480.00 लाख** धनराशि स्वीकृत की गई, जबकि 2017–18 के दौरान **₹ 780.00 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत जनवरी , 2018 तक सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के कुल **143** उद्यमियों/बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया है। योजनारम्भ से जनवरी , 2018 तक इस योजना का लाभ **5931** आवेदकों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है।

> वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाते हुये इसमें कतिपय अन्य पर्यटन व्यवसायों यथा – Moutain Terrain Bike, कैरेवन टूरिज्म, एंगलिंग उपकरणों का क्रय, एस्ट्रोनॉमी पर्यटन व्यवसास, आधुनिक सुविधायुक्त पर्यटक सूचना केन्द्र को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है।

17.14 अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना:–योजनारम्भ से दिसम्बर, 2017 तक इस योजना के अन्तर्गत **285** आवासीय इकाईयाँ पंजीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें **205** ग्रामीण क्षेत्रों तथा **80** शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत हैं तथा इनमें क्रमशः **797** कक्ष (**1595** शैय्यायें) तथा **356** कक्ष (**738** शैय्यायें) उपलब्ध हैं।

> अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना की मार्केटिंग की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा देश की सुविख्यात कम्पनियों यथा ओरावेल स्टे प्रा0लि0, त्रि हरि इन्टरप्राईजेज तथा Yatra Online Pvt. Ltd. के साथ अनुबंध किया गया है।

> राज्य सरकार द्वारा होम स्टे को व्यापक रुप से विस्तारित करने हेतु होम स्टे पॉलिसी अपनायी जा रही है। राज्य सरकार इसे आजीविका से जोड़ने की योजना पर कार्य कर रही है तथा सभी परिवारों को पर्यटन से जोड़ने का खाका प्रस्तुत किया जा रहा है। अवस्थापना विकास हेतु Branding, Marketing, Trading आदि की भी समुचित व्यवस्था की जायेगी।

> **पं0 दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना** के तहत पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं इसमें जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु गाँवों में विजन 2020 के अन्तर्गत 5000 होम स्टे बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

17.15 उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना:– ग्रामीण क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को ग्रामीण परिवेश में परिलक्षित करने तथा ग्रामों में बसने वाले समुदायों की वित्तीय, सामाजिक तथा आर्थिक अवधारणा को जागृत कर पर्यटकों एवं ग्रामीणों के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए ग्रामों में रोजगार सृजन के लिये उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना प्रारम्भ की गई है।

- **व्यक्तिगत**:–उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना व्यक्तिगत श्रेणी के अन्तर्गत होम स्टे निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत कर **4 लाभार्थियों** को लाभान्वित किया गया है।

व्यक्तिगत श्रेणी में होम स्टे स्थापित करने के लिये अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। इस श्रेणी में **₹ 100.00 लाख** की धनराशि जनपदों में वितरित की गई है।

एकल ग्राम:– इसके अन्तर्गत चयनित ग्रामों में स्थलीय विकास किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान में **3** ग्रामों को चयनित किया गया है। **जिनमें से प्रथम मावड़ा, जिला अल्मोड़ा, द्वितीय बंगलो की कांडी, जिला टिहरी गढवाल तथा तृतीय सौड़, जिला टिहरी गढवाल में अवस्थित हैं।**

एकल ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2016–17 में **₹ 16.67 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी। जबकि 2017–18 के दौरान **₹ 50.00 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसे सम्बन्धित को वितरित किया गया है।

17.16 साहसिक पर्यटनः– साहसिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां अब उत्तराखण्ड के युवाओं के लिये रोजगार का सशक्त माध्यम बनती जा रही हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में स्थानीय युवाओं को टिहरी झील में राफ्टिंग, स्कीईंग, ट्रैकिंग, क्याकिंग, नौकायन, पर्वतारोहण माउण्टेन बाइकिंग, एडवेंचर कार रैली, बंजी जम्पिंग, पैरासेलिंग व पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। प्रदेश में वर्ष भर बहने वाली उत्तराखण्ड की नदियों में साहसिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत गंगा नदी में दिसम्बर, 2017 तक कुल 262 रिवर राफ्टिंग फर्मो को 576 राफ्टों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

17.17 आध्यात्मिक पर्यटनः– उत्तराखण्ड के तीर्थस्थल ऋषिकेश, जिसे योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, में प्रत्येक वर्ष 01 से 07 मार्च तक **अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव** का आयोजन किया जाता है। *ऋषिकेश, हरिद्वार और जागेश्वर धाम* में योग महोत्सव के आयोजन हेतु वर्ष 2016–17 में **₹ 50.00 लाख** की धनराशि एवं वर्ष 2017–18 में **₹ 70.00 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु पॉलिसी में बदलाव करने का प्रस्ताव

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु शासन स्तर पर पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु **एम0एस0एम0ई0** (*Micro, Small & Medium Enterprises/ सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम*) पॉलिसी का लाभ पर्यटन विभाग को मिलने से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। साथ ही इससे स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रुकेगा।

17.18 होम स्टे की अनुकरणीय पहलें:

CASE STUDY-1 उत्तराखण्ड में जिन गांव से लोग पलायन कर चुके हैं, उन्हें भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। उन गांव में से एक टिहरी गढ़वाल का सौड गांव है। वर्तमान में गांव में 15 परिवार निवास करते हैं। अधिकांश मकान पलायन के कारण खण्डहर हो चुके हैं। पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए 25 वर्षीय क्रिएटिव आर्टिस्ट एवं लाईफ स्किल एजूकेटर श्री दीपक रमोला, जो Project FUEL के

संस्थापक हैं, इस दिशा में कार्यरत हैं। उनके द्वारा इस Project FUEL के माध्यम से गॉंव की लोककथाओं, लोगों के अनुभव और ग्रामीण ज्ञान को दीवारों पर भित्ति चित्र के रुप में चित्रित किया गया है। गांव की दीवारों को फ्यूल प्रोजेक्ट (वाइज वॉल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत विभिन्न लोक सांस्कृतिक भित्ती चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। उत्तराखण्ड में पलायन की समस्या को देखते हुए खण्डहर हो रहे घरों को बचाने हेतु तथा कला के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण अनुभवों को शेष विश्व तक पहुँचाने आदि के विचार से प्रेरित

होकर जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित ग्राम सौड में प्रोजेक्ट फ्यूल की सहायक परियोजना वाईज वॉल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वॉल पेन्टिंग की गई है। ग्राम

पंचायत सौड में पूर्व में 250 से 300 परिवार निवास करते थे, परन्तु मूलभूत सुविधाओं के अभाव में विगत 20 से 25 वर्षों में लगभग सारे परिवार पलायन कर गये हैं। वर्तमान में केवल 14–15 परिवार ही ग्राम सौड में निवास कर रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य से पलायित हो चुके परिवारों के साक्षात्कार के माध्यम से, कहानियों को संग्रहित कर चित्रों के माध्यम से चित्र शैली निर्मित की गई। इस कार्य में ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया तथा उनके साथ जुड़कर कार्य प्रारम्भ किया गया। श्री दीपक रमोला बताते हैं कि संस्था के प्रयास से सौड ग्राम विश्व का प्रथम ग्राम बन गया है जहां पूरे समुदाय के अनुभवों और जीवन को घरों के बाहर पढ़ा और देखा जा सकता है। उनके अनुसार Wise Wall Project के माध्यम से यहां पर्यटन बढ़ेगा, जिससे रहने के लिए मूलभूत सुविधाओं की और कार्य किया जा सकेगा।

CASE STUDY- 2 उत्तरकाशी जिले के सांकरी सौड गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एवं पर्यटकों को स्थानीय अनुभवों से जोड़ने के लिए Home-Stay प्रारम्भ किया गया है,

जिसका श्रेय श्री भरत पटवाल पुत्र श्री पी.एस.पटवाल को जाता है। फार्म–स्टे का रोमांचक रूप ही होम–स्टे है, जिसमें पर्यटकों को गांव के किसी घर में बहुत कम व्यय पर रहने की सुविधा दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत गांव के निवासियों को आगन्तुकों द्वारा प्रति रात्रि की दर से किराया दिया जाता है, महिलाओं द्वारा आगन्तुकों हेतु रसोई बनाने का कार्य किया जाता है तथा गांव के युवा वर्ग द्वारा पर्यटकों को ट्रैकिंग भी करायी जाती है जिससे यहां बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान हो रहा है। ग्रामीणवासियों द्वारा बताया गया कि उन्होंने होम–स्टे को कुछ ही समय में अपना व्यवसाय बना

लिया है तथा वे आगन्तुकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वर्तमान में ग्राम सांकरी सौड के निवासियों द्वारा लगभग 1000 से अधिक पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा प्रदान की गयी है।

CASE STUDY- 3 "Village Ways" एक ऐसी संस्था है जो होम स्टे को बढ़ाने की दिशा में हर भरसक प्रयास कर रही है, जो मेजबान और मेहमान दोनों को ही एक समृद्ध अनुभव प्रदान कर सके। प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर इस क्षेत्र के गांवो

को विलेज वेज ने पर्यटन की संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा, क्योंकि विलेज वेज का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को जीवित रखते हुये समुदाय आधारित पर्यटन उद्योग विकसित कर रोजगार सृजन एवं ग्रामीणों की आय आजीविका सुनिश्चित करने के लिये सृजन करना था। सन् 2006 से इस क्षेत्र के छह गांवों सतडी गोनाप, कठधारा, मटकन्या, दलाड़ तथा रिसाल के निवासियों द्वारा सफल होम स्टे व्यवसाय किया जा रहा है।

17.19 नागरिक उड्डयन

17.19.1 उत्तराखण्ड प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (Uttarakhand Civil Aviation Development Authority, UCADA) की स्थापना अप्रैल, 2013 में की गयी। वर्तमान में उत्तराखण्ड

प्रदेश में पाँच हवाई पटिटयाँ विद्यमान हैं, जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:-

तालिका सं0—17.3

क्र0 सं0	हवाई पट्टी/ एयरपोर्ट	रनवे की लम्बाई एवं चौड़ाई
1	चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी	1050 मी0 एवं 30 मी0
2	नैनीसैनी, पिथौरागढ़	1510 मी0 एवं 30 मी0
3	गोचर, चमोली	1200 मी0 एवं 23 मी0
4	पन्तनगर एयरपोर्ट, ऊधमसिंहनगर	4500 फिट एवं 100 फिट
5	जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून	2140 मी0 एवं 45 मी0

वर्तमान में पन्तनगर एयरपोर्ट (उधमसिंह नगर) सेना के पास है। नैनी—सैनी हवाई पट्टी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य रनवे एवं पेरिफेरल रोड (पैकेज—1), नैनी—सैनी हवाई पट्टी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य बिल्डिंग वर्क एवं अन्य एसोसिएट कार्य (पैकेज—2), नैनी—सैनी हवाई पट्टी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य रनवे लाइटिंग (पैकेज—3), और अन्य कार्यों के लिए 2012 से 2017 तक कुल **₹ 5678.21 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी। नैनी—सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ में पुलिस चौकी भवन के निर्माण कार्य के लिए कुल **₹ 50.40 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष 30 अक्टूबर, 2017 तक **₹ 42.81 लाख** की धनराशि व्यय की गयी तथा 99 प्रतिशत तक परियोजना की भौतिक प्रगति प्राप्त की जा चुकी है।

17.19.2 हैलीपैड:- वर्तमान में उत्तराखण्ड में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निर्मित/ निर्माणाधीन हैलीपैड/ हेलीड़ोम 24 हैं। जिनमें से उत्तरकाशी में तीन—*हर्षिल, यमुनोत्री खरसाली एवं नटीण*; चमोली में दो—*घांघरिया एवं श्री बद्रीनाथ धाम*; रुद्रप्रयाग में दो—*वन चेतना केन्द्र एवं श्री केदारनाथ धाम*; देहरादून में दो— *सहस्त्रधारा बाईपास रोड, हेलीड़ोम एवं महासू*; पौड़ी गढ़वाल में चार—*दिखैत पट्टी, पीठसैण, किनगोड़ीखाल एवं टकोलीखाल*; टिहरी गढ़वाल में तीन— *डोबरा, गजा (नरेन्द्र नगर) एवं सेम मुखेम (सौड़ाखाल)*; पिथौरागढ़ में चार—*राई आगर (बेरीनाग), उपराडा (गंगोली हाट) एवं ओगला (डीडीहाट), पापरी (मुनस्यारी)*; चम्पावत में एक—*चौडीसेठी*, बागेश्वर में एक—*मेलाढुंगरी*, अल्मोड़ा में एक— *पल्लसीमा* व नैनीताल में एक—*हल्द्वानी* में अवस्थित हैं।

इसके अतिरिक्त Project Implementation Unit-Civil Aviation के अन्तर्गत 27 हेलीपैड निर्मित हैं, जिनमें से चमोली एवं उधमसिंह नगर में एक—एक, रुद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, चम्पावत में दो—दो, देहरादून एवं पिथौरागढ़ में तीन—तीन, बागेश्वर में चार तथा अल्मोड़ा में पाँच हेलीपैड हैं।

17.19.3 हैंगर:- हैलीकाप्टर को सुरक्षित रखने हेतु धातु, लकड़ी एवं कंकरीट से बने हुए तीन हैंगर—देहरादून, उत्तरकाशी एवं चमोली में निर्मित किये गये हैं।

17.19.4 बहुउद्देशीय हॉल (Multipurpose Hall):- कोटद्वार एवं अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया गया है, जिससे आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों और सतत पर्यावरणीय पर्यटन के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधा प्रदान कर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

उड़ान योजना

उड़ान योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा हेलीपैड से उड़ान—1 देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा शुरु करने की जिम्मेदारी ***डेकन एविएशन*** को दी गयी है। उड़ान—2 योजना के तहत प्रदेश में लगभग 14 मार्गों पर हवाई व हैलीकाप्टर सेवा शुरु की जानी है, जिसकी जिम्मेदारी ***पवन हंस*** और ***हेरीटेक एविएशन*** को सौंपी गयी है।

अध्याय–18

शिक्षा

Education

"शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति तथा बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में अन्तर्निहित श्रेष्ठतम् शक्तियों को प्रकाश में लाना है।" – राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी

18.1 सामान्य विवरणः– शिक्षा पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के ये शब्द व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की महत्ता को अभिव्यक्त करते हैं। शिक्षा व्यक्ति के चहुमुखी विकास को प्रशस्त करने का मार्ग है तथा मानवीय विकास का मार्ग शिक्षा के माध्यम से गुजरता है।

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) के आकलन में एक प्रमुख सूचक ज्ञान के 02 उपसूचक हैः–स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष तथा स्कूलिंग के औसत वर्ष। वर्ष 2030 तक "सभी के लिये समान समावेशी एवं गुणवता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना" संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की 29.11 लाख की विशाल जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या का लगभग 29 प्रतिशत है।

विगत 05 दशकों में साक्षरता के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1961 में उत्तराखण्ड में साक्षरता दर 18 प्रतिशत थी, जो 2011 में 4 गुने से अधिक बढ़कर 78.8 प्रतिशत हो गयी है। राज्य में साक्षरता में सुधार की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च रही है। यद्यपि केरल तथा हिमाचल प्रदेश की तुलना में राज्य की साक्षरता कम है, तथापि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की (67.7 प्रतिशत) तुलना में राज्य की साक्षरता दर 11 प्रतिशत अधिक है।

जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखण्ड की कुल साक्षरता 71.6 प्रतिशत थी जिसमें पुरुष साक्षरता 83.3 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 59.6 प्रतिशत थी। शिक्षा तथा साक्षरता वृद्धि के सरकार के बहुविध प्रयासों से 2011 में उत्तराखण्ड की साक्षरता दर 78.8 प्रतिशत हो गयी, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.4 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 70 प्रतिशत थी। 2001 से 2011 के मध्य पुरुष साक्षरता दर में 3.1 की प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि महिला साक्षरता दर में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में राज्य में पुरुष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता की वृद्धि दर अधिक रही है। जिससे साक्षरता में लैंगिक अन्तराल 1991 के 33.5 से कम होकर 2011 में 17.4 प्रतिशत रह गया। वयस्क साक्षरता में लैंगिक अन्तराल को समाप्त करना सरकार का व्यापक लक्ष्य है। तालिका सं0– 18.1 में उत्तराखण्ड में वर्ष 1991, 2001 तथा 2011 की साक्षरता तथा साक्षरता में लैंगिक अन्तराल प्रदर्शित किया गया।

तालिका सं0– 18.1 उत्तराखण्ड में साक्षरता दर तथा साक्षरता में लैंगिक अन्तराल

(प्रतिशत)

मद	1991	2001	2011
कुल	55.2	71.6	78.8
पुरुष	71.7	83.3	87.4
स्त्री	38.2	59.6	70.0
लैंगिक अन्तराल	**33.5**	**23.7**	**17.4**

चार्ट–18.1

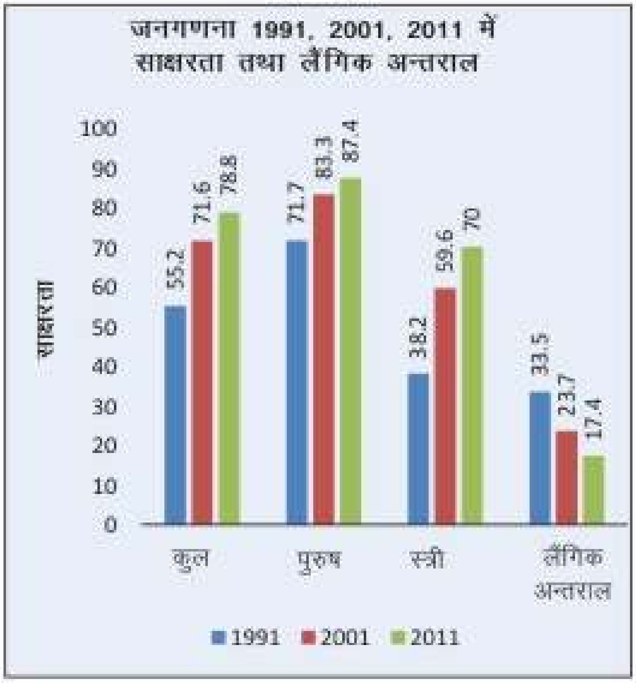

18.1 जनपदवार साक्षरताः– जनगणना वर्ष 2011 की जनपदवार साक्षरता दर के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल साक्षरता प्रतिशत जनपद देहरादून (84.2) में सर्वाधिक तथा जनपद उधमसिंहनगर (73.1) में सबसे कम है। जबकि पुरूष साक्षरता दर जनपद रूद्रप्रयाग (93.9) में सर्वाधिक तथा जनपद हरिद्वार (81.0) में सबसे कम है तथा महिला साक्षरता दर जनपद देहरादून (78.5) में सर्वाधिक तथा जनपद उत्तरकाशी (62.4) में सबसे कम है। अतः कम साक्षरता दर वाले जनपदों में शिक्षा के विकास हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

चार्ट–18.2

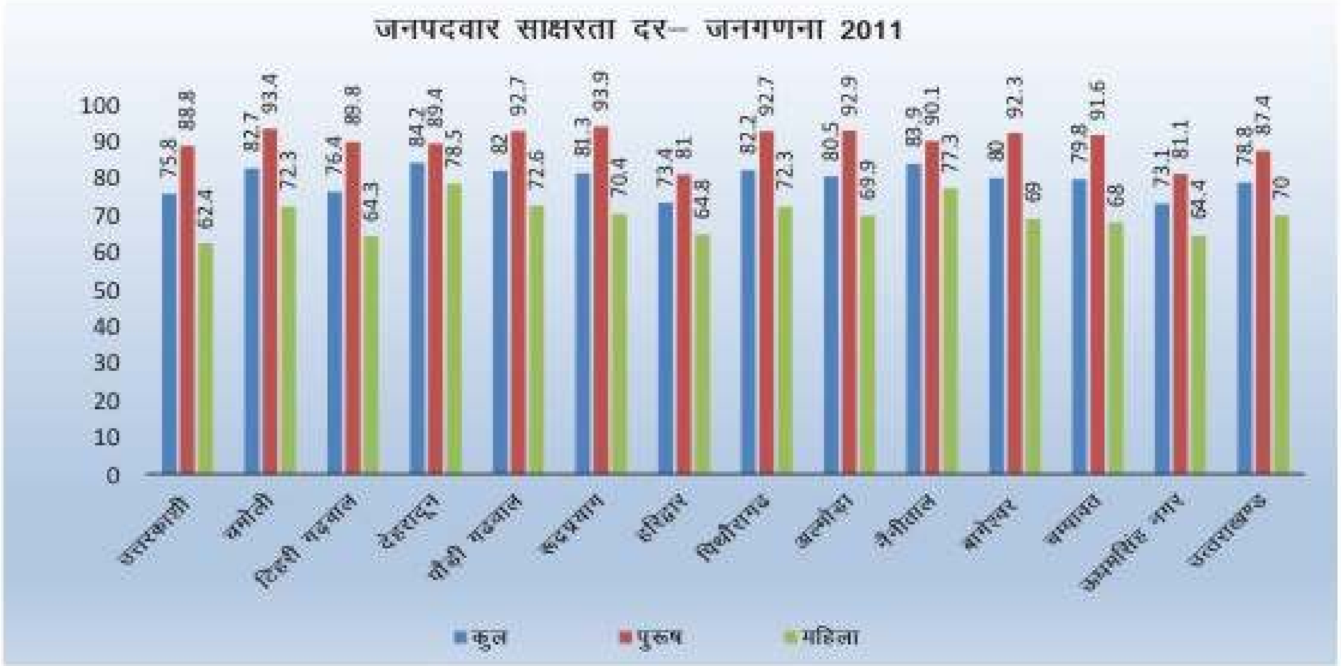

तालिका सं0– 18.2

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग (वर्ष में)		
	15-29	**30-59**	**15-59**
निरक्षर	9.95	29.69	20.20
शैक्षणिक स्तर बिना साक्षर	1.48	2.15	1.83
प्राथमिक से कम	2.33	3.15	2.76
प्राथमिक	12.87	14.73	13.83
उच्च प्राथमिक	23.35	14.32	18.66
माध्यमिक	21.00	11.08	15.85
उच्च माध्यमिक	14.48	9.06	11.91
गैर तकनीकी डिप्लोमा	0.07	0.07	0.07
तकनीकी डिप्लोमा	0.69	0.41	0.55
स्नातक एवं अधिक	13.13	15.14	14.18
अवर्गीकृत	0.14	0.20	0.17
शिक्षित (माध्यमिक एवं अधिक)	**49.88**	**35.76**	**42.55**

स्रोत– जनगणना उत्तराखण्ड 2011 से परिकलित

तालिका 18.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य की 15 से 29 आयु वर्ग की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या माध्यमिक एवं उच्च स्तर शिक्षित है।

18.2 शिक्षक–छात्र अनुपातः– गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र अनुपात एक महत्वपूर्ण सूचक है। **शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** में सेकेण्डरी स्तर पर भी शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002–03 में राज्य में शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:45 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:27 था।

चार्ट–18.3

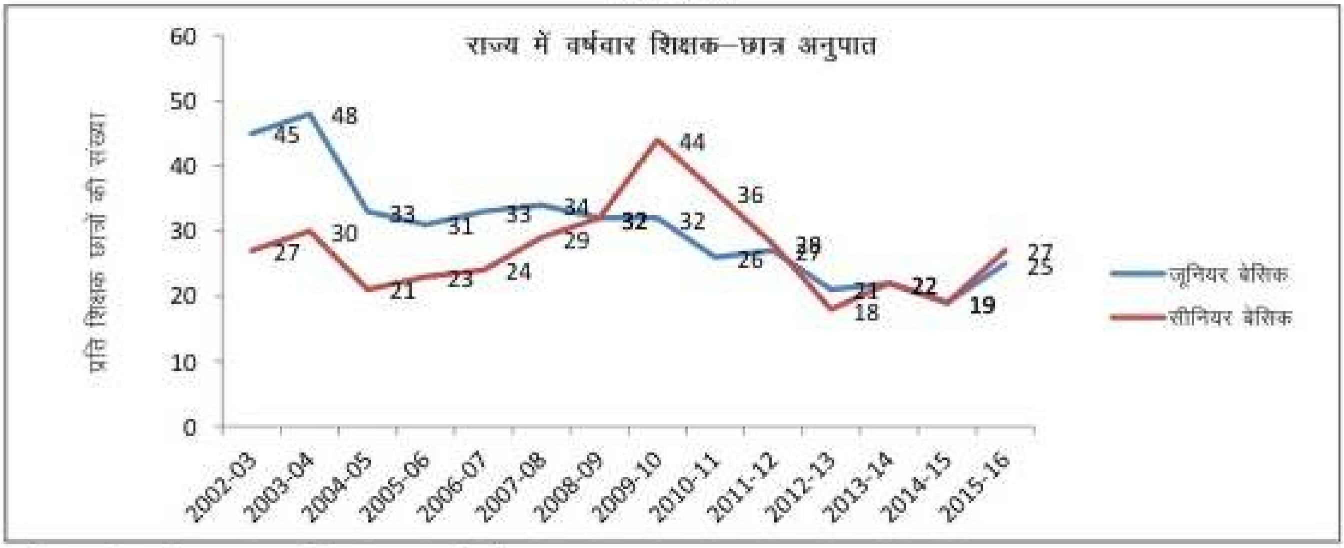

स्रोत–सांख्यिकीय सार, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

18.3 उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश–ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेन्ट 2015–16 के अनुसार 2015–16 में शिक्षक छात्र अनुपात उत्तराखण्ड में प्राथमिक स्तर पर 1:25 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:27 था, जबकि हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर 1:13 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:32 था। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड की साक्षरता एवं शिक्षा की स्थिति तालिका संख्या–18.3 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या–18.3
उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में 2015–16 में साक्षरता एवं शिक्षा की स्थिति

सूचक	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश
साक्षरता	78.8	82.8
शिक्षक छात्र अनुपात		
जूनियर बेसिक	25	13
सीनियर बेसिक	27	32
हायर सेकेण्डरी	38	11
डिग्री / पोस्ट ग्रेजूएट	79	59
वर्ष 2015–16 में प्रति लाख की जनसंख्या पर स्कूलों की संख्या		
जूनियर बेसिक स्कूल	144.6	148.2
सीनियर बेसिक स्कूल	46.8	29.5
हायर सेकेण्डरी स्कूल	32.5	34.4
डिग्री कॉलेज / पोस्ट ग्रेजूएट कॉलेज	1.2	2.12

स्रोत– उत्तराखण्ड हिमाचल तुलनात्मक अध्ययन, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

18.4 वर्ष 2015–16 में जनपदवार शिक्षक–छात्र अनुपातः– यद्यपि 2015–16 में शिक्षक छात्र अनुपात उत्तराखण्ड में प्राथमिक स्तर पर 1:25 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:27 थापरन्तु जनपदवार शिक्षक छात्र अनुपात अलग–अलग है। जूनियर बेसिक शिक्षा में हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा उत्तरकाशी तथा सीनियर बेसिक शिक्षा में हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर का शिक्षक छात्र अनुपात मानक से अधिक है। जनपद हरिद्वार मे दोनों स्तरों पर शिक्षक छात्र अनुपात सर्वाधिक खराब है। जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में जनपदवार शिक्षक छात्र अनुपात चार्ट संख्या–18.4 में प्रदर्शित हैः–

चार्ट–18.4

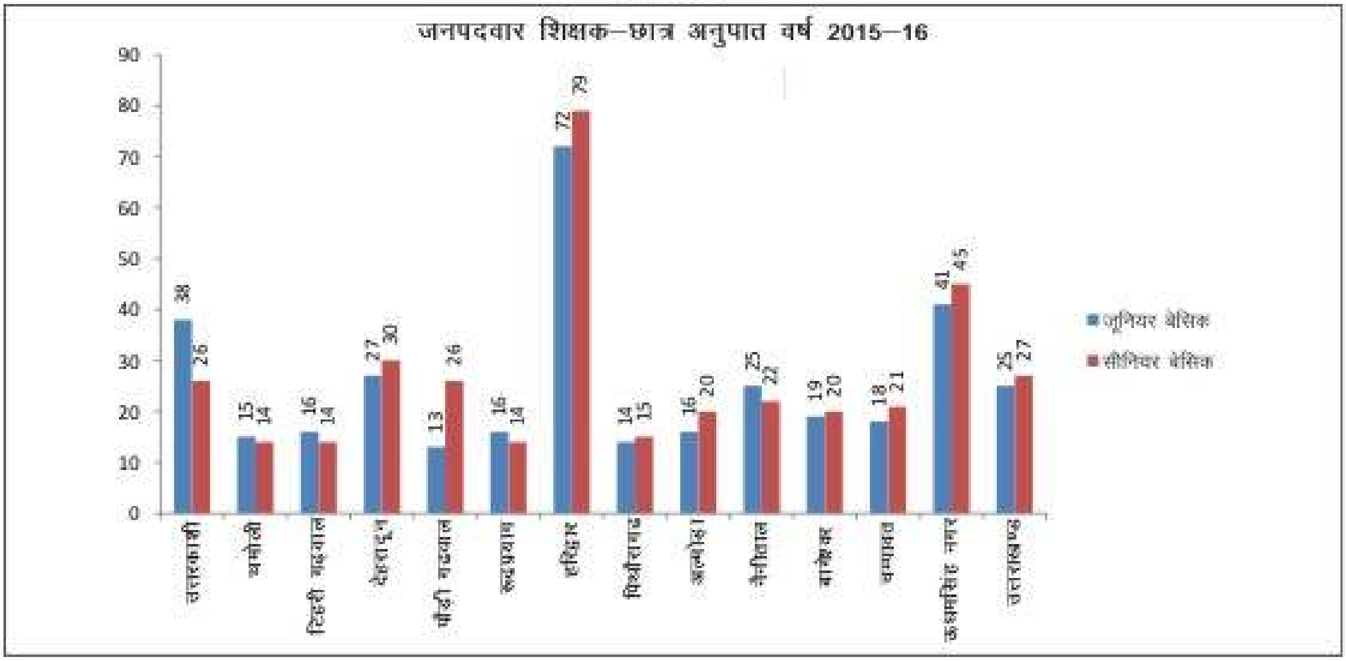

18.5 शिक्षा पर बजट परिव्ययः– शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसके विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही हैं। वर्ष 2004–05 में शिक्षा पर राज्य सरकार का कुल बजट परिव्यय ₹ 1156.79 करोड़ था, जो वर्षवार बढ़ते हुए 2017–18 में ₹ 6720.45 करोड़ हो गया। शिक्षा पर निरपेक्ष बजट परिव्यय निरंतर बढ़ने के बावजूद राज्य के कुल बजट के सापेक्ष 2010–11 में 22.12 उच्चतम से उत्तरोतर घटते हुए 2017–18 में 16.82 प्रतिशत हो गया है। साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर बजट परिव्यय 2004–05 में 4.67 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 3.09 प्रतिशत रह गया है। निम्न चार्ट में वर्षवार शिक्षा पर सापेक्षिक परिव्यय को प्रदर्शित किया गया है। उल्लेखनीय है किप्रस्तुत विश्लेषण के लिये शिक्षा पर बजट परिव्यय के सापेक्ष प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, भाषा विकास (संस्कृत), तकनीकी शिक्षा (प्रावैधिक / इंजीनियरिंग) तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय सम्मिलित किया गया है।

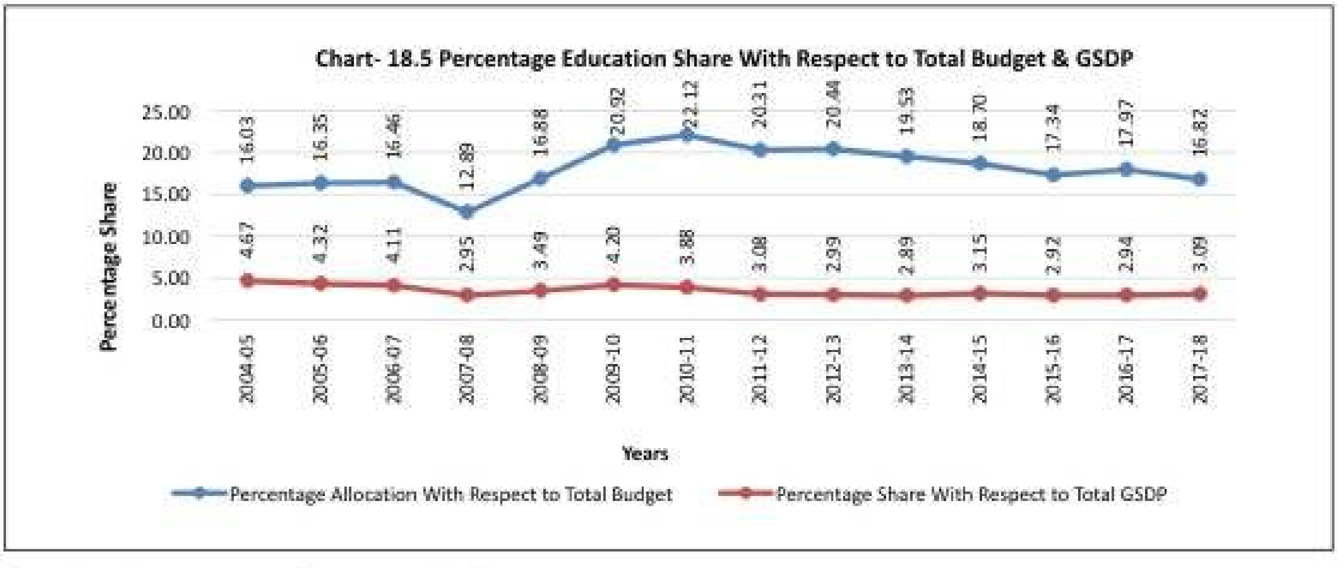

स्रोत–वित्त विभाग एवं अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

अ–प्राथमिक शिक्षा
(Primary Education)

प्रदेश में 15179 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 754816 विद्यार्थी नामांकित है तथा 38149 शिक्षक कार्यरत है, जबकि निजी/प्राइवेट विद्यालय 4469 हैं, जिनमें 923857 विद्यार्थी नामांकित है तथा 29438 शिक्षक कार्यरत है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 103.44 है।

तालिका 18.4: प्राथमिक शिक्षा में भौतिक व मानव संसाधन

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या			विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात
		बालक	बालिका	कुल	पुरूष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजकीय विद्यालय	15179	357648	397168	754816	20242	17907	38149	103.44
निजी/प्राइवेट विद्यालय	4469	527526	396331	923857	10613	18825	29438	

18.6 प्राथमिक शिक्षा की स्थिति:–

राज्य में शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र प्रतिवर्ष प्राथमिक शिक्षा पर लगभग ₹ 33 हजार खर्च किया जा रहा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्राथमिक स्तर के लिए विद्यालय की पूर्णता दर (School Completion Rate) 100 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 96.76 प्रतिशत है। जबकि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर में संकमण 94. 25 प्रतिशत है तथा वर्तमान में शिक्षकों की उल्लेखनीय कमी नहीं हैं।

स्वतन्त्र गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर, प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति एवं छात्र–छात्राओं के सीखने के परिणाम इत्यादि विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत सर्वेक्षण ASER (Annual Status of Education Report चयनित सैम्पल विद्यालयों में कराया जाता है।

असर 2016 की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख राज्यों व उत्तराखण्ड के निजी विद्यालयों में नामांकन, लड़कियां जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं और शिक्षण स्तर सम्बन्धी परिणाम निम्न तालिका 18.5 में प्रदर्शित हैं:–

तालिका: 18.5 निजी विद्यालयों में नामांकन, लड़कियां जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं और शिक्षण स्तर 2016

राज्य	निजी	विद्यालय में नामांकित	कक्षा III: शिक्षण स्तर		कक्षा V: शिक्षण स्तर		कक्षा VIII: शिक्षण स्तर	
	% बच्चे (आयु6–14) जो निजी विद्यालयों में नामांकित हैं।	% बच्चे (आयु6–14) जो विद्यालय में नामांकित नहीं है।	% बच्चे जो कक्षा II स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं।	% बच्चे जो घटाव या उससे अधिक कर सकते हैं।	% बच्चे जो कक्षा II स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं।	% बच्चे जो भाग कर सकते हैं।	% बच्चे जो कक्षा II स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं।	% बच्चे जो भाग कर सकते हैं।
उत्तराखण्ड	41.6	1.9	38.5	36.7	63.7	37.0	81.3	46.0
हिमाचल प्रदेश	38.5	0.4	47.0	57.4	70.5	53.7	87.9	59.2
केरल	54.8	0.1	45.5	45.6	69.2	38.6	85.3	53.0
उत्तर प्रदेश	52.1	9.9	22.5	23.2	43.2	22.6	67.9	37.4
सम्पूर्ण भारत	**30.5**	**5.2**	**25.1**	**27.6**	**47.8**	**25.9**	**73.0**	**43.2**

स्रोत: असर 2016

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर सामान्य तौर पर उत्तराखण्ड की स्थिति राष्ट्रीय औसत तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से तो बेहतर है, परन्तु पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा केरल के सापेक्ष अच्छी नहीं है।

असर 2016 की रिपोर्ट में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं:–

- 95.6 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां मध्यान्ह भोजन बनाने के लिये रसोई की सुविधा है।
- 14 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी तथा 13.7 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां पेयजल की सुविधा है परन्तु पेयजल उपलब्ध नहीं है।
- 2.8 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां शौचालय की कोई सुविधा नहीं है तथा 22.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां शौचालय की सुविधा है परन्तु शौचालय प्रयोग करने योग्य नहीं है।
- 17.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिये कोई अलग शौचालय की सुविधा नहीं है तथा 10 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां सुविधा तो है परन्तु ताला लगा था। 11.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां सुविधा है परन्तु प्रयोग करने योग्य नहीं है।
- 13.1 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां पुस्तकालय नहीं है।
- 83.5 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन है।
- 90.3 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों के इस्तेमाल के लिये कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अब हमारा उद्देश्य सुविधाओं की स्थापना के साथ–साथ उनके महत्तम उपयोग की ओर भी केन्द्रित होना चाहिए।

प्रदेश में कक्षा 3, 5 व 8 के बच्चों का **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2017-18** परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 2240 विद्यालयों के 31815 विद्यार्थी सम्मिलित हुये। NAS 2017–18 का परीक्षाफल निम्नवत् रहा:–

तालिका–18.6 प्रतिशत छात्र जिन्होंने वांछित सीखने का प्रतिफल प्राप्त किया

विषय	कक्षा 3	कक्षा 5	कक्षा 8
पर्यावरणीय अध्ययन (ई0वी0एस0)	69.63%	61.39%	
भाषा	72.2%	64.23%	59.35%
गणित	66.41%	58.04%	39.99%
विज्ञान			46.97%
सामाजिक अध्ययन (एस0एस0टी0)			48.03%

उपरोक्त तालिका 18.6 से स्पष्ट है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के परिणाम अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान व सामाजिक अध्ययन विषयों में बहुत अधिक सुधार करने की आवश्यकता है।

18.7 शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रमुख प्रयास:– वर्तमान समय में राज्य सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) का अच्छा स्तर नामांकन बढ़ाने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सीखने के परिणाम विद्यालय की समग्र शिक्षण प्रकिया की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। साथ ही अन्य कारक जैसे–विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं तथा नवीनतम शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या तथा उनकी क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण की स्थिति के साथ–साथ विद्यार्थियों के घर की पृष्ठभूमि एवं उनके अभिभावकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि आदि भी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रमुख प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है:–

18.8 सर्व शिक्षा अभियान–सब पढ़ें सब बढ़ें :– सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की पहुँच आसान बनाने, बच्चों का विद्यालयों में शत्–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु भारत सरकार

एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी वर्तमान में 90:10 के अनुपात में है। कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नवत् हैं–

1. 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालयी सुविधा से आच्छादित करना।
2. जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए एवं समान गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना।
3. प्रारम्भिक स्तर पर लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना।
4. शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव।

सर्व शिक्षा अभियान (के0जी0बी0वी0, एन0पी0ई0जी0ई0एल0 सहित) के तहत् वर्ष 2001–02 से जनवरी 2018 तक का व्यय निम्न तालिका 18.7 में प्रदर्शित है:–

तालिका 18.7 सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रगति वर्ष 2001–02 से 2017–18

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	कुल बजट उपलब्धि	व्यय
1	2001-02	13.11	0.09
2	2002-03	46.77	19.03
3	2003-04	75.27	66.59
4	2004-05	134.97	96.93
5	2005-06	172.84	146.68
6	2006-07	271.10	190.28
7	2007-08	285.84	186.12
8	2008-09	266.88	221.67
9	2009-10	305.18	270.15
10	2010-11	474.40	281.52
11	2011-12	562.55	348.62
12	2012-13	540.00	510.32
13	2013-14	415.97	354.44
14	2014-15	463.44	368.19
15	2015-16	412.53	396.06
16	2016-17	432.43	414.46
17	2017-18 (जनवरी, 2018 तक)	604.20	410.86
कुल योग		**5477.48**	**4282.01**

18.9 सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य गतिविधियाँ:–

18.9.1 मानकानुसार 01 किमी की परिधि में प्राथमिक एवं 03 किमी की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के तहत् वर्ष 2001–02 से वर्ष 2016–17 तक 2388 विद्यालय स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं।

18.9.2 स्कूल चलो अभियान के तहत् विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव हेतु प्रतिवर्ष **06 अप्रैल** को जन जागरूता कार्यक्रम, प्रभात फेरी, रैली इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

18.9.3 विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान हेतु माह जुलाई से सितम्बर तक घर–घर सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय से बाहर रह गये 06–14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किये जाने हेतु बालगणना सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जाता है। बालगणना के आधार पर विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों का चिन्हांकन कर निम्नानुसार विद्यालयों में नामांकित किया गया है:

- **विद्यालयों में सीधे नामांकन द्वारा:–** विद्यालय से बाहर रह गये चिन्हांकित ऐसे बच्चे जिन्हें आयु आधारित कक्षा में नामांकित करने हेतु किसी प्रकार के विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, उनके अभिभावकों को प्रेरित कर ऐसे बच्चों को सीधे विद्यालयों में नामांकित कर प्रवेशित किया जाता है। वर्ष 2016–17 में चिन्हित कुल 412 विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को सीधे विद्यालयों में नामांकित किया गया है।

- **विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से:–** शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से आयु आधारित कक्षाओं हेतु तैयार कर विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। विशिष्ट प्रशिक्षण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 2136 विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को उनकी आयु आधारित कक्षाओं हेतु तैयार किया गया तथा वर्ष 2017–18 में अद्यतन 2415 विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को उनकी आयु कक्षाओं हेतु तैयार किया जा रहा है।

○ **आवासीय छात्रावास के माध्यम से**:– बालगणना के आधार पर विद्यालय से बाहर रह गये शहरी अपवंचित वर्ग के यथा–अनाथ, कूड़ा बीनने, भीख मांगने एवं घुमन्तू बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत (कक्षा 8 तक) जनपद देहरादून में नाभा हाउस, ऋषिकेश में 50 बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजपुर रोड़ में 100 बच्चों तथा जनपद हरिद्वार में अलीपुर, बहादराबाद में 100 बच्चों एवं लालढांग हरिद्वार में 50 बच्चों के लिये आवासीय छात्रावास संचालित है। वर्तमान में सभी आवासीय छात्रावासों में शहरी अपवंचित वर्ग के 300 बच्चों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था प्रदान कर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है।

18.9.4 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक:– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालकों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। सामान्य वर्ग के समस्त बालकों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2017–18 में 548711 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी गयी है।

18.9.5 विद्यालय विकास अनुदान:– प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालय की पठन–पाठन से सम्बन्धित प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज (कक्षा 1 से 8 संचालित करने वाले विद्यालय) को ₹ 5000.00 प्रति प्राथमिक विद्यालय तथा ₹ 7000.00 प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जाता है।

18.9.6 विद्यालय अनुरक्षण अनुदान:– प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालयों के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज (कक्षा 1 से 8 संचालित करने वाले विद्यालय) को कक्षा–कक्षों की उपलब्धता के आधार प्रतिवर्ष ₹ 5000.00, ₹ 10000.00 प्रति विद्यालय की दर से अनुदान दिया जाता है।

18.9.7 गणवेश (School Dress):– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की समस्त वर्ग की बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी0पी0एल0 वर्ग के बालकों को निःशुल्क 02 सेट गणवेश की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 में 583993 बच्चों को निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराये गये है।

18.9.8 समावेशित शिक्षा कार्यक्रम (Inclusive Education Programme):– सभी 6–18 आयु वर्ग के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Need, CWSN)को सामान्य बच्चों के साथ सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान करने हेतु समावेशित शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 03 प्रकार के शिविर (Counselling Camp, Assessment Camp, Distribution Camp) आयोजित कर बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना, बच्चों को सहायक उपकरण वितरण, सुधारात्मक सर्जरी, अध्यापक प्रशिक्षण, अभिभावक परामर्श शिविर, लार्ज प्रिंट बुक, ब्रेल बुक आदि कार्यक्रम किये जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 में 5973 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। जनवरी 2018 तक इन बच्चों हेतु Counselling Camp, Assessment Camp आयोजित किये जा चुके हैं तथा दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार उपकरणों की डिमान्ड प्रेषित की जा चुकी है। माह मार्च, 2018 तक सभी बच्चों को वांछित उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

18.9.9 मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal):– विद्यार्थियों को विद्यालयी अवधि के दौरान आवश्यक कैलोरी व पोषण की प्रतिपूर्ति हेतु मध्यान्ह भोजन योजना संचालित है। वर्ष 2017–18 में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल 16918 मी0ट0 खाद्यान्न आवंटित किया गया, जिससे कुल 17640 विद्यालयों में 7.5 लाख छात्र/छात्रायें लाभन्वित हुए। भोजन बनाने हेतु 27290 भोजन माताएं कार्यरत हैं। सप्ताह में छात्र–छात्राओं को एक दिन अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ₹ 13.14 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिससे 27290 भोजन माताएं कार्यरत हैं। सप्ताह में छात्र–छात्राओं को एक दिन अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ₹ 13.14 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिससे दूध, फल, अंडा, गुड–पापड़ी इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा।

18.9.10 ब्लॉक स्तर पर आदर्श विद्यालयों की स्थापनाः– वर्ष 2015–16 में प्रत्येक विकासखण्ड में दो राजकीय प्राथमिक तथा एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया गया। इस प्रकार राज्य में कुल 190 प्राथमिक तथा 95 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भौतिक संसाधन यथा–बच्चों हेतु फर्नीचर, डायनिंग टेबल, आलमारी, बुक सैल्फ, विज्ञान एवं गणित खेल–कूद सामग्री आदि शिक्षण–अधिगम सामग्री उपलब्ध करायी गयी। प्रत्येक विद्यालय में 05 विषय अध्यापक एवं 01 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति चयन प्रक्रिया द्वारा की गयी है। शिक्षा विभाग इन आदर्श विद्यालयों (Model Schools) को जनपद में सर्वोत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त शिक्षा संस्थाओं के रूप में विकसित करने हेतु प्रयासरत है।

> सप्ताह में **शनिवार** को पढ़ाये गये पाठों पर छात्रों की जिज्ञासाओं/पृच्छाओं का समाधान हेतु Doubt Clearing Day व तथा अंग्रेजी भाषा में संवाद हेतु English Speaking Day निश्चित किया गया है।

18.9.10.1 योजना का उद्‌देश्यः–

•आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य आधारित शिक्षा।

•विद्यार्थियों को प्रतिभा के अनुरूप शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करवाना।

•पाठ्यक्रम को रूचिकर बनाने हेतु तकनीकी का प्रयोग।

•विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

•विद्यालय को आकर्षक बनाने एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराना।

वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में मॉडल स्कूलों द्वारा लगभग 25242 छात्र–छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं। जनपदवार मॉडल स्कूलों की संख्या निम्नवत् है–

तालिका 18.7 जनपदवार मॉडल स्कूलों का विवरण

क्र0सं0	जनपद	मॉडल स्कूलों की संख्या
1	अल्मोड़ा	33
2	बागेश्वर	9
3	चमोली	27
4	चम्पावत	12
5	देहरादून	18
6	हरिद्वार	18
7	नैनीताल	24
8	पौड़ी	45
9	पिथौरागढ़	24
10	रूद्रप्रयाग	9
11	टिहरी	27
12	ऊधमसिंहनगर	21
13	उत्तरकाशी	18
	योग	**285**

> **न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों का आमेलन (Merger)**:–कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को दक्षता पूर्वक संचालित करना एक चुनौती है। राज्य में 10 या उससे कम छात्र संख्या वाले 2000 विद्यालय है। इनके उचित प्रबंधन के लिए सरकार चरणबद्ध रूप से निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु लगभग 500 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आमेलित (Merge)करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शिक्षक–छात्र अनुपात में सुधार, संसाधनों का बेहतर उपयोग एवं गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित किये जाने में सहायता मिलेगी। ।

> **प्रतिभा दिवसः**–छात्रों में छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए माह के अन्तिम शनिवार को प्रतिभा दिवस मनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की देख–रेख में छात्र पाठ्य सहगामी गतिविधियां करते हैं। भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान विषयों के सम्बोधों को खेल–खेल में सिखाया जाता है। इसके साथ ही व्यायाम, संगीत, खेल, सांस्कृतिक एवं छात्र के नेतृत्व गुणों को निखारने के लिए गतिविधियां की जा रही हैं।

18.10 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education-RTE):– शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत अद्यतन निजी विद्यालयों में 106789 बच्चों को प्रवेशित किया गया है।

18.11 सामुदायिक सहभागिता:– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति के 81213 सदस्यों को बच्चों के सीखने हेतु कक्षावार विषयवार सीखने के परिणाम, निर्माण कार्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पढ़े भारत बढ़े भारत, सामाजिक सम्परीक्षा, विद्यालय विकास योजना आदि विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

18.12 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (KGBV):– राज्य के 12 जनपदों में पुरूष महिला साक्षरता में अत्यधिक अन्तर वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्डों (Educationally Backward Blocks, EBB) में 28 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। इनमें विद्यालयी शिक्षा से वंचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन परिवार (बी0पी0एल0) व अन्य बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। KGBV योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपवंचित वर्ग की शालात्यागी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा बालिकाओं में विभिन्न गतिविधियां यथा कौशल/ व्यवसायिक प्रशिक्षण/आत्मरक्षा कौशल के माध्यम से आत्मविश्वास को बढ़ाना है। वर्ष 2017–18 में राज्य के 28 KGBV में अध्ययनरत् 1337 बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

18.13 सतत व्यापक मूल्यांकन (Continuous & Comprehensive Evaluation):-विद्यालयों में बच्चों के मूल्यांकन/आंकलन हेतु सीखने के प्रतिफल के आधार पर सतत व्यापक मूल्यांकन सभी विद्यालयों मे लागू किया गया है।

मासिक इकाई परीक्षा (Monthly Unit Test):–राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education, RTE) के अनुपालन में कक्षा 1 से 8 तक के विधार्थियों का समस्त विषयों में मासिक ईकाई परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि प्रतिमाह विधार्थी की उपलब्धि (Learning Outcome) को आंकलित कर उनमें यथेस्ट सुधार हेतु ससमय सुधारात्मक उपाय अमल में लाये जा सकें।

18.14 समस्त विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 पुस्तकें लागू करना:– समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों, उत्तराखण्ड बोर्ड एवं सी0बी0एस0सी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजि विद्यालयों में कक्षा–1 से 12 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को शैक्षिक सत्र 2018–19 से एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठय पुस्तकें लागू किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। साथ ही शैक्षिक सत्र 2017–18 से कक्षा–3 से 12 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय को अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में पढ़ाये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

पढ़े भारत बढ़े भारत:–बच्चों में पढ़ने एवं लिखने की आदतों के विकास एवं गणितीय दक्षता के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को ''सम्पर्क फाउण्डेशन'' के सहयोग से गणित किट एवं 1915 रा0प्रा0वि0 में अंग्रेजी किट उपलब्ध करायी गयी। सम्बन्धित किट के उपयोग का प्रशिक्षण भी शिक्षकों को प्रदान किया गया। ''रुम टू रीड'' के माध्यम से विद्यालयों में लेखन–पठन कार्यक्रम एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में बाल पत्रिका (दीवार) के माध्यम से बच्चों में सृजनशीलता के विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

(National Innovative Mission)

बच्चों में विज्ञान एवं गणित के प्रति रूचि विकसित करने, आविष्कार एवं खोज के लिये प्रेरित करने आदि हेतु राष्ट्रीय आविष्कार अभियान से सम्बन्धित गतिविधियाँ यथा–विज्ञान गणित क्लब का गठन, क्विज प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, विज्ञान–गणित कार्नर, मॉडल निर्माण प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण आदि का जनपद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है।

गतिविधि पुस्तिका (Activity Workbook)

एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् बच्चों को कक्षावार गतिविधि पुस्तिकाएँ एन0सी0ई0आर0टी0 के पाठ्यक्रम के अनुरूप विकसित की जा रही है। गतिविधि पुस्तिकाएँ शैक्षिक सत्र 2018–19 के प्रारम्भ में समस्त विद्यालयों के बच्चों को वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

अक्षय पात्र योजना/ केन्द्रीयकृत किचन योजना

मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ के द्वारा सरकारी निजी सहभागिता पद्धति पर "अक्षय पात्र योजना" प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसे प्रथमतः 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार उधमसिंह नगर और नैनीताल में लागू किया जायेगा। इन जनपदों के 3729 विद्यालयों के कुल 359435 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। केन्द्रीयकृत किचन प्रणाली के संचालन हेतु सी0एस0आर0 से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

18.15 साक्षर भारत कार्यक्रम– राज्य के छः जनपदों क्रमशः बागेश्वर, चम्पावत, हरिद्वार, टिहरी, ऊधमसिह नगर एवं उत्तरकाशी में सम्पूर्ण साक्षरता, जैण्डर गैप कम करने एवं सतत् शिक्षा के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु साक्षर भारत कार्यक्रम का प्रारम्भ 29–12–2009 से किया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम केन्द्र पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का अनुपात 90:10 है।

18.16 लक्ष्य

- 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना।
- जैण्डर गैप के वर्तमान अन्तर को 10 प्रतिशत तक लाना।
- सामाजिक, क्षेत्रीय, जेण्डर भेदभाव में कमी लाना।
- राज्य के 06 जनपदों के 511277 असाक्षरों को 30 सितम्बर, 2017 तक बेसिक साक्षरता प्रदान करना।

तालिका– 8.8 भौतिक प्रगति

गतिविधियाँ	लक्ष्य	प्राप्ति
ग्राम पंचायत सर्वे	2842	2842
लाभार्थियों की पहचान	511277	602433
लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	2842	2731
बैंक खातों का संचालन	2889	2773
प्रेरक मनोनयन	5684	5212
स्वयंसेवक चयन	51127	25500
बेसिक साक्षरता परीक्षा में सम्मिलित लाभार्थी (Cumulative)	511277	948453
बेसिक साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्ण लाभार्थी	511277	519961
मॉडल लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	30	30

18.17 मॉडल लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना– वर्ष 2016–17 में राज्य के 30 लोक शिक्षा केन्द्रों को मॉडल लोक शिक्षा केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया, जिनमें डेस्कटॉप कम्प्यूटर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, प्रिंटर, फर्नीचर्स, दरी, सिलाई मशीन, वाटर कूलर, पैडिस्टल फैन आदि उपकरणों से सुसज्जित किया गया।

साक्षर भारत कार्यक्रम से आच्छादित सभी 05 सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों क्रमशः सूपी (बागेश्वर), रौलमेल (चम्पावत), गोरधनपुर (हरिद्वार), सरपुडा (ऊधमसिंह नगर) एवं बौन (उत्तरकाशी) में लोक शिक्षा केन्द्रों को मॉडल लोक शिक्षा केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया।

18.18 प्रशिक्षण

•राज्य संसाधन केन्द्र के माध्यम से 6 जनपदों के 74 सन्दर्भ व्यक्तियों, दिवसीय, 5202 प्रेरकों, 1394 मास्टर ट्रेनर्स तथा 25500 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

•लेखा अभिकर्मियों को **C-DAC** संस्था द्वारा **Funds and Accounts Management System** पर द्वि–दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

ब–माध्यमिक शिक्षा

(Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था करना, उसका संचालन करना, उपलब्ध करायी जा रही शिक्षा का मूल्यांकन करना तथा उसके स्तर में अभिवृद्धि के

लिए प्रशिक्षणादि विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप (Interventions) करना एवं पश्चपोषण (Feedback) करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

30 सितम्बर, 2017 के अनुसार राज्य में 1390 राजकीय इण्टर कालेज, 324 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज, 939 राजकीय हाईस्कूल, 66 सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा 866 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 3663 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। राज्य में कुल 696348 छात्र नामांकित हैं, जिसमें से 446006 छात्र राजकीय विद्यालयों में तथा 250342 निजी / प्राईवेट विद्यालयों में नामांकित हैं। राज्य के 3663 माध्यमिक विद्यालयों में 45679 शिक्षक कार्यरत है। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात (GER) 84.40 तथा ड्राप आउट रेट 12.46 है। माध्यमिक शिक्षा में जेण्डर पेरिटी दर 0.99 है। राजकीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 14:1 तथा निजी / प्राइवेट विद्यालयों में यह 18:1 है।

तालिका 18.9 माध्यमिक शिक्षा में भौतिक व मानवीय संसाधन एवं स्थिति

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या			विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात	ड्राप आउट रेट	जेण्डर पेरिटी रेट	छात्र शिक्षक अनुपात
		बालक	बालिका	कुल	पुरुष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजकीय विद्यालय	2719	212415	233591	446006	22758	9322	32080	84.40	12.46	0.99	14:1
निजी / प्राइवेट विद्यालय	944	147464	102878	250342	5396	8203	13599				18:1

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के व्यापक प्रयासों के कारण वर्ष 2017 में **हाईस्कूल परीक्षा का कुल परीक्षाफल 73.67 प्रतिशत** रहा, जो गत वर्ष के सापेक्ष में 0.20 प्रतिशत अधिक रहा तथा **इण्टरमीडिएट परीक्षा का कुल परीक्षाफल 78.89 प्रतिशत** रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष में 0.48 प्रतिशत अधिक रहा।

विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के **एजूकेशन पोर्टल** को वर्ष 2016–17 हेतु अखिल भारतीय स्तर पर Best e-Governance Award प्रदान किया गया है।

18.19 माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के प्रयासः–

18.19.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा):– माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के दृष्टिगत 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा की सर्वसुलभता एवं सर्व उपलब्धता हेतु विशेष प्रयास के रूप में 2009 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संचालित है। इसका वित्तीयन 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों का उच्चीकरण एवं पद सृजन, विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, गुणवत्ता संबंधी कार्यक्रम, नवाचारी क्रियाकलाप तथा प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में माह जनवरी, 2018 तक अवमुक्त ₹ 148.73 करोड़ के सापेक्ष ₹ 102.22 करोड़ व्यय किया गया है। योजनारम्भ से जनवरी 2018 तक व्यय धनराशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

तालिकाः 18.10 रमसा के अन्तर्गत वर्षवार व्यय का विवरण :–

धनराशि लाख ₹ में

वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
2009–10	296.00	0.00
2010–11	10136.08	360.53
2011–12	4746.35	6304.89
2012–13	14882.22	8344.23
2013–14	11195.38	9288.29
2014–15	7218.68	14200.49
2015–16	5235.93	9338.03
2016–17	12076.19	14492.94
2017–18	14873.10	10222.88
कुल योग	**80659.93**	**72552.28**

इसके तहत् किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. माध्यमिक शिक्षा की पहुँच (Access to Secondary Education):– माध्यमिक शिक्षा की पहुँच बनाने के लिए ऐसे शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनकी 05 किमी0 की परिधि में कोई हाईस्कूल की सुविधा न हो तथा कक्षा–9 में सम्भावित छात्र संख्या कम से कम 25 हो, का उच्चीकरण किया गया है। वर्ष 2009–10 से वर्ष 2016–17 तक कुल 201 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया गया तथा 874 के सापेक्ष 558 विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। वर्षवार उच्चीकृत विद्यालयों का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है:–

तालिका 18.11 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण / सुदृढ़ीकरण

वर्ष	उच्चीकृत विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण
2009–10	20	374
2010–11	43	112
2011–12	111	0
2012–13	0	–
2013–14	27	28
2014–15	0	44
2015–16	0	0
2016–17	0	0
योग	**201**	**558**

2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेषित शिक्षा:- इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) चिह्नांकित कर 40 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लेखन सामग्री, गणवेश तथा बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।बच्चों के मूल्यांकन एवं योजना के प्रचार–प्रसार हेतु शिविरों का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से जनपदों द्वारा पूर्ण किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2017–18 कुल 1483 दिव्यांग छात्र योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

3. माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावास योजना:– प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 19 विकास खण्डों में वर्ष 2012–13 से माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। 19 छात्रावासों में प्रत्येक में 100 बालिकाओं हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। वर्तमान में 14 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 05 छात्रावास निर्माणाधीन हैं। निर्मित 14 छात्रावासों में कुल 701 छात्रायें नामांकित हैं।

4. राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना:– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों के समतुल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक–एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संचालित हैं। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय व सहशिक्षा के केन्द्र हैं।

5. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण:– रमसा के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछडे विकास खण्डों (ई0बी0बी0) में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं की कक्षा 9 से 12 तक की शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। राज्य में 09 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। पूर्व में ये विद्यालय ई0बी0बी0

ब्लॉक की सूची में सम्मिलित थे तथा अब ई0बी0बी0 ब्लॉक की सूची से बाहर हो गये। अध्ययनरत बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण राज्य योजना के माध्यम से किया गया। वर्ष 2017–18 राजस्व मद में ₹ 100.00 लाख धनराशि प्राविधानित है।

6. **राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयः–** प्रदेश के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न 04 जनपदों–बेतालघाट (नैनीताल), बेरीनाग (पिथौरागढ), जोशीमठ (चमोली) तथा जयहरीखाल (पौड़ी) में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

7. **स्कूल मैपिंगः–** यह प्रक्रिया नवीन विद्यालयों को खोलने तथा विद्यालय की उच्चीकरण मानकानुसार करने की पारदर्शी विधि है, जिसमें सेवित व असेवित बस्तियों का चिन्हांकन किया जाता है। राज्य में चिन्हांकित 25050 बस्तियों में से 22950 बस्तियां हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालयों से सेवित है तथा 2100 बस्तियां असेवित हैं।

8. **आई0सी0टी0 (Information & Communication Technology) कार्यक्रमः–** भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 625 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इस योजना के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। वर्तमान में 125 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यक्रम संचालित है तथा अवशेष 500 विद्यालयों के संचालन की प्रक्रिया गतिमान है।

9. **माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमः–** प्रदेश के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 06 ट्रेड यथा आई0टी0, रिटेल, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, ब्यूटी एण्ड वैलनैश तथा ट्रेवल व टूरिज्म का संचालन किया जाना है तथा प्रत्येक विद्यालय में 02 व्यावसायिक विषय संचालित किये जायेंगे। प्रत्येक व्यावसायिक विषय में 25 बच्चों का नामांकन किया जायेगा। यह कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2018–19 से प्रारम्भ किया जायेगा।

आदर्श विद्यालय (Model Schools)

शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित एवं संस्थाओं में कुशल मानव संसधानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर के 02 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 190 मॉडल स्कूल वर्तमान में संचालित किये जा रहें है। इनमें उत्कृष्टता भौतिक तथा मानव संसाधनों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2017–18 में राजकीय माध्यमिक मॉडल स्कूलों में शौचालय निर्माण, पेयजल, ग्रीन बोर्ड, संगीत उपकरण, वॉटर प्यूरीफॉयर, कम्प्यूटर कय व अनुरक्षण हेतु ₹ 391.00 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इन आदर्श विद्यालयों (Model Schools) को जनपद में सर्वोत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त शिक्षा संस्थाओं के रूप में विकसित करने हेतु प्रयासरत है।

18.19.2 छात्रवृत्तियोंः–वर्ष 2017–18 के लिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में 1020, डा0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा में 11 तथा श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता परीक्षा में 431 छात्र/छात्राऐं चयनित हुए।

साईकिल योजना

माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना) के तहत वर्ष 2017–18 हेतु ₹ 4.50 करोड़ धनराशि प्राविधानित है, जिससे इस वर्ष अनुसूचित जाति की कुल 14818 बालिकाओं को साईकिल वितरित किया जाना है।

कमला नेहरू पुरस्कार

प्रदेश के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र एवं ₹ 1000 की धनराशि का वितरण किया जाता है।

विज्ञान मेला

विज्ञान विषय के प्रोत्साहन के लिए छात्रों को विज्ञान से सम्बन्धित गतिविधियों को अवगत कराने हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में विज्ञान मेले का आयोजन कराया जाता है, जिस हेतु विद्यालय स्तर पर विज्ञान से सम्बन्धित गतिविधियां जैसे– विज्ञान सेमिनार, ड्रामा, प्रर्दशनी आदि को सम्पादित किया जाता है। इसके लिए विद्यालय अनुदान मद से ₹ 5000 का प्रयोग विज्ञान प्रोत्साहन हेतु किया जाता है।

18.19.3 शिक्षक प्रशिक्षणः– प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अर्न्तगत होने वाले अकादमिक कार्यो जैसे पाठ्य पुस्तक विकास, मुद्रण एवं प्रकाशन, शोध एवं मूल्यांकन, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, शैक्षिक तकनीकी, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, ब्रिज कोर्स निर्माण, विशिष्ट एवं नवाचारी शिक्षा आदि कार्यो का सम्पादन राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा जनपद स्तर पर अकादमिक एवं सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन किया जाता है। राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक अभिकर्मियों को प्रबन्धन, शैक्षणिक नियोजन, नवाचारों आदि के सम्बन्ध में सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करता है।

प्रशिक्षण की सभी संस्थानों यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0), राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट–13) को एक ही अकादमिक छत्र के नीचे लाकर प्रशिक्षण से जुड़े सभी कार्यो का निष्पादन निदेशालय (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के अकादमिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्यो में समन्वय स्थापित कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। वर्ष 2009–10 से 2016–17 तक वर्षवार प्रशिक्षित किये गये शिक्षकों/ प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

तालिका 18.12 शिक्षक प्रशिक्षण की वर्ष 2009–10 से 2016–17 तक की प्रगति

गतिविधि	वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्ति	व्यय धनराशि (लाख ₹ में)
शिक्षक प्रशिक्षण	2009-10	3544	-
	2010-11	257	22.90
	2011-12	8677	109.99
	2012-13	1987	29.80
	2013-14	7707	115.61
	2014-15	5455	-
	2015-16	4329	129.87
	2016-17	9645	289.35
नये शिक्षकों का प्रशिक्षण	2009-10	-	-
	2010-11	-	-
	2011-12	539	7.51
	2014-15	120	-
	2015-16	-	-
	2016-17	-	-

तालिका 18.13 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण की वर्ष 2009–10 से 2016–17 तक की प्रगति

गतिविधि	वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्ति	व्यय धनराशि (लाख ₹ में)
प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण	2009-10	1772	0.74
	2010-11	2169	21.94
	2011-12	1956	-
	2012-13	-	-
	2013-14	968	14.52
	2014-15	45	-
	2015-16	223	10.70
	2016-17	367	17.62

18.19.4 खेल गतिविधियां:– छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप किये जाने अति आवश्यक है। छात्रों में छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए खेल गतिविधि भी उनमें से एक है। School Games Federation of India (SGFI) के निर्देशन में राष्ट्रीय स्तर खेलों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए संकुल स्तर, ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर SGFI के कैलेन्डर के अनुसार विभिन्न

खेलयथा– एथेलेटिक्स, बॉलीबाल, बेडमिन्टन, आदि खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजकीय, सहायता प्राप्त, अशासकीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्ययनरत् छात्र प्रतिभाग करते हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्रों की उपलब्धियां निम्न तालिका में प्रस्तुत है:–

तालिका: 18.14 खेल प्रतियोगिताओं में राज्य की उपलब्धियां

प्रतियोगिता / पदक	स्वर्ण	रजत	कांस्य
खेलो इण्डिया विद्यालयी प्रतियोगिता, 2018	5	2	5
63वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2017–18	13	15	20
62वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2016–17	8	15	20
61वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2015–16	2	12	20
60वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2014–15	8	7	25

(स) उच्च शिक्षा

(Higher Education)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने हेतु सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में वर्ष 2002–03 में 74 महाविद्यालय तथा 2 विश्वविद्यालय संचालित थे वहीं वर्तमान में 100 राजकीय महाविद्यालय, 18 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 12 राजकीय विश्वविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

18.20 नामांकन (Admission):– राज्य के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वर्ष 2002–03 में 97,135 छात्र दाखिल थे वहीं 31 दिसम्बर, 2017 में यह संख्या 251748 हो गयी। राजकीय महाविद्यालयों में 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल 124134 विद्यार्थी दाखिल हैं, जिनमें 48,200 छात्र एवं 75,934 छात्राएं हैं। राजकीय विश्वविद्यालयों में इस अवधि में कुल 1,27,614 विद्यार्थी दाखिल हैं, जिनमें 75,530 छात्र एवं 52,084 छात्राएं हैं।

18.21 कार्यरत् शिक्षक (Posted Teacher):– विभाग में कुल 4,191 शिक्षकों के पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 1,690 नियमित तथा 1,050 संविदा / गेस्ट एवं आउटसोर्स के माध्यम से तैनात किये गये हैं। वर्ष 2017–18 में महाविद्यालयों में नितान्त अस्थायी / कामचलाऊ व्यवस्था हेतु मानदेय के आधार पर 585 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। राजकीय महाविद्यालयों में 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल 1,396 शिक्षक कार्यरत् हैं, जिनमें 561 स्त्री एवं 835 पुरूष हैं। राजकीय विश्वविद्यालयों में इसी अवधि में 1,714 शिक्षक कार्यरत् हैं, जिनमें 377 स्त्री एवं 1,337 पुरूष हैं।

राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयोंसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेतांक तालिका 18.15 में दर्शायी गयी है:–

तालिका 18.15

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	नामांकित छात्र संख्या			शिक्षकों की संख्या		
			छात्र	छात्रायें	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
1.	राजकीय महाविद्यालय	118	48,200	75,934	1,24,134	835	561	1,396
2.	राजकीय विश्वविद्यालय	12	75,530	52,084	1,27,614	1,337	377	1,714

नोटः अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय में शामिल किया गया है।

18.22 आधारभूत संरचना (Infrastructure):– वर्तमान में राज्य के कुल 100 राजकीय महाविद्यालयों में से 54 के पास अपने भवन हैं। वर्ष 2017–18 में 31 दिसम्बर, 2017 तक 7 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर महाविद्यालयों को हस्तान्तरित किया गया तथा 20 नये भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। 10 महाविद्यालयों के पास भूमि है तथा भवन निर्माण का कार्य चल रहा है एवं 16 नवस्थापित महाविद्यालयों हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश के 3 महाविद्यालय अल्पसंख्यक योजना के अन्तर्गत जसपुर, मंगलौर और मरगूबपुर में निर्मित किये गये हैं।

18.23 नैक प्रत्यायन (National Assessment and Accreditation Council- NAAC):– राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् UGC द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्तशासी संस्था है जो भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की स्थिति के आंकलन एवं प्रत्यायन का कार्य करती है। गुणवत्ता के मानदंड के रूप में संस्था का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम चयन एवं कार्यान्वयन, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तथा छात्रों के परिणाम, संकाय सदस्यों का अनुसंधान कार्य एवं प्रकाशन, बुनियादी सुविधायें तथा संसाधनों की स्थिति, संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा छात्र सेवाओं की स्थिति आदि को शामिल किया जाता है। राज्य के 22 राजकीय महा विद्यालयों में नैक प्रत्यायन की कार्यवाही गतिमान है तथा 3 राजकीय महाविद्यालयों द्वारा नैक प्रत्यायन कराया जा चुका है।

18.24 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA):– वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आरंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर नियोजित विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा में पंहुच, समानता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य के योग्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्तपोषण प्रदान करना है। रूसा की परियोजना स्वीकृति बोर्ड ने दिसंबर 2014 में उत्तराखण्ड हेतु 90:10 के आधार पर ₹ 159.95 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की जिसमें से केन्द्रांश ₹ 143.995 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 15.995 करोड़ स्वीकृत किया गया है। अनुमोदित एवं नवम्बर 2017 तक अवमुक्त धनराशि का विवरण तालिका 18.16 में दर्शाया गया है–

तालिका 18.16

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	मदें / परियोजना	परियोजना की संख्या	कुल अनुमोदित धनराशि	केन्द्रांश	नवम्बर 2017 तक अवमुक्त धनराशि			उपयोगित धनराशि	उपयोग प्रतिशत
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		
1.	विश्वविद्यालयों के अधःसंरचना हेतु अनुदान	4	70.98	63.88	24.88	2.67	27.55	21.84	79.26
2.	नये मॉडल महाविद्यालय हेतु	1	10.29	9.26	5.16	0.57	5.73	4.31	75.11
3.	पुराने महाविद्यालयों का मॉडल महाविद्यालय के रूप में उच्चीकरण हेतु	5	16.36	14.72	8.20	0.91	9.11	7.90	86.72
4.	महाविद्यालयों के अधःसंरचना हेतु अनुदान	30	59.84	53.86	30.29	3.19	33.48	27.82	83.09
5.	फैकल्टी उन्नयन हेतु	1	2.49	2.24	1.25	0.14	1.39	1.10	79.43
	कुल		**159.96**	**143.96**	**69.79**	**7.48**	**77.27**	**62.98**	**81.50**

वर्तमान में राज्य के 30 महाविद्यालयों एवं 4 विश्वविद्यालयों को भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु, 05 महाविद्यालयों के उच्चीकरण हेतु, 01 नए मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु तथा 01 विश्वविद्यालय में फैकल्टी उन्नयन हेतु रूसा परियोजना के अन्तर्गत आर्थिक साहयता प्रदान की जा रही है। इसके अतरिक्त राज्य के दूरस्थ महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं को पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम और नई जानकारियों से लाभान्वित करने हेतु एडुसैट/ई–लर्निंग को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

18.25 नयी नियुक्तियां:– वर्ष 2017–18 में 14 स्नातकोत्तर प्राचार्य एवं 44 स्नातक प्राचार्य के पदों पर डी0पी0सी0 कर विभिन्न महाविद्यालयों में तैनाती की गयी। 28 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, 14 प्रयोगशाला सहायक, 6 इलेक्ट्रीशियन/ मैकेनिक, 01 संगणक तथा 01 वैयक्तिक सहायक की विभाग द्वारा महाविद्यालयों में नियुक्ति की गयी। 877 शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किया गया है, जिस पर चयन प्रक्रिया गतिमान है।

18.26 अन्य कार्यक्रम:– **1.** महाविद्यालयों में 180 दिन शिक्षण कार्य सम्पन्न करने हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा एकेडिमिक कलैण्डर जारी किया गया।
2. महाविद्यालयों में शौर्य दीवार के निर्माण की कार्यवाही लगभग पूर्ण।
3. महाविद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीयध्वज का ध्वजारोहण तथा राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत का गायन किया जा रहा है।
4. राजकीय महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किया गया है।
5. स्वच्छ भारत अभियान को महाविद्यालयों में एन0एस0एस0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।
6.उच्च शिक्षा निदेशालय में टोल फ्री नं0 1800–180–4099 स्थापित किया गया है।

राज्य में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रस्तावित योजनाएँ:–

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के परिसरों को वाई–फाई सुविधा से युक्त तथा स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था करना।
2. महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन कराये जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।
3. तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा में वृद्धि करना।
4. स्नातकोत्तर शिक्षा/पीएचडी हेतु निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
5. अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रत्येक जनपद के 20–20 मेधावी विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की योजना।
6. संगीत के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा कार्यशाला आयोजन की योजना।

18.27 बी0एड0 पाठ्यक्रम:– वर्ष 2016–17 में राज्य के 18 राजकीय महाविद्यालयों में बी0एड0 के पाठ्यक्रम संचालित किये गये, जिनमें से 4 महाविद्यालयों में राजकीय एवं प्रबंधन कोटा की 200–200 सीटें सृजित हैं तथा जिसके सापेक्ष कुल 377 छात्र नामांकित हैं। 01 महाविद्यालय में केवल राजकीय कोटा की 50 सीटें सृजित हैं, जिनमें 45 छात्र नामांकित हैं। शेष 13 महाविद्यालयों में केवल प्रबन्धन कोटा की 1300 सीटें स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष कुल 942 छात्र नामांकित हैं।

राज्य में 4 सहायता प्राप्त/ अशासकीय महाविद्यालय भी संचालित हैं, जिनमें 400 सीटें सृजित हैं और इसके सापेक्ष 384 छात्र अध्यनरत् हैं।

(द) प्राविधिक/तकनीकी शिक्षा

(Technical Education)

(क) पॉलीटेक्निक एवं फार्मेसी

राज्य में वर्ष 2002–03 में 16 पॉलीटेक्निक संचालित थे वहीं वर्तमान में 70 राजकीय, 01 सहायता प्राप्त तथा 51 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं। 07 संस्थानों के संचालन हेतु प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में 09 फार्मेसी संस्थान सरकारी क्षेत्र में एवं 13 संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।

18.28 नामांकन (Admission):– वर्ष 2002–03 में राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों में कुल 2,702 छात्र नामांकित थे वहीं 31 दिसम्बर, 2017 तक स्वीकृत 5,782 सरकारी सीटों के सापेक्ष 3,958 एवं निजी संस्थानों में सृजित 11,692 सीटों के सापेक्ष 4,932 छात्र नामांकित हैं। फार्मेसी संस्थानों में इसी अवधि में स्वीकृत 360 सरकारी सीटों के सापेक्ष 336 एवं निजी संस्थानों में सृजित 780 सीटों के सापेक्ष 687 छात्र नामांकित हैं।

18.29 कार्यरत् शिक्षक (Posted Teacher):– राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों में 31 दिसम्बर, 2017 तक स्वीकृत 926 पद के सापेक्ष 332 शिक्षक एवं फार्मेसी संस्थानों में स्वीकृत 61 पद के सापेक्ष 33 शिक्षक कार्यरत् थे।

पॉलीटेक्निक एवं फार्मेसी संस्थानों में नामांकित छात्रों एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या तालिका 18.17 में दर्शायी गयी है–

तालिका 18.17

विवरण	संस्थानों की संख्या		प्रवेश क्षमता		नामांकित छात्र संख्या		शिक्षकों की संख्या		
	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान		निजी संस्थान
							स्वीकृत	कार्यरत्	
पॉलीटेक्निक	71	51	5,782	11,692	3,958	4,932	926	332	–
फार्मेसी	9	13	360	780	336	687	61	33	–

नोट: सहायता प्राप्त 01 पॉलीटेक्निक के आंकड़े भी शामिल है।

18.30 आधारभूत संरचना (Infrastructure):– वर्तमान में राज्य के कुल 70 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में से 42 के पास स्वयं के शासकीय भवन हैं। शेष 28 संस्थानों में से 9 किराये के भवन में तथा 16 निःशुल्क भवन में संचालित हो रहे हैं एवं 3 अभी संचालित नहीं हो रहे हैं। इन सभी का निर्माण कार्य गतिमान है। सरकारी क्षेत्र के सभी 09 फार्मेसी संस्थान किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में 14 पॉलीटेक्निक संस्थानों में Electronic Learning Centres की स्थापना की गयी है, जहां छात्रों को उच्च स्तर की पाठ्यचर्या के साथ–साथ विषय के विशेषज्ञों के व्याख्यान प्राप्त कराये जा रहे हैं।

18.31 अन्य कार्यक्रमः

18.31.1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Through Polytechnics):– सामुदायिक विकास कार्यक्रम शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल समुदाय के लिए लघुकालिक रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर कौशल विकास करना है। यह योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में यह योजना 14 राजकीय तथा 01 वित्त पोषित पॉलीटेक्निक संस्थान में संचालित की जा रही है। वर्ष 2017–18 में इस योजनान्तर्गत भारत सरकार से ₹ 23.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है जो उपरोक्त संस्थाओं को आवंटित की गयी है।

18.31.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाः– प्रधानमंत्री कौशल विकास के अन्तर्गत राज्य के 8 पॉलीटेक्निक संस्थानों में कौशल विकास के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें 375 की प्रवेश क्षमता रखी गयी है और उसके सापेक्ष वर्तमान में 309 छात्र नामांकित हैं। पाठ्यक्रमों में मुख्यतः एयर कंडीशनर, फील्ड टैक्नीसियन, ओटो मोबाइक वैल्डींग तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड टैक्नीसियन, कम्प्यूटर पेरीफेरलस, पाईप लाइन प्लम्बिंग, लेथ मशीन ऑपरेटर आदि शामिल हैं।

(ख) इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी

राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र–छात्राओं को उच्चस्तरीय रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा प्रदान तथा उनका सर्वांगीण विकास करना है। राज्य में वर्ष 2001–02 में कुल 15 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित थे, वहीं वर्तमान में इंजीनियरिंग शिक्षा के 07 स्नातक एवं 03 स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थान सरकारी क्षेत्र में तथा 22 स्नातक एवं 06 स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। फार्मेसी शिक्षा

का 01 स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थान सरकारी क्षेत्र में तथा 13 स्नातक एवं 12 स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।

18.32 नामांकन (Admission): राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में वर्ष 2001–02 में कुल 2513 छात्र नामांकित थे, वहीं 31 दिसम्बर, 2017 तक स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में स्वीकृत 531 सरकारी सीटों के सापेक्ष 531 एवं निजी संस्थानों में सृजित 12,170 सीटों के सापेक्ष 2,044 छात्र नामांकित हैं। निजी फार्मेसी संस्थानों में इसी अवधि में सृजित 966 सीटों के सापेक्ष 829 छात्र नामांकित हैं।

राज्य के स्नातकोत्तर स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में 31 दिसम्बर, 2017 तक स्वीकृत 256 सरकारी सीटों के सापेक्ष 173 एवं निजी संस्थानों में सृजित 510 सीटों के सापेक्ष 231 छात्र नामांकित हैं। फार्मेसी संस्थानों में इसी अवधि में स्वीकृत 30 सरकारी सीटों के सापेक्ष 22 एवं निजी संस्थानों में सृजित 624 सीटों के सापेक्ष 544 छात्र नामांकित हैं।

18.34 कार्यरत् शिक्षक (Posted Teacher):– 31 दिसम्बर, 2017 तक राज्य के स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में से राजकीय संस्थानों में कुल 80 शिक्षक एवं निजी संस्थानों में 90 शिक्षक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में क्रमशः 36 एवं 65 शिक्षक कार्यरत् हैं।

राज्य के स्नातक स्तरीय निजी फार्मेसी संस्थानों में 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल 90 शिक्षक कार्यरत् हैं। इसी अवधि में स्नातकोत्तर स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थानों में कुल 8 शिक्षक एवं निजी संस्थानों में 56 शिक्षक कार्यरत हैं।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय इंजीनियरिंग तथा फार्मेसी संस्थानों में नामांकित छात्रों एवं कार्यरत् शिक्षकों की संख्या तालिका 18.17 में दर्शायी गयी है–

तालिका 18.17

शिक्षा का प्रकार		संस्थानों की संख्या		प्रवेश क्षमता		नामांकित छात्र संख्या		शिक्षकों की संख्या	
		सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान
इंजीनियरिंग	स्नातक	07	22	531	12,170	531	2,044	80	90
	स्नातकोत्तर	03	06	256	510	173	231	36	65
फार्मेसी	स्नातक	–	13	–	966	–	829	–	90
	स्नातकोत्तर	01	12	30	624	22	544	8	56

18.33 अन्य उपलब्धियां:– विश्वविद्यालय के संघटक संस्थान के रूप में डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, टनकपुर की स्थापना सत्र 2013–14 में की गयी है। इस संस्थान में 60–60 की प्रवेश क्षमता के 2 पाठ्यक्रम (सिविल इंजी0 एवं मैकेनीकल इंजी0) सत्र 2016–17 से प्रारम्भ किया जा चुका है। संस्थान के प्रशासनिक भवन का लगभग 60% का निर्माण किया जा चुका है एवं शेष का कार्य गतिमान है।

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपनी डिग्री पूर्ण कर चुके छात्र–छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपना पॉचवां दीक्षान्त समारोह नवम्बर, 2016 में आयोजित कर मैडल एवं डिग्री वितरित किये गये।

(य) संस्कृत शिक्षा

उत्तराखण्ड राज्य में देववाणी संस्कृत के समुचित विकास के उद्देश्य से पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया है। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 75 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 14 अशासकीय असहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय, 01 भारत सरकार द्वारा अनुदानित संस्कृत महाविद्यालय तथा 01 प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालय इस प्रकार कुल 97 विद्यालय संचालित है। राज्य के 6 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में से 2 उत्तर मध्यमा

(इण्टरमीडिएट) स्तर एवं 4 पूर्व मध्यमा (हाईस्कूल) स्तर के हैं।

18.35 नामांकन (Admission): राज्य के उपरोक्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों में कक्षा–1 (प्रवेशिका प्रथम) से इण्टरमीडिएट स्तर (उत्तर मध्यमा) तक कुल 4,571 छात्र/छात्रायें तथा स्नातक (शास्त्री) से स्नातकोत्तर स्तर (आचार्य) तक कुल 2,499 छात्र/छात्रायें नामांकित हैं।

18.36 कार्यरत् शिक्षक (Posted Teacher):– राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों के 90 पद सृजित हैं।

18.37 संस्कृत शिक्षा के संवर्द्धन हेतु उठाये गये अन्य कदम:–

1. संस्कृत शिक्षा के संबर्धन एवं संस्कृत विद्यालयों को उच्च स्तर पर सम्बद्धता देने के हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की स्थापना की गई है।

2. संस्कृत की पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों को संकलित कर वैज्ञानिक विधियों से संरक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है।

3. संस्कृत शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से राज्य में संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है, जिनके द्वारा प्रथम कक्षा से उत्तर मध्यमा (कक्षा 1–12) स्तर तक के पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं इस स्तर तक के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

4. राजकीय संस्कृत विद्यालयों में प्रवेशिका (कक्षा–1) से उत्तर मध्यमा (इण्टर) स्तर तक के पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 20 लाख स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी मुद्रण की कार्यवाही गतिमान है।

शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण तथा शिक्षा में गुणवत्ता

मा0 केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शिक्षक शिक्षा (Teachers Education) का जिक्र किया है। यह संदर्भ स्वागत योग्य है। शिक्षक प्रशिक्षण पूरी व्यवस्था का अपेक्षाकृत एक अदृश्य निम्न स्तरीय सैक्टर है। इसे शायद ही कभी उच्च स्तरीय महत्व दिया जाता है। नीति निर्धारण में शिक्षक प्रशिक्षण हमेशा हाशिये पर रहता है और वर्तमान में शिक्षक शिक्षा प्रचलित शब्द लोक-नीति का हिस्सा ही नहीं है।

सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा (Pre Service Teachers Education)

प्रचण्ड व्यावसायिकीकरण के कारण इस सैक्टर में शैक्षणिक विकास की संभावना का भी दम घुट रहा है। कुछ वर्ष पहले उच्चतम न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायधीश श्री जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार हेतु एक आयोग गठित किया था, परन्तु आयोग की रिपोर्ट पर कभी विचार नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार लाने हेतु 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड0 कार्यक्रम का विशेष रूप से जिक्र किया है, परन्तु प्रश्न है कि इसके लिए फण्ड कहाँ से आयेगा ? सरकार अभी जिसमें पूंजी लगाना चाहती है वह मुख्य रूप से इस सैक्टर के सेवारत् प्रशिक्षण का भाग है। सेवापूर्व पाठ्यक्रम जैसे बी.एड. का अभी भी सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि के बाहर बहुत बड़ा बाजार है। निजी बी.एड./एम.एड. संस्थान अस्थायी, असफल व अपर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों तथा आधे–अधूरे अवस्थापना सुविधाओं के सहारे चल रहा हैं।

सरकारी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में भी बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। जहाँ ये पाठ्यक्रम चल रहे हैं वहां ये संविदा शिक्षकों के सहारे, बिना व्यवस्थित अवस्थापना सुविधाओं के एवं बिना नवीनतम संयंत्रों के चल रही है। अधिकतर संस्थानों में ये पाठ्यक्रम स्वपोषित रूप से चल रही है, जहाँ विभाग का गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं है। चूंकि

विभाग को कोई बजट नहीं देना पड़ता है इसीलिए शायद गुणवत्ता नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में 5 राजकीय महाविद्यालयों में राज्य वित्तपोषित बी.एड. पाठ्यक्रम तथा 17 राजकीय महाविद्यालयों में स्व–वित्तपोषित बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें क्रमशः 250 तथा 1500 सीटें स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 4 सहायता प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालय में भी बी.एड. के पाठ्यक्रम संचालित हो रहें हैं, जिनमें 400 सीटें सृजित हैं। वर्तमान में 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम मात्र एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित क्षेत्रीय संस्थानों में चल रही है। इसे राज्यों में भी अपनाये जाने की आवश्यकता है।

सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण (In-service Training of Teachers)

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. व सीमैट तथा जिला स्तर पर डी.आई.ई.टी केन्द्र संचालित है लेकिन ये सब संस्थायें व्यावसायिक/पेशेवर रूप से प्रबन्धित नहीं है। इन संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में शिक्षा विभाग के ही शिक्षक तैनात है। बाहरी विचारों, सर्वोत्तम एवं अभिनव शिक्षण उपकरण/व्यवहार का इन संस्थानों में कोई स्थान नहीं है। सेवारत् शिक्षकों की शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा तकनीकी विषय है, जो विभाग की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए लेकिन वह सबसे नीचे है।

उच्च शिक्षा में तो सेवारत् प्रशिक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। मात्र वर्कशॉप या सेमिनार में प्रोन्नति के लिए अंक हेतु प्रतिभागिता दर्शायी जाती है। प्रत्येक स्तर के शिक्षक पर उच्च शिक्षा के संस्थानों का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक की शिक्षा यदि अच्छे स्नातक या स्नातकोत्तर संस्थानों में नहीं हुई है तो वह कभी भी अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। माध्यमिक शिक्षक, स्नातक महाविद्यालयों की स्थिति से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। यदि महाविद्यालयों में विज्ञान लैब और पर्याप्त व अच्छी संकाय न हो तो छात्र जो विद्यालय अध्यापन कार्य पेशा के रूप में चुनेंगे, वे कभी उन विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। यही कारण है कि स्नातक शिक्षा की अच्छी स्थिति न होने के कारण शिक्षक प्रशिक्षण का उनके अध्यापन क्षमता पर सीमित प्रभाव होता है। लगभग एक दशक पहले उच्च शिक्षा में सुधार हेतु यशपाल रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिये गये थे। उन सुझावों को लागू करने हेतु बजट तथा रिकवरी प्लान चाहिए। चाहे आर्थिक असमानता हो या युवाओं में बढ़ती उग्रता, आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त किया जाये। एक शिक्षित और कौशल प्राप्त युवा जो भी पेशा चुनेगा अच्छा ही करेगा।

आई0टी0 आधारित शिक्षाः एक नयी पहल

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 13वें वित्त आयोग (जिला नवाचार निधि) के अर्न्तगत विभिन्न जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आई0टी0 आधारित शिक्षा से सम्बन्धित नव–प्रर्वतन प्रयोग किये गये हैं। राज्य के अधिकांश जनपदों मे उक्त योजना के अर्न्तगत 94 प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में आई0टी0 आधारित शिक्षा हेतु 1 प्रोजेक्टर, 1 कम्प्यूटर, सहस्क्रीन तथा पाठ्यक्रम के अनुसार Content विकसित कर Fun and Learn Philosophy को दृष्टिगत रखते हुये स्थानीय बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों के माध्यम से पूर्ण शैक्षिक सत्र में कार्यक्रम संचालित किया गया, जबकि माध्यमिक विद्यालयों मे K-yan उपकरण के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विद्यालयों के सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा कक्षाएं संचालित की गयी।

सत्रावसान से तीन माह पूर्व सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित कर परियोजना समाप्ति के पश्चात् कार्य को आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। उक्त प्रयोग अत्यन्त सफल रहा तथा अधिकांश विद्यालयों में नामांकन अनुपात बढ़ने के अतिरिक्त अपेक्षित 'Learning outcome' में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुयी।

उक्त कार्यक्रम के संचालन के पश्चात् आच्छादित विद्यालयों के 6 बच्चों का चयन राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तथा 4 बच्चों का चयन सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल हेतु हुआ है, जबकि कतिपय बच्चे जिला स्तरीय गणित तथा अन्य प्रतियोगिताओं के विभिन्न चरणों पर सफल रहे हैं। इस प्रकार उक्त प्रयोग ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में सफल रहा, जिसे वर्तमान में आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना समीचीन होगा।

अध्याय-19

स्वास्थ्य
Health

"स्वास्थ्य पूर्ण भारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है, केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव नही है।" – विश्व स्वास्थ्य संगठन

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) के एक प्रमुख सूचक– **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा** स्वास्थ्य सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। इस महत्वपूर्ण विषय की आवश्यकता को देखते हुये इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य 2030 में प्रमुखता दी गयी है तथा इसे **लक्ष्य संख्या 3 ''सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा''** के रूप में अपनाया गया है।

19.1 चिकित्सा जनांकिकी:– भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्वास्थ्य पर जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 में राज्य में महिलाओं की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 60.5 वर्ष तथा पुरूषों की जीवन प्रत्याशा 57.8 वर्ष थी जो 2016 में बढ़ कर क्रमशः 71.1 वर्ष एवं 65.3 वर्ष हो गयी। तालिका 19.1 में प्रदर्शित जीवन प्रत्याशा में हुई यह वृद्वि स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार को प्रदर्शित करती है।

तालिका :–19.1

वर्ष 1990 एवं 2016 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

वर्ष	उत्तराखण्ड		उत्तर प्रदेश		अखिल भारतीय औसत		सर्वश्रेष्ठ राज्य–केरल	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
1990	60.5	57.8	53.5	54.9	59.7	58.3	74.5	67.6
2016	71.1	65.3	66.8	64.6	70.3	66.9	78.7	73.8

India: Health of the Nation's States: The India State-Level Disease Burden Initiative Report 2017

सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 में राज्य में प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म दर 18.4, मृत्यु दर 7.8 तथा शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार जीवित जन्म थी। शिशु मृत्यु दर की सबसे बेहतर स्थिति 2013 में रही जब यह 32 प्रति हजार जीवित जन्म रही यद्यपि 2015 में यह बढ़ कर 34 एवं 2016 में 38 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई। राज्य में मृत्यु दर की दृष्टि से बेहतर वर्ष 2014 रहा जब मृत्यु दर न्यूनतम 6.0 प्रति हजार थी।

स्रोत: सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्, के वार्षिक आंकड़े (सांख्यिकीय सार उत्तराखण्ड 2015–16)।

सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) 2016 की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में उत्तराखण्ड में प्रति हजार जनसंख्या में जन्म दर 16.6, मृत्यु दर 6.7, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर 9.9 तथा शिशु मृत्यु दर 38 (प्रति हजार जीवित जन्म) थी, जबकि एक वर्ष पूर्व 2015 में जन्म दर 17.8, मृत्यु दर 6.4, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर 11.4 तथा शिशु मृत्यु दर 34 (प्रति हजार जीवित जन्म) रही। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि जन्म दर में कमी आयी है किन्तु मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, जो नीति निर्धारको के लिए चिन्तनीय स्थिति है। राज्य गठन के बाद से 2016 में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर न्यूनतम 9.9 रही है।

तालिका 19.2 मुख्य राज्यों के जनांकिकीय सूचक वर्ष 2016

सूचक	कुल / ग्रामीण / नगरीय	उत्तराखण्ड	उत्तर प्रदेश	केरल	अखिल भारतीय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जन्म–दर (प्रति हजार)	कुल	**16.6**	26.2	14.3	20.4
	ग्रामीण	**16.8**	27.3	14.3	22.1
	नगरीय	**16.0**	22.8	14.4	17.0
मृत्यु–दर (प्रति हजार)	कुल	**6.7**	6.9	7.6	6.4
	ग्रामीण	**7.0**	7.3	7.3	6.9
	नगरीय	**5.9**	5.5	7.8	5.4
प्राकृतिक वृद्धि दर (प्रति हजार)	कुल	**9.9**	19.3	6.8	14
	ग्रामीण	**9.8**	20.0	7.0	15.2
	नगरीय	**10.1**	17.3	6.5	11.7
शिशु मृत्यु–दर (प्रति हजार जीवित जन्म)	कुल	**38**	43	10	34
	ग्रामीण	**41**	46	10	38
	नगरीय	**29**	34	10	23

स्रोत: सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, 2016 रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया।

उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश– ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेन्ट 2015–16 के अनुसार वर्ष 2015–16 में उत्तराखण्ड में 255 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, जबकि हिमाचल प्रदेश में 518 केन्द्र थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या उत्तराखण्ड में 86 तथा हिमाचल प्रदेश में 79 थी। एलोपैथिक डिस्पेन्सरी / अस्पतालो की संख्या उत्तराखण्ड में 390 थी जबकि हिमाचल प्रदेश में यह संख्या 86 थी। प्रति लाख जनसंख्या पर शैय्याओं की संख्या उत्तराखण्ड में 91 थी जो हिमाचल प्रदेश में 147 के सापेक्ष कम थी।

तालिका 19.3

उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में 2015–16 में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

सूचक	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	255	518
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	86	79
ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी / अस्पतालों की संख्या	390	86
प्रति लाख जनसंख्या पर सरकारी अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या	91	147
प्रति हजार जनसंख्या पर अनुमानित जन्म दर	18.2	16.4
प्रति हजार जनसंख्या पर अनुमानित मृत्यु दर	6.0	6.7
प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर	33	32

तालिका 19.4

राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार सतत् विकास के लक्ष्यों की प्रगति निम्नवत है

क्र0सं0	सूचक	वर्ष 2005–06	वर्ष 2015–16	इकाई
1	लिंगानुपात	996	1015	महिला प्रति हजार पुरुष
2	लिंगानुपात (पिछले 5 वर्षों में जन्मे बच्चे)	912	888	प्रति हजार
3	जन्म पंजीकरण (5 वर्ष से कम)	38.4	76.7	प्रतिशत में
4	कुल उत्पादकता दर (फर्टिलिटि रेट)	2.6	2.1	प्रतिशत में
5	नवजात शिशु मृत्यु दर	42	40	प्रतिशत में
6	शिशु मृत्यु दर (5 वर्ष से कम)	57	47	प्रतिशत में
7	अस्पताल में डिलीवरी	32.6	68.6	प्रतिशत में
8	सरकारी अस्पताल में जन्म	15.7	43.8	प्रतिशत में
9	डॉक्टर/नर्स/ए0एन0एम0 की देख रेख में हुये जन्म	38.5	71.2	प्रतिशत में
10	सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत प्रत्येक प्रसव का औसत व्यय	na	2618	रुपये में
11	गर्भवती स्त्री, जिसने 100 दिन या उस से अधिक आयरन (फालिक एसिड) का उपभोग किया	16.4	24.99	प्रतिशत में

स्रोत–NFHS-4, 2015-16, State Fact Sheet Uttarakhand Key Indicators

19.2 चिकित्सा अवस्थापनाएं– राज्य में लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए त्रिस्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उपचारात्मक, प्रतिबंधक, प्रोत्साहन एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं, 13 जिला चिकित्सालयों, 07 जिला महिला चिकित्सालयों, 18 सयुंक्त चिकित्सालयों, 04 बेस चिकित्सालयों, 85 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 49 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 210 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 317 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों तथा 1897 उपकेन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक उपकरणों, विशेष सुविधाएं, मेडिकल तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाकर वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

तालिका 19.5

उत्तराखण्ड में वर्ष 2015–16 के अनुसार अस्पताल/औषधालय एवं शैय्याओं की स्थिति

क्र0सं0	चिकित्सालय/औषधालय	चिकित्सालय/औषधालयों की संख्या		शैय्याओं की संख्या	
		2002-03	2015-16	2002-03	2015-16
1	एलोपैथिक चिकित्सालय	662	732	7119	9657
2	होम्योपैथिक	66	110	8	8
3	आयुर्वेदिक	467	544	1679	2049
4	यूनानी	3	5	8	8
	कुल	1198	1391	8814	11722

स्रोत:– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरिया में संकलित)।

चार्ट 19.2

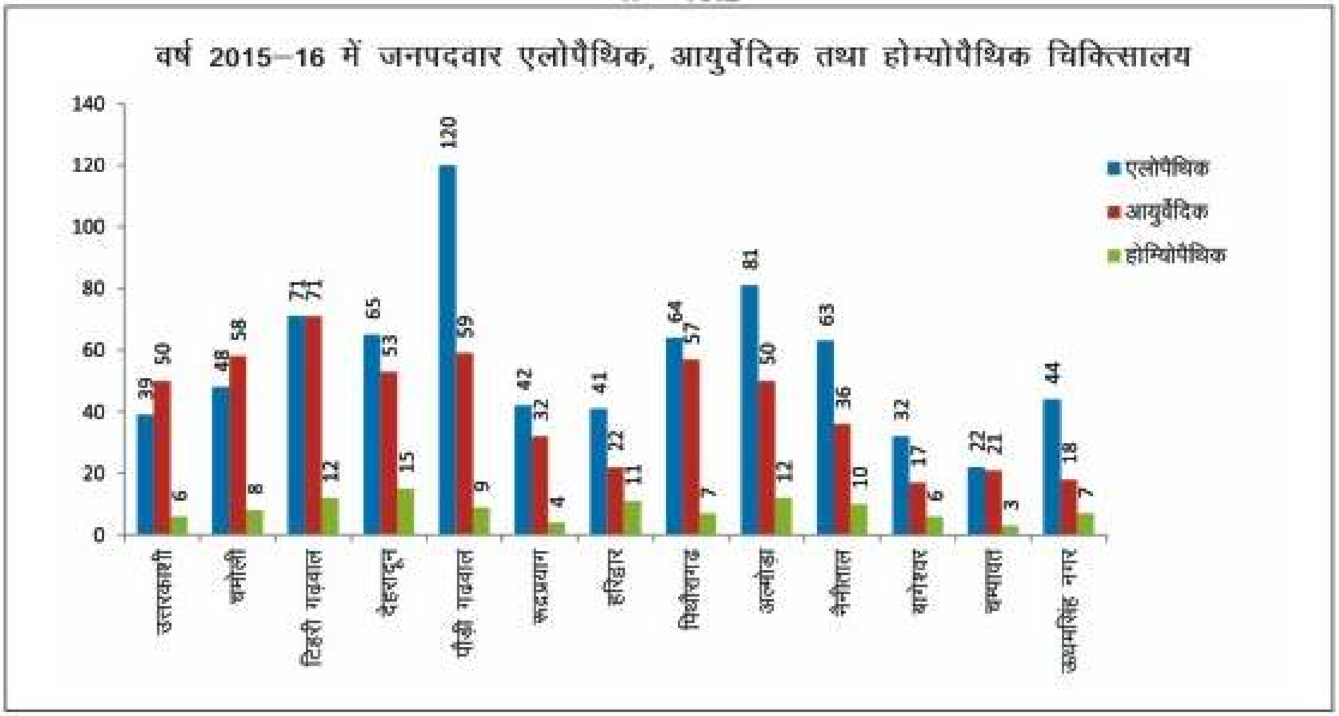

स्रोतः–सांख्यिकीय सार उत्तराखण्ड 2015–16 (स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड)।

राज्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में चिकित्सा एवं पैरा–मेडिकल स्टाफ की पर्याप्तता नितान्त आवश्यक है किन्तु वर्तमान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की अधिक संख्या होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। चिकित्सकों के काफी पद रिक्त होने के कारण राज्य के दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यद्यपि सरकार द्वारा इस ओर भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

19.3 मानव संसाधन की स्थिति– उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न पदों का विवरण निम्नानसार है:–

तालिका 19.6

क्र0 सं0	मद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	मेडिकल स्टाफ	2511	874	1637
2	पैरामेडिकल स्टाफ	4289	3242	1047
योग		**6800**	**4116**	**2684**

राज्य में चिकित्साधिकारियों के 65 प्रतिशत पद एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 24 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिसका प्रभाव चिकित्सा सेवाओं में परिलक्षित हो रहा है। जनमानस को प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह भी आवश्यक है कि चिकित्सा सम्बन्धी कार्मिक अपने तैनाती के स्थल पर ही निवास करें।

19.4 बजट की स्थिति– स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य पर बजट परिव्यय निरतंर बढ़ाती रही है। वर्ष 2005–06 में राज्य का स्वास्थ्य पर कुल बजट आवंटन ₹ 36333 लाख था, जो 2015–16 में बढ़कर ₹ 125298 लाख हो गया। यद्यपि 2016–17 में

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आवंटन कम होने के कारण स्वास्थ्य पर कुल परिव्यय कम होकर ₹ 123950 लाख हो गया।

तालिका 19.7

उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य पर बजट आवंटन (लाख ₹ में)

क्र0सं0	सेक्टर	वित्तीय वर्ष			
		2005-06	**2010-11**	**2015-16**	**2016-17**
1.	राज्य सेक्टर योजनायें	31776	42955	87725	84303
2.	केन्द्र पोषित योजनायें	3157	9700	37572	39247
3.	वाह्य सहायतित योजनायें	1800	0	0	400
महायोग		**36333**	**52655**	**125298**	**123950**

वित्तीय वर्ष 2015 में राज्य का स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल बजट आवंटन राज्य के बजट का 4.95 प्रतिशत है, जो पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश तथा अखिल भारतीय औसत से अधिक है परन्तु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य केरल तथा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तुलना में कम है। वर्ष 2015–16 में कुछ राज्यों का स्वास्थ्य मद में कुल बजट का प्रतिशत चार्ट संख्या 19.3 में प्रदर्शित है–

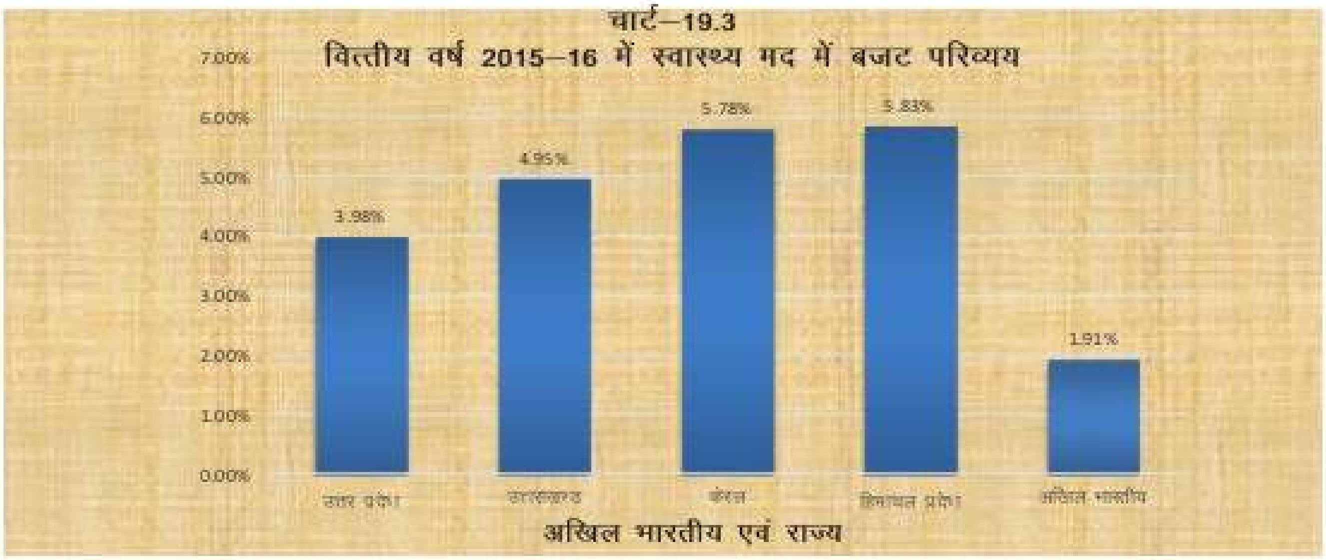

चार्ट–19.4 में स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षो में कुल बजट का लगभग 3.44 से 5.54 प्रतिशत तक चिकित्सा स्वास्थ्य हेतु आवंटित किया गया है, जबकि कुल बजट आवंटन की स्थिति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष 0.69 प्रतिशत से 1.17 मध्य रही है। राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:–

19.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission, NHM): वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

19.5.1 राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम– वर्ष 2017–18 के दौरान (दिसम्बर, 2017 तक) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 318557 रक्त पट्टिकाओं का परीक्षण किया गया और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया।

19.5.2 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम :– राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 में प्रचलित दर घटकर 0.23 प्रति दस हजार रह गई है। 2017–18 के दौरान (दिसम्बर, 2017 तक) 238 नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 265 रोगी रोग मुक्त किए गए तथा 255 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

19.5.3 राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम:– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 04 क्षय रोग चिकित्सालय, 13 जिला क्षय रोग केन्द्र/क्लीनिक, 95 क्षय रोग यूनिट और 148 माईक्रोस्कोपिक केन्द्र कार्यरत हैं, जिनमें 545 शैय्यायें हैं। वर्ष 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक 8299 रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए इस अवधि में 79078 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। राज्य के सभी जनपदों में परियोजना संचालित है। इस वर्ष कुल क्षय रोग अधिसूचना लक्ष्य दर 200 प्रति लाख आबादी के सापेक्ष मात्र 146 प्रति लाख प्रति वर्ष पायी गयी।

19.5.4 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:– यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान दिसम्बर, 2017 तक 5792 बन्ध्याकरण, 42507 लूप निवेश और ओ.पी.व.सी.सी. प्रयोगकर्ता क्रमशः 20727 व 43691 हैं।

19.5.5 व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम:– उत्तराखण्ड राज्य में यह कार्यक्रम Reproductive and Child Health (RCH) के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बीमारियों जैसेः–क्षय रोग, गलघोटू, धनुष्टंकार नवजात टैटनस, पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई हैं। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका–19.8 में प्रदर्शित हैः–

तालिका 19.8

क्र0सं0	मद	वर्ष 2017–18	
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या) माह दिसम्बर 2017 तक
1	डी0पी0टी0	191000	621*
2	पोलियो	191000	114241
3	पेंटावेलेंट	191000	114554
4	बी0सी0जी0	191000	116903
5	हैपाटाइटस–बी	191000	54285
6	मीजिल्स	191000	80350
7	विटामिन ए (पहली खुराक)	191000	13181
8	डी0पी0टी0 (बूस्टर)	191000	89683
9	पोलियो (बूस्टर)	191000	91822
10	विटामिन ए (पांचवी खुराक)	191000	10328
11	डी0पी0टी0 (5–6 वर्ष)	191000	63050
12	डी0पी0टी0 (10 वर्ष)	191000	–
13	डी0पी0टी0 (16 वर्ष)	191000	–
14	टी0टी0 (गर्भवती मातायें)	217000	114296
15	माताओं का आयरन फोलिक एसिड	–	91359

Source: HMIS

*भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत माह जनवरी, 2015 से डी0पी0टी0 वैक्सीन लगायी जानी बंद कर दी गयी है, जिसके स्थान पर पैन्टावेलेन्ट वैक्सीन सम्मिलित कर दी गयी है, जिसमें डी0पी0टी0, हैपेटाइटिस एवं हिब वैक्सीन सम्मिलित है। उक्त डी0पी0टी0 वैक्सीन की उपलब्धि मात्र उन्हीं बच्चों की है जिनको प्रथम डोज डी0पी0टी0 की दी गयी थी।

रुबैला टीकाकरण अभियान 2017–18 पोलियो के बाद रुबैला टीकाकरण अभियान सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। इसके अंतर्गत नौ महीने से 15 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोरों का टीकाकरण किया जायेगा। वर्ष 2017–18 के प्रथम चरण के अंर्तगत कुल लक्ष्य 2835658 के सापेक्ष 2876211 (101.4 %) टीकाकरण हुआ है।

19.5.6 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमः– वर्तमान में उत्तराखण्ड में 15 से 49 आयु वर्ग में अनुमानित प्रसार की दर (Estimated Adult HIV Prevalence) 0.12 प्रतिशत है (Source-Technical Report 2015, NACO)। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एच0आई0वी0 / एड्स के प्रति जनमानस में जागरूकता लाना, एच0आई0वी0 संक्रमण दर को स्थिर अथवा ऋणात्मक दिशा प्रदान करना तथा एच.आई.वी. / एड्स संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा–उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

• **एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच केन्द्र** :– एच. आई.वी. परामर्श एवं जांच हेतु प्रदेश में कुल 164 केन्द्र स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त केन्द्रों में कुल 1,54,447 व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श एवं जांच सुविधा प्रदान की गयी जिसमें से 742 व्यक्ति एच.आई.वी. संक्रमित पाये गये। इस कार्यक्रम हेतु उत्तराखण्ड में एक मोबाईल वैन भी कार्यरत है।

• **यौन रोग नियंत्रण क्लीनिक** :– प्रदेश में एस. टी.आई. / आर.टी.आई. सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत यौन जनित संक्रमण / प्रजनन तंत्र संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु 28 क्लीनिकों की स्थापना की गयी है। जहां यौन रोगों की रोकथाम एवं उपचार के अन्तर्गत लक्षणों के आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक लक्षण हेतु नाको के गाईड लाईन के अनुसार ही औषधि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह

दिसम्बर 2017 तक उक्त केन्द्रों में कुल 29,475 व्यक्तियों को उपचार सुविधा प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

• **रक्त सुरक्षा कार्यक्रम**:– प्रदेश में 35 रक्तकोष (ब्लड बैंक) स्थापित एवं कार्यशील है। दिसम्बर 2017 तक राज्य में स्थापित रक्तकोषों द्वारा कुल 99,556 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 77 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त की गयी इस अवधि में कुल 636 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

• **एंटी रेट्रो वायरल उपचार कार्यक्रम** :– प्रदेश में 3 ए.आर.टी. सेन्टर (एंटी रेट्रो वायरल थैरपी केन्द्रों) की स्थापना की गयी है। जहां एच. आई.वी. सक्रमित व्यक्तियों को नियमानुसार एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रदेश में स्थापित केन्द्रों में 6,136 व्यक्ति पंजीकृत है, जिसमें से 3,476 व्यक्ति निःशुल्क दवा व उपचार सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

• **लक्ष्यगत हस्तक्षेप कार्यक्रम**:–इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,39,230 व्यक्तियों को परियोजना के तहत परामर्श/सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

19.5.7. मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और कैंसर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS):–गैर संचारी रोगियों को एक ही स्थान पर उपचार एवं परामर्श की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु टिहरी गढवाल, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, चम्पावत के जिला चिकित्सालयों में जिला वैलनेस सेन्टर की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 69215 लोगों द्वारा इस सेवा का उपयोग किया गया। जिनमें से 8212 रोगियों को फिजियोथेरेपी की सुविधा दी गयी।

19.5.8. सामान्य के लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग (NCDs):– राज्य के तीन जनपदों–देहरादून, नैनीताल एवं पौडी गढवाल में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की गैर संचारी रोग की जॉच हेतु Universal Screening For Common NCDs योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में जनपद पौडी में 208 एन0एन0एम0 को प्रशिक्षित किया गया। जनपदों में चिकित्सकों, स्टाफ नर्सो, ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

19.5.9. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE):– वृद्ध नागरिकों को बेहतर In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद–उधमसिंह नगर, हरिद्वार, चम्पावत, देहरादून, टिहरी गढवाल तथा उत्तरकाशी में 10 बैड तक के Geriatric वार्डो की स्थापना की गयी है तथा अन्य जनपदों के जिला चिकित्सालयों में Geriatric Wards की स्थापना प्रक्रियाधीन है। उपकेन्द्रों के माध्यम से वृद्ध नागरिकों को आवश्कतानुसार Aids & Appliances (Walking Stick, Calipers, Walker (Ordinary), Pulley, Infrared Lamp) उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

19.5.10 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ प्रोग्राम (NOHP):– सभी जिला चिकित्सालयों में डेन्टल यूनिटस् का सुदृढीकरण प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत डेन्टल यूनिट के रेनोवेशन एवं डेन्टल चेयर तथा अन्य उपकरणों हेतु प्रति जनपद ₹ 7.00 लाख की धनराशि समस्त जनपदों को निर्गत की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 9207 रोगियों को ओ0पी0डी0 सेवाएं दी गयी।

19.5.11 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)– जनपद उधमसिंह नगर में मानसिक स्वास्थ्य सलाह केन्द्र की स्थापना की गयी है। जनपद हरिद्वार में मानसिक स्वास्थ्य सलाह केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

19.5.12 बहरेपन के निवारण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCD):– जनपदों के जिला / बेस /संयुक्त चिकित्सालयों में कान की जॉच हेतु स्क्रीनिंग उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक निम्नानुसार परीक्षण किये गये। विभिन्न क्रियाकलापों के अन्तर्गत 6398 व्यक्तियों के बहरेपन का परीक्षण किया गया।

19.5.13 राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (NPCB):– अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक मोतियाबिन्द आपरेशन के लक्ष्य 40973 के सापेक्ष

33944 आपरेशन किये जा चुके हैं। निःशुल्क चश्मा वितरण के अन्तर्गत स्कूल के छात्रों को 3109 व वृद्ध लागों को 2902 चश्मे वितरित किये गये हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त जनपदों में कुल 271 नेत्र शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।

19.5.14 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) – वर्ष 2015 में जनपद टिहरी गढ़वाल को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र में कुल 3028 व्यक्तियों को परामर्श प्रदान किया गया। विद्यालयों में छात्रों को जागरूक करने हेतु कुल 433 School Awareness Programme आयोजित करते हुये 47175 विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।

हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर (Health and Wellness Center)

भारत सरकार की कार्य योजनाके अन्तर्गत समस्त उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में उच्चीकरण किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को तैनात किया जाना है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार Bridge Programme in Community Health के कोर्स में आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है।

राज्य के 03 जनपदों पौड़ी, देहरादून तथा नैनीताल में क्रमशः 11, 19 एवं 16 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर स्थापित किये गये हैं। चालू वर्ष में एन0एच0एम0 द्वारा 46 उपकेन्द्र हेतु नवीनीकरण की प्रकिया वर्तमान में गतिशील है।

जिला हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर

गैर संचारी रोगों की जॉच तथा रोगियों को उपचार एवं परामर्श सुविधा एक ही स्थान में उपलब्ध कराने हेतु राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में जिला हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में जनपद चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर में जिला हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर क्रियाशील हैं। जनपद–अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में जिला हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

19.5.15 खुशियों की सवारी (KKS):– उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में वर्ष 2011 से खुशियों की सवारी नाम से एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध हैं, जो प्रसव उपरान्त जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की सेवा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इस सेवा से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों को भी इलाज के उपरान्त घर तक छोड़ने की सुविधा दी जा रही है। इस सेवा में वर्तमान में 106 एम्बुलेंस वाहन कार्य कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में (जनवरी–2018 तक) कुल 44462 रोगियों ने सुविधा का लाभ उठाया, जिसमें नवजात शिशु सहित माताओं की घर वापसी की संख्या 38428 थी एवं घर से अस्पताल तक (108 सेवा के अतिरिक्त) गर्भवती महिलाओं को पहुँचाने की संख्या 5923 थी।

19.5.16 आशा कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितिः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा (Accredited Social Health Activist- ASHA) योजना वर्ष 2005 से लागू की गयी है, जो शत्–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 11086 आशा कार्यकत्रियां, 606 आशा फैसिलिटेटर, 101 ब्लाक कार्डीनेटर तथा 13 कम्युनिटी मोबिलाईजर हैं। आशा कार्यकत्री अपने ग्राम और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आशा का कार्य समुदाय को उनके स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन एवं शिशु टीकाकरण के संबंध में अभिप्रेरित (Motivation) व संघटन (Mobilization) करना हैं। आशा कार्यकर्त्रियों को समाज के लिए चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

19.6 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission-NUHM)– नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम

संचालित किया जा रहा है। इससे नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों का दबाव कम हुआ है तथा उन्हें निकटतम स्थान पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुल 39 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर संचालित है।

क्र.सं.	शहर	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) राज्य के 39 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संचालित हो रही है:–
1	देहरादून	1. नाला पानी (डी0एल0 रोड) 2. भगत सिंह कॉलोनी 3. खुड़बुड़ा 4. दीपनगर 5. बकरावाला 6. चूना भट्टा (अधोईवाला) 7. गॉधीग्राम 8. जाखन 9. कारगी 10. किशन नगर 11. माजरा 12. मसूरी 13. रीठा मण्डी 14. सीमाद्वार
2	ऋषिकेश	1. आदर्श नगर 2. शान्ती नगर
3	हरिद्वार	1. ज्वालापुर–1, 2. ज्वालापुर–2, 3. टिबडी 4. कनखल 5. सूखी नदी
4	रूडकी	1. आदर्शनगर (सोलानिपुरम) 2. मोहनपुरा (रूडकी साउथ) 3. चन्दपुरी 4. गणेश पुरम 5. माहिग्राम 6. सलेमपुर 7. रूडकी साउथ
5	हल्द्वानी	1.काठगोदाम 2. राजपुरा 3. मंगल पडाव 4.शनी बाजार
6	रामनगर	1.रामनगर
7	रूद्रपुर	1.टी0 कैम्प 2. रामपुरा 3. खेरा
8	काशीपुर	1.महेशपुरा 2. अली खान
9	जसपुर	1.जसपुर

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दिसम्बर, 2017 तक कुल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या-39, कुल उपचारित व्यक्तियों की संख्या 175147, कुल पंजीकृत ए0एन0सी0 की संख्या 7040, कुल जॉच पड़ताल की संख्या-73997, कुल कुपोषित बच्चों की पहचान की संख्या - 391, एनीमिया के साथ बच्चों/महिलाओं की कुल संख्या - 905 तथा यू0एच0एन0डी0 की कुल संख्या 2645 थी।

19.6.1 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमः– राज्य के सभी 13 जनपदों में 148 मोबाईल हैल्थ टीमें कार्य कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण के समन्वय से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के तृतीयक स्तरीय शल्य चिकित्सा की व्यवस्था के अन्तर्गत हिमालयन हॉस्पीटल ट्रस्ट, जौली ग्रान्ट, फॉर्टिस हॉस्पीटल एवं महंत इन्द्रेश हॉस्पीटल ट्रस्ट, देहरादून में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 माह दिसम्बर, 2017 तक 134 बच्चों के दिल का आपरेशन, 35 बच्चों को कानों की मशीन, 20 बच्चों को आंखों से सम्बन्धित उपकरण एवं 45 बच्चों को अन्य शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराते हुये कुल 763 बच्चों को शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी, इसमें हंस फाउन्डेशन द्वारा 530 बच्चों को उपलब्ध करायी गयी सुविधा भी सम्मिलित है।

तालिका 19.9

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) की प्रगति

संस्था का नाम	वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक की प्रगति		
	लक्ष्य	क्रमिक प्रगति	प्रतिशत
पाठशाला	1211742	707038	58%
आंगनबाड़ी केन्द्र	833741	523349	63%
योग	**2045483**	**1230387**	**60%**

19.7 राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाएंः–

19.7.1 निजी लोक सहभागिता (Public Private Partnership, PPP):– राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने हेतु लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership–PPP) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नांकित है:–

- जनमानस को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों–गैरसैंण, जखोली, गरमपानी, मुनस्यारी एवं कपकोट का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017– 18 में माह दिसम्बर 2017 तक 7673 बी0पी0एल0 सहित 62807 रोगियों का ओ0पी0डी0 में उपचार किया गया।
- राज्य में डायलिसिस चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से 02 डायलिसिस केन्द्र

क्रमशः कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून एवं बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में संचालित हैं। माह मार्च 2017 से दिसम्बर 2017 तक कुल 23039 रोगियों को डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

- कार्डियक चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से कार्डियक केयर यूनिट, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा तथा कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून में संचालित है। अल्मोड़ा यूनिट द्वारा माह अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 तक कुल ओपी0डी0 3649 की जा चुकी है तथा कोरोनेशन चिकित्सालय द्वारा माह अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 तक कुल 15044 रोगियों को ओपी0डी0 सुविधा उपलब्ध करायी गयी जिसमें 219 रोगी बी0पी0एल0 एवं कुल 225 सर्जरी की गई, जिसमें 35 रोगी बी0पी0एल0 परिवारों के हैं।

- श्रीनगर मेडिकल कालेज व मेडिकल कालेज हल्द्वानी इनवेसिव कार्डियक यूनिट एवं जिला चिकित्सालय पौडी, रूद्रप्रयाग, बेस चिकित्सालय, अल्मोडा तथा संयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर में नॉन–इनवेसिव कार्डियक केयर यूनिट का संचालन किया जा रहा है।

- आपातकालीन एम्बुलेंस चिकित्सा सुविधा 108 लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत राज्य के जनमानस को आपातकालीन निःशुल्क एम्बुलेंन्स सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से 108 आपातकालीन सेवा का संचालन 8 मार्च 2008 से किया जा रहा है। एमरजेन्सी में एम्बुलेन्स के माध्यम से गम्भीर रूप से रोगग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त आदि रोगियों को आपातकालीन चिकित्सा तथा निकटतम चिकित्सालय तक निःशुल्क छोड़ने की सुविधा दी जा रही है। 108 आपातकालीन सेवा में Basic Life Support (BLS) Ambulance- 122 तथा Advance Life Support (ALS) Ambulance- 17 कार्य कर रही हैं, जिसमें जनवरी 2018 तक कुल फोन कुल फोन कॉल–1181821, कुल इमरजेंसी फोन कॉल – 146669 कुल रोगियों की संख्या–93312, अस्पताल में भर्ती कराये गये रोगी – 90525 कुल प्रसव – 39584 एम्बुलेंस में जन्म–819 हुए हैं।

19.7.2 राज्य व्याधि सहायता निधिः– राज्य व्याधि सहायता निधि के अंतर्गत बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को चिन्हित बीमारियों हेतु वर्ष 2017–18 में माह अक्टूबर 2017 तक 22 रोगियों को ₹ 31,70,000 की धनराशि उपचार हेतु प्रदान की गयी है।

19.7.3 रैन बसेरा – जिला चिकित्सालयों /बेस चिकित्सालयों/ संयुक्त चिकित्सालयों के द्वारा रैफर किये गये रोगियों को प्रदेश से बाहर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आर्युविज्ञान चिकित्सा संस्थान, सफदरजंग चिकित्सालय, जी0बी0 पंत चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने हेतु उनके साथ उनके तीमारदारों को उचित ठहरने की व्यवस्था के अन्तर्गत 2007 से दिसम्बर, 2017 तक 5412 तीमारदार/रोगी योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

19.8 स्वास्थ्य बीमा योजनाएः– राज्य में निम्न बीमा योजनाएं संचालित की जा रही हैंः–

19.8.1 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY):– उत्तराखण्ड के समस्त बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 परिवारों (आयकर दाताओं, सरकारी कर्मचारियों/ पेंशनधारियों को छोड़कर) को योजनान्तर्गत 1197059 पात्र परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु पंजीकृत कर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड उपलब्ध कराये गये। योजना के अन्तर्गत राज्य के कुल 94 राजकीय तथा 90 निजी चिकित्सालय अनुबन्धित किये गये है। वर्ष 2017–18 में माह नवम्बर 2017 तक कुल 30375 पंजीकृत लाभार्थियों को धनराशि ₹ 2370 लाख का निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान किया गया है।

19.8.2 यू0हैल्थ योजनाः– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 25 अक्टूबर, 2010 को राज्य के राजकीय कार्मिक (सेवारत/ सेवानिवृत्त) एवं उनके आश्रितों को सूचीबद्ध चिकित्सालयों से नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वार्षिक अंशदान आधारित यू0 हेल्थ योजना को

लागू किया गया है। चिकित्सालयों से प्राप्त चिकित्सा उपचार बिलों का भुगतान चिकित्सा महानिदेशालय में स्थापित यू–हेल्थ प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के अन्दर 20 निजी एवं प्रदेश के बाहर 4 निजी चिकित्सालय, कुल 24 निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं।

19.9 होम्योपैथी चिकित्सा

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्वतियों के समुचित विकास एवं इस पद्वति के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक निदेशालय स्थापित है। जनपद स्तर पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थापित है, जिसके अन्तर्गत निम्नवत् क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैः–

19.9.1 चिकित्सा– होम्योपैथिक पद्धति से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न चिकित्सालय संचालित हैः–

- 110 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में संचालित हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) अन्तर्गत 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 07 कुल 32 होम्योपैथिक विंग कार्य कर रहे हैं।
- केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक 05 आर0सी0एच0 हरिद्वार, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल एवं 04 त्वचा रोग केन्द्र देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में संचालित है।

तालिका 19.10
होम्योपैथिक विभाग में जनपदों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
1	चिकित्साधिकारी	119	108	11
2	फार्मासिस्ट	110	108	02

19.10 आयुर्वेदिक

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदत्त करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 519 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय, 26 जिला चिकित्सालय, 180 आयुष विंग तथा 29 सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) सेवा प्रदान की जा रही है।

19.10.1 राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंगों की स्थापनाः– सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में (जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित नहीं हैं) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एलोपैथिक चिकित्सालयों में 180 आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

19.10.2 जिला चिकित्सालयों की स्थापनाः– जिला मुख्यालय में जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु एक पुरूष विंग एवं एक महिला विंग, इस प्रकार कुल 26 आयुष विंग संचालित है।

19.10.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों की स्थापनाः– भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 29 सी0 एच0सी0 एवं 83 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

19.10.4 राष्ट्रीय आयुष मिशनः– केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुष मिशन भारत सरकार

द्वारा 519 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय, 26 जिला चिकित्सालय, 180 आयुष विंग तथा 29 सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) औषधियों के क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होती है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में 50 शैय्यायुक्त समन्वित चिकित्सालय (सरस मार्केट हल्द्वानी) में स्थापना की जा रही है। आयुष विभाग भारत सरकार द्वारा ₹ 459.699 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें से माह दिसम्बर 2017 तक 36 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

19.10.5 यूनानी चिकित्सा पद्धतिः— राज्य में मात्र 05 यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं। यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु पिरान कलियर, जनपद—हरिद्वार में यूनानी कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

19.10.6 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसीः— हरिद्वार जिलान्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित है। फार्मेसी के माध्यम से रोगियों को निःशुल्क वितरण हेतु आयुर्वेदिक औषधियो का उत्पादन किया जा रहा है।

19.10.7 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाः— हरिद्वार जनपद में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। जिसके द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

तालिका 19.11

आयुर्वेदिक विभाग में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
1	चिकित्साधिकारी	764	595	169
2	पैरामेडिकल स्टाफ	792	752	40

दिनांक 21 जून 2017 को राज्य स्तर पर **योग दिवस** का आयोजन किया गया। जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी सहित लगभग 25000 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें राज्य के योग विशेषज्ञों के द्वारा योग के प्रदर्शन करते हुये जनमानस को जानकारी दी गयी।

राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विस्तृत प्रचार—प्रसार हेतु **दिनांक 17 अक्टूबर 2017** को **आयुर्वेद दिवस** का आयोजन किया गया। जिसमें देश के आयुष के विषय में विशिष्ट ज्ञाताओं के द्वारा आम जनमानस को जानकारी दी गयी, जिसमें मा0 मंत्री जी एवं मा0 विधायक गणों तथा विशिष्ट अतिथियों सहित लगभग 5000 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

19.11 स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधानः— चिकित्सा शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, शोध एवं अनुसंधान की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सा संस्थानों की स्थापना किया जाना है। राज्य में दो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तथा हल्द्वानी स्थापित है। 03 अन्य मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, रूद्रपुर तथा देहरादून निर्माणाधीन हैं जिनमें से 150 प्रशिक्षु क्षमता का दून मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2016—17 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

तालिका 19.12

एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की स्थिति वर्ष 2016–17

क्र0सं0	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट (संख्या)	प्रवेशार्थियों की संख्या
1	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल	100	100
2	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी	100	100
3	दून मेडिकल कालेज	150	—

एम्स ऋषिकेश

भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्वीकृत 06 एम्स मेडिकल कालेजों में से एक **उत्तराखण्ड राज्य में ऋषिकेश** में स्थापित है। वर्तमान में एम्स ऋषिकेश ने पूर्ण रूपेण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे राज्य की जनता लाभान्वित हो रही है।

19.11.1 स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून–

उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम नर्सिंग कॉलेज "स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग" की स्थापना वर्ष 2010 में हुई, जो चन्दरनगर, देहरादून में स्थित है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 1300 नर्सें सेवारत है।

संचालित पाठ्यक्रमों के नामः–

1. बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग)
2. पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग)
3. एम0एस0सी0 नर्सिंग

तालिका –19.13

नर्सिंग पाठ्यक्रम की स्थिति

क्र0सं0	संस्था का नाम	छात्र/ छात्राओं की संख्या
1	स्टेट कालेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून	
	(क) बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग	229
	(ख) पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग	37
2	नर्सिंग कालेज, हल्द्वानी	60

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आयुष्मान): सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में प्रथम कदम

देश के 10 करोड परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक की तृतीय स्तर/अस्पताल सेवा हेतु स्वास्थ्य बीमा दुनिया की अब तक की सबसे बडी स्वास्थ्य बीमा योजना है। परन्तु सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा का क्षेत्र तृतीय स्तर/अस्पताल सेवा से विस्तृत है। और इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखण्ड प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये हैं।

योजनान्तर्गत पूरे भारतवर्ष में 10 करोड परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। महत्वपूर्ण चुनौती है कि किस प्रकार राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 10 करोड परिवारों में फॉंट किया जायेगा। उत्तराखण्ड में एस.ई.सी.सी. के ऑंकडों के अनुसार 6,16,545 बी.पी.एल. परिवार है। पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के बीच हम मात्र 2,85,229 परिवारों

को स्मार्ट कार्ड वितरित कर पायें हैं तथा 12,747 परिवारों ने इस योजना के तहत क्लेम/लाभ प्राप्त किया। इस दौरान बीमा कम्पनियों के द्वारा चिकित्सालयों को ₹ 6,90,51,728 का भुगतान किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार आयुष्मान के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक जाति गणना (SECC) के अन्तर्गत चयनित संचित को ही लिया जायेगा, जिनकी संख्या लगभग चार लाख तिरासी हजार परिवार है।

इस योजना में मात्र मांग पक्ष में तृतीय स्तर/अस्पताल सेवा आच्छादित है। पर्वतीय तथा दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्वास्थ्य सुविधायें लगभग न के बराबर हैं। इन क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। साथ ही औसतन परिवारों का ज्यादातर खर्च बाह्य रोगी सेवा प्राप्त करने में होती है। इसके दृष्टिगत पूर्ति पक्ष में इन क्षेत्रों में बाह्य रोगी सेवा (Out Patient Care) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा हेतु उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) को सुदृढ करना अत्यन्त आवश्यक है। इन क्षेत्रों हेतु तृतीय स्तर सेवाके लिए भी जिला अस्पतालों को सुदृढ करना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुभवों से सीखते हुए निजी अस्पतालों के शोषक प्रवृतियों तथा बीमा कम्पनियों का निजी अस्पतालों के साथ सांठ गांठ होने की सम्भावना के दृष्टिगत योजना की पर्यवेक्षण की सुदृढ व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। निजी अस्पतालों द्वारा अनावश्यक जाँच तथा सर्जरी को बढावा देने की प्रवृति बनी रहती है। इस हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तय करने की भी आवश्यकता है ताकि रोगियों की जेब से खर्च कम से कम हो।

शहरी क्षेत्रों में भी बाह्य रोगी सेवा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आच्छादन को बढ़ाना होगा तथा जिला अस्पतालों में जनसंख्या के अनुसार सुविधायें बढ़ानी होगी।

राज्य सरकार द्वारा बाह्य रोगी सेवा को सुदृढ करने हेतु पूरे प्रदेश में प्रथम चरण में 500 एकीकृत AYUSH निदान केन्द्र (Wellness Centre) स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रत्येक जिला अस्पताल में Trauma Care Centre तथा जनसंख्या के मानको के अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

निदान केन्द्र की अवधारणा अत्यन्त प्रशंसनीय है परन्तु इस हेतु ए.एन.एम. तथा अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों के कल्याणकारी विचारों पर आधारित प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन की कमी दूर हो तथा उपलब्ध मानव संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करें, को भी सुनिश्चित करना होगा।

साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक आधुनिक चिकित्सा सेवायें पहुँचानें हेतु बडे पैमाने पर टेलीमेडिसिन तथा टेलीरेडियोलॉजी को प्रारम्भ किया है जो कि प्रदेश में जन-जन तक स्वास्थ्य सेवायें पहुँचानें की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

अध्याय-20

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

Women Empowerment & Child Development

20.1 सामान्य विवरण:– जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसख्या 100.86 लाख के सापेक्ष 49.5 लाख महिलायें हैं। राज्य की कुल साक्षरता दर 78.8 के सापेक्ष महिलाओं की साक्षरता दर 70.0 प्रतिशत है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य भागीदारी का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम है, यद्यपि 2001 की तुलना में 2011 में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य भागीदारी का प्रतिशत बढ़ा है। इसे चार्ट–20.1 में दिखाया गया है।

जनगणना, 2011 के अनुसार लिंगानुपात 2001 के सापेक्ष 962 से बढ़कर 963 हो गया है, किन्तु 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात 908 से घटकर 890 हो गया है, जो कि पड़ोसी राज्य हिमाचल व उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम है।

चार्ट–20.2 से स्पष्ट है कि लिंगानुपात को समान करने व महिलाओं की कार्य भागीदारी दर बढ़ाने तथा "सतत् विकास लक्ष्य–05" को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा 2004–05 से लगातार बाल विकास, महिला कल्याण, दिव्यांग, वृद्ध, निराश्रित कल्याण हेतु कुल बजट में वृद्धि की जाती रही है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष भी बजट की स्थिति विभिन्न वर्षों में 0.38 प्रतिशत से बढ़कर 0.72 प्रतिशत तक हुई है।

तालिका 20.1

क्र० सं०	जनपद	प्रति हजार पुरुषों पर महिलायें (स्त्री पुरुष अनुपात)		शिशु लिंग अनुपात (0 से 6 आयु वर्ग)	
		जनगणना 2001	जनगणना 2011	जनगणना 2001	जनगणना 2011
1	2	3	4	5	6
1	भारत	933	943	927	919
2	हिमाचल प्रदेश	968	972	896	909
3	उत्तर प्रदेश	898	912	916	902
4	उत्तराखण्ड	962	963	908	890

चार्ट 20.1

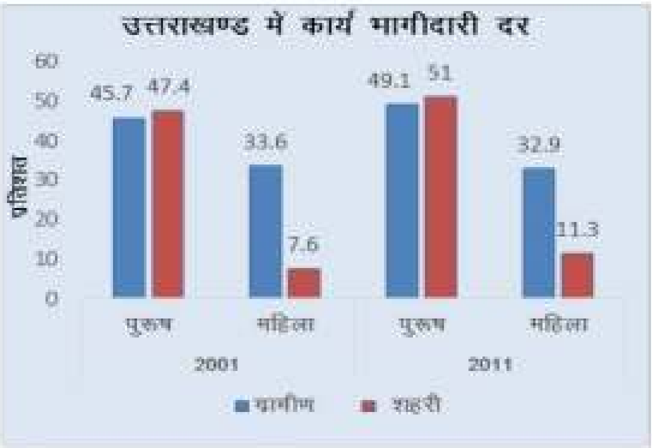

स्रोत– भारत की जनगणना वर्ष 2001, 2011

चार्ट 20.2 दिव्यांग, बाल/महिला/वृद्ध/निराश्रित कल्याण का कुल बजट तथा सकल घरेलू आय के सापेक्ष प्रतिशत

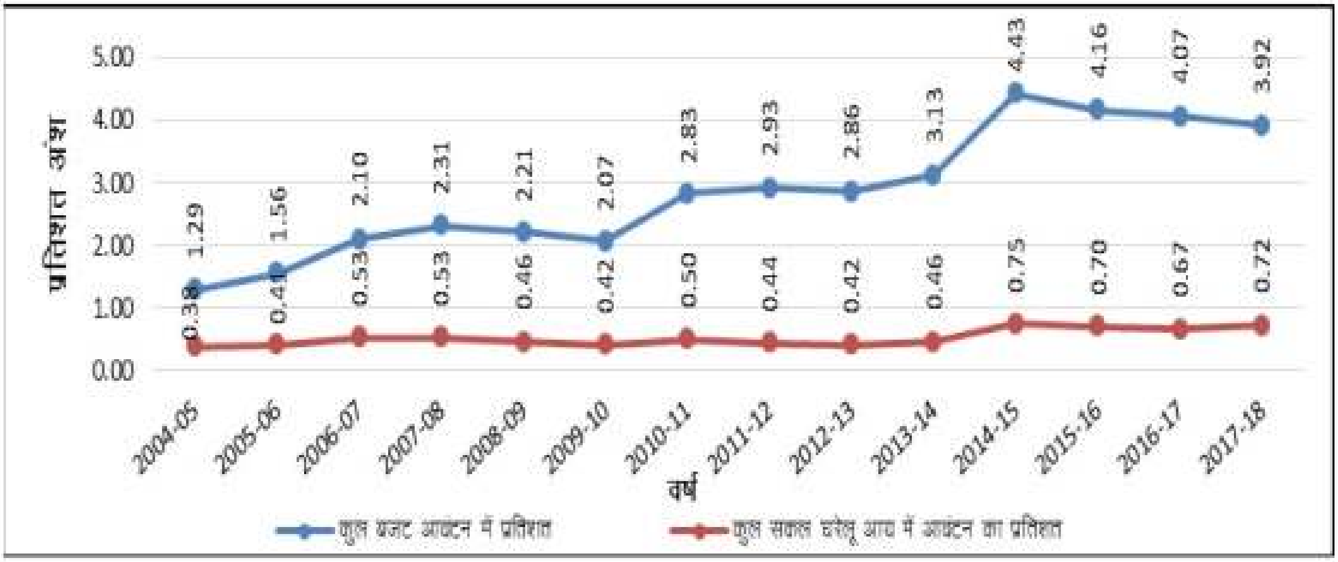

20.2 अवस्थापना सुविधायें:– वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में तथा 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 19614 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी में से शहरी क्षेत्रों में 1172 व ग्रामीण क्षेत्रों में 18442 केन्द्र संचालित है। योजनाओं के अनुश्रवण तथा प्रचार–प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 01 स्पंदन केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता होगी। तालिका–20.2 के अनुसार राज्य में 19614 आंगनबाड़ी/ मिनी केन्द्रों में कुल 33055 कार्यकत्री/सहायिकायें कार्यरत हैं।

तालिका 20.2

क्र० सं०	जनपद	बाल विकास परियोजनायें	आंगनबाड़ी केन्द्र (संख्या)	मिनी आंगनबाड़ी (संख्या)	आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी में कार्यकत्री (संख्या)	आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका (संख्या)
1	उत्तरकाशी	6	666	386	955	595
2	चमोली	9	722	341	1051	710
3	टिहरी	9	1265	693	1924	1205
4	देहरादून	7	1654	243	1859	1596
5	पौड़ी	15	1076	699	1731	1030
6	रूद्रप्रयाग	3	459	225	678	455
7	हरिद्वार	11	2842	62	2791	2516
8	अल्मोड़ा	11	1195	665	1818	1167
9	बागेश्वर	3	558	276	824	548
10	नैनीताल	9	1032	384	1403	1022
11	ऊधमसिंहनगर	10	2191	196	2345	2104
12	पिथौरागढ़	8	649	453	1064	622
13	चम्पावत	4	397	283	659	383
उत्तराखण्ड राज्य		**105**	**14708**	**4906**	**19102**	**13953**

तालिका 20.3 राज्य में गर्भवती/धात्री महिलाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित गर्भवती महिलायें	लाभान्वित धात्री महिलायें
2013–14	95981	114630
2014–15	102646	115088
2015–16	96737	100196
2016–17	95823	100057
2017–18 (दिसम्बर 2017)	88744	82350

आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष गर्भवती धात्री महिलाओं एवं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सर्वप्रथम वार्षिक सर्वेक्षण कराया जाता है। तत्पश्चात् 3–4 माह की गर्भवती महिलाओं का **"Mother & Child Protection Card" (MCP)** तैयार कर आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकरण कराया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न संकेतकों को MIS के अन्तर्गत विकसित किया जाता है। वर्तमान में लगभग 60000 लाभार्थियों का MIS डाटा लिंक हो चुका है। तालिका– 20.3 के अनुसार दिसम्बर 2017 तक 88744 गर्भवती व 82350 धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

20.3 कुपोषण की स्थिति– तालिका-20.4 से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 2017–18 में 1619 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए हैं, जो कि पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत कम है। ऐसे बच्चों को "ऊर्जा" पोषाहार वितरित किया जा रहा है, जिससे 113 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गये हैं।

तालिका 20.4 राज्य के कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्षवार विवरण

श्रेणी	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18
कुपोषित बच्चे	47993	32492	25149	20035
अति कुपोषित बच्चे	4097	2870	1686	1619

तालिका 20.5

क्र० सं०	मद	आधार वर्ष 2005–06				आधार वर्ष 2015–16			
		भारत	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश
1	5 वर्ष की आयु से कम अविकसित बच्चे	48.0	56.8	**44.4**	38.6	38.4	46.3	**33.5**	26.3
2	5 वर्ष की आयु से कम कमजोर बच्चे	19.8	14.8	**18.8**	19.3	21.0	17.9	**19.5**	13.7
3	5 वर्ष की आयु से कम अल्प भार वाले बच्चे	42.5	42.4	**38.0**	36.5	35.7	39.5	**26.6**	21.2

स्रोत– एन०एफ०एच०एस०–4, 2015–16

तालिका– 20.5 के अनुसार राज्य में अविकसित व अल्प भार वाले बच्चों के प्रतिशत में वर्ष 2005–06 के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में कमी आयी है, परन्तु यह प्रतिशत पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से अभी भी अधिक है। सतत् विकास लक्ष्य 2.2 के क्रम में इसे 2030 तक 5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

तालिका 20.6 राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत पोषक आहार प्राप्त करने वाले 0–6 वर्ष के बच्चों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित	
	0–3 वर्ष के बच्चे	3–6 वर्ष के बच्चे
2013–14	488630	262044
2014–15	474045	269232
2015–16	532263	255805
2016–17	546323	246153
2017–18 (दिसम्बर 2017)	461748	220526

इस प्रकार बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2017–18 में प्राविधानित ₹ 71807.32 लाख के सापेक्ष ₹ 63779.23 लाख की स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2017 तक ₹ 24008.92 लाख व्यय किया गया है। उक्त के क्रम में विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

20.4 केन्द्र पोषित योजनायें

20.4.1 अनुपूरक पोषाहार– योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017–18 में 1065399 लाभार्थी आंगनबाड़ी में पंजीकृत है और 853368 को लाभान्वित किया जा रहा है। अनुपूरक पोषाहार की राशि केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में है।

20.4.2 कुक्ड फूड:– इस योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) एवं मॉर्निंग स्नैक्स भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में कुल 220526 बच्चों को कुक्ड फूड दिया जा रहा है।

20.4.3 टेक होम राशन:– इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त साप्ताहिक राशन (माह मे कुल 25 दिन) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर दोगुना पोषाहार एवं ऊर्जा

आधारित–Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) पोषाहार दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2017–18 मे कुल 550492 लाभार्थियों को टेक होम राशन दिया जा रहा है।

20.4.4 स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरणः– इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 से प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट हेतु ₹ 1000/– एवं मिनी केन्द्र पर मिनी मेडिसिन किट हेतु ₹ 500/– का वार्षिक मानक भारत सरकार से निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करवायी जाती हैं।

20.4.5 वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाएंः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु वजन मशीन, वजन के अंकन हेतु ग्रोथ चार्ट बुकलैट तथा महिलाओं को सही वजन के विषय पर परामर्श हेतु सामुदायिक ग्रोथ चार्ट आंगनबाडी केन्द्र पर उपलब्ध है। वर्ष 2017–18 में पंजीकृत 873794 लाभार्थियो के सापेक्ष कुल 678193 के वजन का अनुश्रवण किया गया।

20.4.6 स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षाः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यकत्रियों के द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल 237067 महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य पोषण की जानकारी दी जा रही है।

20.4.7 स्कूल पूर्व शिक्षाः– इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 से ₹ 5000/– प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र तथा ₹ 5000/–प्रति मिनी केन्द्र का मानक भारत सरकार से प्री–स्कूल किट एवं एक्टीविटी बुक आदि निर्धारित है। वर्ष 2017 –18 में कुल 331336 बच्चे पंजीकृत हुए और कुल 220526 बच्चो की उपस्थिति दर्ज की गयी।

20.4.8 प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY):– इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार सहायतित प्रधान मंत्री मातृ वन्दना योजना में आई0सी0डी0एस0 के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला तीन किश्तों में कुल ₹ 5000/– की राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत कुल ₹ 233.27 लाख के बजट की स्वीकृती जारी की गयी है इस योजना के अंतर्गत अभी तक 16447 आवेदन प्राप्त हुए है जिनको लाभान्वित करने की प्रक्रिया गतिमान है।

20.4.9 किशोरी शक्ति योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किशोरी शक्ति योजना राज्य के 09 जनपदों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, उधमसिंहनगर, टिहरी गढ़वाल) की 70 बाल विकास परियोजनाओ में संचालित है। योजनान्तर्गत प्रत्येक बाल विकास परियोजना हेतु ₹ 1.10 लाख की वार्षिक धनराशि का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष के अन्त तक 50 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि ₹ 77.00 लाख के सापेक्ष ₹ 5.46 लाख प्राप्त हुये हैं।

20.5 राज्य सेक्टर की योजनायें

20.5.1 उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग– इस योजना के अन्तर्गत बालश्रम, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड आदि में वर्ष 2017–18 मे कुल 129 प्रकरण दर्ज हुए है, जिसमें से 19 का निस्तारण किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि ₹ 45.42 लाख के सापेक्ष व्यय धनराशि ₹ 25.26 लाख है।

20.5.2 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण– घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी को संरक्षण अधिकारी के रुप में नामित किया गया है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के द्वारा दर्ज प्रकरणों की संख्या 1631 है, जिसमें से 545 मामलों का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त धनराशि ₹ 50.00 लाख है।

20.5.3 उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजनाः– योजनान्तर्गत कुल 64 विकास खण्डों में संचालित परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत कुल 1952 महिला स्वयं सहायता समूह एवं 6600 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गतमहिला समूह द्वारा चारों धामों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री), में आदिभोग प्रसाद का उत्पादन एवं विपणन किया गया है व बच्चो, गर्भवती / धात्री महिलाओं को वितरण हेतु टेक होम राशन के रुप में पोषाहार भी बनाया जाता है। योजनान्तर्गत प्राविधानित ₹ 130 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण व्यय कर लिया गया है।

20.5.4 राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 363 लाभार्थियों को उनके आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर परिसम्पत्तियों का वितरण किया गया है, जिसके तहत देहरादून में 158 एवं जनपद हरिद्वार 205 लाभार्थी सम्मिलित हैं। योजनान्तर्गत जनपद देहरादून, सुद्धोवाला कारावास में 40 महिला कैदियों हेतु प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। वर्तमान में बैग मैकिंग, हैण्डी क्राफट, एपेण, सिलाई–कढ़ाई के कार्य करते हुए ₹ 1500 से ₹ 3000 तक मासिक आय अर्जित की जा रही है। निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु इन्दिरा अम्मा कैन्टीन, सचिवालय परिसर एवं दून अस्तपताल के भीतर एक–एक Show Case में महिला उत्पादों को विपणन हेतु लगवाया गया है। वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 1 करोड़ स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शत्–प्रतिशत व्यय किया गया है।

20.5.5 कामकाजी महिला छात्रावासः– इस योजना के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है जबकि जनपद उत्तरकाशी में किराये के भवन में महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। जनपद हरिद्वार मे छात्रावास का कार्य पूरा हो चुका है और उधम सिंह नगर मे छात्रवास के लिए भूमि का चयन हो चुका है।

20.5.6 निर्भया योजनाः– इस योजनान्तर्गत माह–दिसम्बर 2017 तक कुल 910 प्रकरण पंजीकृत किये जा चुके हैं। ''उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013'' के अन्तर्गत वर्तमान तक कुल 75 पीड़िताओं को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 50.00 लाख का बजट आवंटित हुआ है, जिसके सापेक्ष ₹ 42.49 लाख व्यय किया गया है।

20.5.7 नन्दा गौरा योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर ''नन्दा गौरा योजना'' संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार की प्रथम 02 बालिकाओं को सात किश्तो में ₹ 51000 की धनराशि प्राप्त करायी जायेगी। इस वर्ष 65000 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है तथा 132 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 13500.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है।

20.5.8 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था– इस योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सैनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराने हेतु जनपद टिहरी, बागेश्वर नैनीताल मे सेनेटरी नैपकीन यूनिट स्वीकृत हो चुकी है, जबकि जिला नवाचार निधि के

अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर तथा चमोली में स्वयं सहायता समूह की सहायता से कम लागत की सेनेटरी नैपकीन तैयार करने की ईकाई स्थापित की गई है।

20.6– अन्य योजनायें

20.6.1 सबला योजना– इस योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के समन्वित विकास एवं सशक्तिकरण को केन्द्रित करते हुए भारत सरकार सहायतित सबला योजना नवम्बर 2010 से जनपद हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी एवं नैनीताल के अन्तर्गत 35 बाल विकास परियोजनाओं में लागू की गयी है। प्रति परियोजना ₹ 3.80 लाख प्रति वर्ष व्यय का प्राविधान है। 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली एवं 15 से 18 वर्ष की समस्त किशोरियों को अनुपूरक पोषाहार दिये जाने की व्यवस्था सबला योजना में रखी गयी है। वर्ष में तृतीय त्रैमासान्त तक 21381 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया गया है। आलोच्य वर्ष में 25 हजार लाभार्थियो को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

20.6.2 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओः– इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बालिका लिंगानुपात में सुधारात्मक प्रयास करने हेतु बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने और उसमें वृद्धि करने हेतु विभिन्न पहल की जा रही है। जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी पर गुड्डा–गुड्डी बोर्ड लगाया गया है, इसके अतिरिक्त बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु 167 बालिकाओं को साईकिल का वितरण किया गया, साथ ही 17 सितम्बर, 2017 को देहरादून से हरिद्वार तक साईकिल रैली का आयोजन भी किया गया।

20.6.3 वन स्टॉप सेन्टरः– योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा–गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, न्याय विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्था से समन्वयन कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध/दुर्व्यवहार के प्रति एक ही परिसर में उचित चिकित्सीय सुविधा, कानूनी सलाह, परामर्श एवं प्राथमिकी दर्ज करने से सम्बन्धी अन्य आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में वन स्टॉप सेन्टर संचालित है। योजनान्तर्गत कुल 212 प्रकरण पंजीकृत हुए हैं। तथा वूमेन हेल्पलाईन 181 संचालन से 1157 केस पंजीकृत हुये हैं।

20.6.4 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण– इस योजना के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रतिपादन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन व्यवस्था हेतु वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिये ₹ 1.00 लाख प्रति भवन प्रदान करेगा। वर्ष 2018–19 में 1401 नये ओर 490 भवनों को उच्चीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश में विभाग द्वारा किये गये प्रयास

- **सेनेटरी नैपकीन वैंडिग मशीनः–** जनपद उधम सिंह नगर के खण्ड विकास कार्यालय, रूद्रपुर में सेनेटरी नैपकीन की वैंडिग मशीन की स्थापना की गयी है और निकट भविष्य में किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- **वैष्णवी किटः–** 50 ऐसी महिलाएं, जिन्होंने बालिकाओं को जन्म दिया है, को बालिका दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वैष्णवी किट प्रदान की गयी।

आर्थिक क्रियाकलापों में महिलाओं की प्रतिभागिता

उत्तराखण्ड की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है तथा पर्वतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में किये गये एक शोध Women Participatation in Decision Making and Women Drudgery in High Hilly Districts of Uttarakhand, 2016-17 के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की घरेलू महिलाओं द्वारा कृषि एवं ईधन हेतु लकड़ी के संग्रह कार्य में सबसे अधिक क्रमशः 14.09 व 13.69 प्रतिशत समय व्यतीत किया जाता है। तालिका–20.8 के अनुसार यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि सामान्यतः महिलाओं द्वारा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में निर्णय लेने की क्षमता न्यून है।

तालिका 20.7

आर्थिक क्रियाकलाप	भागीदारी के स्तर			
	उच्च	मध्यम	निम्न	नहीं
विभिन्न सामग्री पर व्यय	12.50	27.81	19.38	40.31
घरेलू जरूरतों पर व्यय	3.44	7.19	5.31	84.06
बचत	4.06	12.5	36.25	47.19
जानवरों की खरीद फरोख्त	4.69	13.13	10.31	71.88
जमीन की खरीद फरोख्त	2.50	5.94	3.75	87.81
मकान का किराया	1.25	4.38	5.94	88.44
कृषि उत्पादन की बिक्री	3.75	14.69	14.38	67.19
आभूषणों पर व्यय	10.63	13.75	19.69	55.94
योग	**5.35**	**12.42**	**14.38**	**67.85**

स्रोत–उत्तराखण्ड राज्य के सम्मानित नागरिकों का समय–उपयोग संबंधी अध्ययन वर्ष 2016–17

उत्तराखण्ड उच्च तकनीकी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) शिक्षा में महिलाओं की सहभागिताः एक दृष्टि

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार व उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद **(UCOST)** के तत्वावधान में “Assessing the Participation of Women In Sciences & Technology within University”, परियोजना के अन्तर्गत राज्य में 20 विश्वविद्यालयों का चयन कर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें विज्ञान एव प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

- विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रणाली में महिलाओं की सहभागिता दर 25 प्रतिशत है।
- कुल शिक्षण संकाय में 9 प्रतिशत महिला संकाय/प्रवक्ता व 16 प्रतिशत महिला शोधार्थी है। महिला शोधार्थियों की संख्या कुल महिला प्रवक्ताओं से अधिक है।
- निजी विश्वविद्यालयों में महिला संकाय की भागीदारी (16.01 प्रतिशत) तथा राजकीय विश्वविद्यालयों में (20.98 प्रतिशत) है।
- राज्य के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकायों में महिला पी0एच0डी0 धारक 11 प्रतिशत तथा राजकीय विश्वविद्यालयों में महिला पी0एच0डी0 धारक 18 प्रतिशत है। 81 प्रतिशत पी0एच0डी0 धारक महिलायें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में कार्यरत है।
- राज्य में सभी तरह के विश्वविद्यालयों एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत महिलाओं की प्रतिभागिता 33 प्रतिशत अंकित की गयी है।

घटता लिंगानुपात, बढता शिशु व बाल मृत्यु दर तथा कुपोषण: एक चिन्ता का विषय

(Declining Sex Ratio, Rising Neonatal & Under 5 Child Mortality Rate and Malnutrition: A cause for concern)

फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा Healthy State, Progressive India के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है, जिसमें राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सूचकों के आधार पर रैंकिंग की गयी है। इस "Performance in Health Outcomes" सूची के माध्यम से विभिन्न सूचकों (स्वास्थ्य परिणाम, शासन और प्रक्रिया) के आधार पर राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति को मापने का प्रयास किया गया है।

तालिका 20.8

Health Index : Summary

Domain	Subdomain	Number of Indicators	Weight
Health Outcome	Key Outcomes	5	500
	Intermediate Outcomes	6	300
Governance & Informative	Health Monitoring & Data Integrity	1	70
	Governance	2	60
Key Inputs/Processes	Health Systems/service delivery	10	200
Total		**24**	**1130**

Chart-20.3

Figure - Larger States: Overall performance- Composite index score and rank, base and reference years

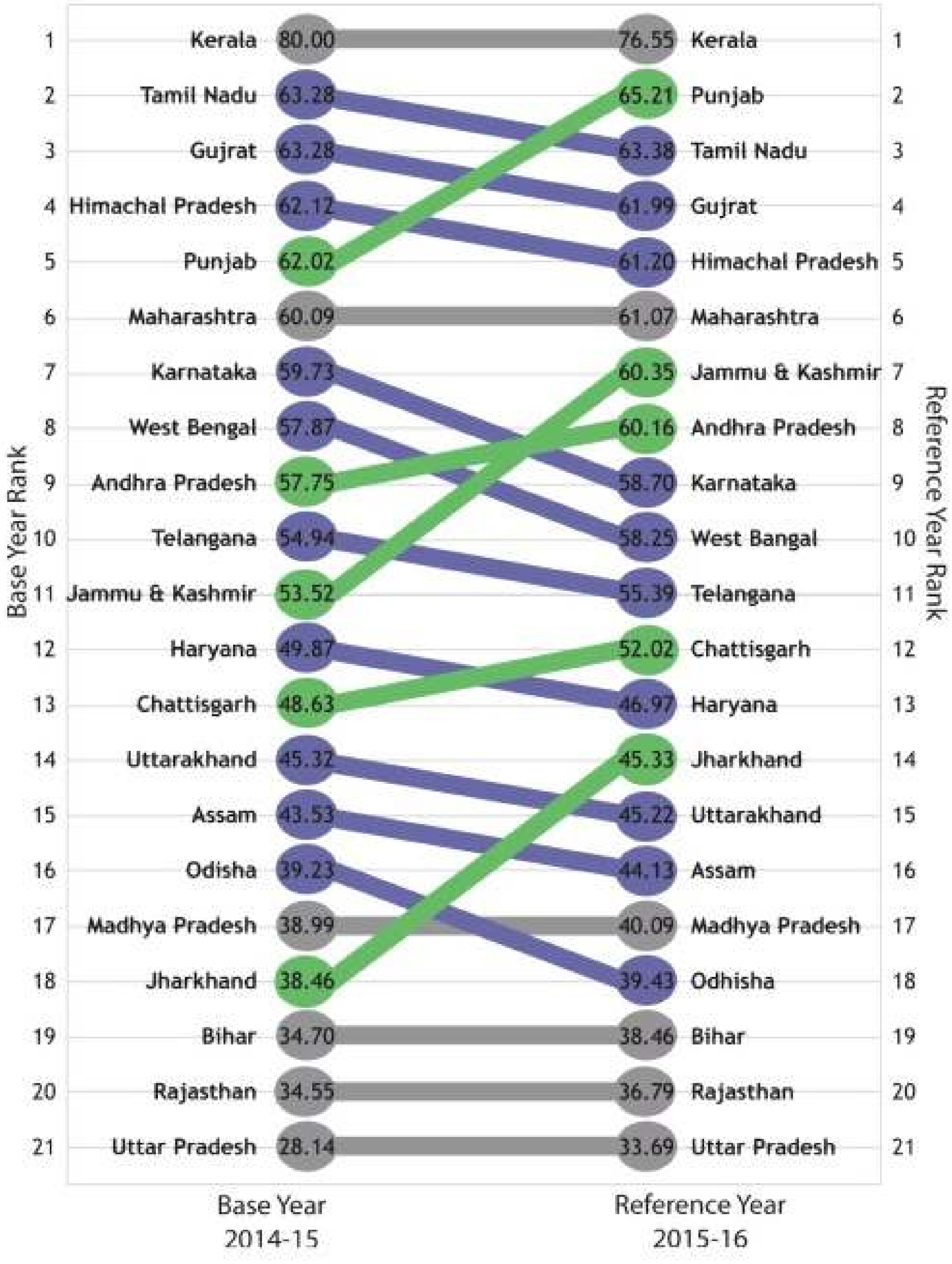

Key Outcomes

- Neonatal Mortality Rate (NMR)
- Under (infants up to 28 days) five Mortality (U5MR)
- Total Fertility Rate (TFR)
- Proportion of low Birth weight (LBW) among newborn
- Sex Ratio at Birth (SRB)

Intermediate Outcomes

- Full Immunization Coverage
- Proportion of Institutional deliveries
- Total case notification rate of Tuberculosis (TB)
- Treatment success rate of new microbiologically conformed TB cases
- Proportion of people living with HIV on Antiretroviral Therapy (ART)
- Average out of pocket expenditures per delivery in public health facility (in INR)

उत्तराखण्ड का समग्र सूचकांक स्कोर, Base Year (2014-15) के 45.32 से घटकर Reference Year (2015-16) में 45.22 पर आ गया, जो चिन्ताजनक है। यदि प्रमुख स्वास्थ्य परिणाम के सूचकों के सापेक्ष उत्तराखण्ड के प्रदर्शन को देखा जाये तो स्थिति और भी चिन्ताजनक है।

- NMR (जन्म के 28 दिनों के अन्दर शिशुओं की मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म)
- यह जन्म से पूर्व (Prenatal), प्रसव के दौरान (Intrapartum) तथा नवजात (Neonatal) देखरेख से सम्बन्धित सेवाओं के प्रभावकारिता को दर्शाता है।
- उत्तराखण्ड, हरियाणा तथा बिहार के साथ उन तीन राज्यों में है जहाँ NMR 2014 से 2015 के बीच बढा है। उत्तराखण्ड का NMR 26 से बढकर 28 हो गया है।
- U5MR (5 वर्ष की आयु तक बच्चों के मृत्यु की संभावना अर्थात् 5 वर्ष के कम के बच्चों की मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म)
- यह कई घटकों के सम्मिलित प्रभाव को दर्शाता है जैसे बच्चों में पोषण, माताओं के स्वास्थ्य ज्ञान, परिवार की आय, टीकाकरण, औरल रिहाइड्रेशन थैरेपी, माता तथा बच्चों हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता व पहुँच, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता आदि।
- उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र तथा हरियाणा के साथ उन तीन राज्यों में हैं जहाँ U5MR वर्ष 2014 से 2015 के बीच बढा है। उत्तराखण्ड का U5MR 36 से बढकर 38 हो गया है।
- Sex Ratio at Birth (जन्म के समय लिंगानुपात (प्रति 1000 लडकों के सापेक्ष जन्मी लडकियों की संख्या)
- यह लिंग वरणात्मक (Sex Selective) गर्भपात को दर्शाता है।
- उत्तराखण्ड उन राज्यों के साथ है जहाँ जन्म के समय लिंगानुपात 10 या ज्यादा अंकों से कम हुआ है।
- उत्तराखण्ड का जन्म के साथ लिंगानुपात 2014 से 2015 के बीच 871 से घटकर 844 हो गया। मात्र तीन राज्य ऐसे हैं जहां जन्म के समय लिंगानुपात बढा है, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब। यही एक ऐसा स्वास्थ्य सूचक है जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचलनों से ज्यादा प्रभावित है।
- संस्थागत प्रसव का अनुपात
- यह माता तथा शिशु दोनों की मृत्यु दरों तथा बच्चों के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के हाथ में है। यदि सुविधा उपलब्ध हो तो, कोई परिवार संस्थागत प्रसव की सुविधा को ना नहीं करेगा। यदि हम संस्थागत प्रसव को शत प्रतिशत कर देते हैं तब हम NMR, U5MR, Low Immunization, IMR, MMR सभी को एक साथ ठीक कर सकते हैं।
- जन्म से पूर्व (Antenatal Care) देखरेख हेतु हुए कुल पंजीकरण के सापेक्ष प्रथम तिमाही में हुए पंजीकरण की संख्या कुछ राज्यों जैसे तेलंगाना को छोडकर ज्यादातर राज्यों ने इस अनुपात को बढाया है।

- अच्छी सूचना यह है कि उत्तराखण्ड ने इस अनुपात को 2014 से 2015 के बीच 59.1 से बढकर 62.5 प्रतिशत कर लिया है अर्थात् कुल पंजीकरण का मात्र 62.5 प्रतिशत पंजीकरण ही प्रथम तिमाही में हो पाता है। दिक्कत यह है कि हमें पता नहीं है कि कितनी गर्भवती महिलाओं ने पंजीकरण कराया ही नहीं।

क्या करना चाहिए ?

- नीति आयोग की रिपोर्ट के अन्त में Institutionalization Taking the Index Ahead शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी हस्तक्षेप के लिए समय पर शुद्ध व प्रासंगिक आँकडों की उपलब्धता को सबसे महत्वपूर्ण बताया है।

Importance of Data for Feedback and Timely Interventions

The Exercise calls for urgent improvement of the data system in health for timeliness, accuracy and relevance. The quality of HMIS and program-specific MIS data needs to be improved in terms of consistency between Center and State data, coverage of private sector data, data scrutiny, thrust area indicators and data definitions. The MIS also needs strengthening to provide appropriate denominators. For example, the HMIS captures the number of anemic women but does not provide data on the appropriate denominator (i.e. total number of women tested for anemia). Furthermore, the SRS needs to generate data in a timely manner and should explore the possibility of generating the data on key health outcomes including NMR, U5MR, TFR, MMR and SRB for all States and UTs. Data sourced at the State-level on key areas such as human resources and finances needs to be strengthened in terms of availability and its quality.

- समयगत वास्तविक व्यापक माता एवं बाल ट्रैकिंग व्यवस्था (Real Time Comprehensive Mother and Child Tracking System)
- अन्तिम मासिक अवधि (Last Menstrual Period, LMP) की तारीख से 7 से 8वें सप्ताह में लिंग की जानकरी प्राप्त की जा सकती है। यदि लिंग वरणात्मक (Sex Selective) गर्भपात को रोकना है तथा जन्म के समय लिंगानुपात को बढ़ाना है तो 8वें सप्ताह से अधिकतम 12वें सप्ताह तक शतप्रतिशत पंजीकरण करना आवश्यक है।
- पंजीकरण को आधार संख्या से जोड दिया जाये तथा गर्भवती महिला को प्रसव तक तथा प्रसव के बाद उस बच्चे को पूर्ण टीकाकरण तथा विकास की अवधि (0–14 वर्ष तक) तक ट्रैक की जाये। ऐसा करने से हम न सिर्फ लिंग वरणात्मक गर्भपात को रोक पायेंगे बल्कि गर्भवती महिला के पोषण, बीमारी, दवा तथा संस्थागत प्रसव के साथ–साथ बच्चे के पोषण, बीमारी, टीकाकरण, शिक्षा तथा सम्पूर्ण विकास को नियंत्रित कर सकते हैं।
- इसके लिए Software तथा एक Mobile App बनाया जा सकता है। आँगनवाडी कार्यकत्रियों को इसका नोडल बनाकर उन्हें एक Tab Device दिया जा सकता है।
- कुपोषण (Malnutrition/Stunting) एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जिसका यदि समय पर निदान नहीं किया गया तो बच्चों का शारीरिक और मस्तिष्क विकास दोनों रूक सकता है। बाद में पोषण देने पर शारीरिक वृद्धि तो हो सकती है परन्तु मस्तिष्क विकास शायद सम्भव न हो।

अतः हमें माहवार वास्तविक आँकडे चाहिए जिसे प्रत्येक स्तर पर देखा तथा विश्लेषण कर हस्तक्षेप किया जा सके।

अध्याय–21

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

Rural Development & Panchayati Raj

उत्तराखण्ड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत सरकार द्वारा 2030 तक स्थापित 17 सतत विकास के लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) में से **एस0डी0जी0–1** (सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अन्त करना), **एस0डी0जी0–2** (लैंगिक समानता हासिल करना तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना), **एस0डी0जी0–8** (सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढावा देना) तथा **एस0डी0जी0–9** (समुत्थानशील अपसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना) के विभिन्न लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास सूचकः– समाजार्थिक जाति गणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के वंचित परिवारों (Deprived Family) का विवरण तालिका 21.1 के अनुसार है।

तालिका–21.1

वंचित परिवारों (Deprived Family) का विवरण

जनपद	वंचित परिवारों कीसंख्या	भूमिहीन परिवारो की संख्या जिनकी आय का मुख्य श्रोत अकुशल मजदूरी है
उत्तरकाशी	41209	1793
चमोली	30870	1322
रूद्रप्रयाग	15809	991
टिहरी गढ़वाल	56824	3819
देहरादून	44190	21880
पौड़ी गढ़वाल	63818	3341
पिथौरागढ़	49172	2234
बागेश्वर	25496	1714
अल्मोड़ा	64709	2403
चम्पावत	27256	2098
नैनीताल	43245	9773
ऊधमसिंह नगर	87544	53206
हरिद्वार	101544	77090
उत्तराखण्ड	651686	179261

ग्रामीण परिवारों की मासिक आय उनके जीवन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। समाजार्थिक जाति जनगणना 2011 (ग्राम्य विकास) के अनुसार जनपदवार ग्रामीण परिवारों की मासिक आय को (परिवार में अधिकतम आय कमाने वाले सदस्य के अनुसार) तालिका–21.2 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 21.2 जनपदवार ग्रामीण परिवारों का उनकी मासिक आय के अनुसार विवरण

(परिवार के अधिकतम आय कमाने वाले सदस्य)

(प्रतिशत में)

जनपद	₹ 5000 से कम	₹ 5000 से ₹ 10000 के बीच	₹ 10000 से अधिक
उत्तरकाशी	80.10	9.05	10.84
चमोली	60.07	24.21	15.72
रूद्रप्रयाग	53.74	31.32	14.94
टिहरी गढ़वाल	70.94	19.47	9.59
देहरादून	48.95	23.95	27.10
पौड़ी गढ़वाल	59.17	23.87	16.96
पिथौरागढ़	62.83	19.78	17.39
बागेश्वर	66.37	20.99	12.64
अल्मोड़ा	73.30	16.24	10.47
चम्पावत	73.12	14.03	12.85
नैनीताल	61.78	20.90	17.31
ऊधमसिंह नगर	65.02	22.24	12.74
हरिद्वार	62.56	27.00	10.44
उत्तराखण्ड	**63.41**	**21.86**	**14.72**
सम्पूर्ण भारत	**74.52**	**17.18**	**8.25**

स्रोत–समाजार्थिक जाति गणना 2011 (ग्राम्य विकास)

तालिका–21.2 के अनुसार उत्तराखण्ड में ₹ 5000 से कम अधिकतम आय कमाने वाले सदस्यों की संख्या सबसे अधिक (63.41 प्रतिशत) है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 11 प्रतिशत कम है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आय सृजन,

बेहतर रोजगार एवं उच्च जीवन यापन हेतु शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जा रहा है।

वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना की तुलना करने पर भी संज्ञान में आता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत भी कम हुआ है। जनपद चम्पावत तथा उत्तरकाशी को छोड़कर जिनमें ग्रामीण जनसंख्या में वर्ष 2001 की अपेक्षा वर्ष 2011 में क्रमशः 0.11 प्रतिशत तथा 0.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, शेष सभी जनपदों में ग्रामीण जनसंख्या में कमी हुई है। जनपद अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल में कुल जनसंख्या में क्रमशः 0.13 प्रतिशत तथा 0.14 प्रतिशत कमी हुई है तथा शेष सभी जनपदों की कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है जो कि तालिका–21.3 से जनपदवार स्वतः स्पष्ट होता है–

तालिका–21.3 उत्तराखण्ड की जनपदवार जनसंख्या

जनपद	कुल जनसंख्या (सं0)			कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	
	2001	**2011**	**वृद्धि**	**2001**	**2011**
अल्मोड़ा	630567	622506	-0.13	91.28	89.89
बागेश्वर	249462	259898	0.41	97.19	96.54
चमोली	370359	391605	0.56	86.49	84.69
नैनीताल	762909	954605	2.27	64.74	61.05
चम्पावत	224542	259648	1.46	84.89	85.00
पौड़ी गढ़वाल	697078	687271	-0.14	87.09	86.21
पिथौरागढ़	462289	483439	0.45	87.01	85.71
रूद्रप्रयाग	227439	242285	0.63	99.12	95.87
टिहरी गढ़वाल	604747	618931	0.23	90.08	88.69
उत्तरकाशी	295013	330086	1.13	92.20	92.73
पहाडी क्षेत्र	**4524405**	**4850274**	**0.70**	**85.63**	**83.27**
हरिद्वार	762909	954605	2.27	69.18	63.33
देहरादून	1282143	1696694	2.84	47.04	44.49
ऊधम सिंह नगर	1235614	1648902	2.93	67.39	64.40
मैदानी क्षेत्र	**3280666**	**4300201**	**2.74**	**61.46**	**57.56**
उत्तराखण्ड	**8489349**	**10086292**	**1.74**	**74.33**	**69.77**

Source-Census 2001 and 2011

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का जनपदवार आंकलन– "गिरि इन्स्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज" संस्थान लखनऊ द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का जनपदवार आंकलन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय ₹ 880 तथा नगरीय क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय ₹ 1082 का मानक लिया गया है।

तालिका–21.4 से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 17.52 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, जिसमें ऊधमसिंह नगर में सबसे कम 9.40 प्रतिशत तथा पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक 29.89 प्रतिशत है।

तालिका–21.4
जनपदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत (भाव समायोजन आधार पर)
(वर्ष 2011–12)

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण	कुल
1	उत्तरकाशी	19.97	18.98
2	चमोली	13.09	12.47
3	रूद्रप्रयाग	19.26	18.75
4	टिहरी गढ़वाल	10.85	10.15
5	देहरादून	11.16	9.22
6	पौड़ी गढ़वाल	29.89	28.50
7	पिथौरागढ़	16.74	16.64
8	बागेश्वर	28.04	27.37
9	अल्मोड़ा	21.89	20.73
10	चम्पावत	18.31	23.03
11	ऊधमसिंह नगर	9.40	13.13
12	हरिद्वार	23.50	19.49
13	नैनीताल	11.53	10.86
	उत्तराखण्ड	**17.52**	**16.03**

Source: Report "Estimation of District Level Poverty in Uttarakhand", GIDS Lucknow, November, 2017 (page no. 85)

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य में गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु प्रयास करने आवश्यक हैं, जिस हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के आजीविका एवं रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें हैं। मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है–

केन्द्र पोषित योजनायें

21.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)– स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के स्थान पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन को प्रदेश में 01.04.2013 से आरम्भ किया गया, जिसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में 10 विकास खण्डों नामतः सहसपुर, डोईवाला, दुगड्डा, यमकेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, रामनगर, कोटाबाग, काशीपुर, तथा जसपुर को कार्यक्रम के कार्यन्वयन हेतु लिया गया है। आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत स्वरोजगार गतिविधियों जैसे कि ऋण वितरण, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता विकास एवं संस्थागत निर्माण आदि का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। **राज्य में क्रियान्वित सभी योजनाओं के अन्तर्गत कुल 54753 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिनमें से केवल 14969 समूह सक्रिय हैं।**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 21.34 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया है, जिसमें कुल 3268 महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कुल 7050 स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कुल ₹ 16.33 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए जाने हैं, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2017 तक कुल 4338 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 2.79 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2017 तक जिलेवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

तालिका 21.5
एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत जिलेवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (₹ लाख में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
देहरादून	920	480	276.00	9.50
पौड़ी गढ़वाल	1100	570	289.00	112.90
चमोली	740	323	138.50	8.00
नैनीताल	740	507	155.00	21.38
उधमसिंह नगर	1150	777	322.50	22.50
उत्तरकाशी	230	128	35.00	0.00
टिहरी	310	223	30.50	0.00
रूद्रप्रयाग	230	244	77.50	6.50
हरिद्वार	650	472	82.00	11.00
चम्पावत	230	74	34.50	14.00
अल्मोड़ा	250	192	65.00	17.00
बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00
पिथौरागढ़	500	348	128.00	56.01
कुल योग	**7050**	**4338**	**1633.50**	**278.79**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर तक लक्ष्य के सापेक्ष 62 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 17 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया है।

21.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– ग्रामीण गरीबों के लिए कौशल एवं नियोजन के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य आवश्यकतानुसार ग्रामीण गरीबों की आय को

विविधीकरण के माध्यम से विकसित करना एवं ग्रामीण युवाओं की व्यवसाय हेतु आकांक्षाओं को पूर्ण करना हैं।

इस योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कुल प्रशिक्षित ग्रामीण गरीब युवाओं के 70 प्रतिशत को सुनिश्चित वैतनिक आश्वस्त रोजगार प्रदान किया जाना है। परियोजना अंतर्गत 5000 ग्रामीण गरीब युवाओं को ब्लड बैंक टैक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नीशियन, फूड एण्ड बैवरेज, सेल्स पर्सन (रिटेल), एकाउन्टेन्ट असिस्टेंट तथा टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी आदि सहित कुल 23 व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाना है।

21.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना/इन्दिरा आवास योजना–ग्रामीण– भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा 01. 04. 2016 से इन्दिरा आवास योजना को पुर्नगठित कर "प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण" कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी बेघरों एवं कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधा युक्त घर प्रदान करना है।

चालू वित्त वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 5278.19 लाख की धनराशि का कुल आंवटन रखा गया है, जिसमें ₹ 4750.37 लाख केन्द्र सरकार तथा ₹ 527.82 लाख राज्य सरकार का आंवटन रखा गया है।

> प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग को रोकने तथा आवास निर्माण की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु "जियो टैगिंग" की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य में कुल 1633 आवासों में जियो टैगिंग की जा चुकी है।

तालिका 21.6
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवास

क्र0 सं0	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ण आवास	व्यय धनराशि (₹ लाख में)
1	2012–13	13548	13447	5991.73
2	2013–14	9154	8951	3230.93
3	2014–15	9118	8759	6261.93
4	2015–16	6417	6094	5288.38
5	2016–17	10861	2714	2593.20
6	2017–18	4915	1046	1874.13

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक लक्ष्य के सापेक्ष लगभग सभी आवास पूर्ण किये गए। वर्ष 2016–17 में मात्र 25 प्रतिशत, तथा वर्ष 2017–18 में माह जनवरी, 2018 तक लक्ष्य 4915 के सापेक्ष 1046 आवास पूर्ण किय गए है, जो 21 प्रतिशत है।

21.4 महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Scheme MNREGA):–

ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकने हेतु यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी केन्द्र पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत परिवार के सदस्यो को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारन्टी दी जाती है।

वर्ष 2017–18 के माह दिसम्बर, 2017 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 554.87 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश हिस्से के रूप में ₹ 45.11 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है। 12000 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 177.44 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। **राज्य में कुल 10.64 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डो की संख्या 7.26 लाख है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2017–18 में माह फरवरी, 2018 तक प्रति परिवार औसत लगभग 40 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो राष्ट्रीय औसत (41.79) से कम है।**

तालिका 21.7

मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस तथा व्यय धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	कुल व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य की मांग की गयी	कुल व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया	कुल सृजित मानव दिवस	कुल सृजित मानव दिवस (महिला)
1	2013–14	475551	474868	16562026	7433032
2	2014–15	595465	594944	14734073	7451628
3	2015–16	751698	751140	22394910	11585573
4	2016–17	796236	795756	23680084	12779489
5	2017–18 (माह फरवरी 2018 तक)	683128	682496	17744715	9554670

मनरेगा के साथ अभिसरण

मनरेगा के अन्तर्गत अभिसरण (Convergence) के माध्यम से 454 आंगनबाड़ी केन्द्रो में भी कार्य कराये गये, जिसमें वर्ष 2014–15 में 7, 2015–16 में 41, 2016–17 में 137 तथा वर्ष 2017–18 (माह फरवरी 2018 तक) में कुल 269 आंगनबाड़ी केन्द्रों में निर्माण कार्य कराये गये।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षो में जितने भी व्यक्तियों द्वारा कार्य की मांग की गयी उन सभी को कार्य उपलब्ध कराया गया। सृजित मानव दिवस में महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा। कुल सृजित मानव दिवस के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में 45 प्रतिशत, वर्ष 2014–15 में 51 प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 52 प्रतिशत, वर्ष 2016–17 में 54 प्रतिशत तथा वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर तक 54 प्रतिशत महिलाओं का योगदान रहा।

तालिका 21.8

मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्य

क्र0 सं0	वर्ष	सूखा प्रभावित सुधार		बाढ़ नियंत्रण		भूमि सुधार		लघु सिचाई कार्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2013-14	1239	708.75	10098	11626.4	4880	5428.7	2260	2467.01
2	2014-15	398	536.68	6644	10307.8	3569	4828.94	1302	1915.35
3	2015-16	463	566.43	8093	14578.3	4904	7131.6	1831	3271.33
4	2016-17	620	857.57	10984	15131.1	6537	10151.2	2705	4061.8
5	2017-18	934	349	7586	4847.06	6757	4206.89	2300	1706.9

क्र0 सं0	वर्ष	पारम्परिक जल स्रोतो का सुधार		ग्रामों को जोड़ने का कार्य		ग्रामीण स्वच्छता	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	11	12	13	14	15	16
1	2013-14	942	621.68	7637	8131.42	2291	132.94
2	2014-15	361	467.16	7267	10104.5	2049	296.23
3	2015-16	527	676.78	10359	17626.7	3153	382.17
4	2016-17	662	789.56	12196	17127.3	19329	4080.03
5	2017-18	813	401.08	7848	5505.86	29648	2749.53

क्र0 सं0	वर्ष	जल संरक्षण एवं सुधार कार्य		व्यक्तिगत भूमि सुधार		अन्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	17	18	19	20	21	22
1	2013-14	2560	2027.55	385	155.14	537	318.19
2	2014-15	1388	1986.08	1767	536.41	1169	1258.75
3	2015-16	2117	2970.61	4718	1371.82	2486	1818.4
4	2016-17	3875	4007.46	11110	4175.91	2748	2490.58
5	2017-18	4284	1837.75	20437	2995.85	2120	931.97

तालिका–21.8 के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में कुल 32829, वर्ष 2014–15 में 25914, वर्ष 2015–16 में 38651, वर्ष 2016–17 में 70766 तथा वर्ष 2017–18 में (20.02.2018 तक) 82727 कार्य पूर्ण किये गये तथा क्रमशः ₹ 31617.76 लाख, ₹ 32237.91 लाख, ₹ 50394.09 लाख, ₹ 62872.51 लाख तथा ₹ 25531.89 लाख धनराशि व्यय की गयी। उक्त सभी कार्यो से ग्रामीणों के जीवन यापन, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जो कि वर्तमान में विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।

21.5 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी ग्रामों को सर्वत्रऋतु मार्गो से जोड़ा जाना है। राज्य में दिनांक 01.04.2000 में कुल 16743 बसावटें थी जिनमें से 8164 बसावटें पूर्व से ही सर्वत्रऋतु मार्गो से ही जुड़ी हुई थी तथा 788 बसावटों को राज्य की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित किया गया। इस प्रकार कुल 8952 बसावटों के अतिरिक्त शेष कुल 7791 बसावटों को सर्वत्रऋतु मार्गो से आच्छादित किया जाना था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2016–17 तक कुल 1765 बसावटों को सर्वत्रऋतु मार्गो से आच्छादित किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 800 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष जनवरी, 2018 तक ₹ 391.28 करोड़ व्यय कर 1231 किलोमीटर सड़कें निर्मित की गयी है तथा 143 बसावटों को सर्वत्रऋतु मार्गो से जोड़ा गया है। इस प्रकार वर्ष 2000 से जनवरी, 2018 तक कुल 1908 बसावटों को ही मार्गो से आच्छादित किया गया है।

तालिका–21.9
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 के अन्तर्गत जोड़े गये बसावटों की संख्या

क्र0 सं0	वर्ष	बसावटें जिन्हें मार्गों से जोड़ा जाना है		वित्तीय (करोड़ ₹ में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	2012–13	29	24	150.00	114.00
2	2013–14	53	26	300.00	298.04
3	2014–15	63	71	313.00	455.85
4	2015–16	91	91	454.20	453.32
5	2016–17	102	72	446.00	451.99
6	2017–18 (31 जनव0, 2018 तक)	172	143	642.00	391.28

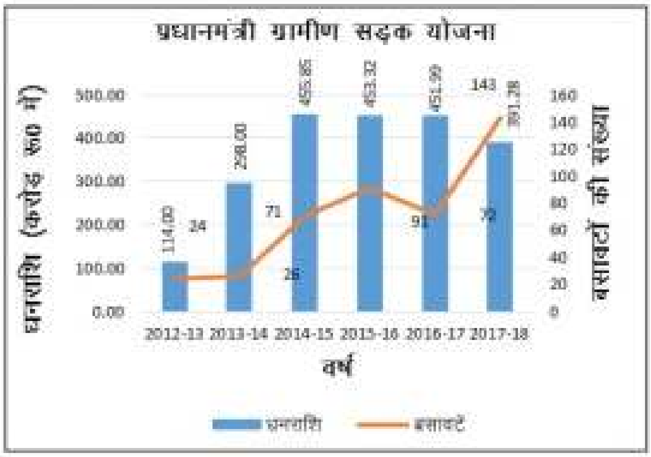

तालिका–21.9 से ज्ञात होता है कि विगत 5 वर्षों में मात्र 2014–15 में ही लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण बसावटों को मार्गो से जोड़ा गया है। विजन 2030 के अनुसार सभी बसावटों को यदि 2030 तक मार्गो से जोड़ा जाना है तो प्रति वर्ष लगभग 500 बसावटों को मार्गो से जोड़ा जाना होगा, जबकि वर्तमान में प्रतिवर्ष 100 बसावटों को भी मार्गो से जोड़े जाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

21.6 सांसद आदर्श ग्राम योजना– इस योजना का मुख्य लक्ष्य निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रकियाओं में तेजी लाना तथा आबादी के सभी वर्गो के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप से सुधार लाना है। उत्तराखण्ड में सभी माननीय सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र से चरण–1 से चरण–3 के अन्तर्गत एक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन कर लिया है, जिसका विवरण तालिका सं0–21.10 में दिया गया है–

तालिका 21.10
माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्रामों का विवरण

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चयनित आदर्श ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4
चरण– 1			
नैनीताल	सरपुड़ा (सरपुड़ा बग्घा चौवन)	खटीमा	ऊधमसिंह नगर
पौड़ी	देवली भणीग्राम	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
हरिद्वार	गोवर्धनपुर	खानपुर	हरिद्वार
टिहरी	बौन	डुण्डा	उत्तरकाशी
अल्मोड़ा	सूपी	कपकोट	बागेश्वर
राज्य सभा	रौलमेल	पाटी	चम्पावत
राज्य सभा	लामबगड़	गैरसैंण	चमोली
राज्य सभा	तेवा	जौनपुर	टिहरी
चरण– 2			
अल्मोड़ा	जुम्मा	धारचूला	पिथौरागढ़
राज्य सभा	वाछम	कपकोट	बागेश्वर
चरण– 3			
अल्मोड़ा	सल्ली	चम्पावत	चम्पावत

21.7 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (SPMRM):– यह एक केन्द्र पोषित योजना है, जिसमें ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गॉव के चयनित क्लस्टर को **रर्बन गॉव** के रूप में विकसित किया जाना है अर्थात चयनित क्लस्टर की ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर विकसित करना तथा वहॉ पर सभी शहरी सुविधायें प्रदान करना। योजना के प्रथम चरण में जनपद हरिद्वार के भगतनपुर–आबिदपुर तथा जनपद देहरादून के अटूरवाला क्लस्टर मे कुल ₹ 210 करोड़ का Integrated Cluster Action Plan (ICAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। द्वितीय चरण में जनपद टिहरी के धनौल्टी तथा तृतीय चरण में ऊधमसिंह नगर का पहेनिया एवं बागेश्वर के कौसानी क्लस्टर हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

राज्य पोषित योजनायें

21.8 उत्तराखण्ड दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना:– इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2002 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे आवास विहीन/ कच्चे आवासों वाले परिवारों के नये पक्के आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। पहाड़ी क्षेत्र में प्रति आवास लागत ₹ 75,000 तथा मैदानी क्षेत्र में प्रति आवास लागत ₹ 70,000 है।

तालिका 21.11

दीनदयाल ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत गत वर्षों की प्रगति

क्र0 सं0	वर्ष	भौतिक प्रगति (निर्मित आवास)		वित्तीय प्रगति (धनराशि लाख ₹ में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	2012–13	578	253	102.10	88.46
2	2013–14	360	122	280.08	146.94
3	2014–15	292	285	352.02	248.10
4	2015–16	293	277	652.35	218.44
5	2016–17	618	110	98.65	63.55

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि मात्र वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में ही लक्ष्य के सापेक्ष आवासों की पूर्ति की गयी। वर्ष 2012–13, 2013–14 में 50 प्रतिशत से भी कम, वर्ष 2016–17 में लक्ष्य के सापेक्ष 17 प्रतिशत आवासों की पूर्ति की गयी तथा वर्ष 2017–18 में गत वर्ष की अवशेष धनराशि मे से ₹ 17.19 लाख धनराशि व्यय कर 28 आवास निर्मित किये गये हैं।

21.9 मेरा गॉव मेरी सड़क योजना– इस योजना का उद्देश्य राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है। राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में दो सड़को के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में कुल 315.07 किमी0 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 215.93 किमी0 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें कुल 346 सड़कों का निर्माण किया जाना था, जिसके सापेक्ष 248 सड़कें पूर्ण तथा 98 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 9205.33 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

21.10 इन्दिरा अम्मा भोजनालय– समाज के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित है। कैन्टीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 25.00 प्रति थाली तथा जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल में ₹ 20.00 प्रति थाली की दर निर्धारित है। वर्ष 2015–16 में ₹ 200.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹ 80.665 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी। वर्ष 2016–17 में इस योजना

पर ₹ 152.19 लाख व्यय किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2017 तक ₹ 107 लाख की धनराशि उपयोग की गयी है।

21.11 ग्राम श्री पुरस्कार योजना– यह योजना वर्ष 2015–16 में आरम्भ की गयी। योजनान्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड की तीन ग्राम पंचायतों का चयन कर प्रोत्साहन स्वरूप प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹ 3.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार ₹ 2.00 लाख तथा तृतीय पुरस्कार ₹ 1.00 लाख स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2016–17 में पुरस्कार हेतु 265 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया तथा ₹ 5.72 करोड़ धनराशि वितरित की गयी।

21.12 विधायक निधिः– विधायक निधि के अन्तर्गत कुल 71 विधानसभाओं में वर्ष 2017–18 हेतु कुल ₹ 266.25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक कुल ₹ 195.25 करोड़ धनराशि अवमुक्त हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 23.31 करोड़ धनराशि व्यय कर कुल 366 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

21.13 एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना (Integrated Livelihood Support Project- ILSP)- परियोजना वर्ष 2012–13 से वर्ष 2018–19 तक कुल सात वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पौडी, उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपदों के चयनित 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 102 नयी स्वायत्त सहकारिताओं का गठन किया गया है। इन सहकारिताओं द्वारा अभी तक कुल ₹ 11.40 करोड का व्यवसाय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह अक्तूबर तक 21 नये विकासखण्डों में कुल 2102 गाँवों में 7220 उत्पादक समूहों के माध्यम से 67355 परिवारों को विभिन्न गतिविधियों में सहयोग दिया गया है। परियोजना के अन्तर्गत फैडरेशनों के लिये अभी तक 25 संग्रहण केन्द्रों (Collection Centres) का निर्माण किया जा चुका है। परियोजना द्वारा जनवरी 2018 तक 1,693 प्लास्टिक सिंचाई टैंक के निर्माण में आजीविका संगठनों को 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग दिया गया है।

रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण में जनवरी 2018 तक कुल 4,313 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 4202 युवा वर्तमान समय में प्रशिक्षण ले रहे हैं। **अब तक कुल 1690 युवाओं को इन प्रशिक्षणों के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो चुके हैं तथा 211 युवाओं ने स्वरोजगार अपनाया है। जबकि 1669 युवाओं को रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।**

सहभागी जलागम विकास के अन्तर्गत सामाजिक संचेतना मद में 190 ग्राम पंचायतों में जल एवं जलागम समिति का गठन कर लिया गया है।

- परियोजना द्वारा 3 प्रभागों नैनीताल, पौड़ी तथा चम्पावत के 7 विकास खण्डों में 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों (माइक्रो वाटरशैड) को विकसित किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत 1552 उत्पादक समूह, 169 निर्बल वर्ग समूह तथा 30 आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है, जिससे 14742 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।
- 19710.97 क्यू.मी. कृषि योग्य भूमि का उपचार, 29778.01 क्यू.मी. पत्थरों से चेक डैम का निर्माण, 13847 क्यू.मी. कैरेट तार से चेक डैम का निर्माण, 13613.49 क्यू.मी. गेविन संरचना दीवार का निर्माण, 135 मी. सुरक्षित निपटान एवं ड्रेन मोड़ नाली का निर्माण, 24959.04 क्यू.मी. सड़क तरफ मृदा कटाव पर नियंत्रण कार्य किया गया है।
- 1486 छत जल संचयन टैंक, 1670 कंटूर खाइयों में गड्डा खुदाई, 4 डोंगी तलाब निर्माण, 158 ग्रामीण प्रवेश हेतु छोटे पुलों का निर्माण एवं 7.318 कि. मी. सिंचाई चैनल निर्माणकर भूमि के सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की गयी।
- परियोजना के सभी घटकों (उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, परियोजना समिति–जलागम प्रबन्ध निदेशालय तथा उपासक) द्वारा कुल ₹ 868.60 लाख के सापेक्ष जनवरी 2018 तक कुल ₹ 348.85 लाख व्यय किये गये हैं।

21.14 पंचायती राज

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 13 जिला पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें तथा 7954 ग्राम पंचायतें स्थापित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अर्न्तगत पंचायती राज संस्थाओं का

वर्तमान में 05 वर्ष का कार्यकाल है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना, पंचायतों की आय हेतु आय के साधन जुटाना पंचायत क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, पथ प्रकाश, जल निकासी, स्वच्छता आदि की व्यवस्था, जन्म–मृत्यु का शत–प्रतिशत पंजीयन करना एवं अन्य रोजगार सृजन किया जाना है।

तालिका 21.12

राज्य में जनपदवार निर्वाचित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत / प्रधान पद	ग्राम पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	क्षेत्र पंचायत सदस्य	जिला पंचायत अध्यक्ष	जिला पंचायत सदस्य
1	उत्तरकाशी	06	500	3073	06	198	1	24
2	टिहरी	09	1038	6192	09	336	1	44
3	पौड़ी	15	1212	6825	15	383	1	41
4	चमोली	09	614	3663	09	245	1	26
5	रूद्रप्रयाग	03	337	2205	03	115	1	17
6	देहरादून	06	459	3768	06	234	1	42
7	ऊधमसिंहनगर	07	390	4227	07	273	1	41
8	नैनीताल	08	511	3805	08	263	1	30
9	अल्मोड़ा	11	1166	6738	11	382	1	47
10	पिथौरागढ़	08	690	4147	08	280	1	32
11	बागेश्वर	03	416	2540	03	117	1	19
12	चम्पावत	04	313	2035	04	130	1	14
13	हरिद्वार	06	308	3881	06	215	1	46
	महायोग	**95**	**7954**	**53099**	**95**	**3171**	**13**	**423**

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को क्रमशः ₹ 10,000 तथा ₹ 5,000, प्रमुख व उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत को ₹ 6,000 तथा ₹ 1,500 तथा प्रधान व उप–प्रधान ग्राम पंचायत को ₹ 1,500 एवं ₹ 500 मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः ₹ 1,000 (प्रति बैठक) तथा ₹ 500 (प्रति बैठक) कर दी गई हैं। पंचायतीराज द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

21.14.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना– राष्ट्रीय स्वराज योजना वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ हुई पूर्व में यह राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से संचालित थी। इस योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2016–17 में कुल 82135 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2017–18 में माह जनवरी, 2018 तक कुल 38815 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके अन्तर्गत सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, कैशलैस एवं अन्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं सम्बन्धित विषयों को सम्मिलित किया गया।

21.14.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवंटन एवं उपयोग– 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243–झ एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 32 के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करते हुए राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को प्रतिवर्ष धनराशि आवंटित की जाती है, जो पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास / निर्माण कार्यो पर व्यय की जाती है। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 तक राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायतों को आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 21.13
राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्षवार आवंटित धनराशि का विवरण

क्र0सं0	वर्ष	ग्राम पचायत / क्षेत्र पंचायत / जिला पंचायत को आवंटित धनराशि का विवरण (लाख ₹)	
		कुल आवंटित	कुल व्यय
1	2013–14	17842.68	17842.68
2	2014–15	19191.90	19191.90
3	2015–16	22592.45	22592.45
5	2016–17	22695.10	20801.22
6	2017–18 (दिसम्बर, 2017)	22695.10	20801.22

तालिका– 21.13 के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 तक अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि को व्यय कर लिया गया तथा वर्ष 2016–17 में लगभग 91 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है, जिसके अन्तर्गत स्वच्छता, पेयजल तथा अन्य खडंजा सी0सी0 निमार्ण, दीवार निर्माण, पुल / पुलिया तथा सौन्दर्यीकरण आदि कार्य कराये गये। वर्ष 2016–17 में स्वच्छता सम्बन्धित 1195, पेयजल सम्बन्धित 1587 तथा 18183 अन्य कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक स्वच्छता सम्बन्धी 1931, पेयजल सम्बन्धी 2028 तथा 6171 अन्य कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

21.14.3 तेरहवाँ एवं चौदहवाँ वित्त– 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार धनराशि ग्राम पंचायतों के निवर्तन पर रखी जाती है, जिसे पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यो पर व्यय किया जाता है। 13वें एवं 14वें वित्त में ग्राम पंचायतों प्राप्त एवं उपयोग की गयी धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है:–

तालिका–21.14
तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत अवमुक्त व व्यय धनराशि (लाख ₹) का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
तेरहवा वित्त आयोग			
1	2010–11	5437.00	5437.00
2	2011–12	6965.00	6965.00
3	2012–13	7836.32	7836.32
4	2013–14	9040.30	9040.30
5	2014–15	9881.16	9881.16
चौदहवाँ वित्त आयोग			
6	2015–16	20326.00	20326.00
7	2016–17	28145.00	28145.00
8	2017–18	32519.00	17666.13

तालिका–21.14 से स्पष्ट है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि को व्यय कर लिया गया जिसके अन्तर्गत स्वच्छता, पेयजल तथा अन्य खड़ंजा सी0सी0 निमार्ण, दीवार निर्माण, पुल / पुलिया तथा सौन्दर्यीकरण आदि कार्य कराये गये। 14वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि व्यय की गयी जिसके अन्तर्गत स्वच्छता सम्बन्धित 1204, पेयजल सम्बन्धित 2368 तथा 24637 अन्य कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक स्वच्छता सम्बन्धी 2335, पेयजल सम्बन्धित 2322 तथा 5351 अन्य कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

21.14.4 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना– ग्राम पंचायतों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना आरम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत माह सितम्बर 2015 से जून 2016 तक राज्य स्तरीय 4 कार्यशालाओं तथा 02 चक्र जिला स्तर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 1600 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। माह अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016 के मध्य उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान के माध्यम से 311 राजकीय अधिकारियों व गैर सरकारी संगठनों के 195 प्रतिनिधियो को प्रशिक्षित किया गया। 21 फरवरी 2016 से 10 मार्च 2016 के मध्य लगभग 10 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बनाकर लगभग 800 क्लस्टर के माध्यम से 7950 ग्राम पंचायतों के कुल 26206 प्रतिनिधियों / कर्मियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

21.14.5 ई–पंचायत– त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यो में पारदर्शिता एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

ई–पंचायत के अन्तर्गत 11 एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की विभिन्न योजनाओं के लेखा/व्यय तथा पंचायतों से सम्बन्धित अन्य जानकारी/क्रियाकलाप ऑनलाईन अपलोड किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में 06 Software क्रमशः नेशनल असेट डायरेक्टरी (NAD), राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (NPP), प्लान प्लस, प्रिया सॉफ्टवेयर, एक्शन सॉफ्टवेयर, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (LGD) सॉफ्टवेयर लागू किये जा चुके हैं।

21.14.6 राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार– यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ की गयी थी। पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने, सामाजिक सुधार के कार्य करने एवं उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष एक ग्राम सभा चयनित कर राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। ग्राम सभा का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011–12 से अभी तक 6 ग्राम सभाओं को पुरस्कृत किया गया है।

21.14.7 पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना– पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने हेतु यह योजना वर्ष 2011–12 से पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यह योजना दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के नाम से संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली तीनों स्तर की पंचायतों (1 जिला पंचायत, 02 क्षेत्र पंचायत एवं 04 ग्राम पंचायत) का एक निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर भारत सरकार द्वारा चयन किया जाता है। योजनारम्भ से अभी तक 6 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों तथा 22 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है।

21.14.8 स्थानीय निकायों का स्थायी पूंजी निर्माण में योगदान:– राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा किया गया वर्षवार योगदान (यथा रास्ता निर्माण, यात्री शेड निर्माण, बारातघर निर्माण, जलापूर्ति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में व्यय) निम्नानुसार है–

तालिका 21.15
स्थानीय निकायों का स्थायी पूंजी निर्माण में योगदान (वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16)
(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	निर्माण कार्य	जलापूर्ति	अन्य सेवायें			लोक प्रशासन
				शिक्षा	स्वास्थ्य	स्वच्छता	
1	2011–12	20481.97	1328.20	260.48	48.07	316.83	7671.46
2	2012–13	14522.68	1148.25	25.76	26.68	373.38	8213.31
3	2013–14	17743.93	860.87	16.72	6.33	202.40	5650.70
4	2014–15	35519.49	2102.95	24.76	20.85	464.78	11842.63
5	2015–16	23725.84	1932.50	4.66	2.79	443.58	9009.24

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गत 5 वर्षो में स्थानीय निकायों द्वारा किये जा रहे व्यय में सर्वाधिक धनराशि निर्माण कार्य में व्यय की जा रही है। तत्पश्चात् लोक प्रशासन में धनराशि व्यय की गयी है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय की गयी धनराशि का प्रतिशत अत्यन्त न्यून है।

इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क आदि अवसंरचना की स्थापना सहित विभिन्न स्तरों पर रोजगार सृजन कर कृषि एवं उद्यानीकरण के क्षेत्रों में भी मनरेगा की सहायता से कन्वर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराये जा रहे हैं।

सफल प्रयोग

ग्राम्य विकास विभाग के अतिरिक्त विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं कृषि विकास हेतु सफल प्रयोग किये गये हैं। कतिपय विवरण निम्नानुसार है–

1. गाँव चलो प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हिमोत्थान सोसायटी द्वारा चलायी जा रही हिमोत्थान परियोजना

उत्तराखण्ड राज्य बनने के पश्चात वर्ष 2001 में हिमोत्थान सोसाईटी द्वारा हिमोत्थान परियोजना पर कार्य आरम्भ किया गया। संस्था द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से दस वर्षो की अवधि के लिए एक समझौता मई 2004 में हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके तहत गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक संस्थानों एवं राज्य निकायों ने साथ मिलकर अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया। मार्च 2014 में यह अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गयी है।

- संस्थान द्वारा वर्तमान तक 275 से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किये गये। जिनकी बचतें वर्तमान में लगभग ₹ 3.00 करोड़ से अधिक है।
- वर्तमान तक लगभग 26 फेडरेशन स्थापित किए गए जिनका टर्नओवर लगभग ₹ 4.00 करोड़ प्रतिवर्ष है।
- स्टेट रूरल लाईविली हुड मिशन (SRLM) के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में कुल 105 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए।

- पशुपालन के अन्तर्गत चारा उत्पादन लगभग 300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा है तथा त्रिशूली नामक ब्राण्ड के माध्यम से पशु फीड की बिक्री की जा रही है साथ ही पशुओं हेतु प्रत्येक कल्स्टर में 2–3 स्वास्थ्य कैम्प अर्थात कुल 45 से अधिक कैम्प प्रतिवर्ष लगाए जाते है।
- कुल 2800 से अधिक किसानों को लगभग 127 ट्रेनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है तथा ₹ 2.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर की कुल 18 सूक्ष्म डेरी उद्योग स्थापित किए गए है।
- Integrated Village Development Project (IVDP):– इस प्रोजेक्ट के माध्यम से संस्था जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड चम्बा के झड़ीपानी कल्स्टर के कुल 8 गॉवों में 972 परिवारों को तथा विकासखण्ड जौनपुर के भवन कल्स्टर के कुल 12 गॉवों में 943 परिवारों को कृषि, पशुपालन, स्वयं सहायता समूह आदि के क्षेत्र में सहायता प्रदान रही है।

2. फाउन्डेशन फॉर सस्टेनेबल डवलपमेन्ट (एफ0एस0डी0) द्वारा चलायी जा रही महिला शक्तिकरण एवं जैवकृषि विकास योजना

संस्था का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) का गठन एवं सशक्तिकरण तथा जैविक कृषि आधारित उत्पादों का Value Addition एवं Marketing करना है।

- क्षमता एवं कौशल विकास और आजीविका सुधार विकल्पों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना।
- महिलाओं एवं पुरूषों को समान अवसर एवं भागीदारी प्रदान करना।
- पर्यावरण एवं विकास के बीच सम्बन्धों के प्रति संवेदनशीलता।

संस्था द्वारा ग्रामों से प्राप्त जैविक उत्पादों को रामनगर स्थित प्रोडक्शन इकाई में लाया जाता है, जहां इन उत्पादों का प्रसंस्करण कर विभिन्न उत्पाद तैयार किये जाते है। संस्था द्वारा काले भट्ट की नमकीन, हल्दी पाउडर, अदरक की सौंठ, मडुवे की नमकीन, पहाड़ी लहसुन का नमक, विभिन्न मसाले व अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे है। रामनगर स्थित Production Unit से स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जिससे प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग 8 से 10 हजार की आय प्राप्त हो जाती है। प्रोडक्सन इकाई में प्रत्यक्ष रूप से 20 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है व अप्रत्यक्ष रूप से जनपद– अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पौड़ी के 52 गॉवों में 1500 महिलाओं व पुरूषों को रोजगार प्राप्त है। संस्था को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आजीविका परियोजना के अन्तर्गत ₹ 24.94 लाख तथा जिला नवाचार निधि योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में ₹ 4.00 लाख व जनपद नैनीताल में ₹ 6.70 लाख की सहायता प्राप्त हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्था को ₹ 13.60 लाख की सहायता प्राप्त हुई है। वर्ष 2016–17 में संस्था का सकल विक्रय मूल्य ₹ 1.26 करोड़ था, जिसकी सकल लागत मूल्य ₹ 1.08 करोड़ है तथा करों के भुगतान के उपरान्त लगभग ₹ 4.00 लाख की आय प्राप्त हुयी है।

अध्याय–22

शहरी विकास एवं आवास

Urban Development & Housing

22.1 सामान्य विवरण

राज्य सरकार द्वारा **"सतत विकास लक्ष्य 2030"** के अर्न्तगत शहरी विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु "सतत विकास लक्ष्य सं0 11, जिसका लक्ष्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार, पार्को की स्थापना, शौचालयों का निर्माण, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, रैन बसेरा का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी योजना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित है।

वर्तमान में राज्य के स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्रों की स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका 22.1

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2017
1	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	63	72	92
1.1	नगर निगम (संख्या)	01	06	08
1.2	नगर पालिका परिषद (संख्या)	31	28	41
1.3	नगर पंचायत (संख्या)	31	38	43
2	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.72	26.55	28.58
3	विकास प्राधिकरणों की संख्या	05	05	14
4	विनियमित क्षेत्रों की संख्या	21	21	शून्य (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण घोषित होने के कारण विनियमित क्षेत्र समाप्त हो गये।)
5	अन्य आवास एवं विकास परिषद आदि की संख्या	01	01	01

तालिका 22.2

स्थानीय नगर निकायों/सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर (CAGR)

शहरी : आधारभूत सांख्यिकी		
जनगणना वर्ष	जनसंख्या एवं प्रतिशत	स्थानीय निकाय तथा सैसंस टाउन की संख्या (जनगणना के आधार पर)
2001	21.79 लाख (25.70%)	**83**
2011	30.49 लाख (30.60%)	**86**

जनगणना 2011 के आधार पर स्थानीय नगर निकायों तथा सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर 3.42 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की संचयी वार्षिक दर मात्र 1.10 प्रतिशत है, जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता रूझान है।

शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ता दबाव

- जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार गत दस वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों से पलायन कर कुल 17.10 लाख व्यक्ति राज्य के शहरी क्षेत्रों में आये।
- वर्ष 2015–16 में प्रदेश में कुल 319.08 लाख पर्यटकों द्वारा पर्यटन हेतु भ्रमण किया गया जो कि प्रदेश की **कुल जनसंख्या का तीन गुने से भी अधिक** है।

इतने अधिक जनसंख्या के प्रवाह को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में केन्द्र पोषित, राज्य पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाये गतिमान हैं। इसके अतिरिक्त वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत डवपलमेन्ट ऑफ स्मार्ट अरबन क्लैस्टर प्रोजेक्ट (DSUCP) के तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में राज्य में 8 नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषद और 43 नगर पंचायतों सहित कुल

92 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में मूलभूल सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 66428.18 लाख धनराशि प्राविधान की गई है और जनवरी, 2018 तक ₹ 34053.25 लाख का व्यय हुआ। स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित है:–

तालिका 22.3

स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	आय		व्यय
		स्वयं के स्रोत से	राज्य / केन्द्र से प्राप्त	
1	2015-16	6721.51	55268.95	41714.68
2	2016-17	8109.19	40301.18	44478.18
3	2017-18 प्रस्तावित	8757.93	70838.20	98025.00

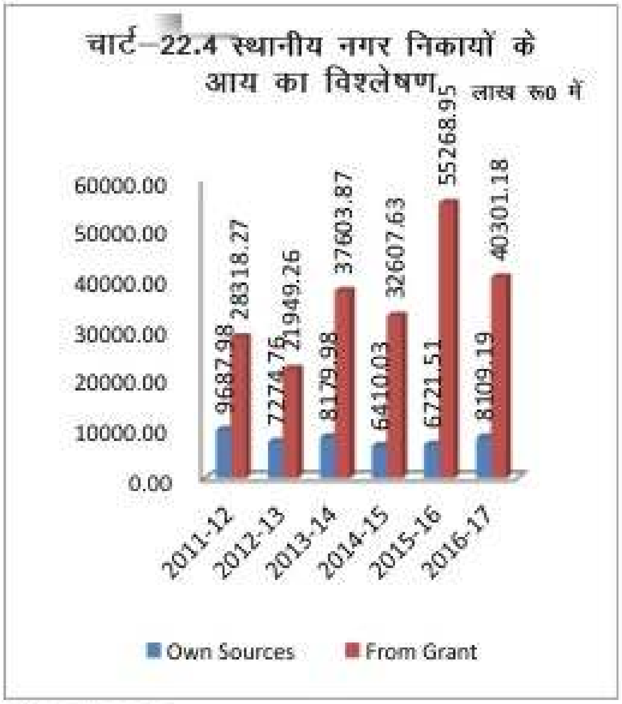

(स्रोत : अर्थ एवं संख्या)

तालिका 22.3 एवं चार्ट 22.4 से स्पष्ट है:–

- स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा व्यय के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय नाम मात्र है (वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 (प्रस्तावित) हेतु क्रमशः 16%, 18% एवं 9%)।
- गत 6 वर्षों में स्थानीय नगरीय निकायों में स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक स्थिर हैं, जबकि राज्य / केन्द्र से प्राप्त धनराशि में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक स्वयं के स्रोतों से आये गत वर्षों से अपेक्षाकृत काफी कम है।

उक्त परिपेक्ष्य में स्थानीय नगर निकायों के अपने स्रोतों से भी भविष्य में आय बढ़ाने हेतु विचार किया जाना आवश्यक है।

सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:–

केन्द्र सहायतित योजना

केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹ 40288.66 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है और जनवरी, 2018 तक ₹ 10837.40 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। केन्द्र सहायतित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

22.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission, NULM)

योजना का उद्देश्य :–

- शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एंव आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराना।
- शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराना।

मिशन के प्रमुख घटक

- **सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में लक्ष्य 780 के सापेक्ष 249 महिला स्वयं सहायता समूहों व 06 क्षेत्र स्तरीय संघों का गठन एवं ₹ 8.70 लाख की आवर्ती निधि अद्यतन निर्गत की गयी है तथा 1777 महिलाओं की आजीविका संवर्द्धन की गयी है।

• **स्व–रोजगार कार्यक्रम** के अन्तर्गत 745 लाभार्थियों को ₹ 895.42 लाख के ऋण की स्वीकृति एवं ₹ 44.75 लाख का ब्याज अनुदान अद्यतन निर्गत किया गया है।

• **शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता** के अन्तर्गत 21665 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित एवं 2900 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप 21665 स्ट्रीट वेण्डरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये रोजगार में संवर्द्धन किया गया है।

• **कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार के** अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 11820 के सापेक्ष 4005 लाभार्थी प्रशिक्षणरत्, 3131 लाभार्थियों को वैतनिक रोजगार एवं 320 लाभार्थियों को स्वरोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 2017–18 में ₹ 798.01 लाख का बजट में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष जनवरी, 2018 तक ₹ 377.63 लाख का व्यय हुआ है।

22.3 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP) :– योजना का लक्ष्य चयनित 03 मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसे:–बेहतर आवास, जलापूर्ति, सफाई सुविधा आदि उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराना है। भारत सरकार से कुल लागत ₹ 31.10 करोड़ की 06 परियोजनायें स्वीकृत करायी जा चुकी है, जिनमें केन्द्रांश ₹ 23.70 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 7.40 करोड़ है। कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त ₹ 31.02 करोड के सापेक्ष ₹ 23.40 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

22.4 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR SMALL & MEDIUM TOWNS):– यह योजना राज्य के हल्द्वानी, मुनिकीरेती, नरेन्द्रनगर, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी, बडकोट, पुरोला, रूद्रप्रयाग, गोपेश्वर, मंगलौर व मसूरी नगर निकायों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, पुरातत्व क्षेत्रों आदि के विकास हेतु कुल ₹ 192.48 करोड़ की 14 परियोजनायें स्वीकृत है।

• परियोजना के अन्तर्गत मसूरी में 01 सीवरेज परियोजना लागत ₹ 61.73 करोड़, मंगलौर में पेयजल योजना लागत ₹ 35.86 करोड़, नगर निगम, हल्द्वानी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन लागत ₹ 34.88 करोड़ तथा 10 निकायों में सड़क व जल निकासी की योजना हेतु ₹ 43.36 करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

• परियोजना के अन्तर्गत मसूरी में 04 सीवरेज प्लांट का निमार्ण कार्य, मंगलौर में पेयजल योजना में 07 पम्प हाउस, 53 किमी0 पाईप लाईन एवं 03 ओ0एच0टी0 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 10 निकायों में 174.29 किमी0 सड़क, 21.14 किमी0 नाला तथा 13.46 किमी0 LVR का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है।

22.5 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना– राज्य के मिशन शहरों को छोड़कर अन्य सभी शहरों/कस्बों के लिये लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा 19 नॉन मिशन शहरों के लिए मिशन अवधि 2005–12 के मध्य कुल 21 परियोजनायें स्वीकृत है। योजना के अन्तर्गत 3298 मकानों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 1824 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 654 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

22.6 स्वच्छ भारत मिशन:– स्वच्छ भारत मिशन 02 अक्टूबर 2014 को लागू की गयी, जिसका **मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित है:–

- ''खुले में शौच''की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन।
- स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।

मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है:–

- व्यक्तिगत घरेलु शौचालय निर्माण।
- सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों एंव यूरिनल का निर्माण।
- वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) एवं जनजागरूकता।

प्रति यूनिट शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि:– भारत सरकार द्वारा ₹ 4000.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 1333.00 दी जाती है।

सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि (₹ में) भारत सरकार द्वारा ₹ 39200.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 58800.00 ।

1–**व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के** कुल लक्ष्य 27640 के सापेक्ष 8438 शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 8108 शौचालय निर्माणाधीन है।

2–**सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय** के कुल लक्ष्य 2000 के सापेक्ष 416 सीट के सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 411 सीट सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन है।

3–**सार्वजनिक मूत्रालय के** कुल लक्ष्य 1000 के सापेक्ष 57 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित तथा 193 सार्वजनिक मूत्रालय निर्माणाधीन है।

4–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid Waste Management)

- Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan (CSP) निर्मित की जा चुकी है।
- कुल 906 वार्डों में से 706 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ जिसमें 09 कैन्ट बोर्ड सम्मिलित है।
- 13 नगरों (मुनि–की–रेती, डोईवाला, कोटद्वार, चमोली–गोपेश्वर, रूद्रप्रयाग, लालकुआं, शिवालिक नगर, झबरेड़ा, गौचर, बड़कोट, चम्बा, जोशीमठ, कर्णप्रयाग) में कम्पोस्ट बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की ₹ 17.44 करोड़ की 11 डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा 13 डी0पी0आर0 पर Technical Appraisal का कार्य गतिमान है।
- वर्ष 2017–18 में ₹ 7900.00 लाख का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष जनवरी, 2018 तक ₹1277.97 लाख का व्यय हुआ है।

22.7 अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Re Juvenation and Urban Transformation, AMRUT):- सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर उक्त अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर तथा नैनीताल) में संचालित की जा रही है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थिति:–

- प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ कराना।
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी 2018 तक ₹ 10,100 लाख धनराशि स्वीकृत के सापेक्ष ₹ 8,363.60 लाख व्यय किया गया।
- योजनान्तर्गत जलापूर्ति में लक्ष्य 16 के सापेक्ष 1 पूर्ण एवं 10 योजनायें औसतन 55 प्रतिशत पूर्ण की गयी।
- Sewerage में लक्ष्य 24 के सापेक्ष 2 योजनायें पूर्ण एवं 18 योजनाओं पर औसतन 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।
- Drainage में लक्ष्य 2 योजनाओं के सापेक्ष 1 योजना पर औसतन 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं 1 योजना विवादित होने के कारण अवरूद्ध है।
- Green Space में पार्क की कुल 29 योजनाओं के सापेक्ष 1 पूर्ण एवं 14 योजनाओं पर औसतन 44 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं 07 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त ₹ 124 करोड़ के नवीन आगणन तैयार किए जा रहे हैं।

जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 के अवशेष निर्माणाधीन कार्यः–

- भारत सरकार द्वारा कुल लागत ₹ 419.13 करोड़ की 14 परियोजनायें स्वीकृत है, जिनके अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में ₹ 146.31 करोड़ की पेयजल योजना, ₹ 165.14 करोड़ की सीवरेज योजना व ₹ 50.63 करोड़ की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना क्रियान्वित की जा रही है।
- परियोजना के अन्तर्गत नैनीताल व हरिद्वार पेयजल योजना पूर्ण हो चुकी है तथा देहरादून पेयजल योजना का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
- देहरादून नगर में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन परियोजना का कार्य पूर्ण तथा हरिद्वार में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन परियोजना का कार्य लगभग पूर्ण है।
- देहरादून/नैनीताल/हरिद्वार नगर में 05 एस0टी0पी0 निर्माण, 126.36 किमी0 की पाईप लाईन, 03 पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- ₹ 45.23 करोड़ की देहरादून व हरिद्वार में चौराहों के निर्माण की योजना एवं ₹ 11.82 करोड़ की राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्वार की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है।
- देहरादून/हरिद्वार नगर में 22 चौराहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

वर्ष 2017–18 में ₹ 1220.00 लाख का बजट में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष जनवरी, 2018 तक ₹ 581.09 लाख का व्यय हुआ है।

22.8 प्रधानमंत्री आवास योजनाः– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2022 तक प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन घटक एवं अनुमन्यता निम्नलिखित है–

1. निजी भागीदारी के द्वारा संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए विद्यमान मलिन बस्तियों का इन–सिटू पुनर्विकास– प्रति आवास ₹ 1.00 लाख का केन्द्रीय अनुदान दिया जाना है।
2. Credit Linked Subsidy के माध्यम से EWS (30 वर्ग मी0 आवास) तथा LIG (60 वर्ग मी0 आवास) हेतु किफायती आवास के अर्न्तगत ₹ 6.00 लाख तक के ऋण पर 15 वर्षो तक 6.5 की दर से ब्याज अनुदान दिया जाना है।
3. निजी/सार्वजनिक क्षेत्र तथा पैरास्टेटल एजेंसियों की भागीदारी में किफायती आवास (Afordable Housing in Partnership)- प्रति EWS आवास निर्माण हेतु ₹ 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता उन परियोजनाओं हेतु जहाँ 35 आवास EWS श्रेणी हेतु आरक्षित हो।
4. योजना अन्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अन्तर्गत 50 परियोजनाओं में 6162 आवास स्वीकृत किये गये, जिनमें से 2290 आवासों पर कार्य प्रगति पर है व 51 आवास पूर्ण कर लिए गये हैं। भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 03 परियोजनाए 2336 आवासो की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।
5. राज्य में 92 निकायो में आवास माँग सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है जिसमें कुल आवास माँग 104761 है।
6. वर्तमान में बी०एल०सी० घटक के अंतर्गत कुल 23458 मॉग प्राप्त है, जिसमें से 6162 आवासों को भारत सरकार से स्वीकृती प्रदान की जा चुकी है व 5698 आवासों को राज्य स्तरीय अप्रेजल समिति से अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
7. वर्ष 2017–18 में ₹ 9500.00 लाख का बजट में प्रावधान है जनवरी, 2018 तक ₹ 269.00 लाख का व्यय हुआ।

22.9– स्मार्ट सिटी मिशनः– इस परियोजना के अन्तर्गत देहरादून नगर का सुनियोजित विकास होगा जिससे बेहतर पेयजल व्यवस्था सीवरेज, यातायात की सुविधा निवासियों को उपलब्ध होगी। वर्ष 2017–18 में ₹ 7001.01 लाख का बजट में प्रावधान है।

बाह्य सहायतित योजना

22.10 नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान– इस परियोजनान्तर्गत नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूड़की व रामनगर में

सीवरेज व पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों से वहां के लोगों को बेहतर पेयजल व ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरों में जलापूर्ति एवं सीवरेज सुविधाओं के लिये वृहद् नियोजन किया गया है। परियोजनान्तर्गत ₹ 1498.21 करोड़ की परियोजनायें स्वीकृत करायी गयी हैं, जिसके सापेक्ष ₹ 781.81 करोड़ का व्यय हो चुका है। वर्ष 2017–18 में ₹ 22732.00 लाख का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष जनवरी, 2018 तक ₹ 22732.00 लाख का व्यय हुआ। योजनान्तर्गत विभिन्न शहरों में स्थिति निम्नानुसार है:–

देहरादून

68 एम0एल0डी0 सीवरेज शोधन संयत्र का निर्माण पूर्ण, 126 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया। पुरुकुल ग्राम में 15 एम0 एल0 डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण एवं कमिशनिंग, शहंशाही में 14 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का पुनर्स्थापना, दिलाराम में 7.5 एम0 एल0 डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण एवं 20 एम0 एल0 डी0 जल शोधन संयत्र का पुनर्स्थापन। बिंदाल नदी पर कंक्रीट वियर का निर्माण।

रूड़की

रूड़की शहर में 196 कि0मी0 लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, 8 में से 4 जोन की कमिशनिंग का कार्य पूर्ण तथा 46 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

रामनगर

11 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण, 4 उर्ध्व जलाशयों का निर्माण, 57.3 कि0मी0 लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन बिछाने का कार्य तथा 7100 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन।

हल्द्वानी

16 उर्ध्व जलाशयों एवं 1 भूमिगत जलाशय का निर्माण, 10.6 कि0मी0 राईजिंग मेन पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, 2 नये पम्प हाऊस का निर्माण एवं 1 पम्प हाऊस का पुर्नस्थापन।

नैनीताल

46 पम्पिंग उपकरणों का प्रतिस्थापन एवं 4 नलकूपों का निर्माण,107 कि0मी0 जल वितरण संयंत्र का निर्माण, 10 स्टील एवं 10 आर0सी0सी0 जलाशयों का निर्माण, 5 ट्रान्सफॉर्मरों का स्थापन एवं कमिशनिंग, 4 नये पम्प हाऊसों का निर्माण कार्य, 2 नये सम्प टैंको का निर्माण तथा 1 वाटर साफ्टनिंग प्लांट का निर्माण।

राज्य वित्त पोषित योजनायें

राज्य योजना के अर्न्तगत वर्ष 2017–18 में ₹ 3407.52 लाख धनराशि प्राविधानित की गई है। जनवरी, 2018 तक ₹ 483.85 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। राज्य सैक्टर द्वारा संचालित योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरण:–

22.11 उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Programme, UA-URIF):– इस योजना में दीनदयाल उपाध्याय शहरी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठतम स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2017–18 में ₹ 50.00 लाख का बजट में प्रावधान रखा गया था, जिसके अंतर्गत जनवरी, 2018 तक ₹ 30.00 लाख का व्यय हुआ है।

22.12 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (Urban Infrastructure Development):– इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायों की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधायें यथा–ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवगठित हो रही नगर निकायों को निकाय के गठन, कार्यालय स्थापना तथा अन्य विकास कार्यो हेतु अनुदान भी इसी के तहत स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2017–18 में ₹ 2650.00 लाख का बजट में प्रावधान रखा गया

था, जिसके अंतर्गत जनवरी, 2018 तक ₹ 427.41 लाख का व्यय हुआ है।

22.13 श्वान पशु बन्ध्याकरण हेतु ए0बी0सी0 (Animal Birth Control) **कैम्पसः**— नगर निकायों के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं की जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु प्रथम चरण में 03 स्थलों मसूरी, देहरादून व नैनीताल में श्वान पशु बन्ध्याकरण हेतु कैम्पस का निर्माण करते हुए परियोनान्तर्गत पशुओं का बन्ध्याकरण कार्यक्रम किया जायेगा।वर्ष 2017—18 में ₹ 230.00 लाख का बजट में प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत जनवरी, 2018 तक ₹ 17.57 लाख का व्यय हुआ है।

22.14 रैन बसेरों का निर्माणः— एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निकायों में रैन बसेरों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2017—18 में ₹ 100.00 लाख का बजट में प्रावधान रखा गया था, जिसके अंतर्गत जनवरी, 2018 तक ₹ 14.14 लाख का व्यय हुआहै। स्वीकृत 12 रैन बसेरों मे से 07 रैन बसरों का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त **नगर पालिकाओं में पार्कों की स्थापना योजना के अर्न्तगत** नगर निकायों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों को एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्कों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, **मलिन/वाल्मीकि बस्तिओं के लिए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण** योजनार्न्तगत परिवारों को व्यक्तिगत शौचालयों की सुविधा देना तथा उन्हें खुला शौचमुक्त क्षेत्र किया जाना तथा **सड़क पर रेढ़ी, फेरी, शिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वाले सपेरा आदि को** राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति का विख्यापन किया गया है, जिसके अनुसार सड़क पर फेरी व रेडी लगाने वाले दुकानदारों के लिए एक स्थान निर्धारित करते हुए स्थल विकास किया जाना है।

आवास विभाग

22.15 आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

- उत्तराखण्ड में वर्तमान में राज्य स्तर पर एक उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद गठित है। राज्य में वर्तमान में कुल 14 विकास प्राधिकरण कार्यरत है, जिनके द्वारा आवास सुविधा हेतु कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्व 05 विकास प्राधिकरण कार्यरत थे, वर्ष 2017 से पूर्व में कार्यरत 21 विनियमित क्षेत्रों को समाप्त कर, उनके स्थान पर 11 जनपदों चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का गठनकिया गया तथा पूर्व में स्थापित 05 प्राधिकरणों में से तीन प्राधिकरण, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकण तथा दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण वर्तमान में भी कार्यरत हैं।
- उत्तराखण्ड राज्य के तीन विकास प्राधिकरण मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण तथा दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान लागू हो चुका है। 11 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान लागू करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
- उत्तराखण्ड राज्य में Real Estate कारोबार से जुडे एजेंट तथा Builders हेतु उत्तराखण्ड भूसंपदा नियमक प्राधिकरण एक्ट (RERA) लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत भूमि या मकान/फ्लेट बनाने से सम्बन्धित एजेंट व Builders को RERA के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक कर दिया गया है। RERA के अन्तर्गत राज्य में कुल 268 Builders द्वारा आवेदन किया गया, जिसके सापेक्ष 167 आवेदन पंजीकृत किये गये तथा 13 आवेदनों को निरस्त किया गया। अवशेष पर कार्यवाही गतिमान है तथा कुल 178 एजेंटों द्वारा आवेदन किया गया, जिसके सापेक्ष 175 आवेदन पंजीकृत किये गये।

22.16 प्रधानमंत्री आवास योजनाः— योजनान्तर्गत 2022 तक प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017—18 हेतु प्रदेश का लक्ष्य 5000 आवासों का

निर्माण है। इस योजना को मुख्यतः 4 घटकों में बांटा गया है।

1 अनधिकृत कालोनी में झोपड़ी बनाकर रहने वालों को वहीं पर मकान बनाकर।

2 Beneficiary led individual home Construction (BLC) योजना के अन्तर्गत आवास हेतु अनुदान।

3 Construction Linked Payment Plan के अन्तर्गत लाभार्थी को बैंक के माध्यम से कम ब्याज पर लोन।

4 Affordable Housing in Partnership (AHP) के अन्तर्गत निजी भागीदारी के माध्यम से आवास पूर्ण किये जाने है।

22.17 मेट्रो रेल योजनाः— उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश में कुल 99.39 किमी0 लम्बी मेट्रो रेल योजना प्रारम्भ करने हेतु ₹ 17634 करोड़ की DPR तैयार की गयी। यह कार्य दो चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में दो कॉरीडोर देहरादून में तैयार किये जाने है।

1. प्रथम कॉरीडोर में ISBT देहरादून से कण्डोली (राजपुर रोड) तक कुल 11.389 किमी0।
2. द्वितीय कॉरीडोर में FRI से रायपुर तक कुल 12.981 किमी0।

द्वितीय चरण में भी दो कॉरीडोर तैयार किये जाने है।

1. प्रथम कॉरीडोर– बहादराबाद से ऋषिकेश तक कुल 34.531 किमी0।

2. द्वितीय कॉरीडोर– ISBT देहरादून से नेपाली फार्म तक कुल 40.491 किमी0।

प्रथम चरण की कुल लागत ₹ 3889 करोड़ तथा द्वितीय चरण की लागत ₹ 13745 करोड़ सम्भावित है। मेट्रो रेल योजना का व्यापक गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility Plan) तैयार करने का काम "Urban Mass Transit Company" दिल्ली को सौंपा गया है जो कि केन्द्रीय सरकार के समक्ष DPR मेट्रो नीति के अन्तर्गत स्वीकृत करने हेतु तथा वित्तीय भागीदारी के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय–23

समाज कल्याण
Social Welfare

23.1 सामान्य विवरणः राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण, अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुये विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या में 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है।

23.2 सामाजिक प्रगति सूचकांक 2016 (Social Progress Index 2016):- Institute for Competitiveness द्वारा भारत के सभी राज्यों का सामाजिक प्रगति सूचकांक तैयार किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य सम्पूर्ण देश में चौथे स्थान पर रहा है। सामाजिक प्रगति (Social Progress) को 3 मुख्य पहलुओं:– मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं (Basic Human Needs), खुशहाली के आधार (Foundations of Well-being) तथा अवसर (Opportunity) के आधार पर आंकलित किया गया है। वर्ष 2016 का प्रमुख राज्यों व अखिल भारत का सामाजिक प्रगति सूचकांक तालिका 23.1 में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका 23.1

सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index) 2016

राज्य	स्कोर (Scores)	श्रेणी (Rank)
केरल	68.09	1
हिमाचल प्रदेश	65.39	2
तमिलनाडु	65.34	3
उत्तराखण्ड	64.23	4
बिहार	44.89	29
अखिल भारतीय	54.90	-

Source: Global Social Progress Index 2016

तालिका के अनुसार सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखण्ड 64.23 अंक के साथ केरल, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु के बाद शीर्ष चौथे स्थान पर है एवं इसका स्कोर अखिल भारतीय औसत से ऊपर है। इस प्रकार उत्तराखण्ड ने सामाजिक प्रगति के सन्दर्भ में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है।

समाज कल्याण की प्रमुख योजनाएं:– राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्गों के असहाय, वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, महिलाओं आदि के कल्याण हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है।

23.3 समाज कल्याण पेंशन योजनाएं

23.3.1 वृद्धावस्था पेंशन योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के बी0पी0एल0 परिवारों के वृद्धों अथवा ₹ 4,000 मासिक आय वाले निराश्रित वृद्धों को ₹ 1,000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 वर्ष आयु के व्यक्तियों को ₹ 800 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹ 500 प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 1,000 प्रतिमाह देय पेंशन के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र के 2,56,089 पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह–दिसम्बर 2017 तक योजनान्तर्गत ₹ 24,376.63 लाख की धनराशि व्यय कर 3,78,934 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

23.3.2 विधवा पेंशन योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की बी0पी0एल0 श्रेणी की निराश्रित विधवाओं अथवा ₹ 4000 से कम मासिक आय तक की विधवाओं को ₹ 1000 मासिक भरण पोषण अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता/पेंशन की भुगतान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजनान्तर्गत ₹ 8897.88 लाख की धनराशि व्यय कर 1,35,165 विधवाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.3.3 किसान पेंशन योजनाः– इसके अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों तथा राज्य के अर्न्तगत ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधि सम्मत कृषि पट्टा है एवं स्वयंकृषि कार्य कर रहे हैं को ₹ 1000 प्रतिमाह की दर से किसान पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजनार्न्तगत ₹ 519.05 लाख की धनराशि व्यय कर 15,366 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

23.4 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं

23.4.1 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से योजना को ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह–दिसम्बर 2017 तक योजना में ₹ 555.13 लाख की धनराशि व्यय कर 72723 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

23.4.2 अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रवृत्तिः– योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह–दिसम्बर 2017 तक योजनार्न्तगत ₹ 109.85 लाख की धनराशि व्यय कर 4768 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.4.3 अनुसूचित जाति मैरिट उच्चीकृत छात्रवृत्तिः– अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा के साथ–साथ रेमेडियल कोचिंग के लिए मैरिट उच्चीकृत योजना लागू की गयी है, जो कि वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना में ₹ 6.25 लाख की धनराशि जनपद को आवंटित की गई है।

23.5 अनुसूचित जनजाति कल्याण

23.5.1 कक्षा 01 से 08 तक छात्रवृत्तिः– अनुसूचित जनजातियों में शैक्षिक स्तर को बढ़ाए जाने हेतु सरकार द्वारा कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 50,000 विद्यार्थियों के लिए ₹ 350 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष 6,638 विद्यार्थियों को माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 51.46 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

23.5.2 अटल आवास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के एसे परिवार जिनकी वार्षिक आय रूपये 32,000 अथवा इससे कम होगी (अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवार भी योजना के लिए पात्र होंगे) को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017–18 में इस योजनान्तर्गत 495 लाभार्थियों के लिए ₹ 150 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष 230 लाभार्थियों को दिसम्बर 2017 तक ₹ 30.90 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

23.5.3 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः– योजनान्तर्गत कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। वर्ष 2017–18 में ₹ 40 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।

23.5.4 आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदानः– वर्ष 2017–18 में ₹ 150 लाख बजट प्रावधान से 29 विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 04 विद्यालयों को इस वर्ष के दौरान माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 70.17 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.5 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालनः– विभाग द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल छात्र/छात्राओं की पंजीकृत क्षमता 3055 है। वर्ष 2017–18 में ₹ 2,320 लाख का बजट प्राविधान किया गया तथा माह दिसम्बर 2017 तक 2179 विद्यार्थियों को इस वर्ष के दौरान ₹ 1510.15 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.6 राजकीय जनजाति छात्रावासों का संचालनः– विभाग द्वारा वर्तमान में 04 बालक राजकीय जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्रों की पंजीकृत क्षमता 200 है। वर्ष 2017–18 में ₹ 154.07 लाख बजट प्रावधान से 200 विद्यार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक 168 छात्रों को ₹ 84.84 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.7 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः– विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में इस योजनान्तर्गत 413 प्रशिक्षणार्थयों के लिए ₹ 391.95 लाख का बजट प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष 385 लाभार्थियों को दिसम्बर 2017 तक ₹ 263.70 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी जनपद देहरादूनः– वित्तीय वर्ष 2010–11 से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, जनपद देहरादून का संचालन प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2017–18 में ₹ 159.93 लाख बजट प्रावधान से 420 विद्यार्थियों का लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक 408 विद्यार्थियों को ₹ 104.62 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.9 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती हैं। वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 200 लाख के बजट प्राविधान से 40 योजनाओं लक्ष्य के सापेक्ष 01 योजना (एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी में पेयजल योजना को क्रियान्वित की गयी है) को इस वर्ष के दौरान माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 26.20 लाख की धनराशि व्यय करते हुए क्रियान्वित किया गया है।

23.5.10 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में ₹ 170.00 लाख के बजट प्रावधान से 15 योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य के सापेक्ष 02 योजनाओं (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गदरपुर में लाईब्रेरी एवं डायनिंग हॉल के निर्माण कार्य) को क्रियान्वित कर ₹ 36.00 लाख की धनराशि व्यय करके 175 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

23.5.11 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– विभाग के अन्तर्गत 04 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में ₹ 100 लाख के बजट प्रावधान से 04 योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य के सापेक्ष 02 योजनाओं (राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर में मरम्मत तथा खटीमा छात्रावास में अतिरिक्त छात्रावास के भवन निर्माण) को क्रियान्वित कर माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 100 लाख की धनराशि की धनराशि से 100 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

23.5.12 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा

दशमोत्तर छात्रवृत्ति):– अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 3400 लाख के बजट से 16750 विद्यार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 171 विद्यार्थियों को माह–दिसम्बर 2017 तक ₹ 4.29 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है

23.5.13 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायताः– अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में दून विश्वविद्यालय परिसर में Tribal Research Cum-Cultural and Museum (TRI) के भवन निर्माण पर ₹ 1106.89 लाख की धनराशि माह–दिसम्बर 2017 तक व्यय की गयी है।

23.5.14 जनजातियों के लिए जनजाति उप योजनाः– योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्र सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2017–18 में ₹ 800 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोठी जनपद पिथौरागढ के भवन निर्माण पर ₹ 443.24 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

23.6 अल्पसंख्यक कल्याण

23.6.1 अल्पसंख्यक छात्रों के कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति योजना (शत–प्रतिशत राज्य पोषित):– वित्तीय वर्ष 2017–18 में 28944 छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र सफलतापूर्वक ऑनलाईन भरे जा चुके हैं। उक्त योजना का पूर्णतया ऑनलाईन संचालन करते हुए छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किया जायेगा।

23.6.2 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः– उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की आई.ए.एस./पी.सी.एस. की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम ₹ 75,000 की राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 10 अभ्यर्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

23.6.3 अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः– उक्त योजना अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। ऐसी बालिकाओं, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा/मुन्शी, मौलवी तथा आलिम 60 प्रतिशत से अधिक अंक से उत्तीर्ण की है, को अधिकतम ₹ 25,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस हेतु ₹ 64.95 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 442 छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

23.6.4 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 3200 छात्र/ छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5273 छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरे जा चुके है।

23.6.5 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 395 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 704 छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है।

23.6.6 अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 19,732 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 24,636 छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है। छात्र/छात्राओं को भुगतान की कार्यवाही भारत सरकार के स्तर से गतिमान है।

23.6.7 अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वॉलिटी एजुकेशन इन मदरसाज, SPQEM):– मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के अन्तर्गत गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं हिन्दी आदि के अध्यापक रखे जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 606.00 लाख के सापेक्ष ₹ 393.48 लाख की धनराशि व्यय कर 614 अध्यापकों को मानदेय का ऑनलाईन भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।

23.7 दिव्यांग कल्याण

23.7.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना:– इस योजना में प्राईमरी कक्षा से उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनार्न्तगत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2018 निर्धारित की गई है, उसके उपरान्त ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा।

23.7.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदान:– दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजनार्न्तगत ₹ 2.63 लाख की धनराशि व्यय कर 75 दिव्यागों को लाभान्वित किया गया है।

23.7.3 दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना:– दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बी0पी0एल0 चयनित परिवार के दिव्यांग अथवा ₹ 4,000 मासिक आय वाले दिव्यांगजनों को ₹ 1,000 मासिक की दर से भरण–पोषण अनुदान दिया जाता है। योजनार्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 4,303.37 लाख की धनराशि व्यय कर 58,441 दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की गयी है।

23.7.4 इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना:– इस योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह देय भरण–पोषण हेतु आर्थिक सहायता/पेंशन के अन्तर्गत भुगतान की जाती है।

23.7.5 दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना:– दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है। वित्तीयवर्ष 2017–18 में माह–दिसम्बर 2017 तक योजनार्न्तगत ₹ 2.50 लाख की धनराशि व्यय कर 10 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया।

इसके अतरिक्त जन्म से दिव्यांग बच्चों को भत्ता योजना, तीलू रौतेली पेंशन योजना एवं बौना व्यक्तियों को पेंशन योजना के द्वारा भी दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की जाती है।

23.8 महिला कल्याण

23.8.1 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना:– इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 157.92 लाख की धनराशि व्यय कर 2905 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.8.2 विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान:– इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को पुत्री की शादी हेतु ₹ 50000 की धनराशि अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीयवर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजनार्न्तगत ₹ 35 लाख की धनराशि व्यय कर 70 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.8.3 निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्री की शादी हेतु अनुदान:– इस योजना के अन्तर्गत निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए ₹ 50000 की धनराशि अनुदान स्वरुप प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। माह–दिसम्बर 2017

तक ₹ 275.50 लाख की धनराशि व्यय कर 551 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

23.8.4 अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदानः— अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों को शादी हेतु ₹ 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017—18 में इस योजनान्तर्गत 700 पुत्रियों के लिए ₹ 350 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष 245 पुत्रियों की शादी हेतु माह—दिसम्बर 2017 तक ₹ 122.50 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

23.8.5 गौरा देवी कन्याधन योजनाः— अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किए जाने हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कन्याधन के रूप में ₹ 50,000 की सहायता, राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में छात्रा के नाम से तीन से पांच वर्ष की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017—18 में इस योजनान्तर्गत 600 छात्राओं के लिए ₹ 300 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष 310 छात्राओं को माह दिसम्बर 2017 तक ₹ 82.50 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

23.9 समाज कल्याण द्वारा संचालित अन्य योजनाएं

23.9.1 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापनाः— अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014—15 से प्रारम्भ किया जा चुका है। वित्तीयवर्ष 2017—18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजनान्र्तगत ₹ 65.04 लाख की धनराशि व्यय कर 116 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्तिः— इस योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजना में ₹ 2.19 लाख की धनराशि व्यय कर 137 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

इसके अतिरिक्त महिला छात्रवृत्ति योजना व पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृति योजना के अन्तर्गत भी छात्रवृति प्रदान की जाती है।

23.9.3 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में 3,787 अनुमानित लाभार्थियों को सहायता राशि दिये जाने हेतु ₹ 757.40 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तावित किया गया है। माह दिसम्बर 2017 तक योजना में ₹ 218.80 लाख की धनराशि व्यय कर 1094 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.4 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़नः— वित्तीय वर्ष 2017—18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजना में ₹ 8.25 लाख की धनराशि व्यय कर 2 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.5 अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. आवासहीन परिवारों हेतु आवास योजनाः— अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बी.पी.एल. अथवा ₹ 32,000 तक वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजनान्र्तगत ₹ 34.46 लाख की धनराशि व्यय कर 186 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

23.9.6 अनुसूचित जाति के निर्धन छात्रों के शिक्षाध्ययन हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयः— अनुसूचित जाति के निर्धन छात्रों के शिक्षाध्ययन हेतु 06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये जा रहे है। इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, पाठ्य पुस्तक व लेखन सामग्री, वस्त्र बिस्तर तथा औषधि की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजनान्र्तगत ₹ 272.73 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

23.10 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

23.10.1 अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनाः— इस योजना के अर्न्तगत 120 लाभार्थियों को

₹ 57.60 लाख अनुदान, ₹ 138.24 लाख बैंक ऋण तथा ₹ 33.975 लाभार्थी अंश कुल ₹ 229.815 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया।

23.10.2 मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउंडेशन योजनाः— इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017—18 में 41 लाभार्थियो को ₹ 116.743 लाख ऋण स्वीकृत कर ₹ 94.171 लाख से लाभान्वित किया गया है।

23.10.3 मुख्यमंत्री हुनर योजनाः— इस योजनाओं के अन्तर्गत तक 425 लाभार्थियो को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिस पर ₹ 24.25 लाख प्रशिक्षण शुल्क तथा ₹ 10.75 लाख छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जायेगा।

23.11 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान—ए—कलियर, रूड़कीः— मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 से बिना महरम के भी 45 वर्ष से अधिक आयु की 04 महिला आवेदकों के ग्रुप को हज यात्रा पर जाने की अनुमति मिली है, जिसके अनुसार उत्तराखण्ड से 04 महिलाओं ने एक कवर में आवेदन किया है।

1. वर्ष 2018 मे जिलेवार कुर्रा अन्दाजी (लॉटरी) की गई है इससे पहले प्रदेशवार कुर्रा अन्दाजी की जाती थी जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के हज आवेदकों का चयन नहीं हो पाता था। इस वर्ष जिलेवार कुर्रा अन्दाजी होने से प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के हज आवेदकों का भी चयन हुआ है।

2. इस वर्ष हज आवेदन करने का समय गत वर्षो की अपेक्षा लगभग 02 माह पहले प्रारम्भ किया गया जिससे हज से सम्बन्धित कार्य सही समय पर पूरे किये जा सकेगें।

23.12 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादूनः— उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत राज्य सरकार द्वारा वक्फ रूल्स 2018 अधिसूचित किये गये जिससे कि वक्फ बोर्ड के कार्यों को सम्पादन करने में सहायता मिलेगी।

23.13 उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्ः—

1. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् में नवीन वैकल्पिक व्यवस्थानुसार संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विषयों का समावेश किया गया है।

2. नए सत्र से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) का पाठ्यक्रम लागू किया गया।

23.14 उत्तराखण्ड बहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम लि0

23.14.1 अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायताः— इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य 1459 के सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक 903 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया है। मद में निम्नलिखित योजनायें संचालित की जाती है—

1. विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उप योजना):— इस वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर 2017 तक कुल ₹ 89.30 लाख की धनराशि व्यय कर 903 लाभार्थियों को वित्त पोषित किया गया है।

2. स्वतः रोजगार योजनाः— वित्तीय वर्ष 2017—18 के माह दिसम्बर 2017 तक 859 लाभार्थियों को ₹ 85. 70 लाख अनुदान, ₹ 19.34 लाख मार्जिन मनी ऋण एवं ₹ 351.50 लाख बैंक ऋण वितरित कर वित्त पोषित किया गया हैं।

3. अवस्थापना विकासः— वित्तीय वर्ष 2017—18 में जनपदों को ₹ 49.95 लाख की धनराशि से 60 दुकानों का निर्माण करने का लक्ष्य प्रेषित किया गया है। दुकानों का निर्माण करने का कार्य गतिमान है।

23.15 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें:— इस योजना के अन्तर्गत 44 लाभार्थियों को ₹ 3.60 लाख अनुदान, ₹ 9.80 लाख मार्जिन मनी ऋण एवं ₹ 37.75 लाख टर्मलोन वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

23.16 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 57.91 लाख के सापेक्ष ₹ 6.90 लाख अनुदान एवं ₹ 21.00 लाख बैंक ऋण की धनराशि वितरित कर 69 लाभार्थी वित्त पोषित किये गये हैं।

अध्याय–24

खेल एवं युवा कल्याण

Sports & Youth Welfare

सतत विकास लक्ष्य 3 के अनुरुप सभी वर्गों को स्वस्थ जीवन प्रणाली की ओर अग्रसर करने तथा युवाओं की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग कार्यरत है। खेल विभाग के अन्तर्गत दिसम्बर 2017 तक संचालित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 32655 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। माह मार्च 2018 तक 45000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक 1.60 लाख बालक व 1.60 लाख बालिका खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है। जनपदों में क्रीड़ा स्थलों का विकास/स्थापना कराते हुए स्वायत्तशासी खेल संस्थाओं व आयोजकों का भी सहयोग लिया जाना लक्षित है।

खेल (Sports)

24.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं– राज्य में खेल विभाग की स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत है:–

तालिका 24.1

क्र. सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल अवस्थापना की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम	18
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल	04
4	इंडोर क्रीडाहॉल	14

24.2 जिला सैक्टर की योजनायें

24.2.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन:– योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 तक 23651 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। 83 बालक एवं बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर पदक प्राप्त किया गया। योजना में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रावधानित बजट ₹ 186.63 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक ₹ 115.27 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

24.2.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजना:– माह दिसम्बर, 2017 तक लगभग 9004 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु ₹ 283.93 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक ₹ 191.32 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.2.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजना:– खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 172.96 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक ₹ 94.49 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों तथा उसमें प्रशिक्षणरत छात्रों की संख्या निम्न तालिका 24.2 में प्रस्तुत है:–

तालिका–24.2– आवासीय खेल छात्रावास

क्र. सं.	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट
1.	पौड़ी	बैडमिंटन	बालक	10	07
2.	कोटद्वार (पौड़ी)	बॉक्सिंग	बालक	20	18
3.	चमोली	वॉलीबॉल	बालक	20	19
4.	देहरादून	फुटबॉल	बालक	25	23
5.	हरिद्वार	हॉकी	बालिका	25	23
6.	टिहरी	क्रिकेट	बालक	20	16
7.	उत्तरकाशी	फुटबॉल	बालिका	20	12
8.	रूद्रप्रयाग	एथलेटिक्स	बालिका	25	25
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	24
10.	बागेश्वर	ताईक्वांडो	बालिका	15	–
11.	चम्पावत	बॉक्सिंग	बालक	15	15
12.	अल्मोड़ा	बैडमिंटन	बालिका	15	06
13.	पिथौरागढ़	बॉक्सिंग	बालिका	15	15
14.	ऊधमसिंह नगर	एथलेटिक्स	बालक	20	17
	कुल योग			270	220

24.3 राज्य सैक्टर योजनायें

24.3.1 नकद पुरस्कार योजनाः— योजना के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन तथा भविष्य में होने वाले प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में ₹ 187.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 ₹ 124.25 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 16 खिलाड़ी एवं 07 प्रशिक्षक तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 217 खिलाड़ी एवं 46 प्रशिक्षकों को लाभान्वित किया गया।

24.3.2 खेल किट योजनाः— राज्य की टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, जूते, मोजे तथा खेलकिट प्रदान किये जाते हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु ₹ 65.00 लाख बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 33.08 लाख की धनराशि व्यय कर खिलाड़ियों को 1086 खेलकिट प्रदान किए गए है।

24.3.3 खेल संघों आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजनाः— इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में ₹ 41.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 3.30 लाख की धनराशि व्यय की गई योजना से 02 दिव्यांगों को खेल सामग्री क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

24.3.4 विशिष्ठ खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजनाः— इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में इस योजना हेतु ₹ 15.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 9.93 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। **सुश्री एकता बिष्ट को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार तथा श्री लियाकत अली को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है।**

24.3.5 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजनाः— उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2017—18 में 791 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु ₹ 200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 159.21 की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.6 स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजनाः— देहरादून तथा पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गयी है, जिसमें खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के साथ—साथ 307 प्रशिक्षणरत् खिलाड़ियों के लिए कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित है। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रशिक्षणरत् खिलाड़ी **श्री अनु कुमार, एथलेटिक्स द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक तथा श्री शिवम थापा द्वारा फुटबॉल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया।** इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में ₹ 320.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 309.14 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.7 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजनाः— इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट के सापेक्ष ₹ 05.00 लाख की धनराशि व्यय कर माह दिसम्बर, 2017 तक 88 खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया है।

24.3.8 पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजनाः– पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्ट्स, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों आदि के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 30.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में 30 प्रशिक्षुओं का तृतीय बेसिक स्की कोर्स का आयोजना मुनस्यारी (पिथौरागढ़) में किया जा रहा है।

24.3.9 स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजनाः– वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 18 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 04 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल तथा 14 इंडोर क्रीड़ाहॉल स्थापित हैं, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 10000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु ₹ 5300.00 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 330.76 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.3.10 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजनाः– राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियाँ तथा अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। वर्तमान तक ₹ 5177.05 लाख की धनराशि से 22 निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना हेतु ₹ 1400.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 558.35 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.4 केन्द्र पोषित योजनायें

24.4.1 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजनाः– राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तथा अवस्थापना सुविधाओं का नवीन तकनीक के आधार पर विकास करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 500.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.4.2 खेलो इंडिया योजनाः– इस योजना हेतु वर्तमान में परेड ग्राउण्ड, देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल तथा हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजनान्तर्गत परेड ग्राउण्ड, देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल व हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम हेतु ₹ 200.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

> वर्ष 2030 तक राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय खेल अवस्थापना सुविधायें तैयार कर उच्च स्तरीय खेल यथा ओलम्पिक खेल, विश्व कप, एशियाड, कॉमन वेल्थ खेल, एफ्रोएशियन, सैफ आदि खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराने का विजन है। विभिन्न खेलों के अन्तर्गत खिलाड़ियों द्वारा अर्जित किए गए पदकों में 30 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हेतु कार्य किया जाना है।

तालिका–24.3 खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदान किये गये पुरस्कारों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	खिलाड़ी का नाम	खेल का नाम	देय धनराशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1	देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार	सुश्री एकता बिष्ट	क्रिकेट	5.00
2	देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार	श्री लियाकत अली	क्रिकेट	3.00
3	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	श्री बोधित जोशी	बैडमिंटन	0.25
		श्री लक्ष्य सेन	बैडमिंटन	2.25
		श्री पवन गुरंग	बॉक्सिंग	0.50
		सुश्री निष्ठा पैन्यूली	आईस स्केटिंग	0.10
		श्री मुकेश राणा	एथलेटिक्स	0.25
		श्री गुरमीत सिंह	एथलेटिक्स	5.50
		श्री मान सिंह	एथलेटिक्स	5.00
		श्री चन्दन सिंह	एथलेटिक्स	0.50
		श्री मनीष सिंह रावत	एथलेटिक्स	4.00
		श्री रविन्द्रपाल सिंह मेहता	बेसबॉल	0.16
		सुश्री कल्पना तोमर	बेसबॉल	0.16
		श्री भानुप्रकाश शर्मा	बेसबॉल	0.16
		श्री नवज्योत सिंह राणा	बेसबॉल	0.16
		श्री प्रदीप सिंह	जूडो	0.10
4	राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	38 पदक	ताईक्वांडो	7.59
		13 पदक	जूडो	4.06
		06 पदक	भारोत्तोलन	2.25
		01 पदक	बास्केटबॉल	1.56
		47 पदक	क्याकिंग एवं कैनाईंग	27.03
		05 पदक	कराटे	1.12
		03 पदक	कुश्ती	0.21
		12 पदक	बॉक्सिंग	3.68
		17 पदक	निशानेबाजी	10.26
		09 पदक	बैडमिंटन	4.91
		47 पदक	एथलेटिक्स	11.03
		07 पदक	आईस स्केटिंग	3.12
		05 पदक	वुशू	0.31
		01 पदक	फुटबॉल	0.22
		01 पदक	तलवारबाजी	0.19

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल

24.5 जिला सेक्टर योजनायें

24.5.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजनान्तर्गत कुल ₹ 170.92 लाख की धनराशि का बजट स्वीकृत किया गया है तथा ₹ 0.52 लाख रू0 का उपयोग किया गया।

24.5.2 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– योजनान्तर्गत कुल ₹ 111.83 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 24.11 लाख राज्यांश गत वर्ष प्राप्त हुआ तथा ₹ 5.08 लाख का उपयोग किया गया है।

24.5.3 समाज सेवा/सुरक्षा कार्य– स्वयं सेवकों से समय–समय पर मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं के समय सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इस योजना में कुल ₹ 1701.36 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है तथा इसके सापेक्ष ₹ 902.69 लाख का उपयोग किया गया है।

24.5.4 विवेकानन्द यूथ अवार्ड– योजनान्तर्गत कुल ₹ 5.42 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है इसके सापेक्ष ₹ 2.20 लाख प्राप्त हुए है तथा ₹ 0.78 लाख का उपयोग किया गया है।

24.5.5 युवा केन्द्र की स्थापना/ रख–रखाव– युवा कल्याण प्रशिक्षण संचालित करने, जनपद में सांस्कृतिक/ साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, खेलकूद के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। इस योजना में ₹ 42.17 लाख अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 15.12 लाख का उपयोग किया गया है।

24.5.6 ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन– इस योजना में ₹ 15.81 लाख अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 0.66 लाख का उपयोग किया गया है।

24.5.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजनान्तर्गत कुल ₹ 62.20 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है इसके सापेक्ष ₹ 20.35 लाख प्राप्त हुए है तथा ₹ 7.90 लाख का उपयोग किया गया है।

मल्टीपरपज कोर्स में प्रशिक्षण

उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–17 में 229 एस.सी./एस.टी. युवाओं को हैल्थ केयर मल्टीपरपज कोर्स, 200 को फूड एवं ब्रेवरेज सर्विस एवं फूड प्रोडक्शन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2017–18 में 280 युवाओं के सापेक्ष प्रथम 100 युवाओं को हैल्थ केयर मल्टीपरपज कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

24.5.8 छोटे खेल मैदानों का निर्माण– इस योजना में कुल ₹ 61.89 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है इसके सापेक्ष ₹ 31.89 लाख स्वीकृति प्राप्त है तथा ₹ 13.90 लाख का उपयोग किया गया है।

24.6 राज्य/केन्द्र पोषित योजनायें

24.6.1 अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण- इस योजनान्तर्गत कुल ₹ 70.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। वर्ष 2016–17 में 429 युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया।

24.6.2 खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन– इस योजनान्तर्गत राज्य के समस्त युवाओं को खेलों में प्रतिभाग कराने तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करवाया जाता है। वर्ष 2017–18 में ₹ 951.41 लाख के सापेक्ष ₹ 533.12 लाख का व्यय किया गया है।

24.6.3 आउट डोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– उत्तराखड राज्य में खेल प्रतिभाओं के विकास एवं ग्रामीण युवाओं के शारीरिक सम्वर्द्धन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना है। वर्तमान में उधमसिंह नगर के विकासखण्ड गदरपुर के कूल्हा में 01 मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु ₹ 80.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

24.6.4 साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र रखरखाव एवं प्रशिक्षण– राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र शिवपुरी (टिहरी) में विविध साहसिक गतिविधियों, व्हाईट वॉटर रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन, फर्स्टएड आदि का प्रशिक्षण प्रशिक्षित ट्रेनरों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। जिससे युवाओं को साहसिक खेलों में रोजगार प्राप्त होता है। योजना में कुल ₹ 6.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.6.5 प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 30.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

24.6.6 शारीरिक विकास एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण– सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के माध्यम से युवाओं को भर्ती मानकों के अनुसार सेना/अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में कैम्प स्थापित करना है। इस योजना में कुल ₹ 50.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.6.7 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को अर्द्धसैनिकों का प्रशिक्षण– नये स्वयं सेवकों को 22 दिवसीय एवं प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को 15 दिवसीय विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे विविध जनपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वों, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में ड्यूटी उपलब्ध करवाकर रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना में कुल ₹ 20.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.6.8 युवा दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में कुल ₹ 25.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.6.9 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 50.00 लाख व ₹ 10.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.6.10 राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम– इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष के अंतर्गत राज्य में 59100 स्वयंसेविकों द्वारा 9 प्रकोष्ठों के माध्यम से शिविरों का संचालन किया जायेगा। सामान्य शिविरों के लिए ₹ 175.00 लाख तथा विशेष शिविरों के आयोजन हेतु ₹ 150.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

अध्याय–25

सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान

Information Technology and Science

25 सामान्य विवरणः– राज्य के सतत् विकास में सूचना प्राद्यौगिकी एवं विज्ञान तकनीकी का इसमें योगदान है। ये तकनीकी विद्यायें विकास कार्यों के Enabler (संबल) के रूप में कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के साथ–साथ स्थानीय स्तर की तकनीकी को विकसित एवं बढ़ावा देने में कार्यरत है। राज्य में सुशासन (Good Governance) हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत निम्न कार्य चलाये जा रहे हैं–

25.1 ई–शासन (E-Governance)- राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट, यू0के0 स्वान, स्टेट डाटा सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.)तथा State Portal & State Service Delivery Gateway (एस.एस.डी.जी. एवं स्टेट पोर्टल) परियोजना पर कार्यवाही की जा रही है। संचालित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

25.1.1 ई–जिला (E-District)- ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के समस्त जनपदों में किया गया है। यह परियोजना का आरम्भ पौड़ी जनपद से किया गया था। इस जनपद में वर्तमान में 16 नागरिक केन्द्रित सेवायें प्रदान की जा रही हैं, जबकि अन्य जनपदों में 13 सेवायें प्रदान की जा रही हैं। परियोजना हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित किया गया है। ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु एक चार सीटर हैल्प डैस्क कार्यशील है। वर्तमान में ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जी0टू0सी0 (सरकार से नागरिक) सेवायें 131 ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों तथा 2160 कार्यशील कॉमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। अभी तक 45 लाख से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। रेवेन्यू कोर्ट की सेवायें, समाजकल्याण सेवायें, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवायें सम्बन्धित विभागों से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त आरम्भ की जा सकेंगी।

वर्तमान में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

1. जाति प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण पत्र
3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र
4. चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य तथा कान्ट्रेक्टर)
5. हैसियत प्रमाण पत्र
6. पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र
7. स्वतंत्रता सैनानी आश्रित प्रमाण पत्र
8. उत्तरजीवी प्रमाण पत्र
9. जन्म प्रमाण पत्र
10. मृत्यु प्रमाण पत्र
11. रोजगार पंजीकरण
12. परिवार रजिस्टर प्रति प्राप्त करना
13. परिवार रजिस्टर में प्रविष्ठि
14. वृद्धावस्था पेंशन
15. विधवा पेंशन
16. विकलांग पेंशन

25.1.2 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)- उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (यू0के0 स्वान) नामक सुरक्षित नेटवर्क स्थापित

किया गया है।उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क ब्लॉक एवं तहसील स्तर तक 133 प्वाइंट ऑफ प्रिजेन्स के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों के 1235 कार्यालय हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी के रूप में संयोजित किये जा चुके हैं।

National Optical Fiber Network (NOFN)

डिजिटल इन्डिया के अन्तर्गत राज्य के समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क से जोड़े जाने हैं, जिससे विभिन्न विभागों में services delivery improve हो सके। दिनांक 26 फरवरी, 2018 तक कुल 1361 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।

25.1.3 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre)- उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर स्थापित करने हेतु 80 प्रतिशत केन्द्रांश ₹ 3.38 करोड़ अवमुक्त किये गये हैं। इसमें क्रियान्वयन हेतु नवतकनीक 'हाईपर कन्वर्जन' आधारित प्रथम चरण जून 2018 तक स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह स्टेट डाटा सेन्टर स्थापित होने से सभी विभागों के विभिन्न प्रकार के डाटा एक ही जगह पर रहेंगे। नीति नियोजन एवं विकास कार्यों में पारदर्शिता लाये जाने एवं उनके प्रभावी अनुश्रवण आदि हेतु एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध डाटा का उपयोग किया जा सके।

25.1.4 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)- वर्ष 2018 तक समस्त 7506 ग्राम पंचायतो में (सी0एस0सी0) की स्थापना किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 7394 सी0एस0सी0 5486 ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जा चुके हैं। 4114 सी0एस0सी0 केन्द्रों को ई–डिस्ट्रिक्ट (जी.टू.सी.) सेवायें प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है। सी0एस0सी0 के माध्यम से वर्तमान में 14 B2C (व्यापार से नागरिक) सेवायें तथा 15 G2C (सरकार से नागरिक) सेवायें, नागरिकों तक पहुँचाई जा रही है। जबकि सी0एस0सी0 के माध्यम से नागरिकों को अन्य सेवायें यथा– विद्युत बिल भुगतान, उत्तराखण्ड चुनाव आयोग से सम्बन्धित, कोषागार ई–चालान, राज्य सरकार की ई–डिस्ट्रिक्ट 16 सेवायें, आधार से सम्बन्धित सेवायें इत्यादि भी प्रदान की जा रही हैं।

नागरिकों को प्रदान की जा रही (बी2सी) सेवायें–

- LendingKart Loans for VLEs
- Pump Kart
- LED Kit and Raw Material Order
- PVC Card Order
- ePashu Chikitsha
- eLegal Service
- Videocond2h : Recharge and Set Top box
- Income Tax Services
- Order Devices from CSC
- CBSE NEET Registration
- CSC Bazaar
- Uber Driver Registration
- Kisan eStore
- Life Certificate LIC

नागरिकों को प्रदान की जा रही (जी2सी) सेवायें–

- NSDL - PAN Card Service
- FSSAI Registration Service
- Pradhan Mantri Awas Yojna - Urban
- Jeevan Pramaan Certificate
- Soil Health Card
- Public Grievances
- Swachh Bharat
- National Pension System (Swavalamban Yojna)
- Rashtrapati Bhavan Museum Visit
- Passport
- JAN SURAKSHA YOJNA
- UTIITSL - PAN Card Service
- National Career Services
- Birth and Death Certificate Registration
- PVC Election Card Oder

25.2 वाई–फाई कनैक्टिविटी (Wi-fi Connectivity)- राज्य के समस्त जनपद मुख्यालयों तथा विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में वाई–फाई जोन की स्थापना हेतु मैसर्स आई.टी.आई. के माध्यम से डी.पी.आर. उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गयी थी। शासन द्वारा प्रथम चरण में मसूरी एवं नैनीताल में वाई–फाई जोन की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्नुसार मसूरी एवं नैनीताल में वाई फाई जोन की स्थापना की गयी।

मिशन मोड प्रोजेक्ट (Mission mode Project)- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत मिशनमोड के अन्तर्गत प्रोजेक्ट किये जा रहे हैं जिनमें मुख्य रूप से मिशनमोड हेतु मुख्य परियोजनायें जो सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं, जिनकी सूची निम्नानुसार है–

1. कृषि
2. वाणिज्यकर
3. ई–डिस्ट्रिक्ट
4. रोजगार
5. भू–अभिलेख
6. नगर पालिका
7. ई–पंचायत
8. पुलिस विभाग (सी.सी.टी.एन.एस.)
9. रोड ट्रांसपोर्ट
10. कोषागार कम्प्यूट्राईजेशन
11. पी.डी.एस. (नागरिक आपूर्ति विभाग)
12. शिक्षा
13. चिकित्सा

दिसम्बर 2017 तक परियोजना पर ₹1048.26 लाख का व्यय किया जा चुका है।

25.3 वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Conferensing)- तहसील/ब्लॉक स्तर पर सीधे समीक्षा हेतु जनपद, तहसील/ब्लॉक स्तर पर

वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा चुकी है एवं शीघ्र ही क्रियान्वयन किया जायेगा।

25.4 अद्वितीय आई0डी0 (AADHAR)- आधार कार्यक्रम उत्तराखण्ड में वर्ष 2011 में प्रारम्भ किया गया था, तब से राज्य सरकार ने आधार बनाने में अग्रणी स्थान बनाये रखा है। 31 दिसम्बर 2017 तक 107.54 लाख (98.2 प्रतिशत) आधार बनाये जा चुके हैं।

31 दिसम्बर 2017 तक 5 वर्ष से कम आयु के 6.98 लाख (69.7 प्रतिशत) आधार बनाये जा चुके हैं।

31 दिसम्बर 2017 तक 5 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु के 26.11 लाख (82.3 प्रतिशत) आधार बनाये जा चुके हैं।

25.5 आधार का प्रयोग (Use of Aadhar)- राज्य में आधार के माध्यम से वर्तमान में मनरेगा एवं समाज कल्याण पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग) की सेवायें प्रदान की जा रही है। उदाहरण स्वरूप मनरेगा में आधार सीडिंग एवं डी0बी0टी0 (Direct Benifit Transfer) की अधुनान्त स्थिति (24–02–2018) को निम्नवत है:–

जनपद का नाम	व्यक्तियों की संख्या
अल्मोड़ा	91789
बागेश्वर	48386
चमोली	43075
चम्पावत	37010
देहरादून	44259
हरिद्वार	9632
नैनीताल	39878
पौड़ी गढ़वाल	117769
पिथौरागढ़	86627
रुद्रप्रयाग	43124
टिहरी गढ़वाल	133344
उधमसिंह नगर	82878
उत्तरकाशी	60773
योग	838514

छात्रवृति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवायें, मिड–डे मील, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समाज कल्याण की अन्य पेंशन आदि की सेवायें प्रदान किये जाने हेतु आधार सीडिंग का कार्य प्रगति पर है।

सी0एम0 डैश बोर्ड (CM Dashboard)

विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं के त्वरित एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री परिषद के सदस्यों एवं उच्चाधिकारियों के उपयोगार्थ इस डैश बौर्ड के क्रियान्वयन से योजनाओं के त्वरित निष्पादन में सहयोग प्राप्त होगा, जो सुशासन की ओर एक प्रभावी कदम है। वर्तमान में 14 विभागों के 'मुख्यकार्य–निष्पादन संकेतक (KPIs)' 'मुख्यमंत्री अनुश्रवण डैश बोर्ड' पर सीधे प्रसारण में हैं।

द्वितीय चरण में 15 अन्य विभागों का 'मुख्यमंत्री डैश बोर्ड' में समावेश किया जायेगा।

विज्ञान (Science)

राज्य में विकास तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान पैदा करने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही हैः–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- यू–कॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- यूसर्क (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

25.6 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)

केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यो को कराना, उनको आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन प्रदान करना, समन्वय करना, अनुसंधान और विकास में सहयोग, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा समस्त प्राकृतिक संसाधनो के अनुश्रवण और आंकलन हेतु सर्वेक्षण, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा भूमि उपयोग के तरीकों, बदलते पर्यावरण, सिंचन पद्धतियों, वानिकी संसाधनों तथा फसलों की बीमारियों को पता लगाने इत्यादि के अनुश्रवण हेतु बहुसामयिक सर्वेक्षण तथा अन्तरिक्ष तकनीक से सम्बन्धित क्रियाकलापों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। जिसमें वर्ष 2017–18 में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1– उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग के सहयोग से उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल कांस्टीट्यूऐंसी इंफोर्मेशन सिस्टम *(UGCIS)* परियोजना के तहत जी.आई.एस. आधारित पोलिंग बूथ सूचना तंत्र सृजित किया गया है जिसमें निर्वाचन आयोग के उपयोग हेतु प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग बूथों की सूचनाएं ऑनलाइन इंटरैक्टिव मैप्स में उपलब्ध कराई गई है।

2– राज्य में आपदा प्रबन्धन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर आधारित अध्ययन हेतु ''आपदा प्रबंधन सैल'' का गठन किया गया है जिसमें विषय–विशेषज्ञों एवं नवीनतम सेटेलाइट डेटा, सॉफ्टवेयर एवं तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है।

3– वेब बेस्ड सिटी इंफोर्मेशन सिस्टम सृजित किये जा रहे हैं जिसमें शहरों/नगरों से संबंधित समस्त जानकारी– शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवायें, सरकारी कार्यालयों इत्यादि प्राप्त की जा सकेंगी। इस क्रम में पाइलट मोड में कोटद्वार के लिए ''ई–कोटद्वार'' वेब बेस्ड सिटी इंफोर्मेशन सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें कोटद्वार नगर से संबंधित मौलिक सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है।

4– एन.आर.एस.सी., हैदराबाद द्वारा वित्तपोषित ''नेशनल भू–उपयोग/भू–आवरण मानचित्रीकरण परियोजना (तृतीय चरण)'' के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के सैटेलाइट डेटा के उपयोग से राज्य का भू–उपयोग/भू–आवरण मानचित्र 1:50000 स्केल पर तैयार किया जा

रहा है, जिसमें राज्य की कुल भूमि को बर्फ–हिमनद क्षेत्र, वन क्षेत्र, चारागाह भूमि, कृषि भूमि, जलग्राही क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र आदि में चिन्हांकित किया जा रहा है। इससे पूर्व यह कार्य वर्ष 2005–06 व वर्ष 2011–12 के लिए किया गया है तथा इसके तहत सृजित जियोस्पेशियल डेटाबेस को विविध विभागों एवं जनसामान्य के उपयोगार्थ नेशनल जियो–पोर्टल (भुवन) पर अपलोड किया गया है।

5– एन.आर.एस.सी., हैदराबाद के सहयोग से नेशनल वेस्टलैण्ड चेंज एनालिसिस परियोजना संचालित की जा रही है, इसमें वर्ष 2015–16 के सैटेलाइट डेटा के उपयोग से डेटाबेस सृजित किया जा रहा है तथा पूर्व वर्षों में सृजित डेटाबेस के उपयोग से विगत वर्षों में आये बदलावों का अध्ययन भी किया जा रहा है।

6– एन.आर.एस.सी., हैदराबाद द्वारा वित्तपोषित "नेशनल लैण्ड डिग्रेडेशन" परियोजना के अंतर्गत राज्य का लैण्ड डिग्रेडेशन जियोस्पाशियल डेटाबेस सृजित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वर्ष 2015–16 के सैटेलाइट डेटा के उपयोग से वर्तमान स्थिति का मानचित्रीकरण किया जाएगा तथा वर्ष 2005–06 के सैटेलाइट डेटा पर आधारित मानचित्र से तुलनात्मक अध्ययन कर विगत 10 वर्षों में आये बदलावों का अध्ययन भी किया जा रहा है।

7– नॉर्थ–ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एण्ड जी.आई.एस. इन सेरीकल्चर डेवलपमेंट परियोजना संचालित की जा रही है। यह परियोजना का द्वितीय चरण है जिसमें तीन जनपद पौड़ी, चमोली एवं बागेश्वर को अध्ययन के लिए चयनित किया गया है। इस परियोजना के तहत मुख्य रुप से सेरीकल्चर को बढ़ावा देने हेतु विविध पैरामीटरों–भू–उपयोग / भू–आवरण, मृदा, स्लोप, आस्पैक्ट, आदि के एनालिसिस से उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाना है।

8– बर्फ एवं हिमनद अध्ययन के अन्तर्गत 2014–15 के उपग्रह आंकडों के उपयोग से अलकनन्दा, भागीरथी एवं यमुना बेसिन का 5–10 दिवसीय अंतराल पर डिजिटल एन.डी.एस.आई प्रोडक्ट्स का सृजन किया गया, जिससे हिमनद एवं बर्फ की वास्तविक स्थिति एवं जलवायु सम्बन्धी प्रभावों का पता चलता है। यमुना बेसिन में स्थित हिमनदों का लिस–3 सैटेलाइट डेटा के उपयोग से अनुश्रवण किया गया तथा 17 जलागम क्षेत्रों में वाटरशेड प्राइटाइजेशन हेतु कार्य योजना तैयार की गई है।

9– एन.आर.एस.सी., हैदराबाद के सहयोग से संचालित इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न पारिस्थतिकीय तंत्रों में पादप जैवभार व कार्बन पूल का आंकलन कर जियोस्पेशियल डेटाबेस तैयार करना हैं। इस परियोजना का प्रमुख कार्य राज्य के समस्त जनपदों में ग्राउंड सैंपलिंग व उपग्रह आंकड़ों की मदद से स्थलीय वनस्पति जैवभार का आंकलन एवं स्थलीय पादप जैवभार का जियोस्पेशियल डेटाबेस तैयार करना है।

10– उत्तराखण्ड राज्य औषधीय व सुगंधित पादप जैवविविधता सम्पन्न

राज्य है। इस कारण यहां के स्थानीय लोगों की आजीविका इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, लेकिन उचित जानकारी के अभाव के कारण इन क्षेत्रों की पहचान नहीं हो पाई है, जिस कारण इन क्षेत्रों का संरक्षण व संवर्द्धन समुचित तरीके से नहीं हो पाया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में औषधीय व सुगंधित पादप जैवविविधता सम्पन्न क्षेत्रों की पहचान कर उनका मानचित्रीकरण करना तथा विभिन्न मानचित्रों को एकीकृत कर भू–स्थानिक सूचना तंत्र का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

11– केंद्र एवं जी.बी.पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, कोसी, अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित ''कैलाश सेक्रेड लैण्डस्केप कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट इनीशिएटिव'' परियोजना के अन्तर्गत हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से 1:10000 स्केल पर पिथौरागढ़ जनपद के लिए भू–उपयोग/भू–आवरण, रोड़ नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम व वैजीटेशन मैप तैयार किए गए हैं।

12– केन्द्र द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु अन्तरिक्ष आधारित सूचना सहायता परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य का भू–स्थानिक डेटाबेस 1:10,000 स्केल पर सृजित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत भू–उपयोग/भू–आवरण, रोड़ नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम आदि मानचित्र तैयार किये गए हैं जो राज्य के विकास एवं नियोजन क्रियाकलापों में सहायक सिद्ध होंगे।

13– केन्द्र द्वारा फसल परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कृषि उपज को ज्ञात करने के लिए लिस 3 डेटा के उपयोग से कटाई से पूर्व गेहू की अनुमानित पैदावार तथा क्षेत्रफल का आंकलन किया जा रहा है।

25.7 यू–कॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)

25.7.1 डेवलपमेंट ऑफ वाटर क्यालिटी मॉनिटरिंग एवं सर्विलेंस मॉडल इन सेलेक्टेड रूरल एरियास ऑफ उत्तराखण्ड (Delevopment of water monitoring and moddle in Rural areas of Uttarakhand):- इस परियोजना के अर्न्तगत, लच्छीवाला, देहरादून तथा घेना, टिहरी ग्राम पंचायतों के क्षेत्रवासियों के लिए पेयजल की गुणवत्ता एवम् उपलब्धता को बनाये रखने के लिए सम्बन्धित जल स्रोतों को सुरक्षा प्रदान करने की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिसमें मुख्य रूप से एक फील्ड परीक्षण किट को उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगौलिक स्थिति को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यह फील्ड परीक्षण किट अत्यन्त सरल और विश्वसनीय होने के साथ–साथ कम लागत वाली है।

25.7.2 सीड प्रोडक्शन ऑफ पोटेटो बाइ यूसिंग टिस्यू कल्वर इन हाइलैंडस ऑफ उत्तराखण्ड (Seed production of potato by using tissue culture in highland of Uttarakhand):- यूकॉस्ट के सहयोग से हार्क नौगाँव में एक टिशू कल्चर लैब का निर्माण किया गया। जिसमें वर्तमान में सेब के पौधों को टिशू कल्चर विधि द्वारा सेब व आलू के पौध तैयार किये जा रहे है। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा लो चिलिंग वैरायटी को तैयार किया गया है। जिसमें कम बर्फ पड़ने पर भी सेब की पैदावार में कोई खास असर नहीं पड़ता है।हार्क टिशू

कल्चर लैब में आलू की विभिन्न किस्में जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज, कुफरी चन्द्रमुंखी व चिपसोना को तैयार किया जा रहा है।

25.7.3 हेंड बुक मेनुअल ऑन बैंक फिल्टरेशन टेक्निक्स (Hand Book Mannual of Bank Filteration Technique):- परियोजना के अर्न्तगत बैंक फिल्टरेशन टेक्निक्स हेतु हेंड बुक मेनुअल विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें ग्रुप मीटिंगस, अध्याय तथा लेखक निर्धारित किये जा चुके हैं। हेंड बुक मैनुअल में एन0 आई0 एच0, रूडकी, तकनीकी विश्वविद्यालय, जर्मनी, आई0आई0टी0 रूडकी, उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का अहम योगदान दिया जा रहा है।

25.7.4 डेवलपमेंट ऑफ रिवर बैंक फिल्टरेशन इन हिल रीजन फॉर सस्टेनेवल सोल्यूशन फॉर क्वालिटी एंड क्वालिटी प्रोब्लमस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर (Development of river bank fiteration in hill region for sustainable solution for quality and quality problem of drinking water):- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित परियोजना "डेवलपमेंट ऑफ रिवर बैंक फिल्टरेशन इन हिल रीजन फॉर सस्टेनेवल सोल्यूशन फॉर क्वालिटी एंड क्वालिटी प्रोब्लमस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर" का उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। रिवर बैंक फिल्टरेशन तकनीक, तकनीकी विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा भारत देश में लायी गयी। जिसे परिषद के साथ राज्य में उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। परियोजना के अर्न्तगत पहाडी क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के सुधार हेतु सतपुली, कर्णप्रयाग, अगस्तमुनी, गौचर तथा श्रीनगर में तकनीकी विश्वविद्यालय, जर्मनी, उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा रिवर बैंक फिल्टरेशन तकनीक से रिवर बैंक फिल्टरेशन प्लांट स्थापित किये गये हैं।

25.7.5 "केदारनाथ–2 मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट *2x100KW*" एवं "रोंगकोंगमिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट *1x50KW*" *(Mini Hydro Project)*:- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अर्न्तगत यूकॉस्ट तथा उरेडा ने "केदारनाथ–2 मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट *2x100KW*" एवं "रोंगकोंगमिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट *1x50KW*" स्थापित किये। परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में सुगमता लाना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लोगों तक पहुंचाना है।

25.7.6 डेवलपमेन्ट आफ स्टैन्डर्ड बेस्ड उत्तराखण्ड स्टेट जियो पोर्टल फॉर डिसेन्ट्रलाइजड गर्वनेन्स (Development of Standars based Uttarakhandstate gio portal for dicentralized governance):- उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) तथा एन0आर0डी0एम0एस0 केन्द्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, अल्मोडा की तकनीकी सहायता से क्रियान्वन किया जा रहा है, यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, द्वारा राज्य हेतु वित्तपोषित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा इस परियोजना की कुल अनुमोदित राशि 4 करोड़ 71 लाख 83 हजार 218 रूपये मात्र थी, जिसमें से रूपये 1 करोड़ 60 लाख 42 हजार राज्यांश था। उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य समस्त जनपदों व विभागों की डिजिटल भौगोलिक

सूचनाओ को एकत्रित कर जी0आई0एस0 डाटा बेस तैयार करके जियोपोर्टल में संग्रहित कर भविष्य में नियोजन एवं नीति निर्माण हेतु भौगौलिक सूचनाओं की मदद से सूक्ष्म समय मे कार्यो को करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत 13 जनपदों में जी0आई0एस0 सेल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में जनपद टिहरी, अल्मोड़ा व नैनीताल में यह सैल कार्य कर रहे हैं।

25.8 यूसर्क (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC):- यह केन्द्र उत्तराखण्ड में वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ बनाया गया है। इसके लिए, यह शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रही है। केन्द्र द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1– ***"Science of Revival of Rivers"*** **कार्यक्रम** के अन्तर्गत यूसर्क द्वारा 'रिस्पना नदी' एवं 'कोसी' नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु जल गुणवत्ता का अध्ययन एवं अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है।

2– 'रिस्पना नदी का पुनर्जीवीकरण नामक 'एन्ड्रॉइड एप' का निर्माण किया गया।

3– 'कोसी' नदी का भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से यूसर्क द्वारा अल्मोड़ा में स्थापित 'उत्तराखण्ड जलवायु परिवर्तन के उत्कृष्ट केन्द्र' द्वारा विषद् अध्ययन किया जा रहा है

4– प्रदेश के छात्रों को प्रौद्योगिकी की सहायता से विज्ञान शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत अद्यतन 1000 से अधिक छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया।

5– केन्द्र में स्थापित स्टूडियों में विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों के ई–कन्टेन्ट हेतु व्याख्यान आयोजित किये जा रहे है। अद्यतन विज्ञान के विभिन्न विषयों में 200 से अधिक व्याख्यान तैयार किये जा चुके है।

6– राज्य में शोध एवं शिक्षण व्यवस्था को सुविधाजनक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु केन्द्र द्वारा राज्य भर की विभिन्न शिक्षण एवं शोध संस्थाओं को जोड़कर **विज्ञान कोरिडोर** की स्थापना की जा रही है। जिसमें 'माणा' से 'मुनस्यारी' तथा 'आराकोट' से 'असकोट' तक विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

7– प्रदेश में गणित शिक्षा के समृद्धिकरण हेतु कुमांऊँ विश्वविद्यालय के एस0एस0जे0 परिसर अल्मोड़ा में गणितीय विज्ञान का उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

8– पृथ्वी दिवस–2017 का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य के छः जनपदों– चमोली, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा तथा नैनीताल में आयोजित किया गया।

25.9 उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology):- राज्य में कार्य क्षमता निर्माण और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों / विश्वविद्यालयों को जैव प्रौद्योगिकी आधारित शोध को बढ़ावा देने के लिए

प्रोत्साहित कर रहा है, जो प्रदेश की जनता के सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस संस्थान के विभिन्न क्रिया–कलापों के कारण प्रदेश के निवासियों का रूझान जैव प्रौद्योगिकी आधारित फलों, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, ऊतक संवर्द्धन द्वारा पौधों का संवर्धन, पर्वतीय जीवविज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रति बढ़ रहा है जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक सुधार हो रहा है। केन्द्र द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1– जैव प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा वर्ष 2017 में गढ़वाल मंडल के गॉव ऊरगम (जोशीमठ), नौटी (चमोली), पोखरी व खैरासैंण (पौड़ी) तथा कुँमाऊं मंडल के सामा (बागेश्वर) को टिश्यू कल्चर से विकसित किवीफल, आर्किड एवं टैमरेलो के पौधों को वितरित किया गया। इन गॉवो को बायोविलेज के रूप में विकसित कर जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को प्रदेश के अन्य गॉव तक प्रसारित किया जा रहा है जिससे किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।

2– परिषद् द्वारा बायो–मास्क्यूटो रिपलेंट का विकास उत्तराखण्ड में पाये जाने वाले औषधीय पौधों से तैयार किया गया है। प्रारंभिक परीक्षण में यह बायो–मास्क्यूटो रिपलेंट प्रभावी पाया गया है एवं अग्रिम जॉच हेतु इसकी प्रक्रिया प्रगति पर है।

3– उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के पर्वतीय जैविकी का उत्कृष्टता केन्द्र में आधुनिक प्रयोगशालाओं का सफल संचालन किया जा रहा है जिसमें प्रमुख प्रयोगशालायें निम्नवत् है

1. पादप ऊतक सवंर्द्धन प्रयोगशाला।
2. आण्विक नैदानिक एवं नैनो जैवप्रौद्योगिकी प्रयोगशाला।
3. जैव विश्लेषणात्मक शोध प्रयोगशाला।
4. जैव सूचना एवं प्रलेखीकरण प्रयोगशाला (देहरादून)।

4– देहरादून में जैवसूचनिकी प्रयोगशाला स्थापित कर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा शोधार्थियों/वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

5– परिषद् द्वारा पी.एच.डी. एवं लघुअवधि शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

6– परिषद् द्वारा हाइड्रोपोनिक/एक्वापोनिक आधारित प्रायोगिक खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जा रहा है।

7– परिषद् में जैवविविधता संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न सगंध एवं औषधीय पौधों को परिसर में संरक्षण किया जा रहा है।

8– प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास हेतु समय–समय पर जैव प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला/लोकप्रिय व्याख्यान/सेमिनार इत्यादि का समय–समय पर सफल संचालन।

अध्याय–26
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

अ– राजस्व

26.1 सामान्य विवरणः– भू–राजस्व अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के अधीन भूमि पर लगाये गये लगान/कर एवं केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त विभागों, निकायों एवं उपक्रमों के विभिन्न प्रकार के देयों की बकायेदारों से धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा करना एवं भूमि के क्रय–विक्रय सहित अन्य समस्त प्रकार से स्वामित्व में हुए निर्विवाद परिवर्तनी का विधिक प्राविधानों/धाराओं के अधीन भू–अभिलेखों में इन्द्राज कर अध्यावधिक करना एवं उनका समुचित रख–रखाव, विभिन्न निर्वाचन सम्बन्धी कार्य सुगमता एवं निष्पक्षतापूर्ण कराये जाने के साथ ही बन्दोबस्त के उपरान्त भूमि के स्वरूप परिवर्तित होने पर भू–अभिलेखों को सुव्यवस्थित करना राजस्व विभाग का प्रमुख कार्य है। राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

26.1.1 भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (CLR):– प्रदेश में डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) का उद्‌देश्य समस्त भू–अभिलेखों यथा खतौनी, खसरा, नक्शा राज्य अभिलेखागारों में अभिलेखों के डिजिटाईजेशन सहित भूमि का सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण आधुनिक तकनीकों द्वारा करवाकर त्रुटिरहित नक्शा व अन्य संगत विवरण आम जन के लिये सुलभ कराया जाना है। प्रदेश में जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा को पॉयलेट जनपद के रूप में चिन्हित कर योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनवरी, 2018 तक गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के अवशेष बजट की धनराशि ₹ 1278.484 लाख के सापेक्ष ₹ 182.417 लाख की धनराशि योजना के कार्यों के निष्पादन में व्यय की जा चुकी है।

वर्तमान समय में **डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP)** योजना (100% केन्द्र पोषित) में निम्नवत् कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं:–

- ➢ डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा के कुल 25057 कैडस्ट्रल मैप्स में से लगभग शतप्रतिशत मैप्स का स्कैनिंग का कार्य किया जा चुका है, स्कैन किये गये मैप्स के डिजिटाईजेशन वैलीडेशन की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें से 7458 मैप्स का डिजिटाईजेशन पूर्ण किया जा चुका है तथा 567 ग्रामों को मोजाईक (मोजाईक प्रक्रिया के अन्तर्गत बड़े ग्राम, जिनकी मैप शीट एक से अधिक होती है, को एक साथ जोड़कर डिजिटाइज्ड किया जाता है) किया जा चुका है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ➢ सी0एल0आर0 योजना में कम्प्यूटरीकरण से छूटे राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।
- ➢ प्रदेश के 11 जनपदों को डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना से जोड़े जाने हेतु नवसृजित तहसीलों के आधार पर समस्त भू–अभिलेखों के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

26.1.2 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही का विवरणः–

- ➢ प्रदेश में भू–अभिलेखों की वर्तमान में संचालित वेब एप्लीकेशन देवभूमि https://devbhoomi.uk.gov.in को अद्यावधिक करवाये जाने हेतु भारत सरकार के निर्देशों पर प्रदेश में केन्द्रीयकृत ऑनलाईन सॉफ्टवेयर https://bhulekh.uk.gov.in/Bhulekh को एन0आई0सी0 के माध्यम विकसित करवाने के उपरान्त जनपद देहरादून की सदर तहसील में पॉयलट आधार पर सफलतापूर्वक संचालित करवाया जा

रहा है, जिसे सम्पूर्ण प्रदेश की तहसीलों में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

➢ भू–उपयोग परिवर्तन एवं भूमि क्रय हेतु अनुमति के अन्तर्गत सम्पादित होने वाली कार्यवाही को वेब एप्लीकेशन https://landuse.uk.gov.in:8080/landuse के माध्यम से ऑन लाईन करने की प्रक्रिया प्रदेश में गतिमान है। इस सम्बन्ध में परिषद् स्तर पर समय–समय पर अनुश्रवण की कार्यवाही की जा रही है।

➢ राजस्व विभाग / कार्यालयों का सब रजिस्ट्रार कार्यालय से ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से संयोजित किया गया है, जिसे और विकसित किये जाने की कार्यवाही साथ–साथ गतिमान है।

➢ प्रदेश के राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण किये जाने हेतु राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, से ऑनलाईन राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी सॉफ्टवेयर http://rcms.uk.gov.in को प्रदेश के नियमों के अनुसार यथा आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को होस्ट किया जा चुका है, जिसमें प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों हेतु पीठासीन अधिकारी एवं पेशकार के लॉग इन आई0डी0 एवं पॉसवर्ड बनवाने के उपरान्त क्रियान्वित करवाया जा रहा है।

➢ प्रदेश में राजस्व वसूली को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से अनुश्रवित करवाये जाने हेतु वेब एप्लीकेशन http://rcs.uk.gov.in को क्रियान्वित किया गया है।

26.1.3 राज्य में चकबन्दी:– चकबन्दी के अधीन लिये गये क्षेत्रों में कतिपय कारणों से चकबन्दी प्रारम्भ न होने के कारण मृतक खातेदारों के वारिसानों के नाम एवं भूमि के विवरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किये जा सके, अतः उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम–1953 की धारा–6 में संशोधन करके इसको दूर कर दिया गया है। उत्तराखण्ड में चकबन्दी से सम्बन्धित विवरणानुसार चयनित 906 ग्रामों के सापेक्ष 414 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है व शेष पर चकबन्दी प्रक्रियाधीन है।

तालिका 26.1:– उत्तराखण्ड में चकबन्दी से सम्बन्धित विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	चकबन्दी में लिए गये ग्रामों की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं।	धारा–6 अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबन्दी समाप्त / स्थगनादेश आदि से तहसील को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है।
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	उधमसिंह नगर	273	123	100	50
2	चम्पावत	28	02	26	—
3	नैनीताल	20	03	15	02
4	हरिद्वार	585	286	180	119
	योग	**906**	**414**	**321**	**171**

26.1.3.1 पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी:– राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को एक सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी अधिनियम, 2016 की अधिसूचना प्रख्यापित की जा चुकी है।

26.1.3.2 सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य:– माह फरवरी, 2018 तक की स्थिति के अनुसार सर्वेक्षण इकाई, उधमसिंहनगर द्वारा जनपद उधमसिंह नगर एवं नैनीताल के कुल 35 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेखीय कार्य सम्पादित कराया जा रहा है, जिनमें से अभी तक 05 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। 14 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है अवशेष 16 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य गतिमान है। सर्वेक्षण इकाई देहरादून द्वारा वर्तमान में जनपद देहरादून में 08 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी इकाई द्वारा जनपद हरिद्वार के 03 ग्रामों एवं जनपद टिहरी गढ़वाल के 04 ग्रामों का भी सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

ब– आपदा प्रबन्धन (Disaster Management)

26.2 सामान्य विवरणः– राज्य में आपदा प्रबन्धन तंत्र को मजबूत बनाये जाने तथा आपदाओं के न्यूनीकरण के उपाय आदि के सम्बन्ध में योजना एवं नीति का निर्माण किये जाने हेतु शीर्ष संस्था के रूप में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना कर आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित योजनाओं का निर्माण किया गया है।

वर्ष 2017–18 में आपदा प्रबन्धन हेतु निम्न कार्यवाही की गयी हैः–

➢ भूकम्प हेतु Early Warning System राज्य में लगाये जाने हेतु IIT Roorkee के साथ अनुबन्ध किया गया है तथा ₹ 3.06 करोड़ की धनराशि जारी की गयी है।

➢ मसूरी, मुक्तेशवर में **डॉप्लर वैदर रडॉर** की स्थापना हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जबकि पिथौरागढ़ में डॉप्लर वैदर रडॉर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

➢ राज्य में हाईड्रोमेट नेटवर्क को मजबूत बनाये जाने हेतु मुनस्यारी, त्यूनी, गैरसेण व घनशाली में ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य में 107 ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन, 16 स्नोगेज, 28 ऑटोमैटिक रैनगेज की स्थापना हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के साथ तकनीकी सहायता हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

➢ आपदा की स्थिति में संचार साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था तथा जनसमुदाय को जागरूक किये जाने हेतु नवीन पहल के रूप में राज्य में सामुदायिक रेडियों स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति विकसित की गई है। जिसमें अधिकतम ₹ 5.00 लाख की सहायता राशि दिये जाने के प्राविधान है।

➢ समस्त जनपदों को आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य हेतु SDRF मद से कुल ₹ 126 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

➢ राज्य के सरकारी भवनों को भूकम्परोधी बनाने हेतु Rapid Visual Screening कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक करीब 15,000 भवनों का RVS कराया जा चुका है।

➢ 10 दिवसीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर संचालित किया गया है। 2125 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।

➢ भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण हेतु अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, चमोली, भीमताल, उधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल के कुल 180 स्थानीय राज मिस्त्रियों द्वारा 06 प्रदर्शन इकाईयों (Demonstration Units) का निर्माण किया गया है।

➢ आपदा की स्थिति में त्वरित संचार व्यवस्था हेतु राज्य में 30 नये सेटेलाईट फोन क्रय कर जनपदवार वितरण किया गया है।

➢ आपदा की स्थिति में संचार साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था तथा जनसमुदाय को जागरूक कर नवीन पहल के रूप में सामुदायिक रेडियों स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति विकसित की गई है।

➢ विभिन्न स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम/रेनगेज/स्नोगेज की स्थापना हेतु IMD के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

➢ आकाशीय बिजली को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

➢ चमोली, बागेश्वर एवं टिहरी के 114 परिवारों के पुनर्वास हेतु ₹ 396.50 लाख की धनराशि जारी की गयी है।

➢ विभिन्न विभागों हेतु मानक प्रचालन विधि (Standard Operation Procedures) एवं विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का विकास वर्तमान में कुछ चिन्हित विभागों यथा– लोक निर्माण, पुलिस, चिकित्सा, जल संस्थान, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि एवं पशुपालन विभाग में उच्चीकृत किया जा रहा है।

➢ जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत् पर्वत के अन्तर्गत ताम्बाखानी नाले की ओर भूस्खलन के उपचार हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी

संस्था के रूप में नामित करते हुए ₹ 667.95 लाख की धनराशि जारी की गयी है।

➢ विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजक्ट (यू0डी0आर0पी0) के अंतर्गत आपदा, 2013 के पश्चात् महत्वपूर्ण पुर्ननिर्माण कार्यक्रम संपादित किये गये हैं। वर्ष 2017–18 में कुल 469.00 कि0मी0 की 77 संख्या सड़कों को निर्माण किया गया है तथा 05 संख्या पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 भवनों जिसमें प्राथमिक विद्यालय, इण्टर कॉलेज, चिकित्सा उप केन्द्र का निर्माण किया गया है। साथ ही क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रिवर मार्फोलॉजी अध्ययन, स्लोप स्टेबलाईजेशन अध्ययन कार्य कराया जा रहा है।

➢ एशियाई विकास बैंक सहायतित उत्तराखण्ड ईमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम (यू0ई0ए0पी0) के अन्तर्गत आपदा, 2013 के पश्चात् अवस्थापना सुविधाओं के विकास के क्रम में 09 शहरों (कपकोट, बागेश्वर, धारचूला, रूद्रपयाग, कर्णप्रयाग, गौचर, उत्तरकाशी, श्रीनगर एवं देवप्रयाग) में पेयजल योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके तहत 49 सड़को (771 कि0मी0), 09 ट्रेक रूट का कार्य पूर्ण किया गया है। इसी परियोजना के अन्तर्गत आपदा के समय त्वरित बचाव हेतु 27 हैलीपेड का निर्माण किया गया है तथा 03 हैंगर व 03 मल्टीपर्पज हॉल/रैस्क्यू सेंटर का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन हेतु अवस्थापना के सुविधाओं के विकास हेतु 27 टी0आर0एच0 का विकास किया गया है तथा 135 हट्स व 89 शौचालय का निर्माण कार्य भी किया गया है।

यू0ई0ए0पी0 परियोजना को वर्ष 2017 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आर्थिक कार्य मंत्रालय (डी0ई0ए0) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

अध्याय–27

राज्य के सामाजार्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी

27 हमारे सामाजार्थिक विकास में महिलाओं का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दैनिक कार्यों से लेकर राजनीतिक क्षेत्र के निर्णयन में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब अपने अनुभव से भी यह कह सकते हैं कि महिलाओं के योगदान/सहयोग के बगैर घर से लेकर कार्यालय तक का कार्य असम्भव है। ऐतिहासिक रूप से उत्तराखण्ड तथा अन्य हिमालयी राज्यों में महिलाओं का योगदान पुरूषों के मुकाबले तथा देश के अन्य मैदानी राज्यों के सापेक्ष ज्यादा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित न होने के दृष्टिगत यह निष्कर्ष निकाला जाना कदाचित उचित नहीं होगा, कि हमारे देश तथा राज्य के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम है। हमारे समाज के प्रत्येक परिवार में घर का सारा कार्य माहिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि देश तथा राज्य में सकल घरेलू उत्पाद (GDP)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आंकलन में परिलक्षित नहीं होता है। यहाँ तक कि जो महिलायें प्रत्यक्ष आय अर्जित कर रही है, वह भी अपने कार्य के साथ–साथ घर का कार्य भी करती है, इससे स्पष्ट है कि हमारे देश तथा राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है। सामाजार्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:–

27.1 कार्य सहभागिता (Work Force Participation)– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या 100.86 लाख है, जिसमें से 51.38 लाख पुरुष एवं 49.48 लाख महिलायें है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता की स्थिति तालिका–27.1 पर प्रदर्शित है।

तालिका 27.1 कार्य सहभागिता

(Work Force Participation)

राज्य	महिला	पुरूष	कुल
भारत	25.5	53.2	39.7
उत्तराखण्ड	26.6	49.6	38.3
उत्तर प्रदेश	16.7	47.7	32.9
हिमाचल प्रदेश	44.8	58.6	51.8

Source: Census 2011 data, Office of the Registration General of India.

तालिका 27.1 से स्पष्ट है कि जनगणना–2011 के समय अखिल भारतीय स्तर पर कुल कार्य सहभागिता दर 39.7 प्रतिशत थी, जिसमें पुरूषों की कार्य सहभागिता 53.2 प्रतिशत तथा महिलाओं की भागीदारी 25.5 प्रतिशत थी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 16.7 प्रतिशत थी, जबकि उत्तराखण्ड में महिलाओं की कार्य सहभागिता 26.6 प्रतिशत थी, जो अखिल भारतीय औसत तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक है। इसी क्रम में राज्य में कृषि क्षेत्र, कृषि श्रमिक, घरेलू उद्यम तथा अन्य कर्मकरों के रूप में महिलाओं की कार्य सहभागिता क्रमशः 17.08, 1.16, 0.91 तथा 6.34 प्रतिशत है।

27.2 कर्मकर जनसंख्या की स्थिति (Status of Worker Population)– तालिका 27.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में राज्य में महिला कर्मकरों का जनसंख्या से अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 30.8 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 8.6 प्रतिशत था। शहरी क्षेत्र में महिला कर्मकरों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा एक तिहाई से भी कम है, तथा शहरी क्षेत्र के पुरूष कर्मकरों (50.6%) की तुलना में लगभग 6 गुना कम है। राष्ट्रीय औसत उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में महिला कर्मकरों का अनुपात उत्तराखण्ड की अपेक्षा बेहतर था।

तालिका 27.2 कर्मकर जनसंख्या की स्थिति
(Status of Worker Population)

राज्य	ग्रामीण		शहरी	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
भारत	24.8	54.3	14.7	54.6
उत्तराखण्ड	30.8	45.2	8.6	50.6
उत्तर प्रदेश	17.7	49.1	10.2	51.1
हिमाचल प्रदेश	52.4	54.1	21.2	60.0

Source: National Sample Survey Office, 68` Round, July 2011-June 2012.
Notes : 1. Figures are based on usual status approach and includes principal status and subsidiary status works of all ages.
2. The Figures represent size of workforce as percentage of population .

27.3 श्रम शक्ति सहभागिता (Labour Force Participation)– तालिका 27.3 से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड राज्य में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में 31.5 प्रतिशत जो राष्ट्रीय औसत (25.3%) तथा उत्तर प्रदेश (17.8%) की अपेक्षा अधिक है, परन्तु पडोसी राज्य हिमाचल प्रदेश (52.9%) से बहुत न्यून है। राज्य के शहरी क्षेत्र में महिला श्रम शक्ति भागीदारी (10.8%) है, जो उत्तर प्रदेश से अंशतः अधिक तथा राष्ट्रीय औसत एवं हिमाचल प्रदेश से बहुत कम है।

तालिका 27.3 श्रम शक्ति सहभागिता
(Labour Force Participation)

राज्य	ग्रामीण		शहरी	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
भारत	25.3	55.3	15.5	56.3
उत्तराखण्ड	31.5	46.5	10.8	51.9
उत्तर प्रदेश	17.8	49.6	10.6	53.3
हिमाचल प्रदेश	52.9	54.7	23.6	61.2

Source: National Sample Survey Office, 68` Round, July 2011-June 2012.
Notes : 1. Figures are based on usual status approach and includes principal status and subsidiary status works of all ages.
2. The Figures represent size of workforce as percentage of population .

27.4 राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व (Participation of Women in Politics) – केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (CSO) की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी लोकसभा 1957 में कुल 45 महिला प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में प्रतिभाग किया गया तथा 60 प्रतिशत महिलायें विजयी रहीं। वर्ष 2014 में यद्यपि 668 महिला प्रत्याशी द्वारा चुनाव लड़ा गया, परन्तु विजय प्रतिशत केवल 9.3 प्रतिशत रहा। इसी क्रम में केन्द्रीय मंत्री परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्ष 1985 में 10 प्रतिशत तथा वर्ष 2016 में 12 प्रतिशत रहा। (उत्तराखण्ड सहित कतिपय राज्यों में विधान मण्डलों तथा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी का विवरण तालिका– 27.4 तथा 27.5 में दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है–)

(क) विधान मण्डलों में महिलाओं की भागीदारी (Participation of Women in Assemblies)- तालिका 27.4 के अनुसार उत्तराखण्ड विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्ष 2012 में मात्र 7 प्रतिशत रहा, जबकि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश में 9 प्रतिशत तथा हिमाचल प्रदेश में 4 प्रतिशत रहा। बिहार और राजस्थान में सर्वाधिक 14 प्रतिशत रहा। राष्ट्रीय स्तर पर विधानसभा में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व वर्ष 2016 में 9 प्रतिशत रहा।

तालिका 27.4 विधान मण्डलों में महिलाओं की भागीदारी
(Participation of Women in Assemblies)

राज्य	विधानसभा चुनाव वर्ष	महिलाओं का प्रतिशत
उत्तराखण्ड	2012	7%
उत्तर प्रदेश	2012	9%
हिमाचल प्रदेश	2012	4%
बिहार	2012	14%
राजस्थान	2012	14%

Source: State Assemblies/Councils Websites as on 28.10.2016 (Women and Men in India 2016) (CSO)

(ख) पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी (Participation of Women in Panchayati Raj Institution)- **तालिका 27.5** के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में पंचायत स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 58 प्रतिशत है, जो कि भारत में झारखण्ड राज्य (59 प्रतिशत) के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व दर 46 प्रतिशत ही है।

तालिका 27.5 पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी (Participation of Women in Panchayati Raj Institution)

राज्य	चयनित प्रतिनिधित्व		
	कुल	कुल महिला	महिला (%)
उत्तराखण्ड	61451	35537	58%
उत्तर प्रदेश	718667	297235	41%
हिमाचल प्रदेश	27832	13947	50%

Source: (Women and Men in India 2016) (CSO)

27.6 न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व (Women Representation in Judiciary) – **उच्चतम न्यायलय** में न्यायाधीशों के 31 स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 01 महिला न्यायाधीश है।

तालिका 27.6 से स्पष्ट है राज्य में नैनीताल हाईकोर्ट में न्यायाधिशों के 11 स्वीकृत पदों में से एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है।

तालिका 27.6 न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व (Women Representation in Judiciary)

न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद	महिला	महिलाओं का प्रतिशत
उत्तराखण्ड	11	0	0%
उत्तर प्रदेश	160	5	8%
हिमाचल प्रदेश	13	4	15%

Source: Department of Justice, Ministry of law and Justice as on 06-10-2016.

27.7 महिलाओं पर हुए अपराध (Crime against Women)–**तालिका 27.7** से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में देश में 4 प्रतिशत महिलाओं पर हुए अपराध के केस दर्ज है जिसमें उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, केरल व तमिलनाडू में 1 प्रतिशत महिलाओं पर हुए अपराधों के केस दर्ज है व त्रिपुरा में सर्वाधिक 26 प्रतिशत केस दर्ज है।

तालिका 27.7 महिलाओं पर हुए अपराध 2015

(Crime against Women)

राज्य	कुल दर्ज अपराधों के सापेक्ष महिला अपराधों का प्रतिशत
उत्तराखण्ड	1%
उत्तर प्रदेश	1%
हिमाचल प्रदेश	7%

Source: Crime in India National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs.

27.8 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति (Position of Women in International level)–**तालिका 27.8** से स्पष्ट है कि भारत में लिंगानुपातः (94:100) है, जोकि अन्य SAARC देशों की तुलना में कम है।

तालिका 27.8 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति

(Position of Women in International level)

देश	लिंगानुपात (100 के सापेक्ष)
अफगानिस्तान	95
बंगलादेश	98
भूटान	87
भारत	94
मालद्वीव	99
नेपाल	105
पाकिस्तान	95
श्रीलंका	106

Source: (Women and Men in India 2016) (CSO)

27.9 महिला निर्णयता संकेताक (Women Decision Indicator)- नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (एन0एफ0एच0एस–4) 2015–16 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश तथा भारत में महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता तथा कतिपय अन्य सूचक तालिका–27.9 में दृष्टिगत होते हैं।

तालिका 27.9 महिला निर्णयन संकेताक (Women Decision Indicator)

सूचक	उत्तराखण्ड		हिमाचल प्रदेश		भारत	
	वर्ष 2005–06	वर्ष 2015–16	वर्ष 2005–06	वर्ष 2015–16	वर्ष 2005–06	वर्ष 2015–16
विवाहित महिलाओं की घरेलू मामलों में निर्णयन में सहभागिता (सूचक सं0–101)	71.5	89.8	79.2	90.8	76.5	84.0
विगत 01 वर्ष के दौरान नकद भुगतान पर कार्य करने वाली महिलाओं का प्रतिशत (सूचक सं0–102)	15.6	15.5	10.6	17.0	28.6	24.6
घरेलू हिंसा के शिकार हुयी विवाहित महिलाओं का प्रतिशत (सूचक सं0–103)	27.8	12.7	6.2	5.9	37.2	28.8
घर अथवा भूमि का स्वामित्व (स्वयं अथवा संयुक्त रूप से) ग्रहण करने वाली महिलाओं का प्रतिशत (सूचक सं0–105)	N.A	29.2	N.A	11.3	N.A	38.4
बैंक खाता धारक महिलाओं का प्रतिशत (सूचक सं0–106)	20.1	58.5	22.2	68.8	15.1	53.0

स्रोत– नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–4 (2015–16)

उक्त तालिका 27.9 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2015–16 की तुलना में स्थिति निम्नानुसार है–

1– अखिल भारतीय औसत के साथ–साथ उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में विवाहित महिलाओं की घरेलू मामलों में निर्णयन में सहभागिता में वृद्धि हुयी है।

2– अखिल भारतीय औसत के समतुल्य उत्तराखण्ड में विगत 01 वर्ष के दौरान नकद भुगतान पर कार्य करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कम हुआ है, यद्यपि हिमाचल प्रदेश में वृद्धि हुयी है।

3– अखिल भारतीय औसत के साथ–साथ उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में घरेलू हिंसा के शिकार हुयी विवाहित महिलाओं की प्रतिशत में कमी आयी है।

4– वर्ष 2015–16 में घर अथवा भूमि का स्वामित्व (स्वयं अथवा संयुक्त रूप से) ग्रहण करने वाली महिलाओं का प्रतिशत उत्तराखण्ड में 29.2 था, जो अखिल भारतीय औसत–38.4 से कम है, परन्तु हिमाचल प्रदेश–11.3 की तुलना में अधिक है।

5– अखिल भारतीय औसत के साथ–साथ उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में बैंक खाता धारक महिलाओं का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है।

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है, परन्तु जनसंख्या के अनुपात में उनकी सहभागिता काफी कम है मात्र पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है, परन्तु इसका कारण महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती राज के अन्तर्गत महिलाओं की प्रतिभागिता बढने के कारण अन्य क्षेत्रों में भी अपने अधिकारों के प्रति महिलायें जागरूक हो रही है। अतः यदि हम वास्तव में महिलाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाना चाहते है तो हमे देश तथा राज्य के सर्वोच्च निर्णय स्तर पर उनकी सहभागिता बढ़ानी होगी।

अध्याय–28

उत्तराखण्ड में रोजगार एवं बेरोजगारी का परिदृश्य

An Overview of Employment and Unemployment in Uttarakhand

28.1 विकास के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि दर आवश्यक है, परन्तु समानुपातिक रूप से रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा आर्थिक वृद्धि विषमताओं को बढ़ावा देगी। अतएव विकास के साथ–साथ रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति को जानना भी आवश्यक हो जाता है। इसके निमित्त राष्ट्रीय स्तर पर लेबर ब्यूरो, चण्डीगढ़ द्वारा वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष वार्षिक रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण कराया जाता है। इसके द्वारा कराये गये 5वें रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण 2015–16 की रिपोर्ट 15 सितम्बर, 2016 को जारी की गयी है, जिसके अनुसार उत्तराखण्ड में रोजगार–बेरोजगारी से संबन्धित प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं–

28.1.1 श्रम बल में भागीदारी की दर (Labour Force Participation Rate, LFPR)– राज्य में श्रम बल में भागीदारी की दर (Usual Principal Status Approach, UPS के आधार पर) 45.9 प्रतिशत (राष्ट्रीय औसत 50.3 प्रतिशत) आंकलित हुई है, अर्थात् राज्य के 15 वर्ष एवं अधिक आयु के 45.9 प्रतिशत व्यक्ति या तो कार्य कर रहे थे अथवा कार्य की तलाश में थे। ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 47.8 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 40.5 प्रतिशत रही, जब कि महिलाओं की दर पुरूषों की दर 70.5 से अत्यधिक कम 19.5 आंकलित हुई है, वहीं शहरी महिलाओं की LFPR 11.5 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की LFPR 22.0 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड, प्रमुख राज्यों व अखिल भारत के सन्दर्भित अनुमान निम्न तालिका 28.1 में प्रस्तुत हैं–

Table: 28.1 Labour Force Participation Rate for Persons aged 15 Years & Above according to Usual Principal Status Approach (ups) (in Percentage)

क्र0 सं0	राज्यों के नाम / अखिल भारत	ग्रामीण				शहरी				ग्रामीण + शहरी			
		पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	छत्तीसगढ	83.1	62.3	68.4	72.9	72	20.8	53.6	47.8	80.8	54.3	65.1	67.9
2	हिमाचल प्रदेश	72.7	17	88.8	45	69.4	16.9	84.4	44.1	72.3	17	88.7	44.9
3	जम्मू कश्मीर	65.7	9.9	-	39.1	65.2	12.2	100	39.7	65.6	10.5	16.7	39.2
4	मिजोरम	75.9	64.2	-	70.1	71.8	43.9	100	56.8	74	54	100	63.7
5	उत्तराखंड	72.3	22	89.7	47.8	65.5	11.5	10.4	40.5	70.5	19.5	45.8	45.9
6	उत्तर प्रदेश	76.9	12.1	30.4	46.6	65.1	7.6	35.2	38	74.5	11.2	31.4	44.8
7	अखिल भारत	77.3	26.7	51.1	53	69.1	16.2	41.2	43.5	75	23.7	48	50.3

28.1.2 कार्यशील जनसंख्या दर (Worker Population Ratio, WPR)– राज्य में कार्यशील जनसंख्या अनुपात (UPS Apporach के आधार पर) 42.7 प्रतिशत (राष्ट्रीय औसत 47.8 प्रतिशत) आंकलित हुआ है, अर्थात् सन्दर्भित अवधि में राज्य के 15 वर्ष एवं अधिक आयु के 42.7 प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोजगार में लगे हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 43.9 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 39.2 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं की दर पुरूषों की दर 66.3 से अत्यधिक कम 17.3

आंकलित हुई है, वहीं शहरी महिलाओं की WPR 10.4 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की WPR 19.5 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड, प्रमुख राज्यों व अखिल भारत के सन्दर्भित अनुमान निम्न तालिका 28.2 में प्रस्तुत हैं–

Table: 28.2 Worker Population Ratio for Persons Aged 15 Years & Above According to Usual Principal Status Approach (ps) (in Percentage)

क्र0 सं0	राज्यों के नाम / अखिल भारत	ग्रामीण				शहरी				ग्रामीण + शहरी			
		पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	छत्तीसगढ़	82.2	61.7	68.4	72.1	68.1	18.3	53.6	44.5	79.3	53.3	65.1	66.6
2	हिमाचल प्रदेश	65.5	13.7	88.8	39.7	67.7	16.6	84.4	43.1	65.8	14	88.7	40.1
3	जम्मू कश्मीर	62.3	6.8	-	35.8	63.9	10.7	100	38.3	62.7	7.7	16.7	36.4
4	मिजोरम	74.6	63.4	-	69.1	69	41.1	100	54	72	52.2	100	61.9
5	उत्तराखंड	67.1	19.5	89.7	43.9	64	10.4	10.4	39.2	66.3	17.3	45.8	42.7
6	उत्तर प्रदेश	72.4	9.7	29	43	62	5.6	35.2	35.5	70.3	8.8	30.3	41.5
7	अखिल भारत	74.1	24.6	50	50.4	66.8	14.3	36.9	41.4	72.1	21.7	45.9	47.8

28.1.3 बेरोजगारी दर (Unemployment Rate)– राज्य में बेरोजगारी दर (UPS Approach के आधार पर) 7.0 प्रतिशत (राष्ट्रीय औसत 5.0 प्रतिशत) आंकलित हुआ है, अर्थात् सन्दर्भित अवधि में राज्य के 15 वर्ष एवं अधिक आयु के 7.0 प्रतिशत व्यक्ति, जो कार्य करने के इच्छुक थे, कार्य प्राप्त नहीं कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 8.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 3.2 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों की दर 6.0 से काफी अधिक 11.3 आंकलित हुई है, वहीं शहरी महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 9.5 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए 11.6 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड, प्रमुख राज्यों व अखिल भारत के सन्दर्भित अनुमान निम्न तालिका 28.3 में प्रस्तुत हैं–

Table:28.3 Unemployment Rate for Persons aged 15 Years & Above According to Usual Principal Status Approach (ps) (in Percentage)

क्र0 सं0	राज्यों के नाम / अखिल भारत	ग्रामीण				शहरी				ग्रामीण + शहरी			
		पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गुजरात	1	0.9	-	1	0.5	1.9	-	0.7	0.9	1.1	-	0.9
2	हरियाणा	4	6.1	-	4.3	3.7	18.6	-	5.7	3.9	9.3	-	4.7
3	हिमाचल प्रदेश	9.9	19.4	-	11.7	2.4	1.9	-	2.3	9	17.4	-	10.6
4	केरल	3.8	30.8	-	12.5	4.6	29	44.5	12.6	4.1	30	36.1	12.5
5	सिक्किम	11.8	35.1	-	18.4	6.6	46.5	-	16.8	10.7	37.4	-	18.1
6	उत्तराखंड	7.2	11.6	-	8.1	2.2	9.5	-	3.2	6	11.3	-	7.0
7	उत्तर प्रदेश	5.9	20	4.9	7.6	4.7	26.2	-	6.7	5.7	20.9	3.7	7.4
8	अखिल भारत	4.2	7.8	2.1	5.1	3.3	12.1	10.3	4.9	4	8.7	4.3	5

28.1.4 रोजगार की प्रकृति (Nature of Employment)– UPS Approach के आधार पर राज्य में कार्यरत व्यक्तियों में से 48.8 प्रतिशत व्यक्ति स्वरोजगार में लगे हैं, जबकि 28.5 प्रतिशत व्यक्ति वैतनिक कर्मचारी (Wage/ Salaried Employee), 20.7 प्रतिशत Casual Labour तथा 2.0 प्रतिशत Contract Workers हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुमान क्रमशः 46.6, 17.0, 32.8, 3.7 प्रतिशत हैं। उत्तराखण्ड, प्रमुख राज्यों व अखिल भारत के सन्दर्भित अनुमान निम्न तालिका 28.4 में प्रस्तुत हैं–

Table: 28.4 Percentage Distribution of Workers Aged 15 Years & Above by broad activity according to Usual Principal Status Approach (ups)

क्र0सं0	राज्यों के नाम/अखिल भारत	Distribution of workers according to Activity			
		Self Employed	Wage/ Salaried Employee	Contract Worker	Casual Labour
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	36.3	13.0	2.2	48.5
2	अरुणाचल प्रदेश	81.2	14.7	1.0	3.1
3	हिमाचल प्रदेश	38.9	31.8	12.7	16.6
4	उत्तराखंड	48.8	28.5	2.0	20.7
5	उत्तर प्रदेश	54.6	15.1	3.1	27.1
6	अखिल भारत	46.6	17.0	3.7	32.8

28.1.5 रोजगार की अवधि– यह भी सम्भव है कि जो व्यक्ति रोजगार में दर्शाये गये हों वे वर्ष के दौरान सम्पूर्ण अवधि के लिए रोजगार में न लगे हों। साथ ही कुछ व्यक्ति अपनी क्षमता व ज्ञान–कौशल के स्तर से निम्न श्रेणी के रोजगार में भी कार्यरत हो सकते हैं। यह Under-employment की श्रेणी में आता है, जो कि रोजगार–बेरोजगारी का भयावह पहलू है। राज्य में 15 वर्ष एवं अधिक आयु के 69.0 प्रतिशत व्यक्ति वर्ष में 12 महीने रोजगार में कार्यरत रहे, जब कि 24.3 प्रतिशत व्यक्तियों को 6–11 महीने कार्य मिला, 0.6 प्रतिशत व्यक्तियों को 1–5 महीने कार्य मिला तथा 6.1 प्रतिशत व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिला। राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुमान क्रमशः 60.6, 34.4, 1.1 तथा 3.9 प्रतिशत हैं। उत्तराखण्ड, प्रमुख राज्यों व अखिल भारत के सन्दर्भित अनुमान निम्न तालिका 28.5 में प्रस्तुत हैं–

Table: 28.5 Percentage Distribution of Workers aged 15 Years & Above Available for 12 Months but Actually Worked According to Usual Principal & Subsidiary Status Approach (ups+ss)

क्र0 सं0	राज्यों के नाम/अखिल भारत	Worked for 12 months	Worked for 6-11 months	Worked for 1 to 5 months	Did not get any work
1	2	3	4	5	6
1	दिल्ली	91.7	5.3	0.2	2.8
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	5.4	0.3	11.5
3	मणिपुर	36.1	57.5	2.2	4.1
4	उत्तराखंड	69	24.3	0.6	6.1
5	उत्तर प्रदेश	55.8	36.5	1.4	6.3
6	अखिल भारत	60.6	34.4	1.1	3.9

28.1.6 औसत मासिक पारिवारिक आय (Average Monthly Household Earnings)– राज्य में सर्वाधिक 30.7 प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिमाह औसत पारिवारिक आय रूपये 10001 से 20000, 23.1 प्रतिशत की 7501 से 10000 तक, 16.1 प्रतिशत की 20001 से 50000, 15.9 प्रतिशत की 5001 से 7500, 9.2 प्रतिशत की 5000 से कम, 3.8 प्रतिशत की 50001 से 100000 तथा 1.3 प्रतिशत की 100000 से अधिक है। उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों में सर्वाधिक गोवा 3.7 प्रतिशत, दिल्ली 1.4 प्रतिशत के बाद तीसरे स्थान पर उत्तराखण्ड के 1.3 प्रतिशत व्यक्तियों की मासिक पारिवारिक आय रूपये 1 लाख से अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 0.2 प्रतिशत व्यक्तियों की ही मासिक पारिवारिक आय रूपये 1 लाख से अधिक है।

28.1.7 परिवार के कमाऊ सदस्यों का विवरण– राज्य में सर्वाधिक 46.5 प्रतिशत परिवारों में 1 सदस्य, 28.9 प्रतिशत परिवारों में 2 सदस्य, 11.0 प्रतिशत परिवारों में 3 सदस्य तथा 4.2 प्रतिशत परिवारों में 4 से अधिक सदस्य कमाने वाले हैं। 9.5 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं है। उत्तराखण्ड, प्रमुख राज्यों व अखिल भारत के सन्दर्भित अनुमान निम्न तालिका 28.6 में प्रस्तुत हैं–

Table: 28.6 Percentage Distribution of Households (hhs) by Number of Employed Persons Aged 15 Years and Above

क्र0 सं0	राज्यों के नाम/अखिल भारत	Distribution of Households by Number of Employed Persons				
		None	1 Person	2 Person	3 Person	4 & above Persons
1	2	3	4	5	6	7
1	हिमाचल प्रदेश	8.4	54.6	25.9	8.6	2.4
2	केरल	13.2	46.3	30	8.1	2.5
3	सिक्किम	0.7	57.1	30.8	9.3	2
4	उत्तराखंड	9.5	46.5	28.9	11	4.2
5	उत्तर प्रदेश	3.1	56.5	26.4	10.2	3.8
6	अखिल भारत	5.1	48.4	30.6	10.7	5.2

28.1.8 राज्य के 32.3 प्रतिशत परिवार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना, 0.1 प्रतिशत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा 0.7 प्रतिशत अन्य रोजगार सृजन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखण्ड, प्रमुख राज्यों व अखिल भारत के सन्दर्भित अनुमान निम्न तालिका 28.7 में प्रस्तुत हैं–

Table:28.7 Percentage Distribution of Households (hhs) benefited from Employment Generating Schemes

क्र0सं0	राज्यों के नाम/अखिल भारत	Distribution of Households Benefited from				
		MGNREGA	PMEGA	SGSY	SJSRY	Others
1	2	3	4	5	6	7
1	हिमाचल प्रदेश	20.1	-	-	-	0.2
2	मिजोरम	86.4	1.1	-	1.9	12.4
3	नागालैंड	72.2	4.2	10.5	0.9	16.6
4	त्रिपुरा	74.6	0.6	-	-	6
5	उत्तराखंड	32.3	0.1	-	-	0.7
6	उत्तर प्रदेश	14.9	0	0	0	1.3
7	अखिल भारत	21.9	0.2	0.4	0.1	1.5

अध्याय–29

''कल बहुत देर हो सकती है''।

(Tomorrow may be too late)

29.1 जब 14वाँ वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में लिखते है कि ''**हमने मानदण्डों और सिफारिशों को तय करने में विशेष और सामान्य वर्ग के राज्यों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया**'', आयोग का सोचना बिल्कुल सही है। भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यह तब न्यायसंगत है जब देश का प्रत्येक राज्य तथा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति तथा विकास के दृष्टिकोण से समान हो। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत एक देश नहीं कई देशों का एक देश है। हिमालयी राज्य अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल अलग है। यह देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है, भूगर्भीय तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उतना ही भंगुर। हिमालय और उसकी गोद में बसे 11 राज्य देश की आत्मा (Soul) है, इसे संजोने की जरुरत है, बचाने की जरुरत है और इस सम्बन्ध में शुरुआत आज ही करनी होगी क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। इस मिशन में पूरे देश को एकमत होना होगा, मेरा और तुम्हारा से ऊपर उठकर सोचना होगा और आवश्यकतानुसार त्याग भी करना होगा। संविधान में केन्द्र व राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के विनिधान/बँटवारे हेतु वित्त आयोग की व्यवस्था की गयी है। वित्त आयोग को इस सम्बन्ध में विचार करना होगा, समस्त पणधारियों (Stakeholders) से विमर्श कर आम सहमति बनानी होगी तथा हिमालय, हिमालयी राज्यों और वहाँ के लोगो के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी।

यदि हम वर्ष 2000 (उत्तराखण्ड निर्माण के पश्चात्) के बाद गठित वित्त आयोगों द्वारा अपनाये मापदण्डों तथा सिफारिशों पर एक नजर डालें तो इस दिशा में कुछ प्रगति दिखायी देती है। चूंकि केन्द्रीय योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है तथा पूर्व में क्षेत्रीय/अर्न्तराज्यीय असंतुलन व विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर वित्त आयोग के सिफारिशों के इतर योजना आयोग द्वारा सामान्य व विशेष अनुदान की जो व्यवस्था की जाती थी उसे चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही समाप्त कर दिया गया है। अतः वित्त आयोग का उत्तरदायित्व अत्यधिक बढ जाता है। अब वित्त आयोग को अपना दृष्टिकोण बडा करना होगा, उन्हें आर्थिक पिछडापन, जनसंख्या, क्षेत्रफल, कर आदि से सम्बन्धी मापदण्डों से अलग तथा ऊपर उठकर सोचना होगा। अब वित्त आयोग को देखना होगा कि कोई क्षेत्र या राज्य देश के अन्य राज्यों के संवहनीय विकास (Sustainable Development) तथा पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

उत्तराखण्ड तथा यहाँ के हिमालयी भाग देश के एक बडे भूभाग तथा लगभग आधी आबादी को जल तथा उपजाऊ मिटटी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त पूरे देश को ठण्डी हवा से बचाना, नदियों के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में जल पहुँचाना, मानसून में बारिश कराना तथा पूरे देश तथा विश्व को शुद्ध हवा देता है। उत्तराखण्ड राज्य असीमित जैव विविधता संजोये हुए है जो भविष्य की पीढी (Posterity) के अस्तित्व के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। हमें हजारों मेगावाट की साफ सुथरी ऊर्जा उपलब्ध कराती है। जरा सोचिए थर्मल पॉवर प्लाण्ट से इतनी ऊर्जा पैदा करने के लिए कितना कोयला जलाना पडता। हमारा पूरा आयुर्वेद हिमालय की जडी बूटियों पर आधारित है। सम्पूर्ण देश तथा विश्व को इतना सब कुछ देने के बावजूद भी पर्वतीय क्षेत्र के नागरिक देश के विकास केन्द्रों से दूर अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। यह सत्य है

हिमालय किसी राज्य विशेष का नहीं है, यह पूरे विश्व तथा पूरे देश का है। अतः पूरे विश्व तथा देश का, हिमालयी राज्यों के प्रति, उत्तरदायित्व और बढ जाता है। हम यह नही कहते कि उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा या अधिक संसाधन चाहिए। परन्तु यह अपेक्षा अवश्य है कि पूरा देश साथ मिलकर हिमालय के संरक्षण हेतु आगे आयें। चूंकि हमारे देश का पूरा अस्तित्व ही हिमालय पर निर्भर करता है, इसके लिए आवश्यक है कि हिमालयी राज्यों के निवासियों, जो परित्याग कर (Self Denial) हिमालय को संजोने में लगे हैं, के जीवन स्तर को उठाने, सेवायें तथा अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।

14वाँ वित्त आयोग ने Horizontal Devolution हेतु वन आच्छादन को 7.5 प्रतिशत भार देकर इस दिशा में एक छोटी सी पहल की है लेकिन वह नाकाफी है। उत्तराखण्ड का कुल वन क्षेत्र छोटा है, क्योंकि कुल क्षेत्रफल का बडा अंश बर्फ, हिमखण्डों (Glaciers) और जलाशयों से ढका है तथा ठंड के कारण बंजर है। उत्तराखण्ड का प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है, लेकिन इसे मापदण्ड में नहीं रखा गया है। उत्तराखण्ड का भोगोलिक क्षेत्रफल 53483 वर्ग किमी. है तथा प्रदेश का प्रतिवेदित क्षेत्रफल (Reported Area) 59926.04 है। इसके अतिरिक्त सिचांई तथा पीने के लिए जल व उपजाऊ मिट्टी उत्तराखण्ड की नदियों से ज्यादा किसी भी राज्य की नदियाँ उपलब्ध नहीं कराती है। अतः वित्त आयोग को ''पर्यावरण तथा देश के लिए महत्ता'' के नाम एक अलग मापदण्ड (Criteria) तय करना चाहिए जिसका भार (Weight) अन्य राज्यों तथा पणधारियों (Stakeholders) से विमर्श कर तय किया जा सकता है।

29.2 उत्तराखण्ड निर्माण के पश्चात् केन्द्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशें– उत्तराखण्ड निर्माण के पश्चात् केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में मापदण्ड और भार, राज्यवार अंश, सेवाकर के राज्यवार अंश, राजस्व घाटा हेतु अनुदान का विवरण क्रमशः तालिका 1, 2, 3 तथा 4 में प्रदर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

Table 29.1: मापदण्ड (Criteria) और भार (Weight)

Criteria	Weight		
	12th FC	13th FC	14th FC
Population (1971)	25	25	17.5
Population (2011)	0	0	10
Fiscal Capacity/Income Distance	50	47.5	50
Area	10	10	15
Tax Effort	7.5	0	0
Fiscal Discipline	7.5	17.5	0
Forest Cover	0	0	7.5

Table 29.2: Interse Shares of States

States	Shares (percent)		
	12th FC	13th FC	14th FC
Andhra Pradesh	7.356	6.937	4.305
Arunachal Pradesh	0.288	0.328	1.370
Assam	3.235	3.628	3.311
Bihar	11.028	10.917	9.665
Chhattisgarh	2.654	2.470	3.080
Goa	0.259	0.266	0.378
Gujarat	3.569	3.041	3.084
Haryana	1.075	1.048	1.084
Himachal Pradesh	0.522	0.781	0.713
Jammu & Kashmir	1.297	1.551	1.854
Jharkhand	3.361	2.802	3.139
Karnataka	4.459	4.328	4.713
Kerala	2.665	2.341	2.500
Madhya Pradesh	6.711	7.120	7.548
Maharashtra	4.997	5.199	5.521
Manipur	0.362	0.451	0.617
Meghalaya	0.371	0.408	0.642
Mizoram	0.239	0.269	0.460
Nagaland	0.263	0.314	0.498
Orissa	5.161	4.779	4.642
Punjab	1.299	1.389	1.577
Rajasthan	5.609	5.853	5.495
Sikkim	0.227	0.239	0.367
Tamil Nadu	5.305	4.969	4.023
Telangana	-	-	2.437
Tripura	0.428	0.511	0.642
Uttar Pradesh	19264	19.677	17.959
Uttarakhand	0.939	1.120	1.052
West Bengal	7.057	7.264	7.324
All States	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Table 29.3: Share of States other than Jammu & Kashmir in the Service Tax

States	Shares excluding J&K (percent)		
	12th FC	13th FC	14th FC
Andhra Pradesh	7.453	7.047	4.398
Arunachal Pradesh	0.292	0.332	1.431
Assam	3.277	3.685	3.371
Bihar	11.173	11.089	9.787
Chhattisgarh	2.689	2.509	3.166
Goa	0.262	0.270	0.379
Gujarat	3.616	3.089	3.172
Haryana	1.089	1.064	1.091
Himachal Pradesh	0.529	0.793	0.722
Jammu & Kashmir	-	-	-
Jharkhand	3.405	2.846	3.198
Karnataka	4.518	4.397	4.822
Kerala	2.700	2.378	2.526
Madhya Pradesh	6.799	7.232	7.727
Maharashtra	5.063	5.281	5.674
Manipur	0.367	0.458	0.623
Meghalaya	0.367	0.415	0.650
Mizoram	0.242	0.273	0.464
Nagaland	0.266	0.318	0.503
Orissa	5.229	4.855	4.744
Punjab	1.316	1.411	1.589
Rajasthan	5.683	5.945	5.647
Sikkim	0.230	0.243	0.369
Tamil Nadu	5.374	5.047	4.104
Telangana	-	-	2.499
Tripura	0.433	0.519	0.648
Uttar Pradesh	19.517	19.987	18.205
Uttarakhand	0.952	1.138	1.068
West Bengal	7.150	7.379	7.423
All States	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Table 29.4: Grants -in-aid for Revenue Deficit (2015-20)

(Rs. Crore)

States	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-20
1	2	3	4	5	6	7
Andhra Pradesh	6609	4930	4430	3644	2499	22113
Assam	2191	1188	NIL	NIL	NIL	3379
Himachal Pradesh	8009	8232	8311	8206	7866	40625
Jammu & Kashmir	9892	10831	11849	12952	14142	59666
Kerala	4640	3350	1529	NIL	NIL	9519
Manipur	2066	2096	2091	2042	1932	10227
Meghalaya	618	535	404	213	NIL	1770
Mizoram	2139	2294	2446	2588	2716	12183
Nagaland	3203	3451	3700	3945	4177	18475
Tripura	1089	1089	1059	992	875	5103
West Bengal	8449	3311	NIL	NIL	NIL	11760
Total State	**48906**	**41308**	**35820**	**34581**	**34206**	**194821**

14वाँ वित्त आयोग ने Tax Effort तथा Fiscal Discipline के मापदण्डों का भार शून्य रखा, जिसमें उत्तराखण्ड की उपलब्धि अग्रणी राज्यों में रहा था। कुल मिलाकर Inter se Shares of States में उत्तराखण्ड का अंश 13वें वित्त आयोग के 1.120 प्रतिशत से 14वें वित्त आयोग में घटकर 1.052 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार Service Tax में भी उत्तराखण्ड का अंश 13वें वित्त आयोग के 1.138 प्रतिशत से 14वें वित्त आयोग में घटकर 1.068 प्रतिशत हो गया। पूर्व में केन्द्रीय योजना आयोग से प्राप्त होने वाले सामान्य तथा विशेष अनुदान तो बन्द कर दिये गये लेकिन हमारे राजस्व खर्चे पर मजबूती से नियंत्रण रखने के सफल कोशिशों का कोई प्रतिफल तो नहीं मिला साथ ही इसके कारण राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) भी नहीं प्राप्त हुआ।

29.3 चौहदवाँ वित्त आयोग की सिफारिशें लागू के पश्चात् उत्तराखण्ड को केन्द्र से प्राप्त होने वाली सहायता में कमी

A. Finance Commission Grants in 2014-15 (Rs. in Crore)	
1. Loss due to decrease in share (from 1.120% to 1.052%)	356
2. Loss due to discontinuation of Forest Compensation Grant	41
3. Loss due to discontinuation of State Incentive Grant	200
B. Block Grants in 2014-15	
1. Normal Central Assistance (NCA)	1530
2. Special Central Assistance (SCA)	700
3. Special Plan Assistance (SPA)	350
Total	3177

Had the grants continued in 2015-16 (with 10% increase) 3495 Crores

यद्यपि क्षैतिज अन्तरण (Horizontal Devolution) 32 प्रतिशत से बढाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह बढ़त सबके लिए है तथा पूर्व में हमें Block Grants क्षैतिज अन्तरण के उपर (over & above) प्राप्त होते थे।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भी माना है कि उत्तराखण्ड ही एकमात्र राज्य है, जिसके, 14वाँ वित्त आयोग के लागू होने के पश्चात्, परिशुद्ध (Absolute) तथा प्रति व्यक्ति अनुदान में कमी आयी है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

Table29.5: Total Surplus/Shortfall after Transfer under CAS but Preserving the fiscal space for Center

States	CAS over and above legally backed schemes (in Rs Crore)	Surplus/short fall after transfer under CAS but preserving the fiscal space for center			
		Absolute (in Rs Crore)	Per Capita (in Rs)	% of NSDP	% of OTR
Andhra Pradesh	5062	10134	1198	1.5	19.0
Arunachal Pradesh	2555	4572	33038	41.8	1439.2
Assam	5860	4378	1403	3.5	57.3
Bihar	6998	8783	844	3.2	69.6
Chhattisgarh	2673	5258	2058	3.8	49.1
Goa	180	995	6820	2.7	39.6
Gujarat	4179	2454	406	0.4	5.5
Haryana	1509	714	282	0.2	3.5
Himachal Pradesh	3593	6826	9944	11.7	166.2
Jammu & Kashmir	8185	10679	8515	17.1	225.0
Jharkhand	2870	4650	1410	3.6	66.9
Karnataka	4873	5300	867	1.1	11.4
Kerala	2778	7834	2345	2.5	30.5
Madhya Pradesh	7959	10389	1431	3.1	38.5
Maharashtra	5365	7496	667	0.6	8.6
Manipur	2029	1250	4861	11.4	339.5
Meghalaya	1536	661	2229	4.1	94.8
Mizoram	1157	1967	17925	26.0	1100.7
Nagaland	2019	1839	9293	12.7	605.0
Odisha	6826	3497	833	1.7	26.0
Punjab	1820	2478	893	1.0	13.2
Rajasthan	6618	2423	353	0.6	9.5
Sikkim	1415	489	8006	5.2	166.3
Tamil Nadu	2376	2644	366	0.4	4.4
Telangana					
Tripura	2139	458	1246	2.0	53.5
Uttar Pradesh	9110	18716	937	2.7	35.6
Uttaranchal	3014	-48	-48	-0.1	-0.9
West Bengal	8386	11365	1245	2.0	45.6
All States	**113081**	**138198**			

Source: Economic Survey 2014-15 (Ministry of Finance)

हिमालयी क्षेत्रों की कुछ खूबियाँ हैं तो वहीं वहाँ के निवासियों के लिए कुछ दिक्कतें व ढाँचागत बाधायें लेकर भी आती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ आजीविका की कमी है लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में जहाँ एक ओर जीविकोपार्जन कठिन है वहीं आवश्यक सेवायें (स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) तथा अवस्थापना सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है।

29.4 प्रवसन (पलायन) एक ऐतिहासिक तथा विश्वव्यापी संवृति (Historical and World Wide Phenomenon) रहा है। यह विचार, ज्ञान तथा कौशल के आदान–प्रदान तथा रोजगार व व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वूर्ण है। मानव सभ्यता के विकास में प्रवसन का महत्वूर्ण योगदान रहा है। लेकिन जब प्रवसन व्यथा या विपत्ति (Distress) के कारण हो तब समाज विखरने लगता है। जीवन की आकांक्षाओं के कारण होने वाले प्रवसन (Aspirational migration) में भी लोग अपनी जडों को नहीं भूलते हैं। लेकिन यदि लोग अपने जडों को ही भूल जायें और वापस लौटना भी न चाहें तब समाज पर बुरा प्रभाव पडता है।

29.5 पूरे भारत में अन्तर्राज्यीय प्रवसन की स्थिति– इस सम्बन्ध में जनगणना 2001 के आँकडें उपलब्ध हैं परन्तु जनगणना 2011 के प्रवसन सम्बन्धित आँकडें आतिथि तक निर्गत नहीं किये गये हैं।

तालिका 29.6: 2001 Census data on inter-state migration based on last residence (0-9), migration rate and growth rate of population-State/Uts

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	जनगणना (1991)	अन्य राज्यों से आये व्यक्ति (2001)	अन्य राज्यो / देशों को गये व्यक्ति (2001)	अन्य देशों से आये व्यक्ति (2001)	शुद्ध आये व्यक्ति (2001)	पलायन दर (प्रति 100) 1991–2001	जनसंख्या वृद्धि दर 1991–2001
States/UTs	Population (1991)	In-Migrants from other states (2001)	Out-migrants (2001)	From other countries (2001)	Net in-migrants (2001)	migration Rate (per 100) 1991-2001	Growth rate of population 1991-2001
1 A & N Islands	2,80,661	29,538	8,011	728	22,255	7.9	26.9
2 Andhra Pradesh	665,08,008	4,21,989	6,37,360	6,292	-2,09,079	-0.3	14.59
3 Arunachal Pradesh	8,64,558	71,789	12,507	2,931	62,213	7.2	27
4 Assam	224,14,322	1,21,803	2,81,510	5,053	-1,54,654	-0.7	18.92
5 Bihar	645,30,554	4,60,782	22,41,413	57,724	-17,22,907	-2.7	28.62
6 Chandigarh	6,42,015	2,39,263	1,06,734	5,108	1,37,637	21.4	40.28
7 Chhattisgarh @	176,14,928	3,38,793	4,44,679	2,615	-1,03,271	-0.6	18.27
8 Dadra & Nagar	1,38,477	47,649	3,440	964	45,173	32.6	59.22
9 Daman & Diu	1,01,586	48,362	5,401	1,835	44,796	44.1	55.73
10 Delhi	94,20,644	21,72,760	4,57,919	49,281	17,64,122	18.7	47.02
11 Goa	11,69,793	1,20,824	32,578	4,775	93,021	8	15.21
12 Gujarat	413,09,582	11,25,818	4,51,458	14,800	6,89,160	1.7	22.66
13 Haryana	164,63,648	12,31,480	5,88,001	26,639	6,70,118	4.1	28.43
14 Himachal Pradesh	51,70,877	1,88,223	1,65,776	28,276	50,723	1	17.54
15 Jammu & Kashmir @	77,18,700	86,768	1,22,175	2,938	-32,469	-0.4	29.98
16 Jharkhand @	218,43,911	5,02,764	6,16,160	2,309	-1,11,087	-0.5	23.36
17 Karnataka	449,77,201	8,79,106	7,69,111	20,533	1,30,528	0.3	17.51
18 Kerala	290,98,518	2,35,087	4,31,821	32,077	-1,64,657	-0.6	9.43
19 Lakshadweep	51,707	4,444	1,149	17	3,312	6.4	17.23
20 Madhya Pradesh	485,66,242	8,14,670	8,42,937	6,939	-21,328	0	24.26
21 Maharashtra	789,37,187	32,31,612	8,96,988	48,394	23,83,018	3	22.73

22 Manipur	18,37,149	4,529	30,867	182	-26,156	-1.4	24.56
23 Meghalaya	17,74,778	33,710	20,434	1,154	14,430	0.8	30.65
24 Mizoram	6,89,756	22,599	31,739	8,436	-704	-0.1	28.82
25 Nagaland	12,09,546	33,594	51,857	1,752	-16,511	-1.4	64.53
26 Orissa	316,59,736	2,29,687	4,40,893	3,931	-2,07,275	-0.7	16.25
27 Pondicherry	8,07,785	1,05,208	35,755	1,426	70,879	8.8	20.62
28 Punjab	202,81,969	8,11,060	5,01,285	26,861	3,36,636	1.7	20.1
29 Rajasthan	440,05,990	7,23,639	9,97,196	11,873	-2,61,684	-0.6	28.41
30 Sikkim	4,06,457	22,519	6,238	7,655	23,936	5.9	33.06
31 Tamil Nadu	558,58,946	2,70,473	6,74,304	25,671	-3,78,160	-0.7	11.72
32 Tripura	27,57,205	40,262	23,538	11,246	27,970	1	16.03
33 Uttar Pradesh	1320,61,653	10,79,055	38,10,701	32,110	-26,99,536	-2	25.85
34 Uttarakhand @	70,50,634	3,52,496	3,54,718	29,138	26,916	0.4	20.41
35 West Bengal	680,77,965	7,24,524	7,30,226	2,59,204	2,53,502	0.4	17.77
India	8463,87,888	168,26,879	168,26,879	7,40,867	7,40,867	0.09	21.54

Source: Table D2, Census of India 2001

Note: @ - Population of new states for 1991 Census is recast from the states from which they are formed. For Jammu & Kashmir estimated population is shown

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड से अन्तर्राज्यीय प्रवसन की समस्या बहुत बडी नहीं है। हिमालयी राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में विदेशों से राज्य के अन्दर आन वाले व्यक्तियों की संख्या में सिक्किम, मिजोरम तथा हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखण्ड चौथे स्थान पर है।

29.6 उत्तराखण्ड में पलायन की स्थिति— उत्तराखण्ड में प्रवसन/पलायन मुख्यतः जनपदीय (जनपद के भीतर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों) तथा अन्तर्जनपदीय (पर्वतीय जिलों से मैदानी जिलों) हैं तो निम्न तालिकाओं तथा चार्टों से स्वतः स्पष्ट है–

तालिका 29.7: तीन दशकों की जनपदवार जनगणना

क्र० सं०	जनपद	जनगणना 1991			जनगणना 2001				जनगणना 2011			
		व्यक्ति	ग्रामीण	नगरीय	व्यक्ति	ग्रामीण	नगरीय	जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर	व्यक्ति	ग्रामीण	नगरीय	जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उत्तरकाशी	239709	222448	17261	295013	272095	22918	23.07	330086	305781	24305	11.89
2	चमोली	325311	286614	38697	370359	319656	50703	13.85	391605	332209	59396	5.74
3	टिहरी गढ़वाल	520214	487319	32895	604747	544901	59846	16.25	618931	548792	70139	2.35
4	देहरादून	1025679	510199	515480	1282143	603401	678742	25.00	1696694	754753	941941	32.33
5	पौड़ी गढ़वाल	671541	590359	81182	697078	607203	89875	3.80	687271	574568	112703	-1.41
6	रुद्रप्रयाग	200493	198650	1843	227439	224707	2732	13.44	242285	232360	9925	6.53
7	पिथौरागढ़	416647	380950	35697	462289	402456	59833	10.95	483439	413834	69605	4.58
8	अल्मोड़ा	608210	560475	47735	630567	576062	54505	3.68	622506	560192	62314	-1.28
9	नैनीताल	582729	391740	190989	762909	493859	269050	30.92	954605	582871	371734	25.13
10	बागेश्वर	228407	222635	5772	249462	241659	7803	9.22	259898	250819	9079	4.18
11	चम्पावत	192637	166539	26098	224542	190764	33778	16.56	259648	221305	38343	15.63
	पर्वतीय जनपद(योग)	**5011577**	**4017928**	**993649**	**5806548**	**4476763**	**1329785**	**15.86**	**6546968**	**4777484**	**1769484**	**12.75**

12	ऊधमसिंह नगर	914569	622276	292293	1235614	832600	403014	35.10	1648902	1062142	586760	33.45
13	हरिद्वार	1124488	776346	348142	1447187	1000912	446275	28.70	1890422	1197328	693094	30.63
	मैदानी जनपद(योग)	**2039057**	**1398622**	**640435**	**2682801**	**1833512**	**849289**	31.57	**3539324**	**2259470**	**1279854**	**31.93**
	उत्तराखण्ड	**7050634**	**5416550**	**1634084**	**8489349**	**6310275**	**2179074**	20.41	**10086292**	**7036954**	**3049338**	**18.81**

स्रोत :– भारत की जनगणना–2001, 2011

चार्ट 29.1 जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर

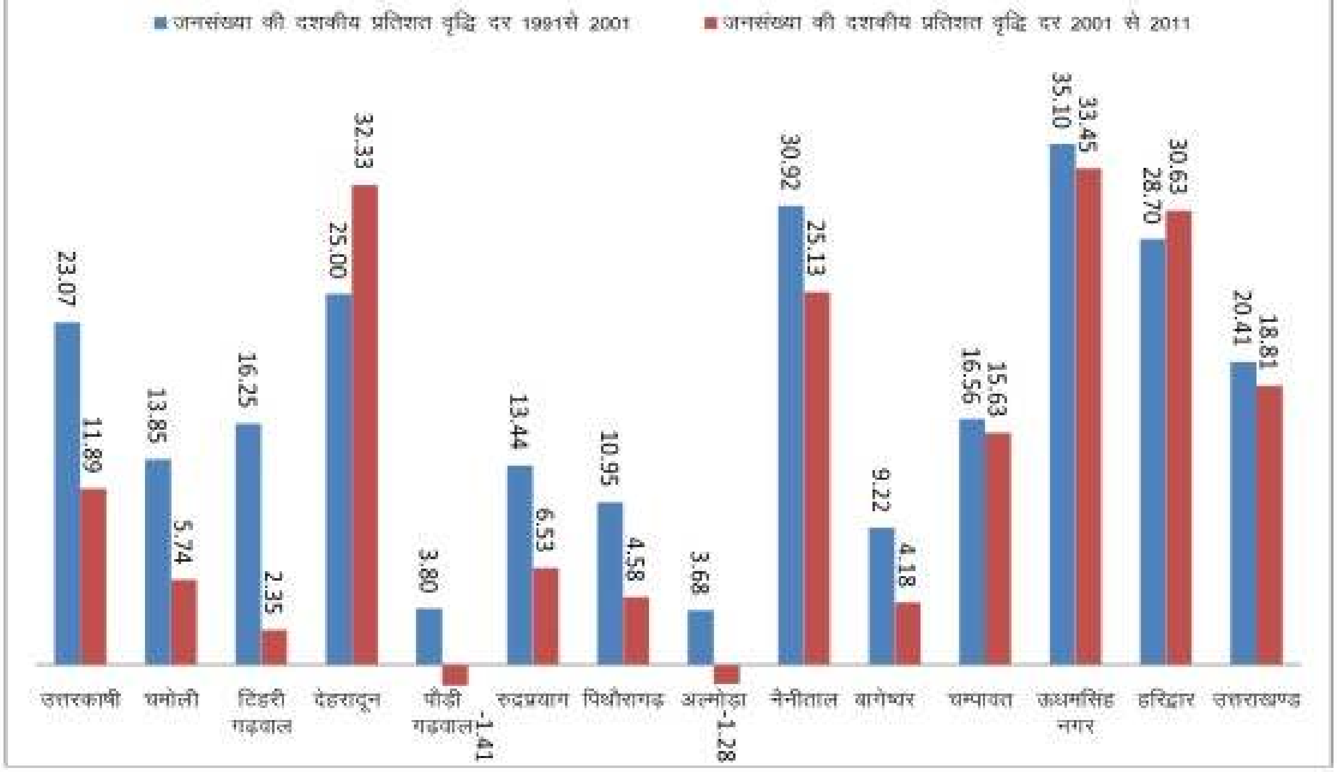

चार्ट 29.2 ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर

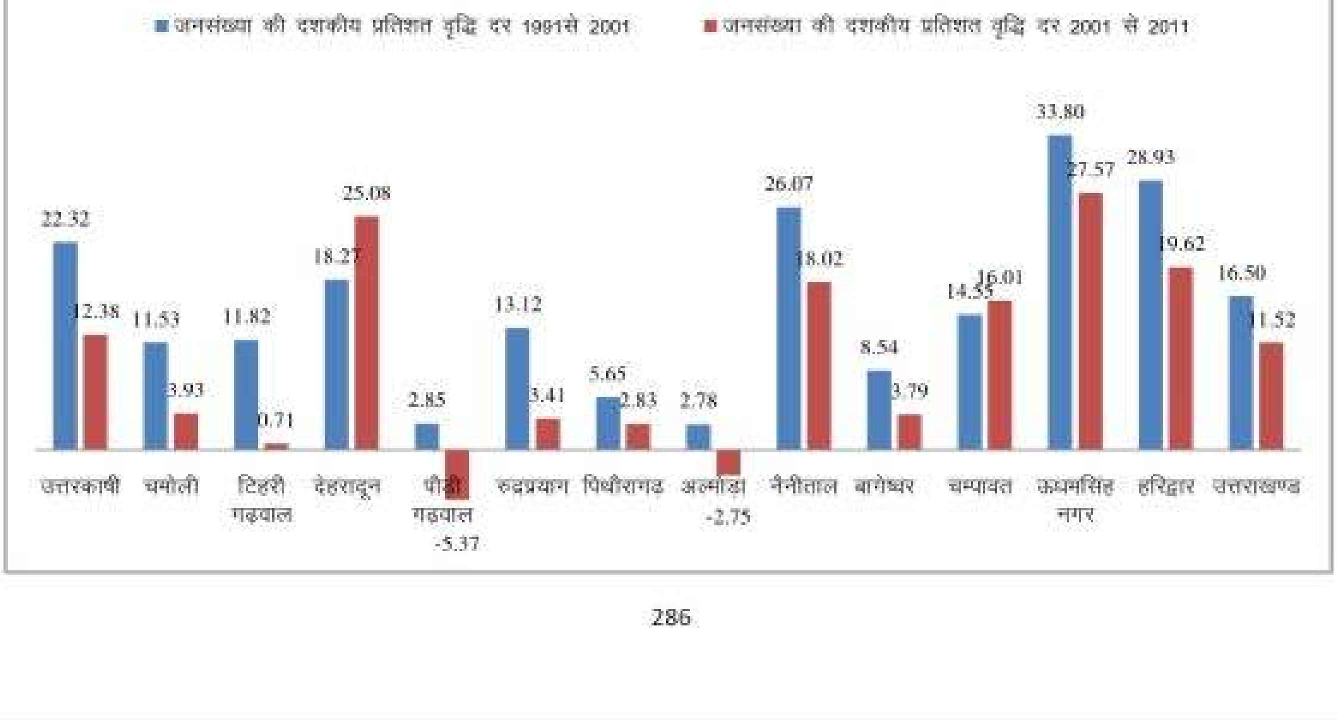

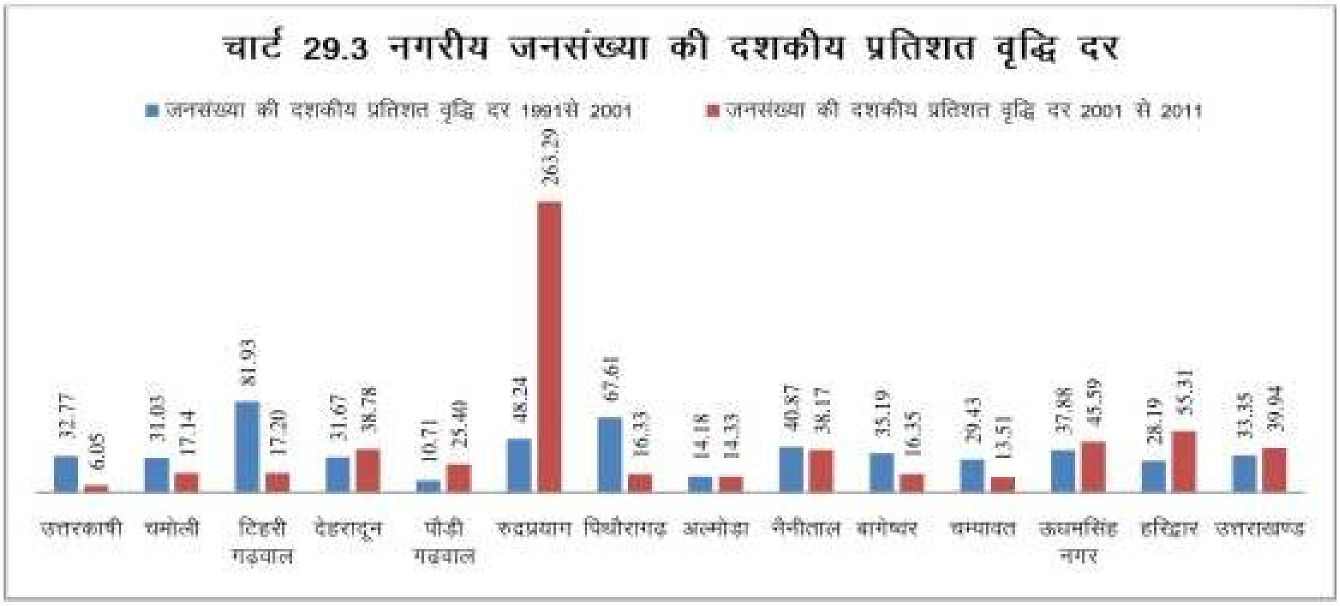

तालिका 29.8: उत्तराखण्ड की जनसांख्यिकी

क्र०	जनपद	नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत (2017)	विकास खण्ड (2017)	ग्राम पंचायत (2017)	जनगणना 2011						कुल बस्तियों की सख्या (2016)
					कुल जनसंख्या	ग्रामीण	नगरीय	आबाद ग्राम (2011)	गैर आबाद ग्राम (2011)	कुल ग्राम (2011)	
1	उत्तरकाशी	6	6	500	330086	305781	24305	694	13	707	1936
2	चमोली	10	9	613	391605	332209	59396	1170	76	1246	3198
3	टिहरी गढ़वाल	10	9	1038	618931	548792	70139	1774	88	1862	5665
4	देहरादून	7	6	459	1696694	754753	941941	731	17	748	2735
5	पौड़ी गढ़वाल	6	15	1212	687271	574568	112703	3142	331	3473	4734
6	रुद्रप्रयाग	5	3	339	242285	232360	9925	653	35	688	1675
7	पिथौरागढ़	6	8	690	483439	413834	69605	1572	103	1675	4726
8	अल्मोड़ा	4	11	1166	622506	560192	62314	2184	105	2289	5151
9	नैनीताल	7	8	511	954605	582871	371734	1097	44	1141	2702
10	बागेश्वर	2	3	416	259898	250819	9079	874	73	947	2789
11	चम्पावत	4	4	313	259648	221305	38343	662	55	717	2237
12	ऊधमसिंह नगर	16	7	390	1648902	1062142	586760	674	14	688	1046
13	हरिद्वार	9	6	308	1890422	1197328	693094	518	94	612	615
	उत्तराखण्ड	**92**	**95**	**7955**	**10086292**	**7036954**	**3049338**	**15745**	**1048**	**16793**	**39209**

स्रोत :– भारत की जनगणना–2011, निदेशक पंचायती राज, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास निगम

तालिका 29.9: उत्तराखण्ड की जनसांख्यिकी

क्र०	जनपद	ग्राम पंचायत 2003	विकास खण्ड (2001)	जनगणना 2001					
				कुल जनसंख्या	ग्रामीण	नगरीय	जनगणना/राजस्व ग्राम		
							आबाद (2001)	गैर आबाद (2001)	कुल (2001)
1	उत्तरकाशी	427	6	295013	272095	22918	682	17	699
2	चमोली	552	9	370359	319656	50703	1166	78	1244
3	टिहरी गढ़वाल	928	9	604747	544901	59846	1801	66	1867
4	देहरादून	370	6	1282143	603401	678742	738	21	759
5	पौड़ी गढ़वाल	1165	15	697078	607203	89875	3151	332	3483
6	रुद्रप्रयाग	318	3	227439	224707	2732	658	33	691
7	पिथौरागढ़	644	8	462289	402456	59833	1579	93	1672
8	अल्मोड़ा	1122	11	630567	576062	54505	2172	102	2274

9	नैनीताल	450	8	762909	493859	269050	1091	57	1148
10	बागेश्वर	363	3	249462	241659	7803	883	74	957
11	चम्पावत	283	4	224542	190764	33778	656	61	717
12	ऊधमसिंह नगर	303	7	1235614	832600	403014	674	14	688
13	हरिद्वार	302	6	1447187	1000912	446275	510	117	627
	उत्तराखण्ड	**7227**	**95**	**8489349**	**6310275**	**2179074**	**15761**	**1065**	**16826**

तलिका 29.10: जनगणना 2001 तथा 2011 के अनुसार गैर आबाद ग्रामों की संख्या एवं ग्रामों की संख्या जो 2001 में आबाद थे, किन्तु 2011 में गैर आबाद हो गये

क्र0सं0	जनपद का नाम	2001 में गैर आबाद ग्रामों की संख्या	2011 में गैर आबाद ग्रामों की संख्या	शुद्ध बड़े/घटे गैर आबाद ग्रामों की संख्या
1	उत्तराकाशी	17	13	-4
2	चमोली	78	76	-2
3	रूद्रप्रयाग	33	35	2
4	टिहरी	66	88	22
5	देहरादून	21	17	-4
6	पौडी गढ़वाल	332	331	-1
7	पिथौरागढ़	93	103	10
8	बागेश्वर	74	73	-1
9	अल्मोडा	102	105	3
10	चम्पावत	61	55	-6
11	नैनीताल	57	44	-13
12	ऊधमसिंह नगर	14	14	0
13	हरिद्वार	117	94	-23
कुल योग		**1065**	**1048**	**-17**

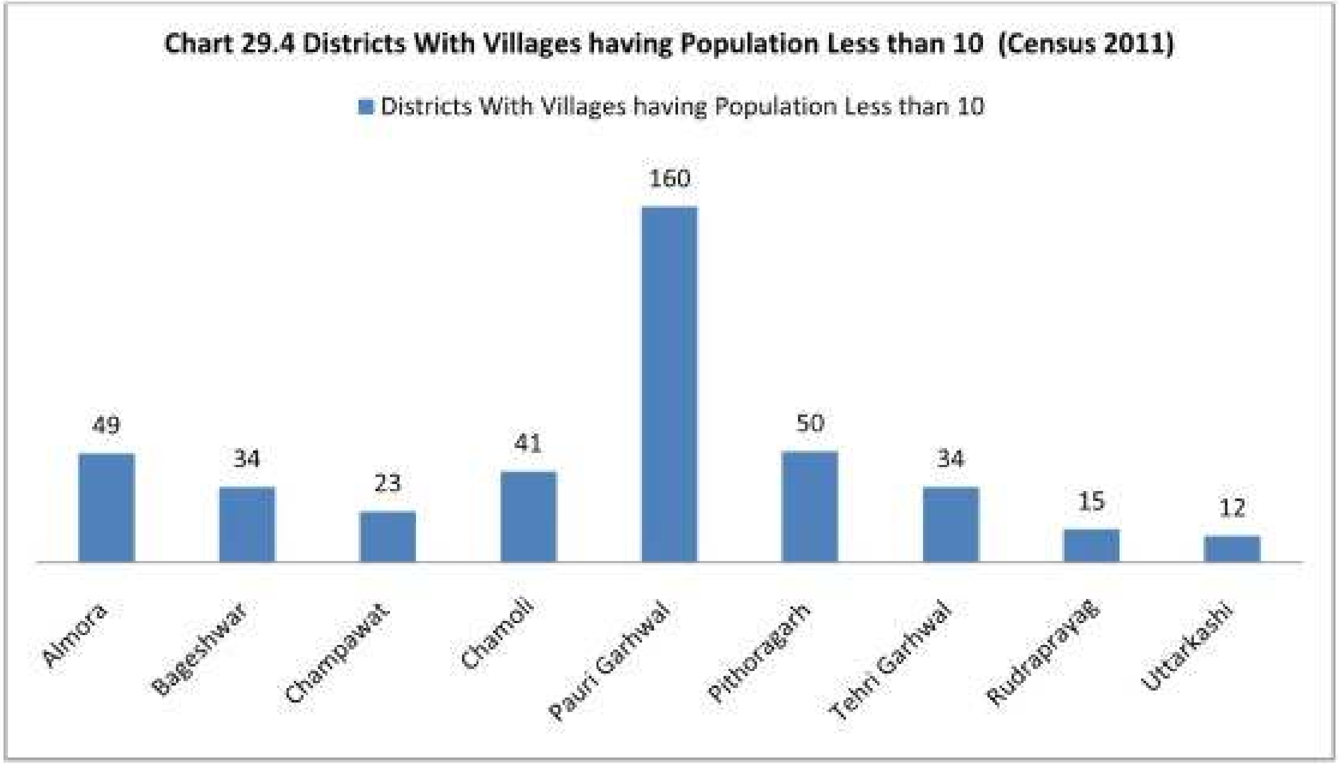

चार्ट 29.5 विस्थापित होकर आये व्यक्तियों के अन्तिम निवास स्थान का विवरण प्रतिशत में (वर्ष 2011–12)

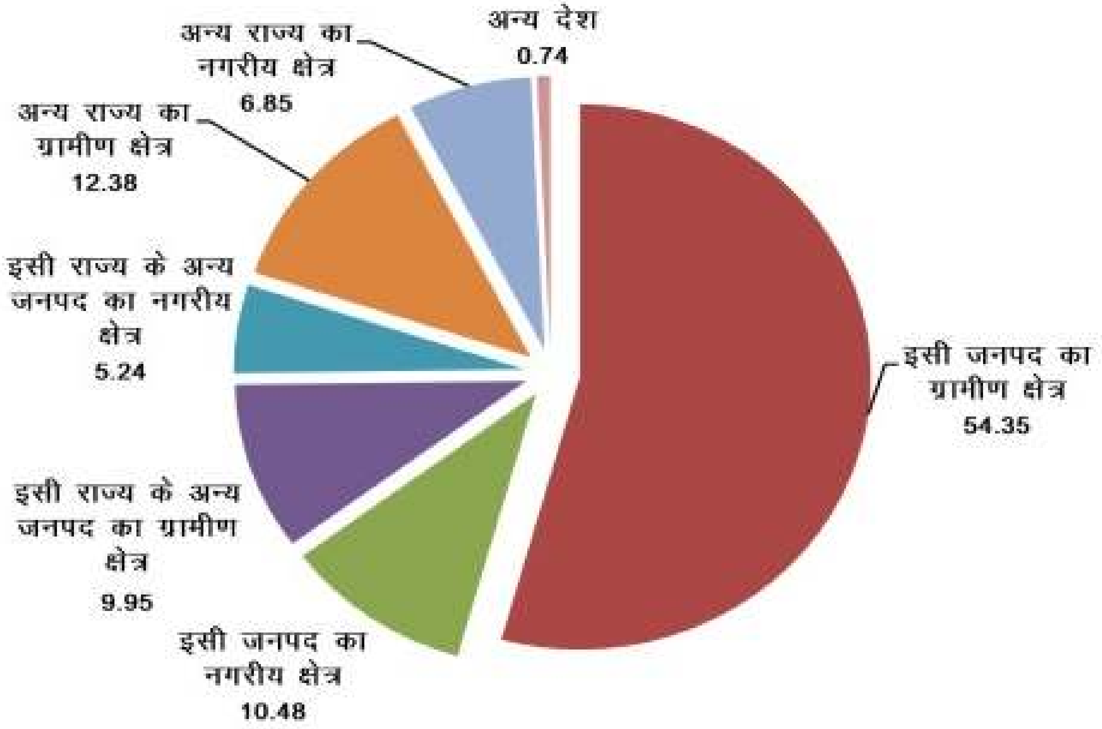

स्रोत– अर्थ एवं संख्या विभाग "विस्थापित जनसंख्या सर्वेक्षण 2011–12"

तालिका 29.7, चार्ट 29.1, 29.2 तथा 29.3 से स्पष्ट है कि पर्वतीय जिलों तथा पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र गति से कम हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार दो जिले अल्मोडा तथा पौडी गढवाल में ऋणात्मक (Negative) जनसंख्या वृद्धि दर पायी गयी जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है।

तालिका 29.11: उत्तराखण्ड में पलायन के कारण

Reason for Migrating	Male	Female	Total
Work/ employment	382986	38437	421423
Business	11284	2099	13383
Education	36670	14012	50682
Marriage	7987	1361711	1369698
Moved After Birth	13725	9464	23189
Moved with Household	271356	387152	658508
Other	286175	248116	534291
Total	1010183	2060991	3071174

Source: Census of India 2001

चार्ट 29.6: विस्थापित होकर अन्यत्र गये व्यक्तियों का ''विस्थापन के कारण'' के अनुसार वितरण (प्रति हजार) व्यक्ति की संख्या

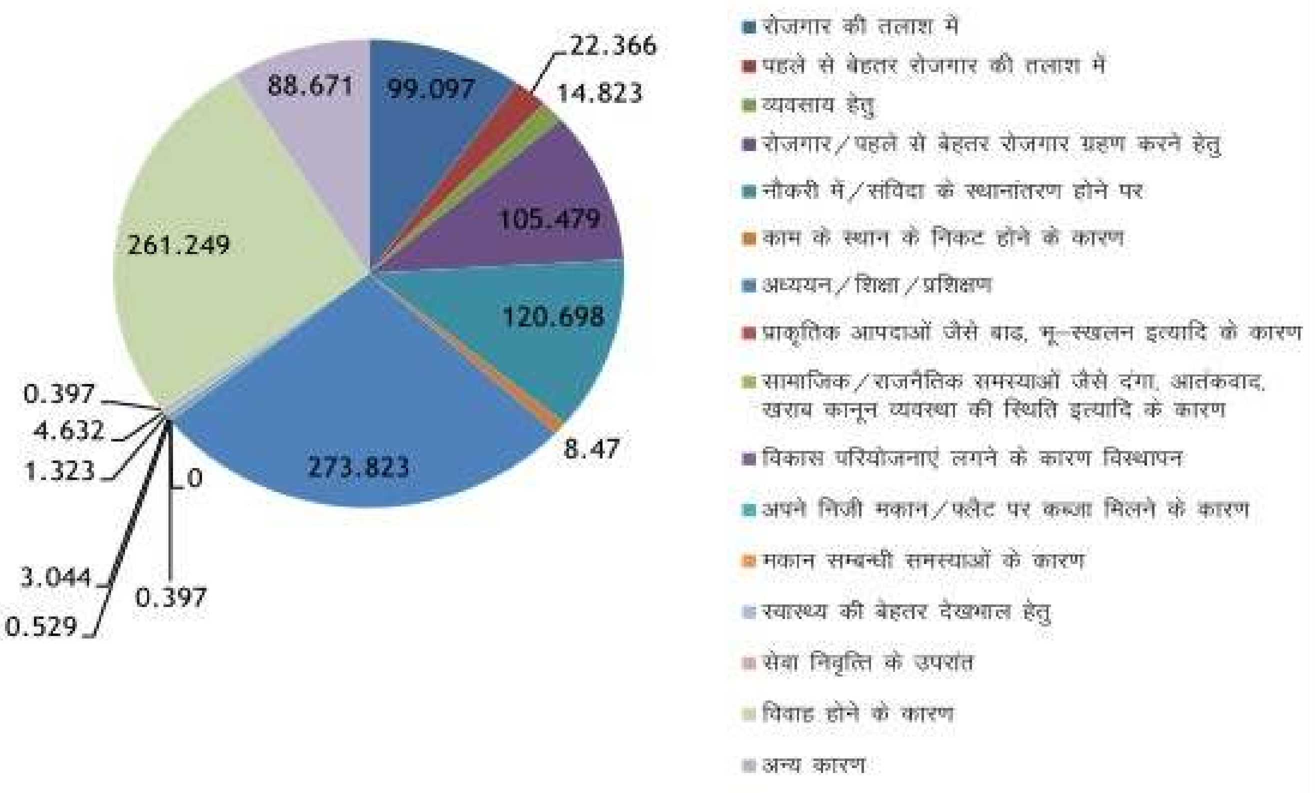

स्रोत– अर्थ एवं संख्या विभाग ''विस्थापित जनसंख्या सर्वेक्षण 2011–12''

29.7 लिंगानुपात में बदलाव

Table 29.12 District -wise Child Sex Ratio of Uttarakhand

S.N.	District	Child Sex Ratio		Sex Ratio	
		2001	2011	2001	2011
1	Almora	932	922	1146	1139
2	Bageshwar	929	904	1105	1090
3	Chamoli	934	889	1016	1019
4	Champawat	934	873	1021	980
5	Dehradun	894	889	887	902
6	Pauri	929	904	1106	1103
7	Haridwar	862	877	865	880
8	Nainital	910	902	906	934
9	Pithoragarh	902	816	1031	1020
10	Rudraprayag	953	905	1115	1114
11	Tehri Garhwal	927	897	1049	1078
12	US Nagar	913	887	902	920
13	Uttarkashi	942	916	941	958

उपरोक्त तालिका 29.12 से स्पष्ट है कि पिछले दशक (2001–11) में पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात बढा है लेकिन बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio) में भारी गिरावट आयी है जो भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि दर और कम होने का संकेत है। इसी क्रम में तालिका 29.8, 29.9, 29.10 राज्य की जनसांख्यिकी को दर्शा रहा है, जिसमें वर्ष 2001 तथा 2011 में राज्य में कुल आबाद तथा गैर आबाद ग्रामों की जनपदवार स्थिति दिखाई गयी है। यद्यपि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में शुद्ध रूप से 17 गैर आबाद ग्राम कम हुए हैं तथापि यह भी निश्चित है कि वर्ष 2011 में कतिपय नये गैर आबाद ग्राम भी चिन्हित हुए हैं। चार्ट 29.4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 418 ग्राम ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या 10 से कम है। इस श्रेणी के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक 160 ग्राम हैं। एक अध्ययन के अनुसार चार्ट 29.5 से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य में अधिकांश विस्थापन (54.35%) सम्बन्धित जनपद के ग्रामीण क्षेत्र से हुआ है जबकि लगभग 12.38 तथा 6.85 प्रतिशत विस्थापन अन्य राज्यों के क्रमशः ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में हुआ है। चार्ट 29.6 में विस्थापन के प्रमुख कारणों की स्थिति बतायी गयी हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों के संवहनीय विकास हेतु जहाँ एक ओर कतिपय ढांचागत मुद्दे परिलक्षित करने आवश्यक हैं वहीं उक्त क्षेत्रों में विभिन्न सम्भावनाऐं भी दृष्टिगत हुई हैं जिसका सामान्य विवरण निम्नानुसार है।

29.8 पर्वतीय क्षेत्रों से सम्बन्धित ढाँचागत मुद्दे (Structural Issues)

1. कृषि यंत्रीकरण की सीमा (Limitation of Agricultural Mechanisation)
2. विक्षालन के कारण गिरता मृदा स्वास्थ्य (Declining Soil Health due to Leaching)
3. छोटे भूधारण (Small Landholding) जो पूरे परिवार के निर्वहन के दृष्टिकोण नाकाफी।
4. परम्परागत तथा जीवन निर्वाह खेती (Conventional and Subsistence Farming) में कठोर परिश्रम (Drudgery) की आवश्यकता होती है तथा अलाभकारी भी है। यहाँ युवा, जो ज्यादातर शिक्षित है, कृषि में यंत्रीकरण असंभव होने के कारण सफेद कॉलर रोजगार की खोज में पलायन कर रहे हैं।
5. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य की कमी–** सरकारी विद्यालय व महाविद्यालय में व्यवस्था में सुधार की काफी गुंजाइश है। जिन पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छे निजी विद्यालय खुले हैं, उन क्षेत्रों के गरीब परिवार यहाँ तक की सरकारी विद्यालयों के शिक्षक भी, अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेजना पसन्द करते हैं। देहरादून, नैनीताल आदि जिलों में बडे तथा नामी निजी विद्यालय चल रहे हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों के परिवारों के पहुँच से बाहर हैं। इस विद्यालयों में भी पर्वतीय क्षेत्रों का स्टेक बनाने (Create) की आवश्यकता है।
6. कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अन्य मौकों की कमी (Lack of other employment opportunity)
7. लम्बा तथा घुमावदार रास्ते (Long and tortuous routes)
8. **तुलनात्मक वंचन (Relative Deprivation)–** मैदानी क्षेत्रों में उपलब्ध अन्य समस्त सुविधाओं तथा सेवाओं का पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध न होगा जैसे मनोरंजन, खेलकूद में मौके आदि।
9. आपदा की अत्यधिक प्रवृति (Disaster Proneness)
10. रेल तथा हवाई नेटवर्क का अभाव।

29.9 संभावनायें

1. **जलवायु तथा जैव विविधता–** यहाँ सबट्रोपिकल से लेकर अलपाइन तक की

विविध जलवायु उपलब्ध है। यहाँ क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर (Horizontel and Vertical) दोनों दृष्टिकोण से जलवायु में विविधता के साथ–साथ जैव विविधता भी प्रचुर है। यह विविधता कृषि नानारूपकरण (Agricultural Diversification) के लिए अत्यन्त महत्वूर्ण है।

2. जलवायु विविधता के दृष्टिगत बागवानी की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत बागवानी, कृषि यंत्रीकरण की सीमाओं तथा Drudgery को पार पाने में भी सहायक साबित होंगी।
3. **जैविक खेती को बढ़ावा–** पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर खेती by default जैविक होती है, आवश्यकता है Promotion, Certification, Branding तथा Ecofriendly packaging की है।
4. **पर्यटन–** प्रदेश में धार्मिक, साहसिक, Ecotourism, Leisure Tourism आदि की अपार संभावनायें हैं, आवश्यकता है सामूहिक तथा कलस्टर के आधार पर होम स्टे के माध्यम से प्रदेश के अधिक से अधिक परिवारों को पर्यटन से जोडकर आजिविका के वैकल्पिक व्यवस्था की जाये।
5. **जल ऊर्जा–** राज्य सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन सकता है, लेकिन Policy Mandated Development Ban के कारण हमारी लगभग 34 जल विद्युत परियोजनायें रूकी हुई हैं।

प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत परिवार कृषि पर आधारित हैं, अतः प्रदेश के विकास का Core engine कृषि/बागवानी ही हो सकता है। हमें बागवानी आधारित एकीकृत कृषि को बढावा देने तथा होम स्टे/ग्रामीण पर्यटन से पारिवारिक आय को बढाने की आवश्यकता है। कृषि में हमारा अप्रोच मृदा से बाजार (Soil to Market) होना आवश्यक है।

पर्वतीय राज्यों में विकास को गति देने तथा राज्यों के विभिन्न सामाजार्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय तथा विकास के निःशक्त सूचकांक (Development Disability Index) के सम्बन्ध में NIPF के अध्ययन तथा मुखर्जी समिति तथा चतुर्वेदी समिति द्वारा कतिपय संस्तुतियां दी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

29.10 अध्ययन रिपोर्ट तथा सिफारिशें

1. Task force under the chairmanship of G.B. Mukherji
   - To look into problems of hill states and hill areas and to suggest ways to ensure that these states and areas do not suffer in any way because of their peculiarities.
   - Task force was constituted in year 2008 and submitted its report in year 2010.
   - Task force emphasized the importance of key resources of Indian Himalayan Region (IHR) viz. Blue (Water), Green (Forest), Brown (Soil) and White (Snow, ice & Glaciers).
   - Apart from other recommendations, the task force suggested following fiscal measures-
     - Reward as well as compensation mechanism for acknowledging and maintaining the flow of life supporting ecosystem services from IHR to rest of the country. For the maintenance of forests, incremental green bonus should be provided based on proportion of the area of IHR under forest while paying attention to the fact that there are vast tracts of lands in high altitude where forests cannot grow (but are equally or more important).
     - Set up a non-lapsable, IHR Gap Fund, for compensating IHR states for sacrificing conventional development in favour of ecologically sustainable and water conserving initiatives.

- IHR development norms must be formulated on IHR relevant parameter rather than conventional plain area parameter.
- Introduce a different price policy for organic/niche product of the mountains and develop a policy framework to guide creation of Himalayan Brand.

2. Study on Developmental Disability Index for Hill States in India
   - The study was done by National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi under the leadership of Rita Pandey and Purnamita Das Gupta in year 2013.
   - Specific requirement for incentivizing forest conservation and to compensate states for economic disadvantages arising from the maintenance of forest cover have been, to some extent, addressed by FCs. This study tried to address another dimension that of specific advantages arising from increased costs arising from a combination of bio-physical features such as terrain and increased transaction costs due to legal and public good aspects of maintaining forest ecosystems. This differs from the earlier forest disability index of the Planning Commission (2004) which computed the replacement value of forest in terms of (agricultural) farming.
   - The report also says that the constructed forest disability index is just a partial value which captures only certain aspects and is not the full opportunity cost. If a complete valuation of ecosystem service applying state of the art techniques to sufficiently disaggregated and reliable data is possible, then that would constitute the most comprehensive valuation replacing all these sub components of values.
   - Development Disability Index (DDI) prepared by NIPFP was later revised by Planning Commission which has two broad components.
     - The first component is the endowment effect which is based on the Geographical Area Disadvantage Index (GADI). This index has been developed based on two sub components, viz (i) Forest Cover Index (FCI) i.e. the proportion of Forest Cover Area (FCA) to Geographical Area (GA), and (ii) Barren & Unculturable Land Index (BULI) i.e. the proportion of Barren & Unculturable Land to GA. The composite index of this component is based on the combined index of Forest Cover Index (BCI) and BULI in the ratio 60:40. For the purpose of FCI as well as BUILI, the Land Use Statistics (LUS) data has been used.
     - The second component is the infrastructure Deficit Index (IDI) which takes into account deficits in major infrastructural sectors viz. power, road, telecommunication, aviation, ports and railways. First, an index has been developed for each of these infrastructural sectors. Then the consolidated infrastructure index has been constructed by combining the indices of these infrastructural sectors with equal weights. Thereafter the State wise deficit has been worked out as the deviation from the maximum level of index for any State. Further, the infrastructure deficit index has been multiplied by combined indicator of area of the hilly districts and flood

prone area to arrive at a comprehensive Infrastructure Deficit Index. Various indicators/indices used to arrive at individual infrastructural sector index are as under:-

- Roads: Habitation Coverage, Highways per sq km, State Highways per sq km.
- Power: Per Capita Consumption of Electricity, Households electrified.
- Railways: Route Broad-gauge in proportion to total area and electrification of rail route in proportion of 67:33.
- Aviation and Ports: No. of civilian airports per sq km and no. of ocean ports per sq km.
- Telecom: Rural tele-density index and urban tele-density index in proportion of 67:33.

➢ The Development Disability Index (DDI) has been calculated as an average of Component-1 i.e. Geographical Area Disadvantage Index and Component-2 i.e. Infrastructure Deficit Index. Thereafter the States has been ranked in terms of DDI. As an alternate mechanism, this DDI has been further superimposed with the connectivity disadvantage factor to arrive at another DDI (called DDI-2) and the States have been ranked in terms of DDI-2.

➢ Table below provides the rankings of the states based on Component-1 (Geographical Area Disadvantage Index), Component-2 (Infrastructure Deficit Index including Hilly Terrain and Flood Prone Area component), Developmental Disability Index-1 [combination of Components- 1&2] and Developmental Disability Index 02 (DDI-1 with factor such as connectivity disadvantages).

Ranking of States according to Components 1 & 2 and Developmental Disability Index values 1 & 2

Rank	Comp-1	States	Comp-1	States	DDI-1	States	DDI-1	States
1	2.55	Arunachal Pradesh	4.09	Arunachal Pradesh	3.32	Arunachal Pradesh	3.01	Arunachal Pradesh
2	2.53	Manipur	4.06	J& K	3.18	Manipur	2.89	Manipur
3	2.10	Mizoram	4.05	Nagaland	3.06	Mizoram	2.76	Mizoram
4	2.08	Tripura	4.01	Mizoram	2.92	Uttarakhand	2.58	Tripura
5	1.97	Uttarakhand	4.01	Sikkim	2.87	Sikkim	2.57	Sikkim
6	1.93	Assam	4.00	Meghalaya	2.85	Tripura	2.53	Uttarakhand
7	1.73	Sikkim	3.86	Uttarakhand	2.81	J & K	2.50	Meghalaya
8	1.69	Himachal Pradesh	3.82	Manipur	2.80	Meghalaya	2.46	J & K
9	1.59	Meghalaya	3.79	Himachal Pradesh	2.76	Nagaland	2.46	Nagaland
10	1.57	Jammu & Kashmir	3.62	Tripura	2.74	Himachal Pradesh	2.36	Himachal Pradesh
11	1.47	Nagaland	2.01	Kerala	1.48	Assam	1.48	Assam
12	1.42	Chattisgarh	1.03	Assam	1.41	Kerala	1.21	kaerala
13	1.41	Odisha	0.90	Karnataka	0.82	Karnataka	0.74	Maharashtra
14	1.28	Jharkhand	0.76	Maharashtra	0.81	Maharashtra	0.73	Karnataka
15	1.25	Goa	0.57	Tamil Nadu	0.73	Odisha	0.72	Odisha
16	1.23	Gujarat	0.20	Uttar Pradesh	0.71	Chattisgarh	0.71	Chattisgarh
17	1.15	Andhra Pradesh	0.19	West Bengal	0.65	Tamil Nadu	0.64	Jharkhand
18	1.09	Madhya Pradesh	0.12	Bihar	0.64	Jharkhand	0.63	Gujarat
19	0.87	Maharashtra	0.09	Rajasthan	0.63	Gujarat	0.63	Goa
20	0.81	Kerala	0.09	Punjab	0.63	Goa	0.59	Andhra Pradesh
21	0.74	Karnataka	0.06	Haryana	0.59	Andhra Pradesh	0.59	Tamil Nadu
22	0.72	Tamil Nadu	0.04	Odisha	0.55	madha	0.55	madha
23	0.72	Rajasthan	0.04	Andhra Pradesh	0.41	Rajasthan	0.40	Rajasthan
24	0.51	Bihar	0.03	Gujarat	0.32	Bihar	0.30	Bihar
25	0.39	West Bengal	0.01	Madhya Pradesh	0.29	West Bengal	0.27	West Bengal
26	0.34	Uttar Pradesh	0.00	Chattisgarh	0.27	Uttar Pradesh	0.25	Uttar Pradesh
27	0.20	Punjab	0.00	Jharkhand	0.14	Punjab	0.13	Punjab
28	0.19	Haryana	0.00	Goa	0.13	Haryana	0.12	Haryana

3. The Committee under the chairmanship of Shri B.K. Chaturvedi (Year 2013)
   - To study development in Hill State arising from management of forest lands with special focus on creation of Infrastructure, Livelihood and Human Development.
   - Based on Revised Development Disability Index (DDI) prepared by NIPFP and Planning Commission and various other factors, the Committee recommended that compensation to 11 Himalayan States on account of their contribution of environmental Services (Public Goods) to the rest of the nation and in recognition of their special disabilities on account of these and related factors, should be 2 (two) percent of the Gross Budgetary Support (GBS) to the plan each year (Rs. 10,000 crore in 2013-14).

इस प्रकार हमारे पास पर्याप्त अध्ययन, रिपोर्ट तथा संस्तुतियां उपलब्ध हैं जिस पर क्रियान्वयन करना आवश्यक हैं।

नीति–नियोजन हेतु जनसहभागिता

नियोजन विभाग द्वारा नीति नियोजन में जनसहभागिता बढ़ाने हेतु हिमालय दिवस 9–10 सितम्बर, 2017 के उपलक्ष्य में **http://transforming.uk.gov.in** नाम से बेवासाईट आरम्भ की गयी, जिसमें राज्य के आर्थिक विकास हेतु विभागों, संस्थाओं नागरिकों, बुद्धजीवीयों शोधकर्ताओं आदि से नप्रर्वतन ideas तथा विकास के सफल प्रयोग (Best Practices) आमंत्रित किये जा रहे हैं। आमंत्रित विचारों तथा नप्रर्वतन प्रयोगों की नियोजन विभाग स्तर पर समीक्षा कर आवश्यकतानुसार राज्य के नीति–नियोजन हेतु उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक नई पहल है, जिसका समुचित उपयोग करने पर राज्य के सामाजार्थिक विकास हेतु तैयार किये जाने वाली योजनाओं हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी सुझाव एवं विचार प्राप्त हो सकेंगे।

National Land Use / Land Cover Mapping on 1:50,000 scale using IRS LISS-III data

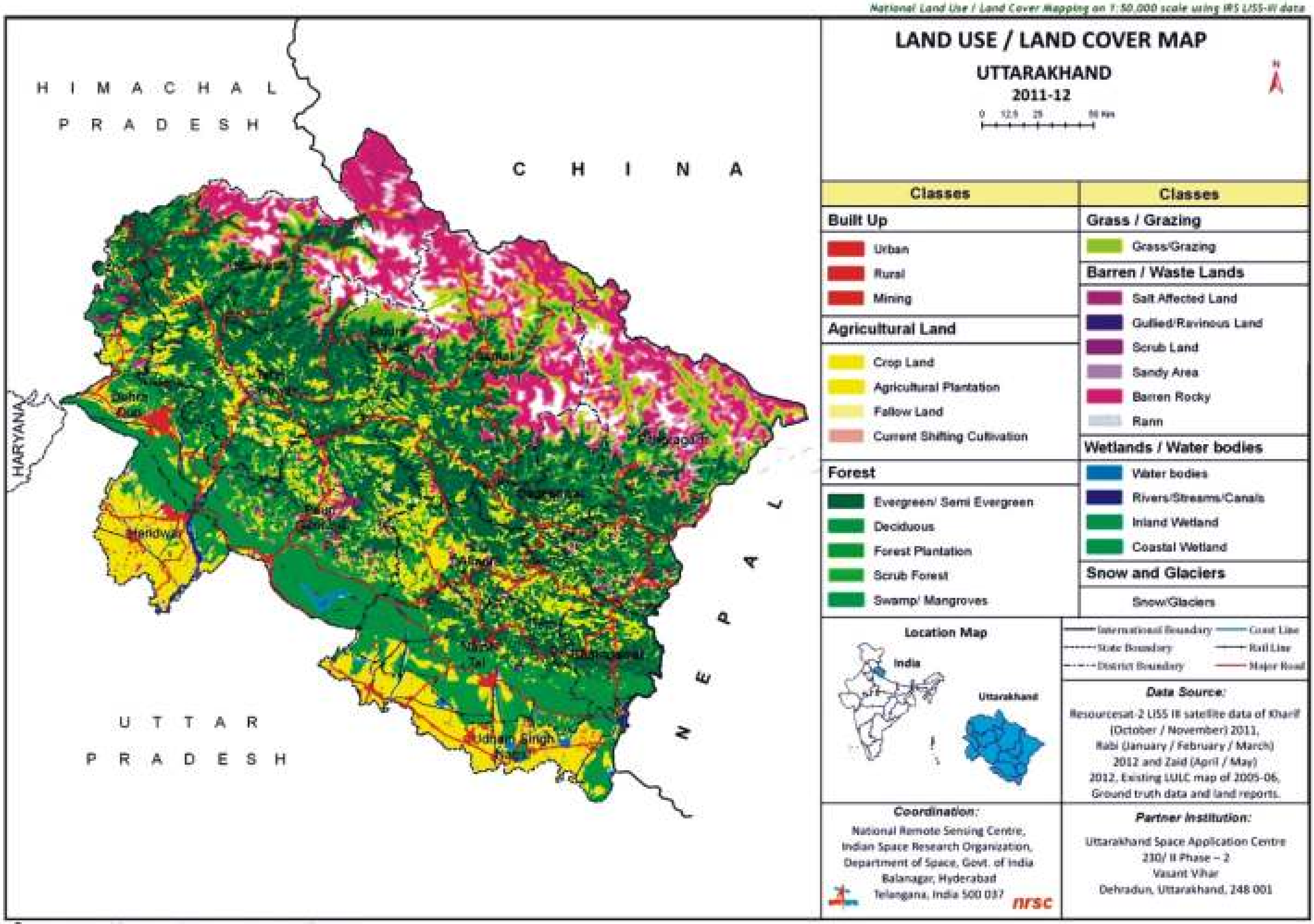

© National Natural Resources Management System, ISRO, 2014

transforming Uttarakhand ...

"Sankalp se Siddhi"

उत्तराखण्ड सरकार

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

उत्तराखण्ड सरकार

100/6, नैशविला रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001, दूरभाष/फैक्स: 0135-2712604

ई–मेल: dir-des-uk@nic.in, dir-des-uk@gmail.com

वेबसाईट: www.des.uk.gov.in